ekuuh; vferkHk dekj xIrk] U;k;efr

बिष्णु कुमार बुधिया

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 1571 of 2016. Decided on 28th September, 2016.

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 420, 467, 468, 469, 471 एवं 477A–भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988–धारा 13(2) सह-पठित 13(1)(d)–दंड प्रक्रिया संहिता, 1973–धारा 439(2)–जमानत का रद्दकरण–जमानत के विशेषाधिकार का दुरूपयोग–उस आधार पर उल्लंघन जिसपर विपक्षी को जमानत प्रदान की गयी थी–तथ्यों के दुर्व्यपदेशन के कारण विपक्षी को जमानत प्रदान की गयी है–जमानत रद्द। (पैरा 5)

निर्णयज विधि.–M/s Rohitashya Roy, Tarun Kr. Mahto, For the Petitioner; Mr. Shailesh, For the A.C.B.; M/s Mahesh Tewari, Abhishek Kr. Dubey, For the O.P. No.2.

अधिवक्तागण.–(2008) 13 SCC 584; (2014) 10 SCC 754; (2012) 10 SCC 303; (1978) 1 SCC 118—Relied.

आदेश

बी॰ ए॰ संख्या 996 वर्ष 2016 में विपक्षी सं॰ 2 मो॰ सदरूल को प्रदत्त जमानत के रद्दकरण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439(2) सह-पठित धारा 482 के अधीन वर्तमान दांडिक विविध याचिका दाखिल की गयी है।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची/सूचनादाता द्वारा दाखिल परिवाद के आधार पर विपक्षी सं॰ 2 एवं अन्य अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420, 467, 468, 469, 471, 477A के अधीन एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(d) के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन निगरानी पुलिस थाना केस सं॰ 22 वर्ष 2012 (विशेष केस सं॰ 24 वर्ष 2012 के तत्सम) दर्ज किया गया था, ऐसा अभिकथित करते हुए कि विपक्षी सं॰ 2 ने राजस्व विभाग के पदाधिकारियों के साथ मिलीभगत करके याची के नाम से मूल रूप से अभिलिखित भूमि के संबंध में याची/सूचनादाता के नाम के स्थान पर उसके पिता का नाम दर्ज करके उलट-फेर किया था एवं राजस्व अभिलेखों में कूटरचना कारित की थी।

यह निवेदन किया गया है कि विपक्षी सं॰ 2 का जमानत आवेदन दो बार अस्वीकार किया गया था, तथापि, विपक्षी संख्या 2 ने जमानत के अपने आग्रह को पुनः रखा था ऐसा शपथ पत्र निष्पादित करके कि वह भविष्य में उक्त जमीन का दावा नहीं करेगा। न्यायालय ने विपक्षी सं॰ 2 के कथन को ध्यान में लेकर तथा उसपर विचार करके उसे जमानत प्रदान कर दी थी। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विपक्षी सं॰ 2 ने इस तात्विक तथ्य को छिपाया था कि वह क्रमशः 2010 एवं 2012 में निर्बंधित विक्रय विलेखों द्वारा पहले ही जमीन बेच चुका था। यह कि वस्तुतः विपक्षी सं॰ 2 ने इस तथ्य को प्रकट नहीं किया था कि उसने राजस्व अभिलेखों से अपने पिता का नाम हटाये जाने को चुनौती देते हुए रिट याचिका-WP(C) संख्या 5546 वर्ष 2013-दाखिल किया था। कि स्थितियों की वास्तविक प्रास्थिति का दुर्व्यपदेशन जमानत प्रदान करने के इरादे के साथ न्यायालय को दिग्भ्रमित करने तथा उसके साथ छल करने के तुल्य है।

(2008) 13 SCC 584 में रिपोर्ट किये गये निर्णय पर भरोसा करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया है कि जब जमानत प्रदान करने में अप्रासंगिक सामग्रियों को विचार में लिया जाता है, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 439(2) के अधीन जमानत रद्द करने में उच्च न्यायालय औचित्य पर होगा।

3. भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो, झारखंड की ओर से उपस्थित होनेवाले विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि जमानत के आवेदन में विपक्षी सं॰ 2 ने WP(C) संख्या 5546 वर्ष 2013 के लंबित रहने के संबंध में न तो प्रकट किया था, न ही इसे अभिप्रमाणित किया था। ऐसे तथ्य का छुपाया जाना झारखंड उच्च न्यायालय नियमावली के नियम 139(1)(g) का उल्लंघन है। कि उक्त तथ्य के प्रकट न किये जाने से विभाग जमानत के आवेदन के सुनवाई के दौरान न्यायालय को उपयुक्त सहायता प्रदान करने में असमर्थ रहा था तथा शपथ पत्र पर किये गये दोषपूर्ण कथन के आधार पर विपक्षी सं॰ 2 को जमानत प्रदान कर दी गयी थी।

4. तत्प्रतिकूल, विपक्षी सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि बी॰ ए॰ संख्या 996 वर्ष 2016 में दाखिल जमानत के आवेदन के पैरा 2 से यह प्रकट होगा कि झारखंड उच्च न्यायालय नियमावली के नियम 139(1)(g) के अनुसार कथन किये गये हैं, अतएव इस बिन्दु पर तर्क थोड़ा भ्रामक है तथा समर्थनीय नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वस्तुतः दो आधारों पर प्रमाण प्रदान किया गया था, प्रथमतः हिरासत की अवधि को ध्यान में लेते हुए तथा द्वितीयतः शपथ पत्र पर दिये गये इस कथन पर कि वह जमीन पर कोई दावा नहीं करेगा।

यह तर्क दिया गया है कि जमानत पर रिहा किये जाने के उपरान्त विपक्षी सं॰ 2 का अभियोजन नहीं किया गया है। WP(C) संख्या 5546 वर्ष 2013 तथा सम्पूरक शपथ पत्र के पैरा 14 में किये गये प्रकथन निम्नवत् हैं:–

> *^^14. fd ;kfpdk d ijk 16 e fd; x; dFkuk d mÙkj e] ;g dfFkr fd;k tkrk g rFkk fuonu fd;k tkrk g fd mÙkjnkrk foi{kh voj U;k;ky; d le{k mld }kjk nkf[ky 'kiFk i= d fucèkuk e mDr fjV ;kfpdk&WP(C) l[;k 5546@2013&okil y yxkA***

विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि विपक्षी सं॰ 2 द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किये गये थे, बल्कि उन्हें विपक्षी सं॰ 2 की जानकारी के बिना मुख्तारनामा धारक द्वारा निष्पादित किया गया था। कि विपक्षी सं॰ 2 ने एक बार फिर शपथ पत्र पर स्पष्ट कथन किया है कि वह प्रश्नाधीन जमीन पर सारे दावों का त्याग कर रहा है। यह निवेदन किया गया है कि जमानत आवेदन के पैरा 2 में याचिका के लंबित रहने को उल्लिखित न किये जाने को नियमावली का उल्लंघन नहीं बताया जा सकता है क्योंकि पूर्वोक्त आवेदन जमानत के लिए दाखिल किया गया था तथा झारखंड उच्च न्यायालय नियमावली के नियम 139(1)(g) के अनुसार उस प्रभाव का प्रमाण पत्र दिया गया था।

विद्वान अधिवक्ता ने **(2014) 10 SCC 754** में रिपोर्ट किये गये निर्णय पर भरोसा किया है तथा निवेदन किया है कि पैरा 23 में उच्चतम न्यायालय ने **(2012) 10 SCC 303** में रिपोर्ट किये गये **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य** के मामले को निर्दिष्ट करते हुए इस स्थापित विधि की स्थिति को दोहराया है कि धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों पर धारा 362 के अधीन वर्जन आवश्यक नियंत्रण के तौर पर कार्य करता है तथा अंतर्निहित शक्तियां धारा 362 के प्रावधानों पर अध्यारोही नहीं हो सकती हैं। कि जमानत के आवेदन का रद्दकरण न्यायालय द्वारा किये गये एक आदेश के पुनर्विलोकन के तुल्य होगा जो जमानत का आदेश पारित हो जाने के उपरान्त (functus officio) बन चुका है। यह निवेदन किया गया है कि जमानत प्रदान करने तथा जमानत रद्द करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय द्वारा विषद् रूप से स्पष्टीकृत तथा सुभिन्न की गयी है इस सुस्थापित सिद्धांत को दोहराते हुए कि जिसे प्रत्यक्षतः नहीं किया जा सकता है, उसे अप्रत्यक्षतः भी नहीं किया जा सकता है। कि इस न्यायालय के पास अपने ही आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति नहीं है क्योंकि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 362 के अधीन पुनर्विलोकन की शक्ति अपीलीय न्यायालय में निहित है तथा जमानत रद्द करने के लिए दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन शक्ति के इस्तेमाल का आश्रय नहीं लिया जा सकता है क्योंकि यह छिपे तौर पर पुनर्विलोकन के शक्ति का इस्तेमाल होगा।

यह तर्क दिया गया है कि **(1978) 1 SCC 118** में रिपोर्ट किये गये **गुरुचरण सिंह बनाम दिल्ली राज्य** के मामले में जमानत के रद्दकरण के लिए अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नवत् दिशा निर्देश अधिकथित किये गये हैं:–

> *^^16. ----- rFkkfi] vxj fdlh l= U;k;ky; u fdlh vfHk;Dr 0;fDr dk tekur inku dj nh g] jkT; d ikl nk fodYi gkr gA ;g l= U;k;kèkh'k d ikl tk ldrk g* ***vxj dfri; ub ifjfLFkfr;k mnHkkr gk x;h g ftudh igy jkT; dk rFkk vr,o] vko';d :i l ml U;k;ky; dk tkudkjh ugh FkhA*** *jkT; vfHk;Dr dk fgjkl r e Hktu d fy; èkkjk 439(2) d vèkhu mPprj U;k;ky; gku d ukr mPp U;k;ky; d ikl Hkh tk ldrk gA rFkkfi] tc jkT; tekur inku djuoky l= U;k;kèkh'k d vkn'k l 0;fFkr g rFkk ,lh dkb ub ifjfLFkfr lkeu ugh vk;h g flok; ml d tk igy l gh fo|eku g] iu% l= U;k;kèkh'k d ikl tkuk jkT; d fy, 0;Fk gkxk rFkk tekur jí djku d fy, ;g fofèk e mPp U;k;ky; d ikl tku e l{ke gA mPp U;k;ky; d edkfcy l= U;k;ky; dh vèkhuLFk fLFkfr gku l ;g fLFkfr lkeu vkrh gA^^*

इस चरण में, याची के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि विपक्षी सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क भ्रामक है क्योंकि उन्होंने संदर्भ से अलग करके आदेश के केवल एक अंश पर भरोसा किया है क्योंकि यह स्थापित सिद्धांत है कि कुछ शब्दों या वाक्यांशों को उठाया एवं चुना नहीं जा सकता है तथा ऐसे भ्रामक तर्क के अनुकूल बनाने के लिए तथा उसका समर्थन करने के लिए अनुकूल नहीं बनाया जा सकता है। कि निर्णय के लिए तात्विक सिद्धांतों का मूल्यांकन करने हेतु, यह आवश्यक है कि निर्णय को उसकी संपूर्णता में पठित किया जाना चाहिए। कि वस्तुतः उक्त निर्णय किसी अभियुक्त को गिरफ्तार कराने या हिरासत में भेजने के लिये न्यायालय को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 439(2) के अधीन वर्णित शक्तियों का इस्तेमाल करने से वर्जित नहीं करता है।

यह तर्क दिया गया है कि यह सुस्थापित है कि जमानत का आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश होता है तथा धारा 439 के अधीन जमानत को रद्द करने की शक्ति समाविष्ट है जिसका प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में लेकर अवलंब लिया जा सकता है एवं इस्तेमाल किया जा सकता है। कि किसी व्यक्ति को जमानत का विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिये तथ्यों का दुर्व्यपदेशन करके तथा झूठा शपथ पत्र दाखिल करके विधि का उल्लंघन तथा अवज्ञा करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है तथा, तत्पश्चात्, तर्क देते हैं कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 439(2) के अधीन शक्ति का इस्तेमाल दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 362 के अधीन आदेश के पुनर्विलोकन के तुल्य होगा।

5. सुना। इस संदर्भ में इसकी पुनरावृत्ति करना सुसंगत होगा कि उच्चतम न्यायालय ने कई अवसरों पर उन मार्गनिर्देशों तथा मापदंडों को अधिकथित किया है जिनके अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कराने के लिये या उसे हिरासत में भेजने के लिए धारा 439(2) के अधीन शक्ति का अवलंब लिया जा सकता है।

यद्यपि यह सम्परीक्षित किया गया है कि आधार दृष्टांत मूलक हैं तथा निःशेष नहीं, तथापि, यह निर्णीत किया गया है कि जब अभियुक्त ने समरूप गतिविधि में संलग्न होकर जमानत की स्वतंत्रता एवं विशेषाधिकार का दुरूपयोग किया है या जब वह ऐसी गतिविधि में संलिप्त होता है जो सुगम अन्वेषण को बाधित करेगी, तब प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में लेकर तथा उनपर विचार करके जमानत के रद्दकरण के लिए धारा 439(2) के अधीन शक्ति का अवलंब लिया जा सकता है एवं इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

वर्तमान मामले के प्रतिपादित तथ्यों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विपक्षी सं॰ 2 ने इससे इनकार नहीं किया है कि जमाबंदी अभिलेख से विपक्षी सं॰ 2 के पिता के नाम को हटाये जाने को चुनौती देते

हुए उसके द्वारा रिट आवेदन दाखिल किया गया है। उसके द्वारा पहले दाखिल शपथ पत्र में उसने स्पष्ट कथन किया था कि वह उक्त जमीन पर किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं रखेगा तथा पुनः सम्पूरक शपथ पत्र में उसने कथित किया है कि वह उक्त रिट आवेदन को वापस ले लेगा। उसने यह भी कथित किया है कि मुख्तारनामा द्वारा उसकी जानकारी के बिना विक्रय विलेख निष्पादित किये गये थे।

यह स्पष्ट है कि विपक्षी सं॰ 2 शपथ पत्र पर कथन करके ऐसी तुच्छ बातें करने में माहिर है। यह मात्र एक बहाना है क्योंकि आजतक प्रकथनों को वास्तविकता में नहीं लाया गया है। यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि आजतक उसने रिट आवेदन वापस नहीं लिया है, न ही मुख्तारनामा धारक के विरूद्ध कोई वैधानिक कार्रवाई की है जिसने उसकी जानकारी के बिना विक्रय विलेख निष्पादित किये थे। विपक्षी सं॰ 2 का आचरण संदेह से परे नहीं है तथा वह ऐसी गतिविधि में संलिप्त रहा है जो शपथ पत्र पर किये गये कथनों के विपरीत है। यह उस आधार के उल्लंघन में जमानत के विशेषाधिकार का दुरूपयोग है जिसपर उसे जमानत प्रदान की गयी थी। संलग्न तथ्यों तथा परिस्थितियों में, यह प्रकट है कि विपक्षी सं॰ 2 को तथ्यों के दुर्व्यपदेशन के कारण जमानत प्रदान की गयी है, अतएव, यह न्यायालय दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 439(2) के अधीन शक्ति के इस्तेमाल में बी॰ ए॰ संख्या 996 वर्ष 2016 में दिनांक 24.6.2016 के आदेश द्वारा विपक्षी सं॰ 2 को प्रदान की गयी जमानत रद्द करना उपयुक्त एवं उचित समझता है।

इसके परिणामतः, विपक्षी सं॰ 2 को विद्वान विशेष न्यायाधीश (निगरानी) रांची के न्यायालय में लंबित विशेष केस सं॰ 24 वर्ष 2012 के तत्सम निगरानी पुलिस थाना केस सं॰ 22 वर्ष 2012 के संबंध में अवर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है जिसमें विफल होने पर विचारण न्यायालय विपक्षी सं॰ 2 की अभिरक्षा प्राप्त करने के लिए विधि के अनुसार आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हैं।

6. परिणामतः, दांडिक विविध याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; çnhi dekj ekgUrh] dk;dkjh e[; U;k;kèkh'k ,o vkuUn lu] U;k;efr

झारखण्ड राज्य (7 में)

चंद्र किशोर (150 में)

cuke

बिनोद सिंह एवं अन्य (7 में)

झारखंड राज्य एवं अन्य (150 में)

Govt. Appeal Nos. 07 of 2001 with Criminal Revision No. 150 of 2001. Decided on 24th November, 2016.

सत्र विचारण सं॰ 354 वर्ष 1994 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, चतरा द्वारा पारित दिनांक 5.3.2001 के दोषमुक्ति के निर्णय तथा आदेश के विरूद्ध।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860—धाराएँ 148, 366/149, 376/149 एवं 396/149—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 378—अपहरण, हत्या, बलात्संग एवं डकैती–विधि विरुद्ध जमाव का सम्मिलित उद्देश्य–दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील–सभी गवाह हितबद्ध गवाह हैं–किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य का संपोषण नहीं किया है–पीड़ित महिला भरोसेमंद गवाह नहीं है–उसने समय-समय पर कहानी तैयार किया है तथा दस महीनों के उपरान्त ही बलात्संग का तथ्य प्रकट किया है–सभी अभियुक्त व्यक्ति पड़ोसी हैं तथा परिवार के परिचित हैं, परन्तु न तो सूचनादाता न ही पीड़िता ने अभियुक्त व्यक्तियों का नाम लिया था–यह एक दोहरी

हत्या का मामला है परन्तु अभियोजन आरोपों को सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है–अब तक, 24 से अधिक वर्ष गुजर चुके हैं–विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति का निर्णय बरकरार। (पैराएँ 15 से 18)

अधिवक्तागण.–Mr. Pankaj Kumar, For the Appellant; Mr. A.K. Kashyap, For the Respondents; M/s O.P. Singh & S. Rahman, For the Petitioner; Mr. Pankaj Kumar, For the State.

प्रदीप कुमार मोहन्ती, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश.–क्रमशः राज्य तथा सूचनादाता द्वारा दाखिल सरकारी अपील एवं दाण्डिक पुनरीक्षण चतरा पुलिस थाना केस सं॰ 146 वर्ष 1992 के तत्सम सत्र विचारण केस सं॰ 354 वर्ष 1994 के सम्बन्ध में 5.3.2001 को विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, चतरा द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश तथा निर्णय के विरुद्ध निर्दिष्ट हैं, जिनके द्वारा एवं जिनके अधीन प्रत्यर्थीगण–अभियुक्त व्यक्तियों को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि 29/30.7.1992 के बीच की रात्रि में कुछ अपराधी सूचनादाता चन्द्र किशोर के घर आए थे तथा लगभग 11 बजे अपराह्न में वो फरकी (दरवाजा) उखाड़कर अहाते में प्रवेश कर गए थे। यह कथित किया गया है कि सूचनादाता, उसकी चाची एवं उसके गोत्रज एक कमरे में सो रहे थे जिसे इन डकैतों द्वारा बाहर से बन्द कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, यह कथित किया गया है कि बदरी महतो तथा कौशल किशोर, जो बरामदे में सो रहे थे, पर उपद्रवियों द्वारा प्रहार किया गया था जिसे सूचनादाता द्वारा खिड़की से टॉर्च के प्रकाश में देखा गया था। सूचनादाता एवं परिवार के अन्य सदस्यों ने शोर मचाया था एवं इन हमलावरों ने उन्हें चुप रहने के लिए धमकाया था तथा उन्होंने डकैती कारित करने के उपरांत एवं धमकी देकर उन्हें दरवाजा खोलने के लिए विवश कर दिया था एवं इसके बाद उनमें से दो घर के अन्दर प्रवेश कर गए थे, जिन्होंने कपड़ों से अपना चेहरा ढंक रखा था। इसके अतिरिक्त यह कथित किया गया है कि हमलावरों में से एक ने सूचनादाता पर मुक्कों तथा तमाचों से प्रहार किया था तथा एक अन्य ने उसकी चाची पर प्रहार किया था, जिसके परिणामतः वह नीचे गिर पड़ी थी तथा जब वह उठी थी, इन डकैतों ने उन्हें पकड़ लिया था एवं प्रांगण में लेकर आ गए थे एवं उसके आभूषण छीन लिए थे तथा वे नकद के बारे में भी पूछ रहे थे तथा इसके बाद वे घर से दो बक्से ले गए थे एवं उसकी चाची को पकड़ लिया था तथा उसे अपने साथ ले गए थे एवं उन्होंने बाहर से सूचनादाता के कमरे का दरवाजा बन्द कर दिया था। सूचनादाता ने प्रांगण में चार डकैतों को देखा था तथा दो बरामदे में थे जो उसके भाई एवं दादा पर प्रहार कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, उसने कथित किया कि उसकी चाची 4.00 बजे पूर्वाह्न में लौट आयी थी तथा कथित किया था कि वे नकद तथा आभूषणों के बारे में पूछ रहे थे जब सूचनादाता ने डकैतों के पहचान के बारे में अपनी चाची से पूछा था, उसने कथित किया कि उसने नहीं पहचाना था तथा डकैतों में से एक ने उसके पैर पर लाठी से प्रहार किया था। उसने यह भी कथित किया कि उसकी चाची के वापस होने के पहले, उसके हल्ला करने पर गाँव वाले उसके घर पर जमा हो गए थे तथा उसके पड़ोसी रामवतार एवं उसकी माता वहाँ पहुँच गए थे एवं दरवाजा खोला था तथा इसके बाद वह बाहर आया था तथा देखा था कि उसके दादा की मृत्यु हो चुकी है एवं उसका गोत्र भाई बेहोश था एवं उसके कान, नाक एवं शरीर के अन्य हिस्सों पर रक्तस्राव वाली उपहति थी गांव वाले उसे चतरा अस्पताल ले गए थे जहाँ चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इसके अतिरिक्त, उसने कथित किया कि चुराए गए बक्सों में से एक को घर के पश्चिमी हिस्से में फेंक दिया गया था एवं वहाँ कपड़े इधर–उधर बिखरे पड़े थे। यह कथित किया गया है कि 600/- रु॰ के मूल्य की विभिन्न वस्तुएँ लूट ली गयी थी तथा उसने कथित किया कि वह एवं उसकी चाची एवं सुनील इन डकैतों की शिनाख्त कर सकते थे। तद्नुसार, सूचनादाता चन्द्रकिशोर द्वारा घटना के बारे में सूचना दी गई थी जिसके आधार पर चतरा पुलिस थाना केस सं॰ 146 वर्ष 1992 दर्ज किया गया था तथा पुलिस

ने सम्यक अन्वेषण के उपरान्त सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 149, 380, 366, 376 एवं 302 के अधीन अपराध के लिए आरोप-पत्र दाखिल किया था एवं तद्नुसार, अपराध का संज्ञान लिया गया था एवं मामला सत्र न्यायालय भेज दिया गया था जहाँ इसे सत्र विचारण सं॰ 354 वर्ष 1994 के तौर पर क्रमांकित किया गया था।

3. बचाव पक्ष का अभिवाक्, अभिकथनों से पूर्ण रूप से इनकार करने का है।

4. विचारण न्यायालय ने भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 148, 366/149, 376/149 तथा 396/149 के अधीन आरोप विरचित करने के उपरान्त मामले का विचारण प्रारम्भ किया था एवं गवाहों की परीक्षा की थी।

5. अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने कुल मिलाकर दस गवाहों को परीक्षित किया है, उस चिकित्सक (अ॰ सा॰ 9) समेत जिसने मृतका के शरीर का शव परीक्षण किया था। तथापि, बचाव पक्ष ने किसी गवाह को परीक्षित नहीं किया है।

6. विचारण न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध समूची सामग्रियों पर विचार करने के उपरान्त एवं अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करके इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि अभियुक्त व्यक्तियों को मामले में झूठ-मुठ फंसा दिया गया है क्योंकि इस मामले में अभियोजन के मामले को न्यायसंगत ठहराने के लिए एक भी स्वतंत्र गवाह नहीं है इस सम्बन्ध में कि इन अभियुक्तों जो पड़ोसी हैं तथा घटना के पहले पीड़िता के परिचित थे, को प्राथमिकी में नामजद क्यों नहीं किया गया है।

7. विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री पंकज कुमार ने निम्नांकित आधारों पर विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय की आलोचना की है:-

"(I) fo}ku fopkj.k U;k;ky; dk vfHky[k ij miyC/k lkefx;k rFkk bl ekey e vc rd çLrr lk{; ij mld lgh ifjç{; e fopkj dju FkkA

(II) v0 lk0 2, ihfMrk vfHk;Dr 0;fDr;k }kjk cykRlx fd, tku ij dfri; vofèk d fy, ekufld :i l vlekU; gk xb Fkh rFkk chekjh l mcju d mijkUr gh mlu uke çdV fd;k Fkk] ijUr fopkj.k U;k;ky; u v0 lk0 2 d lk{; ij fopkj ugh fd;k gA

(III) v0 lk0 1, 2 ,o 11, tk LokHkkfod xokg g] u i.k :i l vfHk;k tu ekey dk leFku fd;k gA

(IV) fopkj.k U;k;ky; u n0 ç0 l0 dh èkkjk 164 d vèkhu vfHkfyf[kr v0 lk0 2 d c;ku ij fopkj ugh fd;k g rFkk vuko';d :i l bl lhek rd mtkxj fd;k g fd vfHk;Dr 0;fDr Mdr FkA

(V) v0 lk0 2 (ihfMrk) u fofufn"Vr% Mdrk }kjk mld lkFk dkfjr cykRlx dk rF; çdV fd;k Fkk ,o Hk; d dkj.k og çFke lpuk fjikV nt dju d le; viu ifr dk mud uke ugh crk ldh Fkh ,o dfFkr fd;k g fd vfèkdk'k xokg Hkjk len g] vr,o] fopkj.k U;k;ky; }kjk ikfjr fu.k; fofèk e nk"ki.k] voèkkfud g rFkk vikLr fd, tku ;kX; gA

7. दाण्डिक पुनरीक्षण सं॰ 150 वर्ष 2001 में उपस्थित होने वाले सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने भी सरकारी अपील सं॰ 07 वर्ष 2001 ने विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत तर्क का समर्थन किया है।

8. राजकीय अपील सं॰ 07 वर्ष 2001 में प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त आरोपों से प्रत्यर्थीगण को दोषमुक्त करने में कोई दुर्बलता नहीं है या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कोई अवैधानिकता कारित नहीं हुई है। उन्होंने जोरदार ढंग से तर्क दिया

है कि साक्ष्य को उनकी सम्पूर्णता में लेने पर अभियोजन मामला झूठा प्रतीत होता है। अभियोजन द्वारा किसी स्वतंत्र गवाह की परीक्षा नहीं की गई है तथा अभियुक्त व्यक्ति पड़ोसी हैं, सूचनादाता ने प्राथमिकी में उनके नाम प्रकट नहीं किए हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि अ॰ सा॰ 2 ने विनिर्दिष्टत: कथित किया है कि उसने अपने पति से विचार-विमर्श करने के उपरान्त अभियुक्त व्यक्तियों के नाम प्रकट किए हैं। इससे भी बढ़कर, मामले में अन्वेषण पदाधिकारी को परीक्षित नहीं किया गया है अतएव उक्त आरोप से वर्तमान प्रत्यर्थीगण को दोषमुक्त करने में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कोई दुर्बलता तथा अवैधानिकता कारित नहीं की गई है।

9. अवर न्यायालय के अभिलेखों का परिशीलन किया तथा सूक्ष्म रूप से साक्ष्य का अवलोकन किया।

10. अ॰ सा॰ 1 जय नारायण प्रसाद, जो मृतका का पिता एवं एक अन्य मृतक बदरी प्रसाद का पुत्र है, घटना स्थल पर मौजूद नहीं था क्योंकि उस समय वह चितरपुर, हजारीबाग में था। उसे पोस्टमास्टर युगेश्वर सिंह द्वारा सूचित किया गया था कि उसका पुत्र कौशल चतरा अस्पताल में भर्ती है। इस गवाह ने यह भी कथित किया है कि जब वह मृतका के शव के दाह संस्कार के बाद लौट रहा था, उसकी पत्नी (अ॰ सा॰ 2) ने उसे बताया था कि उसके साथ अभियुक्त चन्द्रदेव सिंह, विनोद सिंह, रतन सिंह एवं श्यामदेव सिंह द्वारा बलात्संग किया गया था एवं उक्त अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा निभायी गई भूमिका के बारे में भी कथित किया गया था।

11. अ॰ सा॰ 2 राज कुमारी देवी मृतक कौशल किशोर की माता एवं अ॰ सा॰ 1 की पत्नी है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के दिन, उसके ससुर तथा पुत्र कौशल किशोर घर के दरवाजे के निकट सोए हुए थे तथा वह चन्द्र किशोर एवं सुनील के साथ घर के अन्दर सोई हुई थी। चन्द्रदेव सिंह (अभियुक्त), जो निकटतम पड़ोसी है, चार-पाँच व्यक्तियों के साथ आया था तथा दरवाजा खोलने के बाद, प्रांगण में प्रवेश कर गया था। यह गवाह भी जग गई थी एवं अपने बिस्तर पर बैठ गई थी। चन्द्रदेव सिंह के निर्देश पर, बिनोद सिंह ने बदरी प्रसाद की छाती में चाकू भोंक दिया था। इस गवाह तथा चन्द्रकिशोर ने संत्रास किया था एवं इसके बाद तीन व्यक्तियों ने उस पर टॉर्च का प्रकाश चमकाया था तथा उसे हल्ला नहीं मचाने के लिए धमकाया था एवं उसे दरवाजा खोलने का निर्देश दिया था, जिस पर उसने दरवाजा खोल दिया था तथा अभियुक्त व्यक्तियों ने चन्द्र किशोर पर चाकू से वार करना प्रारम्भ कर दिया था। अभियुक्त व्यक्तियों की माँग पर, उसने अपने सोने के कान की बाली तथा नथिया उन्हें दे दी थी। तत्पश्चात, तीनों व्यक्ति उसे एक अन्य कमरे में ले गए थे, जिसे वह अंधेरे के कारण पहचान नहीं सकी थी, एवं धन के बारे में पूछा था। उन्होंने उसके ससुर (मृतक बदरी प्रसाद) पर डंडे के तीन प्रहार किए थे एवं फावड़े के पिछले हिस्से से कौशल किशोर (मृतक एवं अन्य) पर भी प्रहार किया था। उसने चन्द्रदेव सिंह, बिनोद सिंह, रतन सिंह एवं श्यामदेव सिंह को पहचाना था। तत्पश्चात आठ व्यक्ति उसके घर आए थे तथा उसे विद्यालय की ओर ले गए थे एवं उसे निर्वस्त्र कर दिया था। रतन सिंह, श्यामदेव सिंह, बिनोद सिंह एवं दो अन्य व्यक्तियों ने उसके साथ बलात्संग कारित किया था। तत्पश्चात अभियुक्त व्यक्ति भाग गए थे। अभियुक्त के भाग जाने के उपरान्त, वह डोमन तथा प्रकाश (क्रमश: अ॰ सा॰ 5 एवं अ॰ सा॰ 4) के घर गई थी, जहाँ डोमन की माता ने उसे वस्त्र दिए थे। वस्त्र पहनने के उपरान्त वह इन्द्रदेव सिंह तथा बालेश्वर सिंह के साथ अपने घर गई थी। जब वह अपने घर आई थी, उसने अपने ससुर का शव देखा था एवं उसका पुत्र कौशल किशोर रक्त से लथपथ पड़ा हुआ था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहाँ उसने अपनी उपहतियों के कारण दम तोड़ दिया था। प्रति-परीक्षण में, उसने स्वीकार किया था कि अंधेरे के कारण कुछ भी देखा नहीं गया था। घटना के दस महीनों के बाद उसने पुलिस को घटना बताई थी। उसने उन व्यक्तियों के नाम पुलिस को पहले नहीं बताए थे जिन्होंने उसके साथ बलात्संग कारित किया था। उसने यह भी स्वीकार किया था कि उसने अपने पति के साथ इसको लेकर बातचीत किया था कि

पुलिस को किसके नाम बताए जाएंगे। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने दण्डाधिकारी के समक्ष उस व्यक्ति के नाम के बारे में कथित नहीं किया था जिसने उसके साथ बलात्संग कारित किया था। उसने लालटेन के प्रकाश में बिनोद को पहचाना था जो प्रांगण में जला हुआ था। उसने यह भी स्वीकार किया था कि उसने पुलिस के समक्ष कारित बलात्संग तथा हत्या के बारे में कुछ भी कथित नहीं किया था। उसने यह भी स्वीकार किया था कि उसने पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि उसने खिड़की से टॉर्च के प्रकाश में अभियुक्तों को उसके ससुर तथा पुत्र पर प्रहार करते हुए देखा था। उसने यह भी स्वीकार किया था कि चिकित्सक ने उसके गुप्तांगों की जाँच नहीं की थी।

12. अ॰ सा॰ 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 वैसे ग्रामीण तथा पड़ोसी हैं जिन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था। अ॰ सा॰ 9 डॉ॰ एच॰ के॰ पी॰ जायसवाल हैं जिन्होंने मृतक के शवों की शव परीक्षा की थी एवं निम्नांकित उपहतियाँ पाई थी:-

^cnjh egrk d 'kjhj ij ikb xb migfr%

(i) vk[k d ik'o Hkkx ij vfLFk dh xgjkb rd x;k 1"x1/4" vkdkj dk Nj dk t[e(

(ii) diky d nk, Hkkx ij diky dh xgjkb rd x;k 1"x1/6" dk fNnnkj dVu dk fNn(

(iii) pgj d nk, Hkkx ij vfLFk dk dkVr g, 5"x1/4" dk fNnnkj dVko(

(iv) xnu d mijh Hkkx ij ek'ki'kh rd dh xgjkb rd x, 5"x1" d rhu fNnnkj dVkoA eè; okyk ek'ki'kh dh xgjkb rd x;k 4"x1" dk Fkk] fupyk okyk ek'ki'kh rd x;k 2" dk Fkk tk rd d vkdkj dk Fkk(

lHkh ?kko Nj l dkfjr Fk rFkk ?kko dk jx yky FkkA

fu"d"kZ%

mijh rFkk fupyh Hktkvk e 'ko dkfBU; mifLFkr] xnu e vuifLFkr] eg cUn] u= cUn] nkuk QQM fuLrt Fk] ân; fHkUkh fuLrt Fkh rFkk lHkh çdk"B [kkyh Fk] vkek'k; e vèkiph [kk] lkexh Fkh] ;Nr fuLrt Fkk] lyhgk fuLrt Fkk] oDd (xnk) fuLrt FkkA

fpfdRld dh jk; e] rh{.k èkkjnkj gfFk;kj l dkfjr mDr migfr;k }kjk mRiUu jDr lko rFkk lne l eR; dkfjr gb FkhA 0;rhr le; yxHkx 24 ?kaV dk FkkA

dk'ky çlkn d 'ko ij ikb xb migfr%&

(i) nk, xky] yykV d nk, Hkkx rFkk diky d nk, duiVh d {k= ij 12" x8" vkdkj dh [kjkp rFkk ltu(

(ii) diky d uhp 10"x8" dk lcD;Vfu; l gekVkek Fkk(

(iii) Øfu;y xgk e jDr ekt n Fkk rFkk nk; duiVh dh vfLFk rFkk vxorh vfLFk dk nk;k fgLrk VVk gvk Fkk(

(iv) efLr"d d nk; Hkkx ij 2"x3" vkdkj dk ckgjh fgekVkek(

fu"d"kZ%

mijh ,o fupyh nkuk Hktkvk e 'ko dkfBU; mifLFkr] nk; dku l jDr ckgj fudy jgk Fkk] pgjk fuLrt] 'kjhj fuLrt iM pdk Fkk vk[k cUn FkhA

fpfdRld dh jk; e] rh{.k gfFk;kj l dkfjr mDr migfr;k d dkj.k mRiUu jDr lko ,o lne l eR; dkfjr gb FkhA

13. अ॰ सा॰ 10 मधेश सिंह एक कॉन्सटेबल है, जिसने दो मृत्यु समीक्षा रिपोर्टों, प्राथमिकी तथा दो अभिग्रहण सूचियों को सिद्ध किया है उसने उपहति रिपोर्टों को भी सिद्ध किया है।

14. अ॰ सा॰ 11 चन्द्र किशोर मामले का सूचनादाता है। इस गवाह ने कथित किया है कि वह अपनी चाची तथा अपने गोत्र भाई के साथ घर में सो रहा था। प्रांगण में, उसके दादा एवं कौशल सो रहे थे।

हल्ला सुनकर, वह लगभग 11.00 बजे पूर्वाह्न में जग गया था। उसने भी हल्ला मचाया था एवं अभियुक्त व्यक्तियों ने उसे हल्ला नहीं मचाने के लिए धमकियाँ दी थी। अभियुक्त व्यक्तियों ने उनके बाल पकड़कर उसे तमाचा मारा था तथा जब उन्होंने गर्दन काटने का प्रयास किया था, उसकी चाची ने अभियुक्त व्यक्तियों से उसे नहीं मारने तथा कुछ भी ले लेने को कहा था। इस गवाह ने यह भी कथित किया है कि अभियुक्त व्यक्ति उसकी चाची को घर के अन्दर ले गए थे तथा सामान लूट लिए थे तथा जब वह घर से बाहर आया था, उसने अपने गोत्र भाई तथा दादा के शव वहाँ पड़े हुए पाए थे। अपनी प्रति-परीक्षा में, इस गवाह ने कथित किया है कि उसने प्रात:काल में मामला दर्ज किया था तथा फर्दबयान में उसने कथित किया था जो उसके द्वारा देखा गया था एवं जो उसकी चाची द्वारा कथित किया गया था।

15. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा सामग्रियों का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट है कि सभी गवाह हितबद्ध गवाह हैं तथा सभी एक ही परिवार के थे। उक्त गवाहों के परिसाक्ष्य का किसी भी स्वतंत्र गवाह ने सम्पोषण नहीं किया है। अ॰ सा॰ 2 ने पहली बार घटना के दस महीनों के बाद बलात्संग की कहानी सामने लाई थी। अपने बयान में उसने कथित किया है कि अभियुक्त व्यक्ति उसे विद्यालय की ओर ले गए थे तथा उसे निर्वस्त्र कर दिया था एवं उसके साथ बलात्संग कारित किया था। तत्पश्चात, वह डोमन तथा ओम प्रकाश (अ॰ सा॰ 5 एवं 4) के घर गई थी तथा डोमन के माता से कपड़े लिए थे। परन्तु, अ॰ सा॰ 4 एवं 5 को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है। अ॰ सा॰ 2 ने यह भी कथित किया था कि उसने मुतारी देवी, (अ॰ सा॰ 3) से साड़ी लिया था, परन्तु यह अ॰ सा॰ 3 भी पक्षद्रोही हो गई है। अ॰ सा॰ 6 एवं 8 भी पक्षद्रोही हो गए हैं। अ॰ सा॰ 7 रामवतार राम ने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 3) को सिद्ध किया है तथा अ॰ सा॰ 9 जो चिकित्सक है, ने शव परीक्षण किया है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्टों (प्रदर्श 4 एवं 5) को सिद्ध किया है।

16. अभियोजन का समूचा मामला राज कुमारी देवी (अ॰ सा॰ 2) के साक्ष्य पर टिका है। अपनी प्रति-परीक्षा में, उसने स्वीकार किया है कि अंधेरे के कारण, कुछ भी देखा नहीं जा सका था परन्तु दस महीनों के बाद उसने पुलिस को घटना बताई थी। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने न तो पुलिस को, न ही दण्डाधिकारी को उन अभियुक्तों के नाम कथित किए थे जिन्होंने उसके साथ बलात्संग कारित किया था। इस प्रकार, उपरोक्त से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह गवाह एक भरोसेमंद गवाह नहीं है तथा समय-समय पर कहानी तैयार की है तथा दस महीनों के बाद ही बलात्संग का तथ्य प्रकट किया है। वर्तमान मामले के सूचनादाता ने भी विनिर्दिष्टत: कथित किया है कि उसने वही कथित किया है जो उसके द्वारा देखा गया था तथा जो उसकी चाची (अ॰ सा॰ 2) द्वारा बताया गया था। इससे भी बढ़कर, यह भी साक्ष्य में आया है कि सभी अभियुक्त व्यक्ति पड़ोसी हैं तथा परिवार से परिचित हैं, परन्तु न तो सूचनादाता और न ही अ॰ सा॰ 2 ने अभियुक्त व्यक्तियों का नाम लिया था।

17. उपरोक्त साक्ष्य से, यह स्पष्ट है कि पीड़िता (अ॰ सा॰ 2) ने दस महीने बाद ही अपने पति को अभियुक्त व्यक्तियों का नाम बताया था। वस्तुत:, यह दोहरी हत्या का एक मामला है, परन्तु अभियोजन आरोपों को सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है। इससे भी बढ़कर, घटना वर्ष 1992 में घटित हुई थी तथा आरोप 9.7.1997 को विरचित किया गया था एवं मामले की सुनवाई प्रारम्भ हुई थी एवं 5 मार्च, 2001 को निर्णय सुनाया गया था एवं अब तक 24 से अधिक वर्ष गुजर चुके हैं।

18. परिणामत:, सरकारी अपील एवं दाण्डिक पुनरीक्षण दोनों ही एतद् द्वारा खारिज किए जाते हैं। क्योंकि उक्त आरोपों से प्रत्यर्थीगण को दोषमुक्त करने में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा को दुर्बलता एवं अवैधानिकता कारित नहीं की गई है।

आनंद सेन, न्यायमूर्ति.–मैं सहमत हूँ।

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

अबनी मण्डल एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 6150 of 2016. Decided on 11th November, 2016.

छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908—धारा 71A—एस॰ ए॰ आर॰ के मामले के सम्बन्ध में निष्कासन की आशंका–याचीगण SAR न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर पहले ही अपीलीय मंच के पास जा चुके हैं–तथापि, अन्तरिम स्थगन के लिए उसके आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है–याचीगण को, अपर उपायुक्त के पास जाने तथा अपने अन्तर्वर्ती आवेदन का अनुसरण करने का निर्देश दिया गया। (पैरा 5)

अधिवक्तागण.–Mr. Harendra Kumar Mahato, For the Petitioners; Mr. Atanu Banerjee, For the Respondents.

आदेश

याचीगण तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. याचीगण अंचल कुकरु के अधीन मौजा करकीडीह के खाता सं॰ 58 में भूखण्ड सं॰ 24, क्षेत्रफल 1.35 एकड़, भूखण्ड सं॰ 27, क्षेत्रफल 0.90 एकड़; भूखण्ड सं॰ 32 क्षेत्रफल 1.76 एकड़ तथा प्लॉट सं॰ 176, क्षेत्रफल 0.76 एकड़ से सम्बन्धित कतिपय जमीनों जिनका कुल क्षेत्रफल 4.13 एकड़ है, के सम्बन्ध में अनुमंडल पदाधिकारी, चांडिल के न्यायालय के समक्ष निजी प्रत्यर्थीगण द्वारा संस्थित SAR केस सं॰ 23/2011-2012 के सम्बन्ध में बेदखली के आशंका पर इस न्यायालय के पास आए हैं। याचीगण ने 8 अगस्त, 2016 के आदेश के तहत SAR केस सं॰ 23/2011-2012 में हार जाने पर अपर उपायुक्त, सरायकेला खरसांवा, प्रत्यर्थी सं॰ 5 के न्यायालय के समक्ष SAR अपील सं॰ 06/2016-2017 दाखिल किया है।

3. याचीगण के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अपील ग्रहण कर ली गई है तथा अवर न्यायालय के अभिलेखों की माँग करते हुए निजी प्रत्यर्थीगण को नोटिसें निर्गत की गई हैं। निजी प्रत्यर्थीगण भी वहाँ हाजिर हुए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी, चांडिल द्वारा पारित दिनांक 8 अगस्त, 2016 के आदेश के स्थगन के लिए एक आवेदन भी 16 सितम्बर, 2016 को अपीलीय फोरम के समक्ष दाखिल किया गया है (परिशिष्ट–3)। तत्पश्चात, यद्यपि मामले पर दिनांक 27 सितम्बर, 2016, 4 अक्टूबर, 2016 तथा 18 अक्टूबर, 2016 को विचार किया गया है, परन्तु स्थगन के आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। इस दौरान, याचीगण को अंचलाधिकारी, कुकरु द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 को कब्जे के परिदाय के लिए दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 को दिनांक 18 अक्टूबर, 2016 के नोटिस का तामीला कराया गया है। (सम्पूरक शपथ पत्र का परिशिष्ट–5) तथापि, दिपावली का त्योहार प्रारम्भ होने की दृष्टि में स्थानीय मुखिया के बीच–बचाव के कारण कब्जे का परिदाय प्रभावी नहीं किया जा सका था। तथापि, याचीगण ने किसी भी समय कब्जाविहीन कर देने की आशंका से इस न्यायालय का आश्रय लिया है क्योंकि अपीलीय फोरम ने उनके द्वारा पेश किये गए स्थगन के आवेदन पर अभी तक विचार नहीं किया है।

4. राज्य के अधिवक्ता ने एक अन्तर्वर्ती आदेश के प्रयोजनार्थ रिट याचिका की पोषणीयता पर अभ्यापति किया है जब याचीगण प्रत्यर्थी सं॰ 5, अपर उपायुक्त, सरायकेला खरसांवा के समक्ष पहले ही एक अपील दाखिल कर चुके हैं। यह निवेदन किया गया है कि निजी प्रत्यर्थीगण के पास भी ऐसे आग्रह

पर अभ्यापत्ति करने का अवसर हो सकता है। अतएव, इस चरण में ऐसा कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है।

5. मैंने इसमें उपर उल्लिखित अभिवचन किए गए सुसंगत तथ्यों के आलोक में याचीगण तथा राज्य के अधिवक्ताओं के निवेदन पर विचार किया है। जैसा कि प्रकट है, याचीगण SAR के न्यायालय दिनांक 8 अगस्त, 2016 के आदेश से व्यथित होकर पहले ही अपीलीय मंच के पास जा चुके हैं तथा अन्तरिम आदेश के लिए एक आवेदन भी दाखिल किया है। तथापि, यह प्रतीत होता है कि परिशिष्ट-4 पर संलग्न आदेश पत्रक के अनुसार क्रमागत तिथियों पर मामले पर विचार किए जाने के बावजूद उसके अन्तरिम आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, याचीगण को प्रत्यर्थी सं॰ 5, अपर उपायुक्त, सरायकेला, खरसांवा के पास जाने तथा आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर किसी भी कार्य दिवस को अपने अन्तर्वर्ती आवेदन का अनुसरण करने का निर्देश दिया जाता है जिस पर प्रत्यर्थी सं॰ 5 द्वारा विधि के अनुसार तथा प्रभावित पक्षकारों को भी अवसर देने के उपरांत विचार किया जाएगा। तथापि, आज से दो सप्ताह की अवधि तक, SAR न्यायालय द्वारा पारित आदेश के निष्पादन के सम्बन्ध में कोई बाध्यकर कदम नहीं उठाए जाएंगे, अगर याची के विरुद्ध पहले ही नहीं उठाए गए हैं। इसे स्पष्ट किया जाता है कि यह न्यायालय मामले के गुणावगुणों में नहीं गया है, विशेषकर तब जब मामले में निजी प्रत्यर्थीगण को नहीं सुना गया है।

6. तद्नुसार, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

बेबी अग्रवाल

cuke

भुनेश्वरी देवी एवं अन्य

W.P. (C) No. 4339 of 2012. Decided on 29th August, 2016.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 1, नियम 3—अभिधान वाद में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया जाना—मध्यक्षेपी याचिका का अस्वीकरण—यह विभाजन वाद नहीं है जिसमें मध्यक्षेपी की उपस्थिति आवश्यक है—यह भूखण्ड संख्या की परिशुद्धि के लिए एक वाद मात्र है जो विक्रय विलेख में दोषपूर्ण रूप से उल्लिखित की गई थी—प्रतिवादीगण के हिस्से के सम्बन्ध में वाद में कोई मुद्दा विरचित नहीं किया जाएगा—मध्यक्षेपी के हिस्से या उसके अधिकार का प्रस्तुत वाद में निर्णय नहीं किया जा सकता—आक्षेपित आदेश अभिपुष्ट। (पैराएँ 10 से 12)

अधिवक्तागण.—Mr. Vijay Kumar Sharma, For the Petitioner; Mr. J.N. Upadhyay, For the Respondents.

आदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन इस न्यायालय की पर्यवेक्षणीय अधिकारिता का अवलम्ब लेते हुए, मध्यक्षेपी-याची ने विद्वान सिविल न्यायाधीश, कनीय डिविजन-II चतरा द्वारा पारित दिनांक 7.6.2012 की आदेश के अवैधानिकता पर प्रश्न उठाया है, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन वाद में प्रतिवादी के रूप में याची को सम्मिलित होने के अनुमति देने के लिए आग्रह के साथ उसके द्वारा दाखिल मध्यक्षेपी याचिका अस्वीकार कर दी गई है।

2. इस याचिका में अन्तर्ग्रस्त मुद्दे के उपयुक्त निर्णय के लिए जो तथ्य सुसंगत हैं, वह संक्षेप में यह है कि प्रत्यर्थी सं॰ 1—भुनेश्वरी देवी ने विक्रय-विलेख में दी गई चौहद्दी के अनुसार सी॰ एस॰ प्लॉट

सं० 21 के स्थान पर सी० एस० प्लॉट सं० 166 अन्त:स्थापित करके दिनांक 11.5.1987 के विक्रय-विलेख सं० 1856 को दुरुस्त करने के लिए तथा प्रतिवादीगण, उनके सेवकों, अभिकर्त्ताओं या उनकी ओर से कोई अन्य को वाद भूमि पर वादी के शांतिपूर्ण कब्जे में अड़चन पैदा करने से दूर रहने के लिए निर्देश देने वाली स्थायी व्यादेश की डिक्री के लिए अभिधान वाद सं० 3 वर्ष 2009 दाखिल किया था तथा वाद पत्र में यह अभिवाक् किया गया था कि ग्राम कासमर, जिला-चतरा में अवस्थित एक एकड़ माप वाली सी० एस० खाता सं० 64 के अधीन सी० एस० प्लॉट सं० 166 से सम्बद्ध प्रश्नाधीन जमीन पर वादी चन्द्रमणि कुंवर के विक्रेता का स्वामित्व एवं कब्जा था जिसने इसे वर्ष 1948 में भूतपूर्व स्वामी से सादे हुकुमनामा के माध्यम से हासिल किया था एवं बन्दोबस्त के बाद वादी के विक्रेता का जमीन पर कब्जा चला आ रहा था एवं राज्य के राजस्व सरिस्ता में विक्रेता का नाम दर्ज किया गया था। दिनांक 11.5.1987 को, वादी ने प्रतिफल राशि के भुगतान पर विक्रेता मोस्मात चन्द्रमणि कुंवर से निर्बंधित विक्रय विलेख के माध्यम से वाद भूमि खरीदी थी एवं खरीद की तिथि से, वह आत्यन्तिक स्वामिनी बन गई थी तथा खरीदी गई जमीन की चौहद्दी के अनुसार उसका शांतिपूर्ण रूप से खेती बारी का कब्जा बना रहा है। तत्पश्चात्, वादी ने नामान्तरण के लिए एक याचिका दाखिल किया था जिसमें अंचलाधिकारी द्वारा एक रिपोर्ट मंगाई गई थी तथा तद्नुसार वादी का नाम मांग पंजी, अर्थात् रजिस्टर सं०-II में दर्ज कर दिया गया था एवं सरकारी किराए की रसीद भी निर्गत की गई थी। उक्त विक्रेता चन्द्रमणि कुंवर के जीवन काल के दौरान, प्रतिवादीगण, जो उसके विधिक वारिस हैं ने कभी भी कोई अभ्यापत्ति नहीं उठाई थी परन्तु उसकी मृत्यु के उपरांत, प्रतिवादीगण ने वादी के कब्जे के साथ छेड़-छाड़ प्रारम्भ कर दिया था तथा बाद में जब उसने विक्रय-विलेख की एक प्रति प्राप्त की थी, उसे मालूम हुआ था कि विक्रय-विलेख में सी० एस० प्लॉट सं० 166 के स्थान पर दोषपूर्ण रूप से 21 उल्लिखित कर दिया गया था। अतएव, यह वाद हुआ है।

3. नोटिस किए जाने पर, प्रतिवादीगण वाद में हाजिर हुए थे तथा अपने लिखित कथन दाखिल किया था उसमें यह अभिवचन करते हुए गुलाबचन्द साव, जो उनका पूर्वज था ने दिनांक 21.10.1941 के हुकुमनामा के आधार पर अपनी पत्नी, अर्थात्, चन्द्रमणि कुंवर के नाम से भूमि अर्जित की थी, परन्तु यह चन्द्रमणि कुंवर की अनन्य सम्पत्ति नहीं थी तथा वाद भूखण्ड 5.76 एकड़ जमीन का ही हिस्सा है, जो चन्द्रमणि कुंवर एवं वर्तमान वादी के वारिसों के संयुक्त कब्जे में है तथा प्रतिवादी सं० 9 ने चन्द्रमणि कुंवर के साथ कपट करके एक मिथ्या एवं छद्म विक्रय-विलेख प्राप्त कर लिया था, जिस पर कभी भी कार्यवाही नहीं की गई है तथा चन्द्रमणि कुंवर तथा गुलाबचन्द साव की मृत्यु के उपरान्त, सी० एस० खाता सं० 64 की वाद भूमि समेत उसके पाँचों पुत्रों का समूची सम्पत्ति पर कब्जा हो गया था।

4. वाद के लंबित रहने के दौरान, किसी बेवी अग्रवाल वर्तमान याची ने चन्द्रमणि कुंवर के पुत्रों में से एक गुप्तेश्वर अग्रवाल की पुत्री होने का दावा करते हुए एक मध्यक्षेपी याचिका दाखिल किया था तथा वाद में प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित होने की उसे अनुमति देने का आग्रह किया था इस आधार पर की वह प्रतिवादी सं० 1 से 3 की बहन है तथा वह अवयस्क थी, उसके विरोध के बावजूद उसकी दादी ने उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक उसका विवाह सम्पन्न करा दिया था। परन्तु वर्ष 2005 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में संशोधन के उपरांत, वह भी अपने तीन भाईयों के समान पैतृक सम्पत्ति में एक हिस्सेदार है। उसने यह भी कथित किया है कि गुलाबचन्द साव के मृत्यु के उपरांत, उसके वंशज खान-पान एवं आवास में अलग हो गए थे परन्तु वाद भूमि समेत सम्पत्ति उनके संयुक्त कब्जे में बनी रही थी। इस प्रकार, वह वाद के उपयुक्त निर्णय के लिए एक आवश्यक पक्षकार है।

5. उक्त मध्यक्षेपी याचिका का प्रत्युत्तर वादी द्वारा तथा प्रतिवादी सं० 1, 2, 12 एवं 15 द्वारा भी दाखिल किया गया था।

6. यद्यपि प्रतिवादीगण ने अपने प्रत्युत्तर में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि बेबी अग्रवाल–मध्यक्षेपी गुलाबचन्द साव के पुत्रों में से एक स्वर्गीय गुप्तेश्वर प्रसाद अग्रवाल की सबसे छोटी पुत्री है परन्तु उक्त गुप्तेश्वर अग्रवाल ने अपने जीवनकाल के दौरान अपनी सभी चारों पुत्रियों का विवाह सम्पन्न करा दिया था तथा वे अपने–अपने ससुराल में रह रही हैं तथा वर्तमान मध्यक्षेपी द्वारा कुछ दबाव दिए जाने के कारण, गुप्तेश्वर प्रसाद अग्रवाल ने निर्बोधित विक्रय–विलेख के माध्यम से अपने जीवन काल के दौरान अपने हिस्से के 0.86 एकड़ में से 0.20 एकड़ जमीन मध्यक्षेपी बेबी अग्रवाल को अन्तरित कर दी थी। अत:, अब मध्यक्षेपी का वाद में मध्यक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

7. अवर न्यायालय ने पक्षकारों की सुनवाई करने के उपरान्त मध्यक्षेपी याचिका अस्वीकार कर दिया था जैसा की उपर इंगित किया गया है। अतएव, यह रिट हुआ है।

8. मध्यक्षेपी–याची की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता, श्री विजय कुमार शर्मा ने आक्षेपित आदेश को विधि में दोषपूर्ण बताकर उसकी आलोचना करते हुए गंभीरतापूर्वक तर्क रखते हुए कहा कि अवर न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के संशोधन पर विचार न करके त्रुटि कारित किया था, जो वर्ष 2005 में प्रभाव में आया था, जो दिनांक 9.9.2005 से संयुक्त हिन्दू परिवार में पुरुष एवं महिला सदस्यों के बीच सहदायिक सम्पत्ति में अधिकारों की समता उपबंधित करता है तथा उक्त संशोधन पर विचार न किए जाने के कारण, आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में टिक नहीं सकता है तथा याची वादी में अन्तर्ग्रस्त मुद्दे के उपयुक्त निर्णय के लिए एक आवश्यक पक्षकार है। यह भी तर्क दिया गया था कि अवर न्यायालय ने याची के आवेदन को अस्वीकार करते समय ऐसा निर्णित करने में त्रुटि कारित किया था कि अगर याची की कोई व्यथा है तथा चन्द्रमणि कुंवर की पुस्तैनी जायदाद में उसका कोई दावा है, अपने हिस्से का दावा करते हुए वह एक पृथक वाद दाखिल कर सकती है तथा वर्तमान वाद में, याची की व्यथा का निर्णय नहीं किया जा सकता है।

9. पूर्वोक्त निवेदनों के प्रतिकूल, प्रत्यर्थी सं० 1-वादी का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया एवं तर्क दिया कि चन्द्रमणि कुंवर की पैतृक सम्पत्ति में मध्यक्षेपी के हिस्से के लिए उसके दावे का वर्तमान वाद में निर्णय नहीं किया जा सकता है तथा इस प्रकार वह एक आवश्यक पक्षकार नहीं है। यह भी तर्क दिया गया था कि सी० एस० प्लॉट सं० को दुरुस्त करने के सीमित उद्देश्य के लिए वर्तमान वाद दाखिल किया गया है, जिसे प्रश्नाधीन विक्रय–विलेख में दोषपूर्ण रूप से उल्लिखित किया गया है।

10. मैंने वाद पत्र तथा लिखित कथन का अवलोकन किया है, जो इस रिट आवेदन से संलग्न हैं तथा प्रतिवादी–प्रत्यर्थीगण द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर का भी अवलोकन किया है तथा मैं पाता हूँ कि प्रश्नाधीन वाद प्लॉट सं० को दुरुस्त करने के लिए दाखिल किया गया है, जो प्रश्नाधीन विक्रय–विलेख में दोषपूर्ण रूप से उल्लिखित की गई है तथा इसके अलावा, केवल एक आग्रह है जो प्रतिवादीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश प्रदान करने से सम्बन्धित है परन्तु मध्यक्षेपी–याची मध्यक्षेपी याचिका की आड़ में गुलाबचन्द साव की समूची पैतृक सम्पत्ति में अपने हिस्से का दावा करती है, जिसका उसकी पत्नी चन्द्रमणि कुंवर के नाम निपटारा कर दिया गया था। अवर न्यायालय ने उचित रूप से इस तथ्य को समझा है कि यह एक विभाजन वाद नहीं है जिसमें मध्यक्षेपी की मौजूदगी आवश्यक है, बल्कि यह भूखण्ड सं० को दुरुस्त करने के लिए एक वाद मात्र है, जो विक्रय विलेख में दोषपूर्ण रूप से उल्लिखित है तथा अगर मध्यक्षेपी को गुलाबचन्द साव या चन्द्रमणि कुंवर की पैतृक सम्पत्ति में अपने हिस्से का कोई दावा है या व्यथा है, वह एक विभाजन वाद दाखिल कर सकती है। प्रकटत: प्रतिवादीगण के हिस्से के सम्बन्ध में कोई मुद्दा या बंटवारे से सम्बन्धित कोई मुद्दा वाद में विरचित नहीं किया जाएगा। अत: मेरी राय में प्रश्नाधीन वाद का निर्णय करने के लिए मध्यक्षेपी एक आवश्यक पक्षकार या कोई उपयुक्त पक्षकार नहीं है।

11. उपर चर्चा की गई परिस्थितियों में तथा इस तथ्य पर विचार करके कि मध्यक्षेपी के हिस्से या उसके अधिकार का प्रस्तुत वाद में निर्णय नहीं किया जा सकता है। मेरी राय में वह न तो एक आवश्यक पक्षकार है, न ही उपयुक्त पक्षकार है। अवर न्यायालय ने उचित रूप से याची की मध्यक्षेपी याचिका को अस्वीकार किया है। मैं इस न्यायालय की पर्यवेक्षणीय शक्ति के अधीन हस्तक्षेप करने के लिए आक्षेपित आदेश में कोई अवैधानिकता या औचित्यहीनता नहीं पाता हूँ।

12. तद्नुसार, यह रिट आवेदन किसी गुणावगुणों से रहित होने के कारण एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; jRukdj Hkxjk] U;k;efr

त्रिलोचन नायक उर्फ गुदरु एवं अन्य

cuke

झारखण्ड राज्य

Cr. Appeal No. 233 of 2003. Decided on 19th August, 2016.

सत्र विचारण सं॰ 52/93 में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय सं॰ I, चाईबासा, सिंहभूम (पश्चिम) द्वारा पारित दिनांक 27.1.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 28.1.2003 के दण्डादेश के विरुद्ध।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860—धाराएँ 148, 324/149 एवं 325/149—गम्भीर उपहति–विधि विरुद्ध जमाव का सम्मिलित उद्देश्य–दोषसिद्धि एवं दण्डादेश–चार घायल चश्मदीद गवाह हैं–घायल चश्मदीद गवाह अधिक भरोसेमंद कथित किए गए हैं–चिकित्सक की उपहति रिपोर्ट का अतिरिक्त साक्ष्य घायल गवाहों के साक्ष्य का संपोषण करता है–तालाब से मछली की चोरी के सम्बन्ध में हेतु विद्यमान था–भा॰ दं॰ सं॰ की धाराएँ 148, 324/149, 325/149 के अधीन अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि बरकरार–तथापि, घटना 26 वर्ष पहले हुई थी–दण्डादेश पहले ही भुगत ली गई अवधि तक सीमित किया गया। (पैराएँ 13 से 15)

अधिवक्तागण.–Mr. R.P. Gupta, For the Appellants; Mr. Vijay Kr. Roy, For the State.

न्यायालय द्वारा.–यह दाण्डिक अपील सत्र विचारण सं॰ 52/93 में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय सं॰ I, चाईबासा, सिंहभूम (पश्चिम) द्वारा पारित दिनांक 27.1.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 28.1.2003 के दण्डादेश के विरुद्ध निर्दिष्ट है, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 148, 324/149 एवं 325/149 के अधीन प्रत्येक को छह महीनों का सश्रम कारावास भुगतने तथा 500/- रु॰ के जुर्माने का भुगतान करने का दण्डादेश सुनाया है। जुर्माने के भुगतान के व्यतिक्रम में, वे और दो महीनों का सश्रम कारावास भुगतने के दायी हैं। उन्हें भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 324/149 के अधीन छः महीनों तथा भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 148 के अधीन भी तीन महीनों का सश्रम कारावास भुगतने का दण्डादेश सुनाया गया है। सभी दण्डादेशों को साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया है।

2. गाँव मीरामेरा, पुलिस थाना चक्रधरपुर के सूचनादाता सारथे प्रधान के फर्दबयान, जिसे रामचन्द्र प्रधान तथा प्रमोद प्रधान की मौजूदगी में 11.9.1990 को लगभग 8.30 बजे पूर्वाह्न में श्री जे॰ एम॰ सिंह, प्रभारी पदाधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा अभिलिखित किया गया था, के आधार पर अभियोजन मामला संक्षेप में यह है कि पिछली रात दिनांक-(10.9.1990) लगभग 8.30 बजे अपराह्न में सूचनादाता कृतिबास

प्रधान, शान्तनु प्रधान तथा शशांक प्रधान के साथ शौच क्रिया करने के लिए गया था तथा जैसे ही वे तालाब के निकट पहुँचे थे, उन्होंने देखा था कि तीन व्यक्ति मछलियाँ पकड़ रहे थे तथा चुनौती दिए जाने पर उन्होंने भागना प्रारम्भ कर दिया था जिनमें से उन्होंने त्रिलोचन उर्फ गुदरु को पकड़ लिया था। पूछ-ताछ किए जाने पर उसने अपना दोष स्वीकार किया था एवं बताया था कि वह अभियुक्त गोबिन्द नायक के साथ तथा बैशाखु नायक के साथ मछलियाँ पकड़ रहा था तथा उन्हें देखकर अन्य दो अभियुक्त व्यक्तियों ने भागना प्रारम्भ कर दिया था। तत्पश्चात, अभियुक्त त्रिलोचन उर्फ गुदरु को रामचन्द्र प्रधान के घर ले जाया गया था जहाँ उसे रामचन्द्र प्रधान के निवास पर उसके न होने के कारण रात्रि के दौरान बंद रखा गया था। यह कथन किया गया है कि अगली सुबह, अर्थात्, दिनांक 11.9.1990 को लगभग 7.00 बजे पूर्वाह्न में अभियुक्त दुर्गा चरण नायक, रामु नायक, मुखी महतो, बिस्वा नायक, गोरा नायक, विप्रा नायक, बासु नायक तथा दीना नायक के साथ रामचन्द्र प्रधान (अ॰ सा॰ 1) के घर आया था तथा अपने साथ त्रिलोचन नायक उर्फ गुदरु नायक तथा मछली के जाल को लेकर वे चल दिए थे। प्रातःकाल में सूचनादाता रामचन्द्र प्रधान को सूचित कर दिया था। तत्पश्चात् रामचन्द्र प्रधान ने सारथी प्रधान को एक लिखित रिपोर्ट सौंपी थी जो अ॰ सा॰ 3 शशांक प्रधान, अ॰ सा॰ 4 कृति बास प्रधान मुखिया के पास गया था, जिसने उन्हें सरपंच के पास जाने का निर्देश दिया था, तत्पश्चात, लगभग 7.30 बजे पूर्वाह्न में सूचनादाता शान्तनु प्रधान, शशांक प्रधान तथा कृतिबास प्रधान के साथ सरपंच के घर की ओर चल पड़ा था तथा जैसे ही वे मरमेरा गाँव की मुख्य सड़क तक पहुँचे थे, यह कथित किया गया है कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने उन्हें घेर लिया था। अभियुक्त दुर्गा नायक तथा किस्तो नायक ने अन्य अभियुक्तों को उन पर प्रहार करने के लिए उकसाया था क्योंकि उन्होंने समझा था कि तालाब उनका है। यह भी कथित किया गया है कि इस उकसावे पर अभियुक्त मुखी महतो ने सूचनादाता पर तीर चलाया था परन्तु सूचनादाता ने झुककर अपने आप को बचा लिया था। यह भी अभिकथित किया गया है कि गोबिन्द नायक ने कृतिबास प्रधान पर कुल्हाड़ी से वार किया था तथा अभियुक्त त्रिलोचन प्रधान ने सूचनादाता एवं उसके सहयोगियों पर ताबड़तोड़ रूप से छड़ों से प्रहार किया था। जिसके परिणामतः शान्तनु प्रधान शशांक प्रधान एवं कृतिबास प्रधान चोट खाते हुए नीचे गिर पड़े थे। तत्पश्चात् सूचनादाता रामचन्द्र प्रधान (अ॰ सा॰ 1) के घर गया था तथा उन पर हुए प्रहार की घटना बतायी थी। घायल व्यक्तियों को गाँव वालों द्वारा अस्पताल लाया गया था। पुलिस घटनास्थल पर आई थी एवं गवाहों रामचन्द्र प्रधान एवं प्रमोद प्रधान की मौजूदगी में सूचनादाता का फर्दबयान अभिलिखित किया था।

3. सूचनादाता के फर्दबयान के आधार पर, अभियुक्त-अपीलार्थीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 379, 307, 324, 323, 109 के अधीन चक्रधर पुलिस थाना केस सं॰ 140/90 दर्ज किया गया था।

4. पुलिस ने सम्यक अन्वेषण के उपरान्त अपीलार्थीगण के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया था। तद्नुसार, आरोप-पत्र के आधार पर, विद्वान एस॰ डी॰ जे॰ एम॰, पोराहट ने अपराध का संज्ञान लिया था एवं मामला सत्र न्यायालय भेज दिया गया था तथा सत्र विचारण सं॰ 52/93 के रूप में दर्ज किया गया था।

5. अपीलार्थीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए थे, जिनका उन्होंने दोषी न होने का अभिवाक् किया था तथा विचारण किए जाने का दावा किया था।

6. आरोप सिद्ध करने के लिए, अभियोजन ने कुल मिलाकर सात गवाहों को परीक्षित किया है जिनमें घायल गवाह तथा चिकित्सक भी सम्मिलित थे। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए अपीलार्थीगण को दोषी निर्णीत किया था तथा भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 325/149 के अधीन छः महीनों का सश्रम कारावास भुगतने का तथा प्रत्येक को 500/- रु॰ के जुर्माने का भुगतान करने का दण्डादेश सुनाया था। जुर्माने के भुगतान के व्यतिक्रम में, वे और दो महीनों के सश्रम कारावास भुगतने के दायी हैं। उन्हें भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 324/149 के अधीन छः महीनों का सश्रम कारावास भुगतने तथा भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 148 के अधीन तीन महीनों का सश्रम

कारावास भुगतने का भी दण्डादेश सुनाया गया है। सभी दण्डादेशों को साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया था। अतएव, यह अपील हुई है।

7. अ॰ सा॰ 2 सारथी कुमार प्रधान (सूचनादाता) है। वह घायल चश्मदीद गवाहों में से एक है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि दिनांक 10.9.1990 को लगभग 8.30 बजे अपराह्न में, वह कृतिबास प्रधान, शान्तनु प्रधान, शशांक प्रधान के साथ शौच क्रिया के लिए गया था एवं जैसे ही वे तालाब के निकट पहुँचे थे, उन्होंने देखा था कि तीन व्यक्ति तालाब से मछलियाँ पकड़ रहे थे तथा तीनों व्यक्तियों को चुनौती देने पर, उन्होंने भागना प्रारम्भ कर दिया था, परन्तु वे एक त्रिलोचन उर्फ गुदरु को पकड़ने में सफल रहे थे। पूछने पर उसने अपना दोष स्वीकार किया था तथा बताया था कि वह अभियुक्त गोबिन्द नायक तथा बैशखु नायक के साथ मछली पकड़ रहा था एवं उन्हें देखकर अन्य दो अभियुक्त व्यक्ति भाग रहे थे। तत्पश्चात् अभियुक्त त्रिलोचन उर्फ गुदरु को रामचन्द्र प्रधान के घर ले जाया गया था जहाँ उसे रात्रि के दौरान कैद करके रखा गया था। अगली सुबह, अर्थात् दिनांक 11.9.1990 को लगभग 4.00 बजे अपराह्न में अन्य अभियुक्त रामचन्द्र प्रधान (अ॰ सा॰ 1) के घर आए थे तथा वे अपने साथ त्रिलोचन नायक उर्फ गुदरु नायक तथा मछली का जाल लेकर चले गए थे। उसने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा 2 में यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी त्रिलोचन ने उनपर लाठी से प्रहार किया था तथा अपीलार्थी मुखी ने तीर चलाया था पर उसे नहीं लगा था। अपीलार्थी गोबिन्द ने कृतिबास प्रधान पर टांगी से वार किया था तथा वह भाग गया था। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि कृतिबास प्रधान, शशांक प्रधान तथा शान्तनु प्रधान घायल अवस्था में नीचे गिर पड़े थे। पैरा 5 में उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी गोविन्द ने कृतिबास प्रधान पर टांगी से वार किया था।

8. अ॰ स॰ 3 शशांक प्रधान है। वह एक घायल चश्मदीद गवाह तथा सूचनादाता का भतीजा भी है। उसने भी अ॰ सा॰ 2 के साक्ष्य का समर्थन किया है। अपने अभिसाक्ष्य के पैरा 1 में उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त-अपीलार्थीगण, जो हथियारों से लैस थे, ने उन्हें रास्ते में रोक दिया था तथा उनपर प्रहार किया था एवं वे घायल हो गए थे। कृतिबास प्रधान को सिर पर उपहति आई थी तथा शान्तनु प्रधान के हाथ में उपहति आई थी। तथापि, अपनी प्रति-परीक्षा में स्वीकार किया है कि तालाब के सम्बन्ध में गाँववालों के बीच विवाद है।

9. अ॰ सा॰ 4 कृतिबास प्रधान है। वह भी एक घायल चश्मदीद गवाह तथा सूचनादाता का भाई है। अ॰ सा॰ 5 शान्तनु प्रधान है। वह भी एक घायल चश्मदीद गवाह तथा सूचनादाता का भाई है। दोनों ने अ॰ सा॰ 2 एवं अ॰ सा॰ 3 के साक्ष्य का समर्थन किया है।

10. अ॰ सा॰ 6 सत्या रंजन चटर्जी है। वह एक अधिवक्ता लिपिक तथा औपचारिक गवाह भी है। उसने फर्दबयान, जो प्रदर्श 2 के रूप में अंकित है, औपचारिक प्राथमिकी, जो प्रदर्श 3 के रूप में अंकित है तथा उपहति रिपोर्ट, जो प्रदर्श 4, 4/a, 4/b, 4/c के तौर पर अंकित है, को सिद्ध किया है।

11. अ॰ सा॰ 7 डॉ॰ प्रमिला कुजूर है। उन्होंने घायल कृतिबास प्रधान की जाँच की थी एवं कथित किया था कि प्रयुक्त हथियार लाठी जैसा कठोर एवं कुंद पदार्थ था तथा तीक्ष्ण धारदार हथियार भी था। उन्होंने कथित किया कि सभी उपहतियाँ गम्भीर स्वरुप की थी। उन्होंने घायल शान्तनु प्रधान की परीक्षा की थी तथा कथित किया था कि प्रयुक्त हथियार कठोर एवं कुंद पदार्थ था तथा उपहतियाँ गंभीर स्वरुप की थी। उन्होंने सूचनादाता सारथी प्रधान की भी जाँच की थी तथा कथित किया था कि प्रयुक्त हथियार लाठी था एवं उपहतियाँ साधारण प्रकृति की थीं।

12. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए हैं तथा कथित किए हैं कि अपीलार्थीगण पहले ही हिरासत में लगभग तीन महीनों की अपेक्षाकृत लम्बी अवधि गुजार चुके हैं तथा गुजारी गई अवधि को उनका दण्डादेश माना जा सकता है।

13. राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया है कि फर्दबयान में प्रत्यक्ष अभिकथन है कि तालाब में मछली की चोरी के सम्बन्ध में घटना घटित हुई थी।

अ॰ सा॰ 2, अ॰ सा॰ 3, अ॰ सा॰ 4 एवं अ॰ सा॰ 5 जो घायल चश्मदीद गवाह हैं, के साक्ष्य में सुनवाई के अनुक्रम में जो वर्णन प्रदान किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि उन सभी ने एक दूसरे के साक्ष्य का समर्थन किया है, इस प्रकार यह मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य के ही आधार पर अपीलार्थीगण के विरुद्ध निश्चायी रूप से सिद्ध हो जाता है। चिकित्सक की उपहति रिपोर्ट का अतिरिक्त साक्ष्य घायल गवाहों के साक्ष्य का सम्पोषण करता है, जिससे कि मामला उनके विरुद्ध गहन रूप से सिद्ध हो जाता है। अतएव, अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि बरकरार रखे जाने योग्य है।

14. मामले के साक्ष्य तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को भी ध्यान में लेने पर, यह एक प्रकार से अभिनिर्धारित करने के लिए थोड़ा सरल मामला है। कोई एक चश्मदीद गवाह नहीं है, बल्कि चार घायल चश्मदीद गवाह हैं। तथा घायल चश्मदीद गवाह अधिक भरोसेमंद बताए गए हैं। चिकित्सक ने भी घायल चश्मदीद गवाहों में से कम-से-कम तीन की जाँच की है तथा उनकी उपहतियों का सम्पोषण किया है तथा फिर इसने अ॰ सा॰ 2, अ॰ सा॰ 4 एवं अ॰ सा॰ 5 का सम्पोषण किया है। इसके अतिरिक्त तालाब से मछली चुराने के सम्बन्ध में हेतु मौजूद था।

15. तद्नुसार, भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 148, 324/149, 325/149 के अधीन अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि बरकरार रखी जाती है। यह मामला एक पुराना मामला है तथा घटना कथित रूप से वर्ष 1990 में घटित हुई है। अब लगभग 26 वर्ष गुजर चुके हैं। अपीलार्थीगण भी विचारण एवं अपील की लम्बी तथा परेशान करने वाली अवधि से गुजर चुके हैं तथा सम्बन्धित उतार-चढ़ाव, कठिनाइयों एवं अनिश्चितताओं को झेला है। तथापि, मामले के अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि वे छः महीनों की अधिरोपित दण्डादेश में से लगभग तीन महीनों की अपेक्षाकृत लम्बी अवधि पहले ही हिरासत में गुजार चुके हैं। इन सभी परिस्थितियों को लेते हुए, अपीलार्थीगण का दण्डादेश पहले ही भुगत ली गई अवधि तक सीमित किया जाता है। अपीलार्थीगण को उनके जमानत बंध पत्रों के दायित्व से स्वतंत्र किया जाता है। अधिरोपित जुर्माने की राशि बरकरार रखी जाती है जिसके लिए उत्तरवर्ती या सम्बन्धित न्यायालय उपयुक्त कदम उठाएगा।

16. इस प्रकार, बरकरार रखी गई दोषसिद्धि तथा पूर्वोक्त सीमा तक उपांतरित दण्डादेश के साथ अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; ,p lhñ feJk ,o Mkñ ,l ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

मेसर्स आर॰ डी॰ एस॰ ब्रिक्स (391 में)

मेसर्स दिनकर ब्रिक्स (389 में)

अरुण कुमार (392 में)

मेसर्स सोना ब्रिक्स (393 में)

मेसर्स शान ब्रिक्स (394 में)

अमिताव सेन (395 में)

श्री नारायण सिंह (396 में)

मेसर्स जी॰ एस॰ इन्टरप्राइजेज (402 में)

पवन कुमार सिंह (404 में)

cuke

झारखण्ड राज्य एवं अन्य (सभी में)

L.P.A. Nos. 391, 389, 392, 393, 394, 395, 396, 402 with 404 of 2014. Decided on 16th November, 2016.

डब्ल्यू० पी० (सी०) सं० 2761 वर्ष 2014 तथा सदृश मामलों में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 16.9.2014 के निर्णय के विरूद्ध।

वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, 1986—धारा 3—पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र के रूप में क्षेत्र की घोषणा–अपीलार्थीगण अधिसूचना के अनुसार पारिस्थितिकीय संवदेनशील क्षेत्र के भीतर अपना ईंट भट्टा चला रहे थे–अधिसूचना के अधीन खनन की गतिविधियाँ तथा प्रदूषण कारित करने वाले उद्योग पूर्णतः निषिद्ध हैं–मामला राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को निर्दिष्ट–राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का निर्णय अभिभावी होगा। (पैराएँ 15 से 18)

निर्णयज विधि.–(2012)8 SCC 326—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Rajiv Ranjan, Indrajit Sinha & Manoj Kumar, For the Appellants; M/s Ajit Kumar, Vikash Kumar & Sreenu Garapati, For the Respondents.

न्यायालय द्वारा.–ये सारी लेटर्स पेटेन्ट अपीलें एक ही निर्णय से उद्भूत हुई हैं तथा इस कारण, उन्हें एक साथ सुना गया है तथा इसे सम्मिलित निर्णय द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

2. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

3. इन मामलों में अपीलार्थीगण डालमा वन्य जीवन अभ्यारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 5 कि० मी० तक के क्षेत्र के भीतर अपना ईंट–भट्टा चलाने वाले ईंट–भट्टा मालिक हैं। वे अनुज्ञप्ति के अधीन तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर अपने ईंट भट्ठों को चला रहे थे। भारत संघ के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अधिसूचना–अधिसूचना सं० एस० ओ० 680 (E), दिनांक 29.3.2012 को निर्गत किया था जिसके द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्ति के इस्तेमाल में डालमा वन्य जीवन अभ्यारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 5 कि० मी० तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय संवेदनशील के रूप में घोषित कर दिया गया था। जिस क्षेत्र को पारिस्थितिकीय क्षेत्र घोषित किया गया था, उसका विवरण अधिसूचना में दिया गया है। अधिसूचना ने यह भी अनुबद्ध किया था कि अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के भीतर राज्य सरकार द्वारा डालमा पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र के लिए एक जोनल मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, इस ढंग से जैसा कि वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972, राज्य में तत्समय प्रवृत्त नगर एवं ग्राम नियोजन से सम्बन्धित विधि, डिविजनल कार्य साधक योजनाएं तथा केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत मार्ग–निर्देशों के अधीन विनिर्दिष्ट हैं, तथा केन्द्र सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इसे अनुमोदित किया जाएगा। उक्त अधिसूचना में पुनः यह उपबंधित किया गया था कि पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र के लिए जोनल मास्टर प्लान के तैयार किए जाने तथा केन्द्र सरकार द्वारा उसके अनुमोदन के लम्बित रहते, अधिसूचना के परिशिष्ट–3 में विनिर्दिष्ट सभी नई गतिविधियों को पैरा 4 में निर्दिष्ट अनुश्रवण समिति द्वारा प्रस्तावों की संवीक्षा एवं अनुमोदन किए जाने के उपरान्त ही अनुज्ञात किया जाएगा। अधिसूचना के पैरा 3 में डालमा पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र में निषिद्ध, विनियमित तथा अनुज्ञेय गतिविधियाँ वर्णित थीं, तथा औद्योगिक इकाईयों के सम्बन्ध में, इसने निम्नवत उपबंधित किया था:–

^^vk|kfxd bdkb;k

(a) vkfèkdkfjd jkti= e bl vfèklpuk d çdk'ku gku ij rFkk bld ckn ikfjfLFkfrdh; lonu'khy {k= d Hkhrj fdlh ub çn"k.kdkjh m|kx dk LFkkfir dju dh vuefr ugh nh tk,xh(

(b) fdlh xj&çn"k.kdkjh] xj&tkf[kei.k] y?k ,o lok m|kx] Ñf"k] i"ikRiknu] ckxokuh ;k ikfjfLFkfrdh; lonu'khy {k= l LFkkuh; :i l çkIr oLrvk l mRiknk dk mRiknu dju oky Ñf"k vkèkkfjr m|kx rFkk tk i;koj.k ij dkb çfrdy çHkko ugh Mkyr g] dh ikfjfLFkfrdh; lonu'khy {k= e vuefr nh tk ldrh g(

*(c) ikfjfLFkfrdh; lonu'khy {k= dh lhekvk d Hkhrj u, yMdh vkèkkfjr m|kx dh LFkkiuk dh vuefr ugh nh tk,xhA***

4. जहाँ तक उत्खनन तथा खनन का सम्बन्ध है, उक्त अधिसूचना ने निम्नवत उपबंधित किया था:-

"(a) LFkkuh; fuoklh d lnHkkoh ?kjy bLreky d flok; ikfjfLFkfrdh; lonu'khy {k= d Hkhrj dkb [kuu xfrfofèk vuKkr ugh dh tk,xh(

*(b) ikfjfLFkfrdh; lonu'khy {k= d Hkhrj dkb p.kd xfrfofèk dh vuefr ugh nh tk,xhA***

5. इस पर विवाद नहीं है कि यहाँ सभी अपीलार्थीगण पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र के भीतर अपने ईंट-भट्ठे चला रहे थे तथा अधिसूचना के परिशिष्ट-3 के अनुसार, वायु मृदा, ध्वनि इत्यादि) कारित करने वाली उद्योगों की स्थापना, जलावन की लकड़ी का वाणिज्यिक इस्तेमाल, प्राकृतिक जल निकायों तथा स्थलीय क्षेत्रों में कचरे तथा ठोस कचरे का उत्सर्जन पूर्ण रूप से निषेधित कर दिया गया था। वायु तथा वाहन प्रदूषण को विनियमित किया जाना था।

6. अधिसूचना के निर्गमन के अनुसरण में, अपीलार्थीगण को एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 391 वर्ष 2014 के परिशिष्ट-5 में यथा अन्तर्विष्ट दिनांक 20.2.2014 के पत्र, तथा अन्य अपीलार्थियों को निर्गत समरुप पत्रों द्वारा सूचित किया गया था, जिनके द्वारा अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी सं॰ 4 उप वन परिरक्षक, जमशेदपुर द्वारा ईंट-भट्ठे की गतिविधियाँ करने से निषेधित कर दिया गया था। उक्त पत्र में यह सूचित किया गया था कि दिनांक 12.11.2013 को अनुश्रवण समिति द्वारा लिए गए निर्णय की दृष्टि में उन्हें निषेधित किया जा रहा था। अनुश्रवण समिति के विवरण भी एल॰ पी॰ ए॰ में अभिलेख पर लाए गए हैं।

7. पूर्वोक्त पत्र तथा ईंट भट्ठा की गतिविधियाँ करने से अपीलार्थीगण को निषेधित करने वाले अनुश्रवण समिति के निर्णय से व्यथित होकर, याचीगण अपीलार्थीगण भिन्न-भिन्न रिट आवेदनों में इस न्यायालय के पास आए थे, जिन्हें एक साथ सुना गया था तथा दिनांक 16.9.2014 के सम्मिलित निर्णय द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सभी रिट आवेदनों को खारिज कर दिया गया था। उक्त निर्णय से व्यथित होकर, अपीलार्थीगण ने इन लेटर्स पेटेन्ट अपीलों को दाखिल किया है।

8. अपीलाधीन निर्णय में की गई परिचर्चाओं से यह प्रकट है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिनांक 29.3.2012 की अधिसूचना चुनौती के अधीन नहीं थी। इसके प्रतिकूल, अपीलार्थीगण ने उक्त अधिसूचना पर भरोसा किया था एवं उनका तर्क यह था कि अधिसूचना के अनुसार, दालमा पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र के लिए जोनल मास्टर प्लान तैयार किए जाने तथा केन्द्र सरकार द्वारा इसका अनुमोदन रहते, केवल सभी गतिविधियों को अनुश्रवण समिति द्वारा प्रस्तावों की संवीक्षा एवं अनुमोदन किए जाने के उपरान्त ही अनुज्ञात किया जाना था, या किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग को स्थापित किए जाने की अनुमति नहीं देनी थी। अपीलार्थीगण का मामला यह है कि वे अधिसूचना के प्रभाव में आने के पहले से ही अपनी इकाई को चला रहे थे, तथा उनकी इकाईयाँ पहले से ही अस्तित्व में थीं

तथा नई इकाईयां नहीं थी एवं इस प्रकार, वे अधिसूचना द्वारा आच्छादित नहीं थीं, क्योंकि पहले से ही विद्यमान इकाईयों के लिए अधिसूचना में कोई निषेध नहीं था। अपीलार्थीगण का आगे यह पक्ष है कि अधिसूचना भूतलक्षी स्वरुप की नहीं थी। इस प्रकार, अपीलार्थीगण को उनकी ईंट भट्ठे की इकाईयों को चलाने से रोकने का कोई अवसर नहीं था, तथा आक्षेपित निर्णय पूर्णत: अवैधानिक एवं अधिसूचना के विरुद्ध था।

9. विद्वान एकल न्यायाधीश एक निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि यद्यपि दिनांक 29.3.2012 की अधिसूचना में यह विनिर्दिष्टत: उल्लिखित नहीं किया गया है कि पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी अस्तित्वशील उद्योगों को आवश्यक रूप से बन्द कर दिया जाना है, परन्तु यह तर्कसंगत नहीं लगता है कि दालमा वन्य जीवन अभ्यारण्य की सीमा से 5 कि॰ मी॰ तक के क्षेत्र के भीतर किसी पूर्व विद्यमान उद्योग को, जो भले ही प्रदूषणकारी उद्योग हो, जारी रहने दिया जा सकता है, जिस क्षेत्र को पहले ही पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जा चुका था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी निर्णीत किया था कि किसी अधिसूचना, जिसे स्पष्ट रूप से भूतलक्षी नहीं बनाया गया है, को भूतलक्षी प्रभाविता प्रदान नहीं की जा सकती है, परन्तु उन गतिविधियों को, जिन्हें दिनांक 29.3.2012 की अधिसूचना में निषिद्ध गतिविधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, भले ही वे दिनांक 29.3.2012 के पहले कार्यरत रही हों, को जारी रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अभिलेखों से विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी पाया था कि अधिकांश मामलों में अपीलार्थीगण के खनन पट्टे का पहले ही अवसान हो गया था तथा इकाइयों में से किसी ने भी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन आज्ञापक पर्यावरण अनापत्ति-पत्र प्राप्त नहीं किया था। इन निष्कर्षों के साथ, याचीगण-अपीलार्थीगण के रिट आवेदन खारिज कर दिये गये थे। तथापि, अपीलार्थीगण को राज्य सरकार के पास जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, जिसे अपीलार्थीगण की इकाईयों के पुन: स्थापन की संभावना का पता लगाने का निर्देश दिया गया था। अपीलार्थीगण का मामला यह है कि वे वर्ष 2014 में ही राज्य सरकार के पास गए थे, परन्तु अब तक उनके अभ्यावेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

10. अपीलाधीन निर्णय में, यह विनिर्दिष्टत: उल्लिखित पाया गया है कि प्रत्यर्थी राज्य ने रिट आवेदनों की पोषणीयता पर ही आपत्ति किया है इस आधार पर कि **(2012)8 SCC 326** में रिपोर्ट किए गए **भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिर्दिष्ट निर्देश की दृष्टि में, रिट आवेदन उच्च न्यायालय में पोषणीय नहीं थे तथा याचीगण को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पास जाना चाहिए था। तथापि, इस बिन्दु पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया था।

11. भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन (ऊपर) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश यहाँ नीचे उत्कथित किया गया है:-

*"40. jk"Vh; gfjr çkfèkdj.k vfèkfu;e] 2010 (l{ki e NGT vfèkfu;e) d çkoèkkuk rFkk ;ktuk dk] fo'k"kdj èkkjkvk 14, 29, 30 ,o 38 (5) dk nf"Vxr j[kr g,] **;g ljf{kr :i l fu"d"k fn;k tk ldrk g fd i;koj.kh; eík rFkk NGT vfèkfu;e] vulph&1 d vèkhu ekeyk dk jk"Vh; gfjr çkfèkdj.k (l{ki e "NGT") d le{k lfLFkr rFkk oknxLr fd;k tkuk pkfg,A** mPp U;k;ky;k rFkk NGT d chp vkn'kk d fojkèk dh lHkkouk l cpu d fy, ,lk jo;k vko';d gk ldrk gA **bl çdkj] lLi"V fucèkuk e] ge fun'k nr g fd NGT vfèkfu;e d çHkko e vku d mijkr lfLFkr lkj ekey] tk NGT vfèkfu;e ,o ;k NGT vfèkfu;e dh vulph I e of.kr çkoèkkuk d vèkhu vPNkfnr g] vUrfjr fd, tk,x rFkk doy NGT d le{k lfLFkr fd, tk ldr gA** ;g i;koj.k d {k= e lHkh lEcfUèkr i{kk dk Rofjr rFkk fof'k"VhÑr U;k; çnku dju e lgk;rk çnku djxkA*

*41. ge l{ke vfèkdkfjrk d U;k;ky;k d fopkj d fy, ,d lrdrk vfHky[k ij j[kuk ckè;dj le>r g fd NGT vfèkfu;e d çHkko e vku d igy i;koj.kh; fofèk;k d ç'uk l vUrxLr ,o@;k NGT vfèkfu;e dh vulph l e fofufn"V lkr lfofèk;k e l fdlh l lEcfUèkr nkf[ky rFkk yfEcr ekeyk l Hkh fof'k"VhÑr çkfèkdj.k] vFkkr NGT vfèkfu;e d vèkhu çkoèkkuk d vèkhu lftr NGT }kjk fuiVk tk,xkA U;k;ky;k d fy, viu foodkfèkdkj e] ,l ekeyk dk NGT dk vrfjr djuk cgrj gkxk D;kfd ;g U;k; d ç'kklu dh mi;Drrk e gkxkA**   (cy çnku fd;k x;k)*

12. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार रूप से तर्क दिया है कि उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त निर्देश के बावजूद, पर्यावरणीय मुद्दों से सम्बन्धित मामलों में रिट आवेदन उच्च न्यायालयों में अभी भी पोषणीय थे। यह निवेदन किया गया है कि **भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन (ऊपर)** के मामले में उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त निर्देश के बावजूद, पर्यावरणीय मुद्दों से सम्बन्धित मामलों में रिट आवेदन उच्च न्यायालयों में अभी भी पोषणीय थे। यह निवेदन किया गया है कि **भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन (ऊपर)** के मामले में उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त निर्देश **SLP (C) सं॰ 27327 वर्ष 2013 (आदर्श सहकारी गृह निर्माण समिति लि॰ बनाम भारत संघ एवं अन्य)** में दिनांक 10.3.2014 के आदेश के माध्यम से भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया था। तथापि, बाद में इन याचीगण द्वारा आदर्श सहकारी गृह निर्माण समिति लि॰ का मामला वापस ले लिया गया था तथा मामला पुन: बॉम्बे उच्च न्यायालय के पास चला गया था। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि उक्त निर्णय के बाद भी, पर्यावरणीय मुद्दों से सम्बन्धित रिट आवेदनों को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा, तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी ग्रहण किया गया है। इस प्रकार, याचीगण के रिट आवेदन बिल्कुल पोषणीय थे।

13. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस बिन्दु पर निर्णयों को भी उत्कथित किया है कि अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव प्रदान नहीं किया जा सकता है। यह निवेदन किया गया है कि इस तथ्य की दृष्टि में दिनांक 29.3.2012 की अधिसूचना में, पहले से ही विद्यमान इकाईयों को कोई निषेध नहीं था, प्रत्यर्थी-प्राधिकारियों का आक्षेपित निर्णय पूर्णत: अवैधानिक है तथा जारी रहने नहीं दिया जा सकता है। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 29.3.2012 की अधिसूचना से यह भी निर्दिष्ट किया है कि उक्त अधिसूचना के अधीन 14 सदस्यों वाली अनुश्रवण समिति का गठन किया जाना था, परन्तु अनुश्रवण समिति की दिनांक 12.11.2013 की बैठक जिसके अनुसरण में अपीलार्थीगण को उनके ईंट भट्ठों की इकाईयों को चलाने से निषिद्ध कर दिया गया है, में से केवल तीन सदस्यों ने भाग लिया था तथा इस प्रकार, 20.2.2014 को अपीलार्थीगण को निर्गत निषेध आदेश तथा अनुश्रवण समिति के दिनांक 12.11.2013 के निर्णय उस बिन्दु पर भी अभिखण्डित किए जाने योग्य हैं।

14. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने **भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन (ऊपर)** के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है तथा पैरा 40 एवं 41 को प्रस्तुत करते हुए, यह निवेदन किया गया है कि ऐसा स्पष्ट निर्देश है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम के प्रभाव में आने के उपरांत संस्थित सभी मामले, NGT अधिनियम अनुसूची 1 के अधीन आच्छादित मामले राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के समक्ष संस्थित एवं वादाधीन किए जाने चाहिए। राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की अनुसूची 1 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 अन्तर्विष्ट है, तथा संरक्षित दालमा वन्य जीवन अभ्यारण्य की सीमा से 5 कि॰ मी॰ तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय संवेदनशील के रूप में घोषित करने वाली दिनांक 29.3.2012 की अधिसूचना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अधीन निर्गत की गई है। उक्त अधिसूचना से विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निर्दिष्ट किया है कि स्थानीय निवासियों के सद्भावी घरेलू इस्तेमाल के सिवाय खनन गतिविधियां उक्त अधिसूचना के अधीन निषेधित कर दी गई है तथा ईंट भट्ठे के ईकाइयों को अनिवार्य रूप से भूमिज मृदा

के खनन की आवश्यकता होती है, जो स्वीकार्यत: लघु खनिज है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि अपीलार्थीगण की गतिविधियाँ स्थलीय क्षेत्र में भी वायु प्रदूषित करेंगी तथा ईंट भट्ठे में जलाने के लिए कोयले के स्थान पर जलावन की लकड़ी का वाणिज्यिक इस्तेमाल हो सकता है, जो गतिविधियां अधिसूचना के अधीन पूर्ण रूप से निषेधित हैं। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निर्दिष्ट किया है कि ये सारी गतिविधियां 'पर्यावरण से सम्बन्धित सारगर्भित प्रश्नों' की परिभाषा के भीतर आती हैं जैसा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 2 (m) में परिभाषित है जो मामले का निर्णय कराने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर आते हैं। यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम की धारा 4 के अधीन यथा विहित राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के संगठन में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य तथा कई विशेषज्ञ सदस्य सम्मिलित होते हैं, तथा यह देखना विशेषज्ञ सदस्यों का काम है कि अपीलार्थीगण द्वारा चलाए जा रहे ईंट भट्ठों को दालमा पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र के भीतर अनुमति दी जानी चाहिए थी या नहीं। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि **भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन (ऊपर)** के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की दृष्टि में याचीगण को अपनी व्यथाओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पास जाने का निर्देश देते हुए सभी रिट आवेदनों को प्रारम्भ में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए था। राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि अन्यथा भी उपरोक्त निर्दिष्ट गतिविधियां दिनांक 29.3.2013 की अधिसूचना के अधीन पूर्णत: निषेधित हैं तथा तद्नुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उचित रूप से रिट आवेदनों को खारिज कर दिया गया है।'

15. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनकर तथा अभिलेख का अवलोकन करने पर, हम पाते हैं कि उपर उत्कथित औद्योगिक इकाईयों से सम्बन्धित दिनांक 29.3.2012 की अधिसूचना का पैरा 3 स्पष्टत: कथित करता है कि आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन पर या इसके बाद, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र के भीतर किसी नये प्रदूषणकारी उद्योग को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि अधिसूचना यह भी कथित करती है कि किसी गैर प्रदूषणकारी, गैर-जोखिमपूर्ण लघु एवं सेवा उद्योग, कृषि, पुष्पोत्पादन, बागवानी या पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र से स्थानीय रूप से प्राप्त वस्तुओं से उत्पादों का उत्पादन करने वाले कृषि आधारित उद्योग, जो, पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं, को पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र में अनुमति दी जा सकती है। यह स्पष्टत: दर्शाता है कि अधिसूचना का आशय यह है कि प्रदूषण कारित करने वाली किसी उद्योग/गतिविधि को दालमा पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र के भीतर अनुमति नहीं दी जानी है। हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निष्कर्ष में अवैधानिकता नहीं पाते हैं तथा यद्यपि दिनांक 29.3.2012 की अधिसूचना में, विनिर्दिष्टत: यह उल्लिखित नहीं किया गया है कि पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र के भीतर मौजूद उद्योगों को आवश्यक रूप से बन्द कर दिया जाना है, यह बात तर्क पर खरी नहीं उतरती है कि पहले से विद्यमान किसी उद्योग को भले ही यह एक प्रदूषणकारी उद्योग ही क्यों न हो, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र के भीतर जारी रखा जा सकता है। कुछ गतिविधियां, अर्थात्, खनन गतिविधियां, प्रदूषण कारित करने वाले उद्योग इत्यादि पूर्ण निषेधित हैं।

16. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने मामले में जिरह करते हुए निवेदन किया कि ईंट भट्ठे को चालू रखने की अनुमति दी जा सकती है तथा अपीलार्थीगण अपनी ईकाइयों को चलाने के लिए पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र के बाहर से भूमिज मृदा का खनन करके उसे अपनी इकाई तक लाएंगे। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

17. यद्यपि हम गुणावगुणों पर रिट आवेदनों को खारिज करते समय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निष्कर्षों में कोई दोष नहीं पाते हैं, परन्तु हमारी सुविचारित राय है कि **भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन (ऊपर)** में उच्चतम न्यायालय के विनिर्दिष्ट निर्देश की दृष्टि में, रिट आवेदन उच्च

न्यायालय में पोषणीय तक नहीं थे तथा अपीलार्थीगण को हरित प्राधिकरण के पास जाना चाहिए था। विशेषकर, रिट आवेदनों में अन्तर्विष्ट आवेदनों की दृष्टि में, जिनका राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा निर्णय किए जाने की आवश्यकता थी। क्या अपीलार्थीगण की इकाईयों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की मात्रा दालमा पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र के भीतर अनुज्ञेय थी या नहीं, यह भी एक ऐसा प्रश्न है जिसका राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा निर्णय किया जा सकता है।

18. पूर्वोक्त परिचर्चाओं की दृष्टि में, हमारी सुविचारित राय है कि चूँकि अपीलार्थीगण के मामलों का राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा निर्णय किए जाने की आवश्यकता थी, अपीलार्थीगण को अपने मामलों का पुन: निर्णय कराने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पास जाने की स्वतंत्रता प्रदान किया जाय। अगर अपीलार्थीगण राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पास जाते हैं, डब्ल्यू० पी० (सी०) सं० 2761 वर्ष 2014 तथा सदृश मामलों में पारित दिनांक 16.9.2014 का आक्षेपित निर्णय के मामले में अपना स्वतंत्र निर्णय लेने में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के मार्ग में नहीं आएगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा मामलों का निर्णय किए जाने पर, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का निर्णय, अगर किया जाता है, अभिभावी होगा।

19. तद्नुसार ये सारी अपीलें उपरोक्त सम्परीक्षण/स्वतंत्रता के साथ खारिज की जाती है।

20. अभिलेख से हम पाते हैं कि इन अपीलों में पारित दिनांक 26.7.2016 के आदेश द्वारा अपीलार्थीगण को अपने ईंट भट्ठों की इकाईयाँ नहीं चलाने का निर्देश देते हुए तथा प्रत्यर्थी राज्य को यह भी निर्देश देते हुए एक अन्तरिम आदेश पारित किया गया था कि अपीलार्थीगण की ईंट–भट्ठों की इकाईयों को इस दौरान गिराया नहीं जाएगा। हम आज से केवल चार सप्ताह की अवधि के लिए अन्तरिम आदेश का विस्तार करते हैं जिस दौरान अपीलार्थीगण राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पास जाने का विकल्प चुन सकते हैं।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

ईस्माइल खान

cuke

बिहार राज्य (अब झारखंड)

Criminal Appeal (D.B.) No. 253 of 1991 (R). Decided on 7th December, 2016.

सत्र विचारण सं० 439 वर्ष 1989/2 वर्ष 1990 में, विद्वान द्वितीय अपर न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा पारित दिनांक 9.10.1991 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दण्डादेश के विरुद्ध।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या–आजीवन कारावास–दोनों फर्दबयान में सुसंगतता है–बचाव पक्ष का वृतांत यह है कि मृतका ने स्वयं कैंची से प्रहार कारित किए थे, अभियोजन साक्षियों के अखण्डनीय साक्ष्य की दृष्टि में विश्वास नहीं किया जा सकता–मृतका के भाई, जो एक बाल गवाह है, ने पूर्ण रूप से अभियोजन मामले का समर्थन किया है–अभियोजन अपीलार्थी के विरुद्ध सभी युक्तिसंगत संदेहों से परे मामले को सिद्ध करने में सक्षम रहा है–अपील खारिज। (पैराएँ 17 से 22)

निर्णयज विधि.–1994 SCC (Cri) 1390; 2003 (2) East Cr. Case 314—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. A.K. Kashyap, Mr. Swami Nath Prasad, For the Appellant; Mr. Pankaj Kumar, For the State.

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.–अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. एकमात्र अपीलार्थी सत्र विचारण सं॰ 439 वर्ष 1989/2 वर्ष 1990 में विद्वान द्वितीय अपर न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा पारित दिनांक 9.10.1991 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दण्डादेश द्वारा व्यथित है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को हमीदा खातून नामक एक लड़की की हत्या कारित करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अपराध का दोषी पाया गया है तथा दोषसिद्ध किया गया है, एवं दण्डादेश के बिन्दु पर सुनवाई करके, अपीलार्थी को आजीवन कारावास भुगतने का दण्डादेश सुनाया गया है तथा 50/- रु॰ के जुर्माने का भुगतान करना है।

3. अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रांगण पर स्थित हिस्से में अपीलार्थी सूचनादाता के घर में किराएदार था। दिनांक 13.2.1989 को लगभग 9.15 बजे अपराह्न में सूचनादाता ने प्रांगण से अपनी पुत्री जाहिदा खातुन की चीखें सुनी थी, ऐसा चिल्लाते हुए कि ईस्माइल भैया (अभियुक्त–अपीलार्थी) ने उसकी बहन हमीदा पर चाकू से प्रहार कर दिया है। सूचनादाता घर के बाहर आया था तथा देखा था कि ईस्माइल अपने–आप पर भी चाकू का प्रहार करने का प्रयास कर रहा था एवं उसने हमीदा को घायल देखा था एवं उसका खून बह रहा था। तदुपरी, उसे हारमु के एक नर्सिंग होम लाया गया था तथा प्रातः काल में उसे आर॰ एम॰ सी॰ एच॰ ले जाया गया था जहाँ ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। मृतका के शव का पोस्टमार्टम परीक्षण किया गया था तथा तत्पश्चात शव दफना दिया गया था। प्राथमिकी में यह कथित किया गया है कि सूचनादाता के भाई अर्थात्, मो॰ निजाम खान ने भी आर॰ एम॰ सी॰ एच॰ में बरियातु पुलिस के समक्ष बयान दिया था। शव के अन्तिम संस्कार के उपरान्त, सूचनादाता का फर्दबयान दिनांक 14.2.1989 को 9.00 बजे अपराह्न में अभिलिखित किया गया था जिसके आधार पर 15.2.1989 को अरगोरा पुलिस थाना केस सं॰ 56 वर्ष 1989 संस्थित किया गया था तथा अन्वेषण प्रारम्भ किया गया था। अन्वेषण के उपरांत, पुलिस ने मामले में अभियोग पत्र दाखिल किया था।

4. यह कथित किया जाता है कि निजाम खान का फर्दबयान, जिसे 14.2.1989 को आर॰ एम॰ सी॰ एच॰ में बरियातु पुलिस द्वारा अभिलिखित किया गया था, प्राथमिकी सं॰ 659 वर्ष 1989 दिनांक 14.2.1989 के तौर पर दर्ज किया गया था तथा इसे आवश्यक कार्यवाही हेतु अरगोरा पुलिस थाना भेजा गया था, क्योंकि घटना स्थान अरगोरा पुलिस थाना के अधिकारिता के भीतर था।

5. मामला सत्र न्यायालय में भेजे जाने के उपरांत, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया था, तथा आरोप से इनकार किए जाने पर, अपीलार्थी को विचारण के अध्यधीन किया गया था।

6. विचारण के अनुक्रम में, अभियोजन ने 11 गवाहों को परीक्षित किया है जिनमें 6 से अ॰ सा॰ 2 अलीजान खान मामले का सूचनादाता है तथा मृतका का पिता है। अ॰ सा॰ 1 कसीदा बानो मृतका की माता है। अ॰ सा॰ 3 मो॰ निजाम खान मृतका का चाचा है। अ॰ सा॰ 4 जाहिदा खातून तथा शबाब अंसारी खान मृतक का छोटी बहन है जो घटना के समय मृतक के साथ थे। अ॰ सा॰ 6 टुन्नु खान एक स्वतंत्र गवाह है जो पड़ोसी होने के नाते शोर–शराबा सुनने पर घटनास्थल पहुँचा था। अ॰ सा॰ 7 मो॰ शम्सुद्दीन एवं अ॰ सा॰ 8 खुर्शीद अहमद अभिग्रहण सूची के दो गवाह है, परन्तु वे पक्षद्रोही हो गए हैं। अ॰ सा॰ 9 विवेक कुमार है, जिन्होंने मृतका का उपचार किया था जब उसे घायल अवस्था में हरमू के नर्सिंग होम में लाया गया था एवं अ॰ सा॰ 10 डॉ॰ निरंजन मिंज वह चिकित्सक हैं जिन्होंने मृतका के शव का पोस्टमार्टम परीक्षण किया था। चूँकि मामले में अन्वेषण पदाधिकारी की परीक्षा नहीं की गई थी, एक

औपचारिक गवाह अ॰ सा॰ 12 जगरनाथ राम, कॉन्सटेबल द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को सिद्ध किया गया था जिसने फर्दबयान तथा प्राथमिकी की शिनाख्त की है जिन्हें क्रमश: प्रदर्श 8 तथा प्रदर्श 9 के रूप में अंकित किया गया था। अभियोजन द्वारा सिद्ध किया गया अन्य दस्तावेज फर्दबयान पर सूचनादाता के हस्ताक्षर हैं जिसे सूचनादाता द्वारा सिद्ध किया गया था एवं प्रदर्श 1 के रूप में अंकित किया गया था, प्रदर्श 2 मृतका का चाचा निजाम खान का बरियातु पुलिस के समक्ष अभिलिखित उसके फर्दबयान पर हस्ताक्षर है। प्रदर्श 3 अभियुक्त के शयन कक्ष से चाकू की बरामदगी दर्शाने वाली अभिग्रहण पर निजाम खान का हस्ताक्षर है तथा प्रदर्श 3 एक छायाचित्र एवं एक पत्र के प्रस्तुतीकरण सह–अभिग्रहण सूची पर निजाम खान का हस्ताक्षर है जिन्हें स्वयं अ॰ सा॰ 3 निजाम खान द्वारा चिन्हित किया गया है। प्रदर्श 3/3 तथा 3/4 अभिग्रहण सूची के वैसे गवाहों के हस्ताक्षर हैं जो पक्षद्रोही हो गए थे प्रदर्श 5 एवं 6 दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन अभिलिखित भाई तथा बहन के बयानों पर उनके हस्ताक्षर है, जिनकी इन गवाहों द्वारा शिनाख्त की गई है जिन्हें अ॰ सा॰ 4 एवं अ॰ सा॰ 5 के रूप में परीक्षित किया गया था। प्रदर्श 7 अ॰ सा॰ 10 द्वारा सिद्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट है।

7. बचाव पक्ष ने भी दो गवाहों को परीक्षित किया है, जो ब॰ सा॰ 1 मो॰ सिद्दिक तथा मो॰ जलालुद्दीन हैं जो अपीलार्थी का पिता है।

8. मृतका की माता अ॰ सा॰ 1 कसीदा बानो, मृतका के पिता अ॰ सा॰ 2 अलीजान खान, मृतका की बहन अ॰ सा॰ 4 जाहिदा खातुन तथा मृतका के भाई अ॰ सा॰ 5 शबाब अंसारी खान ने पूर्णरूप से अभियोजन मामले का समर्थन किया है। अ॰ सा॰ 1 कसीदा बानो ने कथित किया है कि अभियुक्त उसके किराया लगाए गए हिस्से में रह रहा था जो प्रांगण के पार था। घटना की रात्रि में जाहिदा प्रांगण में घर से बाहर आई थी तथा उसके पीछे हमिदा खातुन एवं शबाद आए थे। इस दौरान, अभियुक्त ईस्माइल दौड़कर आया था तथा जाहिदा खातुन पर चाकू से वार किया था, जिस पर हमिदा चिल्लाई थी कि उसपर ईस्माइल ने हमला कर दिया है। तत्पश्चात्, उसे हरमू अस्पताल लाया गया था तथा अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई थी। इस गवाह ने यह भी कथित किया है कि अभियुक्त ईस्माइल का एक अन्य लड़की के साथ एक छाया चित्र एवं एक पत्र भी पाया गया था तथा ईस्माइल मृतका को छाया चित्र लौटाने के लिए धमका रहा था, अन्यथा उसे मार दिया जाएगा। इस गवाह की विस्तार से परीक्षा की गई है, परन्तु प्रति–परीक्षा में उसके साक्ष्य को झुठलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मृतका के पिता अ॰ सा॰ 2 अलीजान खान, मृतका की बहन अ॰ सा॰ 4 जाहिदा खातून तथा मृतका के भाई अ॰ सा॰ 5 शबाब अंसारी खान ने अभिकथित किया है कि मृतका हमिदा खातून, जाहिदा खातून तथा शबाब अंसारी खान अभियुक्त के घर में टी॰ वी॰ देखने के लिए जा रहे थे तथा प्रांगण में अभियुक्त आया था एवं चाकू से मृतका पर प्रहार कर दिया था। चीख–पुकार सुनकर मृतका का पिता घर से बाहर आया था तथा उसे हरमू के नर्सिंग होम लेकर आ गया था तथा इसके बाद, उसे राँची चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल ले जाया गया था जहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी। अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 2 दोनों ने अपने प्रति परीक्षा में इस सुझाव से इनकार किया है कि नर्सिंग होम में चिकित्सक के समक्ष उन्होंने कथित किया था कि कैंचियों पर गिरने के कारण मृतका घायल हो गई थी। इन सारे गवाहों ने न्यायालय में अभियुक्त की शिनाख्त की है। अ॰ सा॰ 4 एवं अ॰ सा॰ 5 ने यह भी कथित किया है कि दण्डाधिकारी के समक्ष दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन बयान दर्ज किए गए थे, जिन पर उन्होंने अपना हस्ताक्षर किया था एवं उन्होंने इसकी शिनाख्त की थी। यह कथित किया जा सकता है कि अ॰ सा॰ 5 एक बाल गवाह है तथा अवर न्यायालय द्वारा उसके साक्ष्य पर ऐसा समाधान हो जाने पर अभिलिखित किया था कि वह गवाही देने में सक्षम है।

9. अ॰ सा॰ निजाम खान मृतका का चाचा है, उसने भी अभियोजन मामले का समर्थन किया है, तथा कथित किया है कि जब वह प्रांगण में बाहर आया था, उसने पाया था कि अभियुक्त अपने-आप पर हमला करने का प्रयास कर रहा था, उसकी भतीजी हमिदा घायल हो गई थी तथा रक्त स्राव हो रहा था एवं उसने बताया था कि उस पर अभियुक्त ईस्माइल द्वारा प्रहार किया गया था। उसने यह भी कथित किया है कि उसे नर्सिंग होम तथा इसके बाद आर॰ एम॰ सी॰ एच॰ ले जाया गया था। इस गवाह ने यह भी कथित किया है कि आर॰ एम॰ सी॰ एच॰ में भी पुलिस द्वारा उसका बयान अभिलिखित किया गया था, जिस पर उसने अपना हस्ताक्षर किया था जिसकी उसने प्रदर्श 2 के रूप में शिनाख्त की थी। उसने चाकू की बरामदगी की अभिग्रहण सूची तथा छाया चित्र एवं एक पत्र की प्रस्तुतीकरण सह-अभिग्रहण सूची में भी अपने हस्ताक्षरों की शिनाख्त की है। उसने प्रदर्श 4 तथा प्रदर्श 5 के रूप में क्रमशः छायाचित्र एवं पत्र को भी सिद्ध किया है, जिनमें से प्रदर्श 4 को अभ्यापति के साथ अंकित किया गया था। इस गवाह की भी विस्तार से प्रति परीक्षा की गई थी, परन्तु उसके परिसाक्ष्य को झुठलाने के लिए प्रति-परीक्षा में कुछ भी नहीं है। अ॰ सा॰ 6 टुन्नु खान मृतका का पड़ोसी है तथा उसने भी अभियोजन मामले का पूर्णतः समर्थन किया है। उसने कथित किया है कि हल्ला सुनने पर, वह घर तक आया था तथा उसने देखा था कि अभियुक्त चाकू द्वारा अपने-आप पर प्रहार करने का प्रयास कर रहा था तथा मृतका घायल पड़ी हुई थी। उसने सूचित किया था कि ईस्माइल ने उस पर चाकू से प्रहार किया था। मृतका को नर्सिंग होम लाया गया था तथा तत्पश्चात उसे मालूम हुआ था कि उसकी अगले दिन मृत्यु हो गई थी। वह भी अभियुक्त के घर से चाकू के जब्त किए जाने का एक गवाह है तथा उसने प्रदर्श 3/2 के रूप में अभिग्रहण सूची में अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया है। इस गवाह की भी विस्तार से प्रति-परीक्षा की गयी है, परन्तु उसके परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने के लिए प्रति परीक्षा में कुछ भी नहीं है।

10. अ॰ सा॰ 9 डॉ॰ विवेक कुमार वो चिकित्सक हैं जिन्होंने हरमू में मृतका का इलाज किया था। उन्होंने कथित किया है कि हमिदा बानो नामक लड़की को इलाज के लिए लाया गया था जिसके उदर में रक्त स्राव की उपहति थी। वे शल्य क्रिया करना चाहते थे परन्तु साथ मौजूद व्यक्तियों ने उन्हें शल्य क्रिया करने की अनुमति नहीं दी थी तथा तत्पश्चात उन्होंने इलाज के लिए घायल लड़की को आर॰ एम॰ सी॰ एच॰ रेफर कर दिया था। प्रति-परीक्षा के अनुक्रम में, इस गवाह ने कथित किया है कि उसे लड़की के पिता द्वारा सूचित किया गया था कि उसे उपहति हुई थी क्योंकि बिस्तर से कैंची के उपर गिर पड़ी थी। अ॰ सा॰ 10 डॉ॰ निरंजन मिंज हैं जिन्होंने मृतका के शव का पोस्टमार्टम परीक्षण किया था। उन्हें शल्य क्रिया वाले टाँका लगे घाव के अलावा टाँका की गई दो उपहतियाँ मिली थी। प्रथम उपहति उदर के उपरी हिस्से के बाएं भाग पर गुहा की गहराई तक गई हुई 2cm. x 1cm. आकार की उपहति थी जो मध्य रेखा के बाएं 12 cm. पर तथा बाएं स्तन के नीचे 15 cm. पर अवस्थित थी। हथियार उदर भित्ती से होते हुए उदर गुहा में चला गया था तथा एक स्थान पर छोटी आँत को छिद्रित किया था। दूसरी उपहति मध्य रेखा के दाएं 4 cm. पर उदर के आगे के तथा उपर के भाग पर 2 cm. x 1 cm. के आकार की थी। यह हथियार उदर भित्ती से होकर गुजरा था तथा यकृत में 6 cm. की गहराई तक प्रवेश कर गया था। उदर गुहा में रक्त तथा रक्त के थक्के मौजूद थे। उपहतियाँ मृत्यु पूर्व प्रकृति की थी तथा इन उपहतियों के कारण मृत्यु कारित हुई थी। इस गवाह ने अपनी लिखावट तथा हस्ताक्षर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शिनाख्त की है जिसे प्रदर्श 7 के रूप में अंकित किया गया था। अपनी प्रति-परीक्षा में, उन्होंने कथित किया है कि उन्होंने बरियातु पुलिस थाना केस सं॰ 659 वर्ष 1989 के सम्बन्ध में पोस्टमार्टम परीक्षण का संचालन किया था एवं अरगोरा पुलिस थाना केस सं॰ 56 वर्ष 1989 के सम्बन्ध में नहीं। उन्होंने यह भी कथित किया है कि उपहतियां कैची द्वारा भी हो सकती थी।

11. बचाव पक्ष आरोप से इनकार करने का है तथा बचाव पक्ष के मामले के अनुसार, अपीलार्थी को मामले में झुठ-मूठ फंसा दिया गया था इस तथ्य के कारण की अपीलार्थी सूचनादाता के घर में किराएदार था तथा सूचनादाता उसे बेदखल करने का प्रयास कर रहा था। मृतका का एक अन्य लड़के

के साथ प्रेम सम्बन्ध चल रहा था, परन्तु उसका विवाह उसकी इच्छाओं के विरुद्ध तय किया जा रहा था जिसके कारण उसने अपने घर में आत्महत्या कारित कर लिया था, जो आसानी से उपलब्ध थी क्योंकि उसका पिता एक दर्जी है, या मृतका बिस्तर से कैंची पर गिर पड़ी थी, जिसके कारण वह घायल हो गई थी क्योंकि यही वो पक्ष था जिसे नर्सिंग होम में चिकित्सक को सूचित किया गया था, जहाँ उसे इलाज के लिए ले जाया गया था। बचाव पक्ष का यह भी मामला है कि अपीलार्थी के घर में कोई बिजली एवं टी॰ वी॰ नहीं थी तथा इस प्रकार मृतका, उसकी बहन एवं उसके भाई के लिए अपीलार्थी के घर में टी॰ बी॰ देखने के लिए जाने का कोई अवसर नहीं था।

12. ब॰ सा॰ 1 मो॰ सिद्दिक ने कथित किया है कि घर खाली करने को लेकर दोनों पक्षकारों के बीच मनमुटाव था, जिसमें अपीलार्थी किरायेदार के रूप में रह रहा था। इस गवाह ने यह भी कथित किया है कि मृतका तथा एक अन्य लड़के के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था तथा उसकी इच्छाओं के विरुद्ध उसका विवाह तय किया जा रहा था। उसने कथित किया है कि उसने घटना के बारे में मृतका के पिता से पूछा था जिसपर उसे सूचित किया गया था कि वह कैंची से घायल हो गई थी। उसने यह भी कथित किया है कि अपीलार्थी के घर में कोई विद्युत संयोजन नहीं था। अपनी प्रति-परीक्षा में, इस गवाह ने कथित किया है कि उसने मृतका का एक अन्य लड़के के साथ प्रेम प्रसंग होने के बारे में केवल सुना था, परन्तु उसे इसके बारे में कोई वैयक्तिक जानकारी नहीं है। उसने यह भी कथित किया है कि अपीलार्थी के घर में कोई टी॰ वी॰ नहीं था। ब॰ सा॰ 2 जलालुद्दीन खान अपीलार्थी का पिता है उसने भी अभिधृति के अधीन घर से बेदखली को लेकर पक्षकारों के बीच मनमुटाव के बारे में कथित किया है। उसने भी कथित किया है कि उसके घर में कोई टी॰ वी॰ नहीं था।

13. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि घर के किराया लगाए गए हिस्से को खाली कराने के लिए पक्षकारों के बीच मतभेद के कारण अपीलार्थी को इस मामले में झुठ-मूठ फंसा दिया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि बचाव पक्ष के मामले के अनुसार, मृतका का एक अन्य लड़के के साथ प्रेम सम्बन्ध था तथा उसकी इच्छाओं के विरुद्ध उसका विवाह तय किया जा रहा था, जिसके कारण उसने अपने उदर में कैंची घोंपकर सम्भवत: आत्म हत्या कारित कर लिया होगा, या वह कैंची पर बिस्तर से गिर पड़ी थी, जिसके कारण वह घायल हो गई थी तथा जो अन्तत: प्राण घातक सिद्ध हुई थी। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यद्यपि घटना के हेतु को लेकर साक्ष्य में यह कथित किया गया है कि एक लड़की के साथ अपीलार्थी का एक छाया चित्र एवं एक पत्र भी था, जिसकी अपीलार्थी मृतका से उसे मार डालने की धमकी देकर मांग कर रहा था, परन्तु यह निवेदन किया गया है कि यह केवल एक बाद का विचार है तथा प्राथमिकी में यह हेतु कथित नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि सूचनादाता द्वारा लगभग चौबीस घंटे के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है क्योंकि घटना 13.2.1989 को लगभग 9.15 बजे अपराह्न में घटित हुई थी जबकि सूचनादाता का फर्दबयान 14.2.1989 को 9.00 बजे अपराह्न में दर्ज किया गया था, तत्पश्चात 15.2.1989 को औपचारिक प्राथमिकी तैयार की गई थी तथा इसे 16.2.1989 को सी॰ जे॰ एम॰ के न्यायालय भेज दिया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्राथमिकी दर्ज करने में असामान्य विलम्ब हुआ था जो दर्शाता है कि यथा अभिकथित अभियोजन पक्ष केवल एक अनुबोध है, इस तथ्य की दृष्टि में कि मृतका की मृत्यु कैंची की उपहति के कारण हुई थी, जो तथ्य नर्सिंग होम में भी चिकित्सक को प्रकट किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि जिस चाकू द्वारा अभिकथित रूप से अपराध कारित किया गया था, उसे अवर न्यायालय में पेश नहीं किया गया था तथा अभिग्रहण सूची दर्शाती है कि इसे अपीलार्थी के घर में अटैची से बरामद किया गया था, जो अभिग्रहण के वृतांत को भी अतिसंदिग्ध बना देता है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि घटना के बारे में भी अभियोजन के साक्ष्य में विसंगतियां हैं क्योंकि पिता ने कथित किया था कि यह मृतका की बहन थी जो चीखी थी, जिस पर वह

बाहर आया था, जबकि माता अ॰ सा॰ 1 ने कथित किया है कि मृतका स्वयं चीखी थी जिस पर वो प्रांगण में गए थे।

14. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अभियोजन मामले के अनुसार, पहले बरियातु पुलिस द्वारा मृतका के चाचा का बयान दर्ज किया गया था एवं प्राथमिकी सं॰ 659 वर्ष 1989 भी संस्थित की गई थी, परन्तु वर्तमान प्राथमिकी उक्त फर्द बयान के आधार पर संस्थित नहीं की गई है, बल्कि इसे सूचनादाता के पिता के पश्चाती फर्दबयान के आधार पर संस्थित किया गया है, जो दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 162 द्वारा निर्बंधित है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि अ॰ सा॰ 10 निरंजन मिंज ने भी कथित किया था कि उन्होंने बरियातु पुलिस थाना केस सं॰ 659 वर्ष 1989 के सम्बन्ध में पोस्टमार्टम परीक्षण किया था तथा अरगोरा पुलिस थाना केस सं॰ 56 वर्ष 1989 के सम्बन्ध में नहीं तथा, इस प्रकार, वर्तमान पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस मामले से सम्बन्धित नहीं थी। विद्वान अधिवक्ता ने अ॰ सा॰ 10 के साक्ष्य से यह भी निर्दिष्ट किया कि उन्होंने स्वीकार किया था कि ऐसी उपहतियाँ कैंची द्वारा भी कारित हो सकती थी। विद्वान अधिवक्ता ने अन्ततः निवेदन किया कि अभियोजन द्वारा परीक्षित सभी गवाह मृतका के निकट सम्बन्धी होने के नाते हितबद्ध गवाह हैं, तथा स्वतंत्र गवाहों की परीक्षा नहीं की गई हैं, एवं तद्नुसार यह अभियोजन मामले को अति संदिग्ध बना देता है।

15. अपने तर्क के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **2003 (2) East Cr. Case 314 (Jhar.)** में रिपोर्ट किए गए **जय हरि बेरा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (अब झारखंड)** में इस उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें यह निर्णीत किया गया है कि जहाँ प्रश्नाधीन घटना के पहले एक ओर मृतक तथा सूचनादाता एवं दूसरी ओर अपीलार्थीगण के बीच शत्रुता विद्यमान एवं प्रभावी है, अपीलार्थीगण के विरुद्ध शत्रुता रखने वाले सभी निकट सम्बन्धी तथा पक्षपातपूर्ण गवाहों की परीक्षा का अति सावधानी एवं सतर्कता से अवलोकन किया जाना है। विद्वान अधिवक्ता ने **(1994) SCC (Cri) 1390** में रिपोर्ट किए गए **महाराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया है, जिसमें यह निर्णीत किया गया है कि दण्डाधिकारी को प्राथमिकी भेजने में हुआ विलम्ब इस तथ्य का सूचक है कि अभियोजन पक्ष सम्यक विचार विमर्श एवं मंत्रणा करके बाद में अभिलिखित किया गया था। इन निर्णयों पर भरोसा करते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन मामले को सभी युक्तिसंगत संदेहों से परे सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा था तथा यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें अभियुक्त अपीलार्थी को आरोप से दोषमुक्त कर दिया जाय।

16. दूसरी ओर राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि घटना सूचनादाता के प्रांगण में तथा उसकी बहन अ॰ सा॰ 4 जाहिदा खातुन तथा भाई अ॰ सा॰ 5 शबाब अंसारी खान की मौजूदगी में घटित हुई थी तथा ये घटना के स्वाभाविक चश्मदीद गवाह हैं, जिन्होंने कथित किया है कि यह अपीलार्थी था जिसने उनकी बहन पर चाकू से वार किया था, जिसके कारण उसकी बाद में मृत्यु हो गई थी। मृतका की माता अ॰ सा॰ 1 कसीदा बानो, मृतका के पिता अ॰ सा॰ 2 अलीजान खान, मृतका के चाचा अ॰ सा॰ 3 मो॰ निजाम खान तथा पड़ोसी अ॰ सा॰ 6 टुन्नु खान चीख-पुकार सुनकर घटना स्थल पहुँचे थे एवं उन्होंने मृतका को घायल पड़ा हुआ पाया था। उन सभी ने कथित किया था कि अभियुक्त भी वहाँ मौजूद था तथा वह अपने-आप पर चाकू का वार कारित करने का प्रयास कर रहा था, परन्तु उसे पकड़ लिया गया था। घायल ने उन्हें सूचित किया था कि इस्माइल ने चाकू से उस पर प्रहार किया था। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इन गवाहों के साक्ष्य की दृष्टि में, घटना के पीछे का हेतु पूर्णतः अमहत्वपूर्ण बन गया है तथा इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है कि प्राथमिकी में हेतु कथित किया गया था या नहीं। विद्वान

अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि यद्यपि मृतका के चाचा का फर्दबयान उस समय पहले दर्ज किया गया था, परन्तु चूंकि घटना अरगोरा पुलिस थाना की अधिकारिता के भीतर घटित हुई थी, बरियातु पुलिस थाना द्वारा केवल प्राथमिकी सं॰ प्रदान की गई थी तथा शव पोस्टमार्टम परीक्षण के लिए भेज दिया गया था एवं इसके बाद प्राथमिकी अरगोरा पुलिस थाने को अग्रसारित कर दी गई थी, जिसके अधिकारिता में घटना घटित हुई थी, जहाँ मृतका के पिता के फर्दबयान के आधार पर एक अन्य प्राथमिकी संस्थित की गई थी। यह निवेदन किया गया है कि दोनों फर्द बयानों में कोई तात्विक अन्तर नहीं है क्योंकि दोनों फर्द बयानों में मात्र यह अभिकथित किया गया है कि यह अभियुक्त ही था जिसने मृतका पर चाकू का प्रहार कारित किया था। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्राथमिकी दर्ज करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है क्योंकि घटना 13.2.1989 को रात्रि के समय घटित हुई थी तथा इसके बाद मृतका को अस्पताल ले जाया गया था तथा जब अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई थी, अन्तिम संस्कार के बाद उसी दिन, अर्थात् 14.2.1989 को रात्रि में फर्दबयान दर्ज किया गया था तथा अगले दिन, 15.2.1989 को प्राथमिकी संस्थित की गई थी जो 16.2.1989 को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में प्राप्त की गई थी, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्राथमिकी दर्ज करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अभियोजन साक्षियों के चक्षुदर्शी साक्ष्य अ॰ सा॰ 10 डॉ॰ निरंजन मिंज के चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पूर्णत: समर्थित हैं जिन्होंने मृतका को चाकू द्वारा कारित भोंके जाने के दो घावों को सिद्ध किया था जो मृत्यु का कारण था तथा उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी सिद्ध किया है। तद्नुसार, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यत्र-तत्र छोटी-मोटी विसंगतियां अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं हैं तथा अभियोजन अपने मामले को सभी युक्तिसंगत संदेहों से परे सिद्ध करने में सफल रहा है तथा यथा पूर्वोक्त अपराध के लिए अपीलार्थी की उचित रूप से दोषसिद्धि तथा दण्डादेश किया गया है।

17. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनकर तथा अभिलेख का अवलोकन करने पर, हम पाते हैं कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की इस पहली अभ्यापत्ति के पास टिकने का कोई आधार नहीं है कि मामले में दो प्राथमिकियां है। यद्यपि आर॰ एम॰ सी॰ एच॰, राँची में अभिलिखित मृतक के चाचा के फर्दबयान को एक प्राथमिकी सं॰ प्रदान की गई थी, परन्तु पोस्टमार्टम कराने के उपरान्त इस फर्दबयान को अरगोरा पुलिस थाना भेज दिया गया था, जिसकी अधिकारिता में घटना घटित हुई थी तथा जहाँ मृतका के पिता के फर्दबयान के आधार पर एक नई प्राथमिकी संस्थित की गई थी। दोनों फर्दबयानों ने घटना का एक ही ढंग प्रदान किया था कि घर के प्रांगण में, अपीलार्थी ने मृतका लड़की पर चाकू के वार कारित किए थे। घटना का समय भी दोनों फर्द बयानों में एक ही है। हम पाते हैं कि बचाव पक्ष को इस तथ्य के कारण कोई हानि कारित नहीं हुई है कि मृतका के पिता के पश्चाती पक्ष को प्राथमिकी के रूप में माना गया है क्योंकि बरियातु पुलिस द्वारा अभिलिखित अ॰ सा॰ 3 के फर्दबयान को प्राथमिकी माने जाने पर भी अन्तिम निर्णय में कोई अन्तर नहीं होने जा रहा था।

18. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन कि पक्षकारों के बीच मतभेद था कि क्योंकि सूचनादाता किराए पर लगाए गए घर को खाली कराना चाहता था, हमारी सुविचारित राय में ऐसा अन्तर नहीं हो सकता है, जिससे कि ऐसे तुच्छ मतभेद, अगर कोई हों, के लिए किसी व्यक्ति को झुठ-मूठ फंसा दिया जाय। जहाँ तक अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के इस निवेदन का सम्बन्ध है कि अभियोजन मामला केवल हितबद्ध गवाहों द्वारा समर्थित किया गया है, हम पाते हैं कि चूँकि घटना घर के प्रांगण में घटित हुई थी, तथा वह भी रात्रि के समय, अत: परिवार के ही सदस्य घटना के स्वाभाविक गवाह हैं। अभियोजन

मामला एक पड़ोसी अ० सा० 6 द्वारा समर्थित किया गया है। घटना के ढंग पर साक्षियों की विस्तार से प्रति-परीक्षा की गई है, परन्तु उनकी प्रति-परीक्षा में ऐसा कुछ भी सामने नहीं लाया जा सका था जिससे कि उनके परिसाक्ष्य को खण्डित किया जा सके।

19. बचाव पक्ष का यह वृतांत कि मृतका को कैंची पर गिरने के कारण सम्भवत: चाकू के वार कारित हुए होंगे, पुन: एक ऐसा वृतांत है जिस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता है। फर्श पर रखी कैंचियां गिरने के कारण ऐसी छुरे की उपहतियाँ कारित नहीं कर सकती है, जैसा कि अ० सा० 10 निरंजन मिंज द्वारा सिद्ध किया गया है। इस वृतांत पर भी अभियोजन साक्षी के अखण्डनीय साक्ष्य की दृष्टि में भरोसा नहीं किया जा सकता है कि मृतका ने स्वयं कैंची के प्रहार कारित कर लिए थे। बचाव पक्ष के इस साक्ष्य पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता है कि मृतका का एक अन्य लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, तथा उसकी इच्छाओं के विरुद्ध उसका विवाह तय किया जा रहा था जिसके कारण उसने सम्भवत: आत्महत्या कारित कर लिया होगा क्योंकि ब० सा० 1, जिसने निश्चितता के साथ यह तथ्य अभिकथित किया था, अपनी प्रति-परीक्षा में टूट गया है तथा स्वीकार किया है कि उसे इस तथ्य के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। यह स्पष्टत: दर्शाता है कि बचाव पक्ष ने एक झूठी कहानी तैयार किया है जिस पर विचार नहीं किया जा सकता है। बचाव पक्ष के इस साक्ष्य पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थी के घर में कोई विद्युत संयोजन तथा टीवी कनेक्शन नहीं था क्योंकि घटना का स्थल राँची शहर में अवस्थित है, तथा यह बिल्कुल असंभावित है कि अपीलार्थी के घर में कोई विद्युत संयोजन नहीं था। अभियोजन साक्षियों ने कथित किया है कि मृतका, उसके भाई तथा बहन अपीलार्थी के घर में टी० वी० देखने जा रहे थे, तथा इस बिन्दु पर भी उनके परिसाक्ष्य को खंडित करने के लिए कुछ भी नहीं है। बचाव पक्ष द्वारा अ० सा० 1 से लेकर छ: में से किसी को भी ऐसा सुझाव भी नहीं दिया गया है कि अपीलार्थी के घर में कोई विद्युत संयोजन तथा टी० वी० नहीं था। इस प्रकार इस बिन्दु पर भी बचाव पक्ष के साक्ष्य पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता है।

20. यद्यपि, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में विसंगतियाँ हैं क्योंकि मृतका की माता अ० सा० 1 ने कथित किया था कि यह मृतका थी जो घायल कर दिए जाने पर चीखी थी, जबकि मृतका के पिता अ० सा० 2 ने कथित किया था कि यह मृतका की बहन थी जो चिल्लाई थी, हमारी सुविचारित राय में साक्ष्य में कोई विसंगति है ही नहीं। यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि जब दो बहनें एवं एक भाई घटना स्थल पर मौजूद थे तथा एक बहन पर अपीलार्थी द्वारा चाकू चलाया गया था, आवश्यक रूप से सभी बच्चों ने चित्कार किया होगा। मृतका के भाई अ० सा० 5 शबाब अंसारी खान, जो एक बाल गवाह है, ने अभियोजन मामले का पूर्णत: समर्थन किया है तथा प्रति-परीक्षा की कसौटी पर पूर्ण रूप से खरा उतरा है।

21. हमारी सुविचारित दृष्टिकोण में, वर्तमान मामले में अभियोजन अपीलार्थी के विरुद्ध मामला सभी युक्तिसंगत संदेहों से परे सिद्ध करने में सक्षम रहा है तथा अपीलार्थी की अवर विचारण न्यायालय द्वारा भा० दं० सं० की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए उचित रूप से दोषसिद्धि एवं दण्डादेश किया गया है। तद्नुसार, हम उपर यथा कथित ढंग से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश करते हुए सत्र विचारण सं० 439 वर्ष 1989/2 वर्ष 1990 में विद्वान द्वितीय अपर न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा पारित दिनांक 9.10.1991 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय तथा दण्डादेश में कोई अवैधानिकता एवं/या अनियमितता नहीं पाते हैं। हम एतद् द्वारा दोषसिद्धि के निर्णय तथा दण्डादेश को अभिपुष्ट करते हैं।

22. परिणामस्वरुप, इस अपील में कोई गुण नहीं है तथा इसे तद्नुसार खारिज किया जाता है।

23. अपीलार्थीगण जमानत पर हैं तथा उसका जमानत बंधपत्र एतद् द्वारा रद्द किया जाता है। अवर न्यायालय को अपीलार्थी को दण्डादेश भुगतने के लिए उसकी पेशगी/आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करते हुए आदेशिका तत्काल निर्गत करने का निर्देश दिया जाता है।

24. अवर न्यायालय के अभिलेख को इस निर्णय की प्रतिलिपि के साथ सम्बद्ध न्यायालय को तत्काल वापस भेजा जाय।

---

ekuuh; ,p lh feJk ,o Mk ,l ,u ikBd] U;k;efrx.k

सुनिता देवी

cuke

श्री प्रभाष चन्द्र महतो

F.A. No. 126/13 with I.A. Nos. 4445 and 4446 of 2015. Decided on 18th October, 2016.

श्री कौशल किशोर झा सं॰ 1, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बोकारो द्वारा अभिधान दाम्पत्य वाद सं॰ 42 वर्ष 2009 में पारित दिनांक 10.5.2013 के निर्णय तक डिक्री के विरुद्ध।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955—धारा 13—तलाक–पत्नी द्वारा परित्याग–पक्षकार वर्ष 1998-1999 से अलग रह रहे हैं–अपीलार्थी पत्नी ने अवर न्यायालय में सुलह कार्यवाहियों में सम्यक रुचि नहीं लिया था–यह विवाह के अनुत्क्रमणीय रूप से टूट जाने का एक मामला है–कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तथा डिक्री बरकरार–अपील खारिज।

(पैराएँ 10 एवं 11)

अधिवक्तागण.–Mr. Arvind Kumar Singh, For the Appellant; Mrs. Vandana Singh, For the Respondent.

न्यायालय द्वारा.–अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा एकमात्र प्रत्यर्थी के भी विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. अपीलार्थी विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 10.5.2013 के निर्णय तथा डिक्री से व्यथित है, जिसके द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अधीन तलाक की एक डिक्री द्वारा विवाह भंग किए जाने के लिए एकमात्र प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल अभिधान दाम्पत्य वाद सं॰ 42 वर्ष 2009 अवर न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया है।

3. अपीलाधीन निर्णय दर्शाता है कि हजारी बस्ती, पुलिस थाना गोमिया, जिला बोकारो में 10.5.1996 को पक्षकारों के बीच हिन्दू रीति रिवाजों एवं परम्पराओं के अनुसार विवाह हुआ था। विवाह के उपरांत, अपीलार्थी पत्नी अपने दाम्पत्य गृह चली गई थी, जहाँ वह कुछ ही दिनों के लिए ठहरी थी तथा इसमें एकमात्र प्रत्यर्थी की भाभी की मृत्यु के उपरान्त वह पुनः अपने दाम्पत्य गृह गई थी, परन्तु उसका रवैया सौहार्दपूर्ण नहीं था तथा वह कुछ दिनों के पश्चात वापस आ गई थी। पक्षकारों के बीच विवाद के निपटारे के लिए एक पंचायती भी आयोजित की गई थी, परन्तु मामले का समाधान नहीं किया जा सका था। अपने पति के विरुद्ध अपीलार्थी पत्नी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-A के अधीन एक दाण्डिक मामला भी दाखिल किया गया था। पति हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन तलाक की एक डिक्री द्वारा विवाह भंग किए जाने के लिए अवर न्यायालय में दाम्पत्य वाद लाया था, जिसे अभिधान दाम्पत्य वाद सं॰ 42 वर्ष 2009 के रूप में दर्ज किया गया था।

4. अभिलेख दर्शाता है कि नोटिस किए जाने पर अपीलार्थी 16.12.2009 को अवर न्यायालय में हाजिर हुई थी, परन्तु वह सुलह के लिए हाजिर नहीं हुई थी, न ही उसने उसे दिए गए कई अवसरों के

बावजूद कोई लिखित कथन दाखिल किया था, तथा आखिरकार उसे दिनांक 10.1.2013 के आदेश के तहत लिखित कथन दाखिल करने से अपवर्जित कर दिया गया था तथा मामला साक्ष्य के लिए तय कर दिया गया था। इसमें एकमात्र प्रत्यर्थी ने अवर न्यायालय में चार गवाहों, अर्थात् अ॰ सा॰ 1 राजन महतो, अ॰ सा॰ 2 श्याम सुन्दर महतो, अ॰ सा॰ 3 सुभाष चन्द्र महतो, जो पति के सम्बन्धी थे तथा स्वयं पति अ॰ सा॰ 4 प्रभाष चन्द्र महतो को प्रस्तुत किया था। इन गवाहों ने पति के मामले का समर्थन किया था। अ॰ सा॰ 1 राजन महतो तथा अ॰ सा॰ 1 श्यामसुन्दर महतो को अवर न्यायालय में अपीलार्थी की ओर से प्रति-परीक्षित तक नहीं किया गया था। अ॰ सा॰ 3 सुभाष चन्द्र महतो तथा अ॰ सा॰ 4 प्रभाष चन्द्र महतो को अपीलार्थी की ओर से प्रति-परीक्षित किया गया था, परन्तु उनकी प्रति-परीक्षा में भी उनके परिसाक्ष्य को खंडित करने के लिए कुछ भी निकाला नहीं जा सका था। तद्नुसार, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बोकारो ने दिनांक 10.5.2013 के निर्णय द्वारा तलाक का वाद डिक्री कर दिया था तथा अपीलार्थी के पति, जो यहाँ एकमात्र प्रत्यर्थी है, को आदेश की तिथि से एक महीने के भीतर स्थायी निर्वाहिका तथा भावी भरण-पोषण के रूप में अपीलार्थी को 1,00,000/- रु॰ का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

5. एक मात्र प्रत्यर्थी का मामला है कि प्रत्यर्थी 24.5.2013 को अवर न्यायालय में 1,00,000/- पहले ही जमा करा चुका था, परन्तु अवर न्यायालय से अपीलार्थी द्वारा उक्त राशि अभी तक नहीं ली गई है।

6. अभिलेख दर्शाता है कि वर्तमान अपील में अपीलार्थी द्वारा दो अन्तर्वर्ती आवेदन-आई॰ ए॰ सं॰ 4445 तथा 4446 वर्ष 2015 दाखिल किए गए थे, जिनके द्वारा स्थायी निर्वाहिका तथा भावी भरण-पोषण की राशि बढ़ाने के लिए तथा अन्तरिम भरण-पोषण की राशि के बकायों के भुगतान के लिए भी आग्रह किया गया है। आई॰ ए॰ सं॰ 4446 वर्ष 2015 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 15 मार्च, 2016 के आदेश से यह प्रतीत होता है कि एकमात्र प्रत्यर्थी को इस न्यायालय में 60,000/- रु॰ जमा करने के लिए निर्देश पारित किया गया था, परन्तु उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया है। तत्पश्चात् दिनांक 10 मई, 2016 के आदेश से कुटुम्ब न्यायालय, बोकारो से अवर न्यायालय का अभिलेख मंगाया गया था। अवर न्यायालय का अभिलेख अब प्राप्त किया जा चुका है, जो दर्शाता है कि 1,00,000/- रु॰ की राशि, जिसे अपीलार्थी पत्नी को स्थायी निर्वाहिका के रूप में अनुज्ञात किया गया था, 24.3.2013 को ही एकल प्रत्यर्थी द्वारा पहले ही जमा की जा चुकी थी, परन्तु उक्त राशि की अपीलार्थी-पत्नी द्वारा निकासी नहीं की गई थी।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय तथा डिक्री पूर्णतः अवैधानिक है क्योंकि अपीलार्थी को अपना लिखित कथन दाखिल करने के लिए तथा अवर न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए भी पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था तथा लिखित कथन दाखिल करने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अपीलार्थी पत्नी को पर्याप्त अवसर दिए बिना निर्णय तथा डिक्री पारित कर दिया है। यह भी निवेदन किया गया है कि अवर न्यायालय में मामला तेनुघाट के शिविर न्यायालय को अंतरित करने के लिए भी एक आवेदन दाखिल किया गया था, परन्तु कुटुम्ब न्यायालय ने बोकारो में ही उक्त मामले का निर्णय कर दिया था। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विधि की दृष्टि में आक्षेपित निर्णय तथा डिक्री समर्थित नहीं किए जा सकते हैं।

8. दूसरी ओर, एकल प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह का विरोध किया है तथा अवर न्यायालय के अभिलेख से निर्दिष्ट किया है कि नोटिस किए जाने पर अपीलार्थी पत्नी 16.12.2009 को अवर न्यायालय में हाजिर हुई थी, तत्पश्चात पक्षकारों के बीच मेल-मिलाप करने के लिए कई कदम

उठाए गए थे, जिनमें अपीलार्थी पत्नी अधिकांशत: अनुपस्थित रह रही थी। अन्तिम अवसर के तौर पर भी लिखित कथन दाखिल करने के लिए उसे कई अवसर प्रदान किए गए थे, जिन्हें समय-समय पर बढ़ाया गया था, परन्तु इसके बावजूद अपीलार्थी पत्नी ने लगभग चार वर्षों तक कोई लिखित कथन दाखिल नहीं किया था, तथा अन्तत: उसे लिखित कथन दाखिल करने से दिनांक 10.1.2013 के आदेश द्वारा वर्जित कर दिया गया था। तत्पश्चात् गवाहों की परीक्षा की गई थी एवं वाद डिक्री कर दिया गया है। एकल-प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया है कि किसी भी दशा में यह स्पष्ट रूप से एक ऐसा मामला है जिसमें कम-से-कम वर्ष 1998-1999 से ही पक्षकार लगातार रूप से अलग रह रहे हैं, जो स्पष्टत: दर्शाता है कि पक्षकारों के बीच विवाह असुधार्य रूप से टूट चुका है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधानिकता नहीं है, जिसके द्वारा पत्नी द्वारा लगातार रूप से परित्याग किए जाने के कारण पक्षकारों के बीच विवाह भंग कर दिया गया है।

9. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनकर तथा अभिलेख का अवलोकन करने पर, हम एकल प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता के इस निवेदन में बल पाते हैं कि अपीलार्थी पत्नी नोटिस किए जाने पर 16.12.2009 को अवर न्यायालय में हाजिर हुई थी, परन्तु इसके बाद मामले में कोई रुचि नहीं लिया था। अवर न्यायालय का आदेश पत्रक दर्शाता है कि अपीलार्थी पत्नी 16.12.2009 को अवर न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुई थी तथा इसके बाद लिखित कथन दाखिल करने के लिए मामले में कई तिथियां निर्धारित की गई थी। अन्य कई तिथियों के अलावा, जिन तिथियों पर अपीलार्थी को अपना लिखित कथन दाखिल करने के लिए अवर न्यायालय द्वारा स्थगन प्रदान किया गया था, 4.7.2012, 6.8.2012, 13.9.2012 एवं 29.11.2012 को इन सभी तिथियों को अन्तिम अवसर के रूप में लिखित कथन दाखिल करने के लिए अपीलार्थी पत्नी को समय अनुज्ञात किया गया था, जिन्हें यथा उपरोक्त आगे की तिथियों तक बढ़ाया भी गया था, परन्तु अपीलार्थी ने इन अवसरों का इस्तेमाल नहीं किया था तथा अंतत: अवर न्यायालय के पास दिनांक 10.1.2013 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को लिखित कथन दाखिल करने से वर्जित करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। इसके पहले अवर न्यायालय द्वारा मेल-मिलाप के लिए भी कदम उठाए गए थे, परन्तु अपीलार्थी ने अपने आप को अनुपस्थित रखा था तथा अन्तत: मेल-मिलाप का प्रयास विफल रहा था। पक्षकारों के बीच विवाद के निपटारे के लिए मामला लोक अदालत को भी निर्दिष्ट किया गया था, तथा यह प्रयास भी विफल रहा था। तत्पश्चात, अवर न्यायालय में एकल प्रत्यर्थी की ओर से चार गवाहों को भी परीक्षित किया गया था, जिनमें से अ॰ सा॰ 1 राजन महतो तथा अ॰ सा॰ 2 श्यामसुन्दर महतो को अवर न्यायालय में अपीलार्थी पत्नी की ओर से प्रति-परीक्षित तक भी नहीं किया गया था। अ॰ सा॰ 3 सुभाष चन्द्र महतो तथा अ॰ सा॰ 4 प्रभाष चन्द्र महतो जो यहाँ एकल प्रत्यर्थी है को अवर न्यायालय में प्रति-परीक्षित किया गया था, परन्तु उनकी प्रति-परीक्षा से अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ऐसा कुछ भी सामने नहीं लाया जा सका था, जिससे कि उनके परिसाक्ष्य को खण्डित किया जा सके। इन गवाहों ने एकल प्रत्यर्थी, जो अवर न्यायालय में याची था, के मामले को सिद्ध किया है। अवर न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन करके पक्षकारों के बीच विवाह भंग करते हुए तथा स्थायी निर्वाहिका के रूप में 1,00,000/- रु॰ का भुगतान वर्तमान अपीलार्थी को करने के लिए एकल प्रत्यर्थी को निर्देश देते हुए वाद डिक्री कर दिया था। स्वीकार्यत: इस धन की अपीलार्थी द्वारा निकासी नहीं की गई है, यद्यपि 24.5.2013 को ही अवर न्यायालय में धन जमा करा दिया था।

10. पूर्वोल्लिखित परिचर्चाओं की दृष्टि में, हमारी सुविचारित राय है कि तलाक की डिक्री द्वारा पक्षकारों के बीच विवाह भंग करते हुए अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय तथा डिक्री में कोई अवैधानिकता नहीं है। अन्यथा भी, चूँकि पक्षकार वर्ष 1998-1999 से ही अलग रह रहे हैं, तथा अपीलार्थी पत्नी ने अवर न्यायालय में मेल-मिलाप वाली कार्यवाही में सम्यक रूप से रुचि नहीं ली थी, हमारी

सुविचारित राय है कि यह पक्षकारों के बीच विवाह के असुधार्य रूप से टूट जाने का एक मामला है, तथा अभिधान दाम्पत्य वाद सं॰ 42 वर्ष 2009 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 10.5.2013 के आक्षेपित निर्णय तथा डिक्री में किसी हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

11. हम इस अपील में कोई गुण नहीं पाते हैं, तथा इसे तद्नुसार खारिज किया जाता है।

12. चूँकि अपीलार्थी ने 1,00,000/- की राशि की निकासी नहीं की है, जिसे 24.5.2013 को ही अवर न्यायालय में एकल प्रत्यर्थी द्वारा जमा किया गया है, अपीलार्थी को उक्त राशि की निकासी करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। अपीलार्थी को निर्वाहिका की राशि बढ़ाने के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 के अधीन समुचित आवेदन करने की भी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, अगर ऐसा आवश्यक हो। तद्नुसार, पूर्वोक्त अन्तर्वर्ती आवेदन भी निस्तारित किए जाते हैं।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

बरचया सिंह एवं अन्य

cuke

बिहार राज्य (अब झारखंड)

Criminal Appeal (DB) No. 146 of 1992 (R). Decided on 8th December, 2016.

सत्र विचारण सं॰ 26 वर्ष 1985 में विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, पलामू द्वारा पारित दिनांक 15.7.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 20.7.1992 के दण्डादेश के विरुद्ध।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860—धाराएँ 302/149, 307/149 एवं 148—आयुध अधिनियम, 1959—धारा 27—हत्या एवं हत्या का प्रयास–सम्मिलित उद्देश्य–दोषसिद्धि एवं दण्डादेश–सूचनादाता को उसकी मृत्यु के कारण परीक्षित नहीं किया जा सका था–अपीलार्थीगण से कोई प्रकट कृत्य सम्बन्धित नहीं किया गया है–सह-अभियुक्तों की दोषमुक्ति की दृष्टि में, अपीलार्थीगण को आरोपों का दोषी निर्णीत नहीं किया जा सकता है–अपीलार्थीगण संदेह के लाभ के हकदार हैं तथा दोषमुक्त किए जाने के अधिकारी हैं–दोषसिद्धि एवं दण्डादेश अपास्त। (पैराएँ 8 एवं 9)

निर्णयज विधि.–AIR 1975 SC 1453; AIR 1984 SC 1523—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Vijoy Pratap Singh, Rashmi Kumari, Amrita Kumari, For the Appellants; Mr. Shekhar Sinha, For the State.

डॉ॰ एस॰ एन॰ पाठक, न्यायमूर्ति.–यह निवेदन किया गया है कि इस अपील के लम्बित रहने के दौरान अपीलार्थी सं॰ 1 बरचया सिंह की 7.3.2015 को मृत्यु हो गई थी। अपीलार्थी का मृत्यु प्रमाण पत्र सम्पुरक शपथ पत्र दाखिल करके अभिलेख पर लाया गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र की दृष्टि में, अपीलार्थी सं॰ 1 बरचया सिंह के विरुद्ध इस अपील का उपशमन होता है।

2. अपीलार्थीगण विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, पलामू द्वारा पारित दिनांक 15.7.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 20.7.1992 के दण्डादेश से व्यथित हैं, जिसके द्वारा अपीलार्थी सं॰ 2 लालदेव सिंह उर्फ लाल बाबू सिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 302, 307/149 एवं 148 के

अधीन दोषी पाया गया है एवं अपीलार्थी सं॰ 3 रघुनन्दन मिस्त्री को भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 302/149 एवं 307/148 एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दोषी पाया गया है। दण्डादेश के बिन्दु पर सुनवाई करके अपीलार्थी सं॰ 2 लालदेव सिंह उर्फ लाल बाबु सिंह को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन तथा भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307/149 के अधीन भी सश्रम कारावास भुगतने का दण्डादेश किया गया है। उसे भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 148 के अधीन भी दो वर्षों का सश्रम कारावास भुगतने का दण्डादेश सुनाया गया है। अपीलार्थी सं॰ 3 रघुनन्दन मिस्त्री को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/149 के अधीन सश्रम आजीवन कारावास, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन 7 वर्षों का सश्रम कारावास तथा भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 148 के अधीन दो वर्षों तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन 5 वर्षों का सश्रम कारावास भुगतने का दण्डादेश किया गया है। अपीलार्थीगण में से प्रत्येक के विरुद्ध पारित दण्डादेश साथ-साथ चलेंगे।

3. अभियोजन मामला संक्षेप में यह है कि अभियुक्त सरयु प्रसाद सिंह तथा रघुनन्दन मिस्त्री के सूचनादाता महेश्वर सिंह के साथ शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध थे तथा उनके बीच कई मामले लम्बित थे। घटना की तिथि के कुछ वर्ष पहले, सरयु सिंह तथा अभियुक्त लालदेव सिंह एवं बरचया सिंह ने जल की सिंचाई के एक विवाद में सूचनादाता एवं उसके भाई के हाथ काट दिए थे जिस सम्बन्ध में एक मामला न्यायालय में लम्बित था। घटना के पहले पिछले वर्ष पूर्वोक्त तीनों अभियुक्त व्यक्तियों ने सूचनादाता एवं उसके परिवार के सदस्यों को मामले का शमन करने के लिए उन्हें बाध्य करने हेतु उन्हें धमकाया था, परन्तु सूचनादाता तथा उसके परिवार के सदस्य सहमत नहीं हुए थे, जिस पर पूर्वोक्त तीनों अभियुक्त व्यक्तियों ने जगदीश सिंह (सूचनादाता के पुत्र) पर जानलेवा हमला किया था जिसके सम्बन्ध में पूर्वोक्त तीनों अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में एक मामला भी लंबित था। पूर्वोक्त अभियुक्त व्यक्तियों ने बलपूर्वक सूचनादाता की जमीनों पर भी अतिक्रमण किया था। सूचनादाता का पुत्र उन मामलों में सूचनादाता की ओर से पैरवी किया करता था तथा पूर्वोक्त तीनों अभियुक्त व्यक्तियों ने जगदीश सिंह (सूचनादाता का पुत्र) पर मामले का शमन कराने के लिए दबाव दिया था परन्तु वह सहमत नहीं हुआ था, जिस पर पूर्वोक्त अभियुक्त-व्यक्तियों ने उसे (सूचनादाता का पुत्र) घटना के दो दिन पहले धमकाया था कि वे खून की होली मनाएंगे।

3.4.1984 को लगभग 6.30 बजे अपराह्न में, जगदीश सिंह (सूचनादाता का पुत्र) हरिहरगंज से लौटने के उपरांत अपनी किराने की दुकान में बैठा था तथा उस समय फगुनी पासी चावल इत्यादि खरीदने के लिए आया हुआ था परन्तु अचानक ही बन्दूकों तथा फरसा से लैश सात से आठ व्यक्ति वहाँ पहुँच गए थे तथा तीन चक्र गोलियाँ चलाई थी। सूचनादाता ठीक दुकान के बगल में अपनी खेत में गेहूँ की गठरियाँ बाँध रहा था। सूचनादाता ने सात-आठ व्यक्तियों में से उनके हाथों में बन्दूक के साथ सरजू सिंह तथा बरचया सिंह एवं उसके हाथ फरसा के साथ लालदेव सिंह की पहचान की थी। सूचनादाता ने हल्ला मचाया था जिस पर ललन सिंह जो सूचनादाता के साथ खेत में कार्य कर रहा था, बन्दूक लाने के लिए गया था एवं सरजू सिंह ने जगदीश सिंह पर गोली चलाई थी एवं अभियुक्त बरचया सिंह ने फगुनी पासी पर गोली चलाई थी जो भागने का प्रयास कर रहा था। ललन सिंह (सूचनादाता का पुत्र) अपनी बंदूक से गोली चलाकर दुकान की ओर बढ़ गया था जिस पर सभी अभियुक्त व्यक्ति जगदीश सिंह को अपने साथ ले जाना चाहते थे, परन्तु उस समय तक वहाँ गाँव वाले आ गए थे तथा इसके बाद अभियुक्त व्यक्ति जगदीश को सड़क के किनारे छोड़कर भाग गए थे। सूचनादाता के अलावा उसके भाई मुखा सिंह, ललन सिंह के पुत्र अर्जुन सिंह तथा उसके दामाद परशुराम सिंह एवं कई अन्य व्यक्तियों को पहचान लिया था।

अभियुक्तों के भागने के उपरांत, फगुनी पासी को पूरब की ओर उस खेत में मूर्छित अवस्था में पाया गया था एवं जगदीश सिंह ने गोली तथा फरसा से हुई उपहतियों के कारण दम तोड़ दिया था।

4. मामले का अन्वेषण किया गया था तथा तत्पश्चात पुलिस तीनों अपीलार्थीगण, अर्थात्, महावीर महतो (जो अब दोषमुक्त किया जा चुका है), सरजू प्रसाद सिंह के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 302, 307/34 एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। 9.7.1984 को संज्ञान लिया गया था तथा जी॰ आर॰ सं॰ 500 वर्ष 1984 में दिनांक 12.1.1985 के आदेश के तहत मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया था। तत्पश्चात्, अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए थे। सभी अपीलार्थीगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 148, 302/149 के अधीन आरोप लगाए गए थे। अभियुक्त सरजू प्रसाद सिंह के साथ अपीलार्थी सं॰ 2 एवं 3 पर भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन भी आरोप लगाया गया था। सभी अपीलार्थीगण एवं अभियुक्त सरजू प्रसाद सिंह पर भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन भी आरोप लगाया गया था। अभियुक्त सरजू प्रसाद सिंह के साथ अपीलार्थी सं॰ 1 एवं 3 पर आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन भी आरोप लगाया गया था। विचारण संचालित किया गया था तथा अभियोजन की ओर से 11 गवाहों को परीक्षित किया गया था।

5. अ॰ सा॰ 5 डॉ॰ भरत मांझी हैं, जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम परीक्षण किया था। अ॰ सा॰ 2 फगुनी चौधरी उर्फ फगुनी पासी है जो घटना का चश्मदीद गवाह है। अ॰ सा॰ 3 ललन सिंह सूचनादाता का पुत्र है, अ॰ सा॰ 4 मुंगेश्वर सिंह सूचनादाता का भाई है, अ॰ सा॰ 5 मुखदेव उर्फ मुखा सिंह भी सूचनादाता का भाई है, अ॰ सा॰ 6 शंकर कुमार सिंह, सूचनादाता का भतीजा है जो पक्षद्रोही हो गया है, अ॰ सा॰ 7 ठाकुर महतो है जो अभिग्रहण सूची का गवाह है, अ॰ सा॰ 8 सुरजन महतो को भी अभियोजन द्वारा बुलाया गया है, अ॰ सा॰ 9 प्रद्युमन सिंह सूचनादाता का दामाद है, उसे भी पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था, अ॰ सा॰ 10 मो॰ इशाक एक औपचारिक गवाह है जिसने फर्दबयान को सिद्ध किया है तथा अ॰ सा॰ 11 मामले का अन्वेषण पदाधिकारी एन॰ के॰ सिंह है। सूचनादाता महेश्वर सिंह की इस मामले में परीक्षा नहीं की गई है क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। बचाव पक्ष ने ब॰ सा॰ 1 के रूप में श्री शिवशंकर सिंह, अधिवक्ता की भी परीक्षा की है जिन्होंने फगुनी दास द्वारा शपथ पत्र निष्पादित किए जाने को प्रदर्श A के रूप में सिद्ध किया है, ब॰ सा॰ 2 लालमुनि राय है जो टंकक है तथा शपथ पत्र प्रदर्श A के टंकण को सिद्ध किया था तथा ब॰ सा॰ 3 राजेन्द्र प्रसाद वनकर्मी है।

6. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री वी॰ पी॰ सिंह ने निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को शत्रुता के कारण इस मामले में झुठ-मूठ फंसाया गया है तथा समूची घटना झूठी बताई गई है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि फर्दबयान को प्राथमिकी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए था इस तथ्य की दृष्टि में कि इस मामले में सूचनादाता को परीक्षित नहीं किया गया है। विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री सिंह ने निर्दिष्ट किया कि चौकीदार कृष्णा राम, जिसने वह सूचना प्रदान किया था जिसके आधार पर पुलिस घटना-स्थल पहुँची थी, को इस मामले में परीक्षित नहीं किया गया है तथा फर्दबयान में सूचनादाता द्वारा पुरानी शत्रुता होने को स्वीकार किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने जिरह के अनुक्रम में अ॰ सा॰ 2 फगुनी चौधरी की ओर से इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया था, जिसने अपीलार्थी सं॰ 2 लालदेव सिंह उर्फ लाल बाबू सिंह की भागीदारी के सम्बन्ध में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है तथा अपीलार्थी सं॰ 3 रघुनन्दन मिस्त्री के विरुद्ध कोई प्रकट कृत्य नहीं बताया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि अ॰ सा॰ 2 फगुनी चौधरी ने महावीर महतो पर केवल यह अभिकथन लगाया था कि उसने उसपर गोली चलाई थी, जिसे पहले ही दोषमुक्त किया जा चुका है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि घटना के समय अंधेरा हो चला था तथा केवल जगदीश (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) दुकान में था तथा उसके अनुसार दुकान में केवल महावीर (जो अब दोषमुक्त किया जा चुका है) तथा अपीलार्थी सं॰ 3 रघुनन्दन मिस्त्री ने प्रवेश किया था। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन

किया कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन या भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307/149 के अधीन अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि न्यायसंगत नहीं है क्योंकि अपीलार्थीगण में से किसी पर भी कोई विनिर्दिष्ट अभिकथन नहीं था कि उन्होंने अ॰ सा॰ 2 फगुनी चौधरी को उपहति कारित की थी। अभिकथन अभियुक्त महाबीर पर था जिसे दोषमुक्त किया जा चुका था। अतएव, इस स्थिति में भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307/149 के अधीन या धारा 307 के अधीन अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि विधि में दोषपूर्ण है तथा अपास्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थी सं॰ 2 लालदेव सिंह उर्फ लाल बाबू सिंह पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप लगाया गया है परन्तु ऐसा कोई प्रत्यक्ष अभिकथन नहीं है कि अपीलार्थी सं॰ 2 लालदेव सिंह उर्फ लाल बाबू सिंह ने मृतक जगदीश सिंह पर प्रहार किया था, तथा इस कारण भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी सं॰ 2 लालदेव सिंह उर्फ लाल बाबू सिंह की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में समर्थनीय नहीं है। यह भी निवेदन किया गया है कि सभी गवाह मृतक के सम्बन्धी हैं, अतएव, वे अतिहितबद्ध गवाह हैं तथा एकमात्र स्वतंत्र गवाह अ॰ सा॰ 2, जो घटना में घायल हो गया था, ने अपीलार्थी सं॰ 1 एवं 2 की भागीदारी का समर्थन नहीं किया है तथा अपीलार्थी सं॰ 3 के विरुद्ध कोई विनिर्दिष्ट प्रकट कृत्य नहीं है। अपनी जिरह के अनुक्रम में विद्वान वरीय अधिवक्ता ने **AIR 1984 SC 1523; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पी॰ ए॰ मधु** में रिपोर्ट किए गए निर्णय पर भरोसा किया था जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 10 में निम्नवत् निर्णित किया था:–

> *"10. ----- bl l Hkh c<dj] njHkk"k ij ,lh vLi"V lpuk dk bl U;k;ky; }kjk fdlh egRo dk ugh gkuk fu.khr fd;k x;k gA rfiUnj flg cuke itkc jkT;] (1971)1 SCC 599: [AIR 1970 SC 1566] e bl U;k;ky; u ln'k ifjfLFkfr;k e fuEuor lEijhf{kr fd;k Fkk (AIR d i"B 1569 ij)%&*
>
> *8 flrEcj] 1969 dk gfj flg ,O ,lO vkbO] ifyl LV'ku uxj dkrokyh }kjk 5.35 ct vijkgu e njHkkf"kd ln'k çkIr fd;k x;k FkkA lpuk Hktuoky 0;fDr u viuh igpku çdV ugh fd;k Fkk] u gh mlu dkb vU; fof'kf"V;k çnku dh Fkh rFkk dfFkr :i l tk ln'k fn;k x;k Fkk og ;g Fkk fd yfèk;kuk d VDlh LVM e xkyh ckjh gb FkhA fu%lng bl njHkk"k dky d çR;Ùkj e ifyl inkfèkdkjh }kjk ifyl Fkku dh nfud Mk;jh e vfHkfyf[kr fd;k x;k FkkA ijUr çFke n"V;k bl vLi"V rFkk cuke ekf[kd ln'k dk ftlu Li"V fucèkuk e ,d lK; vijkèk dk fofufn"V ugh fd;k Fkk] çFke lpuk fjikV d rkj ij ugh ekuk tk ldrk gA ek= ;g rF; fd le; dh fcUn e ;g lpuk igyh Fkh] viu vki e bl çFke lpuk fjikV d pfj= l ;Dr ugh dj nrh gA*

विद्वान वरीय अधिवक्ता ने **AIR 1975 SC 1453** में रिपोर्ट किए गए **सोमाभाई बनाम गुजरात राज्य** के मामले में हुए एक निर्णय पर भी भरोसा किया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 18 में निम्नवत् निर्णित किया था:–

> *^^ekeyk cUn dju d igy] ge mPp U;k;ky; }kjk è;ku e yh xb nk egRoi.k ifjfLFkfr;k dk fufn"V dj ldr gA igy mPp U;k;ky; dh ;g jk; Fkh fd jfr yky no }kjk nt çkFkfedh lk{; e vxkg; Fkh D;kfd ihO ,lO vkbO iVy }kjk ljr dk cd dh xb njHkk"kh; dky] ftld }kjk mlu ;g lpuk Hktk Fkk fd vihykFkh u nk 0;fDr;k ij xkyh pykdj mUg ekj Mkyk Fkk] n.M çfØ;k lfgrk dh èkkjk 154 d vfHkçk; d Hkhrj çFke lpuk dk xBu djxh rFkk bld ckn ifyl d le{k ifjoknh }kjk fn;k x;k c;ku n.M çfØ;k lfgrk dh èkkjk 162 }kjk çHkkfor gkxkA rFkkfi] ge bl fcUn ij mPp U;k;ky; }kjk fy, x, nf"Vdk.k d lkFk lger gku e vleFk gA ;g lgh g fd lfgrk dh èkkjk 154 d vèkhu*

*ekey e mld }kjk dkjokb fd, tku dk è;ku e j[kdj çFke lpuk ifyl inkfêkdkjh dk nh xb iore fjikV gA çLrr ekey e] ifjoknh u ?kVuk ?kfVr gku d lEcUèk e ih0 ,l0 vkb0 iVy dk lpuk Hkt nh Fkh] ft lu rFkkfi bl fyf[kr e nt dju d igy vR;fêkd lkoèkkuh d :i e ljr d e[; ifyl Fkku l vkj vun'k çkIr dju dk ç;kl fd;k Fkk rFkk blh dkj.ko'k mlu ljr d fy, dky cd fd;k FkkA ljr ifyl Fkku dk fn;k x;k ln'k lfgrk dh èkkjk 154 d vFk d Hkhrj ,d çFke lpuk fjikV xfBr dju d fy, vfr vLi"V Fkk rFkk doy vkj vun'k çkIr dju d ç;ktu d fy, vfHkçr FkkA bld vfrfjDr] ih0 ,l0 vkb0 iVy dk of.kr rF;] ftUg dN feuVk ckn fyf[kr e nt dj fy;k x;k Fkk] u fuHkIng ifyl dk le; d fcUn e dh xb çFke lpuk fjikV xfBr dh Fkh ftle vko';d rF; fn, x, FkA vr,o] bu ifjfLFkfr;k e] gekjh Li"V :i l jk; g fd ljr d ifyl Fkku dk Hktk x;k njHkk"kh; ln'k çkFkfedh xfBr ugh dj ldrk g rFkk mPp U;k;ky; u oreku ekey e nt çkFkfedh dk lk{; e vxkg; ekudj =fV dkfjr dh FkhA***

7. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान वरीय अधिवक्ता के तर्क का जोरदार विरोध किया तथा निवेदन किया कि अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य तथा तथ्यों एवं परिस्थितियों से यह प्रकट है कि अभियोजन लालदेव सिंह उर्फ लाल बाबू सिंह तथा रघुनन्दन मिस्त्री नामक अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सभी युक्तिसंगत संदेहों से परे अपना मामला सिद्ध करने में सफल रहा है। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने यह भी निवेदन किया कि विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा उद्धृत मामला उनके बचाव के लिए नहीं आता है तथा प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आकर्षित नहीं होता है।

8. हमने आक्षेपित निर्णय, गवाहों के अभिसाक्ष्यों, दस्तावेजों तथा सिद्ध किए गए प्रदर्शों का अवलोकन किया है तथा पक्षकारों के प्रतिद्वंदी तर्क पर भी विचार किया है। यह अत्यधिक अनधिसंभाव्य है कि ऐसी घटना के बावजूद परिवार के सदस्यों ने चौकीदार के सिवाय पुलिस को सूचित नहीं किया था तथा मामले के अभिलेखों से, यह प्रतीत होता है कि सूचनादाता को परीक्षित नहीं किया गया था तथा कारण यह दिया गया था कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। अ॰ सा॰ 2 फगुनी चौधरी ने रघुनन्दन मिस्त्री तथा लालदेव सिंह का नाम नहीं लिया है जिनका गवाहों द्वारा भी नाम नहीं लिया गया है। सूचनादाता महेश्वर सिंह की इस मामले में परीक्षा नहीं की गई है क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अ॰ सा॰ 6 शंकर कुमार सिंह तथा अ॰ सा॰ 9 प्रद्युमन सिंह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है। अभियोजन द्वारा परीक्षित गवाहों तथा बचाव पक्ष के गवाहों को विचार में लेकर, हम पाते हैं कि अपीलार्थी सं॰ 2 एवं 3 के विरुद्ध कोई प्रकट कृत्य सम्बन्धित नहीं किया गया है तथा जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है कि अभियोजन महाबीर महतो के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने में विफल रहा है तथा इस प्रकार उसे दोषी निर्णीत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, इसी साक्ष्य के आधार पर, अपीलार्थी सं॰ 2 एवं 3 को आरोपों का दोषी निर्णीत नहीं किया जा सकता है तथा इस प्रकार, समूचा अभियोजन मामला संदिग्ध बन जाता है। इन तथ्यों के संचयी प्रभाव के रूप में, अपीलार्थीगण कम से कम संदेह के लाभ के हकदार हैं तथा दोषमुक्ति के अधिकारी हैं।

9. पूर्वोक्त परिचर्चाओं की दृष्टि में, सत्र विचारण सं॰ 26 वर्ष 1985 में विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, पलामू द्वारा पारित दिनांक 15.7.1992 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय तथा दिनांक 20.7.1992 के दण्डादेश एतद् द्वारा अपास्त किए जाते हैं। अपीलार्थीगण को संदेह का लाभ प्रदान किया जाता है तथा उन्हें आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थीगण जमानत पर हैं तथा उन्हें उनके अपने-अपने जमानत बन्धपत्रों के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

10. तद्नुसार, यह अपील अनुज्ञात की जाती है। अवर न्यायालय के अभिलेख को इस निर्णय की एक प्रतिलिपि के साथ सम्बन्धित न्यायालय को तत्काल वापस भेजा जाय।

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.–मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; ohjUn flg] e[; U;k;kèkh'k ,o Jh pUn'k[kj] U;k;efr

श्रीमती लक्ष्मी मणि मुर्मू

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

Acquittal Appeal No. 38 of 2001. Decided on 11th August, 2016.

सी॰ 1 केस सं॰ 15/1997 में न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, घाटशिला द्वारा पारित दिनांक 23.2.2001 के दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860—धाराएँ 498A एवं 323—क्रूरता एवं उपहति–दोषमुक्ति–परिवादी द्वारा अपील–अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की दृष्टि में अभियुक्त द्वारा अर्जित दोषमुक्ति का आक्षेपित निर्णय किसी बिन्दु पर किसी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है क्योंकि परिवादी पक्ष प्रत्यर्थी के विरुद्ध आरोप को अन्तिम बिन्दु तक सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा है–दोषमुक्ति का आक्षेपित निर्णय बरकरार। (पैराएँ 3 एवं 4)

अधिवक्तागण.–None, For the Appellant; Mr. Pankaj Kumar, For the Resp.-State; Mrs. Sneh Singh, For the Respondent.

वीरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–कुल मिलाकर चार अभियुक्तों, अर्थात् भीम मुर्मू के पुत्र मंगला मुर्मू, श्री मंगला मुर्मू की पत्नी झरी मुर्मू तथा श्री मंगल मुर्मू की पुत्री हिस्सि मुर्मू का भा॰ दं॰ सं॰ की धाराएँ 498-A एवं 323 के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए श्री भीमचन्द्र मुर्मू की पत्नी अपीलार्थी श्रीमती लक्ष्मी मणि मुर्मू द्वारा दाखिल एक परिवाद पर विचारण किया गया था। उन्होंने विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, घाटशिला के दिनांक 23.2.2001 के आक्षेपित निर्णय के तहत दोषमुक्ति अर्जित किया था, जिससे व्यथित होकर, परिवादी ने प्रस्तुत अपील दाखिल की थी जिसमें दिनांक 14 जून, 2001 के आदेश के तहत न्यायालय द्वारा अपील करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

2. जब सुनवाई की अन्तिम तिथि को, अर्थात् 4 अगस्त, 2016 को प्रस्तुत अपील पर विचार किया गया था, परिवादी/अपीलार्थी के लिए कोई भी हाजिर नहीं हुआ था, आज भी स्थिति ऐसी ही है। बिल्कुल प्रारम्भ में ही, प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित होने वाली श्रीमती स्नेह सिंह ने अधिवक्ता संघ में एक कथन किया था कि चारों दोषमुक्त प्रत्यर्थी अभियुक्तों में से श्री मंगल मुर्मू के पुत्र भीम मुर्मू, स्वर्गीय भीम मुर्मू के पुत्र मंगला मुर्मू तथा श्री मंगला मुर्मू की पत्नी झरी मुर्मू की अब मृत्यु हो चुकी है। श्री पंकज कुमार द्वारा इन तीनों व्यक्तियों की मृत्यु का तथ्य अभिपुष्ट किया गया है। वह पुलिस थाने के एच॰ एस॰ ओ॰ की रिपोर्ट भी अभिलेख पर रखते हैं तथा इसे इसके उपयुक्त स्थान पर अनुलग्न कर दिया जाय। इस प्रकार, प्रस्तुत अपील का भीम मुर्मू, मंगला मुर्मू तथा झरी मुर्मू के सम्बन्ध में उपशमन हो जाता है तथा श्री मंगल मुर्मू की पुत्री हिस्सि मुर्मू तथा परिवादी–अपीलार्थी के पति भीम मुर्मू की बहन के सम्बन्ध में शेष रह जाती है।

3. श्रीमती स्नेह सिंह ने निवेदन किया कि सभी चार अभियुक्तों के विरुद्ध दहेज की माँग सामान्य अभिकथन प्रतीत होता है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि हिस्सि मुर्मू के विरुद्ध कोई विनिर्दिष्ट

मांग अभिकथित नहीं की गई थी। यह निवेदन किया गया है कि जब सी॰ डब्ल्यू॰ 5 लक्ष्मी मणी मुर्मू, परिवादी–अपीलार्थी गवाह कक्ष में आयी थी, उसने कथित किया था कि प्रत्यर्थी–अभियुक्त हिस्सि मुर्मू ने दहेज की मांग की थी, जबकि प्रारम्भिक परिवाद में वर्णित परिवादी–अपीलार्थी का मामला ऐसा कभी नहीं था तथा सभी चारों प्रत्यर्थी–अभियुक्तों पर दहेज की मांग का सामान्य आरोप लगाया गया था। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि इस तथ्य की पृष्ठभूमि में कि परिवादी–अपीलार्थी के पति तथा उसके सास ससुर के पहले ही मृत्यु हो जाने से तथा एकमात्र जीवित प्रत्यर्थी–अभियुक्त हिस्सि मुर्मू के विरुद्ध सामान्य अभिकथन किए जाने से भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 498-A तथा 323 के अधीन उसे आरोपों का दोषी निर्णीत करने के प्रयोजनार्थ परिवादी–अपीलार्थी के मामले को पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, वह दोषमुक्ति का आक्षेपित निर्णय अभिपुष्ट करने का आग्रह करती है।

4. चूँकि परिवादी–अपीलार्थी के अधिवक्ता हाजिर नहीं हुए हैं, हमने मामले के न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार से सहायता प्राप्त होने के उपरान्त समूचे अभियोजन साक्ष्य तथा विचारण न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध बचाव पक्ष के साक्ष्य पर उसके सही परिप्रेक्ष्य में पुन: विचार किया है तथा हम पाते हैं कि अभियुक्त द्वारा अर्जित दोषमुक्ति का आक्षेपित निर्णय किसी बिन्दु पर किसी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है क्योंकि परिवादी पक्ष प्रत्यर्थी हिस्सि मुर्मू के विरुद्ध आरोपों को अन्तिम सीमा तक सिद्ध करने मे सक्षम नहीं रहा है। इस प्रकार, दोषमुक्ति का आक्षेपित निर्णय बरकरार रखे जाने का हकदार है। प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है। तद्नुसार आदेश किया गया।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

गोपाल भारती

cuke

महेश्वरी देवी

F.A. No. 19 of 2010. Decided on 28th November, 2016.

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955—धारा 13 (1), (i-a), (i-b)—तलाक–पत्नी द्वारा अधित्यजन एवं क्रूरता–याची यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा है कि यह प्रत्यर्थी थी जिसने उसे छोड़ दिया था–प्रत्यर्थी-पत्नी धन के अभाव के कारण वाद का प्रतिवाद करने की स्थिति में नहीं थी–तलाक वाद उचित रूप से अवर न्यायालय द्वारा खारिज किया गया–अपील खारिज।

(पैराएँ 6, 10, 11 एवं 12)

अधिवक्तागण.–Mr. Shekhar Prasad Sinha, For the Appellant; M/s. L.C.N. Shahdeo, Pratiush Lala, For the Respondent.

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. अपीलार्थी टी॰ एम॰ एस॰ सं॰ 297 वर्ष 2006 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 7.12.2009 के निर्णय तथा डिक्री से व्यथित है जिसके द्वारा तलाक की डिक्री द्वारा विवाह भंग किए जाने के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (i-a), (i-b) के अधीन अपीलार्थी द्वारा दाखिल वाद अवर न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

3. प्रारम्भ में ही, इसे उल्लिखित किया जाता है कि अभिलेख का अवलोकन करने पर, इस न्यायालय ने पाया था कि दोनों अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को विवाद के एक ही बार के समाधान के रूप में प्रत्यर्थी पत्नी को एकमुश्त राशि के भुगतान के बारे में अनुदेशों की इप्सा करने का निर्देश दिया गया था, जिस पर अनुदेशों की इप्सा करके विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया था कि अपीलार्थी सहमत नहीं था। अतएव, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को गुणावगुणों को सुना गया है।

4. अपीलार्थी के मामले के अनुसार, हिन्दू रिवाजों के अनुसार जून, 1991 के महीनों में अपीलार्थी का प्रत्यर्थी के साथ विवाह हुआ था। वे पति एवं पत्नी की तरह एक साथ रहे थे परन्तु उनके विवाह बन्धन से कोई सन्तान नहीं हुई थी। अपीलार्थी ने अभित्यजन तथा क्रूरता के आधार पर अवर न्यायालय ने ऐसा अभिकथित करते हुए वाद दाखिल किया था कि पक्षकार दिनांक 28.7.1997 से अलग रह रहे थे तथा उनके बीच कोई सहवास नहीं हुआ था।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी का मामला है कि विवाह के उपरान्त, 20,000/- रु० के दहेज के माँग के लिए उसके साथ क्रूरता एवं यातना बरती गई थी तथा जब माँग पूरी नहीं की गई थी, उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से यातना दी गई थी, तथा अंततः उसे ससुराल से बाहर कर दिया गया था। उसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-A तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं 3/4 के अधीन अपने पति के विरुद्ध एक दाण्डिक मामला जी० आर० केस सं० 2027 वर्ष 1997 भी दाखिल किया था, तथापि इसमें अपीलार्थी को दोषमुक्त कर दिया गया था। प्रत्यर्थी ने दं० प्र० सं० की धारा 125 के अधीन एम० पी० केस सं० 140 वर्ष 2004 भी दाखिल किया था जिसमें उसे 800/- रु० प्रति माह की निर्वाहिका अधिनिर्णीत की गई थी, परन्तु पति ने मासिक भत्ते का भुगतान नहीं किया था तथा उसे निष्पादन केस सं० 25 वर्ष 2005 दाखिल करना पड़ा था।

6. अपीलाधीन निर्णय दर्शाता है कि निर्णय की तिथि तक उक्त निष्पादन मामला सक्षम न्यायालय में अभी भी लम्बित था, जो स्पष्टतः इंगित करता है कि निर्णय की तिथि तक, निर्वाहिका की राशि का पत्नी को भुगतान नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी ने लिखित कथन दाखिल करने के उपरान्त वाद का प्रतिवाद नहीं किया था तथा अवर न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा परीक्षित गवाहों की प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा प्रति परीक्षा भी नहीं की गई थी तथा प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा अपने मामले के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।

7. अपीलार्थी की ओर से परीक्षित तीन गवाहों ने प्रत्यर्थी द्वारा अधित्यजन किए जाने के मामले का समर्थन किया था। अवर न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने पर पाया था कि याची इस तथ्य को सिद्ध करने में विफल रहा था कि प्रत्यर्थी पत्नी ने याची–अपीलार्थी का अधित्याग कर दिया था तथा अपनी मनमर्जी से अलग रहना प्रारम्भ कर दिया था, विशेषकर इसकी दृष्टि में कि पति के विरुद्ध दांडिक मामला दाखिल किया गया था एवं प्रत्यर्थी पत्नी के पक्ष में निर्वाहिका मामले अनुज्ञात भी किया गया था। यद्यपि अवर न्यायालय ने पाया था कि प्रत्यर्थी साक्ष्य प्रस्तुत करके अपने मामलो का समर्थन करने में सक्षम नहीं रही थी, परन्तु यह पाते हुए कि याची भी यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा था कि यह प्रत्यर्थी थी जिसने उसे छोड़ दिया था, प्रतिवाद पर वाद खारिज कर दिया था।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय पूर्णतः अवैधानिक है, क्योंकि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य ने स्पष्टतः सिद्ध किया था कि प्रत्यर्थी ने अपनी मनमर्जी से अपने पति का अधित्याग कर दिया था तथा तद्नुसार, यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें वाद को डिक्री किया जाना चाहिए था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन

किया गया था कि यद्यपि वाद के लम्बित रहने के दौरान निर्वाहिका की राशि का भुगतान नहीं किया जा सका था, परन्तु तत्पश्चात प्रत्यर्थी पत्नी को निर्वाहिका की राशि का भुगतान किया गया था।

9. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह का विरोध किया है।

10. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनकर तथा अभिलेख का अवलोकन करने पर, हम पाते हैं कि स्वीकार्यत: निर्वाहिका मामले में, सक्षम न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी पत्नी को 800/- रु॰ की निर्वाहिका अनुज्ञात की गई थी। उक्त राशि का प्रत्यर्थी को भुगतान नहीं किया गया था तथा इसके लिए एक निष्पादन मामला दाखिल किया गया था एवं अवर न्यायालय द्वारा पारित निष्पादन मामला अभी भी लम्बित था। अन्य शब्दों में, वाद के लम्बित रहने के दौरान, प्रत्यर्थी पत्नी को किसी निर्वाहिका का भुगतान नहीं किया गया था तथा मामले की उस दृष्टि में, हमारी सुविचारित राय है कि प्रत्यर्थी पत्नी धन के अभाव के कारण प्रतिवाद करने की स्थिति में नहीं थी। अभिलेख दर्शाता है कि वह अपीलार्थी की ओर से परीक्षित गवाहों को प्रति परीक्षित भी नहीं कर सकी थी न ही वह अपनी ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर सकी थी।

11. मामले की इस दृष्टि में, हमारी सुविचारित राय है कि उस धन के अभाव के कारण जिसका अपीलार्थी द्वारा भुगतान किया जाना था, प्रत्यर्थी अवर न्यायालय में वाद का अनुसरण करने से वंचित रह गई थी। अवर न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार, हम पाते हैं कि अवर न्यायालय उचित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अपीलार्थी यह सिद्ध करने में विफल रहा था कि यह प्रत्यर्थी थी जिसने उसे छोड़ दिया था, तथा दाम्पत्य वाद खारिज कर दिया है। हम टी॰ एम॰ एस॰ सं॰ 297 वर्ष 2006 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 7.12.2009 के आक्षेपित निर्णय में ऐसी कोई अवैधानिकता नहीं पाते हैं जो इस अपील में हस्तक्षेप के योग्य है।

12. इस अपील में कोई गुण नहीं है तथा इसे तद्नुसार खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

प्रशान्त कुमार मुखर्जी

cuke

झारखण्ड राज्य एवं एक अन्य

Cr.M.P. No. 2657 of 2012. Decided on 26th August, 2016.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 420 एवं 406—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—संज्ञान लेने वाले आदेश सहित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने की छूट न्यायालय को नहीं है जब अवर न्यायालय ने संज्ञान लेने के लिए अभिलेख पर मौजूद पर्याप्त सामग्री पाया है–इस चरण पर, न्यायालय को अभिलेख पर उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य देखना होगा और न्यायालय का अभियुक्त के बचाव की सूक्ष्म बारीकियों के साथ सरोकार नहीं है–मात्र इसलिए कि अभिकथन संविदा के भंग से संबंधित हैं जिसके लिए सिविल उपचार उपलब्ध है, यह संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने का आधार नहीं हो सकता है–याचिका खारिज। (पैराएँ 7, 9 से 11)

निर्णयज विधि.–(2006)6 SCC 736; (2013) 10 SCC 581—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. M.P. Sinha, For the Petitioner; Mr. S.S. Sahay, For the State; Mrs. Jasvindar Mazumdar, For the O.P. No.2.

न्यायालय द्वारा.–दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में ''संहिता'') की धारा 482 के अधीन इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का अवलंब लेते हुए याची ने दिनांक 4.7.2011 के संज्ञान लेने वाले आदेश के अभिखंडन के लिए और भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 420 एवं 406 के अधीन संस्थित सी॰ पी॰ केस सं॰ 241 वर्ष 2011 के संबंध में न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद के न्यायालय में लंबित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए भी प्रार्थना किया है।

2. परिवाद याचिका में किए गए अभिकथनों के अनावश्यक विवरणों से रहित प्रासंगिक तथ्य, जो इस याचिका में अंतर्ग्रस्त प्रश्न के समुचित न्याय निर्णयन के लिए आवश्यक हैं, यह है कि परिवादी, मेसर्स स्ट्रेस्ड उद्योग इंडिया (प्रा॰) लि॰, धनसर, धनबाद का लेखापाल, को कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा परिवाद मामला दाखिल करने के लिए प्राधिकृत किया गया था जिसके बाद परिवादी ने इस अभिकथन के साथ परिवाद दाखिल किया कि अभियुक्तगण परिवादी के कार्यालय में आए और झूठा एवं बेइमान कथन करके हीरापुर में 52 डिसमिल क्षेत्रफल वाले खाता सं॰ 104, मौजा सं॰ 7 की भूमि इस आधार पर खरीदने का प्रस्ताव दिया कि अभियुक्त प्रशान्त कुमार मुखर्जी ने किसी विद्यानन्द चौरसिया के साथ प्रश्नगत भूमि खरीदने के लिए किसी सुमित्रा देवी के साथ विक्रय करार किया किंतु चूँकि निधि की कमी थी, अत: वह भूमि खरीदने की अवस्था में नहीं था और उसने परिवादी को इसका प्रस्ताव दिया। प्रबंध निदेशक अपनी कंपनी के नाम में उक्त भूमि खरीदने के लिए सहमत हुआ और अग्रिम प्रतिफल धन के रूप में दिनांक 13.7.2007 के चेक द्वारा 1,00,000/- रुपयों का भुगतान किया। चेक पाने के बाद, अभियुक्त ने पुन: गलत एवं बेइमान कथन करके 54,000/- रुपया लिया और विक्रय विलेख निष्पादित करने का वादा किया किंतु अनेक अनुरोधों एवं रिमाइन्डरों के बावजूद अभियुक्त ने विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया जिसके बाद परिवादी ने अभिकथित करार के बारे में सुमित्रा देवी से पूछताछ किया जिसने उसको बताया कि वह अथवा उसके पति ने याची के साथ अथवा विद्यानन्द चौरसिया के साथ कोई करार कभी नहीं किया। अभियुक्त याची से पूछताछ पर, उसने परिवादी को 1,54,000/- रुपयों की संपूर्ण राशि लौटाने का आश्वासन लिखित में दिया किंतु जब वह उक्त राशि लौटाने में विफल रहा, यह परिवाद दाखिल किया गया था।

3. परिवादी का तथा फर्म के प्रबंध निदेशक का अ॰ सा॰ 1 के रूप में परीक्षण करने के बाद, न्यायालय ने सामग्री की पर्याप्तता तथा प्रथम दृष्टया मामला से संतुष्ट होने पर दिनांक 4.7.2011 के विस्तृत आदेश द्वारा अपराध का संज्ञान लिया और अभियुक्त याची के विरुद्ध आदेशिका जारी करने का निर्देश दिया।

4. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्हा ने संज्ञान लेने वाले आदेश तथा दांडिक कार्यवाही जारी रखने का विधि में दोषपूर्ण के रूप में विरोध करते हुए गंभीरता से प्रतिवाद किया कि परिवाद के परिशीलन मात्र से यह प्रतीत होगा कि कोई आपराधिकता नहीं है। बल्कि यह सिविल दोष है और धन की वसूली के लिए एकमात्र उपचार सिविल वाद दाखिल करना है और कि अभिकथित अपराध में याची की आपराधिकता दर्शाने के लिए भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 420 एवं 406 के अधीन अपराध गठित करने के लिए जिम्मेदार कोई भी अवयव अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। यह निवेदन भी किया गया था कि दांडिक कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और अवर न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किए बिना यंत्रवत् अपराध का संज्ञान लेनेवाला आक्षेपित आदेश पारित किया।

5. पूर्वोक्त निवेदनों के विपरीत, विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती मजुमदार ने संज्ञान लेने वाला आदेश का समर्थन किया और प्रतिवाद किया कि अभिकथित अपराध में

याची की आपराधिता दर्शाने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री है और इस चरण पर न्यायालय को अतिगामी जाँच नहीं करना है और यदि न्यायालय संतुष्ट है कि मजबूत प्रथम दृष्टया मामला है, वह इस मामले में अग्रसर होने के लिए पर्याप्त है।

6. विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों पर विचार करने के पहले **विनोद रघुवंशी बनाम विजय अरोड़ा एवं अन्य, (2013)10 SCC 581,** को निर्दिष्ट करना आवश्यक है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफों 30 एवं 31 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*"30. ;g lfuf'pr fofèkd çfriknuk g fd nkfMd dk;okgh d vfHk[kMu d ekey ij fopkj djr g, U;k;ky; dk ^^enk ink g, f'k'k dh gR;k** ugh dju pkfg, vkj lefpr dk;okgh dk xyk ugh ?kkVk tkuk pkfg, tc rd ,l dju d fy, ckè;dkjh ifjfLFkfr;k ugh gA vUo"k.k dk vkjHk e gh cn ugh dj nuk pkfg, ;fn vfHkdFkuk e dN lkj gA tc vfHk;ktu vkjfHkd pj.k ij vfHk[kfMr fd;k tkuk g] U;k;ky; }kjk ykx dh tku okyh ijh{kk ;g g fd D;k v[kfMr vfHkdFku] tSlk fd;k x;k g] çFke n"V;k vijkèk xfBr djr gA bl pj.k ij u rk U;k;ky; tkp 'k: dj ldrk g fd D;k ifjokn e fd, x, vfHkdFkuk dk lk{; }kjk LFkkfir fd, tku dh lHkkouk g vkj u gh U;k;ky; dk mle fd, x, vfHkdFkuk dh vfèklHkk0;rk] fo'oluh;rk vFkok okLrfodrk vkduk pkfg,A bld vfrfjDr] n0 ç0 l0 dh èkkjk 216 d çkoèkkuk dh nf"V e lk{; fn, tku d ckn nkf[ky fd, x, vkjki i= vFkok vkjfHkd pj.k ij fojfpr fd, x, vkjki dk ifjofrr@l'kkfèkr fd;k tk ldrk g vFkok ckn d pj.k ij vkjki tkMk tk ldrk gA vr%] mPp U;k;ky; vFkok bl U;k;ky; }kjk Hkh ikfjr vkn'k ml vkn'k d vè;èkhu g ftl ckn d pj.k ij fopkj.k U;k;ky; }kjk ikfjr fd;k tk,xkA*

*31. mDr dh nf"V e] ge vk{kfir ifjokn vFkok mle vk{kfir vkn'kk e gLr{ki dju dk dkb rdi.k dkj.k ugh n[kr gA vihy x.kkx.k jfgr g vkj rnulkj [kkfjt dh tkrh gA** (tkj fn;k x;k)*

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित निर्णयाधार के आलोक में, इस न्यायालय को संज्ञान लेने वाले आदेश सहित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने की छूट नहीं है जब अवर न्यायालय ने संज्ञान लेने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री पाया है। यह सुनिश्चित है कि न्यायिक प्रक्रिया को उत्पीड़न अथवा अनावश्यक परेशानी का यंत्र नहीं बनना चाहिए और न्यायालय को अधिकारिता का प्रयोग करने में चौकस एवं न्यायपूर्ण होना चाहिए किंतु इसी समय पर यह समान रूप से सत्य है कि दांडिक कार्यवाही अथवा संज्ञान लेने वाले आदेश को अभिखंडित करने के लिए मामले पर विचार करते हुए आरंभ में ही न्यायालय को 'मुर्दा पैदा हुआ शिशु की हत्या' नहीं करनी चाहिए। इस चरण पर न्यायालय को अभिलेख पर उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य देखना होगा और अभियुक्त के बचाव की सूक्ष्म बारीकियों के साथ न्यायालय का सरोकार नहीं है।

8. भारतीय तेल निगम बनाम एन॰ ई॰ पी॰ सी॰ इंडिया लि॰, (2006)6 SCC 736, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 12 में संहिता की धारा 482 के अधीन अधिकारिता के प्रयोग से संबंधित सिद्धांतों को संक्षिप्त किया है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

^^12..... (i) ifjokn vfHk[kfMr fd;k tk ldrk g tgk ifjokn e fd, x, vfHkdFkuk dk T;k dk R;k fy; tku vkj mudh li.krk e Lohdkj fd, tku ij Hkh] o dkb vijkèk çFke n"V;k xfBr ugh djr g vFkok vfHk;Dr d fo#) vfHkdfFkr ekeyk ugh cukr gA

bl ç;ktu l] vfHkdFkuk d x.kkx.k dk ijh{k.k fd, fcuk ifjokn dk li.k :i l ijh{k.k djuk gkxkA ifjokn vfHk[kfMr dju dh çkFkuk dk ijh{k.k fd, fcuk ifjokn e vfHkdFkuk dh foLrr tkp vFkok lkexh dk foLrkjiod fo'y"k.k ;k fo'oluh; rk vFkok okLrfodrk dk fuèkkj.k dju dh vko';drk ugh gA

(ii) ifjokn ogk Hkh vfHk[kfMr fd;k tk ldrk g tgk U;k;ky; dh çfØ;k dk Li"V n#i;kx gvk g tc nkfMd dk;okgh vlnHkko@}"k l çfr'kkèk yu vFkok gkfu dkfjr dju d fy, vkjHk fd;k x;k g vkj vfHkdFku vrfufgr :i l crd gA

(iii) fdr oèk vfHk;ktu dk xyk ?kkVu vFkok ble ljk[k dju d fy, vfHk[kMu dju dh 'kfDr dk mi;kx ugh fd;k tk,xkA 'kfDr dk ;nk&dnk ,o lrdrk l mi;kx fd;k tkuk pkfg,A

(iv) ifjokn dk vfHkdfFkr vijkèk d vo;ok dk 'kCnr% çLrr dju dh vko';drk ugh gA ;fn ifjokn e vko';d rkfF;d vkèkkj fn;k tkrk g] ek= bl vkèkkj ij fd dN vo;ok dk foLrkjiod dFku ugh fd;k x;k g] dk;okgh vfHk[kfMr ugh dh tkuh pkfg,A ifjokn d vfHk[kMu dh vko';drk doy rc gkrh g tgk ifjokn ey rF;k l Hkh foghu g tk vijkèk cuku d fy, fcYdy vko';d gA

*(v) rF;k dk fn;k x;k lox (a) 'k) r% flfoy nk"k(;k (b) 'k) r% nkfMd vijkèk(;k (c) flfoy nk"k rFkk nkfMd vijkèk fufer dj ldrk gA okf.kfT;d l0;ogkj vFkok lfonkRed fookn flfoy fofèk e mipkj bfllr dju d fy, okn grd çLrr dju d vfrfjDr nkfMd vijkèk Hkh vrxLr dj ldrk gA pfd flfoy dk;okgh dh çÑfr ,o foLrkj nkfMd dk;okgh l fHkUu g] rF; ek= fd ifjokn okf.kfT;d l0;ogkj vFkok lfonk Hkx l lcfèkr g ft ld fy, flfoy mipkj miyCèk g vFkok bldk ykHk fy;k x;k g] Lo; e nkfMd dk;okgh vfHk[kfMr dju dk vkèkkj ugh gk ldrk gA ijh{kk ;g fd D;k ifjokn e fd, x, vfHkdFku nkfMd vijkèk çdV djr g ;k ughA***

9. याची के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन के संबंध में, कि दिए गए तथ्यों के संवर्ग में, जैसा परिवाद याचिका में प्रकट किया गया है, यह स्पष्टत: सिविल दोष का मामला बनाता है, मेरे मत में, मात्र इसलिए कि अभिकथन संविदा के भंग से संबंधित हैं, जिसके लिए सिविल उपचार उपलब्ध है, यह संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने का आधार नहीं हो सकता है। यह तथ्य कि चेक द्वारा 1,00,000/- रुपयों की राशि और 54,000/- रुपयों की नगद राशि इस याची को दिया गया था, और उन्होंने विक्रय विलेख निष्पादित करने का आश्वासन दिया किंतु अनेक बार याद दिलाने पर भी उन्होंने विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया था। स्पष्टत:, धन अभियुक्तों को उनके झूठे कथन कि उन्होंने भूमि के स्वामी के साथ करार किया है, धन सौंपा गया था किंतु भूस्वामी से पूछताछ पर पता चला कि अभियुक्तों के साथ ऐसा करार कभी नहीं किया गया था। अत: आरंभ से ही परिवादी को प्रवंचित करने का आशय था।

10. मैंने परिवाद में किए गए अभिकथनों, संज्ञान लेने वाले आक्षेपित आदेश का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है और मैं संज्ञान लेने वाले आदेश जिसे अभिलेख पर उपलब्ध प्रथम दृष्टया सामग्री से संतुष्ट होकर पारित किया गया है में दुर्बलता अथवा अवैधता नहीं पाता हूँ।

11. अत: यह दांडिक विविध याचिका गुणागुण रहित होने के कारण एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

दिलीप खालखो

cuke

भारत संघ एवं अन्य

W.P. (S) No. 2090 of 2014. Decided on 17th November, 2016.

सेवा विधि–हटाया जाना–एकपक्षीय विभागीय कार्यवाही–याची नोटिसों से बचता रहा–याची सक्रिय रूप से अपने स्थानांतरण मामले को अग्रसर कर रहा था और उसने अपनी अनुपस्थिति न्यायोचित ठहराने के लिए चिकित्सीय नुस्खों का प्रबंध किया था–अभ्यावेदन साढ़े तीन वर्षों के अत्यधिक विलंब के बाद दाखिल किया गया था जिसे सही प्रकार से अस्वीकार किया गया था–रिट आवेदन खारिज। (पैराएँ 13 से 15)

अधिवक्तागण.–M/s. Abhay Kumar Mishra & M.K. Choubey, For the Petitioner; Mr. Rajiv Sinha, For the Resp. Union of India.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता एवं भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची रिट आवेदन के परिशिष्ट–3 में यथा अंतर्विष्ट ओ॰ ए॰ सं॰ 187 वर्ष 2011 (R) में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना न्यायपीठ (सर्किट कोर्ट, राँची) द्वारा पारित दिनांक 27 सितंबर, 2013 के आदेश से व्यथित है जिसके द्वारा दिनांक 29.1.2007 की संसूचना और दिनांक 21.11.2006 के आदेश जिसके द्वारा याची को एकपक्षीय विभागीय कार्यवाही में सेवा से हटाया गया था के अभिखंडन और दिनांक 19.4.2011 का आदेश जिसके द्वारा याची द्वारा दाखिल अभ्यावेदन अस्वीकार किया गया था के अभिखंडन के लिए भी और आगे प्रत्यर्थी सं॰ 3 को याची को नियमित सेवा में मानते हुए समस्त लाभों के साथ उसके पद पर पुनर्बहाल करने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में याची द्वारा दाखिल आवेदन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया।

3. इस आवेदन को उद्भूत करने वाले संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याची को सबसिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो (इसमें इसके बाद एस॰ आई॰ बी॰ के रूप में निर्दिष्ट), राँची में कनीय इंटेलिजेंस अधिकारी (जे॰ आई॰ ओ॰)–III/डब्ल्यू॰ टी॰ के रूप में पदस्थापित किया गया था। याची ने दिनांक 5.11.2003, 5.12.2003 को छुट्टी के लिए आवेदन दाखिल किया था और उसने अपनी छुट्टी बढ़ाने के लिए भी आवेदनों को दाखिल किया था। याची के लिए 268 दिनों की अनुपस्थिति नियमित की गयी थी और इसे "dies non" के रूप में माना गया था। समूचे भारत में आई॰ बी॰ अधिकारियों के स्थानांतरण/पदस्थापना के वार्षिक अभ्यास के अनुसरण में याची को मुख्यालय के दिनांक 24.3.2004 के आदेश के तहत एस॰ आई॰ बी॰ इटानगर के अधीन एस॰ आई॰ बी॰, डिब्रूगढ़ स्थानांतरित किया गया था। तत्पश्चात, याची ने अपने स्थानांतरण के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया और इसका रद्दकरण इप्सित किया, किंतु आई॰ बी॰ मुख्यालय द्वारा उसका अनुरोध अस्वीकार किया गया था और याची को ग्राह्य पदग्रहण समय का लाभ लेने के बाद ए॰ डी॰/ई॰, एस॰ आई॰ बी॰ इटानगर के पास कर्तव्य के लिए रिपोर्ट करने के अनुदेश के साथ दिनांक 31.8.2004 को अपने कर्त्तव्य से भारमुक्त होने का आदेश दिया गया था। याची ने पुन: स्थानांतरण आदेश के रद्दकरण के लिए आवेदन दिया किंतु इसे पुन: ठुकराया गया था। याची ने इटानगर में कर्त्तव्य के लिए रिपोर्ट नहीं किया और इसके बजाए उसने स्वयं अपनी बीमारी तथा अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर भी पदग्रहण समय बढ़ाने के लिए दिनांक 10.9.2004 को आवेदन दिया किंतु यथा आवश्यक चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। तत्पश्चात, दिनांक 13.1.2005 को याची को टेलीग्राम

जारी किया गया था और उसको तुरन्त रिपोर्ट करने तथा समुचित चिकित्सीय प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। टेलीग्राम की डाक प्रति डिलीवरी किए बिना लौटा दी गयी थी। याची को उसके स्थायी पता पर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजी गयी आगे की संसूचनाओं/नोटिसों को भी डाक प्राधिकारियों द्वारा डिलीवर किए बिना लौटा दिया गया था।

4. तथ्य बना रहता है कि याची ने अपना कर्तव्य ग्रहण नहीं किया था। याची के अता-पता के बारे में निगरानी टीम द्वारा जाँच की गयी थी और जाँच रिपोर्ट ने दर्शाया कि याची, उसकी पत्नी एवं अवयस्क संतान का स्वास्थ्य अच्छा था और वे स्वतंत्रतापूर्वक आ-जा रहे थे और याची सक्रिय रूप से अपने स्थानांतरण मामले को अग्रसर कर रहा था और कि उसने अपनी अनुपस्थिति न्यायोचित ठहराने के लिए चिकित्सीय नुस्खों का भी प्रकटत: प्रबंध किया था।

5. अंतत: आई॰ बी॰ मुख्यालय के निर्देश पर याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी थी और दिनांक 9.9.2005 का आरोप ज्ञापन रजिस्टर्ड डाक द्वारा याची को उसके स्थायी पता पर भेजा गया था जिसे पुन: तामील हुए बिना डाक प्राधिकारियों द्वारा लौटा दिया गया था। जाँच अधिकारी और प्रस्तुती अधिकारी नियुक्त करने वाला आदेश भी याची के स्थायी पता पर भेजा गया था, जिसे भी डिलीवर किए बिना लौटा दिया गया था। तत्पश्चात दिनांक 13.4.2006 के पत्र के तहत आरंभिक सुनवाई के लिए उपस्थित होने का समन भेजा गया था, किंतु उसको भेजी गयी यह संसूचना भी डिलीवर हुए बिना लौटा दी गयी थी। याची को आगे भी अवसर दिया गया था, किंतु उस संबंध में संसूचना भी डाक प्राधिकारियों द्वारा डिलीवरी हुए बिना लौटा दिया गया था।

6. तद्नुसार, एकपक्षीय विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी थी और दिनांक 20.9.2006 को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। याची को आरोपों का दोषी अभिनिर्धारित करते हुए जाँच रिपोर्ट की प्रति दिनांक 12.10.2006 के मेमो के अधीन रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से उसके स्थायी पता पर याची को अग्रसारित की गयी थी किंतु इसका भी वही हश्र हुआ अर्थात् डिलीवर हुए बिना लौटा दिया गया। तत्पश्चात, जाँच रिपोर्ट तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने पर सक्षम प्राधिकारी ने याची को अप्राधिकृत अनुपस्थिति तथा आदेश की अवज्ञा का दोषी अभिनिर्धारित करते हुए दिनांक 12.11.2006 के आदेश के तहत सेवा से हटाए जाने का दंड अधिरोपित किया और आदेश रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से उसके स्थायी पता पर भेजा गया था जिसे भी डिलीवरी के बिना लौटा दिया गया।

7. किंतु, याची ने दिनांक 12.12.2006 को अभ्यावेदन दिया जिसमें उसने कथन किया कि उसे एस॰ आई॰ बी॰, राँची वापस स्थानांतरित किया जाना चाहिए अथवा सेवा से उसका त्यागपत्र स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि वह अपनी पत्नी की दीर्घकालिक बीमारी के आधार पर इटानगर में पदग्रहण करने की दशा में नहीं है। चूँकि याची को पहले ही सेवा से हटा दिया गया था, उसके अभ्यावेदन पर विचार करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता था और इसे इसके साथ दंड आदेश की प्रति भेजते हुए दिनांक 29.1.2007 को याची को संसूचित किया गया था और यह संसूचना पुन: याची के स्थायी पता पर भेजी गयी थी जिसे याची ने डाक प्राधिकारियों से प्राप्त अभिस्वीकृति कार्ड के मुताबिक दिनांक 12.2.2007 को प्राप्त किया।

8. दंड का यह आदेश 45 दिनों की सांविधिक अवधि के भीतर अपील किए जाने योग्य था किंतु याची साढ़े तीन वर्ष से अधिक तक चुप रहा और दिनांक 4.10.2010 को उसने सेवा में अपनी पुनर्बहाली का अनुरोध करते हुए निदेशक, इंटेलिजेंस ब्यूरो (पुनरीक्षण प्राधिकारी) को अभ्यावेदन दिया। किंतु, उक्त अभ्यावेदन में साढ़े तीन वर्षों से अधिक के विलंब को माफ करने के लिए आधार नहीं दिया गया था किंतु

पुनरीक्षण प्राधिकारी ने याची का उक्त अभ्यावेदन ग्रहण किया और दिनांक 19.4.2011 के आदेश द्वारा याची का अभ्यावेदन अस्वीकार कर दिया।

9. इस आदेश से व्यथित होकर, याची ओ॰ ए॰ सं॰ 187 वर्ष 2011 (R) में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना न्यायपीठ (सर्किट कोर्ट, राँची) के पास गया था जिसे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णीत किया गया था और दिनांक 27.9.2013 के आदेश द्वारा याची द्वारा दाखिल आवेदन खारिज किया गया था।

10. उक्त आदेश में, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण मामले के पूर्वोक्त तथ्यों पर विचार करके इस निष्कर्ष पर आया कि याची अड़ियल कर्मचारी के रूप में सामने आया जिसने पदस्थापना के नए स्थान पर पद ग्रहण करने से बचने के लिए अनेक युक्तियों का सहारा लिया जो उसके लिए असुविधाजनक था और उसकी पसन्द का नहीं था। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने यह भी पाया कि याची जानबूझकर (उसको भेजे गए नोटिसों एवं संसूचनाओं से बच रहा था और याची के इन समस्त कृत्यों ने उसे पद के लिए अनुपयुक्त बनाया जिसे वह इंटेलिजेंस ब्यूरो एवं इसके एस॰ आई॰ बी॰ में धारण किये था जो आंतरिक सुरक्षा के निर्णायक एवं संवेदनशील विवाद्यकों पर विचार करने वाला प्रीमियर संगठन है। अधिकरण स्पष्ट निष्कर्ष पर आया कि केवल याची परिणामों के लिए जिम्मेदार था जो उसके स्वयं अपने लोपों एवं कारिता के कृत्यों के कारण उसके लिए हुए और तद्नुसार, याची द्वारा दाखिल आवेदन अस्वीकार कर दिया।

11. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची को सेवा से हटाया जाना और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पूर्णत: अवैध और मनमाना तथा भारत के संविधान के अनुच्छेदों 14 एवं 16 का उल्लंघनकारी है। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि अभिलेख स्पष्टत: दर्शाते हैं कि याची को भेजी गयी किसी भी संसूचना/नोटिस का उस पर तामील कभी नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें तामील किए बिना लौटा दिया गया था और तद्नुसार, याची के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही आरंभ करने के पहले मामले में नोटिस का प्रतिस्थापित तामील किया जाना चाहिए था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि चूँकि यह एकपक्षीय विभागीय कार्यवाही थी जिसमें याची को दोषी पाया गया था और सेवा से हटाने का दंड अधिरोपित किया गया था, यह विभागीय कार्यवाही से संबंधित विद्यमान नियमों तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघनकारी हैं। अंत में विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पुनरीक्षण प्राधिकारी ने इस तथ्य के बावजूद कि इसे साढ़े तीन साल बीतने के बाद दाखिल किया गया था, याची के अभ्यावेदन पर विचार किया और तद्नुसार, यह पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा विलंब माफ किए जाने के तुल्य हुआ जिन्हें गुणागुण पर अभ्यावेदन पर विचार करना चाहिए था और अवैध रूप से पारित एक पक्षीय आदेश अपास्त किया जाना चाहिए था। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याची को सेवा से हटाने का आक्षेपित आदेश और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश भी पूर्णत: अवैध हैं और विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किए जा सकते हैं और अभिखंडित किए जाने योग्य हैं।

12. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन करते हुए प्रार्थना का विरोध किया है कि प्रत्यर्थियों द्वारा समस्त चरणों पर याची को विभागीय कार्यवाही के बारे में संसूचित करने के लिए समस्त कदम उठाए गए थे। याची जानबूझकर इन नोटिसों एवं संसूचनाओं से बचता रहा। इस संबंध में, भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इंगित किया गया है कि आरोप ज्ञापन जिसे रिट आवेदन में

अभिलेख पर लाया गया है से पता चलता है कि स्वयं याची ने विभाग को अवकाश पता दिया था और समस्त संसूचनाएँ उसी पता पर भेजी गयी थी किंतु इन सबों को डिलीवर हुए बिना लौटा दिया गया था। किंतु, याची द्वारा दिनांक 12.2.2007 को इसी पता पर दंड आदेश प्राप्त किया गया था, किंतु तत्पश्चात 45 दिनों की सांविधिक अवधि के भीतर याची द्वारा अपील दाखिल नहीं किया गया था और याची साढ़े तीन वर्षों तक मौन रहा। तत्पश्चात उसने अभ्यावेदन दिया, जिस पर भी पुनरीक्षण करने वाले प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया था, जिन्होंने याची के लोपों एवं कृत्यों के समस्त तथ्यों का विवरण देते हुए याची का अभ्यावेदन अस्वीकार करते हुए साढ़े तीन वर्ष का विलंब कभी नहीं माफ किया था। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आक्षेपित आदेश में अवैधता नहीं है और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा दिए गए निष्कर्ष में दुर्बलता नहीं है कि याची इंटेलिजेंस ब्यूरो/सबसिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो में संवेदनशील पद पर बने रहने योग्य नहीं है।

13. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर और अभिलेख का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि समस्त संसूचनाएँ/नोटिसें याची को उसके अवकाश पता पर भेजी गयी थी, जैसा स्वयं याची द्वारा दिया गया था किंतु वे तामील हुए बिना लौट गयी थीं। यदि याची को स्वयं अवकाश पता दिया था और विभागीय कार्यवाही के बारे में संसूचनाएँ/नोटिसें उस पता पर भेजी गयी थी, यह देखना याची की जिम्मेदारी थी कि उस पता पर भेजी गयी संसूचनाएँ सम्यक रूप से अभिस्वीकृत की जाती हैं। ऐसा नहीं करने पर याची यह अभिवचन नहीं कर सकता है कि विभागीय कार्यवाही अवैध रूप से एकपक्षीय रूप से आरंभ की गयी थी। इसके अतिरिक्त, निगरानी टीम ने सम्यक जाँच के बाद पाया था कि याची, उसकी पत्नी एवं अवयस्क संतान का स्वास्थ्य अच्छा था और वे स्वतंत्रतापूर्वक चल फिर रहे थे और याची सक्रिय रूप से अपने स्थानांतरण मामले को अग्रसर कर रहा था और उसने प्रकटतः अपनी अनुपस्थिति न्यायोचित ठहराने के लिए चिकित्सीय नुस्खों का प्रबंध भी किया था। तथ्य बना रहता है कि याची ने यद्यपि विलंब से किंतु दिनांक 12.2.2007 को उसी पता पर दंड आदेश प्राप्त किया, किंतु वह मामले पर साढ़े तीन वर्षों से अधिक तक मौन रहा और सांविधिक अपील दाखिल नहीं किया। किंतु उसने साढ़े तीन वर्षों के अत्यधिक विलंब के बाद अभ्यावेदन दाखिल किया जिसे सही प्रकार से पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया था।

14. पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों की दृष्टि में, हम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना न्यायपीठ (सर्किट कोर्ट, राँची) द्वारा ओ॰ ए॰ सं॰ 187 वर्ष 2011 (R) में पारित दिनांक 27 सितंबर, 2013 के आक्षेपित आदेश में कोई दुर्बलता और/अथवा अवैधता नहीं पाते हैं।

15. इस रिट आवेदन में गुणागुण नहीं है और तद्नुसार, इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o Jh pn'k[kj] U;k;efr

झारखंड राज्य (41 में)

ज्योति कुमारी (835 में)

cuke

विजय ओराँव (41 में)

झारखंड राज्य एवं एक अन्य (835 में)

Acquittal Appeal Nos. 41 of 2003 with Cr. Rev. No. 835 of 2003. Decided on 11th August, 2016.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 376—बलात्कार–दोषमुक्ति अपील–पीड़िता का न्यायालय में बयान तुरन्त प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के लिए लिखित रिपोर्ट में उसके स्पष्टीकरण का खंडन करता है–पीड़िता के परिवार एवं अभियुक्त के भाई के बीच पूर्व दुश्मनी स्थापित की गयी है–पीड़िता के शरीर पर आंतरिक एवं बाह्य उपहतियों की अनुपस्थिति घटना के तरीके के प्रति गंभीर संदेह सृजित करती है जैसा सूचक द्वारा प्रकट किया गया है–अभियोजन अभियुक्त की पहचान स्थापित करने में विफल रहा है जिसने अभिकथित रूप से भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 376 के अधीन अपराध किया–अपील एवं पुनरीक्षण खारिज। (पैराएँ 9 से 12)

अधिवक्तागण.–Mr. Pankaj Kumar, For the State; Mr. A.K. Chaturvedi, For the Informant; M/s Ajay Kr. Singh, Suraj Deo Munda, For the Respondent.

विरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–एस॰ टी॰ सं॰ 268 वर्ष 2002 में दोषमुक्ति के निर्णय, जिसके द्वारा एकमात्र अभियुक्त विजय ओराँव को उसके विरुद्ध विरचित दांडिक आरोपों से दोषमुक्त किया गया है, को राज्य एवं सूचक पीड़िता दोनों द्वारा चुनौती दिया गया है; दोषमुक्ति अपील सं॰ 41 वर्ष 2003 राज्य द्वारा दाखिल किया गया है और दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 835 वर्ष 2003 सूचक पीड़िता द्वारा दाखिल किया गया है।

2. सूचक की लिखित रिपोर्ट, जिसके आधार पर घाघरा पी॰ एस॰ केस सं॰ 72 वर्ष 2002 प्रत्यर्थी अभियुक्त के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 376 के अधीन दर्ज किया गया था, प्रकट करती है कि दिनांक 3.10.2002 को प्रातः लगभग 8 बजे जब वह दुलारी कुमारी एवं संजू कुमारी के साथ लकड़ी का गट्ठर लाने थटिया पहाड़ गयी थी, ग्राम पोरहा का एक विजय ओराँव नामक लड़का जो वन में पशु चरा रहा था वहाँ आया और जबरन उसे झाड़ियों में ले गया। उसने उसको लिटा दिया और उसका बलात्कार किया। जब वह चिल्लायी, उसके दोनों मित्र वहाँ आए जिस पर अभियुक्त ने उनको धमकाया और वहाँ से भाग गया। जब उसने अपनी माता एवं अन्य गाँव वालों को सूचित किया, उन्होंने उसे मामला नहीं दर्ज करने के लिए कहा और गाँव में पंचायती की गयी थी जिसमें विजय ओराँव के बड़े भाई को बुलाया गया था किंतु उसने पंचायत का सुझाव स्वीकार नहीं किया था। सूचक ने दावा किया कि तत्पश्चात गाँववालों ने उसे पुलिस के पास मामला दर्ज करने का अनुदेश दिया। दिनांक 10.10.2002 की उसकी लिखित रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 10.10.2002 को विजय ओराँव के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 376 के अधीन अपराध के लिए घाघरा पी॰ एस॰ केस सं॰ 72 वर्ष 2002 दर्ज किया गया था।

3. अन्वेषण के बाद, सूचक द्वारा दर्ज मामला सत्य पाया गया था और तद्नुसार, पूर्वोक्त अपराध के लिए अभियुक्त के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। विचारण के दौरान, अभियोजन ने 11 गवाहों का परीक्षण किया और लिखित रिपोर्ट, औपचारिक प्राथमिकी, उपहति रिपोर्ट आदि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत एवं सिद्ध किया गया था। अभियुक्त ने भी दिनांक 9.10.2002 की घाघरा पी॰ एस॰ केस सं॰ 70 वर्ष 2002 की प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति और घाघरा पी॰ एस॰ केस सं॰ 70 वर्ष 2002 में दिनांक 24.10.2002 के जमानत आदेश की प्रमाणित प्रति सिद्ध किया। संपूर्ण अभियोजन साक्ष्य के अधिमूल्यन पर, विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष दर्ज किया कि अभियोजन पीड़िता के साथ बलात्कार का अपराध सिद्ध करने में विफल रहा है। अभियुक्त की पहचान के बिंदु पर विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह अत्यन्त संदेहपूर्ण था।

4. सुना गया।

5. श्री पंकज कुमार, ए॰ पी॰ पी॰, दोषमुक्ति के निर्णय का विरोध करते हुए प्रतिवाद करते हैं कि पीड़िता के साक्ष्य में लघु अंतर उसको अविश्वसनीय गवाह नहीं बनाता है। पीड़िता लड़की के शरीर पर आंतरिक एवं बाह्य उपहति की अनुपस्थिति पीड़िता लड़की के चिकित्सीय परीक्षण में विलंब के कारण स्पष्ट की गयी है और यदि, घटना स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति स्थापित की गयी है, पीड़िता लड़की का साक्ष्य न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना होगा।

6. सूचक के विद्वान अधिवक्ता श्री ए॰ के॰ चतुर्वेदी दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 835 वर्ष 2003 में उपस्थित होते हुए समरुप आधारों पर एस॰ टी॰ सं॰ 268 वर्ष 2002 में आक्षेपित निर्णय का विरोध करते हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रतिवाद किया है कि पीड़िता 15-16 वर्षीया होने के चलते प्रतिकूल परिणामों से आशंकित एवं भयभीत थी और उसने गाँववालों की सलाह का अनुसरण किया और पुलिस के पास तुरन्त परिवाद दर्ज नहीं किया। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब अभियोजन द्वारा समुचित रूप से स्पष्ट किया गया है।

7. प्रत्यर्थी अभियुक्त के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह विचारण न्यायालय में लिए गए दृष्टिकोण को दोहराते हुए निवेदन करते हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण लेने का बाध्यकारी कारण नहीं है। एस॰ टी॰ सं॰ 268 वर्ष 2002 में दिनांक 10.7.2003 के आक्षेपित निर्णय एवं आदेश का समर्थन करते हुए विद्वान अधिवक्ता दोषमुक्ति अपील तथा दांडिक पुनरीक्षण याचिका की खारिजी के लिए प्रार्थना करते हैं।

8. पहले विचार करें कि क्या अभियोजन ने अभियुक्त का पहचान स्थापित किया है जिसने अभिकथित रूप से पीड़िता लड़की के साथ बलात्कार किया। घटना की अभिकथित तिथि दिनांक 3.10.2002 प्रातः लगभग 8 बजे है और प्राथमिकी दिनांक 10.10.2002 को दर्ज की गयी थी। घटना जैसा सूचक द्वारा अपने लिखित रिपोर्ट में बतायी गयी है प्रकट करती है कि ग्राम पोरहा के एक लड़के ने उसको झाड़ी में खींचा और उसके साथ बलात्कार किया। उसने दावा किया है कि उसके अन्य मित्र अर्थात् दुलारी कुमारी और संजू कुमारी भी वहाँ आयी और अभियुक्त उनको धमकी देने के बाद भाग गया। सूचक ने प्राथमिकी में अभियुक्त को नामित किया है। किंतु, पीड़िता ने स्वीकार किया है कि वह अभियुक्त को अथवा ग्राम पोरहा के किसी अन्य व्यक्ति को पहले से नहीं जानती थी। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने इसे यह प्राख्यान करके स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि अभियुक्त की पहचान स्थापित किये जाने के बाद पंचायती की गयी थी, तब पीड़िता को अभियुक्त का नाम पता चला और यही कारण है कि उसने प्राथमिकी में अभियुक्त को नामित किया है। किंतु, जब पीड़िता के साक्ष्य का परीक्षण दिनांक 10.10.2002 के उसके लिखित बयान के साथ किया जाता है, यह प्रकट नहीं करता है कि किस प्रकार उसको अभियुक्त के नाम की जानकारी हुई। इसके अतिरिक्त, पीड़िता यह स्पष्ट करने में विफल रही है कि किस प्रकार उसने जाना कि अभियुक्त जिसने उस पर यौन प्रहार किया था, ग्राम पोरहा का था और जब तक अभियोजन साक्ष्य से यह प्रकट नहीं किया जाता है, पंचायत जिसमें अभियुक्त प्रत्यर्थी के बड़े भाई को बुलाया गया था की कहानी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। पंचायती की कथा, जैसा विवरण उसके लिखित रिपोर्ट में दिया गया है, उसके मुख्य परीक्षण में स्पष्टतः अनुपस्थित है। पंचायत में भाग लेने वाले किसी व्यक्ति का परीक्षण अभियोजन द्वारा नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा प्रतिपादित एक अन्य कहानी कि पीड़िता द्वारा गाँववालों को घटना के बारे में सूचित करने के बाद गाँववालों ने अभियुक्त का तलाश किया भी सिद्ध नहीं किया गया है क्योंकि किसी ने उस व्यक्ति को नामित नहीं किया है जिसने प्रत्यर्थी अभियुक्त का नाम उस व्यक्ति के रूप में प्रकट किया जो पशु चराने वन गया था। अभिलेख पर यह भी आया है कि अनेक व्यक्ति पशु चराने वहाँ गए थे।

9. प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब अनदेखा किया जाना, पीड़िता के गुप्तांग पर आंतरिक उपहति की अनुपस्थिति, पीड़िता के शरीर पर बाह्य उपहति की अनुपस्थिति घटना जैसा सूचक द्वारा प्रकट किया गया है के तरीका के बारे में गंभीर संदेह सृजित करती है। सूचक अ॰ सा॰ 9 ने न्यायालय में कथन किया कि उसे अपनी पीठ, कमर एवं पैर पर उपहति आयी थी और घटना के क्रम में उसकी पीठ पर खरोंच आया और खून बह रहा था, किंतु, डॉक्टर अ॰ सा॰ 10 जिन्होंने उसका परीक्षण किया ने स्पष्टतः इनकार किया कि पीड़िता के शरीर पर कोई बाह्य उपहति थी। भले ही उपहतियाँ भर गयी थी, पीड़िता के शरीर

पर उपहतियों का निशान होना चाहिए था जिन्हें डॉक्टर द्वारा अनुपस्थित पाया गया था। आगे यह प्रतीत होता है कि अ॰ सा॰ 9 ने न्यायालय में अभिसाक्ष्य दिया कि वह अभियुक्त की पहचान करने कारागार गयी थी तथा उस आधार पर उसने उसे न्यायालय में पहचाना था। उसने आगे स्वीकार किया कि वह दिनांक 3.10.2002 और दिनांक 10.10.2002 के बीच बीमार थी और उस कारण उसने पुलिस के समक्ष परिवाद नहीं किया था। न्यायालय में पीड़िता का यह बयान प्राथमिकी तुरन्त दर्ज नहीं करने के लिए दिनांक 10.10.2002 के लिखित रिपोर्ट में उसके स्पष्टीकरण का पूर्णतः खंडन करता है।

10. हम आगे पाते हैं कि पीड़िता के परिवार और अभियुक्त के परिवार के बीच पूर्व दुश्मनी स्थापित की गयी है। साक्ष्य में यह आया है कि प्रत्यर्थी अभियुक्त के भाई ने वर्तमान मामले में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के ठीक एक दिन पहले दांडिक मामला दर्ज किया था। विचारण न्यायालय ने यह भी संप्रेक्षित किया है कि दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी के कारण अभियुक्त को झूठा आलिप्त किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। संपूर्ण अभियोजन साक्ष्य विशेषतः पीड़िता अ॰ सा॰ 9 के साक्ष्य का पुनर्अधिमूल्यन करने के बाद हम विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के साथ सहमत हैं कि अ॰ सा॰ 9 विश्वसनीय गवाह नहीं है। उसका साक्ष्य गंभीर असंगति एवं विरोधाभासों से पीड़ित है। अभियोजन अभियुक्त की पहचान स्थापित करने में विफल रहा है जिसने अभिकथित रूप से भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 376 के अधीन अपराध किया था।

11. संपूर्ण साक्ष्य का पुनः छानबीन करने पर, हम भिन्न दृष्टिकोण लेने का और विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का इसके सही परिप्रेक्ष्य में अधिमूल्यन पर पारित दोषमुक्ति का निर्णय अस्त-व्यस्त करने का कोई बाध्यकारी कारण नहीं पाते हैं।

12. परिणामस्वरुप, दोषमुक्ति अपील सं॰ 41 वर्ष 2003 विफल होती है और खारिज की जाती है। परिणामस्वरुप, दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 835 वर्ष 2003 भी खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

अरविन्द कुमार उपाध्याय

cuke

अंजु देवी उर्फ अंजु कुमारी

F.A. No. 200 of 2013. Decided on 19th October, 2016.

विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, हजारीबाग श्री अवधेश मल्ल द्वारा वैवाहिक अभिधान सं॰ 127 वर्ष 2006 में पारित दिनांक 3.10.2013 के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955—धारा 13—तलाक–पत्नी का मानसिक रोग–डॉक्टर ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि मरीज किसी मानसिक रोग से पीड़ित नहीं था–प्रत्यर्थी ने प्रति परीक्षण में उससे पूछे गए प्रश्न का अत्यन्त तर्कपूर्ण उत्तर दिया है–अवर न्यायालय द्वारा सही प्रकार से तलाक के लिए वाद खारिज। (पैराएँ 13 से 15)

अधिवक्तागण.–Mr. S.P. Sinha, For the Appellant; Mr. Purnendu Sharan, For the Respondent.

न्यायालय द्वारा.–अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची–अपीलार्थी विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, हजारीबाग द्वारा वैवाहिक वाद सं॰ 127 वर्ष 2006 में पारित दिनांक 3.10.2013 के निर्णय एवं डिक्री से व्यथित है जिसके द्वारा याची–अपीलार्थी द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अधीन प्रत्यर्थी–पत्नी के मानसिक रोग के आधार पर तलाक की डिक्री के लिए अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के बीच विवाह के विघटन के लिए दाखिल याचिका विद्वान अवर न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी है।

3. संक्षेप में याची–अपीलार्थी का मामला यह है कि एकमात्र प्रत्यर्थी उसकी विधिवत् ब्याहता पत्नी है और दिनांक 17.6.2005 को हिंदू रीति–रिवाज के अनुसार उनके बीच विवाह हजारीबाग में संपन्न किया गया था। विवाहोपरांत, अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी पति–पत्नी के रूप में साथ रह रहे थे, किंतु विवाह की पहली रात को ही याची ने पाया कि वह गले की समस्या से पीड़ित थी और खुलकर बोल नहीं सकती थी क्योंकि वह हकलाती थी और वह मानसिक रोग से ग्रस्त थी और मानसिक रूप से मंदबुद्धि की थी। अपीलार्थी ने पत्नी के भाई से शिकायत किया किंतु उसे गंभीर परिणामों की धमकी दी गयी थी। यह भी अपीलार्थी का मामला है कि उसने डॉक्टर से अपनी पत्नी का इलाज करवाया जिन्होंने उसके इलाज के लिए सी॰ आई॰ पी॰, काँके, राँची निर्दिष्ट किया और यह पाया गया था कि वह मानसिक रोग से ग्रस्त थी क्योंकि वह मानसिक रूप से मंदबुद्धि की थी और उसके द्वारा हिंसक कार्यों का अनेक अवसर था जो अपीलार्थी के लिए खतरनाक हो सकता था। इस प्रकार, प्रत्यर्थी पत्नी के मानसिक रोग के आधार पर और विवाह संपन्न करने के समय पर कपट के आधार पर भी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अधीन तलाक के लिए याचिका अवर न्यायालय में दाखिल की गयी थी।

4. नोटिस पर एकमात्र प्रत्यर्थी उपस्थित हुई और वाद का प्रतिवाद किया। एकमात्र प्रत्यर्थी का मामला यह है कि वह किसी मानसिक रोग अथवा गले की समस्या से पीड़ित कभी नहीं थी और वह बिल्कुल सामान्य महिला है और विवाहोपरांत वह दांपत्य जीवन व्यतीत करते हुए अपने पति के साथ रह रही थी, किंतु उसे उसके पति एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा यातना तथा क्रूरता के अध्यधीन किया जाता था।

5. अवर न्यायालय ने पक्षों के प्रकथनों के आधार पर विवाद्यक विरचित किया जिसमें से विवाद्यक सं॰ IV मुख्य विवाद्यक है जिसका पठन है: क्या प्रत्यर्थी लगातार अथवा रुक–रुक कर ऐसे प्रकार के मानसिक रोग से इस सीमा तक पीड़ित है कि याची से प्रत्यर्थी के साथ रहने की युक्तियुक्त उम्मीद नहीं की जा सकती है।''

6. दोनों पक्षों की ओर से मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य दिया गया था और अवर न्यायालय ने अपीलार्थी की ओर से स्वयं अपीलार्थी तथा डॉक्टर अर्थात् डॉ॰ एम॰ जलील जिनका परीक्षण अ॰ सा॰ 7 के रूप में किया गया था सहित आठ गवाहों का परीक्षण किया गया था। यह कथन करना अनावश्यक है कि अपीलार्थी की ओर से परीक्षण किए गए गवाहों ने कथन किया है कि प्रत्यर्थी पत्नी आरंभ से ही मानसिक रोग से पीड़ित थी और याची अपीलार्थी जिसने स्वयं का परीक्षण अ॰ सा॰ 6 के रूप में करवाया, यह कहने की सीमा तक गया कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से मंदबुद्धि की थी और उसका व्यवहार पागल जैसा था बल्कि वस्तुत: वह आधी पागल थी।

7. अवर न्यायालय अभिलेख दर्शाते हैं कि एकमात्र प्रत्यर्थी के अभिकथित मानसिक रोग से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य अ॰ सा॰ 7 डॉ॰ एम॰ जलील द्वारा प्रदर्श 1 एवं 1/1 के रूप में सिद्ध किया गया था और एकमात्र प्रत्यर्थी के मानसिक रोग से संबंधित अन्य नुस्खों को भी प्रदर्श 2, 2/1 के रूप में सिद्ध किया

गया था। अ॰ सा॰ 7 डॉ॰ एम॰ जलील जिन्होंने प्रत्यर्थी का परीक्षण किया का साक्ष्य दर्शाता है कि उन्होंने अपने प्रति परीक्षण में स्पष्टत: कथन किया है कि मरीज किसी मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है और हकलाना बीमारी नहीं है।

8. अवर न्यायालय में प्रत्यर्थी की ओर से परीक्षण किए गए गवाहों ने प्रत्यर्थी के मामले का समर्थन किया है। न्यायालय में प्रत्यर्थी का परीक्षण आर॰ डब्ल्यू॰ 5 के रूप में किया गया था और उसका दो तिथियों पर विस्तारपूर्ण प्रति परीक्षण किया गया था। अपने प्रति परीक्षण के दौरान उसने उससे पूछे गए प्रश्नों का तर्कपूर्ण उत्तर दिया है और यह दर्शाने के लिए कुछ नहीं है कि वह किसी मानसिक रोग से पीड़ित थी और वस्तुत: अवर न्यायालय ने भी उसके अभिसाक्ष्य में दर्ज किया है कि उसके प्रति परीक्षण के दौरान, न्यायालय ने पाया कि वह किसी मानसिक रोग से पीड़ित नहीं थी।

9. अवर न्यायालय ने पूर्वोक्त विवाद्यक सं॰ IV पर अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर विस्तारपूर्ण चर्चा किया है और अ॰ सा॰ 7 डॉ॰ एम॰ जलील का साक्ष्य विचार में लिया है जिसमें उन्होंने कथन किया है कि मरीज किसी मानसिक रोग से पीड़ित नहीं थी और आर॰ डब्ल्यू॰ 5 का साक्ष्य भी विचार में लेते हुए कथन किया है कि दो तिथियों अर्थात् 9.7.2012 एवं 10.7.2012 को प्रत्यर्थी का प्रति परीक्षण किया गया था और उसने पूछे गए प्रश्नों का समुचित उत्तर दिया। अवर न्यायालय ने यह भी कथन किया है कि प्रति परीक्षण के दौरान यह प्रतीत नहीं होता था कि वह मानसिक रोग से पीड़ित थी।

10. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर चर्चा करते हुए, अवर न्यायालय ने निष्कर्ष दिया है कि याची–अपीलार्थी यह सिद्ध करने में विफल रहा कि प्रत्यर्थी बेइलाज विक्षिप्त थी अथवा लगातार अथवा रूक–रूक कर इस प्रकार की और इस सीमा तक मानसिक रोग से पीड़ित थी कि याची से प्रत्यर्थी के साथ रहने की उम्मीद युक्तियुक्त रूप से नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, मुख्य विवाद्यक याची के विरुद्ध विनिश्चित किया गया था।

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री को चुनौती देने के लिए यह निवेदन करते हुए एकमात्र आधार लिया है कि अपीलार्थी अवर न्यायालय में यह सिद्ध करने में सक्षम हुआ था कि प्रत्यर्थी मानसिक रूप से मंदबुद्धि की थी जिस तथ्य को विवाह के समय पर अपीलार्थी से छुपाया गया था, और तद्नुसार, यह तलाक की डिक्री द्वारा पक्षों के बीच विवाह विघटित करने के लिए अच्छा आधार है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अवर न्यायालय याची–अपीलार्थी तथा याची अपीलार्थी के गवाहों, जिन्होंने याची अपीलार्थी के मामले कि प्रत्यर्थी मानसिक रूप से मंदबुद्धि गवाहों, जिन्होंने याची अपीलार्थी के मामले का पूर्णत: समर्थन किया है, के साक्ष्य पर विचार करने में विफल रहा है। यह निवेदन भी किया गया है कि इन गवाहों का विस्तारपूर्वक प्रति परीक्षण किया गया था किंतु उनके परिसाक्ष्य को झुठलाने के लिए उनके प्रति परीक्षण में कुछ भी निकाला नहीं जा सका था और तद्नुसार, यह तथ्य कि एकल प्रत्यर्थी मानसिक रूप से मंदबुद्धि की थी, अवर न्यायालय में सिद्ध किया गया था। यह निवेदन भी किया गया है कि प्रत्यर्थी का उक्त मानसिक रोग चिकित्सीय नुस्खों द्वारा भी सिद्ध किया गया है जिन्हें अवर न्यायालय में प्रदर्श 1 एवं 2 श्रृंखला के रूप में साक्ष्य के क्रम में सिद्ध किया गया है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभिलेख पर लाए गए अनधिक्षेपणीय साक्ष्य की दृष्टि में अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

12. दूसरी ओर, एकमात्र प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि याची अपीलार्थी द्वारा अवर न्यायालय में सी॰ आई॰ पी॰, काँके, राँची के डॉक्टरों का परीक्षण

नहीं किया गया है और केवल एक डॉ॰ एम॰ जलील का परीक्षण किया गया है, जिन्होंने भी अपने प्रति परीक्षण में स्वीकार किया है कि प्रत्यर्थी किसी मानसिक रोग से पीड़ित नहीं थी। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी इंगित किया है कि एकमात्र प्रत्यर्थी का विनिर्दिष्ट मामला यह है कि एकमात्र प्रत्यर्थी की चिकित्सीय रिपोर्ट कूटरचित एवं मनगढ़ंत दस्तावेज है और इस तथ्य की दृष्टि में कि प्रदर्श 2 श्रृंखला को अभिकथित रूप से जारी करने वाले डॉक्टर का परीक्षण अवर न्यायालय में नहीं किया गया है, इन दस्तावेजों पर विचार तक नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे इंगित किया है कि स्वयं प्रत्यर्थी को दो तिथियों पर विस्तापूर्वक प्रति परीक्षण के अध्यधीन किया गया था और उसने उससे पूछे गए प्रश्नों का अत्यन्त तर्कपूर्ण उत्तर दिया और इस प्रकार, अवर न्यायालय ने उसके अभिसाक्ष्य में लिखा है कि प्रति परीक्षण के दौरान यह प्रतीत नहीं होता था कि प्रत्यर्थी किसी मानसिक रोग से पीड़ित थी। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालय ने अत्यन्त सही रूप से विवाद्यक विनिश्चित किया है और विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में अवैधता नहीं है।

13. दोनों पक्षों को सुनने पर और अभिलेख का परिशीलन करने पर, हम पाते हैं कि अवर न्यायालय ने विस्तारपूर्वक विचारण के दौरान दिए गए समस्त साक्ष्य पर अ॰ सा॰ 7 डॉ॰ एम॰ जलील द्वारा दिए गए साक्ष्य सहित विचार किया है जहाँ उन्होंने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि मरीज किसी मानसिक रोग से पीड़ित नहीं थी और अवर न्यायालय ने भी एकमात्र प्रत्यर्थी के विस्तारपूर्ण प्रति परीक्षण को विचार में लिया है जहाँ उसने उससे पूछे गए प्रश्नों का अत्यन्त तर्कपूर्ण उत्तर दिया, और तद्नुसार इसने विरचित विवाद्यक सं॰ IV को याची अपीलार्थी के विरुद्ध एवं एकमात्र प्रत्यर्थी के पक्ष में विनिश्चित किया है।

14. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में, हम वैवाहिक वाद सं॰ 127 वर्ष 2006 में पारित दिनांक 3 अक्टूबर, 2013 के निर्णय एवं डिक्री द्वारा तलाक के लिए वाद खारिज करते हुए अवर न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष में अवैधता और/अथवा अनियमितता नहीं पाते हैं।

15. इस अपील में गुणागुण नहीं है और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

हामिद अंसारी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 334 of 2010. Decided on 9th November, 2016.

जन वितरण प्रणाली–पी॰ डी॰ एस॰ दुकान लाइसेंस का निलंबन–लाइसेंस के अस्थायी निलंबन के लिए अनुरोध का अस्वीकरण–याची दिल की बीमारी से पीड़ित था और अस्पताल में इलाज करवा रहा था–किंतु, कपट के आधार पर आधारित याची के अभिकथन के गुणागुण पर विचार करना समुचित नहीं होगा जिसे विधि के सक्षम न्यायालय के समक्ष पर्याप्त रूप से उठाया जा सकता है जहाँ तथ्य का विवाद्यक पक्षों के मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 6 से 9)

अधिवक्तागण.–Mr. Chandra Deo Singh, For the Petitioner; J.C. to G.P. I., For the State.

आदेश

पक्षों के अधिवक्ता सुने गए।

2. याची जो ग्राम खुखरा, पी॰ एस॰ बुरमु, पी॰ ओ॰ बरावडी, जिला राँची में उचित मूल्य दुकान चलाने वाला सं॰ 10/1988 वाला पी॰ डी॰ एस॰ लाइसेंसी था ने गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर और अनेक माह तक अपोलो अस्पताल, इरबा में इलाज करवाने के बाद प्रत्यर्थी सं॰ 2 सब-डिविजनल अधिकारी, सदर, राँची के समक्ष दिनांक 6 अगस्त, 2009 को परिशिष्ट-2 के मुताबिक अपने खराब स्वास्थ्य के कारण दो माह की अवधि के लिए उचित मूल्य दुकान की जिम्मेदारी से भारमुक्त किए जाने के लिए आवेदन दिया। परिशिष्ट-2 पर यह आवेदन उसकी दिल की बीमारी के लिए अपोलो अस्पताल, इरबा में किए जा रहे उसके इलाज को भी निर्दिष्ट करता है जिस कारण उसने कुछ माह के लिए उचित मूल्य दुकान चलाने की जिम्मेदारी से स्वयं को भारमुक्त करवाना चाहा। किंतु, उसके अनुसार, प्रत्यर्थियों ने प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा जारी दिनांक 20 अगस्त, 2009 के मेमो सं॰ 340 वाले आक्षेपित आदेश (परिशिष्ट-3)के तहत उसके द्वारा दिनांक 17 अगस्त, 2009 को प्रस्तुत बताए गए अभिकथित त्याग पत्र (प्रतिशपथ पत्र का परिशिष्ट-A) पर कार्रवाई किया है और उसको प्रश्नगत पी॰ डी॰ एस॰ दुकान से भारमुक्त कर दिया है जिसे सं॰ 76/1984 वाले एक अन्य लाइसेंसी चुन्नु लाल महतो द्वारा चलाए जा रहे पी॰ डी॰ एस॰ दुकान के साथ जोड़ दिया है। अत:, याची यह अभिकथित करते हुए कि प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा अभिकथित त्यागपत्र का स्वीकरण विधि की दृष्टि में अकृतता घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि यह कूटरचित दस्तावेज प्रतीत होता है, इस न्यायालय के पास आया है। प्रत्यर्थियों ने तात्पर्यित त्यागपत्र पर कृत्य करने के लिए अग्रसर होने के पहले मामला सत्यापित भी नहीं किया है। यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा संचालित सत्यापन के क्रम के दौरान याची से सादा पन्ना पर हस्ताक्षर करवाया गया था जिसे त्यागपत्र के रूप में संपरिवर्तित कर दिया गया है। याची ने अनाज नहीं खरीदा होता यदि वह अपने खराब स्वास्थ्य के कारण पी॰ डी॰ एस॰ दुकान चलाने में दिलचस्पी नहीं रखता था।

3. प्रत्यर्थी राज्य के अधिवक्ता ने प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया है और आक्षेपित आदेश का समर्थन किया है। वह परिशिष्ट-3 पर आक्षेपित आदेश में यथा-अंतर्विष्ट प्रत्यर्थियों का दृष्टिकोण दोहराते हैं। यह निवेदन किया गया है कि सब-डिविजनल अधिकारी, राँची ने प्रत्यर्थी सं॰ 3 प्रखंड आपूर्ति अधिकारी, बुर्मू की सम्यक अनुशंसा के बाद सही प्रकार से उसके बार-बार खराब स्वास्थ्य और अपोलो अस्पताल में अपने दिल की बीमारी के लिए किए जा रहे इलाज जो स्वयं पी॰ डी॰ एस॰ दुकान का चलाया जाना प्रभावित कर सकता था के कारण याची का त्यागपत्र स्वीकार किया है। उचित मूल्य दुकान एक अन्य पी॰ डी॰ एस॰ लाइसेंसी चुन्नु लाल महतो की दुकान के साथ जोड़ दिया गया है। त्यागपत्र में कूट रचना के अभिकथन से प्रतिशपथ पत्र के पैराग्राफ 4 पर स्पष्ट रूप से इनकार किया गया है।

4. याची ने अपने प्रत्युत्तर में प्रति शपथ पत्र में दिए गए बयान का प्रतिवाद किया है और 62 वर्ष की आयु दर्शाने वाले उसके नाम में मतदाता पहचान पत्र के आधार पर परिशिष्ट-A में 72 वर्ष के रूप में परिलक्षित आयु को भी चुनौती दिया है। उसने प्रश्नगत पी॰ डी॰ एस॰ दुकान चलाने के लिए अपने आशय एवं इच्छा जताते हुए दिनांक 5 मई, 2009 से दिनांक 9 जुलाई, 2009 के बीच 60,385/- रुपयों की राशि चेकों एवं चालानों के माध्यम से जमा करने के बाद बिहार राज्य खाद्य एवं सिविल आपूर्ति निगम से खाद्यान्नों को उठाने के बारे में दिया गया बयान भी दोहराया है।

5. मैंने पक्षों के निवेदनों और अभिलेख पर मौजूद प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार किया है।

6. यहाँ उपर गौर किए गए अभिलेख पर अभिवचनों की विषयवस्तु बताती है कि याची वस्तुत: दिल की बीमारी से पीड़ित था और समय की पर्याप्त अवधि तक अपोलो अस्पताल, इरबा में इलाज भी करवा रहा था जिसने उसको परिशिष्ट–2 पर अपने आवेदन के तहत कुछ माह की अवधि के लिए अपने लाइसेंस के निलंबन के लिए स्वयं अपने बयानों के मुताबिक अनुरोध करने के लिए प्रेरित किया।

7. तथ्यों की पूर्वोक्त निर्विवादित अवस्था में, कि क्या पी॰ डी॰ एस॰ लाइसेंस से उसको भार मुक्त करने के लिए प्रत्यर्थियों द्वारा विश्वास किया गया त्यागपत्र (परिशिष्ट–A) कूटरचित दस्तावेज है या नहीं, तथ्य का ऐसा विवादित प्रश्न है जिसे रिट अधिकारिता के अधीन वर्तमान कार्यवाही में न्यायनिर्णीत नहीं किया जा सकता है। याची के अधिवक्ता ने यह भी उपदर्शित किया है कि उसके अनुरोध के अनुसरण में प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा सत्यापन किया गया था।

8. पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में, कपट के आधार पर आधारित याची के अभिकथन के गुणागुण पर विचार करना समुचित नहीं होगा जिसे पर्याप्त रूप से विधि के सक्षम न्यायालय में उठाया जा सकता है जहाँ तथ्य के विवाद्यक का हल मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निकाला जा सकता है। अत:, यह न्यायालय विधि के अनुरुप किसी अन्य उपचार का लाभ लेना याची पर छोड़ते हुए रिट अधिकारिता में मामले में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है।

9. याची के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची को झारखंड व्यापारिक वस्तु (लाइसेंस एकीकरण), आदेश, 1984 की धारा 28 के अधीन यथा उपलब्ध अपील के उपचार का लाभ लेने की अनुमति दी जा सकती है। किंतु, अपील परिसीमा द्वारा वर्जित हो सकता है। अत:, अपीलीय प्राधिकारी को सहानुभूतिपूर्वक विलंब के प्रश्न पर विचार करने का निर्देश दिया जा सकता है।

10. अलग होते हुए, यह संप्रेक्षित किया जाता है कि यदि याची अपील दाखिल करना इप्सित करता है, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विलंब के प्रश्न पर विचार करने के लिए वर्तमान रिट याचिका को अग्रसर करने में लगे समय को विचार में लिया जा सकता है। तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

नीना कुशवाहा एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 5198 of 2014. Decided on 9th November, 2016.

सेवा विधि–वेतनमान–नियमित वेतनमान तथा वेतन बकाया के प्रदान के लिए दावा–याचियों ने प्रकथन नहीं किया है कि तीन-सदस्यीय कमिटी द्वारा उनकी नियुक्ति का संवीक्षण किया गया था और उन्हें वैध रूप से नियुक्त पाया गया था–याचीगण अपने दावा को सिद्ध करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 6 एवं 7)

निर्णयज विधि.–2000 (1) PLJR 287—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Subodh Kumar Pandey, For the Petitioner; Mr. Deepak Kumar Dubey, For the Resp.-State.

आदेश

रिट याचिका में प्रार्थना उस तिथि से जब उन्हें आरंभ में नियुक्त किया गया था से नियमित वेतनमान प्रदान करने के लिए और दिनांक 1.1.1982 से वेतन के बकाया का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थी राज्य को निर्देश देने के लिए है।

2. सुना गया।

3. तारकेश्वर प्रसाद साहू एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य, डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3122 वर्ष 2005, में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निर्दिष्ट करते हुए याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचीगण समरुप अनुतोष के हकदार हैं जिसे अन्य समस्थित व्यक्तियों को प्रदान किया गया है।

4. समानांतर स्तंभ में, विद्वान राज्य अधिवक्ता श्री दीपक कुमार दूबे प्रति शपथ पत्र में अनेक पैराग्राफों को निर्दिष्ट करते हुए निवेदन करते हैं कि याचीगण, जिन्हें दिनांक 1.1.1982 के बाद नियुक्त किया गया था, को उनकी आरंभिक नियुक्ति की तिथि के पहले की तिथि से वेतन का भुगतान नहीं किया जा सकता है। यह निवेदन किया गया है कि तत्कालीन बिहार राज्य द्वारा लिए गए निर्णय जिसके अधीन कट-ऑफ तिथि अर्थात् दिनांक 1.4.1986 नियत किया गया था के अनुसरण में झारखंड राज्य ने भी वही निर्णय अपनाया है और समस्त पात्र शिक्षकों, जो अपने वेतन अथवा वेतन के बकाया के भुगतान के हकदार हैं, को इसका भुगतान किया जा रहा है।

5. रिट याचिका का परिशीलन प्रकट करेगा कि याची सं॰ 1 को दिनांक 11.6.1984, याची सं॰ 2 को दिनांक 16.1.1985, याची सं॰ 3 को दिनांक 16.1.1982 तथा याची सं॰ 4 को दिनांक 2.5.1984 को नियुक्त किया गया था। यह गौर करना उपयुक्त है कि याची सं॰ 3 को लिपिक के रूप में और न कि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। और रिट याचिका में प्रार्थना विद्यालय के समस्त शिक्षक तथा गैर-शिक्षण स्टाफ को भुगतान के लिए निर्देश के लिए है। रिट याचिका में न तो अन्य कर्मचारियों का नाम और न ही उनका सेवा विवरण दिया गया है। यह विवादित नहीं है कि अनेक रिट याचिकाएँ दाखिल की गयी थी और अंततः **''प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय शिक्षक संघ एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य'',** 2000 (1) PLJR 287, में इस न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा विवाद्यक निष्कर्षित किया गया था। मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गया और बिहार राज्य का निर्णय अभिपुष्ट किया गया था, किंतु, उसमें कतिपय निर्देश जारी किए गए थे। प्रतिशपथ पत्र में प्रत्यर्थियों ने कथन किया है कि याची सं॰ 1 को नियमित शिक्षक नियुक्त किए जाने तक 10/- रुपया प्रतिमाह के मानदेय पर नियुक्त किया गया था। अन्य याचीगण को भी समरुप शर्तों पर नियुक्त किया गया था। दिनांक 19.7.1986 के पत्र में यथा अंतर्विष्ट बिहार राज्य द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुसरण में, शिक्षकों जिन्हें 1981-82 के दौरान परियोजना विद्यालयों में नियुक्त किया गया था को दिनांक 1.4.1986 के प्रभाव से नया वेतनमान प्रदान किया गया था। झारखंड राज्य ने भी दिनांक 1.4.1986 के प्रभाव से नये वेतनमान में वेतन के भुगतान के लिए दिनांक 29.12.2004 का पत्र जारी किया है। विद्वान राज्य अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि समस्त पात्र व्यक्तियों को दिनांक 1.4.1986 के प्रभाव से नए वेतनमान में उनके वेतन का भुगतान किया गया था यदि उन्हें 1986 के पहले नियुक्त किया गया था। याचीगण जिन्हें दिनांक 1.1.1982 के बाद नियुक्त किया गया था, उस तिथि से वेतन के बकाया का दावा नहीं कर सकते हैं।

6. वर्तमान रिट याचिका पूर्णतः ''तारकेश्वर प्रसाद साहू'' में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर आधारित है। उक्त आदेश से यह प्रकट है कि पश्चातवर्ती घटनाएँ जो घटित हुई, विशेषतः तीन-सदस्यीय कमिटी की नियुक्ति, जिसने परियोजना विद्यालयों में की गयी नियुक्ति का संवीक्षण किया, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को उक्त निर्णय में ध्यान में नहीं लिया गया है। इस प्रकार, याचीगण द्वारा तारकेश्वर प्रसाद साहू में निर्णय पर विश्वास कुस्थापित है। याचीगण ने प्रकथन नहीं किया है कि तीन

सदस्यीय कमिटी द्वारा उनकी नियुक्ति का संवीक्षण किया गया था और उन्हें वैध रूप से नियुक्त किया गया अभिनिर्धारित किया गया था। यह भी प्रतीत होता है कि दिनांक 20.9.2016 को याचीगण को तीन–सदस्यीय कमिटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी थी, किंतु याचीगण, यद्यपि उन्होंने राज्य द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र के प्रति प्रत्युत्तर शपथ पत्र दाखिल किया है, रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल होने के अतिरिक्त अपना दावा सिद्ध करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।

7. पूर्वोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, मैं मामले में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं हूँ। याचीगण को अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है जैसी प्रार्थना की गयी है। तद्नुसार, रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

कांति देवी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 7853 of 2013. Decided on 22nd November, 2016.

नगरपालिका विधि–नगरपरिषद् के अधीन दुकान का आवंटन–बकाया जमा करने में याची की विफलता पर आवंटन का रद्दकरण–याची आवंटन के रद्दकरण के 2 वर्ष 11 माह बाद न्यायालय के पास आया है–वह नगरपालिका द्वारा समय दिए जाने के बावजूद कार्रवाई करने में विफल रही–आवंटन के रद्दकरण के बाद, दुकान किसी अन्य योग्य व्यक्ति को आवंटित की गयी है–याची की ओर से रिट याचिका दाखिल करने में अस्पष्टीकृत विलंब एवं चूकें हैं जो तृतीय पक्ष के अधिकार के सृजन में परिणत हो सकता था–आक्षेपित आदेश अभिपुष्ट।

(पैराएँ 4 से 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Arvind Kumar Choudhary, For the Petitioner; M/s Rajesh Kumar, Amit Kumar & Maninder Kr. Sinha, For the Resp. No.4.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची को उसके पति स्व॰ बासुदेव झा की मृत्यु के बाद उसके नाम में आवंटित मधुपुर नगर परिषद् के अधीन डालमिया कूप में दुकान सं॰ 6 याची की ओर से दिनांक 24.12.2010 के परिशिष्ट–2 पर नोटिस के मुताबिक अनुबंधित समय के भीतर मई, 2004 से मार्च, 2010 और अप्रिल, 2010 से दिसंबर 2010 तक की अवधि के लिए 13726/- रुपयों का बकाया जमा करने में विफलता पर प्रत्यर्थी सं॰ 4, कार्यपालक अधिकारी, मधुपुर नगरपालिका द्वारा पत्र सं॰ 161/6-5 वाले दिनांक 24.1.2011 के आक्षेपित आदेश (परिशिष्ट–4) द्वारा रद्द किया गया था।

3. याची ने निरर्थक रूप से मामला बनाने का प्रयास किया है कि अनुबंधित 3 दिनों के समय के परे बकाया जमा करने का उसका प्रस्ताव प्रत्यर्थियों द्वारा ग्रहण नहीं किया गया था जो उसकी दुकान का आवंटन करके किसी अन्य व्यक्ति पर कृपा करना चाहते थे। किंतु वह तथ्य का विवादित प्रश्न है जब किसी प्राइवेट प्रत्यर्थी को मामले में पक्ष के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपने आवंटन के रद्दकरण के बाद वह लगभग 2 वर्ष 11 माह के बाद दिसंबर, 2013 में इस न्यायालय के पास आयी है।

4. प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने अपने प्रतिशपथ पत्र के माध्यम से याची के अभिवचन का प्रतिवाद किया है। यह कथन किया गया है कि याची ने समय की लंबी अवधि के लिए आवंटित दुकान सं॰ 6 के किराया का भुगतान करने का परवाह नहीं किया था जिसका परिणाम किराया के विशाल बकाया में हुआ। नगरपालिका ने उसको पुनः समय दिया और परिशिष्ट-2 नोटिस के मुताबिक किसी विलंब के बिना अपना बकाया जमा करने के लिए कहा जिस पर वह कार्रवाई करने में विफल रही। अतः दुकान का आवंटन रद्द किया गया था क्योंकि याची की कार्रवाई आवंटन के शर्तों के विरुद्ध थी। आगे यह कथन किया गया है कि आवंटन के रद्दकरण के बाद दुकान किसी अन्य योग्य व्यक्ति को आवंटित की गयी है।

5. जैसा यहाँ उपर उपदर्शित किया गया है, याची उस व्यक्ति को पक्षकार बनाने में विफल रही जिसके पक्ष में याची के आवंटन के रद्दकरण के बाद दुकान आवंटित किया गया है। रिट याचिका दाखिल करने में याची की ओर से अस्पष्टीकृत विलंब एवं ढिलाई हुई है जिसका परिणाम तृतीय पक्ष के अधिकार के सृजन में हो सकता है।

6. किंतु याची के विद्वान अधिवक्ता ने मौखिक रूप से निवेदन किया है कि दुकान किसी अन्य को आवंटित नहीं किया गया है। तत्पश्चात, किसी प्रत्युत्तर के माध्यम से दिनांक 25.6.2014 के प्रति शपथ पत्र में प्रकथनों के प्रति स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है।

7. ऐसी परिस्थितियों में, मामले के गुणागुण पर विचार करने पर, रद्दकरण का आदेश विधि एवं तथ्यों की दुर्बलता से पीड़ित प्रतीत नहीं होता है। किंतु, याची आवश्यक शर्तों तथा ऐसे विचार किए जाने के लिए प्रत्यर्थियों द्वारा अधिरोपित किसी अन्य शर्तों के अनुपालन के बाद प्रश्नगत दुकान के आवंटन के लिए अनुरोध कर सकती है यदि इसे किसी अन्य के पक्ष में आवंटित नहीं किया गया है।

8. तद्नुसार, मामले में हस्तक्षेप के बिना रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; çnhi dekj ekgUrh ,o vkuUn lu] U;k;efrx.k

गंडूर ओराँव

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No. 121 of 2005. Decided on 19th September, 2016.

एस॰ टी॰ सं॰ 314 वर्ष 2003 में अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ II, गुमला द्वारा पारित दिनांक 11.10.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 12.10.2004 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या–आजीवन कारावास–अ॰ सा॰ ने अपीलार्थी को मृतक के मस्तक के पिछले हिस्से पर प्रहार करते नहीं देखा था–कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने मृतक पर कुदाल से वार किया था–यह दर्शाने के लिए चिकित्सीय साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने उसकी हत्या करने के लिए मृतक पर प्रहार किया था–अपीलार्थी द्वारा केवल एक वार किया गया था–अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304 भाग II के अधीन दोषसिद्ध किया गया और दंडादेश पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक घटाया गया। (पैराएँ 26 से 33)

अधिवक्तागण.–Miss. Amrita Banerjee, For the Appellant; Mr. P.K. Appu, For the State.

न्यायालय द्वारा.–यह अपील एस॰ टी॰ सं॰ 314 वर्ष 2003 में तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश–सह–एफ॰ टी॰ सी॰ II, गुमला द्वारा पारित दिनांक 11.10.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 12.10.2004 के दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन न्यायालय ने अपीलार्थी को प्रेम भगत की हत्या करने का दोषी पाने पर उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किया और उसको आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया।

2. अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक 2.8.2003 को प्रातः लगभग 9 बजे सूचक का पुत्र अर्थात् प्रेम भगत (मृतक) राँची जाने के लिए रवाना हुआ और अपने गाँव के एटवा भगत उर्फ मास्टर के घर गया जिसका घर सूचक के घर के निकट है। दस मिनट बाद सूचक ने हल्ला सुना और तब सूचक अपने अन्य पुत्रों गंडूर भगत और कृपाल भगत के साथ एटवा भगत उर्फ मास्टर के घर गया जहाँ उन्होंने देखा कि गंडूर ओराँव प्रेम भगत पर उसके मस्तक पर कुदाली से प्रहार कर रहा था जिसके परिणामस्वरुप वह गिर गया। उनके वर्तमान अपीलार्थी को पकड़ने और घटनास्थल पर वापस आने के बाद उन्होंने मृतक को मृत पड़ा पाया और मृतक के मस्तक के पिछले हिस्सा से खून बह रहा था।

अभियोजन का आगे मामला यह है कि उन्हें जानकारी हुई कि गंडूर भगत का दिगंबर भगत की पत्नी इंद्रो देवी के साथ विगत दो वर्षों से प्रेम प्रसंग था और अपीलार्थी को मृतक के साथ इंद्रो देवी के संबंध के बारे में जानकारी हुई। जब अपीलार्थी ने मृतक को अपने घर पर देखा, उसने कुदाल से मृतक पर प्रहार किया जिसका परिणाम उसकी मृत्यु में हुआ।

3. तत्पश्चात् दिनांक 2.8.2003 को सूचक ने अपना फर्दबयान (प्रदर्श 5) दिया जिस पर अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए सिसई (भरनो) पी॰ एस॰ केस सं॰ 73 वर्ष 2003 की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। अन्वेषण अधिकारी ने मामले का अन्वेषण किया, जिसके दौरान उसने मृतक के मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा किया और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया। इस पर मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा गया था जिसे डॉ॰ ए॰ डी॰ एन॰ प्रसाद (अ॰ सा॰ 11) द्वारा किया गया था।

4. अन्वेषण के समापन के बाद, जब आरोप–पत्र दाखिल किया गया था, अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 302 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया गया था। मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और अपीलार्थी का विचारण किया गया था।

5. बचाव ने केवल एक गवाह ब॰ सा॰ 1 का परीक्षण किया और बचाव का अभिवचन अभिकथन से पूरे इनकार का है क्योंकि ब॰ सा॰ 1 ने कथन किया है कि अपीलार्थी को इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है और घटना के समय पर वह उसके साथ खेत जोत रहा था।

6. विचारण के दौरान, अभियोजन ने डॉक्टर एवं अन्वेषण अधिकारी सहित कुल बारह गवाहों का परीक्षण किया। विचारण न्यायालय ने अभियोजन गवाहों के साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अधिमूल्यन करने के बाद अपीलार्थी को मृतक की हत्या करने का दोषी पाया और तद्नुसार, अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज किया जो चुनौती के अधीन है। घटना का हेतु यह था

कि अपीलार्थी को संदेह था कि प्रेम भगत (मृतक) का इंद्रो देवी के साथ अवैध संबंध था। जब अपीलार्थी ने मृतक को अपने घर में देखा, उसने कुदाल से मृतक पर प्रहार किया।

7. चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य पर आधारित अपीलार्थी की अधिवक्ता सुश्री अमृता बनर्जी ने विद्वान अवर न्यायालय के निर्णय का विरोध निम्नलिखित आधारों पर किया है:–

(a) leLr p'enhn xokg vFkkr v0 lk0 3 rnj Hkxr] v0 lk0 5 Ñiky Hkxr vkj v0 lk0 6 egkchj Hkxr erd d Hkkb g vkj v0 lk0 9 cèkjke Hkxr erd dk firk g] vkj bl çdkj o fgrc) xokg g vkj mud c;ku fdlh Lor= xokg }kjk li"V ugh fd, x, gA

(b) çfr ijh{k.k e mUgku dFku fd;k fd tc o ?kVukLFky ij vk,] vfHk;Dr Hkkx jgk Fkk vkj mUgku vU; d lkFk vfHk;Dr dk idMk rn}kjk ftldk vFk g fd mUgku çgkj ugh n[kk gA

(c) vfHk;k tu u rkfRod rF;k dk neu fd;k g vkj vkjki =fVi.k g D;kfd U;k;ky; d le{k rkfRod oLr çLrr ugh fd, x, FkA

(d) xokgk d c;kuk e e[; fojkèkkHkk l g vkj xokgk d lk{; ij fo'okl dju d fy, lkexh ugh gA

(e) vr e] mUgku rd fd;k fd Hkkjrh; nM lfgrk dh èkkjk 302 d vèkhu ekeyk Hkkjrh; nM lfgrk dh èkkjk 304 Hkkx II d vèkhu ekeyk çrhr gkrk gA vfHk;k tu u erd dh gR;k dk vk'k; fl) ugh fd;k Fkk vkj ?kVuk dk p'enhn xokg ugh Fkk vkj fd erd dh eR; eLrd d fiNy Hkkx ij ,d okj d dkj.k gk x;hA ckj&ckj okj dju dk vfHkdFku ugh g rn}kjk ftldk vFk g fd gR;k dk vk'k; ugh FkkA

(f) çkFkfedh l ;g Li"V g fd ?kVukLFky ij vihykFkh ,o erd d chp >xMk gvk Fkk tk l>krk g fd vihykFkh dk erd }kjk mdlk;k x;k FkkA

8. पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय ने वर्तमान अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध करने में अवैधता एवं दुर्बलता किया है।

9. दूसरी ओर, विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री पी॰ के॰ अप्पू ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रतिवाद का जोरदार विरोध किया है और निवेदन किया है कि अपीलार्थी ने कुदाल से मृतक के मस्तक के पिछले हिस्से पर प्रहार किया है जिसके परिणामस्वरुप मृतक गिर गया और उसकी मृत्यु हो गयी। विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से अ॰ सा॰ 3, 5, 6 एवं 9 के साक्ष्य पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया है क्योंकि ये समस्त गवाह चश्मदीद गवाह है। उन्होंने घटना देखा था और चिकित्सीय साक्ष्य ने भी मौखिक साक्ष्य को संपुष्ट किया और अन्वेषण अधिकारी द्वारा घटनास्थल से कुदाल भी जब्त किया गया था। पूर्वोक्त निवेदन के आधार पर, विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में दुर्बलता नहीं होने के कारण विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त निष्कर्ष में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

10. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया है।

11. अ॰ सा॰ 1 एटवा भगत जो स्वतंत्र गवाह है पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

12. अ॰ सा॰ 2 इंद्रो देवी, दिगंबर भगत की पत्नी पक्षद्रोही घोषित की गयी है।

13. अ॰ सा॰ 3 तंदूर भगत जो मृतक का भाई है ने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने कुछ हल्ला सुना, तब वह कृपाल भगत एवं अपने पिता बुधराम भगत और महावीर भगत के साथ एटवा भगत उर्फ मास्टर के घर गया जहाँ उन्होंने देखा कि गंडूर ओराँव ने उसके भाई प्रेम भगत पर कुदाल से प्रहार किया था, जिसके परिणामस्वरुप वह गिर गया, तत्पश्चात अभियुक्त उक्त कुदाल छोड़ कर वहाँ से भागने लगा। अपने प्रति परीक्षण के पैरा 12 में उसने कथन किया है कि उन्होंने वहाँ से 150 फीट की दूरी पर गंडूर ओराँव को पकड़ लिया।

14. अ॰ सा॰ 4 सुकरा ओराँव जो मृतक का ससुर है ने कुदाल की अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 1) पर अपना हस्ताक्षर किया है और अभिग्रहण सूची पर बुधराम भगत का बायें अंगूठे का निशान भी सिद्ध किया है। अपने प्रति परीक्षण में उसने स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया है और पुलिस के समक्ष अपने बयान में उसने कहा था कि गंडूर ओराँव द्वारा प्रेम भगत की हत्या की गयी थी जिसे उसको बुधराम भगत द्वारा प्रकट किया गया था।

15. अ॰ सा॰ 5 कृपाल भगत जो मृतक का छोटा भाई है चश्मदीद गवाह है और उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि हल्ला सुनने पर वह एटवा भगत के घर गया जहाँ उसने गंडूर ओराँव को उसके भाई पर प्रहार करने के बाद भागते देखा। प्रति परीक्षण में उसने अभिसाक्ष्य दिया कि वह अपने पिता गंडूर भगत और महाबीर भगत के साथ घटनास्थल पर पहुँचा था। अपने प्रति परीक्षण में पैराग्राफ 14 पर उसने कथन किया है कि हल्ला सुनकर वह गंडूर भगत एवं महाबीर भगत के साथ घटनास्थल पर आया।

16. अ॰ सा॰ 6 महाबीर भगत जो चश्मदीद गवाह है ने अभिसाक्ष्य दिया है कि हल्ला सुनने पर वह एटवा ओराँव उर्फ मास्टर के घर पहुँचा जहाँ उसने गंडूर ओराँव को प्रेम भगत पर प्रहार करने के बाद वहाँ से भागते देखा। अपने प्रति परीक्षण में, उसने कथन किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुँचा, अभियुक्त भाग रहा था और उन्होंने उसका पीछा किया और उसको पकड़ा और उसको बांधकर एटवा मास्टर के घर पर रखा।

17. अ॰ सा॰ 7 दुतिया भगत जो अनुश्रुत गवाह है को गाँववालों द्वारा सूचित किया गया था कि गंडूर ओराँव द्वारा प्रेम भगत की हत्या की गयी थी। उसने आगे कथन किया कि वह घटना स्थल गया था तथा शव देखा था।

18. अ॰ सा॰ 8 बिशुन भगत जो अनुश्रुत गवाह है, को इंद्रो भगत द्वारा सूचित किया गया था कि गंडूर ओराँव द्वारा प्रेम भगत की हत्या की गयी थी। उसने आगे कथन किया कि उसने गंडूर ओराँव को भागते देखा था।

19. अ॰ सा॰ 9 बुधराम भगत, मृतक का पिता जो चश्मदीद गवाह है ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने हल्ला सुना, तत्पश्चात वह अपने पुत्रों गंडूर भगत एवं कृपाल भगत के साथ एटवा मास्टर के घर गया, जहाँ उन्होंने देखा कि गंडूर ओराँव ने प्रेम भगत पर उसके मस्तक के पिछले हिस्सा पर कुदाल से प्रहार किया है। जब गंडूर ओराँव ने उनको देखा, उसने कुदाल छोड़ दिया और भागने लगा। उसने अपने पुत्रों एवं गाँववालों के साथ उसका पीछा किया और उसको पकड़ लिया। अपने प्रति परीक्षण के पैराग्राफ

18 में उसने संपुष्ट किया है कि घटना के समय पर वह अपने घर में उपस्थित था और उसने इस सुझाव से इनकार किया कि वह घर में उपस्थित नहीं था। अपने प्रति परीक्षण में पैराग्राफ 22 पर उसने कथन किया है कि अपने पुत्र प्रेम भगत की आवाज सुनने पर वह घटनास्थल पर गया और देखा कि गंडूर ओराँव मृतक पर प्रहार कर रहा था। उसने फर्दबयान पर अपना हस्ताक्षर प्रदर्श 2 के रूप में सिद्ध किया है। उसने फर्दबयान पर सुकरा ओराँव का हस्ताक्षर भी प्रदर्श 2/1 के रूप में सिद्ध किया है।

20. अ॰ सा॰ 10 शिव नारायण साहू ने जब्त कुदाल न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

21. अ॰ सा॰ 11 डॉ॰ ए॰ डी॰ एन॰ प्रसाद ने मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया है और विशाल इंट्रा क्रेनियल हेमाटोमा के साथ ब्रेन मैटर्स का लैसीरेशन और खोपड़ी के डिप्रेस्ड फ्रैक्चर के साथ खोपड़ी के ऑक्सीपीटल क्षेत्र पर 3" x 1" x 1/2" का विदीर्ण जख्म पाया है। डॉक्टर ने मत दिया कि मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व मस्तक उपहति थी। उपहति कुदाल के पिछले हिस्से द्वारा कारित की जा सकती थी। प्रति परीक्षण में उसने कथन किया कि इस प्रकार की उपहति संभव है यदि व्यक्ति मस्तक के बल कड़े पदार्थ पर गिरता है। उन्होंने प्रदर्श 3 के रूप में शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया है।

22. अ॰ सा॰ 12 स्टीफन एक्का जो अन्वेषण अधिकारी है ने अभिग्रहण सूची प्रदर्श 4 के रूप में सिद्ध किया है। उन्होंने प्रदर्श 5 के रूप में फर्दबयान सिद्ध किया है। उन्होंने औपचारिक प्राथमिकी भी प्रदर्श 6 के रूप में सिद्ध किया है। उन्होंने कथन किया है कि गवाहों इंद्रो देवी तथा एटवा भगत ने उसकी उपस्थिति में अभियोजन मामले का पूर्णत: समर्थन किया है। प्रति परीक्षण में उसने कथन किया है कि उसने घटना स्थल पर रक्त का कोई धब्बा नहीं पाया था किंतु अपराध में प्रयुक्त हथियार पर रक्त का धब्बा था।

23. ब॰ सा॰ 1 मंगरा महतो ने कथन किया है कि वह एटवा मास्टर के खेत में धान बो रहा था और कि खेत एटवा मास्टर के घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर है। प्रति-परीक्षण के पैरा 8 में उसने कथन किया है कि उसने पुलिस को नहीं बताया था कि घटना के दिन पर गंडूर ओराँव उसके साथ खेत जोत रहा था।

24. यह विधि का सुनिश्चित सिद्धांत है कि हितबद्ध गवाहों के साक्ष्य पर सदैव संदेह नहीं किया जाना है और सावधानी के साथ इसका संवीक्षण करना होगा और यदि इसे विश्वसनीय पाया जाता है, इसे स्वीकार किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि हितबद्ध गवाह आवश्यकत: बुरे गवाह नहीं हैं। वस्तुत: यदि गवाह मृतक से संबंधित है, वास्तविक हमलावरों को छोड़ देने का कम मौका होगा। हितबद्ध गवाहों के साक्ष्य का विश्लेषण सावधानी के साथ करना है। किंतु, जब एक बार न्यायालय इस निष्कर्ष पर आता है कि यह सत्यपूर्ण है और अभिलेख पर मौजूद प्रासंगिक परिस्थितियों के अनुरुप है, न्यायालय को इसे स्वीकार करने तथा इस पर दोषसिद्धि दर्ज करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

25. इस न्यायालय ने अ॰ सा॰ 3, अ॰ सा॰ 5, मृतक के भाई, अ॰ सा॰ 6 (गाँव वाला) और अ॰ सा॰ 9 (मृतक के पिता) के साक्ष्य का परीक्षण किया है।

26. यह सुस्पष्ट है कि उन्होंने अपीलार्थी को मृतक पर उसके मस्तक के पिछले हिस्से पर प्रहार करते नहीं देखा था। हल्ला सुनने पर, वे घटनास्थल पर आए और तत्पश्चात उन्होंने देखा कि अपीलार्थी मृतक पर प्रहार करने के बाद घटनास्थल से भाग रहा था। उन्होंने अपीलार्थी का पीछा किया और अ॰ सा॰ 1 के घर में अपीलार्थी को पकड़ लिया। घटनास्थल पर अपीलार्थी द्वारा प्रहार का हथियार छोड़ दिया

गया था। तत्पश्चात, उसी दिन सिसई (भरनो) पी॰ एस॰ केस सं॰ 73 वर्ष 2003 की प्राथमिकी (प्रदर्श 6) दर्ज की गयी थी। यह भी स्पष्ट है कि किसी ने घटना नहीं देखा था। उन्होंने जब हल्ला सुना, उन्होंने देखा कि अपीलार्थी घटना स्थल पर था। उनको देखने पर अपीलार्थी भाग गया। उक्त से यह सुस्पष्ट है कि प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने मृतक पर कुदाल से प्रहार किया था।

27. डॉक्टर की रिपोर्ट और शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 3) की छानबीन करने पर, डॉक्टर ने मत दिया कि कुदाल के पिछले हिस्से से उपहति संभव थी। पैराग्राफ 5 में यह स्वीकार किया गया है कि इस प्रकार की उपहति कुदाल के पिछले हिस्से से संभव थी। इसपर कोई विवाद नहीं है कि मृतक के मस्तक पर विशाल इन्ट्रा क्रेनियल हेमाटोमा के साथ ब्रेन मैटर्स की विदीर्णता तथा खोपड़ी के डिप्रेस्ड फ्रैक्चर के साथ ऑक्सीपीटल क्षेत्र पर 3" x 1" x 1/2" की केवल एक विदीर्ण उपहति थी और डॉक्टर का साक्ष्य आगे सुझाता है कि यह उपहति कुदाल के पिछले भाग से संभव हो सकती है। प्रति परीक्षण में उन्होंने कथन किया है कि यह उपहति तब भी संभव हो सकती है यदि कोई व्यक्ति अपने मस्तक के बल कड़े पदार्थ पर गिरता है। उक्त से यह सुस्पष्ट है कि याची का मृतक की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था तथा यह सुझाने के लिए सामग्री नहीं है कि अभियुक्त ने उसकी हत्या करने के लिए मृतक पर प्रहार किया। चिकित्सीय साक्ष्य सहित साक्ष्य पर विचार करते हुए संभावना है कि अभियुक्त ने कुदाल के पिछले हिस्से से मृतक पर प्रहार किया था। इसके अतिरिक्त यह स्वीकार किया गया है कि वार की पुनरावृत्ति नहीं की गयी है।

28. हम पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा केवल एक वार किया गया था जो चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त था किंतु प्रश्न उठता है कि क्या उपर गौर की गयी तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपीलार्थी को हत्या करने का आशय रखता हुआ कहा जा सकता है।

29. हम दोहरा सकते हैं कि स्वीकृत रूप से मृतक पर एक उपहति कारित की गयी थी और अपीलार्थी द्वारा कारित उपहति कुदाल के पिछले हिस्से से संभव थी। अभियोजन द्वारा यह सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं लाया गया है कि हत्या करने का अपीलार्थी की ओर से कोई आशय था।

30. इन परिस्थितियों के अधीन, प्राथमिकी, साक्ष्य एवं शव परीक्षण रिपोर्ट का परिशीलन करते हुए इस निष्कर्ष पर आया जा सकता है कि यद्यपि अपीलार्थी ने उसकी मृत्यु में परिणत होने वाली उपहति कारित करते हुए मृतक पर प्रहार किया था किंतु हत्या करने का उसका कोई आशय नहीं था।

31. इन परिस्थितियों के अधीन, विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि दर्ज करने में अवैधता किया। तद्नुसार, धारा 302 के अधीन दर्ज दोषसिद्धि एवं अधिरोपित दंडादेश अपास्त किया जाता है। हम अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन दोषसिद्ध करते हैं और उसको दस वर्षों के कठोर कारावास का दंडादेश देते हैं जिस अवधि को अपीलार्थी ने पहले ही भुगत लिया है।

32. परिणामस्वरुप, अपीलार्थी को तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है। यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है।

33. इस प्रकार, पूर्वोक्तानुसार दोषसिद्धि एवं दंडादेश उपांतरित करके यह अपील खारिज की जाती है।

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

नागेन्द्र कुमार तिवारी एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(S) No. 6322 of 2016. Decided on 8th December, 2016.

सेवा विधि–वसूली–वेतनमान का पुनर्निर्धारण–सिविल परिणाम लाने वाले मामलों में कोई प्रशासनिक आदेश या निर्णय आवश्यक रूप से नैसर्गिक न्याय के नियमों के सुसंगत रहते किया जाना है–नोटिस के बिना तथा प्रतिद्वंद्वी दावों के गुणावगुणों को निर्दिष्ट किये बिना याची को सुनवाई का कोई अवसर दिये बगैर आक्षेपित आदेश निर्गत किया गया, नैसर्गिक न्याय के नियमों का अनुपालन करने के उपरान्त मामले में कार्यवाही करने की प्रत्यर्थीगण को स्वतंत्रता देते हुए आक्षेपित आदेश अभिखंडित। (पैराएँ 6 एवं 7)

निर्णयज विधि.–(2003)4 SCC 557—Relied; (2015) 6 SCC 334—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Sachin Kumar, For the Petitioners; Mr. Suraj Prakash, For the State.

आदेश

दिनांक 24.9.2016 के पत्र में अंतर्विष्ट आदेश, जिसके द्वारा प्रत्यर्थीगण ने याची को संदत्त अभिकथित अतिरिक्त राशि की वसूली के भी आदेश के साथ वरीय श्रेणी-II में याचीगण का वेतन पुन: निर्धारित किया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. याचीगण दावा करते हैं कि उन्हें 1984 से 1999 के बीच नियुक्त किया गया था। झारखंड सरकार ने छठे वेतन पुनरीक्षण की अनुशंसाओं के आलोक में दिनांक 15.9.2008 के संकल्प के तहत एक फिटमेंट समिति गठित किया था, जिसने अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की थी जिसपर झारखंड राज्य ने दिनांक 28.2.2009 का संकल्प निर्गत किया था। याचीगण दावा करते हैं कि उन्हें 9300-34,800 रुपये के वेतन बैंड में वेतन तथा अन्य भत्तों का भुगतान किया जायेगा। यह तर्क दिया गया है कि फिटमेंट समिति की अनुशंसा के आलोक में जिसे झारखंड राज्य द्वारा स्वीकार किया गया था, यद्यपि याचीगण उसी वेतन बैंड में बने रहेंगे, वह उच्चतर ग्रेड वेतन में तथा एक वेतन वृद्धि के भुगतान के हकदार हैं। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **(2015) 4 SCC 334** में रिपोर्ट किये गये **'पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह'** में दिये गये निर्णय पर भरोसा किया है, जिसके अधीन निम्नवत् निर्णीत किया गया है:–

> *^^18. dfBukb dh mu lkjh ifjfLFkfr;k dk vueku yxk yuk lHko ugh g] ftudk olyh d eí ij depkfj;k dk lkeuk djuk iMxk] tgk mudh gdnkjh l vfèkd fu;kDrk }kjk Hkyo'k Hkxrku dj fn; x; gA fLFkfr pkg tk Hkh gk] ble Åij fufn"V fu.k;k d vkèkkj ij] ge ,d Rofjr lnHk d :i e fuEukfdr dN fLFkfr;k dk lf{klr :i l j[kr g] ftue fu;kDrkvk }kjk olfy;k fofèk e vuuK; gkxhA&*
>
> *(i) rrh; ox ;k prFk oxh; lok (;k leg C rFkk leg D lok) l lcfèkr depkjhx.k l olyhA*
>
> *(ii) lokfuoÙk depkfj;k l olyh] ;k mu depkfj;k l tk olyh d vkn'k d ,d o"k d Hkhrj lokfuoÙk gkuoky gA*
>
> *(iii) mu depkjhx.k l olyh] tc olyh dk vkn'k fuxr fd; tku d igy ikp o"k l vfèkd vofèk d fy; vfrjd Hkxrku dj fn;k x;k gA*

(iv) mu ekeyk e olyh tgk fdlh depkjh l nk"ki.k :i l ,d mPprj in d dÙk0;k dk fuogu djk;k x;k g rFkk rnulkj ml Hkxrku fd;k x;k g] ;fi mfpr :i l ml ,d fuEurj in ij dk; djk;k tkuk vif{kr FkkA

*(v) fdlh vU; ekey e] tgk U;k;ky; bl fu"d"k ij igprk g fd vxj depkjh l olyh dh tkrh g] rk ;g vlkE;rki.k ;k vR;fèkd dBkj ;k euekuk gkxh ,lh lhek rd tk olyh dju d fu;kDrk d vfèkdkj dk lkE;rki.k lryu dkQh vfèkd iHkkoh gkxhA***

3. याचीगण द्वारा लिये गये इस अभिवचन को ध्यान में लेते हुए कि दिनांक 24.9.2016 का आक्षेपित आदेश नैसर्गिक न्याय के नियमों के घोर उल्लंघन में निर्गत किया गया था, दिनांक 22.11.2016 के आदेश के तहत प्रत्यर्थीगण को शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया था कि 'क्या दिनांक 24.9.2016 का आक्षेपित आदेश निर्गत करने के पहले याचीगण को कोई नोटिस निर्गत की गयी थी या नहीं तथा क्या याचीगण को किये गये अतिरिक्त भुगतान की वसूली का आदेश करने के पहले, याचीगण को अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था या नहीं।'

4. पूर्वोक्त आदेश के अनुपालन में, प्रत्यर्थी सं॰ 5 की ओर से दिनांक 6.12.2016 का शपथपत्र निम्नवत् कथित करते हुए दाखिल किया गया है:–

"7. fd ekuuh; U;k;ky; d i'u d tokc e ;g fouerkiod dfFkr fd;k tkrk g fd fnukd 24.9.2016 dk vk{kfir vkn'k fuxr dju d igy] dkj.k&iPNk dh dkb ukfVl ;kphx.k dk fuxr ugh dh x;h FkhA bld vykok] ;kphx.k dk fd; x; vfrfjDr Hkxrku dh olyh dk vkn'k dju d igy] ;kphx.k dk viuk cpko iLrr dju dk dkb volj inku ugh fd;k x;k FkkA

*8. fd ;g vfr fouerkiod rFkk lEekuiod dfFkr fd;k tkrk g fd fo'k"k lfpo] >kj[kM ljdkj] fu;ktu&lg&foÙk foHkkx }kjk fuxr Kki l0 1774@V fnukd 16.6.2016 d vulj.k e iR;Fkh l0 5 }kjk fnukd 24.9.2016 dk vk{kfir i= fuxr fd;k x;k g] ftld }kjk ;g lfpr fd;k x;k g fd ikUufr ij jkT;Ñr fo|ky; d f'k{kdk dk orueku ekfyd fu;ekoyh d fu;ek 22(I)(a)(2) d fucèkuk e fuèkkfjr fd;k tk;xkA***

5. तथापि, राज्य के विद्वान अधिवक्ता तर्क देते हैं कि दिनांक 16.6.2016 के निर्णय के आलोक में, आक्षेपित आदेश निर्गत किया गया है तथा ऐसा होने से, मामले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. स्थिति चाहे जो भी हो, प्रत्यर्थीगण द्वारा अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि नैसर्गिक न्याय के नियमों के उल्लंघन में दिनांक 24.9.2016 का आक्षेपित आदेश निर्गत किया गया है। वेतनमान के पुन: निर्धारण तथा याचीगण को संदत्त अभिकथन अतिरिक्त राशि के वसूली के आदेश से याचीगण के लिए गंभीर सिविल परिणाम उत्पन्न होंगे। वर्तमान कार्यवाही में याचीगण ने तर्क दिया है कि फिटमेंट समिति की अनुशंसा की दृष्टि में जिसे झारखंड सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था, वह उच्चतर ग्रेड वेतन तथा एक वेतन वृद्धि के भुगतान के हकदार हैं। **AIR 1967 SC 1269** में रिपोर्ट किये गये **'उड़ीसा राज्य बनाम (सुश्री) वीणापाणि देई'** में यह निर्णीत किया गया है कि सिविल परिणाम लाने वाले मामलों में कोई प्रशासनिक आदेश या निर्णय भी नैसर्गिक न्याय के नियमों के सुसंगत रहते हुए ही किया जाना है। **(2003) 4 SCC 557 में** रिपोर्ट किये गये **'केनरा बैंक एवं अन्य बनाम देवाशीष दास एवं अन्य** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार सम्परीक्षित किया है:–

*^^15. lHkh lH; jk"Vª }kjk ;Fkk ekU;Ñr ulfxd U;k; d fl)kra dk vuikyu lokZPp egRo dk gkrk g tc dkb v)U;kf;d fudk; i{kdkjk d chp fookn dk vfHkfuèkkj.k dju d ekx ij vkx c<rk g] ;k flfoy ifj.kke ykus okyh dkb i'kklfud dk;okgh fookn[kehu gkrh gA ; fl)kr ILFkkfir g ------ bl idkj] ;g dN vkj ugh cfYd vfuok; g fd i{kdkj d chp dkb ifrdy vkn'k ikfjr fd; tku d igy ml ekey dh lpuk Hkth tkuh pkfg,A ;g ulfxd U;k; d lokfèkd egRoi.k fl)kra e l ,d gA vkf[kdkj ;g fu"i{krk cjru dk ,d vuekfnr fu;e gA bl ifjdYiuk u le; d lkFk egRo ,o vk;ke iklr fd; g ---A**

7. अगर याचीगण को कोई नोटिस निर्गत की गयी होती, उनके पास प्रत्यर्थीगण को उनके वेतनमान को पुन: निर्धारित नहीं करने के लिये विश्वस्त कराने का एक अवसर रहा होता। चूँकि 24.9.2016 का आक्षेपित आदेश नोटिस के बिना तथा प्रतिद्वंद्वी दावों के गुणावगुणों को निर्दिष्ट किये बिना याचीगण को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बगैर निर्गत किया गया है, दिनांक 24.9.2016 का आक्षेपित आदेश एतद्द्वारा अभिखंडित किया जाता है, तथापि, नैसर्गिक न्याय के नियमों का अनुपालन करने के उपरान्त मामले में कार्यवाही करने की स्वतंत्रता प्रत्यर्थीगण को प्रदान करते हुए।

8. पूर्वोक्त निबंधनों में रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

विजय कुमार सिंह

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 6661 of 2014. Decided on 21st November, 2016.

छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908–धाराएँ 83(2) एवं 84(2)–विक्रय विलेख का निबंधन–खतियान में 1908 के अधिनियम के अधीन सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा दर्ज प्रविष्टियों में परिशुद्धि की ईप्सा अधिनियम के ही अधीन उपबंधित उपलब्ध सांविधिक उपचार का अवलंब लेकर व्यथित पक्षकारों द्वारा की जा सकती है–याची हाल ही के सर्वेक्षण में 'जंगल' के रूप में अभिलिखित जमीन के ऐसे टुकड़े के संबंध में विक्रय विलेख के आधार पर इसे अनिवार्य रूप से निबंधित करने के लिये राज्य के पदाधिकारी/सब-रजिस्ट्रार को निर्देश दिये जाने का दावा नहीं कर सकता है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 4 एवं 5)

अधिवक्तागण.–Mr. Rama Kant Tiwari, For the Petitioner; Mr. Atanu Banerjee, For the Respondent.

आदेश

याची तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. याची मौजा गरेंजा, पुलिस थाना बालुमठ, थाना सं॰ 214, जिला लातेहार जिला में अवस्थित खाता सं॰ 66 के अधीन भूखंड सं॰ 903 की 1¼ डिसमिल जमीन के संबंध में प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख के लिखत को निर्बाधित करने के लिए प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को एक निर्देश देते हेतु इस न्यायालय के पास आया है क्योंकि प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा 2.9.2014 को निष्पादित उक्त दस्तावेज को निबंधित करने से इनकार कर दिया है।

3. विक्रय विलेख का लिखत अभिलेख पर नहीं है प्रत्यर्थी–राज्य ने अपने प्रतिशपथ पत्र में स्पष्ट कथन किया है कि सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम, 1908 की धारा 83(2) के अधीन अभ्यापत्ति आमंत्रित करने तथा उनका निपटारा करने के उपरान्त, लातेहार जिला के खतियान तथा सभी राजस्व ग्रामों एवं सात अंचलों के मानचित्र तैयार किये गये हैं तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार द्वारा निर्गत दिनांक 20.12.2005 की अधिसूचना के तहत झारखंड सरकार के दिनांक 10.8.2005 के असाधारण राजपत्र सं॰ 624 में 1908 की अधिनियम की धारा 84(2) के अधीन अंतिम रूप से प्रकाशित किये गये हैं, यह भी घोषित किया गया है कि लातेहार जिला के अधीन प्रत्येक राजस्व ग्राम के लिए उक्त अधिसूचना खतियान के ऐसे प्रकाशन का निश्याची साक्ष्य होगी। किसी खतियान में इस प्रकार प्रकाशित प्रत्येक प्रविष्टि ऐसी प्रविष्टि में निर्दिष्ट मामले का साक्ष्य होगी तथा सही मानी जायेगी जबतक कि इसे अन्यथा सिद्ध नहीं कर दिया जाता है। (परिशिष्ट A तथा B)। खतियान तथा विद्वान आयुक्त, पलामु प्रमंडल के अनुदेशों के प्रकाशन के उपरान्त ही, लातेहार के सब–रजिस्ट्रार खतियान के हाल के पुनरीक्षण सर्वेक्षण के आधार पर जमीन के निबंधन कार्य का निस्तारण करेंगे। प्रतिशपथ पत्र का पैरा 11 बालूमठ के अंचलाधिकारी की जांच रिपोर्ट को सिद्ध करती है। यह कथित करती है कि मौजा ग्रेंजा, पुलिस थाना बालूमठ, खाता सं॰ 66, प्लॉट सं॰ 903 गैर मजरूआ मालिक जमीन के तौर पर अभिलिखित है। 2.85 एकड़ क्षेत्रफल वाली उक्त जमीन की जमाबंदी रजिस्टर II में जोत सं॰ 37 के रूप में खेया महतो के पुत्र दशरथ उर्फ भल्लु महतो के नाम थी, परन्तु रजिस्टर II में उल्लिखित उक्त गैर मजरूआ मालिक के खोले जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का कोई संदर्भ या आदेश नहीं है। जमीन के नामांतरण के उपरान्त, नामांतरण केस सं॰ 117 वर्ष 1986–87 के आधार पर प्रश्नाधीन जमीन की जमाबंदी निजी प्रत्यर्थी के नाम से चल रही थी। हाल के सर्वेक्षण में भूखंड संख्या 903 को आर॰ एस॰ प्लॉट संख्या 41, 42 एवं 43 के तौर पर बनाया गया है तथा 1.03 एकड़ क्षेत्रफल बाले नये प्लॉट सं॰ 42 के संबंध में भैंसदा, डाकघर बालूमठ, अवधि 1976 के निवासी कुईया महतो के पुत्र झालो महतो के अवैधानिक कब्जे तथा 0.63 एकड़ क्षेत्रफल वाले नये सर्वेक्षण प्लॉट सं॰ 43 के संबंध में माजर मिस्त्री के पुत्र मनीजर मिस्त्री के अवैधानिक कब्जे को खतियान में उल्लिखित किया गया है तथा नये सर्वेक्षण प्लॉट सं॰ 41, जिसका क्षेत्रफल 6.10 एकड़ है, को जंगल के रूप में दर्शाया गया है, इसके समर्थन में परिशिष्ट D संलग्न किया गया है। केवल जांच रिपोर्ट के आधार पर, सब–रजिस्ट्रार, लातेहार ने भूकर सर्वेक्षण अभिलेख के आधार पर याची के पक्ष में प्रश्नाधीन जमीन निर्बंधित करने से इनकार कर दिया था।

4. इस तथ्य पर याची द्वारा विवाद नहीं किया गया है। किसी भी दशा में अधिनियम के ही अधीन उपबंधित उपलब्ध सांविधिक उपचार का अवलंब लेकर व्यथित पक्षकारों द्वारा 1908 के अधिनियम के अधीन सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा खतियान में प्रविष्टियों को दुरूस्त किये जाने की ईप्सा की जा सकती है, अगर विधि में अनुज्ञेय हो। याची हाल ही के सर्वेक्षण में जंगल के रूप में अभिलिखित जमीन के ऐसे टुकड़े के संबंध में प्रश्नाधीन विक्रय विलेख के आधार पर ऐसी परिस्थिति में इसे अनिवार्य रूप से निर्बंधित करने के लिये राज्य के पदाधिकारी/सब–रजिस्ट्रार, लातेहार को निर्देश निर्गत किये जाने का दावा नहीं कर सकता है। याची के पास उस मुद्दे पर निजी प्रत्यर्थी के विरूद्ध व्यथा रखने का कारण हो सकता है, परन्तु वर्तमान मामले में इसका अवलोकन नहीं किया जा सकता है।

5. पूर्वोक्त तथ्यों तथा इसमें ऊपर अभिलिखित कारणों से, प्रश्नाधीन जमीन को निर्बंधित करने के लिये प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिये जाने हेतु याची के आग्रह को अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

श्रीमती विद्यावती देवी

cuke

धनंजय कुमार पांडे

First Appeal No. 101 of 2011. Decided on 22nd November, 2016.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जमशेदपुर द्वारा दाम्पत्य वाद सं॰ 136 वर्ष 2002 में पारित दिनांक 11.7.2011 के निर्णय तथा डिक्री के विरूद्ध।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955–धारा 13(1)(ia)–तलाक–पत्नी द्वारा क्रूरता–याची के विरूद्ध जारकर्म का कोई अभिकथन नहीं–याचिका में यह कथित किया गया था कि याची के साथ शारीरिक संबंध बनाने में प्रत्यर्थी असहयोगी रही थी–जारकर्म से संबंधित मुद्दा, इस बिन्दु पर साक्ष्य तथा अवर न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष भी पक्षकारों के अभिवचनों के बिल्कुल बाहर है–आक्षेपित निर्णय तथा डिक्री अपास्त तथा विधि के अनुसार मामले का फिर से निर्णय करने के लिये मामला अवर न्यायालय को प्रतिप्रेषित। (पैराएँ 5 से 8)

अधिवक्तागण.–M/s Mahesh Tiwary, Shahabuddin, For the Appellant; M/s Shafique Rahman, Rajiv Kumar, For the Respondent.

न्यायालय द्वारा.–अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. अपीलार्थी विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 11 जुलाई, 2016 के निर्णय तथा डिक्री से व्यथित है, जिसके द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम (इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 13(1)(ia) के अधीन तलाक की डिक्री द्वारा विवाह भंग किये जाने के लिए प्रत्यर्थी पति द्वारा दाखिल दाम्पत्य वाद अवर न्यायालय द्वारा डिक्री कर दिया गया है।

3. अपीलाधीन निर्णय तथा पक्षकारों के अभिवचनों का अवलोकन करने पर, हम पाते हैं कि क्रूरता के आधार पर तलाक के लिये प्रत्यर्थी पति द्वारा अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के अधीन याचिका दाखिल किया गया था। अपीलार्थी पत्नी के विरूद्ध जारकर्म का जीवन गुजारने का कोई अभिकथन नहीं था, न ही याचिका अधिनियम की धारा 13(1)(i) के अधीन दाखिल की गयी थी। याचिका में केवल इतना ही अभिकथित किया गया था कि प्रत्यर्थी याची के माध्यम से संतान उत्पन्न करने में असहयोगपूर्ण रही थी तथा उसने याची के माध्यम से संतान उत्पन्न करने से इनकार कर दिया था। उसने याची को अपनी यह इच्छा अभिव्यक्त किया था कि वह अन्य के माध्यम से संतान प्राप्त करेगी या ट्यूब से बच्चा होगा। याचिका में यह कथित किया गया है कि प्रत्यर्थी याची के साथ शारीरिक संबंध बनाने में असहयोगी रही थी तथा यह व्यवहार प्रत्यर्थी द्वारा याची को कारित क्रूरता के तुल्य था। प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल लिखित कथन में इस अभिकथन से इनकार किया गया था तथा यह भी अभिकथित किया गया था कि चूँकि उसे लगभग दो वर्षों से अधिक समय तक किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, प्रत्यर्थी की सलाह पर याची जमशेदपुर के किसी डॉक्टर चावला के पास उपचार के लिए गया था तथा उन दोनों का चिकित्सक द्वारा इलाज किया गया था, जिसने प्रत्यर्थी को बच्चा उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त पाया था, परन्तु याची को कोई संतान उत्पन्न करने में उपयुक्त नहीं पाया गया था एवं इस कारण चिकित्सक द्वारा याची का चिकित्सीय इलाज किया गया था। यह भी कथित किया गया है कि एक समय प्रत्यर्थी का गर्भ ठहरा था, परन्तु दो महीनों के उपरान्त गर्भपात हो गया था।

4. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर, अवर न्यायालय द्वारा पांच मुद्दों को विरचित किया गया था जिनमें से एक यह था कि क्या प्रत्यर्थी जारकर्म का जीवन गुजार रही थी? हम इस संबंध में समझने में विफल हैं कि किस प्रकार इन अभिवचनों के आधार पर, अवर न्यायालय ने यह मुद्दा विरचित किया था कि प्रत्यर्थी जारकर्म का जीवन यापन कर रही थी या नहीं, जब स्वयं याची ने समूची याचिका में प्रत्यर्थी के विरूद्ध कोई जारकर्म अभिकथित नहीं किया था, न ही उसने अधिनियम की धारा 13(1)(i) के अधीन वाद दाखिल किया था।

5. इतना ही नहीं, अवर न्यायालय के अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि जब ऐसा मुद्दा विरचित किया गया था, याची ने भी ढेर सारे शब्दों में प्रत्यर्थी के विरूद्ध जारकर्म अभिकथित करते हुए अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया था, तथा अपने साक्ष्य में ऐसा कथित करने की सीमा तक गया है कि प्रत्यर्थी ने अन्य व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध बनाना प्रारंभ कर दिया था तथा जून, 2002 के महीने से, उसने अन्य व्यक्तियों के साथ जमशेदपुर शहर के भिन्न हिस्सों में अपनी रातें गुजारना प्रारंभ कर दिया था। याची–अपीलार्थी की ओर से परीक्षित अन्य गवाह ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। पुनः याची की ओर से प्रस्तुत यह साक्ष्य अभिकथनों से परे था। अवर न्यायालय का निर्णय भी इन्हीं साक्ष्यों को विचार में लेकर पारित किया गया प्रतीत होता है तथा मुख्यतः पत्नी द्वारा जारकर्म का मुद्दा मामले में तलाक प्रदान करने का आधार बन गया है। अवर न्यायालय ने निष्कर्ष दिया है कि यह साक्ष्य कि प्रत्यर्थी गर्भवती हुई थी, इस तथ्य को सिद्ध करता था कि वह जारकर्म का जीवन जी कर गर्भवती हुई थी।

6. हम पाते हैं कि मामले में जारकर्म से संबंधित मुद्दा, इस बिन्दु पर साक्ष्य तथा अवर न्यायालय द्वारा निष्कर्ष भी पक्षकारों के अभिवचनों से परे हैं। अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, न ही कोई ऐसा साक्ष्य न्यायिक अभिलेख में बने रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है जिसे किसी अभिवचन के बिना प्रस्तुत किया गया था।

7. इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में, हमारे पास अवर न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को अपास्त करने तथा अवर न्यायालय द्वारा तय किये गये मुद्दों को भी त्यक्त करने तथा अवर न्यायालय में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत समूचे साक्ष्य को भी त्यक्त कर देने, तथा पक्षकारों के अभिवचनों के अनुसार कठोरतापूर्वक मुद्दों को विरचित करने तथा पक्षकारों को उनके अभिवचनों के अनुसार सटीक रूप से नया साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए मामला अवर न्यायालय के पास प्रतिप्रेषित करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसे कहने की आवश्यकता नहीं है कि पक्षकारों के अभिवचन ऐसे ही बने रहेंगे।

8. तद्नुसार, दाम्पत्य वाद सं॰ 136 वर्ष 2002 में प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 11 जुलाई, 2011 के निर्णय तथा डिक्री को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। अवर न्यायालय द्वारा विरचित मुद्दों तथा दोनों पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को भी त्यक्त किया जाता है तथा विधि के अनुसार मामले का फिर से निर्णय करने के लिये मामला ऊपर दिये गये निर्देशानुसार अवर न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

9. चूँकि मामला एक पुराना मामला है, अवर न्यायालय मुद्दों का निपटान करने, गवाहों की परीक्षा करने तथा अवर न्यायालय के अभिलेखों की प्राप्ति की तिथि से हर हालत में छह महीनों की अवधि के भीतर मामले का निर्णय करने के लिये सारे प्रयास करेगा।

10. तद्नुसार, यह अपील उक्त निर्देशों के साथ निस्तारित की जाती है। अवर न्यायालय के अभिलेखों को इस आदेश की प्रतिलिपि के साथ तत्काल अवर न्यायालय वापस भेजा जाय।

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

गोबर्धन साहु

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 7600 of 2012. Decided on 22nd November, 2016.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली–पी॰डी॰एस॰ की अनुज्ञप्ति–खाद्यान्नों तथा चीनी के गैर वितरण तथा भंडार पंजी के गैर संधारण के अभिकथन पर अनुज्ञप्ति का रद्दकरण–निरीक्षण रिपोर्ट प्रथम दृष्टया आरोपों को सिद्ध करते हैं–याची का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया–मूल अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के निष्कर्षों को खंडित करने के लिये याची की ओर से कोई नया आधार नहीं बनाया गया है–उपायुक्त ने भी रद्दकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया था–रिट आवेदन खारिज। (पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Ashutosh Kr. Singh, For the Petitioner; Mr. Arbind Kumar, For the Resp-State.

आदेश

याची तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. याची ने प्रकीर्ण अपील सं॰ 12/2010–11 में उपायुक्त, गुमला द्वारा पारित अपीलीय आदेश, जो कि ज्ञाप सं॰ 757 दिनांक 1.11.2012 (परिशिष्ट 7) है, की आलोचना किया है जिसके अधीन अनुमंडल पदाधिकारी, गुमला द्वारा गुमला जिला में ग्राम एवं प्रखंड कामदारा में उचित मूल्य दूकान के संबंध में परिशिष्ट 3 में अंतर्विष्ट आदेश, जो कि ज्ञाप सं॰ 115 दिनांक 6.5.2010 है, के तहत उसकी PDS अनुज्ञप्ति सं॰ 06/90 के रद्दकरण का आदेश बरकरार रखा गया है तथा अपील अस्वीकार कर दी गयी है।

3. PDS दुकान के निरीक्षण पर निम्नांकित अनियमितताएं ध्यान में आयी थीं, जिनपर याची को दिनांक 13.3.2010 की कारण–पृच्छा द्वारा उत्तर देने के लिए कहा गया था जो अन्य के साथ ये थीं कि (i) याची ने अंत्योदय तथा BPL योजना के अधीन जनवरी, 2010 के महीने में उठाव किये गये खाद्यान्नों का वितरण नहीं किया था, (ii) उसने सितम्बर तथा अक्टूबर, 2009 के महीने की चीनी का कोटा भी वितरित नहीं किया था, (iii) भंडार पंजी का भी उपयुक्त रूप से संधारण नहीं किया गया था, (iv) BPL तथा अंत्योदय योजना के अधीन लाभुकों की सूची दुकान के सामने सम्यक् रूप से प्रदर्शित नहीं की गयी थी, (v) भंडार तथा मूल्य तालिका भी निरीक्षण के दिन उपलब्ध नहीं थे तथा (vi) याची ने जनवरी, 2010 के महीने में चीनी के वितरण से संबंधित पंजी पेश नहीं किया था। याची ने जनवरी, 2010 के महीने में खाद्यान्नों का वितरण न करने में बीमारी का अभिवचन लेकर परिशिष्ट 2 के तहत अपना जवाब दाखिल किया था। उसने दावा किया कि अंचलाधिकारी, कामदारा के दिनांक 15.3.2010 के पत्र सं॰ 193 को प्राप्त करने के उपरान्त बाद में खाद्यान्नों को वितरित कर दिया गया है। दूसरे आरोपों के सबंध में, यह कथित किया गया है कि उसने चीनी के वितरण के संबंध में संबद्ध पदाधिकारी को विक्रय पंजी पेश किया था; उसने स्वीकार किया है कि भय के कारण, वह निरीक्षण के समय भंडार पंजी प्रस्तुत नहीं कर सका था। उसने यह भी कथित किया कि BPL तथा अंत्योदय योजना के लाभार्थियों की सूची दुकान के भीतर प्रदर्शित की गयी थी। आरोप सं॰ v के संबंध में, यह कथित किया गया है कि दुकान के सामने तालिका पर इंगित भंडार तथा मूल्य सूची शरारत के तौर पर कुछ बच्चों द्वारा मिटा दी गयी थी।

4. अनुमंडल पदाधिकारी, गुमला द्वारा पारित रद्दकरण के आदेश (परिशिष्ट 3) का परिशीलन उसकी कारण पृच्छा तथा निरीक्षण रिपोर्ट पर भी विचार किया जाना दर्शाता है जो प्रथम दृष्टया पूर्वोक्त आरोपों को सिद्ध करते हैं तथा याची का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया था। अभिकथित आरोप याची के विरूद्ध सिद्ध पाये गये थे जिसके परिणामत: उसकी PDS अनुज्ञप्ति का रद्दकरण हुआ था।

5. याची पहले डब्ल्यू॰ पी॰ सी॰ संख्या 7653/2011 में इस न्यायालय के पास आया था क्योंकि उपायुक्त, गुमला के समक्ष लंबित अपील का शीघ्रतापूर्ण निस्तारण नहीं किया जा रहा था। दिनांक 6.8.2012 के परिशिष्ट 6 के तहत उक्त रिट याचिका में निर्गत निर्देश के अनुसरण में आक्षेपित अपीलीय आदेश पारित किया गया है।

6. आक्षेपित आदेश के परिशीलन पर, यह स्पष्ट है कि मूल अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के निष्कर्षों को खंडित करने के लिये याची की ओर से कोई नया आधार नहीं बनाया गया है। उपायुक्त, गुमला ने सितम्बर से अक्टूबर, 2009 तक की अवधि के लिये अंत्योदय तथा BPL योजना के अधीन खाद्यान्नों के गैर वितरण से संबंधित आरोपों को पर्याप्त रूप से गंभीर पाया है जो कालाबाजारी में भी संलग्न होने को इंगित करता है। अपील के आधारों, उसकी कारण-पृच्छा तथा जांच के अनुक्रम में प्राप्त सामग्रियों पर विचार करके, उपायुक्त, गुमला को भी रद्दकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला था।

7. चुनौती के इन्हीं आधारों पर याची के अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार करके, जैसा कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कारण पृच्छा के जवाब में प्रतिबिंबित है, रिट अधिकारिता में हस्तक्षेप करने को उचित बनाते हुए निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में कोई दुर्बलता नहीं पायी जाती है। रिट आवेदन में कोई गुण नहीं है, इसे तद्नुसार खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

मो॰ क्यामुद्दीन खान एन्ड कंपनी

cuke

झारखंड राज्य निगरानी के माध्यम से

Cr.M.P. No. 2186 of 2015. Decided on 22nd August, 2016.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 154—द्वितीय प्राथमिकी की पोषणीयता–एक ही घटना के संबंध में दो प्राथमिकियाँ दर्ज की गयी–किंतु, द्वितीय प्राथमिकी निगरानी विभाग द्वारा नए ताथ्यिक आधारों एवं व्यापक षड्यंत्र भाग की खोज पर विचार करते हुए दर्ज की गयी थी–अपराध के गंभीर होने के बावजूद पूर्व अन्वेषण समस्त गंभीरता के साथ नहीं किया गया था–तत्पश्चात, निगरानी ने नया मामला पृथक रूप से रजिस्टर्ड करवाने के बाद अन्वेषण का भार लिया–ऐसी स्थिति में दांडिक कार्यवाही जारी रखने के मुकाबले द्वितीय प्राथमिकी का दर्ज किया जाना अवैध नहीं कहा जा सकता है। (पैरा 6)

निर्णयज विधि.–(2001) 6 SCC 181—Distinguished; (2010) 12 SCC 254—Referred; (2009) 1 SCC 441; (1979) 2 SCC 322; (2004) 13 SCC 292—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s A.K. Kashyap, Anurag Kashyap, Supriya Dayal, For the Petitioners; Mr. Shailesh Kumar Singh, For the State.

आदेश

दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 482 के अधीन इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का अवलंब लेते हुए याची कंपनी अपने भागीदार के माध्यम से निगरानी पी॰ एस॰ केस सं॰ 20 वर्ष 2012 जिसे भारतीय दंड संहिता की धाराओं 409, 420, 201, 109, 120B, 468 एवं 469 के अधीन और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (c) (d) के अधीन भी संस्थित किया गया था की प्राथमिकी सहित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए इस न्यायालय के पास आयी है।

2. अनावश्यक विवरणों से रहित तथ्य जो इस मामले में अंतर्ग्रस्त विवाद्यक के समुचित न्याय निर्णयन के लिए आवश्यक हैं ये हैं कि किसी राम सागर, उपनिदेशक, कल्याण विभाग, झारखंड सरकार की लिखित रिपोर्ट के आधार पर पूर्वोक्त निगरानी मामला इस अभिकथन के साथ संस्थित किया गया था कि मौजा कादरी के खाता सं॰ 164 से संबंधित भूखंड सं॰ 167 की 0.75 एकड़ भूमि 4,88,72,700/- रुपयों की लागत पर हज आवास के निर्माण के लिए अंतरित किया गया था। काम निष्पादित किए जाने के लिए झारखंड राज्य हाऊसिंग बोर्ड को सौंपा गया था। जिसके बाद दिनांक 17.7.2007 को निर्माण कार्य शुरू हुआ किंतु दिनांक 20.9.2009 को जब हज हाऊस के पोर्टिको की ढलाई चल रही थी, पोर्टिको की संपूर्ण संरचना नौ मजदूरों को उपहति कारित करते हुए ढह गयी। उक्त पोर्टिको के गिरने के कारण प्राधिकारी ने उपधारित किया कि हज हाऊस का निर्माण घटिया था और अभियन्ताओं द्वारा एवं ठेकेदारों द्वारा भी अनियमितताएँ की गयी थी। तत्पश्चात, राज्य सरकार ने निगरानी को अन्वेषण सौंपा जिसने तकनीकी विशेषज्ञ कमिटी को जाँच न्यस्त किया और उक्त कमिटी ने जाँच के बाद निर्माण कार्य के ऊपर अनियमितता, उपेक्षा, नियंत्रण की कमी और आर्किटेक्चरल ड्राइंग का गैर अनुमोदन दर्शाने वाला रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर, इस याची एवं अन्य को अभियुक्त के रूप में दर्शाते हुए पूर्वोक्त मामला संस्थित किया गया था।

3. यहाँ यह उल्लेख करना समुचित होगा कि पोर्टिको के ढहने के तुरन्त बाद सूचक के रूप में किसी बेलाल खान द्वारा उसी आरोप के लिए एक प्राथमिकी डोरन्डा/अरगोरा पी॰ एस॰ केस सं॰ 371 वर्ष 2009 पहले संस्थित की गयी थी। किंतु, इस मामले के अन्वेषण के दौरान मामला राज्य निगरानी को सौंपा गया था, जिसके बाद दिनांक 12.9.2012 को निगरानी केस सं॰ 20 वर्ष 2012 संस्थित किया गया था। निगरानी विभाग ने द्वितीय प्राथमिकी में किए गए अभिकथन के आधार पर अन्वेषण शुरू किया और अन्वेषण अभी भी लंबित है। अत:, निगरानी की प्रेरणा पर दर्ज द्वितीय प्राथमिकी निगरानी पी॰ एस॰ केस सं॰ 20 वर्ष 2012 के और संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए भी संहिता की धारा 482 के अधीन यह दांडिक विविध याचिका दाखिल की गयी है।

4. याची के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता ने द्वितीय प्राथमिकी के आधार पर दांडिक कार्यवाही जारी रखने का विधि में दोषपूर्ण के रूप में विरोध करते हुए गंभीरता से प्रतिवाद किया कि अन्वेषण एजेन्सी को केवल संज्ञेय अपराध जिसे संहिता की धारा 154 के अधीन थाना डायरी में पहले प्रविष्ट किया गया है कि कारिता के बारे में सूचना पर अग्रसर होना है और कोई पश्चातवर्ती प्राथमिकी अथवा द्वितीय प्राथमिकी संहिता की धारा 162 के अधीन आच्छादित होगी और इसलिए द्वितीय प्राथमिकी के आधार पर कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यह निवेदन भी किया गया

था कि अन्वेषण अधिकारी पर न केवल प्राथमिकी में रिपोर्ट किए गए संज्ञेय अपराध का अन्वेषण करने का बल्कि संबंधित सूचनाओं यदि उन्हें उसी संव्यवहार के क्रम में किया गया पाया जाता है को सम्मिलित करने का कर्तव्य डाला गया है और द्वितीय सूचना प्राथमिकी के रूप में नहीं मानी जा सकती है। अपने प्रतिवाद के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **टी॰ टी॰ एन्टोनी बनाम केरल राज्य एवं अन्य, (2001)6 SCC 181** और **बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, (2010)12 SCC 254** पर विश्वास किया है। विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री कश्यप ने आगे प्रतिवाद किया कि याची हज हाऊस के निर्माण के लिए किसी एजेन्सी द्वारा नियुक्त ठेकेदार भी नहीं था और अभिलेख पर मौजूद कोई दस्तावेज अथवा कोई करार अथवा कागज का टुकड़ा तक नहीं है कि याची को हज हाऊस के निर्माण के लिए कोई भुगतान कभी किया गया था। यह निवेदन भी किया गया था कि दोनों प्राथमिकियाँ एक ही घटना से उद्भूत हो रही हैं और दोनों प्राथमिकियों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि प्रथम प्राथमिकी घटना के तुरन्त बाद मुहल्ले के किसी प्राईवेट व्यक्ति द्वारा दर्ज की गयी थी और द्वितीय प्राथमिकी लगभग तीन वर्ष बाद निगरानी विभाग की प्रेरणा पर दर्ज की गयी थी। द्वितीय प्राथमिकी की भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अतिरिक्त भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन दर्ज की गयी थी किंतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के किसी प्रावधान का याची के विरुद्ध प्रयोज्यता नहीं है क्योंकि वह लोक सेवक नहीं है। आगे याची द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर के साथ संलग्न प्रधान सचिव, कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के पत्र परिशिष्ट–2 पर विश्वास करते हुए उन्होंने निवेदन किया कि एक करोड़ रुपयों की संपूर्ण स्वीकृत राशि मंजूर की गयी थी और हज हाऊस के निर्माण के लिए झारखंड राज्य हाऊसिंग बोर्ड, राँची को दी गयी थी और जाँच कमिटी द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट जो प्रत्युत्तर के परिशिष्ट–1 पर है में भी याची के नाम के बारे में चर्चा नहीं है यद्यपि कमिटी ने अनेक तकनीकी, निर्माण सम्बन्धी एवं संरचनात्मक त्रुटि पाया है और दोनों प्राथमिकी साथ नहीं चल सकती है। इस दशा में उसी अभिकथन पर द्वितीय प्राथमिकी दर्ज किया जाना विधि की दृष्टि में अनुज्ञेय नहीं है और चूँकि यह दं॰ प्र॰ सं॰ की योजना के साथ संगत नहीं है, यह अभिखंडित किए जाने योग्य है।

5. समानांतर स्तंभ में निगरानी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश ने निवेदन किया है कि चूँकि पूर्व प्राथमिकी प्राइवेट व्यक्ति की प्रेरणा पर दर्ज की गयी थी और अन्वेषण में कोई प्रगति नहीं हुई थी, बाद में राज्य सरकार ने अन्वेषण निगरानी को सौंपने का फैसला किया और आरंभिक जाँच के बाद द्वितीय प्राथमिकी निगरानी की प्रेरणा पर दर्ज की गयी थी। यह निवेदन भी किया गया था कि अन्वेषण के आरंभिक चरण पर जब प्रथम दृष्टया याची की सह–अपराधिता दर्शाने के लिए पर्याप्त सामग्री है, मात्र इस तथ्य के आधार पर कि दो प्राथमिकियाँ हैं, संपूर्ण दांडिक कार्यवाही तथा द्वितीय प्राथमिकी अभिखंडित नहीं की जा सकती है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे **निर्मल सिंह कहलोन बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, (2009)1 SCC 441,** जिसमें दो प्राथमिकियाँ, पहली राज्य निगरानी की प्रेरणा पर और दूसरी सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा, पर विश्वास करते हुए निवेदन किया कि जब ताथ्यिक आधारों पर नयी खोजें की गयी हैं और बड़ा षड्यन्त्र सामने आया है, उस अपराध जो उस अपराध जिसके लिए पहले ही प्राथमिकी दर्ज की गयी है से सुभिन्न एवं पृथक है के संबंध में प्रत्यक्ष अन्वेषण करने की छूट राज्य को है।

6. स्वीकृत रूप से, वर्तमान मामले में दो प्राथमिकियाँ दर्ज की गयी हैं। प्रथम, मुहल्ला के किसी प्राइवेट व्यक्ति की प्रेरणा पर अभिकथित घटना के तुरन्त बाद और द्वितीय प्राथमिकी निगरानी की प्रेरणा पर दर्ज की गयी थी जिसको बाद में राज्य सरकार द्वारा अन्वेषण सौंपा गया था जिसे वर्तमान याची सहित

अनेक व्यक्तियों के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 409, 420, 201, 109, 120B, 468 एवं 469 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (c) (d) के अधीन अपराध के लिए दर्ज किया गया था। अत:, उस पृष्ठभूमि में इस न्यायालय के समक्ष किए गए परस्पर विरोधी प्रतिवादों का परीक्षण करना आवश्यक है। इस न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न विचारार्थ आया है कि क्या प्राइवेट व्यक्ति की प्रेरणा पर दर्ज प्राथमिकी और राज्य के निगरानी विभाग द्वारा दर्ज दूसरी प्राथमिकी एक ही वाद हेतुक से संबंधित है? यहाँ मैं दोनों प्राथमिकियों पर चर्चा करना चाहूँगा। सूचक बेलाल खान की प्रेरणा पर दर्ज दिनांक 21.9.2009 की प्रथम प्राथमिकी डोरन्डा/अरगोरा पी॰ एस॰ केस सं॰ 371 वर्ष 2009 के परिशीलन से यह प्रतीत होगा कि इसे भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 406, 420, 120B, 288 एवं 337/34 के अधीन इस अभिकथन के साथ दर्ज किया गया था कि वह ग्राम कडरु का निवासी है जिसमें ठेकेदार मो॰ कासिर खान द्वारा हज भवन का निर्माण किया जा रहा था और उक्त निर्माण में सरकारी मानकों एवं लागत को अनदेखा किया गया था और निर्माण कार्य में अनेक अनियमितताएँ थी। अनियमितताओं से संबंधित सूचना भी विभिन्न प्राधिकारियों को और प्रबंधक को भी दी गयी थी जो निर्माण कार्य की देखभाल कर रहा है किंतु उन्होंने सदैव सूचक एवं अन्य व्यक्तियों की शिकायत को अनदेखा किया। यह भी अभिकथित किया गया है कि दिनांक 20.9.2009 को सायं 4.45 बजे उसने देखा कि हज भवन के पोर्टिको की ढलाई की जा रही थी और लगभग 50-60 मजदूर काम कर रहे थे, अचानक संपूर्ण पोर्टिको अनेक मजदूरों को उपहति कारित करते हुए ढह गया। उक्त मामला अभियुक्तों अर्थात् ठेकेदार मो॰ कासिर खान, छोटा ठेकेदार मो॰ नादिम, सहायक अभियन्ता, हज भवन कमिटी के सदस्यों के विरुद्ध दर्ज किया गया था। यह उपधारित किया गया था कि हज भवन का निर्माण घटिया था। उक्त प्राथमिकी के अनुसरण में अन्वेषण अधिकारी अन्वेषण करने के लिए अग्रसर हुआ और उक्त मामले के अन्वेषण के दौरान मुख्य अभियन्ता, हाऊसिंग बोर्ड, कार्यपालक अभियन्ता, मो॰ सब्बीर अली, सहायक अभियन्ता, हाउसिंग बोर्ड, अनुराग कुमार, कनीय अभियन्ता और ठेकेदार मो॰ क्यामुद्दीन खान एण्ड कंपनी को आलिप्त करते हुए द्वितीय प्राथमिकी दर्ज की की गयी थी और याची ने टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विश्वास किया था जिसे याची सहित अभियुक्तों की अंतर्ग्रस्तता दर्शाते हुए द्वितीय प्राथमिकी का भाग बनाया गया था। नि:संदेह, उसी घटना के संबंध में दो प्राथमिकियाँ दर्ज की गयी है किंतु दूसरी प्राथमिकी नए ताथ्यिक आधारों एवं व्यापक षड्यंत्र भाग पर विचार करते हुए निगरानी विभाग द्वारा दर्ज की गयी है। अपराध गंभीर होने के बावजूद पूर्व अन्वेषण पूरी गंभीरता से नहीं किया जा रहा था। तत्पश्चात, निगरानी ने पृथक रूप से नया मामला दर्ज करवाने के बाद अन्वेषण आरंभ किया जो न केवल षड्यंत्र का व्यापक भाग, दुर्विनियोग बल्कि नए ताथ्यिक आधार के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन कूटरचना एवं अपराधों को भी प्रकट करता है। ऐसी स्थिति में, दांडिक कार्यवाही जारी रहने के मुकाबले द्वितीय प्राथमिकी का दर्ज किया जाना अवैध तथा न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं कहा जा सकता है। **निर्मल सिंह कहलोन (ऊपर)** मामला में जैसा निगरानी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग समरुप विवाद्यक पर विचार करते हुए, जिसमें प्रथम प्राथमिकी राज्य सरकार के निगरानी विभाग की प्रेरणा पर दर्ज की गयी थी और द्वितीय प्राथमिकी सी॰ बी॰ आई॰ को अन्वेषण सौंपते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर दर्ज की गयी थी, उक्त निर्णय के पैराग्राफ 67 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

^^gekj er e] f}rh; çkFkfedh ik"k.kh; gkxh u doy blfy, fd fHkUu fooj.k Fk cfYd rkfF;d vkèkkjk ij u;h [kkt dh x;h FkhA ifyl çkfèkdkfj;k }kjk

*ckn d pj.k ij [kkt dh tk ldrh gA 0;kid "kM;= d ckj e [kkt Hkh ,d vU; dk;okgh e lkeu vk ldrh g] mnkgj.kLo#i] bl çÑfr d ekey eA ;fn ifyl çkfèkdkfj;k u fu"i{k vUo"k.k ugh fd;k vkj viu dk;{k= l ekey d "kM;U= igy dk NkM fn;k] gekj er e] tl vkj tc ;g lkeu vk;k] jkT; vkj@vFkok mPp U;k;ky; dk vijkèk tk ml vijkèk ft ld fy, çkFkfedh igy l gh nt dh x;h Fkh l lfHkUu ,o iFkd g d lcèk e vUo"k.k dk fun'k nu dh NV gA***

इसी प्रकार से, **रामलाल नारंग बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), (1979)2 SCC 322,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मामले पर विचार किया जिसमें दो प्राथमिकियाँ दर्ज की गयी थी। पहली वाली पश्चातवर्ती व्यापक षड्यंत्र का भाग निर्मित करती है जो नयी सूचना की प्राप्ति पर प्रकाश में आयी। कुछ षड्यंत्रकारी दोनों प्राथमिकियों में एक ही थे और दोनों मामलों में षड्यंत्र का उद्देश्य एक ही नहीं था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि क्या दोनों प्राथमिकियों के आधार पर अन्वेषण एवं आगे की कार्यवाही अनुज्ञेय थी, निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

*^^oreku ekey e ge Li"V g fd "kM;= tk nkuk ekeyk d fo"k;oLr g In'k ugh dg tk ldr g ;|fi "kM;= tk igy ekey dk fo"k;oLr g dk ml "kM;= dk Hkkx gkrk 'kk;n dgk tk ldrk g tk nlj ekey dk fo"k; oLr gA***

7. प्रथम प्राथमिकी में, यद्यपि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 120B के अधीन षड्यंत्र का प्रावधान अभिकथित किया गया है किंतु द्वितीय प्राथमिकी में व्यापक षड्यंत्र के स्पष्ट अभिकथन के अतिरिक्त भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधान भी जोड़े गए हैं जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट पर आधारित है। दोनों प्राथमिकियों के पटल बिल्कुल भिन्न हैं और अभियुक्तों की संख्या भी भिन्न है और पश्चातवर्ती प्राथमिकी व्यापक षड्यंत्र के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के अनेक अभियन्ताओं को भी सम्मिलित करती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **निर्मल सिंह कहलोन (ऊपर)** मामले में दो प्राथमिकियों के विस्तार पर विचार करते हुए पैराग्राफों 57 एवं 58 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

"57. gekj er e] oreku ekeyk jkeyky ukjx ekey d erkfcd cgrj vkèkkj ij bl vFk e fVdk g fd tgk çFke çkFkfedh u "kM;= d vfLrRo d lcèk e dkb vfHkdFku ugh fd;k] f}rh; çkFkfedh u fd;kA nkuk çkFkfefd;k dk iVy fcYdy fHkUu gA nkuk çkFkfefd;k e vfHk;Dr dh l[;k Hkh fHkUu gA

*58. ge ?kkVkyk d edkcy fdlh 0;fDr vFkok 0;fDr;k d leg }kjk fd, x, vijkèk d chp lfHkUurk dk Hkh è;ku e j[kuk gkxk ft ldk vFk g ^>B cgkuk d vèkhu] ihfMr dk fo'okl thr dj fdlh vU; l èku ;k lifÙk ikuk] ;g èkk[kkèkMh Hkh lfEefyr djrk gA***

8. स्वीकृत रूप से, निगरानी विभाग की प्रेरणा पर दर्ज की गयी द्वितीय प्राथमिकी में याची का नाम अभियुक्तों की सूची में आता है और निगरानी मामला सं॰ 20 वर्ष 2012 की केस डायरी के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि यह दर्शाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि हज भवन में किए गए कार्य के संबंध में याची मेसर्स मो॰ क्यामुद्दीन खान एन्ड कंपनी के मो॰ कासिर खान को विशाल राशियाँ दी गयी हैं और

भुगतान रसीदों पर मो॰ कासिर खान का हस्ताक्षर भी है। केस डायरी से यह भी प्रकट है कि बिग ब्रिक फ्लैट, स्वायलिंग, पी॰ सी॰ सी॰, आर॰ सी॰ सी॰ काम के लिए याची को विभिन्न तिथियों पर विशाल राशि दी गयी थी और अन्वेषण के दौरान समस्त गवाहों ने इस तथ्य का समर्थन किया है कि याची कंपनी को निर्माण कार्य दिया गया था। अत: गवाहों के बयान स्पष्टत: पूर्वोक्त निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित सिद्धांतों के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला बनाते हैं। यह भी तथ्य है कि निगरानी द्वारा मामले के संस्थापन के बाद पुलिस मामले का संपूर्ण अभिलेख निगरानी ब्यूरो के मामले के संस्थापन के बाद पुलिस मामले का संपूर्ण अभिलेख निगरानी ब्यूरो की फाइल पर अंतरित किया गया है और उस प्रभाव की सूचना निगरानी न्यायालय को दी गयी है।

9. एक अन्य मामले **उपकार सिंह बनाम वेद प्रकाश एवं अन्य, (2004)13 SCC 292,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने षड्यंत्र भाग पर विचार करते हुए पैराग्राफ 23 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

> *^^pkg tk Hkh gk] ;fn VhO VhO ,UVkuh ekey e bl U;k;ky; }kjk vfèkdfFkr fofèk dk ;g vfHkfuèkkfjr dju oky d :i e Lohdkj fd;k tkuk g fd çfr&ifjokn d :i e nkf[ky mlh ?kVuk d lcèk e f}rh; ifjokn lfgrk d vèkhu çfrf"k) g] rc gekj er e ,lk fu"d"k xHkhj ifj.kkek dh vkj y tk,xkA ;g ;gk uhp fn, x, çkDdfYir mnkgj.k l Li"V gkxk vFkkr ;fn okLrfod vfHk;Dr }kjk fd, x, vijkèk d lcèk e og >Bk ifjokn nt dju dk igyk volj yrk g vkj vfèkdkfjrki.k ifyl }kjk ogh ifjokn nt fd;k x;k g] rc ,l vijkèk dk ihfMr ç'uxr ?kVuk dk viuk fooj.k nr g, ifjokn nt dju l vioftr fd;k tk,xk] ifj.kkeLo#i og okLrfod vijkèkh dk ltk fnyoku d viu oèk vfèkdkj l ofpr fd;k tk,xkA ;g lfgrk dk rkRi; ugh gk ldrk gA***

10. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में, मैंने सुनिश्चित विधिक अवस्था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित निर्णयाधार पर चर्चा किया है। नयी प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निगरानी की ओर से कोई अवैधता प्रतीत नहीं होती है। मैंने याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत दो निर्णयों **टी॰ टी॰ एंटोनी (ऊपर)** तथा **बाबू भाई (ऊपर)** का परिशीलन किया है और मैं पाता हूँ कि उन दो मामलों के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से भिन्न हैं और इस दशा में उक्त दो मामलों में अधिकथित सिद्धांत वर्तमान मामले पर प्रयोज्य नहीं है। **बाबू भाई (ऊपर)** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए पैराग्राफ 21 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

> *^^,l ekey e U;k;ky; dk nkuk çkFkfefd;k dk mnHkr dju oky rF;k ,o ifjfLFkfr;k dk ijh{k.k djuk gkxk vkj le#irk dh ijh{kk ;g irk yxku d fy, ykx dh tkuh g fd D;k nkuk çkFkfefd;k ,d gh ?kVuk d lcèk e mlh ?kVuk l lcfèkr g vFkok ?kVukvk d lcèk e g tk mlh l0;ogkj d nk vFkok vfèkd Hkkx gA ;fn mÙkj ldkjkRed g] f}rh; çkFkfedh vfHk[kfMr fd, tku dh nk;h gA fdr] ;fn foijhr fl) fd;k tkrk g tgk f}rh; çkFkfedh e fooj.k fHkUu g vkj o nk fHkUu ?kVukvk@vijkèkk d lcèk e g] f}rh; çkFkfedh vuK; gA ;fn mlh ?kVuk d lcèk e çFke çkFkfedh e vfHk;Dr fHkUu fooj.k vFkok çfr nkok d lkFk vkx vkrk g] nkuk çkFkfefd;k dk vUo"k.k fd;k tkuk gkxkA***

अत:, उक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि एक ही घटना के संबंध में एक ही समय पर दो प्राथमिकियाँ जारी रह सकती है यदि विपरीत सिद्ध किया जाता है। **टी॰ टी॰ एंटोनी (ऊपर)** मामले में तथ्य बिल्कुल

भिन्न हैं और प्रथम मामले के दर्जकरण के बाद राज्य में सरकार बदली थी और द्वितीय प्राथमिकी दर्ज की गयी थी और उस मामले के दोनों प्राथमिकियों में प्रस्तुत अन्वेषण रिपोर्ट तथा तथ्यों पर विचार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने द्वितीय प्राथमिकी अभिखंडित कर दिया और संबंधित न्यायालय को संहिता की धारा 173 में यथा अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने का निर्देश दिया और यदि न्यायालय महसूस करता है, यह मामले के नए अन्वेषण का निर्देश दे सकता है। वर्तमान मामले के प्राथमिकी एवं केस डायरी के संयुक्त पठन पर, भाग जिस पर मैंने उपर चर्चा किया है, यह उपधारित नहीं किया जा सकता है कि अभियोजन के समर्थन में विधित: स्वीकार्य साक्ष्य नहीं है।

11. प्रकटत: अन्वेषण आरंभिक चरण पर है और निगरानी द्वारा आरोप-पत्र भी दाखिल नहीं किया गया है। यह सुनिश्चित है कि अत्यन्त आरंभिक चरण पर प्राथमिकी का अभिखंडन ''मुर्दा पैदा शिशु की हत्या'' के तुल्य होगा। अभियोजन की आवाज दबानी नहीं चाहिए जबतक ऐसा करने का बाध्यकारी कारण नहीं है। अन्वेषण अथवा प्राथमिकी आरंभ में अभिखंडित नहीं की जा सकती है यदि अभिकथन में कोई सार है जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **विनोद रघुवंशी बनाम अजय अरोड़ा एवं अन्य (2013) (10) SCC 581** में पैराग्राफों 30 एवं 31 पर अभिनिर्धारित किया है। उपर की गयी चर्चा की दृष्टि में, मेरे मत में यह द्वितीय प्राथमिकी अभिखंडित करने का चरण नहीं है जो विधि में अननुज्ञेय नहीं है।

12. दांडिक विविध याचिका गुणागुण रहित होने के कारण एतद् द्वारा खारिज की जाती है। किंतु, याची को विचारण के दौरान अथवा कार्यवाही में समुचित चरण पर समस्त प्रश्नों को उठाने की छूट होगी।

---

ekuuh; çeFk iVuk;d] U;k;efr

अब्दुल खालीक हुसैन

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 5628 of 2012. Decided on 9th November, 2016.

सेवा विधि–दंड–समेकित प्रभाव से दो वेतनवृद्धियों को रोकना मुख्य दंड है–जाँच रिपोर्ट आरोपों के विरुद्ध बचाव के अवसर का अभिन्न भाग है और ऐसे अधिकार से वंचित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है–द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी करना भी आवश्यक शर्त है जिसका अनुपालन किया जाना चाहिए था–आक्षेपित आदेश सुभेद्य बन गया है और तद्नुसार अभिखंडित किया जाता है–रिट याचिका अनुज्ञात की गयी।(पैराएँ 6 एवं 8)

निर्णयज विधि.–1990 (6) SLR 73; (1993)4 SCC 727—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Afaque Ahmad, For the Petitioner; Mr. Aanya, For the Respondent.

प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति.–संलग्न रिट याचिका में अन्य बातों के साथ दिनांक 7.7.2012 के मेमो में यथा अंतर्विष्ट कार्यालय आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना की गयी है जिसके द्वारा रिट आवेदन के परिशिष्ट-7 में यथा अंतर्विष्ट (i) समेकित प्रभाव से दो वेतनवृद्धियों को रोकने और (ii) निलंबन के दौरान याची को केवल निर्वाह भत्ता का भुगतान करने का दंड याची पर अधिरोपित किया गया है और निलंबन अवधि के लिए याची के पक्ष में पूर्ण वेतन का भुगतान करने का निर्देश प्रत्यर्थियों को देने की प्रार्थना की गयी है।

2. विस्तृत विवरणों के बिना रिट याचिका में प्रकट तथ्य ये हैं कि आरंभ में याची को देव प्रखंड, औरंगाबाद के चकबन्दी कार्यालय में मोहर्रिर के रूप में नियुक्त किया गया था। हल्का कर्मचारी के रूप में बने रहते हुए याची को रजिस्टर II के नगरपालिका धृति सं॰ 38/A के खेवट सं॰ 1 से संबंधित वार्ड सं॰ 4 (पुराना) एवं नया वार्ड सं॰ 18 से संबंधित अभिलेखों के छल साधन के अभिकथन पर अपर समाहर्ता, चतरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 21.9.2010 के आदेश के तहत निलंबन के अधीन किया गया था। तत्पश्चात, याची के विरुद्ध फॉर्म-क में आरोप विरचित किया गया था जैसा रिट आवेदन के परिशिष्ट-2 से स्पष्ट है। रिट आवेदन में प्रतिवाद किया गया है कि अंचलाधिकारी, चतरा द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट, जिसे दिनांक 25.5.2010 के पत्र के तहत उपायुक्त, चतरा को अग्रसर किया गया था, प्रकट करती है कि याची द्वारा रजिस्टर II में छल साधन नहीं किया गया था जैसा रिट आवेदन के परिशिष्ट-3 से स्पष्ट है। आगे यह प्रतिवाद किया गया है कि कार्यपालक अभियन्ता-सह-प्रेजेंटेशन अधिकारी, चतरा ने दिनांक 25.5.2011 के पत्र के तहत भू-सुधार उप-समाहर्ता-सह-कंडक्टिंग अधिकारी को लिखा है कि रजिस्टर II में अभिकथित छल साधन के लिए याची के विरुद्ध कोई भी साक्ष्य नहीं पाया गया है जैसा रिट आवेदन के परिशिष्ट-4 से स्पष्ट है। याची द्वारा यह विनिर्दिष्ट अभिकथन भी किया गया है कि जाँच समाप्त होने के बाद जाँच रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत की गयी थी जिसकी आपूर्ति याची को कभी नहीं की गयी थी। किंतु, याची ने इसे दिनांक 30.7.2012 के मेमो के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्त किया। आगे यह प्रतिवाद किया गया है कि जब जाँच रिपोर्ट की प्रस्तुती के बाद निलंबन के प्रतिसंहरण के लिए प्रत्यर्थियों द्वारा कार्रवाई नहीं की गयी थी, याची निलंबन आदेश से व्यथित होकर डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 1974 वर्ष 2012 दाखिल करके इस न्यायालय के पास आया जिसे प्रत्यर्थी सं॰ 2 उपायुक्त, चतरा को आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर जाँच रिपोर्ट पर निर्णय करने का निर्देश देते हुए दिनांक 16.4.2012 के आदेश द्वारा निपटाया गया था। तत्पश्चात, उपायुक्त, चतरा ने दिनांक 7.7.2012 का आदेश जारी किया जिसके द्वारा याची पर आक्षेपित निर्णय अधिरोपित किया गया है।

3. परिशिष्ट-7 पर आक्षेपित निर्णय से व्यथित तथा असंतुष्ट होकर याची किसी वैकल्पिक, प्रभावकारी एवं त्वरित उपचार नहीं होने के चलते भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन असाधारण अधिकारिता का अवलंब लेते हुए अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए इस न्यायालय के पास आया है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क के क्रम के दौरान जोरदार निवेदन किया है कि परिशिष्ट-7 पर आक्षेपित आदेश प्रक्रियात्मक अनियमितताओं से भरा है जिसने याची पर घोर प्रतिकूलता कारित किया है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि दंड का आक्षेपित आदेश मुख्य दंड है और ऐसा मुख्य दंड अधिरोपित करने के पहले द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए था जिसे वर्तमान मामले में जारी नहीं किया गया है, अत: आक्षेपित आदेश विधित: संपोषणीय नहीं है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि अन्यथा भी मुख्य दंड अधिरोपित करने के लिए याची के विरुद्ध सामग्री बिल्कुल नहीं है, अत: परिशिष्ट-7 पर आक्षेपित आदेश विधित: संपोषणीय नहीं है और अभिखंडित किए जाने का दायी है।

5. विद्वान जी॰ पी॰ V के जे॰ सी॰ राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आक्षेपित आदेश में कोई दुर्बलता अथवा अवैधता नहीं है और प्रति शपथ पत्र में किए गए निवेदनों को दोहराया। सुनवाई के क्रम के दौरान राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिशपथ पत्र के पैराग्राफ 11 को निर्दिष्ट करते हुए निवेदन

किया कि डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 1974 वर्ष 2012 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 16.4.2012 के आदेश के अनुपालन में उपायुक्त, चतरा ने याची के निलंबन आदेश का अवलंब लेते हुए आक्षेपित दण्ड अधिरोपित किया जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुनने के बाद और अभिलेखों का परिशीलन करने पर, मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि याची निम्नलिखित तथ्यों, कारणों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं के कारण हस्तक्षेप के लिए मामला बनाने में सक्षम हुआ है:–

(i) वर्तमान मामले में याची इस रिट आवेदन के परिशिष्ट–7 के तहत दिनांक 7.7.2012 के आक्षेपित आदेश द्वारा व्यथित है। यह प्रतीत होता है कि आरोप जिन्हें याची के विरुद्ध लगाया गया है, जाँच कार्यवाही में सिद्ध नहीं किए गए हैं किंतु प्रत्यर्थीगण स्वयं को सर्वोत्तम ज्ञात कारणों से गलत रूप से इस निष्कर्ष पर आए हैं कि आरोप सिद्ध किए गए हैं जो जाँच अधिकारी के निष्कर्ष के विपरीत है जैसा रिट आवेदन के परिशिष्ट–5 से प्रकट है। अत:, विवेक का इस्तेमाल किए बिना आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो विधित: संपोषणीय नहीं है।

(ii) इसके अतिरिक्त, इस तथ्य से इनकार नहीं है कि अनुशासनिक कार्यवाही में जाँच रिपोर्ट की आपूर्ति न्यायोचित एवं निष्पक्ष विभागीय कार्यवाही के लिए अनिवार्य है और जाँच रिपोर्ट की अनापूर्ति ने याची के मामले पर गंभीर प्रतिकूलता कारित किया है और याची द्वारा रिट आवेदन में इस प्रभाव का प्रकथन किया गया था जिसे प्रत्यर्थी द्वारा प्रतिशपथ पत्र में खंडित नहीं किया गया है, अत: याची का प्राख्यान अखंडित रहा है और non-traverse के सिद्धांत पर स्वीकार्य है।

इस संदर्भ में, **प्रबंध निदेशक, ई॰ सी॰ आई॰ एल॰, हैदराबाद एवं अन्य बनाम बी॰ करुणाकर एवं अन्य, (1993)4 SCC 727,** में दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट करना उपयुक्त होगा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित किया है कि जाँच रिपोर्ट आरोपों के विरुद्ध बचाव के अवसर का अखंडित भाग है और उक्त अधिकार से वंचित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है।

(iii) दिनांक 7.7.2012 के आक्षेपित आदेश का परिशीलन करने पर, यह स्पष्ट है कि समेकित प्रभाव के साथ दो वेतन वृद्धियों को रोका जाना **कुलवंत सिंह गिल बनाम पंजाब राज्य, 1990 (6) SLR 73** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि के मुताबिक मुख्य दंड है।

चूँकि दंड का आक्षेपित आदेश मुख्य दंड है, ऐसा दंड अधिरोपित करने के पहले द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना आवश्यक शर्त है जिसका अनुपालन किया जाना चाहिए था किंतु वर्तमान मामले में इसका अनुपालन नहीं किया गया है, अत: उस आधार पर भी आक्षेपित आदेश न्यायिक हस्तक्षेप के लिए सुभेद्य बन गया है।

7. पूर्वोक्त तथ्यों, कारणों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं के समेकित प्रभाव पर दिनांक 7.7.2012 के मेमो सं॰ 477 पर आक्षेपित आदेश (परिशिष्ट–7) एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरुप, प्रत्यर्थियों को याची के निलंबन की अवधि के लिए धनीय लाभ देने का निर्देश दिया जाता है।

8. पूर्वोक्त संप्रेक्षणों एवं निर्देशों के साथ रिट आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

ekuuh; ,p lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

सीमा पाठक

cuke

छोटेलाल पाण्डे

First Appeal No. 198 of 2008. Decided on 29th November, 2016.

एम॰ टी॰ एस॰ सं॰ 205 वर्ष 2006 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राँची द्वारा पारित दिनांक 16.5.2007 के आदेश एवं डिक्री के विरुद्ध।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955—धारा 13-B—पारस्परिक सहमति से तलाक—अवर न्यायालय ने अपने आप को समाधान कराने का कोई प्रयास नहीं किया है कि पक्षकारों की सहमति बलपूर्वक, धोखे या अनुचित प्रभाव डालकर प्राप्त नहीं की गई थी—अवर न्यायालय ने पक्षकारों के विवाद के सम्बन्ध में एक समझौते पर पहुँचने में उनकी सहायता करने या उन्हें तैयार करने के भी कोई प्रयास नहीं किए थे जो कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 9 एवं सि॰ प्र॰ सं॰ का आदेश 23-A, नियम 3 दोनों के अधीन आज्ञापक अपेक्षा है—आक्षेपित डिक्री अपास्त तथा निर्णय के लिए मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित। (पैराएँ 14 से 16)

निर्णयज विधि.—2007 (1) JLJR 615—Referred.

अधिवक्तागण.—M/s Manoj Tandon, Rashmi Kumari & Shiv Shankar Kumar, Micky Kumari, For the Appellant; Mr. Sanjay Kumar Pandey, For the Respondent.

न्यायालय द्वारा.—अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. अपीलार्थी एम॰ टी॰ एस॰ सं॰ 205 वर्ष 2006 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राँची द्वारा पारित दिनांक 16.5.2007 के आदेश से व्यथित है, जिसके द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13-B के अधीन आवेदकों द्वारा दाखिल संयुक्त याचिका अनुज्ञात कर दी गई है तथा पारस्परिक सहमति से तलाक की डिक्री द्वारा पक्षकारों के बीच विवाह भंग कर दिया गया है।

3. यद्यपि आक्षेपित आदेश तथा डिक्री को भी कपट के आधार पर चुनौती देते हुए अपीलार्थी पत्नी द्वारा अपील दाखिल की गई है, ऐसा कथित करते हुए कि उसके हस्ताक्षर सादे कागजों पर प्राप्त किए गए थे तथा यह भी कथित करते हुए कि 10.11.2006 को याचिका के प्रस्तुतिकरण की तिथि के पहले लगभग तीन महीनों तक अपीलार्थी प्रत्यर्थी के साथ रही थी, परन्तु ये तथ्यों के प्रश्न हैं, जिन्हें इन आधारों पर डिक्री को अपास्त करने के लिए आक्षेपित आदेश को चुनौती देते हुए अपीलार्थी द्वारा अवर न्यायालय में ही एक आवेदन दाखिल करके साक्ष्य पर सिद्ध किया जाना था। तथापि, अपीलार्थी ने ऐसा अभिकथित करते हुए भी अपील को दाखिल किया है कि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13-B के अधीन दाखिल याचिका अनुज्ञात करते समय विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधि की आज्ञापक अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है। मात्र इस आधार पर, हम इस अपील का निर्णयन कर रहे हैं।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अवर न्यायालय के अभिलेखों से निर्दिष्ट किया है कि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13-B के अधीन 10.11.2006 को याचिका दाखिल किया गया था तथा दिनांक 30.11.2006 के आदेश से, मामले को छः महीनों के उपरांत सूचीबद्ध किए जाने के लिए नियत कर दिया गया था एवं तिथि 14.7.2007 निर्धारित की गई थी। अवर न्यायालय के अभिलेखों से यह निर्दिष्ट किया गया है कि उक्त आदेश को वापस लिए बिना, किसी न किसी तरह 14.5.2007 को ही मामले

पर विचार किया गया था तथा 16.5.2007 को हिन्दू विवाह अधिनियम, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की भी आज्ञापक अपेक्षाओं का अनुपालन किए बिना अधिनियम की धारा 13-B के अधीन दाखिल आवेदन अनुज्ञात कर दिया गया था।

5. विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 9 तथा सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश XXXII-A, नियम 3 पहले संव्यवहार में प्रत्येक वाद या कार्यवाही में समझौते के लिए प्रयास करने, तथा वाद या कार्यवाही की विषय वस्तु के सम्बन्ध में एक समझौते पर पहुँचने में पक्षकारों की सहायता करने एवं उन्हें तैयार करने के लिए प्रयास करने का दायित्व कुटुम्ब न्यायालय पर अधिरोपित करती है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनियम की धारा 13-B के अधीन दाखिल याचिका अनुज्ञात करते हुए कुटुम्ब न्यायालय द्वारा इन प्रावधानों का कभी भी अनुपालन नहीं किया गया था।

6. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13-B के अधीन तलाक की एक डिक्री द्वारा विवाह भंग किए जाने के लिए एक वाद में, धारा 13-B (2) विहित करती है कि अधिनियम की धारा 13-B के अधीन अन्तिम आदेश पारित करने के पहले, न्यायालय को पक्षकारों की सुनवाई करने के उपरांत तथा ऐसी जाँच, जिसे यह उपयुक्त समझे, कराने के उपरान्त अपने आपको समाधान कराना है कि विवाह विधिवत सम्पन्न हुआ था तथा याचिका में प्रकथन सही है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 23 (1) (bb) की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जो न्यायालय के लिए पारस्परिक सहमति के आधार पर ईप्सा किए जा रहे तलाक के मामले में ऐसा समाधान होना आवश्यक बनाती है कि ऐसी सहमति बलपूर्वक, धोखे से या अनुचित प्रभाव डालकर प्राप्त नहीं की गई है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनियम की धारा 13-B के अधीन याचिका दाखिल करते हुए कुटुम्ब न्यायालय द्वारा इन प्रावधानों का कभी भी अनुपालन नहीं किया गया था।

7. विद्वान अधिवक्ता ने (2007)1 JLJR 615 में रिपोर्ट किए गए **श्री हिना सिंह बनाम सत्य कुमार सिंह** में इस न्यायालय की खण्डपीठ के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें समरुप परिस्थिति में, हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13-B के अधीन पारित डिक्री इस न्यायालय द्वारा अपास्त कर दी गई थी। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश तथा डिक्री विधि की दृष्टि में समर्थित नहीं किए जा सकते हैं।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह का विरोध किया है तथा निवेदन किया है कि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13-B के अधीन 10.11.2006 को संयुक्त याचिका दाखिल की गई थी तथा दिनांक 15.5.2007 के आदेश द्वारा इसे अनुज्ञात किया गया है क्योंकि उक्त याचिका इस दौरान वापस नहीं ली गई थी तथा पक्षकार अलग-अलग रह रहे थे, एवं तद्नुसार यह समाधान होने पर कि इसे पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अवर न्यायालय ने याचिका अनुज्ञात कर दिया है तथा पारस्परिक सहमति से तलाक की डिक्री द्वारा विवाह भंग कर दिया है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि आक्षेपित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है।

9. कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 9 निम्नवत् पठित है:-

*"9. **le>krk djku d fy, ç;Ru dju dk U;k;ky; dk dÙkO;-**&(1) tgk ekey dh çÑfr vkj ifjfLFkfr;k d vulkj ,lk djuk lHko g ogk çR;d okn ;k dk;okgh e dVEc U;k;ky; loçFke ;g ç;kl djxk fd okn ;k dk;okgh dh fo"k; oLr dh ckcr fdlh le>kr ij igpu d fy; i{kdkjk dh lgk;rk dh tk; ;k mUg euk;k tk; vkj bl ç;ktu d fy; dVEc U;k;ky;] mPp U;k;ky; }kjk cuk; x; fdUgh fu;ek d vèkhu jgr g;] ,lh çfØ;k dk vulj.k dj ldxk tk og Bhd le>A*

(2) ;fn fdlh okn ;k dk;okgh d fdlh çØe ij dVEc U;k;ky; dk ;g çrhr gkrk g fd i{kdkjk d chp le>kr dh ;fDr;Dr lEHkkouk g rk dVEc U;k;ky;] dk;okfg;k dk ,lh vofèk d fy,] tk og Bhd le> LFkfxr dj ldxk ftll dh ,lk le>krk djku d fy; ç;Ru fd;k tk ldA

*(3) mièkkjk (2) }kjk çnÙk 'kfDr] dk;okfg;k dk LFkfxr dju dh dVEc U;k;ky; dh fdlh vU; 'kfDr d vfrfjDr gkxh u fd mld vYihdj.k eA***

10. सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश XXXII-A, नियम 3 निम्नवत पठित है:–

*''3. **fuiVkj d fy, ç;Ru dju dk U;k;ky; dk dr0;**-&(1) ,l çR;d okn ;k dk;okgh e ftl ;g vkn'k ykx gkrk g] U;k;ky; okn dh fo"k;&oLr d ckj e fuiVkjk djku e i{kdkjk dh lgk;rk dju d fy, gj ekey e tgk ,lk djuk ekey dh çÑfr vkj ifjfLFkfr;k e llxr lHko gk] çFker% ç;kl djxkA*

(2) ;fn ,l fdlh okn ;k dk;okgh d fdlh iØe e U;k;ky; dk ;g irhr gkrk g fd i{kdkjk d chp fuiVkj dh ;fDr;Dr lEHkkouk g rk U;k;ky; dk;okgh dk ,lh vofèk d fy,] tk og Bhd le>] LFkfxr dj ldxk fd ,lk fuiVkjk dju d fy, i;Ru fd, tk ldA

*(3) mifu;e (2) }kjk inÙk 'kfDr dk;okfg;k LFkfxr dju dh U;k;ky; dh fdlh vU; 'kfDr d vfrfjDr gkxh] u fd mld vYihdj.k eA***

11. हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13-B निम्नवत पठित है:–

*''13B. **ikjLifjd lEefr }kjk fookg&foPNn (rykd)**-&bl vfèkfu;e d çkoèkkuk d vèkhu jgr g, ;k nkuk i{kdkj feydj fookg&foPNn dh fMØh fookg d fo?kVu d fy, ;kfpdk fty U;k;ky; e] pkg ,lk fookg] fookg fofèk (l'kkèku) vfèkfu;e] 1976 (1976 dk 68) d çkjEHk d io vu"Bkfir fd;k x;k gk pkg mld i'pkr bl vkèkkj ij i'k dj ldx fd o ,d o"k ;k mll vfèkd l vyx&vyx jg jg g vkj o ,d lkFk ugh jg ld g rFkk o bl ckr d fy, ijLij lger gk x; g fd fookg fo?kfVr dj nuk pkfg;A*

(2) mièkkjk (1) e fufn"V ;kfpdk d miLFkkfir fd; tku dh frfFk l N% ekl d i'pkr ,o mDr fnukd d vBkjg ekl d Hkhrj nkuk i{kdkjk }kjk fd; x; çLrko ij] ;fn bl chp ;kfpdk okil ugh y yh xb gk rk] U;k;ky; i{kdkjk dk luu d i'pkr vkj ,lh tkp] tlh og Bhd le>] dju d i'pkr viuk ;g lekèkku dj yu ij fd fookg vu"Bkfir gvk g vkj vth e fd; x; çdFku lgh g ;g ?kk"k.kk dju okyh fMØh ikfjr djxk fd fookg fMØh dh frfFk l fo?kfVr gk tk,xkA]''

12. हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 23 (1) (bb) निम्नवत पठित है:–

***dk;okfg;k e fMØh**-&(1) bl vfèkfu;e d vèkhu fdlh dk;okgh e] pkg mle çfrj{kk dh xb gk ;k ugh] ;fn U;k;ky; dk lekèkku gk tkrk g fd&*

(a) xxx xxx xxx

(b) xxx xxx xxx

(bb) tc fookg&foPNn (rykd) ikjLifjd lEefr d vkèkkj ij pkgk x;k g] vkj ,lh lEefr cy] diV ;k vlE;d vlj l vfHkçkIr ugh dh x;h g(vkj

(c) xxx xxx xxx"

13. इन प्रावधानों का कोरा पठन स्पष्टत: दर्शाता है कि ये सारे आज्ञापक प्रावधान हैं, जिनका अवर न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 13-B के अधीन पारस्परिक सहमति से तलाक की अन्तिम डिक्री पारित करने के पहले अनुपालन किया जाना था। **श्रीमती हिना सिंह (ऊपर)** के मामले में इस न्यायालय ने निम्नवत विधि अधिकथित किया है:–

*"16. vr,o] ;g Li"V g fd fgUn fookg vfèkfu;e] 1955 dh èkkjk 23, dVEc U;k;ky; vfèkfu;e] 1984 dh èkkjk 9 flfoy çfØ;k lfgrk dh èkkjk 89 ,o vkn'k XXXII-A vfèkfu.k;u d dk; ij vkx c<u d igy lyg l ;k ckrphr l g, le>kr dk ,d mi;Dr volj çnku djuk U;k;ky; d fy, ckè;dj cukr g dfri; dkjdk dk ekt n gku d dkj.k] tk vU; fooknk e ugh ik, tkr g] ookfgd fookn vU; çdkj d fooknk l fHkUu gkr gA ; dkjd çj.kk] Hkkouk,] lkekftd ckè;rk] i{kdkjk d o;fDrd nkf;Ro rFkk ftEenkjh] lkekU; :i l thou rFkk fo'k"k :i l fookg dh lLFkk d lEcUèk e nkuk i{kdkjk d nf"Vdk.k] Hkkoh thou dh lj{kk; g rFkk blh çdkj vkx HkhA vr,o] lEc) U;k;ky; ij U;k;ky; }kjk eè;LFkrk djk, tku dh Hkkjh ftEenkjh gkrh gA U;k;ky; dh e[; Hkfedk ikfjokfjd lEcUèkk dk rkMu d ctk; ,d lekèkku dk irk yxkuk gA ey&feyki d fy, ,d lR;fu"B ç;kl djuk fofèk dh vfuok;rk rFkk U;k;kèkh'k dk nkf;Ro Hkh gA tlk fd mij mYy[k fd;k x;k g] ookfgd fooknk e le>kr d egRo ij fopkj djr g, vkn'k XXXII-A vr% LFkkfir fd;k x;k Fkk D;kfd ifjokj dk cpku d vfUre mí'; dk çkIr dju d ,d rjhd d :i e ifjokj dk le>ku c>ku d vx.kh mí'; dk è;ku e j[kdj o;fDrd lEcUèk d lonu'khy {k= d fy, fo'k"k jo;k vko';d gA***

14. हमने अवर न्यायालय के अभिलेख का भी परिशीलन किया है। अभिलेख दर्शाता है कि 10.11.2006 को पक्षकारों द्वारा अधिनियम की धारा 13-B के अधीन याचिका दाखिल किया गया था। विवाह की तिथि में कुछ संशोधन हुआ था तथा 30.11.2006 को वाद ग्रहण किया गया था तथा इसे छ: महीनों के उपरान्त सूचीबद्ध किए जाने के लिए 14.7.2007 को नियत किया गया था। तिथि को पीछे लाने वाला कोई आदेश नहीं है, परन्तु 16.5.2007 को पक्षकारों के बीच विवाह भंग करके वाद अनुज्ञात कर दिया गया है, जो याचिका में किए गए संशोधन की तिथि, जिस तिथि को मामला ग्रहण किया गया था, से छ: महीनों की अवधि गुजरने के पूर्व की तिथि है। अवर न्यायालय के अभिलेख यह भी दर्शाते हैं कि 10.11.2006 को, दोनों आवेदकों ने याचिका के समर्थन में शपथ पत्र दाखिल किए थे तथा इसी शपथ पत्र के पीछे 15.5.2007 को, अवर न्यायालय द्वारा उनका बयान अभिलिखित किया गया था ऐसा अभिकथित करते हुए कि उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा से याचिका दाखिल किया था तथा वे तलाक द्वारा अपना विवाह भंग कराना चाहते हैं तथा ऐसे आधार पर, हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13-B के अधीन याचिका अवर न्यायालय द्वारा अनुज्ञात कर दी गई है। अन्य शब्दों में, अभिलेख स्पष्टत: दर्शाता है कि अवर न्यायालय ने पक्षकारों की सुनवाई करने के उपरान्त तथा कोई जाँच पड़ताल करने के उपरांत पक्षकारों के बीच विवाह होने तथा याचिका में प्रकथनों की सत्यपूर्णता के बारे में अपने आप को समाधान कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था, न ही अवर न्यायालय ने अपने–आपको यह समाधान कराने के लिए कोई प्रयास किया था कि पक्षकारों की सहमति बलपूर्वक, कपट, या अनुचित दबाव डालकर प्राप्त नहीं की गई थी, जैसा कि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 23 (1) (bb) के अधीन अपेक्षित है। अवर न्यायालय ने पक्षकारों के विवाद के सम्बन्ध में एक समझौते पर पहुँचने में उनकी सहायता करने

या उन्हें तैयार करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था, जो कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 9 तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXII-A नियम 3 दोनों के ही अधीन आज्ञापक अपेक्षा है।

15. वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि अवर न्यायालय ने पारस्परिक सहमति से तलाक की डिक्री पारित करते समय विधि के इन सारे आज्ञापक प्रावधानों की उपेक्षा की है। हमारी सुविचारित राय में, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राँची द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अन्तर्निहित अवैधानिकता से ग्रस्त है तथा इसे विधि की दृष्टि में समर्थित नहीं किया जा सकता है।

16. पूर्वोल्लिखित परिचर्चाओं की दृष्टि में, एम॰ टी॰ एस॰ सं॰ 205 वर्ष 2006 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राँची द्वारा पारित दिनांक 16.5.2007 के आक्षेपित आदेश तथा डिक्री एतद् द्वारा अपास्त किए जाते हैं। विधि के अनुसार मामले का फिर से निर्णय करने के लिए इसे अवर न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

17. तद्नुसार, यह अपील अनुज्ञात किया जाता है। अवर न्यायालय के अभिलेख तत्काल वापस भेजे जाएं।

---

ekuuh; Jh pUn'k[kj] U;k;efr

सुधीर सिंह

cuke

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

W.P.(S) No. 4755 of 2015. Decided on 8th December, 2016.

सेवा विधि–नियमितीकरण–दैनिक वेतन पर कार्यरत व्यक्ति दिनांक 13.2.2015 की अधिसूचना के निबन्धनों में नियमितीकरण के लिए विचार किए जाने के हकदार होते हैं–प्रत्यर्थीगण ने ऐसा अभिवचन नहीं लिया है कि याची को किसी स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्त नहीं किया गया था–नियमितीकरण के लिए याची के दावे पर विचार किया जाएगा अगर उसे अन्यथा पात्र पाया जाता है। (पैराएँ 4 से 6)

अधिवक्तागण.–Mr. Praveen Kumar, For the Petitioner; Mr. Baleshwar Yadav, For the State.

आदेश

रिट याचिका में आग्रह एक चतुर्थवर्गीय पद पर नियमितीकरण के लिए है।

2. सुना।

3. याची दावा करता है कि उसे दैनिक वेतन पर गोदाम चौकीदार के पद पर 1.4.1983 को नियुक्त किया गया था। वर्ष 2004 में, उसका स्थानान्तरण एवं पदस्थापन कार्यपालक अभियंता, विशेष संकर्म डिविजन, भवन निर्माण विभाग, राँची के न्यायालय में कर दिया गया था, तथापि उसने दैनिक वेतन पर कार्य करना जारी रखा था। यह प्रतीत होता है कि दिनांक 10.3.2010 के पत्र के तहत, अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग ने विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सूची माँगी थी। इसके उत्तर में, याची के सम्बन्ध में सूचना भी कार्यपालक अभियन्ता, विशेष संकर्म डिविजन, राँची द्वारा अग्रसारित कर दी गई थी। प्रति शपथ पत्र में, याची के विवरण प्रदान करने वाली चेक पर्ची की एक प्रति दाखिल की गई है। प्रत्यर्थीगण ने कथित किया है कि दिनांक 13.2.2015 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित नियमावली के खण्ड 3 के निबन्धनों में याची नियमितीकरण का हकदार नहीं है क्योंकि वह दैनिक वेतन पर कार्य कर रहा है।

4. याची कार्यपालक अभियंता द्वारा विभाग को अग्रसारित चेक पर्ची में पूर्वोक्त टिप्पणियों द्वारा व्यथित है। याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि **दिनेश्वर प्रसाद यादव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य (डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 2538 वर्ष 2015)** के मामले में उठाई गई एक सदृश अभ्यापत्ति पर विचार किया गया है, तथा यह निर्णीत किया गया है कि दिनांक 13.2.2015 की अधिसूचना के निबन्धनों में दैनिक वेतन पर चतुर्थवर्गीय पद पर कार्यरत व्यक्ति भी नियमितीकरण के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं। **दिनेश्वर प्रसाद यादव** के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नवत निर्णीत किया है:–

> *"6. tgk¡ rd bl rd dk lEcUèk g fd fnukd 13.2.2013 dh vfèklpuk d rgr jkT; ljdkj }kjk r;kj dh xb ,d ckj dh ;ktuk d vUrxr nfud oruHkkxh ugh vkr g] e ikrk g fd 2015 fu;ekoyh d vèkhu ,lk dkb oxhdj.k bfxr ugh gA oLrr% lfpo] dukVd jkT; ,o vU; cuke mek noh (3) ,o vU; e g, fu.k;] (2006)4 SCC 1 e fjikV fd;k x;k Fkk] dk ijk 43 nfud oru ij rFkk vkdfLed vkèkkj ij fu;fDr dk fufn"V djrk g rFkk mDr fu.k; d ijk 53 d vèkhu vfHkdfYir ,d ckj dh ;ktuk nfud oru ij nl o"k l vfèkd le; l yxkrkj :i l dk;jr 0;fDr;k dk fuf'pr :i l vkPNkfnr djxhA (2010)3 SCC 115 e fjikV fd, x, dukVd jkT; ,o vU; cuke x.kifr Nk;k uk;d ,o vU; e gvk fu.k; ftl ij Hkjklk fd;k x;k g] Li"V :i l rF;k ij lfHkUu fd, tku ;kX; gA mDr ekey e] jkT; ljdkj }kjk r;kj dh xb ;ktuk d vèkhu 1.7.1984 d igy dk;jr 0;fDr viuh lokvk d fu;ferhdj.k d ik= Fk] tcfd vkond@depkjhx.k mDr dV&vkQ&frfFk d mijkUr fu;Dr fd, x, FkA blh çdkj (2008)10 SCC 1 e fjikV fd, x, ^^vkfèkdkfjd ifjlekid cuke n;kuUn ,o vU;** e depkjh dk nkok vkeyu d fy, Fkk] ftlu çR;{k Hkrh }kjk fofHkUu loxk e fu;fDr d fy, lkfofèkd fu;ek dk yxHkx lekIr gh dj fn;k gkrkA oreku ekeyk n;kuUn d ekey e vfHkokd fd, x, ekey d leku ugh gA*

5. प्रतिशपथ पत्र में, प्रत्यर्थीगण ने ऐसा अभिवाक् नहीं लिया है कि याची को एक स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्त नहीं किया गया था। राज्य द्वारा उठाई गई इस अभ्यापत्ति के संदर्भ में कि दैनिक वेतन पर नियोजित व्यक्ति नियमितीकरण के हकदार नहीं है, डब्ल्यू॰पी॰(एस॰) सं॰ 2538 वर्ष 2015 में पारित आदेश की दृष्टि में, यह आदेश किया जाता है कि उस आधार पर याची का दावा अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

6. तदनुसार, यह आदेश किया जाता है कि दिनांक 13.2.2015 की अधिसूचना के निबन्धनों में नियमितीकरण के लिए याची के दावे पर विचार किया जाएगा, अगर उसे अन्यथा सुपात्र पाया जाता है।

7. रिट याचिका पूर्वोक्त सीमा तक अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

कुरेशा बीबी

cuke

भारत संघ, महाप्रबंधक पूर्व रेलवे, कोलकात्ता के माध्यम से एवं अन्य

W.P. (S) No. 5831 of 2015. Decided on 8th December, 2016.

सेवा विधि–कुटुम्ब पेंशन–याची का मृतक पति दैनिक वेतन के आधार पर कार्य करने वाला एक आकस्मिक कर्मकार मात्र था–रेलवे की सेवा में आमेलित किए जाए बिना उसकी

मृत्यु हो गई थी तथा उसने कभी भी रेलवे में अस्थायी दर्जा प्राप्त नहीं किया था, न ही वह रेलवे में एक स्थानापन्न था–उसका दावा काफी पुराना था–कैट द्वारा पारित आदेश बरकरार–रिट आवेदन खारिज। (पैरा 13 से 15)

निर्णयज विधि.–(1982)1 SCC 645; (1992)2 SCC 679; (1996)7 SCC 27—Referred; AIR 1997 SC 2843—Applied.

अधिवक्तागण.–Mr. Rajeev Ranjan Tiwary, For the Petitioner; M/s Mahesh Tewari, Abhishek Kumar Dubey, For the Union of India.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता तथा भारत संघ के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

2. याची ओ॰ ए॰ सं॰ 164 वर्ष 2012 (आर॰) में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सर्किट पीठ, राँची द्वारा पारित दिनांक 25.8.2014 के आदेश से व्यथित है, जिसके द्वारा याची, जो रेलवे के एक मृतक कर्मचारी स्वर्गीय नजरुद्दीन मियाँ की विधवा है, द्वारा प्रत्यर्थी रेलवे को उसे उसकी पति की मृत्यु की तिथि से कुटुम्ब पेंशन नियमावली, 1964 के अनुसार उसे कुटुम्ब पेंशन प्रदान करने के लिए प्रत्यर्थी रेलवे को निर्देश देने के लिए दाखिल मूल आवेदन (ओ॰ ए॰) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकारण द्वारा खारिज कर दिया गया है।

3. मामले के तथ्य एक संक्षिप्त परिधि में है। याची के मृतक पति, अर्थात् नजरुद्दीन मियाँ को दैनिक वेतन के आधार पर पूर्व रेलवे के अधीन आई॰ ओ॰ डब्ल्यू॰, मधुपुर के अन्तर्गत सी॰ पी॰ सी॰ (आकस्मिक निधि से संदत्त अस्थायी, खलासी के तौर पर नियुक्त किया गया था। लगभग 18 वर्षों तक निर्बाध रूप से सेवा करने के उपरान्त, किसी नियमित रिक्ति में आमेलित किए जाए बिना मो॰ नजरुद्दीन मियाँ की 1.7.1993 को मृत्यु हो गई थी। मृतक कर्मचारी की मृत्यु के उपरान्त, याची ने विधवा होने के नाते रेलवे के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल किया था ऐसा दावा करते हुए कि वह कुटुम्ब पेंशन की हकदार थी क्योंकि उसके पति ने 18 वर्षों से अधिक समय तक रेलवे को सेवा प्रदान किया था, परन्तु दिनांक 5.9.2011 का उसका अभ्यावेदन रेलवे द्वारा लंबित रखा गया था। तत्पश्चात, याची ओ॰ ए॰ सं॰ 164 वर्ष 2012 (आर॰) में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सर्किट पीठ के पास गया था।

4. प्रत्यर्थी के मामले के अनुसार, अधिकरण के समक्ष दाखिल लिखित कथन के मुताबिक, सी॰ पी॰ सी॰ खलासी के तौर पर कार्य करते हुए किसी नियमित पद के विरुद्ध याची के पति के आमेलन के पहले 1.7.1993 को उसकी मृत्यु हो गई थी। सी॰ पी॰ सी॰ खलासी को प्रयोज्य भविष्य निधि तथा उपदान आदि जैसे लाभों का सुसंगत नियमावली के अनुसार 30.9.1993 को मृतक कर्मचारी को विधिक वारिस को भुगतान कर दिया गया था एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ प्रदान नहीं किए जा सके थे क्योंकि नियमावली इसकी अनुमति नहीं देती थी। प्रत्यर्थी के मामले के अनुसार रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या F (P) 65 PN-1/21 दिनांक 21 अक्टूबर, 1965 के मुताबिक नियमित पद के विरुद्ध ही अस्थायी श्रमिकों को पेंशनीय स्थापना में लाया जा सकता था। चूंकि मृतक कर्मचारी की किसी नियमित पद के विरुद्ध आमेलित किए जाने के पहले मृत्यु हो गई थी, मृतक पेंशन का हकदार नहीं था तथा इस प्रकार मृतक की पत्नी को कुटुम्ब पेंशन प्रदान करने का कोई प्रश्न नहीं था।

5. अधिकरण ने पाया था कि रेलवे बोर्ड के दिनांक 21 अक्टूबर, 1965 के परिपत्र के अनुसार, आवेदिका के पति को रेलवे में आमेलित किया जाना शेष था तथा वह एक आकस्मिकता निधि संदत अस्थायी श्रमिक था, अत: पेंशन नियमावली आकर्षित नहीं होती थी। अधिकरण ने यह भी पाया था कि

याची के पति की वर्ष 1993 में मृत्यु हुई थी तथा तत्पश्चात् याची ने वर्ष 2012 में कुटुम्ब पेंशन का दावा करते हुए मूल आवेदन दाखिल किया था, जो पुन: एक पुराना हो चुका दावा था। तद्नुसार, अधिकरण ने दिनांक 25 अगस्त, 2014 के आक्षेपित आदेश द्वारा याची द्वारा दाखिल मूल आवेदन अस्वीकार कर दिया था।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता ने दावा किया है कि स्वीकार्यत: रेलवे के मामले के अनुसार, याची के पति ने सी॰ पी॰ सी॰ खलासी के तौर पर 18 वर्षों से अधिक समय तक कार्य किया था, तथा इस कारण उसकी सेवा की अवधि की दृष्टि में, भारतीय रेलवे स्थापना निर्देशिका के अध्याय XXV के अनुसार, याची के पति को उसकी मृत्यु के पहले अस्थायी दर्जा प्राप्त करने वाला समझा जाना था।

7. अपने तर्क के समर्थन में, याची के विद्वान अधिवक्ता ने **(1982)1 SCC 645** में रिपोर्ट किए गए **एल॰ राबर्ट डिसूजा बनाम कार्यपालक अभियंता, दक्षिण रेलवे एवं एक अन्य** में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। उक्त मामले में, अपीलार्थी ने गैंगमैन के तौर पर रेलवे की सेवा में योगदान दिया था तथा अपनी सेवा के अनुक्रम में उसे कई जगहों पर स्थानान्तरित किया गया था। जब वह लश्कर के रूप में कार्य कर रहा था, वर्ष 1974 में उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी थी। पूर्वोक्त आवेदक द्वारा उक्त सेवा समाप्ति को चुनौती दी गई थी तथा उस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रेलवे स्थापना निर्देशिका के अध्याय XXV में विद्यमान नियम 2501 को ध्यान में लिया था, जो निम्नवत पठित है:–

> *"2501. ifjHkk"kk-&(a) ^vLFkk;h Jfed* ml Jfed dk fufn"V djrk g ftldk fu;ktu ekleh] ckfèkr]-yEc vrjkyk okyk g ;k NkVh vofèk;k rd foLrkfjr jgrk gA bl çdkj d Jfed dh lkekU;r% fudVre miyCèk lkr l Hkkrh dh tkrh gA ;g LFkkukUrj.k d ;kX; ugh gkrk g] rFkk LFkk;h ,o vLFkk;h depkjhx.k ij ç;kT; 'kÙk ,l Jfed ij ykx ugh gkrh gA*
>
> *(b) jyo e vLFkk;h Jfed dk doy fuEu çdkj d ekey e fu;kftr fd;k tkuk pkfg,] vFkkr]*
>
> *(i) vkdfLedrk fufèk l lnÙk depkjhx.k d flok; mUg ftUg N% eghuk l vfèkd vofèk rd yxkrkj j[kk x;k gA bu 0;fDr;k e l ,l 0;fDr tk fcuk fdlh 0;oèkku d N% l vfèkd eghuk rd ;gh dk;] ftld fy, mUg fu;kftr fd;k x;k Fkk ;k blh çdkj d vU; dk; djuk tkjh j[kr g] mUg N% eghuk d lrr fu;ktu d xtj tku ij vLFkk;h Jfed d :i e ekuk tk,xkA*
>
> *(ii) ....*
>
> *(iii) ekleh Jfed o g ftUg N% eghuk l de vofèk d fofufn"V dk; vkofVr fd, tkr gA vxj ,l Jfed dk ,d dk; l mlh çdkj d ,d vU; dk;] vFkkr iuçlkfjr dju okyk e foLFkkfir fd;k tkrk g rFkk fdlh Hkh le; ,l dk; dh dy lrr vofèk Ng eghuk l vfèkd g] lrr fu;ktu d N% eghu xtj tku d mijkUr mUg vLFkk;h Jfed d :i e ekuk tk,xkA Jfed dh vLFkk;h Jfed d :i e ik=rk dk vfHkfuèkkj.k dju d ç;ktukFk] ekin.M ,d gh çdkj d dk; e çR;d vdy Jfed }kjk fd, x, lrr dk; dh vofèk gkuk pkfg, rFkk fdlh fof'k"V xx rFkk Jfedk d leg }kjk lkefgd :i l fd, x, dk; dh vofèk ughA***

इस नियम को विचार में लेते हुए कि अनियमित श्रमिक स्थानान्तरित किए जाने योग्य नहीं होता है, परन्तु उक्त अपीलार्थी का अनगिनत अवसरों पर स्थानान्तरण किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णीत किया था कि चूँकि उक्त अपीलार्थी ने निर्माण कार्य इकाई में 20 वर्षों तक लगातार कार्य किया

था, उसने अस्थायी रेलवे सेवक का दर्जा अर्जित कर लिया था तथा तद्नुसार, जिस ढंग से उसकी सेवा समाप्त की गई थी, उसे समर्थित नहीं किया जा सकता था।

8. याची के विद्वान अधिवक्ता ने **(1992)2 SCC 679** में रिपोर्ट किए गए **भारत संघ एवं अन्य बनाम बसंत लाल एवं अन्य** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया था, यहाँ भी मौखिक आदेश द्वारा प्रत्यर्थीगण की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। ये रेलवे कर्मचारी केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष गए थे, जिसने निर्णीत किया था कि चूँकि आवेदकों ने सतत सेवा के 120 से अधिक दिन पूरे कर लिए गए थे, उन्हें अस्थायी दर्जा प्राप्त कर लेने वाला समझा जाना था, तथा तद्नुसार उन्हें कोई नोटिस दिए बिना सेवाओं का समाप्त किया जाना भारतीय रेलवे स्थापना निर्देशिका के नियम 2304 के प्रावधानों के विरुद्ध था तथा विधि में समर्थनीय नहीं था। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा पारित आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था क्योंकि उस मामले में रेलवे द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि अनियमित श्रमिक, जो ओपेन लाइन में 120 दिनों से अधिक समय तक लगातार रूप से कार्य कर चुके हैं तथा जो परियोजनाओं पर 360 दिनों से अधिक समय तक कार्य कर चुके हैं, अस्थायी दर्जा अर्जित कर लेते हैं तथा वे भारतीय रेलवे स्थापना निर्देशिका के अध्याय XXIII में यथा अधिकथित अस्थायी रेलवे सेवकों को अनुमान्य अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के हकदार होंगे।

9. विद्वान अधिवक्ता ने **डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 1602 वर्ष 2009 (भारत संघ बनाम सुमित्रा देवी एवं अन्य)** में इस न्यायालय की खण्डपीठ के रिपोर्ट नहीं किए गए एक निर्णय, जो 3.8.2016 को निर्णीत किया गया था, पर भी भरोसा किया है, जहाँ रेलवे ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को चुनौती दी थी, जिसके द्वारा उक्त मामले में प्रत्यर्थी संख्या 1 को उसके मृतक पति के मृत्यु होने पर कुटुम्ब पेंशन का लाभ अनुज्ञात कर दिया गया था, जिसने रेलवे में एक स्थानापन्न कर्मचारी के रूप में कार्य करते हुए छः वर्षों से अधिक अवधि की सतत सेवा प्रदान की थी। इस न्यायालय ने **(1996)7 SCC 27** में रिपोर्ट किए गए **प्रभावती देवी बनाम भारत संघ** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया था, जिसमें यह निर्णीत किया गया था कि अगर एक स्थानापन्न का दर्जा अर्जित करते हुए कोई कर्मचारी एक वर्ष से अधिक समय तक कार्य करता है, उसकी विधवा एवं बच्चे उसकी मृत्यु के उपरान्त कुटुम्ब पेंशन के हकदार थे। इस न्यायालय ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण का निर्णय बरकरार रखा था, तथा रिट आवेदन खारिज कर दिया गया था।

10. इन निर्णयों पर भरोसा करते हुए, याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस स्वीकृत तथ्य की दृष्टि में कि याची के पति ने भी सी॰ पी॰ सी॰ खलासी के तौर पर लगभग 18 वर्ष की सतत सेवा प्रदान किया था, याची के पति को रेलवे सेवा में नियमित दर्जा अर्जित करने वाला समझा जाएगा तथा तद्नुसार, उसके पति की मृत्यु पर, याची कुटुम्ब पेंशन नियमावली, 1964 के अनुसार कुटुम्ब पेंशन की हकदार होगी। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि ओ॰ ए॰ सं॰ 164 वर्ष 2012 (R) में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सर्किट पीठ, राँची द्वारा पारित दिनांक 25.8.2014 का आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में समर्थित नहीं किया जा सकता है, तथा यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें याची को उसके पति के मृत्यु की तिथि के प्रभाव से कुटुम्ब पेंशन अनुज्ञात किया जाय।

11. दूसरी ओर, रेलवे का प्रतिनिधित्व कर रहे भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह का विरोध किया है एवं निवेदन किया है कि याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्दिष्ट किए गए सभी निर्णयों में, उन मामलों में रेलवे कर्मचारियों को या तो अस्थायी दर्जा प्राप्त कर लेने वाला मान लिया गया था या कर्मचारी

पहले से ही स्थानापन्न के रूप में कार्य कर रहा था, परन्तु वर्तमान मामले में कर्मचारी दैनिक वेतन के आधार पर केवल एक सी॰ पी॰ सी॰ खलासी के रूप में कार्य कर रहा था। उसे नियमित वेतनमान भी प्राप्त नहीं हो रहा था तथा उसकी मृत्यु के पहले रेलवे द्वारा उसकी सेवाएँ कभी भी नियमित नहीं की गई थी और तद्नुसार, मृतक कर्मचारी पेंशन योजना के लाभों का पात्र नहीं था। अतएव, याची के कुटुम्ब पेंशन के हकदार होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, जो मृतक कर्मचारी की पत्नी है।

12. अपने तर्क के समर्थन में, भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता ने **AIR 1997 SC 2843** में **भारत संघ एवं अन्य बनाम राबिया बिकानेर,** इत्यादि में, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रभावती देवी (ऊपर)** के मामले में अपने निर्णय को ध्यान में लेते हुए निर्णीत किया है कि अनियमित श्रमिक की विधवा को कोई सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध नहीं था, जिसे उसकी मृत्यु होने तक नियमित नहीं किया गया था। उक्त मामले में, यह चर्चा किया गया है कि नियमावली के अनुसार, रेलवे प्रशासन में छः महीनों के लिए नियोजित प्रत्येक अनियमित श्रमिक अस्थायी दर्जे का हकदार होता है। इसके बाद, उन्हें पैनलीकृत किया जाना होता है तथा पैनल में आने के उपरान्त उनकी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाँच-पड़ताल की आवश्यकता होती है तथा जब कभी भी नियमित स्थापना में अस्थायी पदों के लिए रिक्तियाँ उपलब्ध हो, उन्हें मेधा के क्रम में जाँच-पड़ताल के उपरान्त नियुक्त किया जाना चाहिए। उनकी नियुक्ति होने पर, उनके लिए अस्थायी पद पर कम-से-कम एक वर्ष की सेवा प्रदान करना आवश्यक होता है एवं इसके बाद ही कुटुम्ब पेंशन योजना, 1964 के अधीन उसकी विधवा कुटुम्ब पेंशन की पात्र होगी। **प्रभावती देवी (ऊपर)** के मामले को निर्दिष्ट करने पर यह पाया गया था कि प्रभावती देवी के पति ने अनियमित श्रमिक के रूप में कार्य किया था तथा रेलवे स्थापना निर्देशिका के नियम 2315 में यथा परिभाषित स्थानापन्न का दर्जा प्राप्त कर लिया था। वह नियमित वेतनमान एवं भत्तों पर एक नियमित स्थापना में कार्य कर रहा था। उसकी भी छान-बीन की गई थी एवं स्थायी दर्जे पर नियुक्त किया गया था। परन्तु एक अस्थायी पद पर नियुक्ति प्रदान किए जाने के बजाय, उसे स्थानापन्न माना गया था तथा उस रिक्ति पर नियुक्त किया गया था जब नियमित उम्मीदवार छुट्टी पर चले गए थे। चूँकि एक नियमित पद पर कार्यरत रहते हुए उसकी मृत्यु हुई थी, उसकी विधवा पेंशन योजना के लाभों का दावा करने की पात्र बन गई थी। परन्तु राबिया बीकानेर इत्यादि के मामलों में, चूँकि उनके पतियों ने अस्थायी दर्जा प्राप्त नहीं किया था, न ही वे स्थानापन्न के रूप में कार्य कर रहे थे, तथा सेवा में नियमित किए जाने के पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी विधवाओं को कुटुम्ब पेंशन का हकदार नहीं पाया गया था। इस निर्णय पर भरोसा करते हुए, भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याची का मामला पूर्ण रूप से **राबिया बीकानेर (ऊपर)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा आच्छादित है तथा खारिज किए जाने योग्य है।

13. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनकर तथा अभिलेख का अवलोकन करने पर, हम पाते हैं कि याची अभिलेख पर कोई आदेश लेकर नहीं आया है, यह दर्शाने के लिए कि याची के पति ने रेलवे में कोई अस्थायी दर्जा अर्जित कर लिया था, या कि वह स्थानापन्न के रूप में कार्य कर रहा था। आक्षेपित आदेश स्पष्टतः दर्शाता है कि याची का मृतक पति दैनिक वेतन के आधार पर कार्य करने वाला केवल एक आकस्मिक श्रमिक था। उसकी मृत्यु रेलवे सेवा में आमेलित किए बिना हो गई थी तथा उसने कभी भी रेलवे में अस्थायी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं किया था, न ही वह रेलवे में एक स्थानापन्न था। यद्यपि याची के विद्वान अधिवक्ता ने **एल॰ राबर्ट डिसूजा (ऊपर)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर काफी भरोसा किया है, यह निवेदन करते हुए कि रेलवे स्थापना निर्देशिका के नियम 2501 की दृष्टि में, याची के पति को अस्थायी दर्जा अर्जित करने वाला समझा जाएगा, परन्तु हम यह दर्शाने

के लिए अभिलेख में कुछ भी नहीं पाते हैं कि याची के पति को कभी भी पैनलीकृत किया गया था तथा पैनलीकरण के उपरान्त किसी अस्थायी पद के लिए नियुक्त किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा उसकी जाँच-पड़ताल की गई थी। एक अस्थायी पद पर अपनी नियुक्ति होने पर, उसके लिए अस्थायी पद में कम से कम एक वर्ष की सेवा प्रदान करना भी आवश्यक था तथा इसके बाद ही याची कुटुम्ब पेंशन योजना, 1964 के अधीन कुटुम्ब पेंशन की हकदार बनी होती। इन तथ्यों को सिद्ध करने के लिए किसी दस्तावेज के अभाव में, हम याची के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि रेलवे स्थापना निर्देशिका के नियम 2501 की दृष्टि में याची के पति को अस्थायी दर्जा अर्जित कर लेने वाला समझा जाएगा, तथा इस प्रकार, याची को कुटुम्ब पेंशन का हकदार बना देगा। इस मामले के तथ्यों में, हम पाते हैं कि याची का मामला **राबिया बीकानेर (ऊपर)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा पूर्ण रूप से आच्छादित है, तथा चूँकि सी॰ पी॰ सी॰ खलासी के रूप में दैनिक वेतन के आधार पर ही याची के पति की मृत्यु हो गई थी, याची कुटुम्ब पेंशन योजना, 1964 के लाभों को पाने का हकदार नहीं है।

14. हम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा दिए गए निष्कर्ष से भी सहमत हैं कि याची के पति की वर्ष 1993 में ही मृत्यु हो गई थी तथा याची वर्ष 2012 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के पास आई थी तथा इस प्रकार, उसका दावा बहुत पुराना हो चुका दावा था। हम ओ॰ ए॰ सं॰ 164 वर्ष 2012 (R) में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सर्किट पीठ, राँची द्वारा पारित दिनांक 25 अगस्त, 2014 के आक्षेपित आदेश में कोई अवैधानिकता एवं/या अनियमितता नहीं पाते हैं।

15. इस रिट आवेदन में कोई दम नहीं है तथा इसे तद्नुसार खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लि॰

cuke

डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, बोकारो एवं अन्य

W.P. (C) No. 2340 of 2016. Decided on 5th January, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 41, नियम 27—अतिरिक्त साक्ष्य का प्रस्तुतीकरण–अपीलीय चरण में भी अगर समाधान होने पर अपीलीय न्यायालय सि॰ प्र॰ सं॰ के आदेश 41, नियम 27 के अधीन किसी पक्षकार को अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर अनुज्ञात करता है, अन्य पक्षकार को खण्डन का अवसर प्रदान किया जाना होगा–अगर ऐसे अवसर से वंचित किया जाता है, यह न केवल साक्ष्य के नियमों का उल्लंघन होगा, बल्कि मुकदमें के अन्य पक्ष को भी काफी प्रतिकूलता कारित करेगा–आक्षेपित आदेश अधिकारिता के दोष से ग्रस्त है जो अनुच्छेद 227 के अधीन हस्तक्षेप किए जाने का दायी है तथा तद्नुसार अभिखंडित। (पैरा 8)

निर्णयज विधि.–2016 (3) JLJR 364 (SC)—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Indrajit Sinha, Bibhash Sinha, For the Petitioner; Mr. Rajesh Kumar, For the Resp-State; Mr. Rahul Kr. Gupta, For the Resp No.3.

आदेश

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

2. अभिधान वाद सं॰ 25/96 में वादी/डिक्रीधारी/इसमें प्रत्यर्थी सं॰ 3 एवं 4 के डिक्री सम्बन्धी हित के पारित किए जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन के आधार पर इसमें याची को प्रधान जिला न्यायाधीश, बोकारो न्यायालय के समक्ष अभिधान अपील सं॰ 33/07 में प्रत्यर्थी सं॰ 7 के तौर पर पक्षकार बनाया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद पत्र (वाद भूमि) की अनुसूची A तथा B में वर्णित जमीनों में स्थायी अधिभोग का रैयती अधिकार घोषित करते हुए दिनांक 29.5.2007 के निर्णय (परिशिष्ट 4) के तहत वादी/प्रत्यर्थी सं॰ 3 एवं 4 के पक्ष में तथा प्रत्यर्थी सं॰ 1, 2, 3 एवं 5 के विरुद्ध तथा प्रतिवाद पर प्रतिवादी सं॰ 4 के विरुद्ध वाद डिक्री कर दिया था। डिविजनल वन पदाधिकारी तथा राज्य के अन्य पदाधिकारीगण ने व्यथित होकर अभिधान अपील सं॰ 33/07 दाखिल किया था जिसके आदेश से वर्तमान रिट आवेदन उद्‌भूत होता है।

3. यह अपीलीय चरण में पक्षकारों के बीच मुकदमें की पृष्ठभूमि है जिसे आक्षेपित आदेश में भी प्रचुर रूप से निर्दिष्ट किया गया है। ऐसे दो आदेशों को निर्दिष्ट किया जा सकता है, जिनमें से एक एल॰ **पी॰ ए॰ सं॰ 26/11** के साथ **एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 489/10 (झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील इन्टीग्रेटेड लि॰ एवं अन्य)** में विद्वान खण्डपीठ द्वारा पारित किया गया था, जिसके अधीन प्रधान जिला न्यायाधीश, बोकारो को इस आदेश की एक प्रति की प्राप्ति की तिथि, अर्थात् 6.3.2013 से दो महीनों की अवधि के भीतर अभिधान अपील सं॰ 33/07 का निर्णय करने का निर्णय दिया गया था। जिस अन्य निर्णय को इसमें निर्दिष्ट किए जाने की आवश्यकता है, वह विद्वान अपीलीय न्यायालय के उस आदेश के निरस्तीकरण की ईप्सा करते हुए वर्तमान याची द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन के सम्बन्ध में है जिस आदेश के द्वारा अपीलार्थी को अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी। तथापि, उस अवसर पर विद्वान एकल न्यायाधीश ने डब्ल्यू॰ पी॰ सी॰ सं॰ 6767/13 में पारित दिनांक 17.12.2013 के निर्णय के तहत याची इलेक्ट्रोस्टील इन्टीग्रेटेड लि॰ को अतिरिक्त साक्ष्य का खंडन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए उन्हें रिट याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी थी।

4. दिनांक 30.9.2013 के आदेश द्वारा विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की अनुमति दिए जाने के कारण याची उस अवसर पर न्यायालय के पास आया था। प्रदर्श-E, जो कि वन बन्दोबस्त केस सं॰ 50/1948-50 के आदेश पत्रक के एक पृष्ठ के रूप में प्रस्तुत रिट याचिका के पृष्ठ 186 पर है, को इसी प्रकार प्रदर्शित किया गया था। तथापि, यह परिलक्षित होता है कि इसके बाद पुनः अपीलार्थी ने प्रदर्श E श्रृंखला, अर्थात्, मौजा भागबंध सं॰ 83 के वन बन्दोबस्त केस सं॰ 50/1948-50 के समूचे मूल अभिलेख को अंकित करने के लिए 23.2.2015 को एक आवेदन प्रस्तुत किया था। यह याचिका, जो परिशिष्ट 9 पर है, पूर्व में प्रदर्श-E को अंकित किए जाने के तथ्य को निर्दिष्ट करती है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उक्त आवेदन अनुज्ञात कर दिया था एवं 23.12.2015 को वन बन्दोबस्त केस सं॰ 50/1948-50 के आदेश पत्रक को सम्मिलित करने वाले शेष दस्तावेजों को प्रदर्श-E श्रृंखला-E1 से लेकर E7 के तौर पर अंकित कर दिया था। इसमें याची ने इसके बाद प्रदर्श E श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य का खण्डन करने के लिए अवसर की ईप्सा करते हुए दिनांक 15.2.2016, 24.2.2016 तथा 14.3.2016 के तीन आवेदन दाखिल किया था। दिनांक 13.4.2016 के आक्षेपित आदेश (परिशिष्ट 13) के माध्यम से विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा इससे इनकार किया गया था। विद्वान अपीलीय न्यायालय रिट याचिका तथा लेटर्स पेटेन्ट अपील सं॰ 489/10 में भी इस न्यायालय तक की यात्रा समेत पिछले मुकदमें की पृष्ठभूमि को निर्दिष्ट करने के उपरान्त याची के आवेदन को अस्वीकार करने के लिए उन्मुख हुआ था मुख्यतः इन आधारों पर कि वे अस्पष्ट तथा भ्रामक हैं। इसकी यह राय थी कि प्रदर्श-E तथा E श्रृंखला सार्वजनिक स्वरूप के दस्तावेज हैं। तथापि, इसने यह भी सम्परीक्षित किया था कि प्रदर्श-E श्रृंखला के तौर पर अंकित दस्तावेजों के साक्ष्य को खंडित करने के

लिए अवसर प्रदान करने हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस पर भी विचार किया था कि डिविजनल वन पदाधिकारी या रेंज पदाधिकारी, जिन्हें प्रत्यर्थी सं॰ 7 इसमें याची द्वारा बुलाए जाने की ईप्सा की गई थी, सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में उक्त दस्तावेज के न तो रचयिता थे, न ही लेखक थे जो क्रमश: 1947, 1948 एवं 1953 की अवधि के लिए थे।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 77 एवं 78 को निर्दिष्ट किया है जहाँ अभिप्रमाणित प्रतिलिपि तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को पेश करके दस्तावेज के प्रमाण से सम्बन्धित सिद्धांत परिभाषित किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि ये दस्तावेज अधिसूचना के स्वरुप के हैं तथा राज्य सरकार के आदेशों को उन विभागों के प्रधानों द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना था अगर उन्हें साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किए जाने की ईप्सा की गई थी। न तो अपीलार्थी और न ही विद्वान अपीलीय न्यायालय ने विधि की अपेक्षाओं के अनुसार चलने की परवाह की थी तथा इन्हें प्रस्तुत करने के लिए उनकी ओर से उपस्थित होने वाले किसी गवाह के बगैर इन दस्तावेजों को प्रदर्श E तथा E श्रृंखला के रूप में अंकित कर दिया गया था। तथापि, किसी भी दशा में याची को प्रति-परीक्षा का तथा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार था अगर इन दस्तावेजों को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41, नियम 27 के अधीन अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति दी गई है। डब्ल्यू॰ पी॰ सी॰ सं॰ 6767/2013 में पहले इस न्यायालय द्वारा किए गए सम्परीक्षणों के बावजूद विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा इससे वंचित किया गया है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने **भारत संघ बनाम के॰ वी॰ लक्ष्मण एवं अन्य** [2016 (3) JLJR 364 (SC), इसके पैरा 37 एवं 38] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। यह निवेदन किया गया है कि स्वयं अपीलार्थीगण ने सदृश मामलों के साथ एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 489/10 में पारित दिनांक 6.3.2013 के निर्णय के तहत दो महीनों की अवधि के भीतर अपील का निर्णय करने के लिए एल॰ पी॰ ए॰ न्यायालय के निर्देश के बाद भी अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक आवेदन करके कार्यवाहियों में विलम्ब करवाया है। अतएव, वर्तमान याची मुख्य अपील के निर्णय में विलम्ब का दोषी नहीं हो सकता है। याची, जो मूल वादी/डिक्रीधारी के डिक्री सम्बन्धी हित का खरीदार है को गंभीर प्रतिकूलता कारित होगी अगर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का खण्डन प्रस्तुत करने के लिए इस चरण में कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। अतएव, वह इस न्यायालय के पास आने के लिए विवश हुआ है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान अपीलीय न्यायालय के समक्ष दाखिल अपीलार्थी के प्रति उत्तर शपथ पत्र में किए गए प्रकथनों को भी निर्दिष्ट किया है, जो रिट याचिका के परिशिष्ट 11 के रूप में संलग्न है, जिसके अधीन अपीलार्थी ने भी सचेत रूप से स्वीकार किया था कि उसमें के प्रत्यर्थी को खण्डन का अधिकार था, अगर अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी।

6. प्रत्यर्थी राज्य ने डिविजनल वन पदाधिकारी, बोकारो द्वारा निष्पादित अपना प्रति शपथ पत्र दाखिल किया है। प्रत्यर्थी-राज्य का प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत अभिधान अपील सं॰ 33/07 में पारित दिनांक 3.5.2010 के आदेश के तहत प्रत्यर्थी सं॰ 7 के रूप में याची के पक्षकार बनाए जाने को निर्दिष्ट करता है। यह मुकदमें के पृष्ठभूमि को भी निर्दिष्ट करता है। अपीलार्थी के मामले के गुणावगुणों से सम्बन्धित अन्य प्रकथन भी प्रतिशपथ पत्र में प्रकथित किए गए हैं। उसमें किए गए प्रकथनों से यह भी प्रकट है कि प्रदर्श E1 से E7, जो वन बन्दोबस्त केस सं॰ 50/1948-50 के अभिलेखों के भाग थे, को भी 30.9.2013 को पूर्व में प्रदर्श E के प्रस्तुत किए जाने के बाद 23.2.2015 को एक आवेदन करके अपीलार्थी द्वारा प्रदर्शित करने की ईप्सा की गई थी। तथापि, अपीलार्थी ने कहीं पर भी कथित नहीं किया है कि याची को अपीलीय चरण में उसके द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य को खण्डित करने का अवसर अनुज्ञात किया गया था।

7. प्रत्यर्थी सं॰ 3 के अधिवक्ता ने इसमें याची के मामले का समर्थन किया है।

8. मैंने पक्षकारों के निवेदनों तथा इसमें उपर उल्लिखित सुसंगत तात्विक तथ्यों पर विचार किया है। मैंने आक्षेपित आदेश का भी परिशीलन किया है। इसमें उपर की गई चर्चा इसमें संदेह के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती है कि अपीलार्थी को दो अवसरों पर वन बन्दोबस्त केस सं॰ 50/1948-50 के आदेश पत्रक को अभिलेख पर लाकर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41, नियम 27 के अधीन अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है, पहला अवसर 30.9.2013 को मिला था जहाँ प्रदर्श E आदेश पत्रक के एक पृष्ठ के रूप में था। अपीलार्थी को यह समझ में आने पर कि इसी मामले के सातत्व में अन्य दस्तावेजों को पहले प्रदर्शित नहीं किया गया था, 23.2.2015 को अपीलार्थी द्वारा किए गए एक आवेदन पर इन्हें प्रदर्श E1 से E7 के तौर पर प्रदर्शित करने की अनुमति दी गई थी। यह भी प्रकट है कि याची को अतिरिक्त साक्ष्य, अर्थात् प्रदर्श E का खण्डन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई थी जब वह डब्ल्यू॰ पी॰ सी॰ सं॰ 6767/2013 में इस न्यायालय के पास आया था। तथापि, पूर्वोक्त साक्ष्य का खण्डन प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर की ईप्सा करते हुए इसमें याची द्वारा दाखिल दिनांक 15.2.2016, 24.2.2016 तथा 14.3.2016 की याचिका का परिशीलन ऐसा आभास नहीं देता है कि वे अस्पष्ट हैं जहाँ तक प्रदर्श E श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत-साक्ष्य के खण्डन की ईप्सा करने वाले आग्रह का सम्बन्ध है। यह सुस्थापित विधि है कि अपीलीय चरण में, अगर समाधान होने पर अपीलीय न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के अधीन किसी पक्ष को अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर अनुज्ञात करता है, अन्य पक्ष को खण्डन का अवसर प्रदान किया जाना होगा। अगर ऐसे किसी अवसर से वंचित किया जाता है, यह न केवल साक्ष्य के नियमों के विरुद्ध होगा, बल्कि मुकदमें के अन्य पक्ष को भी काफी हानि कारित करेगा। अतएव, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य प्रदर्श E तथा E श्रृंखला इसमें याची को खण्डन करने के अवसर से वंचित करने में विद्वान अपीलीय न्यायालय त्रुटि कारित करने वाला प्रतीत होता है। अतएव, आक्षेपित आदेश अधिकारिता की त्रुटि से ग्रस्त है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन हस्तक्षेप किए जाने का हकदार है। तद्नुसार इसे अभिखंडित किया जाता है।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अपील सुनवाई के चरण में है। उस दशा में, विद्वान अपीलीय न्यायालय विधि के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य का खण्डन करने के लिए आवेदन पर फिर से विचार करेंगे। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुख्य अपील के अधिनिर्णय में अनावश्यक रूप से लम्बा विलम्ब न हो, इस आदेश की एक प्रति की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताहों की अवधि के भीतर ऐसा कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

---

ekuuh; Jh pUn'k[kj] U;k;efr

धनंजय मोदक एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(S) No. 3054 of 2015. Decided on 7th December, 2016.

बिहार अंगीकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 1993—नियम 3, 4 एवं 7—प्रोन्नति–एक नई पदक्रम सूची तैयार किए जाने की आवश्यकता है–पिछली पदक्रम सूची के आधार पर प्रोन्नति प्रदान नहीं की जा सकती–विद्यमान रिक्तियों के विरुद्ध श्रेणी 2 से श्रेणी

3 में प्रोन्नति के लिए याची के दावे पर विचार किया जाएगा अगर सुपात्र पाया जाय तथा अगर पदक्रम सूची में उनकी स्थिति उन्हें विचारण क्षेत्र तक ले जाती है। (पैरा 4)

अधिवक्तागण.–Mr. Mahesh Kumar Sinha, For the Petitioners; Ms. Ruchi Rampuria, For the Resp.-State.

आदेश

याचीगण को श्रेणी 2 से श्रेणी 3 में प्रोन्नत करने के एक निर्देश के लिए रिट याचिका में आग्रह किया गया है।

2. सुना।

3. याचीगण ने दावा किया है कि श्रेणी 3 में प्रोन्नति के लिए एक पदक्रम सूची तैयार की गई थी तथा जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा अनुमोदित की गई थी एवं श्रेणी 2 से श्रेणी 3 में प्रोन्नति के लिए आवश्यक अनुदेश निर्गत किए गए थे, फिर भी याचीगण का प्रोन्नति का कार्य नहीं किया गया है।

4. पदक्रम सूची का तैयार किया जाना तथा प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति बिहार अंगीकृत प्रार्रंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 1993 के अधीन विनियमित होती है। याचीगण की प्रोन्नति भी बिहार अंगीकृत प्रार्रंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 1993 के अधीन विनियमित होती है, जो झारखण्ड राज्य में प्रभावी है। नियम 4 प्रोन्नति के लिए शर्त्तें अधिकथित करता है तथा नियम 5 न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं तथा विभिन्न श्रेणियों में प्रोन्नति के लिए सेवा का न्यूनतम अवधि का भी प्रावधान करता है। 1993 की नियमावली का नियम 7 उपबंधित करता है कि प्रत्येक वर्ष के जनवरी महीने के अन्त में प्रोन्नति के लिए वरीयता सूची का एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। प्रोन्नति के लिए प्रारूप वरीयता सूची तैयार करने का ढंग नियम 7 के अधीन अधिकथित किया गया है। नियम 8 के निबंधनों में एक ही श्रेणी में उनके बीच की वरीयता का निर्णय किया जाता है। सचिव, विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने वरीयता सूची प्रारूप तैयार किए जाने के लिए प्रक्रिया तथा प्रोन्नति किए जाने के ढंग को वर्णित करते हुए डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 6135 वर्ष 2013 में दिनांक 6.12.2016 का शपथ पत्र दाखिल किया है। यह इंगित किया गया था कि प्रारूप वरीयता सूची तैयार करने तथा प्रोन्नति के कार्य में तीन महीनों का समय लगेगा। उक्त मामले में यह आग्रह किया गया है कि झारखण्ड राज्य के सभी जिलों में 1993 की नियमावली के आदेश का पूर्णरुपेण अनुसरण किया जाएगा। नियम 7 की दृष्टि में एक नई पदक्रम सूची तैयार किए जाने की आवश्यकता है तथा अतएव, पिछली पदक्रम सूची के आधार पर प्रोन्नतियाँ प्रदान नहीं की जा सकती हैं। तद्नुसार, यह आदेश किया गया है कि श्रेणी 2 से श्रेणी 3 में प्रोन्नति के लिए याची के दावे पर विद्यमान रिक्तियों के विरुद्ध विचार किया जाएगा, अगर उन्हें सुपात्र पाया जाता है तथा अगर पदक्रम सूची में उनकी स्थिति उन्हें विचारण क्षेत्र तक ले जाती है।

5. रिट याचिका पूर्वोक्त सीमा तक अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

बिनय रंजन

cuke

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 2663 of 2015. Decided on 3rd January, 2017.

आवासन–भूखण्डों का आवंटन–भूखण्ड के आवंटन का रद्दकरण–लॉटरी के माध्यम से नया आवंटन–राज्य सरकार के निर्णय के निरस्तीकरण तथा इसके बाद लिए गए बोर्ड के निर्णय के बाद याची समेत अलग-अलग आवंटितियों को कारण-पृच्छा नोटिसें निर्गत की गई हैं–अब याची को निर्गत नोटिस का उत्तर देना उसका कार्य है जिसके उपरान्त प्रत्यर्थी बोर्ड को विधि के अनुसार मामले में नया निर्णय लेने का अधिकार है। (पैराएँ 4 एवं 5)

निर्णयज विधि.–WP(C) No.-1346/2015—Applied.

अधिवक्तागण.–Mr. Ram Subhag Singh, For the Petitioner; Dr. Ashok Kr. Singh, For the Resp-JSHB.

आदेश

याची तथा प्रत्यर्थी बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. परिशिष्ट 10 पर विद्यमान दिनांक 21.3.2015 की आक्षेपित संसूचना द्वारा आवास विभाग, झारखण्ड सरकार ने प्रबंध निदेशक, आवास बोर्ड को आवंटन के रद्दकरण, जिसे 20.8.2011 को पहले लॉटरी के माध्यम से किया गया था, के निर्णय के परिणामत: एक नई लॉटरी निकालकर भूखण्डों का आवंटन करने का निदेश दिया था। तत्पश्चात याची को प्रत्यर्थी सं॰ 6 परिसंपदा पदाधिकारी द्वारा निर्गत दिनांक 29.5.2015 के पत्र सं॰ 845 द्वारा पूर्व में लॉटरी के माध्यम से आवंटित भूखण्डों के रद्दकरण के परिणामत: प्रश्नाधीन भूखण्डों के नए आवंटन में भाग लेने के लिए उसकी सहमति अभिव्यक्त करने के लिए कहा गया है। याची ने प्रधान सचिव, आवास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा निर्गत दिनांक 12.7.2013 की संसूचना, परिशिष्ट-6 की भी आलोचना किया है, जिसके अधीन प्रत्यर्थी सं॰ 5 को विद्वान महाधिवक्ता के अभिमत के आलोक में लॉटरी के माध्यम से किए गए आवंटन के रद्दकरण के सम्बन्ध में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था।

3. इसी मुद्दे ने **डब्ल्यू॰ पी॰ सी॰ सं॰ 1346/2015 (विजय शंकर झा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य अपने सचिव, आवास विभाग के माध्यम से तथा अन्य)** एवं सदृश मामलों में इस न्यायालय की एक पीठ का ध्यान पहले आकर्षित किया था। दिनांक 10.12.2015 के निर्णय द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के दिनांक 21.3.2015 के निर्णय तथा प्रत्यर्थी बोर्ड की 40 वीं बैठक में 7.4.2015 को लिए गए इसके निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध होने पर अभिखण्डित कर दिए गए थे।

4. प्रत्यर्थी बोर्ड के अधिवक्ता इस पर विवाद नहीं करते हैं कि प्रस्तुत मामला भी इसी निर्णय द्वारा आच्छादित है। उनकी ओर से यह भी निवेदन किया गया है कि राज्य सरकार के दिनांक 21.3.2015 के निर्णय परिशिष्ट 10 तथा इसके बाद लिए गए बोर्ड के निर्णय के निरस्तीकरण के उपरान्त, याची समेत अलग-अलग आवंटितियों को कारण-पृच्छा नोटिसें निर्गत की गई हैं। याची के अधिवक्ता याची द्वारा भी नोटिस का प्राप्त किया जाना स्वीकार करते हैं।

5. अविवादित तथ्यों को ध्यान में रखकर, रिट याचिका भी **विजय शंकर झा (ऊपर)** के मामले तथा अन्य सदृश मामलों में पारित दिनांक 10.12.2015 के निर्णय के आलोक में निस्तारित किए जाने का हकदार है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अब याची को निर्गत नोटिस का जवाब देना उसपर निर्भर है, जिसके उपरान्त प्रत्यर्थी बोर्ड विधि के अनुसार मामले में एक नया निर्णय लेने का हकदार है। तद्नुसार, इस आलोक में रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

अरुणध्वज प्रसाद सिंह

cuke

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 2715 of 2005. Decided on 5th January, 2017.

झारखण्ड सेवा संहिता, 2000—नियम 74 (b) (ii)—प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय की सार्वजनिक हित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति–याची के सेवा इतिहास पर विचार करने के उपरान्त याची के विरुद्ध आक्षेपित कार्रवाई की गई है–आक्षेपित आदेश याची पर कोई लांछन अधिरोपित नहीं करता है तथा आक्षेपित आदेश निर्गत होने के पहले नैसर्गिक न्याय के किसी सिद्धान्त के अनुपालन की कोई आवश्यकता नहीं थी–रिट आवेदन खारिज। (पैराएँ 6 से 8)

अधिवक्तागण.–M/s Abhay Kr. Mishra, For the Petitioner; M/s A.P.P., For the State; M/s Anubha Rawat Choudhary, For the Resp. No.3.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी सं॰ 3, इस न्यायालय के महापंजीयक का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता को भी सुना।

2. याची रिट आवेदन के परिशिष्ट–6 के तौर पर अभिलेख पर लाए गए ज्ञाप सं॰ 2698 दिनांक 20.5.2004 में यथा अन्तर्विष्ट आदेश द्वारा व्यथित है, जिसके द्वारा प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, हजारीबाग के रुप में कार्य करते हुए नोटिस अवधि के तीन महीनों के वेतन तथा भत्तों का भुगतान करते हुए उन्हें झारखंड सेवा संहिता के नियम 74 (b) (ii) के प्रावधानों के अधीन 22.5.2004 के प्रभाव से या नोटिस के तामीला की तिथि को, इनमें से जो भी पहले पड़ता हो, सेवानिवृत्त करा दिया गया है।

3. यह प्रतीत होता है कि याची ने डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 584 वर्ष 2004 में इस आदेश को सीधे ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिया था जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन याचिका दाखिल करने की याची को स्वतंत्रता प्रदान करते हुए अगर ऐसा मशविरा दिया जाय, दिनांक 29.10.2004 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। तत्पश्चात् वर्तमान रिट आवेदन दाखिल करके याची इस न्यायालय के पास आया है।

4. याची को प्रारम्भ में बिहार न्यायिक सेवा में एक मुंसिफ के तौर पर नियुक्त किया गया था तथा उसे रिट आवेदन के परिशिष्ट 1 में अन्तर्विष्ट आदेश द्वारा 4.4.1977 के प्रभाव से मुंसिफ के तौर पर अभिपुष्ट कर दिया गया था। याची को न्यायिक सेवा में क्रमागत प्रोन्नतियाँ प्रदान की गई थी तथा उसे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा में ले लिया गया था। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसरण में बिहार राज्य के विभाजन के उपरान्त, याची को झारखण्ड संवर्ग आवंटित किया गया था तथा सुसंगत समय पर याची प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, हजारीबाग के रुप में कार्यरत था, जब रिट आवेदन के परिशिष्ट 6 में यथा अन्तर्विष्ट आक्षेपित आदेश द्वारा उसे झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 74 (b) (ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत सेवानिवृत्त करा दिया गया था।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपनी समूची सेवा अवधि के दौरान याची को केवल एक बार रिट आवेदन के परिशिष्ट 5 में अन्तर्विष्ट आदेश द्वारा वर्ष 1997 में पटना उच्च

न्यायालय द्वारा निन्दा के दण्ड के अध्यधीन किया गया था। तत्पश्चात याची की सेवा सदैव संतोषजनक रही थी तथा उसे सम्यक प्रोन्नतियाँ भी प्राप्त हुई थी एवं तद्नुसार याची को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 74 (b) (ii) के प्रावधानों के अधीन सेवानिवृत्ति के अध्यधीन कर देने का कोई अवसर नहीं था। तद्नुसार विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याची की सेवानिवृत्ति करने वाला आदेश विधि की दृष्टि में समर्थित नहीं किया जा सकता है।

6. राज्य के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी सं॰ 3 इस न्यायालय के महापंजियक के विद्वान अधिवक्ता ने भी आग्रह का विरोध किया है। प्रत्यर्थी सं॰ 3 की ओर से एक विस्तृत शपथ पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें याची का सेवा इतिहास उल्लिखित किया गया है। प्रत्यर्थी सं॰ 3 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याची के सेवा इतिहास को विचार में लेते हुए, याची को जनहित में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 74 (b) (ii) के प्रावधान के अधीन सेवानिवृत्त करा दिया गया था। यह निवेदन किया गया है कि आक्षेपित आदेश याची पर कोई लांछन अधिरोपित नहीं करता है तथा आक्षेपित आदेश के निर्गमन के पहले नैसर्गिक न्याय के किसी सिद्धान्त के अनुपालन की आवश्यकता नहीं थी। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उसके इतिहास को विचार में लेते हुए झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 74(b)(ii) के प्रावधानों के अधीन याची को सेवा निवृत्त कराने वाले आक्षेपित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है।

7. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनकर तथा अभिलेख का अवलोकन करके, हम पाते हैं कि याची के सेवा इतिहास पर विचार करने के उपरान्त याची के विरुद्ध आक्षेपित कार्रवाई की गई थी। प्रतिशपथ पत्र में यथा वर्णित याची की सेवा इतिहास को विचार में लेते हुए, हम आक्षेपित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं पाते हैं।

8. इस रिट आवेदन में कोई गुण नहीं है तथा तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

मेसर्स टाटा मोटर्स लि॰

cuke

मधुमाला गैब्रियल

W.P. (C) No. 218 of 2015. Decided on 3rd January, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 17, नियम 3 सह-पठित आदेश 9, नियम 4—एकपक्षीय कार्यवाही के लिए वाद को निर्धारण करने वाले आदेश का वापस लिया जाना—लगभग दो से अधिक वर्षों तक अवर न्यायालय के समक्ष वाद में अभियोजन न करने/अपने आप को न बचाने का प्रतिवादी-याची की ओर से कोई पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया—दो वर्षों से अधिक अवधि तक प्रतिवादी की ओर से लगातार रूप से चूकें हुई—अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अभिपुष्ट। (पैराएँ 6 से 8)

अधिवक्तागण.—M/s V.P. Singh, A.K. Das, Rashmi Kumar & Pooja Kumari, For the Petitioners; None, For the Respondets.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. अपर सिविल न्यायाधीश (कनीय डिविजन–13) जमशेदपुर के विद्वान न्यायालय ने अभिधान वाद सं॰ 73 वर्ष 2008 में दिनांक 17.11.2014 के आक्षेपित आदेश, परिशिष्ट–5 द्वारा मामले को अन्तिम जिरह के लिए निर्धारित करने वाले तथा वादी के गवाहों की अन्तिम जिरह के लिए निर्धारित करने वाले तथा वादी के गवाहों की प्रति–परीक्षा, जिन्हें किसी प्रति–परीक्षा के बिना छोड़ दिया गया था, की अनुमति देने वाले अपने आदेश को वापस लेने के लिए इसमें याची की दिनांक 7.8.2014 की याचिका अस्वीकार कर दिया था।

3. जैसा की अभिलेखों से सामने आए तथ्यों का अनुक्रम तथा आक्षेपित आदेश दर्शाता है कि वादी ने इस घोषणा के लिए एक वाद संस्थित किया था कि विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र में उसकी जन्मतिथि 13.9.1940 सही तथा वैध है तथा यह पक्षकारों पर बाध्यकर है। उसने इस घोषणा की भी ईप्सा किया था कि प्रतिवादी कम्पनी के पदाधिकारी द्वारा उलट–फेर करके उसकी जन्मतिथि 27.1.1936 कर दी गई है तथा उन्होंने कूटरचित एवं हेर–फेर किया गया दस्तावेज संलग्न कर दिया है। वादी–याची ने अपने विद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र की ऐसी घोषणा के आधार पर पारिणामिक लाभों की ईप्सा किया था।

4. नोटिस किए जाने पर, प्रतिवादी उपस्थित हुआ था एवं अपना लिखित कथन परिशिष्ट–2 दाखिल किया था। प्रतिवादी ने वाद की पोषणीयता का अभिवचन लिया था, जिसे तथापि 3.5.2011 को अस्वीकार कर दिया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा 12.3.2010 को मुद्दे विरचित किए गए थे। तत्पश्चात वादी के गवाहों की परीक्षा पर कार्यवाही आगे बढ़ी थी। वादी द्वारा तीन गवाह प्रस्तुत किए गए थे तथा प्रतिवादी की ओर से प्रति परीक्षित किए बिना उन्मोचित कर दिए गए थे। 23.7.2013 को वादी का साक्ष्य बन्द कर दिया गया था एवं प्रतिवादी के साक्ष्य के लिए मामला निर्धारित कर दिया गया था। अगले पाँच तिथियों पर प्रतिवादी द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया था तथा 10.1.2014 को प्रतिवादी का साक्ष्य बन्द कर दिया था। अन्तिम जिरह के लिए मामला निर्धारित कर दिया गया था। तत्पश्चात 4.8.2014 को मामलों की कार्यवाही का स्थगन ईप्सित करते हुए प्रतिवादी की ओर से एक समय याचिका दाखिल किया गया था। तत्पश्चात् 7.8.2014 को वापसी की ईप्सा करते हुए प्रस्तुत याचिका दाखिल की गई थी। जैसा कि न्यायालय के ध्यान में लाया गया है, 11.1.2017 को मामले में अन्तिम जिरह निर्धारित की गई थी।

5. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय मामला अन्तरित किए जाने के कारण, प्रतिवादी वाद के सुसंगत नहीं रह सका था जिससे कई तिथियों को उपस्थित नहीं हुआ जा सका था। वादी ने भी केवल तीन गवाहों की परीक्षा करने में लगभग दो वर्ष ले लिए थे। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 के निबंधनों में, ऐसी दशा में जब पक्षकारों में से कोई भी निर्धारित तिथि को उपस्थित होने में विफल रहता है, न्यायालय सि॰ प्र॰ सं॰ के आदेश IX के अधीन अन्तर्विष्ट प्रावधानों के निबन्धनों में कार्यवाही कर सकता है। प्रतिवादी के पास एक उपयुक्त मामला है तथा उन्हें हानि होगी अगर वादी के गवाह की प्रति परीक्षा कराने का अवसर उन्हें प्रदान नहीं किया जाता है। प्रतिवादी द्वारा स्वयं अपने गवाहों को पेश करने का अवसर प्राप्त किए बिना भी वाद का एकपक्षीय निर्णय किया जा सकता है। यह निवेदन किया गया है कि वादी ने वर्ष 1996 में ही अधिवर्षिता प्राप्त कर लिया था तथा इसके बाद बिहार, अब झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 के अधीन मामला दाखिल किया था जो सफल नहीं रहा था। तत्पश्चात् रिट अधिकारिता में चुनौती भी विफल रही थी। वह एल॰ पी॰ ए॰ में भी हार गया था। अतएव, याची को अपूरणीय क्षति एवं हानि भोगनी पड़ेगी अगर उन्हें उपयुक्त रूप से बचाव करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

6. मैंने अभिवचन किए गए पूर्वोक्त तात्विक तथ्यों के आलोक में याची के अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार किया है। तथापि, अभिलेखों के साक्ष्य एवं आक्षेपित आदेश का परिशीलन लगभग दो से अधिक

वर्षों तक अवर न्यायालय के समक्ष वाद में प्रतिवादी–इसमें याची की ओर से अभियोजन न करने, अपना बचाव न करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं दर्शाता है। जैसा कि परिशिष्ट 3 पर उपलब्ध वापसी की ईप्सा करने वाले आवेदन तथा वादी द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर, परिशिष्ट 4 से भी प्रतीत होता है, 12.3.2010 को मुद्दों को विरचित करने के उपरांत 8.7.2010 को प्रतिवादी को अ॰ सा॰ 1 की शपथ पत्र पर हुई प्रधान परीक्षा का तामीला करा दिया गया था। 29.11.2010 को प्रतिवादी ने अ॰ सा॰ 1 की प्रति परीक्षा के लिए समय हेतु एक याचिका दाखिल किया था, जिसे अनुज्ञात कर दिया गया था। अगली तिथि 22.12.2010 को पुनः अ॰ सा॰ 1 को प्रति परीक्षित नहीं किया गया था। 22.12.2010 को, प्रतिवादी द्वारा पोषणीयता के प्रश्न पर एक याचिका दाखिल किया गया था, जिसे दोनों पक्षों की सुनवाई करने के उपरांत 3.5.2011 को अस्वीकार कर दिया गया था। पुनः 25.5.2011 को वाद में अ॰ सा॰ 1 की प्रति परीक्षा निर्धारित की गई थी, परन्तु उसकी प्रति–परीक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे। प्रतिवादी ने वाद की पोषणीयता पर याचिका अस्वीकार करने वाले दिनांक 3.5.2011 के आदेश को चुनौती देने के लिए समय माँगने का निर्णय लिया था, जिसे अनुज्ञात कर दिया गया था। परन्तु, तत्पश्चात, पुनः 10.8.2011, 9.9.2011 तथा 19.10.2011 को प्रतिवादी ने विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष इस न्यायालय का कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया था। बाद में, दिनांक 3.5.2011 के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष अपील दाखिल करने के लिए समय हेतु भी एक आग्रह किया गया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। तथापि, वादी की गवाहों की प्रति–परीक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे। पुनः 22.2.2012 को, दोनों पक्षकारों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई थी तथा 5.4.2012 को, प्रतिवादी की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया था। पुनः 4.5.2012 को दोनों पक्षों द्वारा अधिवक्ताओं की उपस्थिति दाखिल की गयी थी तथा 5.6.2012 को अगली तिथि निर्धारित की गई थी। जबकि इसके उपरांत प्रतिवादी कोई कदम उठाने में विफल रहा था, 15.9.2012 को अ॰ सा॰ 2 की शपथ पर की गई प्रधान परीक्षा दाखिल किया गया था जिसे अन्ततः 11.6.2013 को उन्मुक्त कर दिया गया था। अ॰ सा॰ 3 को भी किसी प्रति–परीक्षा के बिना इसके उपरान्त छोड़ दिया गया था। वादी के गवाहों का कार्य 23.7.2013 को पूरा कर लिया गया था तथा प्रतिवादी के साक्ष्य के लिए वाद 20.8.2013 को निर्धारित किया गया था। चूँकि इसके बाद भी पाँच तिथियों तक प्रतिवादी के गवाहों की प्रति–परीक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे, अन्तिम जिरह के लिए मामला निर्धारित करते हुए 10.1.2014 को उनका साक्ष्य भी बन्द कर दिया गया था। अतएव, यह प्रतीत होता है के वादी के गवाह की प्रति परीक्षा करके या अपने ही गवाहों को प्रस्तुत करने में विफल होने में प्रतिवादी की ओर से एक या दो अवसरों पर नहीं, बल्कि लगभग दो वर्ष से अधिक अवधि तक लगातार रूप से चूकें हुई थी। वाद वर्ष 2008 का है तथा 10.1.2014 को प्रतिवादी के साक्ष्य को बन्द करने के उपरान्त अन्तिम जिरह के लिए विद्वान विचारण न्यायालय के बोर्ड में चल रहा है।

7. तथ्यों की पूर्वोक्त अवस्था में, विद्वान विचारण न्यायालय ने मामले का अभियोजन करने/बचाव करने में कदम उठाने में प्रतिवादी की चूकों एवं व्यतिक्रम के कारण को स्पष्टीकृत किए जाने का उसकी ओर से कोई सक्षम कारण नहीं पाया था। आक्षेपित आदेश पारित करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय ने अधिकारिता की कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अतएव, यह न्यायालय मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाता है।

8. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विद्वान विचारण न्यायालय कार्यवाही करेगा तथा मामले में पक्षकारों को अपने अन्तिम निवेदनों को रखने के लिए सम्यक् अवसर प्रदान करने के उपरांत विधि के अनुसार वाद का समापन करेगा। यह भी कहने की आवश्यकता नहीं है कि विधि के न्यायालय के किसी निर्णय, जो अन्यथा साक्ष्य में ग्राह्य है, को अन्तिम जिरह के अनुक्रम में पक्षकारों द्वारा भरोसा किए जाने की अनुमति दी जाय।

9. तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

पंकज कुमार जायसवाल

cuke

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 1630 of 2015. Decided on 3rd January, 2017.

निबंधन अधिनियम, 1908—धारा 17—विक्रय विलेख का निबंधन–याची क्रेता है–यह याची का विक्रेता है जिसे विक्रय विलेख के निबंधन के लिए इसे प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है–जिला सब-रजिस्ट्रार के लिए इसके अस्वीकरण के विनिर्दिष्ट कारणों को अभिलिखित करना अपेक्षित है–आक्षेपित आदेश अभिखण्डित। (पैराएँ 4 से 6)

निर्णयज विधि.–2015(3) JCR 598 (Jhr.)—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Gautam Kumar, For the Petitioner; JC to GA, For the State.

आदेश

याची तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. याची कस्मर पुलिस थाना, परगना गोला, जिला बोकारो के मौजा खैरा छतर में भूखंड संख्या 236, खाता सं॰ 118, खेवट सं॰ 01, तौजी सं॰ 128, थाना सं॰ 144 वाली 7 डिसमिल क्षेत्रफल वाली भूमि के टुकड़े के सम्बन्ध में ग्राम एवं डाकघर खैरा छतर, पुलिस थाना कस्मर, जिला बोकारो के कृष्णदेव राय के पुत्र किसी बिनोद कुमार राय द्वारा एक लिखत के माध्यम से निष्पादित विक्रय द्वारा भूमि के एक टुकड़े का क्रेता है, जिसने इसे प्रत्यर्थी सं॰ 4 जिला सब रजिस्ट्रार, बोकारो के समक्ष निबंधन के लिए प्रस्तुत किया था। प्रत्यर्थी सं॰ 2 एवं 3 द्वारा निर्गत पत्र सं॰ 368 दिनांक 2 अप्रील, 2012 तथा पत्र सं॰ 49 दिनांक 5 जनवरी, 2012 को निर्दिष्ट करने वाले एक पृष्ठांकन के साथ विक्रय विलेख लौटा दिया गया था।

3. प्रतिशपथ पत्र में प्रत्यर्थी राज्य ने इन पत्रों के आधार पर एक अभिवचन लिया है कि भूमि का पूर्वोक्त टुकड़ा, जिसके लिए निबंधन हेतु विक्रय विलेख प्रस्तुत किया गया था भू-कर सर्वेक्षण अभिलेख के अनुसार गैर-मजरुआ जमीन है। परिशिष्ट-C गैर-मजरूआ खास/आम/कैसर-हिन्द की कोटि में आने वाली ऐसी जमीनों को अन्तर्विष्ट करने वाली सूची है। भूमि के प्रस्तुत टुकड़े को गैर-मजरुआ खास की कोटि के अधीन सूची के क्रम सं॰ 7 से 11 पर दर्शाया गया है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आक्षेपित आदेश विक्रय विलेख के प्रस्तुतीकरण का एक अस्वीकरण नहीं है, बल्कि इसे लौटा दिया गया है। अतएव, यह इस प्रकार भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 72 के अधीन अपील की एक विषय वस्तु नहीं हो सकता है। इससे भी बढ़कर, पृष्ठांकन में कोई विनिर्दिष्ट कारण भी प्रकट नहीं किए गए हैं। प्रत्यर्थी सं॰ 4 के लिए इसके अस्वीकरण के पर्याप्त कारण दर्ज करना अपेक्षित था जिनकी अपीलीय प्राधिकार के समक्ष आलोचना की जा सकती थी। दिनांक 5 जनवरी, 2012 के उपायुक्त के पत्र पर भरोसा किया जाना इसे संबद्ध जिला के उसी पदाधिकारी के समक्ष और भी अपील के अध्यधीन नहीं रहने देता है।

5. प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट-C में यथा वर्णित गैर-मजरुआ भूमि इन जमीनों की कोटि के भीतर आती है जिनका हस्तांतरण निषिद्ध है? अतएव, प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने प्रत्यर्थी सं॰ 2 एवं 3 द्वारा निर्गत अनुदेश पर इसे याची को वापस लौटा दिया है। याची ने भी किसी प्रति उत्तर के माध्यम से पूर्वोक्त तथ्य को खण्डित नहीं किया है।

6. अभिवाक् किए गए सुसंगत तथ्यों के आलोक में पक्षकारों के निवेदनों पर विचार किया है। याची द्वारा प्रस्तुत विक्रय विलेख पर आक्षेपित पृष्ठांकन इसकी वापसी के पहले विवेक का सम्यक रूप से इस्तेमाल करने के उपरान्त विनिर्दिष्ट कारणों को प्रतिबिम्बित नहीं करता है। अतएव, जिला सब-रजिस्ट्रार, प्रत्यर्थी सं॰ 4 के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों तथा दिशा निर्देशों एवं **(2015)3 JCR 598 (Jhar.)** में रिपोर्ट किए गए **डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 6184/2014** में **राजराजेश्वर प्रसाद सिंह चन्देल** के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को भी ध्यान में रखते हुए विधि के अनुसार सम्यक रूप से विवेक का इस्तेमाल करने के उपरांत इसके अस्वीकरण के विनिर्दिष्ट कारणों को अभिलिखित करना आवश्यक है। तद्नुसार, पूर्वोक्त कारणों से आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया जाता है। इसे स्पष्ट किया जाता है कि न्यायालय ने इसको लेकर मामले के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी अभिव्यक्त नहीं की है कि पंजीकरण के लिए प्रस्तुत दस्तावेज विधि के अनुसार निबंधन के लिए उपयुक्त है या नहीं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह याची का विक्रेता है जिससे अब विधि के अनुसार विक्रय विलेख के निबंधन के लिए इसे याची के साथ प्रत्यर्थी सं॰ 4 के समक्ष प्रस्तुत किया जाना, अगर आवश्यक हो, अपेक्षित है।

7. तद्नुसार, पूर्वोक्त ढंग से रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

इन्दिरा देवी

cuke

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

Cr. Appeal (D.B.) No. 590 of 2014. Decided on 4th January, 2017.

भारतीय दण्ड संहिता, 1860—धाराएँ 302, 120-B/34—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 378—हत्या एवं षड्यंत्र–दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील–सूचनादाता के सिवाय सभी अभियोजन साक्षियों की परीक्षा की गई है–अगर सूचनादात्री की परीक्षा की भी जाती है, कोई उपयोगी उद्देश्य उसकी परीक्षा द्वारा प्राप्त नहीं होने जा रहा है क्योंकि सूचनादात्री अपने मृतक पुत्र पर हुए हमले की चश्मदीद गवाह नहीं है तथा उसने केवल पुरानी शत्रुता के कारण अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध संदेह व्यक्त किया है–इस प्रकार, दोषमुक्ति के निर्णय को अपास्त किए जाने का आग्रह अनुचित है–अपील खारिज। (पैराएँ 6 से 8)

अधिवक्तागण.–M/s Deepak Kumar, For the Appellant; M/s Asif Khan, For the State; M/s Jitendra Tripathi, For the Resp. Nos. 2, 3 & 4.

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी सं॰ 2 से 4 के विद्वान अधिवक्ता को भी सुना।

2. अपीलार्थी एस॰ टी॰ सं॰ 287 वर्ष 2010/एस॰ टी॰ सं॰ 124 वर्ष 2011 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-II, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 30.6.2014 के निर्णय से व्यथित है, जिसके द्वारा विपक्षी सं॰ 2 से 4, जो भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 302, 120-B/34 के अधीन अपराध के लिए विचारण का सामना कर रहे थे, को विचारण के उपरांत आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है। सूचनादात्री, जो मृतक की माता हैं, ने दोषमुक्ति के निर्णय से व्यथित होकर वर्तमान अपील दाखिल किया है।

3. अवर न्यायालय के अभिलेख दर्शाते हैं कि सूचनादात्री के सिवाय मामले में सभी अभियोजन साक्षीगण को परीक्षित किया गया था। अवर न्यायालय का आदेश पत्रक तथा विशिष्ट रूप से अवर न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 24.6.2014 का आदेश दर्शाता है कि उसके स्थायी पते पर गिरफ्तारी के वारंट के साथ सूचनादात्री की गिरफ्तारी का वारंट निर्गत करने, धनबाद के आरक्षी अधीक्षक, उपायुक्त को पत्र भेजने, डी॰ जी॰ पी॰, उ॰ प्र॰ को पत्र भेजने समेत मामले में सूचनादात्री को पेश किए जाने के लिए अवर विचारण न्यायालय द्वारा सभी संभव प्रयास किए गए थे तथा सूचनादात्री को पेश करने के लिए अन्वेषण पदाधिकारी को दस्ती समन तक प्रदान किए गए थे, परन्तु सारे प्रयासों के बावजूद सूचनादात्री को अवर न्यायालय में उसके साक्ष्य के लिए पेश नहीं किया जा सका था। तद्नुसार, अभियोजन साक्ष्य बन्द कर दिया गया था एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, अवर न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया है।

4. बिल्कुल प्रारम्भ में ही, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अति निष्पक्षतापूर्वक निवेदन किया है कि मामले के गुणावगुणों पर जिरह करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, अपितु विद्वान अधिवक्ता का निवेदन यह है कि तामीला रिपोर्टों की प्रतीक्षा किए बिना अभियोजन मामला अति जल्दबाजी में बन्द कर दिया गया था, तथा अवर न्यायालय में सूचनादात्री की परीक्षा के लिए और प्रयास किए जाने चाहिए थे। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अगर दोषमुक्ति का निर्णय अपास्त किया जाता है तथा मामला प्रतिप्रेषित किया जाता है, सूचनादात्री अवर न्यायालय में कुछ ही दिनों में स्वयं की परीक्षा करवाएगी तथा इसके बाद मामला विचारण न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जा सकता है।

5. राज्य के विद्वान अधिवक्ता तथा निजी प्रत्यर्थी 2 से 4 के भी विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह का विरोध किया है यह निवेदन करते हुए कि सारे सम्भव प्रयास कर लेने के बाद ही अवर न्यायालय ने सूचनादात्री को अवर न्यायालय में उसके साक्ष्य के लिए पेश नहीं किए जा सकने पर ही अभियोजन मामला बन्द कर दिया है।

6. हमने अवर न्यायालय के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है। प्राथमिकी स्पष्टत: दर्शाती है कि सूचनादात्री मृतका की माता है तथा वह अपने मृतक पुत्र पर हुए हमले की चश्मदीद गवाह नहीं है। घटना लगभग मध्य रात्रि में उसके घर के बाहर घटित हुई थी, जब उसके मृतक पुत्र पर आग्नेयायुद्यों के माध्यम से अज्ञात दोषियों द्वारा प्रहार किया गया था। गोली चलने की आवाज सुनकर वह बाहर आई थी तथा अपने पुत्र को घायल अवस्था में एवं कुछ व्यक्तियों को भागते हुए पाया था, जिनका उसने नाम नहीं लिया है। उसने केवल संदेह व्यक्त किया है कि नामजद अभियुक्त व्यक्तियों, जो मृतका के ससुराल वाले हैं, का पुरानी शत्रुता के कारण उसके पुत्र की हत्या कारित करने में हाथ था।

7. मामले की इस दृष्टि में, हमारी सुविचारित राय में, अगर सूचनादाता के मामले में परीक्षा भी की जाती है, उसकी परीक्षा द्वारा कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होने जा रहा है क्योंकि सूचनादात्री मृतक पर हुए हमले की चश्मदीद गवाह नहीं है तथा उसने पुरानी शत्रुता होने के कारण अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध केवल संदेह व्यक्त किया है। अतएव, दोषमुक्ति के निर्णय को अपास्त करने के लिए सूचनादात्री के विद्वान अधिवक्ता का आग्रह पूर्ण रूप से अनुचित है।

8. इस अपील में कोई गुण नहीं है तथा इसे तद्नुसार खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

मो॰ अब्दुल फतह

cuke

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 3967 of 2015. Decided on 3rd January, 2017.

भूमि विधि–खास महाल भूमि का बन्दोबस्त–किसी सरकारी खास महाल जमीन के किसी अतिक्रमण की दशा में सांविधिक प्राधिकारियों के लिए विधि के अनुसार कार्रवाई करना अपेक्षित है जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति के पास उपयुक्त फोरम/सांविधिक अपीलीय प्राधिकार के समक्ष कोई उपचार हो सकता है–याची भी किसी खास महाल जमीन के बन्दोबस्त या नवीनीकरण के लिए सक्षम पदाधिकारी के पास जाने में स्वतंत्र है–याची ने अपने अभिवाक् को सिद्ध करने के लिए मूल पट्टा विलेख की प्रतिलिपि तक संलग्न नहीं की है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Sunil Kumar, For the Petitioners; M/s Md. Imtiaz Khan, Md. Shamim Akhtar, Hadish Ansari, For the Respondents.

आदेश

याची, राज्य तथा आई॰ ए॰ सं॰ 7415 वर्ष 2016 में मध्यक्षेपी आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. याची ने निम्नांकित आग्रह किया है:-

(A) ble uhp ;Fkk of.kr fooj.kk okyh Hk& lEifÙk d cUnkcLr d ekey ij fopkj dju d fy, çR;Fkh l0 4 ([kkl egky inkfèkdkjh) dk fun'k fuxr dju d fy,A

(B) lEcfèkr çR;Fkx.k dk bl le>u d fy, Hkh fun'k fuxr dju d fy, fd yxHkx 2½ eki okyh [kkl egky Hkfe l0 580, Hk[k.M l0 52/a dk ;kph d i{k e cUnkcLr fd;k tk ldrk g D;kfd igy Hk[k.M l0 51 dh tehu d ,d NkV l fgLl dk bl lnHk e çkjEHk dh xb dk;okgh] vFkkr 4/98/99 d fucèkuk e ml igy gh cUnkcLr fd;k tk pdk Fkk rFkk 0;fDrxr bLreky] lMd] mi;Dr çdk'k rFkk goknkjh d fy, ml bldh vko';drk gA

(C) lEcfUèkr çR;Fkx.k }kjk bl ij Hkh fopkj dju rFkk mud fy, mi;Dr fun'k fuxr fd, tku d fy, fd bl lEcUèk e ;kph u tehu d mDr NkV l VdM d cUnkcLr d fy, 13.5.2003 dk ,d vkonu fd;k g ft ld fo#) ;kph mDr jkf'k dk Hkxrku dju dk r;kj g] fu;e 170-A ,o 171-B d fucèkuk e lEcfUèkr çkfèkdkjh }kjk bl lnHk e ml d i{k e fjikV Hkh çLrr dh xb Fkh] tl k fd fnukd 29.5.2003 d fjikV l ;g Li"V g] ;fi ;g mud le{k yfcr iMh gb gA

(D) çdh.k dl l0 4/98-99 e Res Noon fnukd 6.4.2001, (mik;Dr) MkyVuxt] (enuh ukxk) }kjk fd, x, lEijh{k.k d fucèkuk e Hkh lEcfUèkr çR;Fkh dk fopkj dju rFkk fun'k nu d fy, HkhA

*(E) çR;Fkh dk jkdu gr fun'k fuxr dju d fy, Hkh] rkfd o vU;Fkk çkjHk dh xb dk;okgh çdh.k dl l0 01/2014-15 d fucèkuk e vU;Fkk dkjokb dk ekx ugh viuk,A***

3. यद्यपि याची भाटी मुहल्ला, डालटेनगंज में अवस्थित होल्डिंग सं॰ 704 वाली कथित रूप से एक खास महाल भूमि, जो कि हरिजन टोला (भाटी टोला) के खाता सं॰ 580 के अधीन भूखंड सं॰ 51 है के सम्बन्ध में, मूल पट्टाधारी, अर्थात् एस॰ के॰ शम्सुद्दीन का पुत्र होने का दावा करता है, परन्तु मूल पट्टा विलेख की प्रतिलिपि अभिलेख पर नहीं लाई गई है। तथापि, याची ने सम्पूरक शपथ पत्र के परिशिष्ट A

तथा B के रूप में संलग्न होल्डिंग कर रसीदों के आधार पर रिट याचिका में किए गए अपने आग्रह तथा प्रकथनों का इप्सा किया है। उसके अनुसार उसके पिता ने 10.12.1990 को पट्टा के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जो खास महाल पदाधिकारी, डालटेनगंज के समक्ष लंबित है। तथापि भूमि के उक्त टुकड़े के पट्टे का नवीनीकरण प्रदान किया गया प्रतीत नहीं होता है।

4. दूसरी ओर खास महाल पदाधिकारी, पलामू के समक्ष एक प्रकीर्ण कार्यवाही केस सं॰ 1/20 14-15 प्रारम्भ की गई प्रतीत होती है। मध्यक्षेपी–आवेदक ने विविध मामले का आदेश पत्रक भी संलग्न किया है तथा इसी पदाधिकारी, प्रत्यर्थी सं॰ 3 के दिनांक 1.8.2016 के पत्र सं॰ 111 परिशिष्ट 9 के आधार पर यह बताने की इप्सा किया है कि इसी प्रकीर्ण केस सं॰ 1/2014-15 के सम्बन्ध में निरीक्षण के अनुक्रम में जमीन का अतिक्रमण पाया गया है जहाँ याची तथा मध्यक्षेपी दोनों पक्षकार हैं।

5. जबकि याची के विद्वान अधिवक्ता ने यह बताने की इप्सा किया है कि अतिक्रमण का अभिकथन बेबुनियाद है, मध्यक्षेपी आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने जमीन के कतिपय टुकड़ों पर याची द्वारा अभिकथित अतिक्रमण से सम्बन्धित प्रकीर्ण केस सं॰ 1/2014-15 में कार्यवाहियों के आधार पर अपने सुने जाने के अधिकार को सिद्ध करने का प्रयास किया है। तथ्यों की पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में, याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची का आग्रह मूल रूप से उस खास महाल जमीन के इसी खाता सं॰ 580 के अधीन ढाई फुट माप वाले भूखण्ड सं॰ 52/A धारण करने वाले भूमि के पूर्वोक्त टुकड़े जिसके सम्बन्ध में वर्ष 1999 में ही कार्यवाहियाँ प्रारम्भ की गई थी, के बन्दोबस्त के लिए आग्रह पर एक निर्णय लेने हेतु प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को निर्देश देने के लिए है।

6. पूर्वोक्त तथ्यों, जो प्रतिद्वंदी पक्षकारों के अभिवचन पर विचार किए जाने के लिए सुसंगत प्रतीत होते हैं, को पूर्वगामी पैराओं में सचेत रूप से निर्दिष्ट किया गया है क्योंकि वह इस अभिमत की ओर ले जाते हैं कि न तो भूमि के समीपस्थ टुकड़े के बन्दोबस्त के लिए याची का मुख्य अभिवचन इस पर कोई टिप्पणी किए जाने हेतु इस न्यायालय के लिए उपयुक्त है, न ही विविध केस सं॰ 1/2014-15 में पक्षकारों के बीच आपसी कार्यवाहियाँ टिप्पणी किए जाने के लिए उपयुक्त हैं। सांविधिक प्राधिकारियों के लिए किसी सरकारी या खास महाल जमीन के किसी अतिक्रमण के मामले में विधि के अनुसार कार्रवाई करना अपेक्षित होता है जिसके विरुद्ध व्यथित पक्ष के पास अपीलीय फोरम/सांविधिक प्राधिकार के समक्ष कोई उपचार हो सकता है। किसी खास महाल जमीन के बन्दोबस्त या नवीनीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास जाने में भी याची समान रूप से स्वतंत्र है जिसके लिए अभिवचनों के लिए वर्तमान स्थिति में कोई रियायत दिखाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

7. याची ने, अपने अभिवाक् को सिद्ध करने के लिए मूल पट्टा विलेख की प्रतिलिपि तक संलग्न नहीं किया है। अतएव, प्रस्तुत रिट याचिका भ्रामक प्रतीत होती है जिसका कारण सर्वोत्तम रूप से वही जानता होगा। मामले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार रिट याचिका खारिज की जाती है। आई॰ ए॰ सं॰ 7415 वर्ष 2016 भी निस्तारित किया जाता है।

---

ekuuh; Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efr

राजीव खिरवाल उर्फ बंटी

cuke

झारखंड राज्य

Cr. M.P. No. 397 of 2016. Decided on 24th November, 2016.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—दाण्डिक कार्यवाही का अभिखंडन–छल का अपराध–दुर्भावनापूर्ण अभियोजन या प्रतिशोध का आधार अभिलेख पर नहीं लाया गया है, न ही याची अपने विरुद्ध प्रथम दृष्टया सामग्रियों को त्यक्त करने में सक्षम रहा है–समूचा मामला केवल मामला दर्ज किए जाने के चरण में है तथा अन्वेषण चल रहा है–किसी भी प्रकार का मत पक्षकारों में से किसी के भी मामले को प्रभावित कर सकता है या अन्वेषण के अनुक्रम को निर्बल कर सकता है–याचिका खारिज। (पैराएँ 7 एवं 8)

निर्णयज विधि.–1992 Supp. (1) SCC 335—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Ravi Prakash, For the Petitioner; APP, For the State.

आदेश

पक्षकारों को सुना।

2. चौका पुलिस थाना केस सं॰ 63 वर्ष 2015 [जी॰ आर॰ सं॰ 1077 वर्ष 2015] से उद्भूत समूची दाण्डिक कार्यवाही/अभियोजन, जो अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, सरायकेला के न्यायालय में लंबित है, को अभिखंडित/अपास्त करने के आग्रह के साथ यह दां॰ प्र॰ याचिका दाखिल की गई है।

3. जी॰ आर॰ सं॰ 107 वर्ष 2015 के तत्सम चौका पुलिस थाना केस सं॰ 63 वर्ष 2015 के रूप में प्रस्तुत प्राथमिकी उस परिवाद के आधार पर संस्थित की गई है जिसे दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 156 (3) के अधीन पुलिस थाना भेजा गया था। यह अभिकथित किया गया है कि सूचनादाता लकी कोक मैनुफैक्चरर का प्रबंधक है तथा फर्म के व्यावसायिक कार्य कलापों में संलग्न है। फर्म का अपना कार्यालय रतनजी रोड, टिकिया मोहल्ला, पुराना बाजार, धनसार, धनबाद में है। अभियुक्त तथा परिवादी के बीच पुरानी जान–पहचान थी। वर्ष 2008 में, अभियुक्त दुर्भावनापूर्वक परिवादी के कार्यालय गया था एवं उसे विश्वास में लेते हुए साख के आधार पर कोक की आपूर्ति के लिए कहा था। उसने समय के भीतर भुगतान न किए जाने की दशा में विधिक तथा अन्य खर्चों का वहन करने का आश्वासन दिया था। इस आश्वासन पर, सूचनादाता ने 43,11,121/- रु॰ के मूल्य के बराबर कोक की आपूर्ति कर दी थी। दिसम्बर, 2008 में तीन महीनों के निर्धारित समय के पूरा हो जाने पर सूचनादाता ने बकायों को चुकता करने का आग्रह किया था परन्तु अभियुक्त ने कोई ध्यान नहीं दिया था। 2015 तक, परिवादी डाक तथा दूरभाष पर नियमित रूप से आग्रह करता था, परन्तु अभियुक्त व्यक्तियों ने सीधे ही भुगतान करने से इनकार कर दिया था एवं दुर्व्यवहार भी किया था तथा बकायों के भुगतान के लिए कहे जाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।

4. याची की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता, श्री रवि प्रकाश ने प्राथमिकी के आधार पर दाण्डिक कार्यवाही के जारी रहने की आलोचना करते हुए गंभीरतापूर्वक तर्क दिया कि उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा उसे झुठ–मूठ मामले में फंसा दिया गया है इस झूठे एवं मनगढ़ंत आधार पर कि वे मेसर्स केवल मेटालिक का साझेदार है यद्यपि याची न तो फर्म का साझेदार है, न ही उक्त फर्म के साथ उसका कुछ लेना–देना है। यह भी निवेदन किया गया है कि यह सूचनादाता एवं अभियुक्त सं॰ 1 मेसर्स केवल मेटालिक के बीच एक व्यावसायिक संव्यवहार है तथा केवल याची को उसे तंग करने के लिए घसीटा गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि परिवाद दर्ज करने में सात वर्षों का विलम्ब हुआ है तथा कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। याची ने आरक्षी अधीक्षक, सरायकेला, खरसांवा के समक्ष तथा चौका पुलिस थाना के प्रभारी पदाधिकारी के समक्ष भी अभ्यावेदन किया है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि प्रस्तुत प्राथमिकी में यथा अभिकथित कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि किसी सम्पत्ति का सौंपा जाना नहीं हुआ है, न ही अभिकथित प्रलोभन करते समय अपराध बोध

था तथा अभियुक्त का छल करने का कोई इरादा नहीं था। विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि न तो सूचनादाता को उपहति कारित करने का कोई अभिकथन है, न ही सूचनादाता को दोषपूर्ण रूप से रोकने का कोई अभिकथन है। इस प्रकार, प्राथमिकी में उल्लिखित धारा में से कोई भी धारा याची के विरुद्ध आकर्षित नहीं होती है।

5. दूसरी ओर राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह का विरोध किया है तथा निवेदन किया है कि समूचे दाण्डिक अभियोजन को अभिखंडित करने के लिए लिया गया आधार तर्कपूर्ण नहीं है। यह निर्दिष्ट किया गया है कि याची की संलिप्तता दर्शाने के लिए पर्याप्त सामग्री है तथा इस प्रकार न्याय के उद्देश्यों के लिए विचारण की कार्यवाही की जा सकती है।

6. मैंने पक्षकारों के प्रतिद्वंदी निवेदनों तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया है। दुर्भावनापूर्ण अभियोजन या प्रतिशोध का आधार अभिलेख पर नहीं लाया गया है, न ही याची उसके विरुद्ध प्रथम दृष्टया सामग्रियों को त्यक्त करने में सक्षम रहा है। **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 Supp (1) SCC 335** के मामले में, इससे सम्बन्धित मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया था कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन शक्तियों के इस्तेमाल में दाण्डिक कार्यवाही अभिखंडित की जा सकती है। माननीय न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैराएँ 68, 71 एवं 103 में निम्नवत निर्णीत किया था:–

> *"68. Jh fpnEcje u ,d çcy vH;kifÙk mBkb Fkh ,Ik dfFkr djr g, fd doy U;k;ky; dk iokxgxLr dju d fy, ; vijhf{kr vfHkdFku yk, x, g rFkk] vr,o] U;k;ky; dk bu vfHkdFkuk ij fopkj dju l nj jguk pkfg,A ge ;g lhèk gh dg ldr g fd ge bu u, vfHkdFkuk dk è;ku e ugh yr g D;kfd bl pj.k e gel bldh tkp dju d ekx ij pyuk vif{kr ugh g fd çFke lpuk fjikV e vfHkdFku Hkjkl d ;kX; g ;k ugh rFkk rnifj ;g fu"d"k nuk fd bu vfHkdFkuk e l dkb fl) gvk g ;k ughA ;g ,l ekey g ftudh lEcfÙèkr U;k;ky; d l{ke leph lkefx;k d j[k tku d mijkUr ml h U;k;ky; d }kjk ,d xg.k vUo"k.k ij ijh{kk dh tk ldrh gA*
>
> *71. tcfd Jh jktUn lpj ,o Jh xx u ;g n'kku d fy, dkQh d"V mBk;k Fkk fd mnkgj.kk e l çR;d d lEcÙèk e mPp U;k;ky; }kjk fn, x, dkj.k fofèkd :i l leFkuh; ugh g Jh ijklj.k u ifjokn] fjV ;kfpdk e fn, x, Li"Vhdj.k e rFkk ml l lEcfÙèkr çfr'kiFk i= e Hkh rFkk çR;Ùkj d tokc e vH;kjkfir vfHkdfFkr Hk"Vkpkj d çR;d mnkgj.k dk lphc) djd ,d rkfydkc) dFku çLrr fd;k rFkk vkxg fd;k fd çkFkfedh e vfHkdFku dN vkj ugh cfYd feF;k vkjki ,o >B dk ifynk gA pfd lepk ekeyk doy ekeyk nt fd, tku d pj.k e g ,o mPp U;k;ky; }kjk çnÙk LFkxu d vkn'k d dkj.k vUo"k.k dh dk;okgh gb gh ugh g] gekjk VdMk d :i e çR;d mnkgj.k dh lPpkb ;k vU;Fkk dh tkp dju rFkk bld ckn mUg ,d nlj d lkFk tkM nu rFkk fdlh ,d fn'kk e dkb jk; vfHk0;Dr dju dk vk'k; ;k bjknk ugh g] D;kfd gekjh nf"V e ,Ik dkb Hkh er fdlh Hkh i{kdkj d ekey dk çHkkfor dj ldrk g ;k vUo"k.k d vuØe dk fucy cuk ldrk gA*
>
> *103. ge bl çHkko dh ,d lkoèkkuhi.k fVIi.kh Hkh nt djr g fd fdlh nkf.Md dk;okgh dk vfHk[kfMr dju dh 'kfDr dk ;nk&dnk gh rFkk l;e d lkFk bLreky fd;k tkuk pkfg, rFkk og Hkh fojy ekeyk e l fojyre e(fd U;k;ky; çkFkfedh ;k ifjokn e fd, x, vfHkdFkuk dh fo'oluh; rk ;k fo'k) rk ;k vU;Fkk d lEcÙèk e fdlh tkp&iMrky d ekx ij pyu e vkfpR;i.k ugh gkxk rFkk ;g fd vlkèkkj.k ;k vUrfufgr 'kfDr;k U;k;ky; dk viuh eueth ;k lud d vulkj dkb euekuh vfèkdkfjrk çnku ugh djrh gA***

7. प्रस्तुत मामले में, चूँकि समूचा मामला केवल मामला दर्ज किए जाने के चरण में है तथा अन्वेषण जारी है, हमारा टुकड़ों के रूप में प्रत्येक उदाहरण की सच्चाई या अन्यथा की जाँच करने तथा इसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ देने तथा किसी एक दिशा में कोई राय अभिव्यक्त करने का आशय या इरादा नहीं है, क्योंकि हमारी दृष्टि में ऐसा कोई भी मत किसी भी पक्षकार के मामले को प्रभावित कर सकता है या अन्वेषण के अनुक्रम को निर्बल बना सकता है।

8. इन परिस्थितियों में तथा ऊपर की गई परिचर्चाओं की दृष्टि में, मैं इस दां॰ प्रकीर्ण याचिका में कोई गुण नहीं पाता हूँ तथा तद्नुसार इसे खारिज कर दिया जाता है। विचारण न्यायालय विधि के अनुसार मामले में आगे कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। याची भी समुचित समय पर ऐसे सारे बिन्दुओं को उठाने के लिए स्वतंत्र है।

---

ekuuh; Jh pUn'k[kj] U;k;efr

सुरेन्द्र कुमार सिंह

cuke

शारदा देवी एवं अन्य

W.P. (C) No. 4842 of 2009. Decided on 27th September, 2016.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 1, नियम 10 सह पठित धारा 151—समझौते के एक विनिर्दिष्ट निष्पादन के लिए वाद में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया जाना–वादी द्वारा लिया गया पक्ष एक पृथक वाद हेतुक को उद्भूत करेगा जिसके लिए वादी को एक पृथक वाद संस्थित करने की आवश्यकता है–समझौते/समझौता ज्ञापन के विनिर्दिष्ट निष्पादन के लिए तथा प्रतिवादी को निबंधित विलेख के माध्यम से वादी के पक्ष में अपना पट्टाधृत हित अंतरित करने के लिए एक निर्देश के लिए किसी वाद में ऐसा वाद हेतुक, जिसे सि॰ प्र॰ सं॰ के आदेश 1, नियम 10 के अधीन आवेदन में प्रकटित किया गया है, निर्णीत नहीं किया जा सकता है–आक्षेपित आदेश अभिपुष्ट। (पैराएँ 5 एवं 6)

अधिवक्तागण.–Mr. Mukesh Kumar, For the Petitioner; Mr. A.K. Sahani, For the Respondents.

आदेश

अभिधान वाद सं॰ 40 वर्ष 2003 में पारित दिनांक 10.6.2009 के आदेश, जिसके द्वारा पक्षकार प्रत्यर्थी के रूप में महाप्रबंधक, नगर प्रशासन विभाग, भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) को पक्षकार बनाने के लिए सि॰ प्र॰ सं॰ के आदेश 1 नियम 10 सह–पठित धारा 151 के अधीन दाखिल आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत रिट याचिका दाखिल की गई है।

2. याची अभिधान वाद सं॰ 40 वर्ष 2003 में वादी है, जिसे मुख्यतः दिनांक 11.6.2000 तथा 6.6.2003 के समझौता ज्ञापन के विनिर्दिष्ट निष्पादन की डिक्री के लिए तथा वादी के पक्ष में वाद सम्पत्ति में पट्टा भूमि हित के अंतरण हेतु अवधि विस्तार प्रदान किए जाने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि॰ से प्रतिवादी सुखदेव प्रसाद सिंह को अनुमति प्राप्त करने का एक निर्देश दिए जाने के लिए तथा वादी के पक्ष में पट्टा भूमि हित का एक निबंधित अंतरण विलेख निष्पादित करने के लिए संस्थित किया गया था।

3. वाद में निम्नांकित मुद्दों को विरचित किया गया था:–

1. D;k ;Fkk fojfpr okn ik"k.kh; g

2. D;k oknh d ikl okn d fy, oèk okn grd g

3. D;k i{kdkjk u lk>nkjh Qe l çkIr vkxe rFkk vk; l okn lEifÙk vftr dh Fkh

4. D;k çfroknh u ly ckdkjk bLikr l;= d VhO ,O foHkkx e oknh d i{k e okn lEifÙk d iVVk Hkfe fgr d vrj.k d fy, vkonu ugh fd;k g

5. D;k fnukd 11.6.2000 d le>krk Kkiu d vulkj oknh d i{k e okn lEifÙk dk dCtk vrfjr fd;k x;k g

6. D;k oknh ;Fkk vkxg dh xb fMØh dk gdnkj g

7. oknh dku l vurk"k ;k vurk"kk dk gdnkj g

4. एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु होने पर, उसके विधिक वारिसों को अभिलेख पर लाया गया था तथा उसकी पत्नी ने वाद सम्पत्ति, जो भूखण्ड सं॰ C31 सिटी सेन्टर, सेक्टर IV, बोकारो स्टील सिटी के अधीन अवस्थित है, उसके पक्ष में नियमितीकरण के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि॰ के यहाँ एक आवेदन प्रस्तुत किया था। इस प्रकार, वादी ने उसके आवेदन पर विचार न करने के लिए सेल को एक कानूनी नोटिस भेजी थी, क्योंकि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में न्यायालय में अभिधान वाद सं॰ 40 वर्ष 2003 लंबित था। सेल से उत्तर प्राप्त होने पर, जब वादी को आशंका हुई थी कि सेल मूल प्रतिवादी का पट्टा भूमि हित उसकी पत्नी के पक्ष में अंतरित करने के लिए उन्मुख है, लम्बित वाद में महाप्रबंधक, नगर प्रशासन विभाग, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि॰ (सेल), बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो को पक्षकार बनाए जाने के लिए दिनांक 18.9.2008 का आवेदन दाखिल किया गया था।

5. दिनांक 18.9.2008 के आवेदन में वादी द्वारा लिया गया पक्ष प्रकट करता है कि वादी को सेल के विरुद्ध एक व्यथा है जो सुखदेव प्रसाद सिंह के पक्ष में प्रदत्त पट्टा भूमि हित उसकी पत्नी को अंतरित करने पर विचार कर रहा था। यह निश्चित रूप से एक पृथक वाद हेतुक को उद्भूत करेगा, जिसके लिए वादी को सेल के विरुद्ध उपयुक्त आदेश/निर्देश/व्यादेश की ईप्सा करते हुए एक पृथक वाद संस्थित करने की आवश्यकता है। दिनांक 11.6.2000 तथा 6.6.2003 के समझौता/समझौता ज्ञापन के विनिर्दिष्ट निष्पादन के लिए तथा प्रतिवादी को निबंधित विलेख के माध्यम से वादी के पक्ष में अपना पट्टा भूमि हित अंतरित करने हेतु निर्देश देने के लिए एक वाद में वह वाद हेतुक जिसे सि॰ प्र॰ सं॰ के आदेश 1, नियम 10 के अधीन आवेदन में प्रकट किया गया है, निर्णीत नहीं किया जा सकता है।

6. पूर्वोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, मैं अभिधान वाद सं॰ 40 वर्ष 2003 में पारित दिनांक 10.6.2009 के आक्षेपित आदेश में कोई दुर्बलता नहीं पाता हूँ तथा, तद्नुसार प्रस्तुत रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efr

रवि टोप्पो

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 597 of 2016. Decided on 24th November, 2016.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—पुलिसकर्मियों पर अभिकथित रूप से हमला–संज्ञान–दुर्भावनापूर्ण अभियोजन या प्रतिशोध का कोई आधार अभिलेख पर नहीं लाया गया है–याची उसके विरुद्ध प्रथम दृष्टया सामग्रियों को त्यक्त करने में सक्षम नहीं रहा है–याचिका खारिज। (पैराएँ 6 एवं 7)

निर्णयज विधि.–(2016) 6 SCC (Cri) 551—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Amit Kumar, For the Petitioner; APP, For the State.

आदेश

पक्षकारों को सुना।

2. न्यायिक दण्डाधिकारी, राँची द्वारा पारित दिनांक 18.11.2013 के संज्ञान लेने वाले आदेश तथा जी॰ आर॰ सं॰ 5950 वर्ष 2012 के तत्सम कांके पुलिस थाना केस सं॰ 168 वर्ष 2012 के सम्बन्ध में प्राथमिकी समेत समूची दाण्डिक कार्यवाही को भी अभिखंडित/अपास्त करने के आग्रह के साथ यह दा॰ प्र॰ या॰ दाखिल की गई है।

3. संक्षेप में तथ्य ये हैं कि 31/1.11.2012 की रात्रि में, सूचनादाता अरविन्द शर्मा, कांके पुलिस थाना ए॰ एस॰ आई॰ उक्त पुलिस थाना के कुछ अन्य पुलिसकर्मियों के साथ रात्रि–ड्यूटी पर था। लगभग 5.00 बजे पूर्वाह्न में कांके पुलिस थाना के प्रभारी पदाधिकारी ने सूचनादाता से मोबाईल फोन पर बात किया था तथा स्थिति के बारे में जानने के लिए केन्द्रीय विधि विश्वविद्यालय जाने के लिए आदेश दिया था। उक्त आदेश के अनुपालन में, सूचनादाता कुछ अन्य पुलिसकर्मियों के साथ पुलिस वाहन का इस्तेमाल करके कांके पिथोरिया रिंग रोड पहुँचा था। जब सूचनादाता वहाँ पहुँचा था, उसने लगभग 100 महिलाओं एवं पुरुष को केन्द्रीय विधि विश्वविद्यालय की चारदीवारी नष्ट करते हुए देखा था। सूचनादाता ने वाहन रोक दिया था एवं गाड़ी से नीचे उतरा था तथा भीड़ से इस सम्बन्ध में पूछा था कि वे क्या कर रहे हैं। तत्पश्चात, लाठी, डंडा, फरसा इत्यादि से लैस भीड़ में हथियारों का इस्तेमाल करके सूचनादाता एवं वाहन पर हमला कर दिया था। रवि टोप्पो (याची) ने फरसा के माध्यम से सूचनादाता पर प्रहार किया था। उसने वाहन पर भी फरसा से प्रहार किया था तथा वाहन चालक को उपहति कारित करते हुए वाहन का शीशा नष्ट कर दिया था। सूचनादाता एवं चालक ने किसी प्रकार अपने आप को बचाया था एवं मोबाइल फोन से कांके पुलिस थाना के प्रभारी पदाधिकारी को तत्काल घटना के बारे में सूचित कर दिया था। तथापि, पुलिस बल के आने के पहले, भीड़ उस स्थान से भाग गई थी।

4. याची की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अभिलेख पर कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है तथा केवल नाम के भ्रम के कारण वह दांडिक कार्यवाही का सामना कर रहा है। यह भी निवेदन किया गया है कि याची सोमन टोप्पो है तथा उसके पिता का नाम सोमन टोप्पो है तथा इसके समर्थन में वह पहले ही अपने अंक पत्र तथा मतदाता पहचान पत्र तथा पैन कार्ड, बैंक के विवरण जैसे अन्य दस्तावेज एवं अपने पिता के अन्य दस्तावेजों को भी पेश कर चुका है जबकि प्राथमिकी में अभियुक्त का नाम पांडे टोप्पो के पुत्र रवि टोप्पो के रूप में दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त अभियोग पत्र चुन्नु टोप्पो के पुत्र रवि टोप्पो उर्फ पांडे टोप्पो के तौर पर अभियुक्त का नाम प्रतिबिम्बित करता है। इसके अतिरिक्त, केस डायरी के पैरा 28 में अभियुक्तों का नाम रवि टोप्पो तथा सूरज टोप्पो के तौर पर उल्लिखित है जो दोनो चुन्नु टोप्पो के पुत्र हैं। इस प्रकार, प्राथमिकी, केस डायरी एवं आरोप–पत्र जैसे समूचे अभिलेखों में, जहाँ तक याची के पिता के नाम का सम्बन्ध है, ये विरोधात्मक हैं। यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि विद्वान न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद भी अन्वेषण पदाधिकारी या विद्वान लोक अभियोजक द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा

यह निर्दिष्ट किया गया है कि भ्रम के कारण याची को प्रस्तुत मामले में आलिप्त किया गया है यद्यपि उसी स्थानीय क्षेत्र में अन्य रवि टोप्पो भी हैं। याची एक छात्र है तथा प्रस्तुत मामले में झुठ-मूठ फंसाए जाने के कारण उसका कैरियर तबाह हो सकता है।

5. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह का विरोध किया है तथा निवेदन किया है कि आक्षेपित आदेश तथा समूची प्राथमिकी को भी अभिखंडित करने हेतु लिए गए आधार तर्कसंगत नहीं हैं। यह निर्दिष्ट किया गया है कि आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करने के उपरान्त विद्वान अवर न्यायालय अभियुक्त/याची के विरुद्ध पहले ही अपराध का संज्ञान ले चुका है।

6. मैंने पक्षकारों के प्रतिद्वंदी निवेदनों तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया है। दुर्भावनापूर्ण अभियोजन या प्रतिशोध का कोई आधार अभिलेख पर नहीं लाया गया है, न ही याची अपने विरुद्ध प्रथम दृष्टया सामग्रियों को त्यक्त करने में सक्षम रहा है। **अमानुल्लाह बनाम बिहार राज्य, (2016)6 SCC (Cri) 551** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 25 में निम्नवत् निर्णीत किया है:-

"25. vfHky[k ij j[kh xb lkexh dk lkoèkkuhiod iBu çdV djrk g fd fo}ku lh0 t0 ,e0 u U;k;ky; d le{k çLrr dl Mk;jh] vkjki&i= ,o vU; lkexh d ifj'khyu d mijkUr vfHk;Dr 0;fDr;k d fo#) vfHkdfFkr vijkèkk dk lKku fy;k FkkA lKku fy;k x;k Fkk D;kfd vfHk;Dr 0;fDr;k d fo#) çFke n"V;k ekeyk r;kj fd;k x;k FkkA ;g lLFkkfir g fd lKku yu d pj.k e] ml fof'k"V ekey e vfHk;ktu dh lQyrk nj dh lx.kuk dju dk è;ku e j[kdj ifyl }kjk nkf[ky vfHk;kx i= e mud }kjk r;kj fd, x, ekey d x.kkox.kk e ugh tkuk pkfg,A bl pj.k e] U;k;ky; dk nkf;Ro ;g irk yxku dh lhek rd lhfer g fd ml le{k çLrr lkefx;k l ekey e vkx dk;okgh dju dk è;ku e j[kdj vfHk;Dr d fo#) mle vfHkdfFkr vijkèk curk g ;k ughA

26. Hktu yky d ekey e n0 ç0 l0 dh èkkjk 482 l lEcfU/kr fofèk dh çfriknuk ij bl U;k;ky; }kjk fo'k) :i l fopkj fd;k x;k gA ft ld llxr ijk 102 ,o 103 fuEuor ifBr g%

^^102. vè;k; xIV d vèkhu lfgrk d fofHkUu llxr micèkk rFkk vuPNn 226 d vèkhu vlkèkkj.k 'kfDr d bLreky l lcfèkr ;k lfgrk dh èkkjk 482 d vèkhu vrfufgr 'kfDr;k d bLreky l lcfèkr fu.k;k dh ,d J[kyk e] ftUg geu vyx fd;k g rFkk Åij iR;Rikfnr fd;k g] bl U;k;ky; }kjk LFkkfir fofèk d fl)krk dh 0;k[;k dh i"BHkfe e] ge n"Vkr }kjk ekeyk dh fuEukfdr dkfV;k inku djr g ftue fdlh U;k;ky; dh vknf'kdk dk n:i;kx jkdu d fy, ;k U;k; d mí';k dk vU;Fkk ikIr dju d fy, ,lh 'kfDr dk bLreky fd;k tk ldrk g] ;fi dkb lVhd] Li"V :i l ifjHkkf"kr rFkk i;kIr :i l puyhÑr rFkk vueuh; ekx fun'k ;k dBkj l= vfèkdfFkr djuk ;k fofHkUu idkj d ekeyk dh ,d fu"k"k lph inku djuk lHko ugh g ftue ,lh 'kfDr dk bLreky fd;k tk ldrk gA

(1) tgk iFke lpuk fjikV ;k ifjokn e fd; x; vfHkdFku] vxj mUg T;k dk R;k eku fy;k Hkh tkrk g ,o mudh li.krk e Lohdkj dj fy;k tkrk g] vfHk;Dr d fo:) iFke n"V;k dkb vijkèk xfBr ugh djr g ;k ,d ekeyk ugh cukr gA

(2) tgk iFke lpuk fjikV e vfHkdFku rFkk ikFkfedh l lyXku vU; lkefx;k] vxj dkb gk] lfgrk dh èkkjk 155(2) dh ifjfèk d Hkhrj fdlh nMkfèkdkjh

d fdlh vkn'k d flok; lfgrk dh èkkjk 156(1) d vèkhu ifyl inkfèkdkfj;k }kjk ,d vUo"k.k dk U;k; lxr Bgjkr g, ,d lK; vijkèk idV ugh djrh gA

(3) tgk ikFkfedh ;k ifjokn e fd; x; v[kfMr vfHkdFku rFkk bud leFku e ,d vfrfjDr lk{; fdlh vijkèk dk dkfjr fd;k tkuk idV ugh djr g rFkk vfHk;Dr d fo:) ,d ekeyk ugh cukr gA

(4) tgk] ikFkfedh e vfHkdFku ,d lK; vijkèk dk xBu ugh djr g cfYd doy ,d vlK; vijkèk dk xBu djr g] fdlh nMkfèkdkjh d fdlh vkn'k d fcuk ,d vUo"k.k vuekU; gkrk g tlk fd lfgrk dh èkkjk 155(2) d vèkhu vuè;kr gA

(5) tgk ikFkfedh ;k ifjokn e fd, x, vfHkdFku bru crd ,o vrfufgr :i l vufèklHkk0; g fd bud vkèkkj ij dkb cf)eku 0;fDr dHkh Hkh bl U;k; lxr fu"d"k ij ugh igp ldrk g fd vfHk;Dr d fo:) dk;okgh dju d fy, i;kIr vkèkkj gA

(6) tgk dk;okfg;k d lfLFkr dju ,o tkjh j[ku d lcèk e lfgrk ;k lc) vfèkfu;e d ikoèkkuk e l fdlh ikoèkku] ftld vèkhu ,d nkfMd dk;okgh lfLFkr dh x;h g] e dkb Li"V oèkkfud otu vr%LFkkfir g rFkk@;k tgk 0;fFkr i{k dh 0;Fkk d iHkkoh ifrrk"k dk ikoèkku dju okyk ,d fofufn"V ikoèkku lfgrk ;k lc) vfèkfu;e e gA

(7) tgk ,d nkfMd dk;okgh idVr% nHkkouk l xLr g rFkk@;k tgk vfHk;Dr d lkFk ifr'kkèk yu d fy, rFkk futh ,o o;fDrd nHkko d dkj.k ml gkfu igpku dk è;ku e j[kdj ,d ijrj gr d lkFk dk;okgh nHkkoukiod lfLFkr dh x;h gA**

103. ge bl çHkko dh ,d lkoèkkuhi.k fVli.kh Hkh nt djr g fd fdlh nkf.Md dk;okgh dk vfHk[kfMr dju dh 'kfDr dk ;nk&dnk gh rFkk l;e d lkFk bLreky fd;k tkuk pkfg, rFkk og Hkh fojy ekeyk e l fojyre e(dh U;k;ky; çkFkfedh ;k ifjokn e fd, x, vfHkdFkuk dh fo'oluh;rk ;k fo'k) rk ;k vU;Fkk d lEcUèk e fdlh tkp&iMrky d ekx ij pyu e vkfpR;i.k ugh gkxk rFkk ;g fd vlkèkkj.k ;k vUrfufgr 'kfDr;k U;k;ky; dk viuh eueth ;k lud d vulkj dkb euekuh vfèkdkfjrk çnku ugh djrh gA**

7. उपर की गई चर्चाओं तथा परिस्थितियों में, मैं इस दां॰ प्र॰ या॰ में कोई गुण नहीं पाता हूँ तथा तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है। विचारण न्यायालय विधि के अनुसार आगे कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। याची भी समुचित समय पर ऐसे सारे बिन्दुओं को उठाने के लिए स्वतंत्र है।

---

ekuuh; vferkHk dekj xlrk] U;k;efr

मुरलीधर तिवारी (301-303 में)

cuke

रमेश उपाध्याय एवं अन्य (301 में)

सुरेन्द्र नाथ उपाध्याय एवं अन्य (302, 303 में)

F.A. Nos. 301-303 of 1989 (R). Decided on 29th September, 2016.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—धारा 30—अभ्यापत्ति का निपटारा—अधिनिर्णय की हकदारी एवं अधिकारपूर्ण दावेदार का निर्णय—विचारण न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत

मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करने का कष्ट नहीं किया है तथा अपना यह समाधान अभिलिखित किए बिना कि अभ्यापत्तिकर्ताओं के साक्ष्य तुच्छ थे, भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी द्वारा पारित अधिनिर्णय बरकरार रखते हुए एक गैर आख्यापक आदेश पारित कर दिया है–विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय तथा अधिनिर्णय अपास्त एवं एक तर्कसंगत एवं आख्यापक आदेश पारित करने के लिए मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित।

(पैराएँ 5 से 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Sanjay Kumar Tiwary, For the Appellants; M/s. Rajiv Ranjan, Om Prakash Tiwari & Ajit Kumar Dubey, (in all cases), For the Respondents; Mr. Shamim Akhtar, (in all cases), For the State.

आदेश

भूमि अधिग्रहण केस सं॰ 27, 28 एवं 29 वर्ष 1979 में पारित दिनांक 5 मई, 1989 के सम्मिलित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध वर्तमान अपील दाखिल की गई थी।

2. जिरह के अनुक्रम में, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी द्वारा तैयार किए गए अधिनिर्णय को बरकरार रखते हुए न तो कोई निष्कर्ष अभिलिखित किया है और न ही पक्षकारों द्वारा दिये गये साक्ष्य पर परिचर्चा किया है।

3. यह तर्क दिया गया है कि अभिलेख से यह प्रकट होगा कि अधिनिर्णय पक्षकारों के नाम संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। चूँकि अपीलार्थीगण ने सि॰ प्र॰ सं॰ की धारा 30 के अधीन अपनी अभ्यापत्तियाँ दाखिल की थी, जिसके उपरांत अधिनिर्णय की हकदारी तथा अधिकारपूर्ण दावेदार के निर्णयन के लिए मामला अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्णय हेतु निर्दिष्ट कर दिया था।

कि दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे परन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने अभिनिर्धारण के लिए मुद्दों एवं बिन्दुओं को विरचित नहीं किया था तथा एक अस्पष्ट एवं गैर-आख्यापक आदेश द्वारा निर्णय पारित किया गया है जो विधि की दृष्टि में समर्थनीय नहीं है।

4. प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। प्रत्यर्थीगण अपना वकालतनामा दाखिल करके उपस्थित हुए हैं।

5. सुना। निर्णय के परिशीलन पर, यह प्रकट रूप से स्पष्ट है कि अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के बावजूद, अवर न्यायालय ने न तो अभिनिर्धारण के लिए बिन्दुओं को विरचित किया है इस सम्बन्ध में कि अपीलार्थी/पक्षकार अधिनिर्णय का हकदार था तथा न ही मामले के गुणावगुणों पर चर्चा किए बिना निम्नवत निर्णीत किया है:–

> *^^eu Ørkvk d rhu legk dh vkj l çLrr ekf[kd rFkk nLrkoth lk{; dk voykdu fd;k g rFkk e ikrk g fd vH;kifÙkdrkvk u ek= vH;kifÙk dh [kkfrj Hkfe vfèkxg.k inkfèkdkjh }kjk r;kj fd, x, vfèkfu.k; d fo#) vH;kifÙk mBkb gA e ;g Hkh ikrk g fd Hkfe vfèkxg.k inkfèkdkjh }kjk r;kj fd;k x;k vfèkfu.k; mi;Dr gA bl lEijh{k.k d lkFk rhuk Hkfe lnHk ekeyk dk rnulkj fuLrkj.k fd;k tkrk gA**

6. यह प्रकट है कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्यों पर परिचर्चा करने के लिए कोई कष्ट नहीं उठाया है, तथा अपना ऐसा समाधान अभिलिखित किए बिना कि अभ्यापत्तिकर्ता के साक्ष्य तुच्छ थे, भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी द्वारा पारित अधिनिर्णय को बरकरार रखते हुए एक गैर-आख्यापक आदेश पारित किया है इसके लिए कोई अकाट्य कारण चिन्हित किए बिना यह निर्णीत करते हुए कि केवल अभ्यापत्ति के खातिर अभ्यापत्ति उठाई गई है।

ऊपर की गई परिचर्चाओं से, यह पूर्णत: स्पष्ट है कि एक तर्कसंगत तथा आख्यापक आदेश पारित करने के लिए यह विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने हेतु एक उपयुक्त मामला है। अवर न्यायालय पूर्वोल्लिखित भूमि अधिग्रहण केस संख्या 27 वर्ष 1979, 28 वर्ष 1979 एवं 29 वर्ष 1979 में पक्षकारों को नोटिस भेजने के उपरान्त तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करके एक युक्तिसंगत तथा आख्यापक आदेश पारित करेगा। चूँकि मामला लगभग तीन दशक पुराना है तथा साक्ष्य अभिलेख पर है, विचारण न्यायालय इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से छ: महीनों के भीतर मामलों का निस्तारण करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि विचारण न्यायालय बाध्यकर आधारों के सिवाय पक्षकारों में से किसी को कोई अनावश्यक स्थगन आदेश प्रदान नहीं करेगा। पक्षकार मामलों के शीघ्र निस्तारण में सहयोग करेंगे।

7. पूर्वोक्त सम्परीक्षण एवं निर्देश के साथ, भूमि अधिग्रहण केस संख्या 27, 28 एवं 29 वर्ष 1979 में विद्वान विशेष न्यायाधीश, भूमि अधिग्रहण द्वारा पारित दिनांक 5 मई, 1989 का निर्णय तथा अधिनिर्णय एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है।

8. उपर यथा उल्लिखित सीमा तक अपीलें एतद् द्वारा अनुज्ञात की जाती है।

9. कार्यालय को अवर न्यायालय के अभिलेख अवर न्यायालय को तत्काल भेजने का निर्देश दिया जाता है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

श्रीमती रिंकू देवी

cuke

संतोष कुमार

First Appeal No. 22 of 2005. Decided on 5th December, 2016.

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955—धाराएँ 13 एवं 24—तलाक–स्थायी निर्वाहिका–प्रत्यर्थी-पति परिसीमा की अवधि गुजर जाने के उपरान्त पहले ही विवाह कर चुका है–उसे दूसरे विवाह बंधन से संतानें हैं–पत्नी-प्रत्यर्थी से 1400/- रु॰ की मासिक निर्वाहिका प्राप्त कर रही है–प्रत्यर्थी एक सोनार है–प्रत्यर्थी को अपीलार्थी पत्नी को 7,00, 000/- रु॰ की स्थायी निर्वाहिका का भुगतान करने का निर्देश दिया गया जो मासिक निर्वाहिका से अलग होगा। (पैराएँ 11 एवं 12)

अधिवक्तागण.–Mr. Ayush Aditya, For the Appellant; Mr. Atanu Banerjee, For the Respondent.

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. अपीलार्थी पत्नी ने एम॰ टी॰ एस॰ सं॰ 86/2000 में विद्वान प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, चतरा द्वारा पारित दिनांक 17.4.2004 के निर्णय तथा डिक्री को चुनौती दिया है, जिसके द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन पक्षकारों के बीच विवाह तलाक की डिक्री द्वारा भंग कर दिया गया है।

3. यद्यपि आक्षेपित निर्णय दर्शाता है कि अपीलार्थी नोटिस प्राप्त होने पर, यद्यपि अवर न्यायालय में हाजिर हुई थी, परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था, न ही प्रत्यर्थी पति के गवाहों को प्रति परीक्षित

किया था, परन्तु निर्णय यह भी दर्शाता है कि मुकदमें के लंबित रहते हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन एक याचिका अपीलार्थी पत्नी द्वारा दाखिल की गई थी, जिस पर अवर न्यायालय द्वारा कोई अन्तिम आदेश पारित नहीं किया गया था।

4. यह भी प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में दिनांक 8.12.2000 को दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अधीन वाद दाखिल किया गया था, यह अभिकथित करते हुए कि अपीलार्थी पत्नी ने 5.5.1999 से प्रत्यर्थी का अभित्याग कर दिया था, परन्तु वाद लंबित रहने के दौरान, हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन वाद के संशोधन तथा सम्परिवर्तन के लिए एक आवेदन दाखिल किया गया था, जिसे संशोधन पर दिनांक 30.11.2002 के आदेश द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन एक वाद में सम्परिवर्तित कर दिया गया था। अवर न्यायालय का अभिलेख दर्शाता है कि अपीलार्थी पत्नी की सहमति से ऐसा सम्परिवर्तन किया गया था।

5. तथापि, निर्णय तथा डिक्री से व्यथित होकर, कई आधारों पर वर्तमान प्रथम अपील दाखिल की गई है। अपील दाखिल करने की परिसीमा का 16.7.2004 को अवसान हो चुका था, जबकि 21.3.2005 को अपील दाखिल की गई थी। प्रत्यर्थी का यह मामला है कि परिसीमा की अवधि के उपरान्त प्रत्यर्थी–पति दूसरा विवाह कर चुका है क्योंकि परिसीमा की अवधि के भीतर कोई अपील दाखिल नहीं किया गया था, तथा उसे दूसरे विवाह से संतान भी है।

6. इस स्थिति को देखते हुए, इस न्यायालय द्वारा 21.11.2008 को एक आदेश पारित किया गया था जिसे यहाँ नीचे उत्कथित किया गया है:–

> ^^fiNy vkn'k d vulj.k e nkuk i{kdkj Lo; mifLFkr g, FkA vihykFkh&iRuh viuh nkuk lrkuk] vFkkr yxHkx 9 o"kh; ,d i= rFkk yxHkx ,d 10 o"kh; i=h d lkFk mifLFkr gb FkhA e> lfpr fd;k x;k g fd 2006 e ikfjr rykd dh fMØh d mijkr çR;Fkh&ifr u nljk fookg dj fy;k FkkA
>
> iokDr vkèkkjk e] 'k"k jg x, ,dek= fodYi ;k rk vihy vuKkr djd ;k çfrdj d :i e cMh jkf'k fuèkkfjr djd x.kkox.kk ij vihy dh luokb djuk gA
>
> bl ekey d pu x, fgLl d vè;èkhu çFke ekey d rkj ij exyokj] vFkkr 25 uoEcj] 2008 dk vkx dh luokb d fy, bl lphc) fd;k tk;A**

7. पुनः, दिनांक 25.11.2008 के आदेश द्वारा इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा किए गए दूसरे विवाह की उचितता के बारे में कथित करते हुए उसे शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। तथापि, यह प्रतीत होता है कि कोई शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है, न ही प्रतिकर के रूप में राशि निर्धारित करने के लिए प्रत्यर्थी की ओर से कोई प्रस्ताव आया था।

8. 15.3.2016 को इस मामले में एक सम्पूरक शपथ पत्र दाखिल किया गया है जिसमें यह कथित किया गया है कि प्रत्यर्थी एक सफल सोनार है तथा उसकी दूकान चतरा के बाजार स्थल के भीतर शहर के प्रमुख भाग में अवस्थित है। अभी तक शपथ पर इस तथ्य का कोई प्रख्यान नहीं हुआ है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि विवाह बन्धन से, पक्षकारों को अपीलार्थी–पत्नी के साथ जीवन–यापन कर रहे दो बच्चे हैं तथा उसके द्वारा उनका भरण–पोषण किया जा रहा है। अवर न्यायालय ने तलाक के लिए वाद डिक्री करते समय अपीलार्थी–पत्नी को कोई स्थायी निर्वाहिका अनुज्ञात नहीं किया था।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यद्यपि 30.11.2002 को अपीलार्थी की सहमति से आवेदन में संशोधन किया गया था, परन्तु यह तथ्य शेष रह जाता है कि संशोधन में केवल अभित्यजन के आधार पर दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए वाद को तलाक के लिए वाद में

सम्परिवर्तित कर दिया गया था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि चूँकि 5.5.1999 के प्रभाव से अधित्यजन का अभिकथन किया गया है तथा वाद मूल रूप से 8.12.2000 को प्रस्तुत किया गया था, हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 (i) (ib) के अधीन अभित्याग की दो वर्षों की सांविधिक अवधि पूरी नहीं हुई थी तथा, तद्नुसार, वाद ही पोषणीय नहीं था।

10. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चूँकि अवर न्यायालय में अपीलार्थी कि सहमति से दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए वाद को तलाक के वाद में सम्परिवर्तित करते हुए संशोधन किया गया था, उसने तलाक के लिए सहमति दे दी थी, तथा इस प्रकार अपीलार्थी स्थायी निर्वाहिका या प्रतिकर की किसी राशि की हकदार नहीं थी।

11. इस मामले के तथ्यों में तथा इस तथ्य को विचार में लेते हुए कि प्रत्यर्थी पति परिसीमा की अवधि गुजर जाने के उपरांत पहले ही विवाह कर चुका है क्योंकि परिसीमा की अवधि के भीतर कोई अपील दाखिल नहीं किया गया था, तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि उसे दूसरे विवाह से बच्चे भी हैं, हम गुणावगुणों पर अपील ग्रहण करने तथा अवर न्यायालय द्वारा प्रदत्त तलाक की डिक्री एवं निर्णय के साथ हस्तक्षेप करने से परहेज करते हैं, परन्तु हमारी सुविचारित राय है कि अपीलार्थी को एक स्थायी निर्वाहिका प्रदान किया जाना चाहिए जो विवाह बंधन से उत्पन्न दो बच्चों का भी भरण-पोषण कर रही है। हमें सूचित किया गया है कि वर्तमान में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन बिहार राज्य में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में पत्नी को प्रत्यर्थी से 2400/- रु॰ की मासिक निर्वाहिका प्राप्त हो रही है।

12. इस मामले के तथ्यों में तथा इस तथ्य को विचार में लेकर कि प्रत्यर्थी एक सोनार है, हम एतद् द्वारा प्रत्यर्थी को 7,00,000/- रु॰ (मात्र सात लाख रुपए) की स्थायी निर्वाहिका का अपीलार्थी पत्नी को भुगतान करने का निर्देश देते हैं, जो बिहार राज्य में सक्षम न्यायालय द्वारा प्रदत्त अपीलार्थी को मिलनेवाली मासिक निर्वाहिका से अलग होगी। हम प्रत्यर्थी को आज से सकारात्मक रूप से तीन महीनों के भीतर अपीलार्थी पत्नी को स्थायी निर्वाहिका की राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हैं।

13. उक्त निर्देशों के साथ यह अपील निस्तारित की जाती है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

दिनेश चन्द्र गुप्ता एवं एक अन्य

cuke

श्रेष्ठा गुप्ता एवं अन्य

W.P. (C) No. 5737 of 2016. Decided on 8th November, 2016.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 6 नियम 17 सह-पठित आदेश 8 नियम 1—वाद-पत्र का संशोधन–अतिरिक्त लिखित कथन–विभाजन वाद–संशोधन अनुज्ञात किए जाने पर वाद की प्रकृति में बदलाव आने की संभावना नहीं है–प्रस्तावित संशोधनों को अनुज्ञात करने में विचारण न्यायालय ने कोई त्रुटि कारित नहीं किया है–वाद में प्रतिवादीगण को समाविष्ट किए गए नए संशोधनों में लिखित कथन दाखिल करने की अनुमति दी गई। (पैराएँ 5 एवं 6)

निर्णयज विधि.–(2004)13 SCC 40—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Sumeet Gadodia, For the Petitioner; None, For the Respondent.

आदेश

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. अभिधान (विभाजन) वाद सं॰ 26/2013 में विद्वान सिविल न्यायाधीश (वरीय डिविजन–II) चाईबासा द्वारा पारित दिनांक 6 सितम्बर, 2016 के आक्षेपित आदेश द्वारा वादी द्वारा दाखिल संशोधन याचिका अनुज्ञात कर दी गई है। याचीगण अभिकथित करते हैं कि उन्हें संशोधन याचिका द्वारा समाविष्ट किए गए तथ्यों के संबंध में अतिरिक्त कथन दाखिल करने की अनुमति नहीं दी गई है।

3. याचीगण के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि वाद सह–अंशधारकों के बीच सम्पत्ति के विभाजन के लिए है। परिशिष्ट–I (वाद पत्र) की अनुसूची विभाजन की विषय–वस्तु सम्पत्तियों को वर्णित करती है। तथापि, मुद्दों को विरचित किए जाने के उपरांत वादी ने एक संशोधन याचिका (परिशिष्ट–3) द्वारा पैरा 10 में वर्णित कतिपय सम्पत्तियों को समाविष्ट करने की ईप्सा किया है जो चक्रधरपुर नगरपालिका के विभिन्न वार्ड के अधीन अवस्थित परिसर एवं घर है। परिणामत: वाद का मूल्यांकन भी परिवर्तित हो जाएगा। याचीगण संशोधन के माध्यम से अभिलेख पर लाए गए तथ्यों पर अभ्यापत्ति करने के अवसर से भी वंचित हो सकते हैं जो मुख्य वाद में भी उनके बचाव को प्रतिकूलत: प्रभावित कर सकता है। अतएव, वादी के विचारण के ऐसे पश्चाती चरण में अतिरिक्त सम्पत्तियाँ समाविष्ट करके विभाजन वाद की परिधि तथा विषय–वस्तु को विस्तृत करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। अतएव, न्याय का हित विफल होगा, अगर ऐसे संशोधनों को समाविष्ट करने की अनुमति दी जाती है।

4. मैंने याचीगण के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर विचार किया है तथा सुसंगत अभिलेखों का परिशीलन किया है। स्वीकार्यत:, वाद विभाजन के लिए है। वादी ने वाद–पत्र के परिशिष्ट–1 पर संलग्न अनुसूची में वाद सम्पत्तियों को वर्णित करते हुए, जिसका मूल्य 5 लाख रुपए है, ऐसे अन्य सम्पत्तियों को भी निर्दिष्ट किया है, जिनके विवरण वाद के दाखिल किए जाने के समय उसकी जानकारी में नहीं थे। सह–अंशधारकों के बीच विभाजन वाद सह–अंशधारकों पर प्रयोज्य विधि के अनुसार विभाजन की विषय वस्तु ऐसी किसी सम्पत्ति (पैतृक सम्पत्ति) के संबंध में प्रतिद्वंदी सभी दावों का सदा–सर्वदा के लिए अभिनिर्धारित कर सकता है। कतिपय सम्पत्तियों को समाविष्ट करने के लिए वादी द्वारा पक्षकारों के साक्ष्य के प्रारम्भ होने के पहले अभिवचन किये जाने की दशा में विद्वान न्यायालय सि॰ प्र॰ सं॰ के आदेश–VI नियम–17 के विनिर्दिष्ट प्रावधान की दृष्टि में इस चरण में संशोधन याचिका को अनुज्ञात करने में त्रुटि पर नहीं था जो निम्नवत पठित है:–

> *17. **vfHkopu dk l'kks/ku-**&U;k;ky; nkuk e l fdlh Hkh i{kdkj dk dk;okfg;k d fdlh Hkh çØe e vuKk n ldxk fd og viu vfHkopuk dk ,lh jhfr l vkj ,l fucèkuk ij] tk U;k; lxr gk] ifjofrr dj ;k l'kks/kr dj vkj lHkh ,l l'kks/ku fd, tk,x tk i{kdkjk d chp e fooknxLr okLrfod ç'uk d voèkkj.k d ç;ktu d fy, vko';d gkA*
>
> *ijUrq fopkj.k d çkjEHk gku d mijkUr l'kks/ku d fy, çkFkuk dh vuefr rc rd ugh nh tk,xh tc rd fd U;k;ky; bl fu.k; ij u igp fd mfpr rRijrk d mijkUr Hkh i{k fopkj.k çkjEHk gku l io ekeyk ugh mBk ik;kA***

5. संशोधन अनुज्ञात किए जाने के कारण वाद की प्रकृति में भी परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तथापि, याचीगण जो प्रतिवादी सं॰ 2 एवं 5 है, समेत प्रभावित पक्षों को विद्वान अवर न्यायालय द्वारा

अनुज्ञात संशोधन के माध्यम से अभिलेख पर लाए गए नए तथ्यों को खंडित करने का भी निश्चित रूप से एक अधिकार हो सकेगा। उनके पास वाद के मूल्यांकन से संबंधित मुद्दों को भी उठाने की स्वतंत्रता हो सकेगी जो अतिरिक्त लिखित कथन के माध्यम से उठाए जा सकते हैं।

6. अतएव, अभिलेख पर उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्रियों तथा विधि की स्थिति पर विचार करके, जहाँ तक सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन संशोधन से संबंधित प्रावधानों का संबंध है, इस न्यायालय को समाधान नहीं है कि प्रस्तावित संशोधनो को अनुज्ञात करके न्यायालय ने कोई अधिकारिता की त्रुटि कारित किया है (देखें **राम सहाय बनाम रामानंद एवं अन्य; 2004 (13) SCC 40]** तथापि अनुज्ञात किए गए संशोधन के अनुसरण में विद्वान न्यायालय उससे प्रभावित पक्षों/प्रतिवादीगण के उनके अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल करने की अनुमति देता हुआ प्रतीत नहीं होता है। अतएव, दिनांक 6 सितम्बर, 2016 के आक्षेपित आदेश के मूल तत्व में हस्तक्षेप किए बिना, इसे इस सीमा तक उपांतरित किया जाता है कि वाद कार्यवाहियों में प्रतिवादीगण को विचारण न्यायालय द्वारा अनुबद्ध समय सीमा के अनुसार समाविष्ट किए गए नए संशोधनों के संबंध में अतिरिक्त कथन दाखिल करने की अनुमति दी जाए। तद्नुसार, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

---

ekuuh; jRukdj Hkxjk] U;k;efr

इनोसेंट टिग्गा

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (S.J.) No. 1022 of 2003. Decided on 19th August, 2016.

एस॰ टी॰ संख्या 530 वर्ष 1997 में विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त, दसवाँ फास्ट ट्रैक न्यायालय, रांची द्वारा पारित दिनांक 30 जून, 2003 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 341 एवं 323–दोषपूर्ण रूप से रोकना तथा उपहति–दोषसिद्धि एवं दंडादेश–पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाये गये हैं–दोनों व्यक्ति घायल चश्मदीद गवाह हैं–चिकित्सक का साक्ष्य निर्णायक तथा विश्वास योग्य है–दोनों बिन्दुओं पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि बरकरार–घटना 20 वर्ष पहले घटित हुई थी–अपीलार्थी पहले ही हिरासत में चार महीने गुजार चुका है–विचारण का कष्ट भोग लेने के कारण, उसका दंडादेश भुगती गयी अवधि तक लघुकृत–300/- रूपये का जुर्माना बकाया बरकरार रखा गया।

(पैराएँ 14 एवं 15)

अधिवक्तागण.–M/s Altaf Husain, Afaque Ahmed, For the Appellant; Mr. Nahru Mahato, For the State.

रत्नाकर भेंगरा, न्यायमूर्ति.–यह दांडिक अपील एस॰ टी॰ संख्या 530 वर्ष 1997 में विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त, दसवां फास्ट ट्रैक न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 30.6.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश के विरूद्ध निर्दिष्ट है जिसके द्वारा उक्त नामजद अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341 एवं 323 के अधीन दोषी पाया गया है तथा दोषसिद्ध किया गया है तथा तद्द्वारा उसे धारा 323 के अधीन चार महीनों का सश्रम कारावास भुगतने एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के अधीन 300/- रुपये का जुर्माना अदा करने का दंडादेश सुनाया था, जुर्माने के भुगतान के व्यतिक्रम में दस दिनों का साधारण कारावास भुगतना था, दोनों दंडादेशों के साथ-साथ चलने का आदेश किया गया था।

2. निचले बाजार पुलिस थाना के सब-इस्पेक्टर राम सिधेसर आजाद द्वारा 25.4.1996 को लगभग 11 बजे अपराह्न में संत बर्नवास अस्पताल, रांची में अभिलिखित सूचनादाता अशोक कुमार राऊत के फर्दबयान में यथा अभिकथित अभियोजन का मामला यह है कि 25.4.1996 को लगभग 8 बजे अपराह्न में सूचनादाता अशोक कुमार राऊत (अ॰ सा॰ 2) असर हुसैन (अ॰ सा॰ 1) के साथ पुलिस क्लब रांची जा रहा था। लगभग 10.15 बजे अपराह्न में, जब वे राजकीय पॉलिटेकनिक के निकट पहुंचे थे, अचानक ही उन्हें सड़क पर वर्तमान अपीलार्थी समेत चार व्यक्तियों द्वारा उनकी एम्बेस्डर कार को ढकेलने के लिए उन्हें कहते हुए रोक दिया गया था परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया था। कार पर नम्बर BRP-5643 दर्ज था। सूचनादाता एवं उसके सहयोगी ने जवाब दिया था कि वे पुलिसकर्मी हैं तथा व्यस्त हैं तथा कुछ अति आवश्यक कार्य करने जा रहे हैं। क्रूद्ध होकर, अभियुक्त व्यक्तियों ने उन्हें लातों एवं मुक्कों से मारना-पीटना प्रारंभ कर दिया था। यद्यपि, उनकी संख्या चार थी, उनमें से एक ने कार से लोही की छड़ बाहर निकाल ली थी तथा सूचनादाता पर प्रहार किया था एवं एक अन्य अभियुक्त ने उसके मुंह पर मुक्के का बार किया था जिसके परिणामत: उसके दांत टूट गये थे। अभियुक्तों ने सूचनादाता को धकेल दिया था जिसके परिणामत: सूचनादाता जमीन पर नीचे गिर पड़ा था तथा इसके बाद वह उसके सीने पर चढ़ गया था एवं उसे मार डालने के इरादे से उसकी गर्दन दबाना प्रारंभ कर दिया था। हल्ला सुनकर निकट के टी॰ ओ॰ पी॰ से कॉन्सटेबल दौड़कर आ गये थे तथा उनकी सहायता से, अभियुक्त व्यक्तियों में से दो को पकड़ लिया गया था तथा अन्य दो अभियुक्त व्यक्ति अपनी पिस्तौल से गोली चलाकर भागने में सफल रहे थे। अभियुक्त व्यक्तियों को टी॰ ओ॰ पी॰ लाया गया था जहां उन्होंने अपना नाम तनवीर आलम उर्फ तन्नु तथा इनोसेंट टिग्गा बताया था। वे उन अभियुक्तों की शिनाख्त नहीं कर सके थे जो भागने में सफल रहे थे।

3. सूचनादाता के फर्दबयान के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323/341/325/307/308/353/34 के अधीन अभियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गयी है तथा मामले का अन्वेषण प्रारंभ किया गया था एवं मामले का अन्वेषण पूरा हो जाने पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341/325/307/308/323/353/34 के तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया गया था तथा इसके उपरान्त अपराध का संज्ञान लिया गया था एवं मामला सत्र न्यायालय भेज दिया गया था तथा इसे एस॰ टी॰ संख्या 530 वर्ष 1997 के तौर पर दर्ज किया गया था।

4. अभियोजन ने आरोप को सिद्ध करने के लिए कुल मिलाकर सात गवाहों को परीक्षित किया था जो कि अ॰ सा॰ 1 असर हुसैन, अ॰ सा॰ 2 अशोक कुमार राऊत, अ॰ सा॰ 3 रामाधीन राय, अ॰ सा॰ 4 नसीर अहमद, अ॰ सा॰ 5 सुरेश सिंह तथा अ॰ सा॰ 6 डॉ॰ एस॰ एन॰ सहाय, अ॰ सा॰ 7 राम सिधेश्वरी आजाद (अन्वेषण पदाधिकारी) हैं।

5. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने विचारण के पूरा हो जाने के उपरान्त भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341 एवं 323 के अधीन अभियुक्त की दोषसिद्धि की थी तथा यथा पूर्वोक्त उसे दंडादेश सुनाया था। अतएव, यह अपील हुई है।

6. अ॰ सा॰ 2 अशोक राऊत, सूचनादाता ने अभिसाक्ष्य दिया है कि 25.4.1996 को लगभग 10 बजे अपराह्न में उसपर तथा उसके सहकर्मी असर हुसैन पर सड़क पर पॉलेटेकनिक महाविद्यालय के निकट अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा प्रहार किया गया था जब उन्होंने अभियुक्त की मोटरकार को धक्का देने से इनकार कर दिया था। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त इनोसेंट टिग्गा ने उसके पीठ पर छड़ से वार किया था एवं अभियुक्त तनवीर आलम ने उसके मुंह पर मुक्के से प्रहार किया था जिससे उसका दांत टूट गया था। उसने यह भी कथित किया था कि अभियुक्त इनोसेंट टिग्गा उसकी छाती पर चढ़ गया था एवं उसकी गर्दन दबायी थी जब वह नीचे गिर पड़ा था। उसके शोर शराबे पर टी॰ ओ॰ पी॰ से कॉन्सटेबल आ गये थे तथा उनमें से दो अभियुक्त व्यक्तियों को नियंत्रण में ले निया था एवं दो भाग निकलने में सफल रहे थे। उसे पहले बर्नबास अस्पताल लाया गया था जहां उसका पुलिस द्वारा फर्दबयान

दर्ज किया गया था। उसने फर्दबयान पर अपने हस्ताक्षर को पहचाना है जो प्रदर्श 1 के रूप में अंकित है। बाद में वह सदर अस्पताल, रांची गया था तथा वहां चिकित्सक द्वारा उसकी परीक्षा की गयी थी। प्रतिपरीक्षा में उसने कथित किया है कि अभियुक्त व्यक्तियों को वह घटना के पहले नहीं जानता था। इस गवाह ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इनकार किया है कि वह रात्रि में इधर-उधर भटक रहा था तथा किसी और के साथ कोई झगड़ा हुआ है।

7. अ॰ सा॰ 1 असर हुसैन ने अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वह सूचनादाता अशोक कुमार राऊत के साथ राजकीय पॉलीटेकनिक विद्यालय के निकट चर्च रोड़ पर था, उसे वहां एक एम्बेसडर कार लगी हुई मिली थी। दो व्यक्ति बाहर थे तथा दो व्यक्ति कार के अंदर थे। कार के बाहर दो व्यक्तियों ने उन्हें उनकी कार को धक्का देने के लिए कहा था तथा उनके इनकार करने पर उन्होंने उसपर तथा अशोक राऊत पर मुक्के तथा लोहे की छड़ से प्रहार किया था। हमलावर द्वारा अशोक राऊत का दांत तोड़ दिया गया था। उसे भी उसकी छाती में चोट आयी थी। उसे भी बर्नबास अस्पताल ले जाया गया था। बाद में उसे सदर अस्पताल, रांची में चिकित्सीय रूप से परीक्षित किया गया था। उसने दोनों अभियुक्तों को कटघरे में पहचान लिया था।

8. अ॰ सा॰ 6 डॉ॰ सुशील नंदन सहाय हैं, जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं। उन्होंने 25.4.1996 को घायल व्यक्तियों की परीक्षा की थी एवं अशोक कुमार राऊत के शरीर पर चार उपहतियां पायी थी तथा उनमें से दो उपहतियां चपटी पड़ गयी सूजन थीं। एक मध्य में उसके ऊपरी होंठ पर थी तथा दूसरी दायें गाल पर थी। पार्श्व में बायीं आंख के भौंह में त्वचा की गहराई तक ¼" x ¼" की विदीर्ण कटने की उपहति भी पायी गयी थी। चिकित्सा पदाधिकारी ने यह भी पाया है कि ताजा रक्तस्राव के साथ ऊपरी जबड़े के करतक दांत टूटे हुए थे। उन्होंने सभी उपहतियों को साधारण पाया है सिवाय दांत के टूटने के जो गंभीर है। उन्होंने राय दिया है कि उपहतियां कठोर कुंद पदार्थ द्वारा कारित की गयी थीं तथा विदीर्ण घाव छड़ द्वारा कारित हो सकता है तथा अन्य उपहतियां हाथों तथा पैर के प्रहार द्वारा कारित हो सकती हैं। उन्होंने इस उपहति रिपोर्ट को सिद्ध किया है जो प्रदर्श 2 के रूप में अंकित है। उसी दिन उन्होंने एक अन्य घायल असर हुसैन की परीक्षा की है तथा दायें गाल पर खरोंच तथा दायीं ओर गर्दन पर एक अन्य खरोंच पायी हैं। मध्य में उसके ऊपरी होंठ में एक चपटी हो चुकी सूजन भी पायी गयी थी। उपहतियों का स्वरूप सरल है जो हाथ के हमले से कठोर एवं कुंद पदार्थ के माध्यम से कारित है। उन्होंने इस उपहति रिपोर्ट को भी सिद्ध किया है तथा इसे प्रदर्श 2/1 के रूप में अंकित किया गया है। चिकित्सा पदाधिकारी ने दृढ़तापूर्वक कथित किया है कि पीड़ित का दांत गिरने से नहीं टूटा है बल्कि उसके दांत पर हुए प्रहार से यह टूटा था तथा ऐसी दशा में होंठों एवं नाक की उपहतियां आवश्यक नहीं हैं।

9. अ॰ सा॰ 4 नसीर अहमद है जो इस मामले का चश्मदीद गवाह है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि वह शोर-शराबा सुनने के उपरान्त घटना स्थल पर पहुंचा था एवं देखा था कि अभियुक्त तनवीर आलम तथा इनोसेंट टिग्गा सूचनादाता अशोक राऊत पर प्रहार कर रहे थे। मुंह से रक्त बाहर बह रहा था तथा सूचनादाता के दांत टूटे हुए थे। उसने घटनास्थल पर दोनों अभियुक्त व्यक्तियों को पकड़ लिया था।

10. अ॰ सा॰ 5 सुरेश सिंह है तथा उसने कथित किया था कि घटना के सुसंगत समय पर वह कोंका टी॰ ओ॰ पी॰ में पदस्थापित था जहां वह शोर-शराबा सुनकर पॉलीटेकनिक विद्यालय के निकट घटना स्थल की ओर गया था एवं देखा था कि अभियुक्त व्यक्ति अशोक कुमार राऊत था एक अन्य कॉन्सटेबल को मार-पीट रहे थे। उसने कठघरे में दोनों अभियुक्त व्यक्तियों की शिनाख्त की थी। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया था कि दोनों अभियुक्त व्यक्तियों को घटना स्थल पर उनके द्वारा पकड़ लिया गया था।

11. अ॰ सा॰ 7 राम सिद्धेश्वरी आजाद अन्वेषण पदाधिकारी है। उसने कथित किया है कि दूरभाष से संदेश मिलने के बाद, वह संत बर्नबास अस्पताल गया था एवं घायल अशोक राऊत (अ॰ सा॰ 2) का फर्दबयान दर्ज किया था। उसने औपचारिक प्राथमिकी (प्रदर्श III) को भी सिद्ध किया था। उसने घटना स्थल

का निरीक्षण किया था जो उसके अनुसार चर्च पथ पर राजकीय पॉलीटेकनिक के निकट अवस्थित है। उसने घायल व्यक्तियों की उपहति रिपोर्ट प्राप्त की थी। उसने अन्य गवाहों के भी बयान दर्ज किये हैं। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने तनवीर आलम तथा इनोसेंट टिग्गा के तौर पर अपने नाम बताये थे।

12. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि इस अपीलार्थी को तनवीर आलम के साथ जोड़े जाने के कारण ही इसे एक अभियुक्त बना दिया गया है। इससे भी बढ़कर, समूचे आरोप पुलिस के मनगढ़ंत आरोप हैं, सूचनादाता पुलिस का एक व्यक्ति तथा अन्वेषक भी पुलिस कर्मी है, अत: अपीलार्थी को पूरे तौर पर फंसा दिया गया है तथा उसके पास कोई अवसर नहीं है। उन्होंने कथित किया है कि छड़ द्वारा हमले का अभिकथन है। परन्तु रक्तरंजित छड़ की बात तो दूर रही, कोई भी छड़ प्रस्तुत नहीं की गयी है क्योंकि ऐसी किसी छड़ का अभिग्रहण नहीं किया गया था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथित किया कि अ॰ सा॰ 1 कथित करता है कि वे संत बर्नबास अस्पताल गये थे, परन्तु सन्त बर्नबास अस्पताल से कोई उपहति रिपोर्ट प्राप्त नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथित किया कि यह कहा गया है कि अ॰ सा॰ 1 को संत बर्नबास में कम्पाऊंडर द्वारा प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की गयी थी, परन्तु इस कम्पाऊंडर की परीक्षा नहीं हुई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि यह सिद्ध नहीं है कि कौन से अभियुक्त व्यक्ति से कौन सा विशिष्ट प्रहार किया गया था, अत: अपीलार्थी को दायी निर्णीत नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ता ने यह भी कथित किया है कि अ॰ सा॰ 2 ने कथित किया है कि उसे उसकी नाक पर चोटें आयी थी जिससे रक्तस्राव प्रारंभ हो गया था परन्तु विचित्र रूप से न तो अन्वेषण पदाधिकारी को घटना स्थल पर कोई रक्त मौजूद मिला था जबकि उसने घटना स्थल का दो बार दौरा किया था, न ही उसे ऐसा दर्शानेवाले कोई चिन्ह मिले थे कि वहां कोई संघर्ष हुआ था। रक्तरंजित चिन्होंवाले कोई कपड़े अन्वेषण पदाधिकारी द्वारा जब्त नहीं किये गये हैं। यह इसे भी नकारता है कि अभियोजन साक्षियों को कोई रक्त की उपहति अपीलार्थी के हाथों नहीं हुई थी जैसा कि उनके द्वारा कथित किया गया है तथा इस प्रकार उसे झूठमूठ फंसा दिया गया है।

13. दूसरी ओर विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने कथित किया है कि फर्दबयान में यथा वर्णित मामला भरोसेमंद अभियोजन साक्षियों द्वारा पूर्ण रूप से समर्थित किया गया है। इसके अतिरिक्त चिकित्सक या अ॰ सा॰ 6 की उपहति रिपोर्टों द्वारा घायल गवाहों अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 2 द्वारा दावा की गयी उपहतियों को समर्थन या सम्पोषण प्राप्त है। उन्होंने यह भी कथित किया है कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 323 के लिए, एक ही प्रहार पर्याप्त है तथा कोई उपहति या रक्त का चिन्ह नहीं भी हो सकता है, परन्तु चिकित्सक ने कई उपहतियां इंगित की हैं, अत: आरोप पूर्णत: सिद्ध होता है।

निष्कर्ष

14. इस मामले में, पुलिसकर्मियों के विरूद्ध अभिकथन किये गये हैं, चिकित्सक के सिवाय अन्य गवाह भी पुलिस वाले हैं तथा अपीलार्थी ने अपने बचाव में एक आधार के रूप में इसे एक से अधिक बार उठाया है। तथापि, दोनों व्यक्ति घायल चश्मदीद गवाह हैं तथा कुछ व्यक्तियों को फंसाने के लिए पुलिस अपने आप को गंभीर रूप से घायल करने की सीमा तक क्यों जायेगी। पुलिसकर्मी सूचनादाता अशोक कुमार राऊत ने अपने अभिसाक्ष्य में पूर्ण रूप से अपने फर्दबयान का सम्पोषण किया है। वस्तुत: उसपर अन्य अभियुक्तों द्वारा प्रहार किया गया था तथा उसके दो दांत तोड़ दिये गये थे। दोनों व्यक्ति, जिनपर प्रहार किया गया था तथा जो घायल चश्मदीद गवाह अ॰ सा॰ 2 एवं अ॰ सा॰ 1 असर हुसैन अधिक विश्वसनीय हैं। उपहतियों का एक स्पष्टीकरण दिया जाना होता है तथा इस मामले में यह स्वकारित उपहति या खुली लड़ाई में हुई उपहति का मामला प्रतीत नहीं होता है। दो अन्य गवाहों अ॰ सा॰ 4 एवं अ॰ सा॰ 5, जो यद्यपि पुलिसकर्मी हैं, ने भी अभियोजन के इस मामले का समर्थन किया है कि वे कमोवेश एक ही समय घटना स्थल पर पहुंचे थे तथा उपहतियों एवं प्रहार या प्रहार के एक अंश को भी देखा था। इसके अलावा, उन्होंने इस अपीलार्थी समेत दो व्यक्तियों को पकड़ने में सहायता किया था। उनका साक्ष्य

विश्वास योग्य है। चिकित्सक का साक्ष्य निर्णायक तथा विश्वास योग्य है। चिकित्सक का साक्ष्य फर्दबयान तथा अ॰ सा॰ 2 एवं अ॰ सा॰ 1 के साक्ष्य का समर्थन एवं सम्पोषण करता है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क यह है कि संत बर्नबास अस्पताल से कम्पाउंडर की कोई रिपोर्ट नहीं है जो कि अ॰ सा॰ 6, जो एक चिकित्सा पदाधिकारी है, की रिपोर्ट के होते हुए संभवत: अनावश्यक थी। अ॰ सा॰ 6 की रिपोर्ट पर्याप्त है। यह मामला कि हमले में इस्तेमाल की गयी छड़ पेश नहीं की गयी थी, चिकित्सीय साक्ष्य के आलोक में भी त्यक्त किये जाने के लिए पर्याप्त है।

15. अतएव, अभिलेखों, साक्ष्य एवं तर्कों के अनुसार, अपर न्यायिक आयुक्त, एफ॰ टी॰ सी॰, रांची के विद्वान न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341 तथा 323 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि बरकरार रखी जाती है। तथापि, पुराना मामला होने के कारण, वस्तुत: यह काफी पहले 1996 का है तथा अब बीसवां वर्ष हो चुका है तथा अपीलार्थी चार महीनों के अधिकतम दंडादेश का लगभग कुछ भाग पहले ही हिरासत में गुजार चुका है एवं विचारण का कष्ट भुगत लेने के कारण, उसका दंडादेश भुगती गयी अवधि तक लघुकृत किया जाता है। तथापि, 300/– रुपये का जुर्माना बना रहता है, जिसके लिए दोषसिद्धि करनेवाला न्यायालय या क्रमागत न्यायालय विधि के अनुसार आवश्यक कदम उठायेगा।

16. तद्नुसार, दंडादेश में उक्त उपांतरण के साथ यह अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

संतोष कुमार एवं अन्य

cuke

बिहार राज्य (अब झारखंड)

Cr. Appeal (DB) No. 109 of 1992 (R). Decided on 21st November, 2016.

सत्र विचारण सं॰ 396 वर्ष 1989/296 वर्ष 1992 में प्रथम अपर न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा पारित दिनांक 22.06.1992 के दोष सिद्धि के निर्णय तथा दण्डादेश के विरुद्ध।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860—धाराएँ, 304-B तथा 498-A—दहेज मृत्यु एवं क्रूरता–दोषसिद्धि एवं दण्डादेश–बचाव-पक्ष साक्षी ने मृतका की बीमारी के बारे में कथित किया था–बचाव-पक्ष दहेज की मांग के लिए क्रूरता तथा प्रताड़ना के कारण मृतका की मृत्यु होने के बारे में संदेह उत्पन्न करने में सक्षम रहा है–अपीलार्थीगण संदेह के लाभ के हकदार हैं–दोषसिद्धि एवं दण्डादेश अपास्त। (पैराएँ 10 एवं 11)

अधिवक्तागण.–M/s Rajiv Kumar, A.A. Dayal, For the Appellants; Mr. Shekhar Sinha, For the State.

न्यायालय द्वारा.–अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

2. अपीलार्थीगण मृतका के पति एवं ससुराल वाले हैं तथा वे सत्र विचारण सं॰ 396 वर्ष 1989/296 वर्ष 1992 में विद्वान प्रथम अपर न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा पारित दिनांक 22.6.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दण्डादेश से व्यथित हैं, जिसके द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 304-B तथा 498-A के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है तथा दण्डादेश के बिन्दु पर सुनवायी करके, उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-B के अधीन अपराध के लिए आजीवन

कारावास तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-A के अधीन अपराध के लिए प्रत्येक को तीन वर्षों का सश्रम कारावास भुगतने का दण्डादेश सुनाया गया है।

3. लिखित सूचना सूचनादाता अनूप कुमार द्वारा दी गई थी, जो मृतका महिला का भाई है, यह सूचित करते हुए कि वर्ष 1987 में मृतका का विवाह अपीलार्थी संतोष कुमार के साथ हुआ था, तथा इसके उपरांत उसके साथ टी॰ वी॰ इत्यादि के बदले में पच्चीस हजार रुपये की मांग के लिए अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा यातना तथा क्रूरता बरती जा रही थी। सूचनादाता को 27.10.1988 को एक तार मिला था कि उसकी बहन की उसके ससुराल में मृत्यु हो गई है। तत्पश्चात, 28.10.1988 को वह राँची आया था, जहाँ उसे सूचित किया गया था कि उसकी बहन को 23.10.1988 को अस्पताल में भर्त्ती किया गया था, जिस तिथि को उसकी मृत्यु हो गई थी। लिखित सूचना कोतवाली (सुखदेव नगर) पुलिस थाना में 29.10.1988 को दी गई थी, जिसके आधार पर कोतवाली सुखदेव नगर पुलिस थाना केस सं॰ 706 वर्ष 1988 संस्थित किया गया था तथा अन्वेषण प्रारम्भ किया गया था। अन्वेषण के उपरांत, पुलिस ने इन अपीलार्थीगण के विरुद्ध अभियोग-पत्र दाखिल किया था।

4. मामला सत्र न्यायालय भेजे जाने के उपरांत भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 304-B तथा 498-A के अधीन अपराधों के लिए अपीलार्थीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया था, तथा आरोप से इनकार करने पर, उनका विचारण किया गया था। विचारण के अनुक्रम में अभियोजन की ओर से पाँच गवाहों को परीक्षित किया गया है जो अ॰ सा॰ 1 अनूप कुमार, सूचनादाता, मृतका के भाई अ॰ सा॰ 2 अनिल कुमार, मृतका के एक अन्य भाई तथा अ॰ सा॰ 3 सोनू लाल बर्णवाल, अ॰ सा॰ 4 लक्ष्मणलाल बर्णवाल है। अ॰ सा॰ 5 चन्द्रदीप सिंह एक औपचारिक गवाह, जिसने औपचारिक प्राथमिकी पर पृष्ठांकन सिद्ध किया है। मामले में अन्वेषण पदाधिकारी को परीक्षित नहीं किया गया है। मृतका के शव का कोई पोस्टमार्टम परीक्षण नहीं किया गया था।

5. बचाव-पक्ष ने भी मामले में चार गवाहों को परीक्षित किया है जिनमें से ब॰ सा॰ 2 धर्म प्रकाश आर्य तथा ब॰ सा॰ 3 डॉ॰ सुनील रुँगटा मुख्य प्रतिवादी गवाह है। नागरमल मोदी सेवा-सदन के डॉ॰ धरम प्रकाश आर्या, ब॰ सा॰ 2 द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदर्श-A के तौर पर प्रदर्शित किया गया है तथा मृतका की ई॰ सी॰ जी॰ रिपोर्ट प्रदर्श-6 के तौर पर सिद्ध की गई है, अन्य चिकित्सीय दस्तावेजों के अलावा जिन्हें भी प्रदर्शों के तौर पर अंकित किया गया है। बचाव-पक्ष का मामला यह है कि मृतका को हृदय-रोग के लिए नागरमल मोदी सेवा सदन में भर्ती किया गया था तथा हृदय रोग के कारण उसकी मृत्यु हुई थी।

6. अ॰ सा॰ 1 अनूप कुमार मृतक का भाई तथा सूचनादाता है, जो 27.10.1988 को तार के माध्यम से अपनी बहन की मृत्यु के बारे में सूचना मिलने पर 28.10.1988 को राँची आया था। इस गवाह ने वर्ष 1987 में अभियुक्त संतोष कुमार के साथ मृतका के विवाह के बारे में कथित किया है तथा यद्यपि यह कथित किया गया है कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उसके ससुराल में उसके साथ क्रूरता तथा यातना बरती जा रही थी, परन्तु अपने साक्ष्य में इस गवाह ने कथित किया है कि पति एक दुकान की स्थापना के लिए धन की मांग किया करता था तथा मृतका को अपने भाई से धन लाने के लिए कहा जा रहा था। उसने लिखित सूचना को भी सिद्ध किया है, जिसे प्रदर्श-1 के तौर पर अंकित किया गया है। अपनी प्रति परीक्षा में इस गवाह ने कथित किया है कि किसी धन की मांग का उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है। उसने यह भी कथित किया है कि उसका भाई अनिल कुमार 15.10.1988 को राँची गया था तथा अपनी बहन को अस्पताल में भर्ती देखा था एवं तत्पश्चात वह लौट आया था यह कथित करते हुए कि वह बीमार थी। इसी प्रकार, अ॰ सा॰ 2 अनिल कुमार ने यह भी कथित किया है कि ससुराल में उसकी बहन के साथ क्रूरता तथा यातना बरती जा रही थी तथा उसने यह भी कथित किया है कि उसकी बहन

ने उसे दहेज की मांग के बारे में सूचित किया था, जब वह राँची गया था। अ॰ सा॰ 3 सोनू लाल बर्णवाल ने मात्र यह कथित किया है कि वह अ॰ सा॰ 1 अनूप कुमार की बहन की मृत्यु के बारे में सूचना प्राप्त होने पर उसके साथ राँची गया था तथा वह उसके साथ पुलिस थाना भी गया था, परन्तु उसने कथित किया है कि वह पुलिस थाना के बाहर था, जब प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसने मामले के तथ्यों के बारे में कथित नहीं किया था। अ॰ सा॰ 4 लक्ष्मण लाल बर्णवाल को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अ॰ सा॰ 5 औपचारिक गवाह है, जिसने प्रदर्श-2 के तौर पर प्राथमिकी पर पृष्ठांकन को सिद्ध किया है।

7. बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित बचाव गवाहों ने मृतका की बीमारी के बारे में कथित किया है। ब॰ सा॰ 1 रामदास महतो ने कथित किया है कि मृतका को उसके उपचार के लिए नागरमल मोदी सेवा सदन में भर्ती किया गया था क्योंकि वह हृदय रोग से ग्रस्त थी। ब॰ सा॰ 2 धर्म प्रकाश आर्या जो नागरमल मोदी सेवा सदन, राँची का चिकित्सा अधीक्षक था, ने उसके द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र को प्रदर्श-A के तौर पर सिद्ध किया है, जो प्रमाणित करता है कि मृतका को पहले 8.10.1988 को अस्पताल में भर्ती किया गया था तथा (rheumatic) हृदय को उपचार के उपरांत 13.10.1988 को छुट्टी दे दी गई थी। पुनः उसे 23.10.1988 को (rheumatic) हृदय रोग के लिए भर्ती किया गया था तथा अस्पताल में उसकी उसी दिन मृत्यु हो गई थी। इस गवाह ने मृतका की ई॰ सी॰ जी॰ रिपोर्ट पर एक चिकित्सक रुँगटा के हस्ताक्षर को भी प्रदर्श-B के तौर पर सिद्ध किया है, तथा ई॰ सी॰ जी॰ रिपोर्ट को देखकर उसने कथित किया है कि ग्राफ अत्यधिक असामान्य था तथा संधि वात (rheumatic) हृदय रोग दर्शाता था। ब॰ सा॰ 3 डॉ॰ सुनील रुँगटा ने कथित किया है कि उन्होंने मृतका महिला का ई॰ सी॰ जी॰ किया था तथा ई॰ सी॰ जी॰ रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर की भी शिनाख्त की थी तथा ई॰ सी॰ जी॰ रिपोर्ट प्रदर्श-C के तौर पर प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने भी इस तथ्य का समर्थन किया है कि मृतका संधि वात (rheumatic) हृदय रोग से पीड़ित थी। बचाव-पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य गवाहों ने भी मृतका के उपचार से संबंधित चिकित्सीय दस्तावेजों को सिद्ध किया है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विद्वान अवर न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय तथा आदेश द्वारा यथा उपरोक्त भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304-B तथा 498-A के अधीन अपराधों के लिए अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश किया है।

8. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय तथा दंडादेश पूर्ण रूप से अवैधानिक है क्योंकि अवर न्यायालय बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को विचार में लेने में विफल रहा है, जिसने इस तथ्य को सिद्ध किया था कि संधिवात हृदय रोग के कारण मृतका की मृत्यु हुई थी। इसने यह भी निवेदन किया है कि अभियोजन मामला मृतका के केवल दो भाईयों द्वारा समर्थित किया गया है, जो अतिहितबद्ध गवाह हैं। यद्यपि अ॰ सा॰ 1 ने कथित किया है कि 15.10.1988 को, उसके भाई ने मृतका को अस्पताल में भर्त्ती देखा था, परन्तु पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गयी थी। अगर यह मृतका के साथ क्रूरता बरते जाने तथा उसपर कोई प्रहार किये जाने का मामला रहा होता, उस तिथि को ही पुलिस को सूचित कर देना स्वाभाविक परिणाम होना था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि यद्यपि अ॰ सा॰ 1 ने कथित किया है कि मृतका के साथ क्रूरता एवं यातना बरती जा रही थी, परन्तु उसने यह कथित नहीं किया है कि दहेज की मांग के लिये उसके साथ क्रूरता एवं यातना बरती जा रही थी, जैसा कि प्राथमिकी में दावा किया गया था। उसने केवल यह कथित किया है कि एक दुकान स्थापित करने के लिये बहन से धन की मांग हुई थी, परन्तु उसने इसको लेकर कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि उसे उक्त मांग के बारे में कैसे जानकारी हुई थी। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि मामले के अन्वेषण पदाधिकारी को मामले में परीक्षित नहीं किया गया है, जिसने बचाव पक्ष को गंभीर प्रतिकूलता कारित की है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अवर न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय तथा दंडादेश विधि की दृष्टि में समर्थित नहीं किया जा सकता है।

9. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 2, जो मृतका के भाई हैं, ने पूर्ण रूप से अभियोजन मामले का समर्थन किया है कि दहेज की मांग के लिये मृतका के साथ यातना तथा क्रूरता बरती जा रही थी एवं विवाह के सात वर्षों के भीतर उसकी अप्राकृतिक मृत्यु हुई थी। इस साक्ष्य की दृष्टि में कि दहेज की मांग के लिए उसके साथ क्रूरता एवं यातना बरती जा रही थी जिसके परिणामत: विवाह के सात वर्षों के भीतर उसकी अप्राकृतिक मृत्यु हो गयी थी, अपीलार्थीगण की भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304B तथा 498A के भी अधीन अपराधों के लिये उचित रूप से दोषसिद्धि एवं दंडादेश किया गया है।

10. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनकर तथा अभिलेख का अवलोकन करने पर, हम पाते हैं कि केवल दो गवाहों, जो मृतका के भाई हैं, ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है। इस मामले में अन्वेषण पदाधिकारी की परीक्षा नहीं की गयी है। प्राथमिकी में तथा अ॰ सा॰ 1, सूचनादाता के साक्ष्य में एक मूलभूत विरोधात्मकता है क्योंकि प्राथमिकी में यह कथित किया गया है कि टी॰ वी॰ इत्यादि के बदले में दहेज के तौर पर बीस हजार रुपये की मांग की जा रही थी, परन्तु अपने साक्ष्य में, उसने कथित किया है कि उक्त मांग एक दुकान स्थापित करने के लिए थी। बचाव पक्ष अभिलेख पर यह दर्शाने के लिये साक्ष्य लाया है कि मृतका संधिवात हृदय रोग से ग्रसित थी, उक्त बीमारी के लिए उसे अस्पताल में भर्त्ती कराया गया था तथा अस्पताल में उक्त हृदय रोग के कारण उसकी मृत्यु हो गयी थी। विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि अपने मामले को सभी युक्तिसंगत संदेहों से परे सिद्ध करना अभियोजन का उत्तरदायित्व है, जबकि बचाव पक्ष के लिये एक युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करके अभियोजन मामले में केवल एक दरार उत्पन्न करना अपेक्षित होता है, तथा अगर बचाव पक्ष अभियोजन मामले में संदेह उत्पन्न करने में सफल हो जाता है, अभियुक्त संदेह के लाभ का हकदार होता है। अभिलेख पर लाये गये साक्ष्य के आधार पर, हम पाते हैं कि बचाव पक्ष दहेज की मांग के लिए क्रूरता तथा यातना दिये जाने से हुई मृतका की मृत्यु के बारे में संदेह उत्पन्न करने में सक्षम रहा है, बल्कि बचाव पक्ष ऐसा मामला बनाने में सक्षम रहा है कि संधिवात हृदय रोग के कारण मृतका की अस्पताल में मृत्यु हुई थी। इस प्रकार, हमारी सुविचारित राय है कि अपीलार्थीगण कम से कम संदेह के लाभ के हकदार हैं तथा अवर न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय तथा दंडादेश विधि की दृष्टि में समर्थित नहीं किया जा सकता है।

11. पूर्वोल्लिखित चर्चाओं की दृष्टि में, सत्र विचारण संख्या 396 वर्ष 1989/296 वर्ष 1992 में विद्वान प्रथम अपर न्यायिक आयुक्त, रांची द्वारा पारित दिनांक 22.6.1992 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय तथा दंडादेश एतद्द्वारा अपास्त किये जाते हैं। अपीलार्थीगण को संदेह का लाभ प्रदान किया जाता है तथा उन्हें आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थीगण जमानत पर हैं, तथा उन्हें उनके अपने-अपने जमानतबंध पत्रों के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

12. अवर न्यायालय के अभिलेखों को इस निर्णय की एक प्रति के साथ तत्काल वापस भेजा जाय।

---

ekuuh; MkW ,l ,u ikBd] U;k;efr

विपिन मुर्मू

cuke

सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड एवं अन्य

W.P. (S) No. 3374 of 2015. Decided on 2nd December, 2016.

श्रम एवं औद्योगिक विधि–अनुकंपा पर नियुक्ति–विवाहित पुत्री द्वारा दावा–अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा विचार नहीं किया गया था–याची का दावा एक अस्पष्ट आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है–प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आश्रितता प्रमाण पत्र एवं अन्य सुसंगत दस्तावेजों के आलोक में अपीलार्थी के दावे पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया गया। (पैरा 10)

अधिवक्तागण.–M/s Deen Bandhu, Abhijeet Kumar Singh, For the Petitioner; Mr. D.K. Chakbraborty, For the C.C.L..

आदेश

पक्षकारों को सुना।

2. विद्वान अधिवक्ता श्री अभिजीत कुमार सिंह द्वारा सहायता किये गये विद्वान अधिवक्ता श्री दीनबंधु याची की ओर से उपस्थित हुए हैं तथा प्रत्यर्थी सी॰ सी॰ एल॰ का प्रतिनिधित्व श्री डी॰ के॰ चक्रवर्ती द्वारा किया गया है।

3. याची ने प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा पारित दिनांक 9.9.2014 के आदेश को चुनौती दिया है जिसमें यह निर्णीत किया गया है कि NCWA के प्रावधानों के अनुसार अनुकंपा पर नियुक्ति का याची का दावा पोषणीय नहीं है। संक्षेप में मामले के तथ्य निम्नवत है:–

अपीलार्थी के ससुर की सेवा में रहते 11.8.2005 को मृत्यु हो गयी थी तथा तत्पश्चात् अनुकंपा के आधार पर नौकरी की ईप्सा करते हुए अपीलार्थी की पत्नी ने 2.11.2005 को एक आवेदन दाखिल किया था। तथापि, दिनांक 9.3.2006 के आदेश के तहत याची की पत्नी श्रीमती पार्वती देवी का अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दावा करनेवाला आवेदन इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि विवाहित पुत्री के लिये अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। तत्पश्चात्, 26.4.2006 को मृतक कर्मचारी–स्वर्गीय जीत राम मांझी की पत्नी ने प्राधिकारियों से अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिये अपने दामाद की नियुक्ति पर विचार करने का आग्रह किया था। पहले याची ने 8.8.2006 को विहित प्रपत्र में आवेदन दाखिल किया था। प्रत्यर्थी प्राधिकारियों ने याची को अपने इस दावे के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा था कि ससुर की आय पर आश्रितता थी तथा तद्नुसार याची ने अंचलाधिकारी, रामगढ़ द्वारा दिनांक 18.7.2006 के पत्र के तहत निर्गत आश्रितता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। पुनः प्रत्यर्थी प्राधिकारियों ने दिनांक 11.8.2006 के पत्र के तहत क्षतिपूर्ति बंधपत्र एवं मृतक के परिवार के सभी सदस्यों के कथन प्रस्तुत करने के लिये कहा था जिन्हें दिनांक 19.8.2006 के पत्र के तहत याची द्वारा प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया था। याची का दावा दिनांक 16/17.6.2008 के पत्र के तहत अस्वीकार कर दिया गया था यह कथित करते हुए कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा NCWA-VII के पैरा 9.3.0 के अंतर्गत नियुक्ति के उसके मामले पर विचार नहीं किया गया है।

4. व्यथित होकर, याची रिट याचिका, अर्थात् WP(S) संख्या 5885 वर्ष 2008 दाखिल करके इस न्यायालय के पास आया था जिसे दिनांक 26.2.2014 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। इस बर्खास्तगी के विरूद्ध, याची एल॰ पी॰ ए॰ संख्या 134 वर्ष 2014 दाखिल करके इस न्यायालय के पास आया था। माननीय खंडपीठ ने दिनांक 28.4.2014 के अपने आदेश के तहत निम्नांकित सम्परीक्षणों के साथ लेटर्स पेटेंट अपील अनुज्ञात कर दिया था:–

^^iokDr lEijh{k.kk rFkk fun'kk dh nf"V e] fnukd 26.2.2014 dk vk{kfir vkn'k vikLr fd;k tkrk g rFkk ;g yVl iVV vihy vuKkr dh tkrh gA iR;Fkh l[;k 2 dk bl vkn'k dh ifr dh ikflr@iLrfrdj.k dh frfFk l pkj eghuk dh

*vofèk d Hkhrj mDr fun'k d vkykd e vihykFkh d nko ij fopkj dju dk fun'k fn;k tkrk gA***

5. एल० पी० संख्या 134 वर्ष 2014 में माननीय खंडपीठ के सम्परीक्षणों तथा निर्देशों की दृष्टि में प्रत्यर्थी प्राधिकारियों ने दिनांक 9.9.2014 के आदेश के तहत निम्नवत् निर्णीत करते हुए तर्कसंगत आदेश पारित किया था:–

*^^vudik ij fu;fDr d fy, Jh fcfiu ee dk nkok NCWA d ikoèkkuk d vulkj ik"k.kh; ugh gA***

6. इस रिट याचिका में परिशिष्ट 13 के रूप में संलग्न दिनांक 9.9.2014 के पूर्वोक्त आदेश से व्यथित होकर याची ने प्रस्तुत रिट याचिका दाखिल किया है।

7. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दिनांक 9.9.2014 का आदेश अवैधानिक, मनमाना तथा विधि के प्रावधानों के विरूद्ध है एवं प्राधिकारियों ने एल० पी० ए० संख्या 134 वर्ष 2014 में इस न्यायालय के निर्देशों का घोर उल्लंघन करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि एल० पी० ए० संख्या 134 वर्ष 2014 में इस न्यायालय द्वारा प्रत्येक बात पर विचार किया गया था तथा इसके बाद उसके मामले पर विचार किये जाने का निर्देश दिया गया था जो प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है। याची के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि NCWA-VI का खंड 9.3.3 विनिर्दिष्टत: प्रावधान करता है कि अगर नौकरी के लिये कोई प्रत्यक्ष आश्रित उपलब्ध नहीं है, मृतक के साथ रहनेवाले तथा मृतक की आय पर पूर्ण रूप से आश्रित दामाद पर मृतक का आश्रित होने के रूप में विचार किया जा सकता है तथा याची का वर्तमान मामला पूर्ण रूप से NCWA के पूर्वोक्त खंड के अधीन आच्छादित है जिसपर दिनांक 9.9.2014 का आक्षेपित आदेश पारित करते हुए प्रत्यर्थी सं० 2 द्वारा विचार नहीं किया गया है।

8. दूसरी ओर, सी० सी० एल० के विद्वान अधिवक्ता श्री डी० के० चक्रवर्ती प्रतिशपथ की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराते हैं तथा निवेदन करते हैं कि पैरा 9 में यह स्पष्टत: कथित किया गया है कि श्रीमती पार्वती देवी का आवेदन इस आधार पर विचारित नहीं किया गया था कि विवाहित पुत्री NCWA के प्रावधानों के अनुसार अनुकंपा पर नियुक्ति की हकदार नहीं है तथा इस तथ्य की दृष्टि में भी कि मृतक कर्मचारी की पत्नी जीवित है तथा इस कारण उसे NCWA के प्रावधानों के अनुसार अनुकंपा पर नियुक्ति के बदले में मौद्रिक मुआवजों के लिए आवेदन करना चाहिए था।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के प्रतिद्वंद्वी निवेदनों पर विचार करते हुए, मेरी सुविचारित राय है कि प्रत्यर्थी–प्राधिकारियों ने उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में आक्षेपित आदेश पारित नहीं किया है तथा दिनांक 28.4.2014 के आदेश के तहत एल० पी० ए० संख्या 134 वर्ष 2014 में पारित इस न्यायालय के सम्परीक्षणों तथा निर्देशों पर विचार नहीं किया है।

NCWA-VII के खंड 9.3.2 तथा 9.3.3 निम्नवत् पठित हैं:–

9.3.2. dedkj d ,d vkfJr dk ukdjh ftldh lok e jgr eR; gk tkrh gA tgk rd efgyk vkfJrk dk lcèk g] mudk fu;ktu@ekfnd evkot dk Hkxrku ijk 9.5.0 }kjk lpkfyr gkxkA

9.3.3 bl i;ktukFk vkfJr l iRuh@ifr] ;FkkfLFkfr] vfookfgr i=h] i= rFkk oèkkfud :i l nÙkd i= vfHkir gA vxj fu;ktu d fy, ,lk iR;{k vkfJr miyCèk ugh g] erd d lkFk jguoky rFkk erd dh vk; ij yxHkx i.k :i l vkfJr Hkkb] foèkok i=h@foèkok i=oèk ;k nkekn ij erd d vkfJr gku d :i e fopkj fd;k tk ldrk gA

10. माननीय खंडपीठ का पूर्वोक्त प्रावधानों पर विचार करके दृष्टिकोण यह था कि उस दशा में जहां कोई विवाहित पुत्री, पुत्र या मृतक कर्मचारी का वैधानिक रूप से गोद लिया गया पुत्र नौकरी के लिए उपलब्ध नहीं है, मृतक की आय पर लगभग पूर्ण रूप से आश्रित मृतक के साथ रहनेवाले भाई, विधवा पुत्री/विधवा पुत्रवधु पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है। जैसा कि प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित किया गया था, अपीलार्थी ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिये अपने दावे के समर्थन में दिनांक 18.7.2006 का आश्रितता प्रमाण पत्र (अपील के ज्ञापन का परिशिष्ट 8), जो अंचलाधिकारी, रामगढ़ द्वारा निर्गत किया गया था, तथा क्षतिपूर्ति बंधपत्र इत्यादि दाखिल किया था। तथापि, दिनांक 16/17.6.2008 के आदेश से, जो रिट याचिका में आक्षेपित आदेश है, यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा विचार नहीं किया गया था तथा कोई कारण प्रकट किये बिना एक अस्पष्ट आदेश द्वारा, अपीलार्थी का दावा अस्वीकार कर दिया गया है। पूर्वोक्त की दृष्टि में, प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आश्रितता प्रमाण पत्र एवं अन्य सुसंगत दस्तावेजों के आलोक में विशेष रूप से अपीलार्थी के दावे पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया जाता है।

11. आक्षेपित आदेश का अवलोकन करने पर, यह परिलक्षित होता है कि प्रत्यर्थी प्राधिकारियों ने एल॰ पी॰ ए॰ संख्या 134 वर्ष 2014 में पारित इस माननीय न्यायालय के आदेश तथा निर्देश पर विचार नहीं किया है। पूर्वोक्त तथ्यों के संचयी प्रभाव के रूप में एवं दिशानिर्देशों तथा परिपत्रों, तर्कों एवं न्यायिक निर्णय की दृष्टि में एवं एल॰ पी॰ ए॰ संख्या 134 वर्ष 2014 में इस न्यायालय के विनिर्दिष्ट निर्देशों तथा सम्परीक्षणों की दृष्टि में, दिनांक 9.9.2014 का आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में समर्थनीय नहीं है तथा एतद्द्वारा इसे अभिखंडित किया जाता है एवं इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्यर्थीगण को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए याची के मामले पर विचार करने तथा इस प्रकार विचार करने के उपरान्त और 15 दिनों की अवधि के भीतर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया जाता है।

---

ekuuh; jRukdj Hkxjk] U;k;efr

कासिम अंसारी एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (S.J.) No. 91 of 2003. Decided on 29th July, 2016.

चैनपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 13 वर्ष 1995, जी॰ आर॰ केस सं॰ 118 वर्ष 1995 के तत्सम सत्र विचारण सं॰ 115 वर्ष 1998 में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, पलामू डालटेनगंज द्वारा पारित दिनांक 16 दिसंबर, 2002 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 307/34 एवं 380/34—हत्या का प्रयास एवं चोरी—दोषसिद्धि—अभियोजन गवाहों के लिए अपीलार्थी को झूठ-मूठ फंसाने का कोई कारण नहीं—डॉक्टर द्वारा रिपोर्ट की गयी उपहतियाँ महत्वपूर्ण हैं और निर्मित नहीं किए जा सकते हैं—अन्वेषण अधिकारी का गैर-परीक्षण अपीलार्थियों पर प्रतिकूलता कारित नहीं करेगा—दोषसिद्धि एवं दंडादेश अंशतः अभिपुष्ट किया गया। (पैराएँ 8 से 16)

अधिवक्तागण.—Ms. Chandrajit Mukherjee, For the Appellants; Md. Azeemuddin, For the Respondent.

न्यायालय द्वारा.–यह दांडिक अपील चैनपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 13 वर्ष 1995 से उद्भूत जी॰ आर॰ केस सं॰ 118 वर्ष 1995 के तत्सम सत्र विचारण सं॰ 115 वर्ष 1998 के संबंध में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, डालटेनगंज, पलामू द्वारा पारित दिनांक 16.12.2002 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा अपीलार्थियों को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 307/34 एवं 380/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए तीन वर्षों का कारावास भुगतने तथा प्रत्येक को 1000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 380 के अधीन दो वर्षों का कारावास भुगतने और प्रत्येक को 1000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने का दंडादेश दिया गया है। दोनों दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का आदेश दिया गया था। जुर्माना के व्यतिक्रम में दोषसिद्धों को दोनों अपराधों के लिए छह माह का कारावास भुगतना है।

2. अभियोजन मामला जैसा यह चैनपुर पी॰ एस॰ में सोनपुरवा बघंदी के निवासी मुस्लिमुद्दीन अंसारी की पत्नी अ॰ सा॰ 3 सूचक आमना खातुन के सदर अस्पताल, इमरजेंसी वार्ड, में दिनांक 3.2.1995 को सायं 5 बजे दर्ज फर्दबयान से प्रतीत होता है यह है कि उस दिन वह अपने परचून की दुकान में बैठी थी और सामान बेच रही थी। इस बीच उक्त नामित तीन अपीलार्थीगण आए और उससे सिगरेट मांगा जिस पर उसने उत्तर दिया कि उसकी दुकान में सिगरेट उपलब्ध नहीं है जिस पर अपीलार्थी सं॰ 1 कासिम अंसारी ने गुप्ती (तेज धारवाला हथियार) से उसके पेट पर वार किया। सूचक ने अपने बाएँ हाथ से स्वयं को बचाने का प्रयास किया और वार ने उसकी बायीं कोहनी पर उपहति कारित किया और आगे तक गया और उसने अपनी कलाई में भी उपहति पाया। तब एहसानुद्दीन अंसारी नामक अपीलार्थी ने उसकी दुकान से 4000/- रुपया लिया। अनेक व्यक्ति शोर होने पर जमा हुए और घायल ने उनके समक्ष घटना का विवरण दिया। तत्पश्चात, उसे इलाज के लिए डालटेनगंज सदर अस्पताल लाया गया था जहाँ उसका फर्दबयान दर्ज किया गया था। सूचक ने यह कथन भी किया है कि पूर्व दुश्मनी एवं वाद के कारण अपीलार्थियों ने उक्त अपराध किया है।

3. अमला खातुन अ॰ सा॰ 3 के फर्दबयान के आधार पर भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 447/307/324/379/34 के अधीन चैनपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 13 वर्ष 1995 दर्ज किया गया था। पुलिस ने सम्यक अन्वेषण के बाद आरोप पत्र दाखिल किया, तद्नुसार संज्ञान लिया गया था और मामले को एस॰ टी॰ केस सं॰ 115 वर्ष 1998 के रूप में दर्ज किया गया था।

4. भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 307 एवं 380/34 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे किंतु अभियुक्तों ने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया। अभियोजन ने आरोप सिद्ध करने के लिए कुल आठ गवाहों का परीक्षण किया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने विचारण के समापन पर अभियुक्तों को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 307/34 तथा 380/34 के अधीन अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया और उनको पूर्वोक्तानुसार दंडादेश दिया। अतः, यह अपील की गयी है।

5. अ॰ सा॰ 5 आमना खातुन ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि घटना पाँच वर्ष पहले की दोपहर लगभग 1.30 बजे की है जब वह अपने परचून की दुकान में बैठी थी और सामान बेच रही थी। इस बीच, उक्त नामित तीन अपीलार्थीगण आए और उससे सिगरेट मांगा जिस पर उसने उत्तर दिया कि उसके दुकान में सिगरेट उपलब्ध नहीं है, तब अभियुक्त कासिम ने गुप्ती निकाला और उसके पेट पर वार करने का प्रयास किया। किंतु उसने बाएँ हाथ से वार रोका जिससे उसके उपर बाएँ हाथ, कोहनी पर उपहति कारित हुई और उसके पेट पर भी चोट आयी। अपीलार्थी एहसानुद्दीन अंसारी ने 4000/- रुपया लिया जिसे महाजन के लिए रखा गया था। तब पड़ोस से लोग जमा हुए और उसको अस्पताल ले गए जहाँ उसका इलाज किया गया था और पुलिस द्वारा उसका फर्दबयान दर्ज किया गया था जिस पर उसने अंगूठा का निशान लगाया। उसने कटघरे में तीनों अभियुक्तों को पहचाना। अपने प्रति–परीक्षण में, उसने

कथन किया है कि घटना के दौरान अभियुक्तों के अतिरिक्त वहाँ बाहर कोई नहीं था। उसकी दुकान सड़क के किनारे है और अनेक लोग रोड पर आते-जाते हैं और अनेक वाहन भी रोड पर चलते हैं। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उसका भतीजा घटना के बाद आया था और पड़ोस से भी लोग आए थे किंतु उसको उनमें से किसी का नाम याद नहीं है। उसकी दुकान के बगल में दो-तीन दुकान हैं। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के दौरान उसका पति डालटेनगंज गया हुआ था। उसका भतीजा उसको अस्पताल ले गया। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि उसके घर से डालटेनगंज की ओर जाते हुए चैनपुर पी॰ एस॰ रास्ता में था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त एहसानुद्दीन अंसारी गाँव के डॉक्टर के रूप में कार्यरत था और गाँववालों को दवाईयाँ भी वितरित करता था।

6. अ॰ सा॰ 1 इस्लाम मियाँ अ॰ सा॰ 3 का भतीजा है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना साढ़े चार वर्ष पुरानी दोपहर लगभग 1.30 बजे की है और कि वह अपने घर के निकट बैठा था। उसने देखा कि कुछ लोग वहाँ झगड़ रहे थे। अमला खातुन गिर गयी थी और वह अभियुक्त कासिम से वहाँ मिला और उसने अभियुक्त एहसानुद्दीन को भी देखा जो अपने हाथ में कुछ रुपया लिया था। उसने अमला खातुन को घायल एवं जमीन पर गिरे देखा। वह घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले गया। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस ने उससे घटना के बारे में पूछा था जिस पर उसने बताया कि वह घटनास्थल पर गया था और पीड़िता को गिरा देखा था और उसने अपनी कोहनी में उपहति पायी थी। कि घटनास्थल रोड के निकट है और दुकान के बगल में घर भी है। जब वह घटनास्थल पर गया था, 10-15 लड़के भी वहाँ उपस्थित थे।

7. अ॰ सा॰ 2 मुस्लिमुद्दीन है जो अ॰ सा॰ 3 का पति है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना 3.2.1995 की है और उस समय पर वह डालटेनगंज में था और वह वहाँ बाजार करने गया था। दोपहर लगभग 2.30-3.00 बजे उसने सूचना पाया कि उसकी पत्नी पर चाकू से प्रहार किया गया है और उसे घायल दशा में सदर अस्पताल में भरती किया गया है। तब वह डालेटनगंज, सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड गया। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसकी पत्नी ने घायल दशा में सूचित किया कि वह दुकान में बैठी हुई थी तब अपीलार्थीगण वहाँ आए और सिगरेट मांगा और जब उसने सिगरेट नहीं दिया, वे उसे गाली देने लगे और एहसानुद्दीन अंसारी ने 4000/- रुपया ले लिया। कासिम मियाँ ने गुप्ती से उसकी पत्नी के पेट पर प्रहार किया जिस कारण उसे अपने हाथ में उपहति आयी। प्रति परीक्षण में उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त एहसानुद्दीन पिछले 10-11 वर्ष से ग्रामीण डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था और वह उसी गाँव में रहता भी था।

8. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन तीन वर्ष का दंडादेश अधिनिर्णीत किया गया है और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 380 के अधीन दोषसिद्धि के लिए दो वर्ष का दंडादेश अधिरोपित किया गया है जिन्हें साथ चलना था जिसमें से कासिम कुछ माह अभिरक्षा में बिता चुका है जब अन्य अपीलार्थीगण कारा में कभी नहीं थे। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि जहाँ तक अपीलार्थी सरफुद्दीन अंसारी का संबंध है, उसके विरुद्ध अभिकथन नहीं है और दो अपीलार्थियों के विरुद्ध और विशेषत: कासिम जिसने प्रहार किया था के विरुद्ध अभिकथन किए गए हैं। किंतु एहसानुद्दीन के विरुद्ध मामला नहीं बनता है जिसे अभिकथित रूप से दुकान से 4000/- रुपया लेता बताया गया है किंतु धन की बरामदगी नहीं की गयी थी। उसने निवेदन किया है कि अ॰ सा॰ 1, 2 एवं 3 एक-दूसरे से संबंधित हैं और इसलिए, उन्होंने अभियोजन मामले एवं एक-दूसरे के अभिसाक्ष्य का समर्थन किया है। किंतु, अ॰ सा॰ 4, 5 एवं 6 स्वतंत्र गवाह हैं और पक्षद्रोही बन गए हैं किंतु उन्होंने

अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। अ॰ सा॰ 7 डॉक्टर है जिन्होंने कारित उपहतियों को उपदर्शित किया है और अ॰ सा॰ 8 काँस्टेबल है जिसने फर्दबयान सिद्ध किया है। उन्होंने निवेदन किया है कि आई॰ ओ॰ के गैर-परीक्षण के कारण यह अपीलार्थियों के मामले के प्रति घातक होगा। उन पर घोर रूप से प्रतिकूलता कारित होगी। विशेषत: जब गुप्ती एवं धन बरामद नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कथन किया है कि अ॰ सा॰ 1 ने अपने प्रति-परीक्षण में कथन किया है कि वह केवल घटना के बाद घटनास्थल पर पहुँच सका था और पीड़िता को जमीन पर गिरे देखा था जिसका अर्थ है कि वह चश्मदीद गवाह नहीं है। उसने आगे कहा है कि निकट में 10-15 घर थे किंतु अभिसाक्ष्य देने कोई भी आगे नहीं आया। अ॰ सा॰ 1 अ॰ सा॰ 3 का भतीजा है और चूँकि वह हितबद्ध गवाह है, उसने अभियोजन के पक्ष में अभिसाक्ष्य दिया है। आगे उन्होंने निवेदन किया है कि अ॰ सा॰ 3 पीड़िता ने भी कारित वार की संख्या के संबंध में कहानी विकसित किया है क्योंकि अपने फर्दबयान में उसने कथन किया है कि केवल एक वार किया गया था किंतु अपने अभिसाक्ष्य में उसने कथन किया है कि उस पर अनेक वार किए गए थे। विद्वान अधिवक्ता ने डॉक्टर अ॰ सा॰ 7 के अभिसाक्ष्य के बारे में भी कथन किया है जिन्होंने निम्नलिखित उपहतियों को पाया है:–

(i/a) vxcktg dk nkfgus vkj ls rst ekkjnkj gfFk;kj ls dVu dh migfr dh vkj yk tkrk g, ckb, vxckg ds ee; d ik'o fgLlk ij 1" x 1/2" x Ropk dh xgjkbZ rd rst ekkjnkj gfFk;kj ls dVu dh migfrA

(i/b) vxckg ds mlh voLFkk esa 1½" x 1/2" x Ropk rd xgjhA nkuks migfr;k dh Ropk ds uhps Vd ,d gh gA

(ii) isV ds ck,a Hkkx ij 1/2" x Ropk rd xgjh [kjkspA

(iii) nk;h dykbZ dk [kjkspA

विद्वान अधिवक्ता ने आगे कथन किया है कि प्रथमत: किसी ने प्रहार नहीं देखा था, प्रहार स्वयं विवादित है और पीड़िता ने कथन किया है कि उसे अनेक उपहतियाँ आयी थी किंतु डॉक्टर ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि केवल एक वार किया गया था। उन्होंने निवेदन किया है कि चूँकि डॉक्टर ने कहा है कि उपहति कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा निर्मित की जा सकती थी, अत: प्रक्षेप के कारण इसने उसकी बाँह को छुआ होगा और कुछ सीमा तक पेट को। किंतु मुख्य उपहतियाँ शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर कारित उपदर्शित नहीं की गयी हैं और उपहतियाँ सरल प्रकृति की बतायी गयी है, ऐसी दशा में, हत्या का आशय नहीं था, अत: भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन अपराध बनता नहीं कहा जा सकता है। भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 380 के संबंध में, उन्होंने पुन: दोहराया कि इस मामले में अपीलार्थियों से कोई राशि बरामद कभी नहीं की गयी थी किंतु पूर्व दुश्मनी के कारण अभिकथन किया गया है। आगे उन्होंने न्यायालय को ब॰ सा॰ 1 के अभिसाक्ष्य से अवगत कराया है जिसने कहा है कि दफनाने का समारोह था और अपीलार्थी सं॰ 2 एवं 3 उस समारोह में लगभग 11 बजे से 2-2.30 बजे तक उपस्थित थे, अत: जब वे घटनास्थल पर नहीं हो सकते थे, उनके विरुद्ध संपूर्ण घटना झुठला दी जाएगी। उन्होंने आगे कथन किया है कि प्राथमिकी में अपीलार्थी सं॰ 3 के विरुद्ध वस्तुत: कुछ भी अभ्यारोपित नहीं किया गया है। वह प्रहार में अथवा धन की चोरी में भागीदार नहीं था। वह केवल वहाँ खड़ा था और इसके लिए उसे दोषसिद्ध नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसके द्वारा कोई प्रत्यक्ष कृत्य नहीं किया गया है।

9. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने न्यायालय को फर्दबयान और अ॰ सा॰ 1, 2 एवं 3 के अभिसाक्ष्य तथा बचाव गवाह के अभिसाक्ष्य से भी अवगत कराया है। उन्होंने यह मामला बनाने का प्रयास किया है कि आई॰ ओ॰ का परीक्षण नहीं किया जाना एक अन्य मामला है किंतु आई॰ ओ॰ ने मामले का अन्वेषण किया था और आरोप पत्र दाखिल किया था। अ॰ सा॰ 8 काँस्टेबल है जिसने फर्दबयान सिद्ध किया है। उसने कहा है कि अपराध गंभीर है जिसे तीन पुरुषों ने दुकान में बैठी एकमात्र महिला के साथ किया है और

यह निश्चित है कि घटना हुई है जैसा अ॰ सा॰ 1, 2 एवं 3 द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है और अ॰ सा॰ 4, 5 एवं 6 ने भी घटना से इनकार नहीं किया है। उन्होंने आगे कथन किया है कि अ॰ सा॰ 1 घटनास्थल पर गया और देखा कि अपीलार्थी सं॰ 2 के हाथ में धन था और पीड़िता जमीन पर गिरी हुई थी। अ॰ सा॰ 1 तुरन्त घटनास्थल पर गया था और इस दशा में उसके पास कहानी गढ़ने को अवसर नहीं था और अ॰ सा॰ 1 ही घायल को अस्पताल ले गया था जहाँ उसका इलाज किया गया था और उसका फर्दबयान दर्ज किया गया था। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने आगे निवेदन किया कि अ॰ सा॰ 2 जो घायल का पति है ने मामले का समर्थन किया है क्योंकि उसने कथन किया है कि डालटेनगंज सदर अस्पताल में उसकी पत्नी का इलाज किया गया था और उसने उसको घटना के बारे में सूचित किया था। आगे विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने कथन किया है कि डॉक्टर जो अ॰ सा॰ 7 है ने मत दिया है कि उपहतियाँ गुप्ती जैसे तेज धार वाले हथियार द्वारा संभव हैं और कि उन्होंने उपहतियों को सिद्ध किया है। उन्होंने आगे कथन किया है कि उपहतियाँ पीड़िता द्वारा अपने फर्दबयान में दिए गए अभिकथनों का समर्थन करती है। ब॰ सा॰ 1 के साक्ष्य के संबंध में उन्होंने कथन किया है कि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस गवाह का उल्लेख किसी प्राधिकारी के समक्ष कभी नहीं किया गया था और केवल अपीलार्थियों को बचाने के लिए इस गवाह को कटघरा में लाया गया है।

10. मामले के तर्कों तथा अभिलेखों एवं साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद यह प्रतीत होता है कि संपूर्ण अपराध के दो मुख्य नायक कासिम अंसारी, अपीलार्थी सं॰ 1 तथा एहसानुद्दीन अंसारी, अपीलार्थी सं॰ 2 हैं। जहाँ तक कासीम अंसारी द्वारा प्रहार का प्रश्न है, सूचक आमना खातुन ने प्रत्यक्षत: अभिकथित किया है कि उसने ही तेजधार वाले हथियार (गुप्ती) से प्रहार किया था। अ॰ सा॰ 1 इस्लाम मियाँ जो सूचक का भतीजा है ने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने कासिम अंसारी को देखा था जब वह घटना स्थल पर गया था। अंत में, डॉक्टर द्वारा रिपोर्ट की गयी उपहतियाँ महत्वपूर्ण हैं और निर्मित नहीं की जा सकती हैं। एहसानुद्दीन अंसारी के संबंध में भी आमना खातुन द्वारा प्रत्यक्ष अभिकथन है कि उसने दुकान से 4000/- रुपया लिया था और अ॰ सा॰ 1 ने कहा है कि जब वह घटनास्थल पर गया, उसने एहसानुद्दीन अंसारी के हाथ में धन देखा। विचारण न्यायालय द्वारा किए गए संप्रेक्षण महत्वपूर्ण हो सकते हैं जब वह कहता है कि व्यक्ति जो मेडिकल पेशेवर के रूप में ज्ञात था प्रभावशील व्यक्ति था, अत: अपीलार्थीगण 1 एवं 2 द्वारा घटना में निभायी गयी मुख्य भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है।

11. अन्वेषण अधिकारी का गैर परीक्षण अपीलार्थियों के विरुद्ध प्रतिकूलता कारित नहीं करेगा क्योंकि सूचक का अभियोग विश्वसनीय है और डॉक्टर की उपहति रिपोर्ट द्वारा समर्थित है। अत: कुछ हुआ था, वह उपहतियाँ गढ़ नहीं रही थी। और दो अन्य अभियुक्तों की उपस्थिति संभव है क्योंकि कोई दुश्मनी विकसित क्यों करेगा जब तक अभियोग सत्य नहीं हैं।

12. घटना के संबंध में, यह सिगरेट नहीं दिए जाने के छोटे मुद्दे पर उद्‌भूत हुआ था और यह संभव है कि यदि सिगरेट उपलब्ध किया जाता, घटना नहीं हो सकती थी। किंतु तब प्रश्न है कि कोई क्यों गुप्ती अपने पास रखेगा।

13. अपीलार्थी सं॰ 3 सरफुद्दीन अंसारी के विरुद्ध कुछ भी नहीं है, किंतु वह केवल घटना के समय पर दो अन्य अपीलार्थियों के साथ था, और इसलिए, उसे संदेह का लाभ दिया जा सकता है। अन्य दो अपीलार्थियों को प्रत्यक्ष कृत्य करता हुआ विनिर्दिष्टत: देखा गया था जबकि इस अपीलार्थी की विनिर्दिष्ट भूमिका नहीं थी।

14. परिणामस्वरुप, सरफुद्दीन अंसारी के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 307 एवं 380 के अधीन दर्ज दोष सिद्धि एवं दंडादेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। उसके विरुद्ध अपील अनुज्ञात की जाती है।

अपीलार्थी सरफुद्दीन अंसारी जमानत पर है और, इसलिए, उसे उसके जमानत बंध पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है और स्वतंत्र किया जाता है।

15. जहाँ तक अपीलार्थियों कासिम अंसारी एवं एहसानुद्दीन अंसारी उर्फ ऐसामुद्दीन अंसारी का संबंध है, चैनपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 13 वर्ष 1995 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ केस सं॰ 118 वर्ष 1995 के तत्सम सत्र विचारण सं॰ 115 वर्ष 1998 के संबंध में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, डालटेनगंज, पलामू द्वारा पारित दिनांक 6.12.2002 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश एतद् द्वारा मान्य ठहराया जाता है। कासिम अंसारी एवं एहसानुद्दीन अंसारी उर्फ हेसामुद्दीन अंसारी का जमानत बंधपत्र एतद्द्वारा रद्द किया जाता है और उन्हें शेष दंडादेश भुगतने के लिए दोषसिद्ध करने वाले/उत्तरवर्ती न्यायालय उनकी गिरफ्तारी सुरक्षित करने के लिए उक्त अपीलार्थियों अर्थात् कासिम अंसारी एवं एहसानुद्दीन अंसारी के विरुद्ध आदेशिका जारी करने के लिए समुचित कदम उठाएगा।

16. अपीलार्थी सं॰ 3 सरफुद्दीन अंसारी के मामले में वर्तमान अपील अनुज्ञात की जाती है। किंतु, अपीलार्थी सं॰ 1 एवं 2 अर्थात् कासिम अंसारी एवं एहसानुद्दीन अंसारी की अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

बरसा कुमारी उर्फ बरसा देवी

cuke

सुरेन्द्र प्रसाद

First Appeal No. 37 of 2012. Decided on 29th November, 2016.

एम॰ टी॰ एस॰ सं॰ 36 वर्ष 2006 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, हजारीबाग, द्वारा पारित दिनांक 21.1.2012 के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955—धाराएँ 12 (1) (b) एवं 13 (1) (i-a)—तलाक–पत्नी का असामान्य व्यवहार–अवर न्यायालय ने याची प्रत्यर्थी को अपीलार्थी पत्नी को स्थायी निर्वाह भत्ता के रूप में 2,00,000/- रुपयों का भुगतान करने का निर्देश दिया और आगे उसके पुनर्विवाह तक भरण-पोषण के रूप में 3000/- रुपया प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश दिया–विवाह से उत्पन्न संतान पिता की अभिरक्षा में है–न्यायालय पक्षों के बीच विवाह विघटित करते हुए अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है–किंतु, स्थायी निर्वाह भत्ता की राशि 5,00,000/- रुपयों तक और उसके पुनर्विवाह तक 5,000/- रुपया प्रतिमाह तक भरण-पोषण बढ़ाया गया। (पैराएँ 4 से 6)

अधिवक्तागण.–Mr. Binod Kumar Dubey, For the Appellant; Mr. Dilip Kumar Prasad, For the Respondent.

न्यायालय द्वारा.–अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. अपीलार्थी एम॰ टी॰ एस॰ सं॰ 36 वर्ष 2006 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 21.1.2012 के निर्णय एवं डिक्री से व्यथित है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी पति

द्वारा दाखिल वैवाहिक वाद अवर न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया है और पक्षों के बीच विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 (1) (b) एवं 13 (1) (ia) के अधीन पारित तलाक की डिक्री द्वारा विघटित किया गया है। अवर न्यायालय ने याची प्रत्यर्थी को अपीलार्थी पत्नी को 2,00,000/- (दो लाख) रुपयों का भुगतान करने तथा उसके पुनर्विवाह तक भरण-पोषण के रूप में 3000/- (तीन हजार) रुपयों का आगे भुगतान करने का निर्देश भी दिया है।

3. याची प्रत्यर्थी ने पक्षों के बीच विवाह विघटित करने के लिए वाद दाखिल किया है, जिसमें यह कथन किया गया है कि दोनों पक्षों का विवाह दिनांक 27.6.2004 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार रामगढ़ में हुआ था। विवाह से पुत्री का जन्म हुआ था, किंतु यह अभिकथित किया गया है कि विवाह के तुरन्त बाद पति ने पाया कि उसकी पत्नी सामान्य रूप से व्यवहार नहीं कर रही है और वह मानसिक रोग से भी पीड़ित है। याची एवं उसके परिवार के सदस्यों के साथ क्रूरता का अभिकथन करते हुए याची प्रत्यर्थी द्वारा तलाक की डिक्री के लिए वाद दाखिल किया गया है।

4. अपीलार्थी पत्नी द्वारा वाद का प्रतिवाद किया गया था और उसके विरुद्ध किए गए अभिकथन से वर्तमान अपीलार्थी द्वारा इनकार किया गया था। किंतु, अवर न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर चर्चा करते हुए यह भी गौर किया है कि अपने प्रति परीक्षण में पत्नी ने स्वीकार किया है कि कभी-कभार वह असामान्य हो जाती है। अवर न्यायालय ने भी पत्नी का व्यवहार ध्यान में लिया है जब उसका अवर न्यायालय में प्रति परीक्षण किया जा रहा था और यह कथन किया गया है कि उसके द्वारा उत्तर देने का तरीका सामान्य नहीं था। तद्नुसार, अवर न्यायालय ने तलाकवाद डिक्री किया और स्थायी निर्वाह भत्ता तथा मासिक भरण-पोषण की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

5. यद्यपि हमने विस्तार से दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को गुणागुण पर सुना है, किंतु अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य, विशेषत: अवर न्यायालय द्वारा ध्यान में लिए गए अपीलार्थी के व्यवहार, को देखते हुए हम तलाक की डिक्री द्वारा पक्षों के बीच विवाह को विघटित करते हुए अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। किंतु, हम निर्वाह भत्ता एवं भरण-पोषण की राशि से संतुष्ट नहीं हैं जिसे अवर न्यायालय द्वारा अपीलार्थी पत्नी को प्रदान किया गया है।

6. तद्नुसार, अवर न्यायालय द्वारा पारित तलाक की डिक्री को पोषित करते हुए हम एतद् द्वारा प्रत्यर्थी को अपीलार्थी को 5,00,000/- (पाँच लाख) रुपयों का स्थायी निर्वाह भत्ता का भुगतान करने और आगे उसके पुनर्विवाह तक उसके भरण-पोषण के लिए अपीलार्थी पत्नी को 5,000/- (पाँच हजार) रुपयों का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। मामले के तथ्यों में हम संतुष्ट हैं कि इसे वह न्यूनतम राशि होना चाहिए जिसका भुगतान अपीलार्थी पत्नी को किया जाना चाहिए। हमें सूचित किया गया है कि विवाह से जन्मी संतान पिता की अभिरक्षा में है और पिता द्वारा उसकी देखभाल की जा रही है।

7. प्रत्यर्थी की ओर से यह कथन करते हुए प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया है कि उसने पहले ही चेक द्वारा 2,00,000/- (दो लाख) रुपयों का भुगतान करके अवर न्यायालय के निर्णय का अनुपालन किया है और 3000/- (तीन हजार) रुपयों का मासिक भत्ता का भुगतान भी किया जा रहा है। किंतु अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तथ्य विवादित किया गया है और यह कथन किया गया है कि प्रत्यर्थी द्वारा अवर न्यायालय में चेक जमा किया गया है। यदि ऐसा है, अब तक चेक का अवसान हो गया होगा।

8. प्रत्यर्थी को आज के दिन से दो माह की अवधि के भीतर अपीलार्थी के पक्ष में पाँच लाख (5,00,000/-) रुपयों को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। आज के दिन के प्रभाव से 5000/- रुपयों के मासिक भत्ता का भुगतान किया जाना है और यदि कोई बकाया है, आज के दिन से दो माह की इसी अवधि के भीतर अपीलार्थी के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रत्यर्थी को मासिक भरण-पोषण राशि जमा करना होगा। अपीलार्थी पत्नी अवर न्यायालय से डिमांड ड्राफ्ट पाने की हकदार होगी।

9. तद्नुसार, पूर्वोक्त निर्देश के साथ यह अपील निपटायी जाती है। पूर्वोक्त सीमा तक अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री उपांतरित किया जाता है।

10. इस आदेश की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख को तुरन्त वापस भेजा जाए।

---

ekuuh; çnhi dekj ekgUrh] dk;dkjh e[; U;k;kèkh'k ,o vkuUn lu] U;k;efr

किनु मुंडा

cuke

झारखंड राज्य

Cr. (Jail) Appeal (D.B.) No. 1870 of 2004. Decided on 17th November, 2016.

जी॰ आर॰ केस सं॰ 633 वर्ष 1998 से उद्भूत एस॰ टी॰ सं॰ 123 वर्ष 1999 में विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त, एफ॰ टी॰ सी॰ सं॰ IV राँची द्वारा पारित दिनांक 21.9.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या–आजीवन कारावास–किसी ने घटना नहीं देखा है–अभियोजन द्वारा मामले के आई॰ ओ॰ का परीक्षण नहीं किया गया है–चूँकि तात्विक प्रदर्श डॉक्टर के समक्ष उसके मत के लिए अथवा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और न्यायालय द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी से प्रश्न नहीं पूछा गया था, अतः यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अभिग्रहण सूची वैध दस्तावेज था–अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है–अपीलार्थी दोषमुक्त किया गया। (पैराएँ 9 से 12)

अधिवक्तागण.–Mr. Saurabh Shekhar, For the Appellant; Mr. Pankaj Kumar, For the State.

न्यायालय द्वारा.–यह दांडिक अपील (जी॰ आर॰ सं॰ 633 वर्ष 1998) से उद्भूत होने वाले एस॰ टी॰ सं॰ 123 वर्ष 1999 में वर्तमान अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध करते तथा उसको आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश देते हुए विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त, एफ॰ टी॰ सी॰ सं॰ IV, राँची द्वारा पारित दिनांक 21.9.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं आदेश तथा दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है।

2. अभियोजन मामला यह है कि दिनांक 19.3.1998 को शाम लगभग 6.30 बजे जब सूचक जिरकू मुंडा के आंगन में अपनी ननद के साथ बात कर रही थी, सूचक का पति भी वहाँ आया और बैठा। सूचक का देवर (अपीलार्थी) चाकू से लैस होकर वहाँ आया और मृतक के कंधा पर प्रहार किया जिस कारण वह गिर गया। तत्पश्चात, अभियुक्त ने चाकू से उसकी गर्दन पर दो-तीन बार प्रहार किया।

जब सूचक और उसकी ननद ने मृतक को बचाने का प्रयास किया, अभियुक्त ने पुनः सूचक के पति की गर्दन पर कुदाल से प्रहार किया और तत्पश्चात सूचक और उसकी ननद बाहर आए और हल्ला किया। कुछ समय बाद अभियुक्त–अपीलार्थी घर के बाहर आया और भाग गया। जब मृतक की पत्नी सूचक एवं उसकी ननद कमरा में आयी, उन्होंने सूचक के पति को मृत पड़ा पाया। तत्पश्चात, सूचक राँची जिला के अंतर्गत बेरो पुलिस थाना गयी और अपना फर्दबयान दिया जिसके आधार पर बेरो पी॰ एस॰ केस सं॰ 18 वर्ष 1998 दर्ज किया गया था और अन्वेषण के बाद वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप–पत्र दाखिल किया गया था।

3. अभियुक्त का अभिवचन आरोप से पूर्ण इनकार का है।

4. अपना मामला सिद्ध करने के लिए, अभियोजन ने कुल छह गवाहों का परीक्षण किया है और अपने मामले के समर्थन में पाँच दस्तावेजों को प्रदर्शित किया और बचाव पक्ष ने अपनी ओर से किसी साक्ष्य का परीक्षण नहीं किया है।

5. विद्वान विचारण न्यायालय अर्थात् अपर न्यायिक आयुक्त एफ॰ टी॰ सी॰ सं॰ IV, राँची जिन्होंने मामले का विचारण किया था ने वर्तमान अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अ॰ सा॰ 1 सूचक, मृतक की पत्नी एवं डॉक्टर (अ॰ सा॰ 5) के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया और आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ शेखर ने दोषसिद्धि के निर्णय का निम्नलिखित आधारों पर विरोध किया (i) वस्तुतः अभिकथित घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है; (ii) किसी ने घटना नहीं देखा था, (iii) मृतक की पत्नी अ॰ सा॰ 1 ने भी घटना नहीं देखा था। उसने केवल अपने पति एवं अभियुक्त के बीच कुछ हाथापाई देखा और तत्पश्चात वह गाँववालों को बुलाने चली गयी और जब वह लौटी उसने अपने पति को मृत पड़ा पाया। उसने स्वीकार किया है कि अपीलार्थी एवं मृतक के बीच विवाद नहीं है और उनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंध था। तत्पश्चात्, वह पुलिस थाना गयी और परिवाद दर्ज किया और उक्त परिवाद में अपने बायें अंगूठे का निशान लगाया। (iv) अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 4 को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया था और (v) अ॰ सा॰ 2, ग्रामीण है और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एवं अभिग्रहण सूची का गवाह है। अतः, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने योग्य मामला नहीं है। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी 18 वर्ष से अधिक समय से कारा अभिरक्षा में सड़ रहा है। अतः, यह अपीलार्थी के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि का निर्णय अपास्त करने के लिए सुयोग्य मामला है।

7. विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री पंकज कुमार ने अपीलार्थी की ओर से किए गए निवेदन का विरोध किया। वह निवेदन करते हैं कि अ॰ सा॰ 1 ने स्पष्टतः अभियोजन मामले का समर्थन किया है और अ॰ सा॰ 2, जो गाँववाला है और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तथा अभिग्रहण सूची का गवाह है, ने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट और अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 1 एवं 1/1) सिद्ध किया है और अ॰ सा॰ 5 डॉक्टर जिन्होंने मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था ने मौखिक साक्ष्य को संपुष्ट किया है। विद्वान अपर लोक अभियोजक ने भी निवेदन किया है कि अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दोष सिद्ध करने एवं दंडादेशित करने में विद्वान विचारण न्यायालय ने अवैधता नहीं किया है और इसमें दुर्बलता नहीं है।

8. अवर न्यायालय के अभिलेखों का परिशीलन किया गया और हमने सूक्ष्मतापूर्वक मृतक की पत्नी अ॰ सा॰ 1 के साक्ष्य का परिशीलन किया है। उसने अपने साक्ष्य में विनिर्दिष्टतः कथन किया है कि वर्तमान

अपीलार्थी किनू मुंडा आया और मृतक को पकड़ लिया और मृतक पर चाकू से प्रहार किया। तत्पश्चात, वह चली गयी और जब वह लौटी, उसने अपने पति को मृत पड़ा पाया। अपने प्रति परीक्षण में उसने स्वीकार किया है कि उसने प्रहार नहीं देखा था; अ॰ सा॰ 2 गाँव वाला है जो मृत्यु समीक्षा और अभिग्रहण सूची–प्रदर्श 1 एवं 1/1 का गवाह है और अपना हस्ताक्षर किया है। अ॰ सा॰ 3 अपीलार्थी अभियुक्त का भाई है और वह पक्षद्रोही हो गया था। अ॰ सा॰ 3 अपीलार्थी अभियुक्त का भाई है और वह पक्षद्रोही हो गया था। अ॰ सा॰ 4 अ॰ सा॰ 3 की पत्नी है और उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था। जब उसका सामना उसके पूर्व बयान से कराया गया था, अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में कुछ नहीं निकाला गया है। अ॰ सा॰ 5 डॉक्टर है जिन्होंने शव परीक्षण किया और निम्नलिखित उपहति पाया:–

[kjkp (1) iV d lkeu nk, Hkkx ij 5 x 2cm, (ii) nk; ?kVuk ij 2 x 1 cm

fonh.k t[e%&(1) xnu d mijh Hkkx d ck, Hkkx d mij 2 x 1cm vkdkj dk eyk;e mÙkd dh xgjkbA

pkd ?kkiu dk t[e%&(i) xnu d nk, Hkkx ij 1 x 1½ x 1½ cm (ii) BM<h dh lrg d uhp 1 x 1/2 x 1½ cm t[e dk Vd frjNk vkj eyk;e mÙkd rd lhferA

dVu dk t[e%&(1) CyM oly] blkQxl] Vfp;k ,o vkf'kd :i l rrh; lokbdy oVhck dkVr g, xnu d ck, Hkkx ij 5 x 2 cm x eyk;e mÙkd rd xgjkA (ii) CyM oly] blkQxl] Vfp;k ,o v'kr% prFk lokbdy cVhck dk dkVrh io migfr d 1 cm uhp xnu d ck, Hkkx ij 7 x 2cm x vfLFk rd xgjk] (iii) io migfr d 2 cm uhp xnu d fupy ck, fgLlk ij 5 x 2 cm x eyk;e mÙkd rd xgjk (iv) CyM oly] blkQxl] Vfp;k ,o vkf'kd :i l ipe lokbdy oVhck dk dkVr g, xnu d fupy Hkkx d lkeu 6 x 2 cm x vfLFk rd xgjkA

9. डॉक्टर ने मत दिया कि समस्त उपहतियाँ मृत्युपूर्व, खरोंच एवं विदीर्ण जख्म थे जिन्हें कड़े एवं भोथरे पदार्थ, तेज धार वाले नुकीले हथियार द्वारा चाकू घोंपने के जख्म और भारी तेज धार वाले हथियार द्वारा कटने के जख्म कारित किए गए थे। मृत्यु आघात एवं हेमरेज के कारण हुई थी। मृत्यु से बीता समय शव परीक्षण के समय से 12 से 36 घंटा था। उन्होंने शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श–2) भी सिद्ध किया। अपने प्रति परीक्षण में उसने स्वीकार किया है कि मृत शरीर पर पायी गयी उपहतियाँ एक हथियार द्वारा अत्यन्त संभव थी।

10. अ॰ सा॰ 6 बेरो पुलिस थाना का ए॰ एस॰ आई॰ है। उसने केवल फर्दबयान सिद्ध किया है जिसे तत्कालीन प्रभारी अधिकारी, बेरो पुलिस थाना, हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया था और अपना हस्ताक्षर प्रदर्श 3 के रूप में सिद्ध किया है औपचारिक प्राथमिकी जिसे भी उक्त हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया था, प्रदर्श 4 के रूप में सिद्ध किया है। अपने प्रति परीक्षण में, उसने स्वीकार किया है कि उसकी उपस्थिति में कोई कागज तैयार नहीं किया गया था और उसे मामले के बारे में निजी जानकारी नहीं थी।

11. संपूर्ण साक्ष्य का संवीक्षण करने पर, यह स्पष्ट है कि किसी ने घटना नहीं देखा था। अभियोजन द्वारा मामले के आई॰ ओ॰ का परीक्षण नहीं किया गया है। अ॰ सा॰ 1 ने विनिर्दिष्टत: कथन किया कि उसने घटना नहीं देखा था। प्रदर्श 1 तथा प्रदर्श 1/1 डॉक्टर के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था और न ही इन्हें विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रहार के संबंध में अपीलार्थी से विनिर्दिष्ट प्रश्न नहीं पूछा गया था। अ॰ सा॰ 1 सूचक (मृतक की पत्नी) ने भी अपने साक्ष्य में स्वीकार किया था कि अपीलार्थी और मृतक के बीच दुश्मनी नहीं थी और अपीलार्थी, जैसा निवेदन किया गया है, 18 वर्षों से अधिक से अभिरक्षा में बना हुआ है। चूँकि तात्विक प्रदर्शों को डॉक्टर के समक्ष उसके

मत के लिए अथवा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और द॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन न्यायालय द्वारा अपीलार्थी से प्रश्न नहीं पूछा गया था, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 1/1) वैध दस्तावेज है।

12. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय का दृष्टिकोण है कि अभियोजन ने समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध नहीं किया है। इस दशा में, दांडिक अपील अनुज्ञात की जाती है और एस॰ टी॰ सं॰ 123 वर्ष 1999 में अपर न्यायिक आयुक्त, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ IV राँची द्वारा पारित दिनांक 21 सितंबर, 2004 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं आदेश तथा दंडादेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी किनू मुंडा को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप का दोषी नहीं पाने पर तद्नुसार दोषमुक्त किया जाता है। अत:, अपीलार्थी किनू मुंडा जो कारा में है तुरन्त निर्मुक्त किया जाएगा यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

तनिस ओराँव उर्फ तनिस लकरा एवं अन्य

cuke

बिहार राज्य (अब झारखंड)

Criminal Appeal (D.B.) No. 148 of 1992(R). Decided on 28th November, 2016.

सत्र विचारण सं॰ 150 वर्ष 1988 में विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, पलामू द्वारा पारित दिनांक 24.7.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 25.7.1992 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302 एवं 307/34—आयुध अधिनियम, 1959—धारा 27—हत्या एवं हत्या का प्रयास–सामान्य आशय–आजीवन कारावास–किसी भी तात्विक गवाह ने अभियुक्तों के विरुद्ध कोई विनिर्दिष्ट अभिकथन नहीं किया है–घायल गवाह ने भी किसी अभियुक्त को नामित नहीं किया है–अभियोजन द्वारा एफ॰ एस॰ एल॰ रिपोर्ट रोका जाना अभियोजन मामले को संदेहपूर्ण बनाता है–अपीलार्थियों को संदेह का लाभ दिया गया और दोषमुक्त किया गया। (पैराएँ 9 एवं 10)

अधिवक्तागण.–M/s P.P.N. Roy, Pragati Prasad, For the Appellants; Mr. H.P. Singh, For the State.

न्यायालय द्वारा.–यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी सं॰ 3 इलियास ओराँव उर्फ इलियास लकरा की मृत्यु दिनांक 18.10.1994 को इस अपील के लंबित रहने के दौरान हो गयी। अपीलार्थी का मृत्यु प्रमाण पत्र पूरक शपथ पत्र दाखिल करके अभिलेख पर लाया गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र की दृष्टि में, यह अपील अपीलार्थी सं॰ 3 के विरुद्ध उपशमनित होती है।

2. शेष अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

3. अपीलार्थीगण विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, पलामू द्वारा पारित दिनांक 24.7.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 25.7.1992 के दंडादेश से व्यथित हैं जिसके द्वारा अपीलार्थी तानिस ओराँव उर्फ तानिस लकरा को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 307 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपराध का दोषी पाया गया है और अन्य अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 307/34 के अधीन अपराध के लिए दोषी पाया गया है। दंडादेश के बिंदु पर सुनवाई

पर, अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपराध के लिए पृथक दंडादेश पारित नहीं किया गया है।

4. संक्षेप में, अभियोजन मामला यह है कि दिनांक 20.1.1987 को अभियोजन पक्ष किसी एगू मिशन के खेत में गेहूँ बोने गया था और जब वे गेहूँ बोने के बाद वापस लौट रहे थे, गोली चलने की आवाज सुनी गयी। अभियुक्तों की भीड़ द्वारा पीछा किया गया था जिसमें उन्होंने पाया कि अपीलार्थी तानिस ओराँव उर्फ तानिस लकरा दोनाली बंदूक से लैस था और अभियुक्त इलियास ओराँव उर्फ एलियास लकरा (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) भाला से लैस था, अन्य अपीलार्थीगण भी टांगी आदि से लैस थे। उनका पीछा किया गया था, किंतु वे भागने में सफल रहे। जब वे वापस लौटे, उन्होंने किसी पियूस लकरा को घटना स्थल पर मृत पाया और क्लीमेंट मिंज घायल पड़ा था। पूर्वोक्त प्रभाव की लिखित सूचना पुलिस थाना को किसी बार्नबास मिंज जो गाँव का भूतपूर्व मुखिया भी था द्वारा भेजी गयी थी जिसके आधार पर नेतरहाट पी॰ एस॰ केस सं॰ 2 वर्ष 1987 संस्थित किया गया था और अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के बाद, पुलिस ने मामले में आरोप पत्र दाखिल किया।

5. मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किए जाने के बाद, अपीलार्थी तानिस ओराँव उर्फ तानिस लकरा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 307 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपराध के लिए आरोपित किया गया था, जबकि अन्य अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 307/34 के अधीन अपराध के लिए आरोपित किया गया था और आरोप से इनकार करने पर, उनका विचारण किया गया था।

6. विचारण के क्रम में, अभियोजन ने 15 गवाहों का परीक्षण किया और फर्दबयान, प्राथमिकी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, अभिग्रहण सूची, घायल की उपहति रिपोर्ट एवं मृतक का शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया। अभियोजन द्वारा परीक्षण किए गए गवाह अ॰ सा॰ 9 बार्नवास मिंज है जो मामले में सूचक है, अ॰ सा॰ 1 बिलासियस खाल्खों, अ॰ सा॰ 3 मानुअल मिंज, अ॰ सा॰ 4 सुशील मिंज, अ॰ सा॰ 6 क्लीमेंट मिंज, मामले में घायल, और अ॰ सा॰ 8 जुलियस करकेत्ता मामले में तात्विक गवाह हैं। इनमें से किसी भी गवाह ने कथन नहीं किया है कि उन्होंने अभियुक्त अपीलार्थियों को मृतक अथवा घायल पर प्रहार करते देखा था। उन्होंने केवल यह कथन किया है कि उन्होंने केवल गोली चलने की आवाज सुनी थी जिस पर अभियुक्तों का पीछा किया गया था जो हथियार से लैस थे। अ॰ सा॰ 3 मैनुअल मिंज ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि पक्षों के बीच प्रश्नगत भूमि के लिए विवाद था और एइगू मिशन एवं अभियुक्तों के बीच दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 107 एवं 144 के अधीन कार्यवाही चल रही थी। अ॰ सा॰ 6 क्लेमेन्ट मिंज ने भी, जो मामले में घायल है, स्वीकार किया है कि उसने नहीं देखा था कि किसने उस पर प्रहार किया था। अन्य गवाह केवल अनुश्रुत गवाह हैं अथवा निविदत्त हैं। अ॰ सा॰ 12 डॉ॰ नरेन्द्र कुमार मिश्रा ने मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था और उन्होंने शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया है। अ॰ सा॰ 14 डॉ॰ निकोलस बारा हैं, जिन्होंने घायल का उपहति रिपोर्ट सिद्ध किया है, जिसका परीक्षण किसी डॉ॰ सी॰ एम॰ सिंह द्वारा किया गया था। अ॰ सा॰ 13 महेन्द्र नाथ पांडे मामले का आई॰ ओ॰ है जिसने प्राथमिकी, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, अभिग्रहण सूची आदि सिद्ध किया है और उन्होंने उसके द्वारा किए गए अन्वेषण के बारे में कथन किया है। इस गवाह ने कथन किया है कि अभियुक्त की दोनाली बंदूक उसके समक्ष प्रस्तुत की गयी थी और उसने बंदूक की प्रस्तुती-सह-जब्ती सूची तैयार किया था जो अभियुक्त का लाइसेंसी बंदूक था। उसने यह कथन भी किया है कि उसने लाइसेंसी बंदूक को इसके परीक्षण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा था और एफ॰ एस॰ एल॰ रिपोर्ट भी प्राप्त किया था। किंतु, अभियोजन द्वारा एफ॰ एस॰ एल॰ रिपोर्ट सिद्ध नहीं किया गया है।

7. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलार्थियों को पक्षों के बीच स्वीकृत भूमि विवाद के कारण इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है, जो अ॰ सा॰ 3 मैनुअल मिंज द्वारा समर्थित है। आगे यह निवेदन किया गया है कि किसी भी गवाह ने यह कथन नहीं किया है कि उन्होंने अपीलार्थियों को मृतक अथवा घायल पर प्रहार करते देखा था, बल्कि गवाहों ने केवल यह कथन किया है कि उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी और तत्पश्चात अभियुक्तों का पीछा किया गया था। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन भी किया गया था कि यद्यपि अभियुक्त अपीलार्थी की दोनाली बंदूक को पुलिस द्वारा जब्त किया गया था और न्यायालयिक परीक्षण के लिए इसे न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा जाना भी स्वीकार किया गया है और आगे यह भी स्वीकार किया गया है कि एफ॰ एस॰ एल॰ से रिपोर्ट प्राप्त की गयी थी, किंतु उक्त रिपोर्ट अभियोजन द्वारा रोका गया है और केवल अभियोजन को ज्ञात कारण से अभियोजन द्वारा इसे सिद्ध नहीं किया गया है और एफ॰ एस॰ एल॰ रिपोर्ट रोका जाना अभियोजन के विरुद्ध जाता है और अभियोजन मामला संदेहपूर्ण बनाता है। यह निवेदन किया गया है कि अभियुक्तों के विरुद्ध किसी विनिर्दिष्ट अभिकथन की अनुपस्थिति में अभियुक्त–अपीलार्थीगण कम से कम संदेह के लाभ के हकदार हैं।

8. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि गवाहों ने कथन किया है कि गोली चलने की आवाज सुनने पर उन्होंने अभियुक्तों का पीछा किया जिनमें अपीलार्थी सं॰ 1 तानिस ओराँव उर्फ तानिस लकरा दोनाली बंदूक से लैस था और अन्य अपीलार्थीगण अन्य हथियारों से लैस थे। राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि मृतक एवं घायल पर आग्नेयास्त्र उपहति अभियोजन की ओर से परीक्षण किए गए डॉक्टरों द्वारा सिद्ध की गयी है और शव परीक्षण रिपोर्ट भी सिद्ध किया गया है और मामले में प्रदर्श चिन्हित किया गया है जो भी गवाहों का चाक्षुक साक्ष्य संपुष्ट करता है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि हथियारों से लैस अभियुक्तों के सिवाए वहाँ कोई नहीं था। अवर न्यायालय ने सही प्रकार से अपीलार्थियों को अपराध का दोषी पाया है और दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया है।

9. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर, हम पाते हैं कि किसी भी तात्विक गवाह ने अभियुक्तों के विरुद्ध कोई विनिर्दिष्ट अभिकथन नहीं किया है। उन्होंने कथन किया है कि गोली चलने की आवाज सुनने के बाद अभियुक्त अपीलार्थियों का पीछा किया गया था और जब वे वापस लौटे उन्होंने मृतक का मृत शरीर और घायल को घटनास्थल पर पड़ा पाया। घायल क्लेमेंट मिंज ने भी, जिसका परीक्षण अ॰ सा॰ 6 के रूप में किया गया था, कथन किया है कि उसने नहीं देखा था कि किसने उस पर प्रहार किया था। एइगू मिशन एवं अपीलार्थियों के बीच भूमि विवाद अभियोजन गवाह द्वारा स्वीकार किया गया है और यह विधि का सुनिश्चित सिद्धांत है कि दुश्मनी दोधारी होती है। अपराध में अभिकथित रूप से प्रयुक्त दोनाली बंदूक पुलिस द्वारा जब्त की गयी थी और न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजी गयी थी और न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट प्राप्त भी किया गया था, किंतु अभियोजन द्वारा वह रिपोर्ट सिद्ध नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा रिपोर्ट रोका जाना निश्चय ही अभियोजन के विरुद्ध जाता है और अभियोजन मामला संदेहपूर्ण बनाता है। इन सबों का समेकित प्रभाव यह है कि अपीलार्थीगण कम से कम संदेह के लाभ के हकदार हैं।

10. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में, सत्र विचारण सं॰ 150 वर्ष 1988 में विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, पलामू द्वारा पारित दिनांक 24.7.1992 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दिनांक 25.7.1992 का दंडादेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थियों को संदेह का लाभ दिया जाता है और उन्हें आरोपों

से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थीगण जमानत पर हैं और उन्हें उनके परस्पर जमानत बंधपत्रों के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

11. तद्नुसार, यह अपील अनुज्ञात की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त संबंधित न्यायालय को वापस भेजे जाएं।

---

ekuuh; vfer kHk dekj xIrk] U;k;efr

मो॰ अब्दुल वहाब उर्फ अब्दुल वहाब

cuke

अशोक कुमार सिंह एवं अन्य

Second Appeal No.10 of 2011. Decided on 10th November, 2016.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 41, नियम 31—झारखंड भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 2000—धाराएँ 11 (1) (d) एवं 11 (1) (e)—बेदखली–किराया के भुगतान में व्यतिक्रम एवं पट्टा का अवसान–प्रथम अपीलीय न्यायालय तथ्य का अंतिम न्यायालय है–प्रथम अपीलीय न्यायालय को मात्र विचारण न्यायालय के निर्णय के साथ सहमत नहीं होना है बल्कि अपने निर्णयों के लिए कारण देना प्रथम अपीलीय न्यायालय का कर्तव्य है–अपीलीय न्यायालय को व्यतिक्रम एवं पट्टा के अवसान जिसके लिए पट्टा का अस्तित्व अनिवार्य है के विवाद्यक पर विचार करना चाहिए था–आक्षेपित निर्णय अपास्त किया गया और मामला सकारण एवं तार्किक आदेश के लिए अवर अपीलीय न्यायालय के पास वापस भेजा गया। (पैराएँ 7 एवं 8)

निर्णयज विधि.–1995(1) PLJR 569; 2010 (4) PLJR 175—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. S. Thakur, For the Appellant; Mr. Pandey Neeraj Rai, For the Respondents.

आदेश

यह द्वितीय अपील अभिधान (बेदखली) वाद सं॰ 9 वर्ष 2002 में मुंसिफ, बोकारो द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 24.3.2006 तथा दिनांक 15.4.2006 के निर्णय एवं डिक्री को अभिपुष्ट करते हुए अभिधान (बेदखली) अपील सं॰ 11 वर्ष 2006 में जिला न्यायाधीश, बोकारो द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 8.12.2010 तथा दिनांक 22.12.2010 के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध निर्देशित है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि वादी ने जुलाई, 2002 से नवंबर, 2002 तक किराया के भुगतान में व्यतिक्रम के आधार पर प्रतिवादी/किराएदार की बेदखली के लिए झारखंड भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 2000 की धारा 11 (i) (d) के अधीन वाद संस्थित किया और वाद लंबित रहने के दौरान अधिनियम की धारा 11 (i) (e) के निबंधनानुसार पट्टा के अवसान के आधार पर किराएदार की बेदखली के लिए संशोधन भी सम्मिलित किया गया था।

3. प्रतिवादी ने अपने लिखित कथन में मकानमालिक–किराएदार का संबंध स्वीकार करते हुए कथन किया कि पट्टा विलेख वस्तुतः दिनांक 26.7.2002 को प्रतिवादियों एवं वादी द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित एवं हस्ताक्षरित किया गया था। प्रतिवादी ने कथन किया कि उसने नियमित रूप से 500/- रुपयों के मासिक किराया का भुगतान किया था और दिसंबर, 2002 का किराया अंत में दिनांक 5.1.2003 को भुगतान किया गया था। यह कथन किया गया है कि वादी ने कोई किराया रसीद कभी नहीं जारी किया था। यह कथन किया गया है कि चूँकि वादी एवं प्रतिवादी के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण था, प्रतिवादी ने किराया रसीद

जारी करने पर जोर नहीं दिया था और न ही उसने किराया रसीद जारी नहीं किए जाने के लिए कोई आपत्ति ही उठाया था।

प्रतिवादी ने प्राख्यान किया कि फरवरी, 2003 के प्रथम सप्ताह में जब वह जनवरी, 2003 का किराया देने के लिए वादी के पास गया, वादी ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय उसने प्रतिवादी को मासिक किराया 1000/- रुपया प्रति माह तक बढ़ाने के लिए कहा और 50,000 रुपयों के प्रतिभूति का भुगतान करने के लिए कहा जिसके प्रति प्रतिवादी ने अपनी अक्षमता अभिव्यक्त किया जिस पर वादी ने प्रतिवादी को आश्वासन दिया कि वे मासिक किराया की वृद्धि तथा प्रतिभूति की मात्रा के संबंध में बात करके मामला सुलझा लेंगे। यह अभिकथित किया गया है कि वादी द्वारा बातचीत शुरू नहीं किया गया था और न ही मामले के मैत्रीपूर्ण समाधान के लिए वादी द्वारा कोई तिथि नियत किया गया था जिसके बाद प्रतिवादी ने डाक मनीआर्डर के माध्यम से मासिक किराया भेजना शुरू किया किंतु वादी द्वारा इसे लेने से इनकार किया गया था।

प्रतिवादी द्वारा यह प्राख्यान किया गया है कि उसने किराया के भुगतान में व्यतिक्रम कभी नहीं किया बल्कि वह नियमित रूप से किराया का भुगतान करता रहा किंतु वादी ने किराया रसीद कभी जारी नहीं किया और वर्तमान वाद केवल प्रतिवादी से प्रतिभूति जमा और बढ़ाए गए किराया के उद्दापन के आशय से संस्थित किया गया है।

4. विचारण न्यायालय ने पक्षों के अभिवचनों पर आठ विवाद्यक विरचित किया। वादी ने तीन गवाहों का परीक्षण किया और दिनांक 7.4.2001 का करार प्रदर्श 1 के रूप में चिन्हित किया गया था। प्रतिवादी ने छह गवाहों का परीक्षण किया है और प्रदर्श A से A/12 के रूप में चिन्हित 13 पोस्टल मनीआर्डर रसीद और प्रदर्श B से B/12 के रूप में मनी आर्डर रिर्टन कूपन प्रदर्शित किया।

विचारण न्यायालय ने दिए गए मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी ने जुलाई, 2002 से नवंबर, 2002 तक किराया के भुगतान में व्यतिक्रम किया था और आगे अभिनिर्धारित किया कि करार प्रदर्श 1 प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया है, किराएदारी की अवधि दिनांक 1.3.2001 से आरंभ होकर तीन वर्ष के लिए थी, तद्नुसार, प्रतिवादी पट्टा के अवसान के आधार पर भी बेदखल किए जाने का दायी था। यह ध्यान देना आवश्यक है कि विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूँकि पट्टा करार तीन वर्षों से अधिक के लिए था, अत: रजिस्ट्रेशन अधिनियम के निबंधनानुसार इसने रजिस्ट्रेशन आवश्यक बनाया किंतु चूँकि इसे रजिस्टर्ड नहीं किया गया था पट्टा करार का पठन साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है और प्रतिवादी के पक्ष में विवाद्यक विनिश्चित किया। विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वादी पट्टा करार का उल्लंघन सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ था किंतु वादी ने व्यतिक्रम के आधार पर और किरायेदारी की अवधि के अवसान के आधार पर अपना मामला सिद्ध किया और वाद प्रतिवादी को वाद परिसर का रिक्त कब्जा सौंपने का निर्देश देते हुए डिक्री किया गया था।

5. पूर्वोक्त निर्णय एवं आदेश से व्यथित होकर प्रतिवादी ने अभिधान (बेदखली) अपील सं॰ 11 वर्ष 2006 दाखिल किया और अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री तथा निष्कर्ष को मान्य ठहराया जिसने वर्तमान अपील को उद्भूत किया।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय न्यायालय के निर्णय का विरोध मुख्यत: इस आधार पर किया कि विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय ने गलती किया है क्योंकि किराया के भुगतान में व्यतिक्रम के संबंध में तथ्य के निष्कर्ष में विकृतता है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विचारण न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट होगा कि वादी ने स्वीकार किया है कि उसने किराया रसीद जारी किया था और इसका आधा हिस्सा उसके पास है किंतु वादी/मकानमालिक ने अपने मामले

के समर्थन में काउन्टर फ्वायल प्रस्तुत कभी नहीं किया था कि प्रतिवादी ने किराया के भुगतान में व्यतिक्रम किया है। कि अवर न्यायालय यह अधिमूल्यन करने में विफल रहे हैं कि प्रतिवादी की ओर से परीक्षण किए गए गवाहों ने इस तथ्य का समर्थन किया है कि प्रतिवादी ने नियमित रूप से 500/- रुपए के मासिक किराया का भुगतान वादी/मकान मालिक को किया था और दिसंबर, 2002 के मासिक किराया का भुगतान प्रतिवादी द्वारा दिनांक 5.1.2003 को किया गया था। कि चूँकि वादी/मकानमालिक ने किराया स्वीकार करने से इनकार किया था, किराया पोस्टल मनीआर्डर द्वारा दिया गया था। यह प्रतिवाद भी किया गया था कि पट्टा करार के मुताबिक पट्टा दिनांक 26.7.2008 को निष्पादित किया गया था और विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय ने विधि में और तथ्य में यह निष्कर्ष देकर गलती किया है कि किराएदारी मार्च, 2001 से शुरू हुई। कि पट्टा करार के मुताबिक किराएदारी की अवधि के आधार पर वादी द्वारा इप्सित संशोधन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था चूँकि उक्त विलेख रजिस्टर्ड नहीं था जैसी आज्ञा रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अधीन दी गयी है और करार के निबंधनानुसार इप्सित संशोधन समयपूर्व था और अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए था।

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अवर न्यायालयों के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है और निवेदन किया है कि विधि का सारवान प्रश्न नहीं है क्योंकि किराया के भुगतान में व्यतिक्रम और पट्टा की अवधि के अवसान के संबंध में विवाद्यक पर तथ्य का समवर्ती निष्कर्ष है। प्रतिवाद के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने 2010 (4) PLJR 175 एवं 1995 (1) PLJR 569, में प्रकाशित निर्णयों पर विश्वास किया है और निवेदन किया है कि पट्टा करार रजिस्टर्ड नहीं था किंतु अवर न्यायालयों ने प्रतिवादी द्वारा किए गए स्वीकरण पर विश्वास किया है। कि प्रतिवादी ने इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि किराएदारी स्वयं मार्च, 2001 से आरंभ हुई थी। कि अवर न्यायालयों ने भी अभिनिर्धारित किया है कि यदि किराएदारी मार्च, 2001 से आरंभ हुई, तब स्पष्टीकरण नहीं है कि प्रतिवादी ने जोर क्यों नहीं दिया था कि वादी द्वारा किराया रसीद जारी किया जाना चाहिए।

यह तर्क किया गया है कि यह सिद्ध करने का भार कि मासिक किराया का भुगतान नियमित रूप से किया गया था, प्रतिवादी/किराएदार पर था और परीक्षण किए गए गवाहों ने दिसंबर, 2002 से किराया के भुगतान के बारे में कथन किया है और किसी ने जुलाई, 2002 से नवंबर, 2002 तक के लिए भुगतान किए गए किराया के बारे में कोई कथन नहीं किया है और विनिर्दिष्ट अभिवचन है कि प्रतिवादी ने उक्त किराया के भुगतान में व्यतिक्रम किया है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद है कि स्वीकरण किराएदारी की अवधि के संबंध में है और भले ही पट्टा करार साक्ष्य के रूप में नहीं देखा जाता है, तब भी स्वयं प्रतिवादी द्वारा स्वीकरण सिद्ध करता है कि किराएदारी मार्च, 2001 से आरंभ हुई और फरवरी, 2004 में इसका अवसान हुआ। कि निष्कर्ष में विकृतता नहीं है और यह सुनिश्चित सिद्धांत है कि द्वितीय अपील सुनवाई के लिए केवल तब ग्रहण की जा सकती है। जब विधि का सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो।

8. अधिवक्ता को सुनने पर एवं अवर अपीलीय न्यायालय तथा विचारण न्यायालय दोनों के निर्णय एवं डिक्री के परिशीलन पर यह स्पष्ट है कि अवर अपीलीय न्यायालय ने विनिश्चयकरण के लिए बिंदुओं को विरचित किए बिना जैसा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI नियम 31 के अधीन अनुध्यात किया गया है, निवेदनों पर निर्णय पारित किया है। अपीलीय न्यायालय को व्यतिक्रम एवं पट्टा के अवसान के विवाद्यकों पर चर्चा करना चाहिए था जिसके लिए पट्टा का अस्तित्व अनिवार्य है जिस पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा चर्चा अथवा विचार नहीं किया गया है।

यह विधि की सुनिश्चित प्रतिपादना है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय विधि एवं तथ्य का अंतिम न्यायालय है और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को पक्षों द्वारा उठाए गए एवं जोर दिए गए समस्त

विवाद्यकों पर तर्क पर आधारित अपना निष्कर्ष दर्ज करके न्यायिक विवेक का इस्तेमाल सोच समझकर किया जाना परिलक्षित करना होगा। यह सुनिश्चित है कि अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय के निर्णय के साथ सहमत मात्र नहीं होना होगा बल्कि अपने निर्णयों के लिए कारण देना प्रथम अपीलीय न्यायालय को कर्तव्य है।

यह स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने न तो साक्ष्य पर विचार किया है और न ही विधि पर चर्चा किया है और रहस्यमय निर्णय पारित किया है जो विधि की सुनिश्चित प्रतिपादना के विरुद्ध है जिसने विधि के सारवान प्रश्न को उद्भूत किया क्योंकि अपीलीय न्यायालय का निर्णय तथ्यों एवं विधि की चर्चा पर आधारित नहीं है। अतः, निर्णय अपास्त किया जाता है और मामला पक्षों द्वारा प्रदर्शित पट्टा करार अर्थात् प्रदर्श 1 के संबंध में और किराया के भुगतान में व्यतिक्रम के बिन्दु पर सकारण एवं तार्किक आदेश पारित करने एवं विवाद्यकों को विनिश्चित करने के लिए अवर अपीलीय न्यायालय को वापस भेजा जाता है।

चूँकि वाद वर्ष 2002 का है, अवर अपीलीय न्यायालय पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद दैनिक आधार पर अग्रसर होकर सकारात्मक रूप से मई 2017 तक अपील विनिश्चित करेगा और बाध्यकारी परिस्थिति के सिवाए अनावश्यक स्थगन प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। प्रतिवादी/किराएदार अवर न्यायालय में किराया का बकाया जमा करेगा जिसे निकालने के लिए वादी/प्रत्यर्थी स्वतंत्र है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ उपर किया गया कोई संप्रेक्षण पक्षों के हेतु पर प्रतिकूलता कारित नहीं करेगा अथवा प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा।

9. परिणामतः, पूर्वोक्त निर्देश के साथ अपील अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; ,p lh feJk ,o Mk ,l ,u ikBd] U;k;efrx.k

संतोष साहू

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (DB) No. 458 of 2014. Decided on 1st December, 2016.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302 एवं 307—आयुध अधिनियम, 1959—धारा 27—हत्या एवं हत्या का प्रयास–दोषसिद्धि एवं दंडादेश–अपीलार्थी ने अवर न्यायालय में आत्म समर्पण नहीं किया–अपीलार्थी को पकड़ने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए थे किंतु आज की तिथि तक अपीलार्थी पकड़ा नहीं जा सका था–उसे सक्रिय रूप से अतिवादी समूह से जुड़ा बताया जाता है–अपील खारिज की गयी और अवर न्यायालय को अपीलार्थी के विरुद्ध स्थायी वारंट जारी करने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 4 एवं 5)

अधिवक्तागण.–None, For the Appellant; Mr. Pankaj Kumar, For the Respondent.

आदेश

पिछले अनेक अवसरों से अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

2. अपीलार्थी को सत्र विचारण सं॰ 13 वर्ष 2010 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, लोहरदग्गा द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 307 के अधीन और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया है।

3. इस अपील को दाखिल करने के बाद, अपीलार्थी ने अपनी पुत्री की बीमारी के आधार पर अनंतिम जमानत के लिए प्रार्थना किया और आई॰ ए॰ सं॰ 5372 वर्ष 2014 में पारित दिनांक

14.10.2014 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को अपनी पुत्री के इलाज के लिए दिनांक 16.11.2014 तक अनंतिम जमानत प्रदान किया गया था। अपीलार्थी ने अवर न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किया था। तत्पश्चात, पुनः अपीलार्थी के अनंतिम जमानत के विस्तारण के लिए एक अन्य अंतर्वर्ती आवेदन आई॰ ए॰ सं॰ 5903 वर्ष 2014 दाखिल किया गया था। दिनांक 20.11.2014 का आदेश दर्शाता है कि अंतर्वर्ती आवेदनों में झूठे प्रकथन किए गए थे और तत्पश्चात, अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आई॰ ए॰ सं॰ 5903 वर्ष 2014 वापस लेना चाहा किंतु इस न्यायालय द्वारा इसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी गयी थी और अपीलार्थी के पिता जिसने आई॰ ए॰ में शपथ पत्रों पर शपथ लिया था के विरुद्ध न्यायालय के अवमान की कार्यवाही आरंभ की गयी थी। न्यायालय में उपस्थित होने का आश्वासन न्यायालय को देने के बावजूद न तो अपीलार्थी न ही अपीलार्थी का पिता न्यायालय में उपस्थित हुए और अंततः अपीलार्थी के पिता के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया था जिसे पकड़ा गया था और इस न्यायालय में पेश किया गया था और उसके विरुद्ध इस न्यायालय द्वारा अवमान के लिए अग्रसर हुआ गया था जो अब उसके द्वारा भुगते गए कारावास की दृष्टि में दिनांक 5.8.2015 के आदेश द्वारा निष्कर्षित कर दिया गया है।

4. किंतु, तथ्य बना रहता है कि अपीलार्थी ने अवर न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किया था। तत्पश्चात, अपीलार्थी के अधिवक्ता ने भी मामले में उपस्थित होना छोड़ दिया था। अपीलार्थी को पकड़ने के लिए इस न्यायालय द्वारा आदेशों को पारित किया गया था, किंतु उसे आज की तिथि तक पकड़ा नहीं जा सका था। यह सूचित किया गया था कि अपीलार्थी अतिवादी समूह से जुड़ गया है। दिनांक 28.10.2015 के आदेश द्वारा आरक्षी महानिदेशक, झारखंड राज्य को निजी रूप से मामला मॉनिटर करने और अपीलार्थी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया था जिसके अनुसरण में झारखंड के आरक्षी महानिदेशक एवं आरक्षी अधीक्षक, लोहरदग्गा द्वारा अपीलार्थी को पकड़ने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए आरक्षी महानिदेशक की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। अंतिम शपथ पत्र दिनांक 5.8.2016 को आरक्षी अधीक्षक, लोहरदग्गा द्वारा आरक्षी महानिदेशक, झारखंड की ओर से दाखिल किया गया है जो भी अपीलार्थी के बारे में सूचना देने के लिए, जिसके लिए पुरस्कार देने का आश्वासन भी दिया गया है, नोटिस के प्रकाशन सहित अपीलार्थी को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा लिए गए कदमों का विवरण भी देता है। किंतु, यह तथ्य बना रहता है कि इन प्रयासों के बावजूद अपीलार्थी को आज की तिथि तक पकड़ा नहीं जा सका था और यह कथन किया गया है कि वह सक्रिय रूप से अतिवादी समूह के साथ जुड़ा है। इस स्थिति से सामना होने पर हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में यह सुयोग्य मामला है जिसमें केवल इस आधार पर अपील खारिज किया जाना चाहिए।

5. तद्नुसार, यह अपील खारिज की जाती है और अवर न्यायालय को अपीलार्थी के विरुद्ध स्थायी वारंट जारी करने का निर्देश दिया जाता है। आरक्षी महानिदेशक, झारखंड एवं आरक्षी अधीक्षक, लोहरदग्गा को अपीलार्थी को पकड़ने के लिए प्रयासों का गंभीरतापूर्वक अनुसरण करना जारी रखने तथा दंडादेश भुगतने के लिए उसको अवर न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जाता है।

6. इस आदेश की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त वापस भेजे जाएं।

7. आवश्यक कार्रवाई के लिए इस आदेश की प्रति आरक्षी महानिदेशक, झारखंड और आरक्षी अधीक्षक, लोहरदग्गा को भेजी जाए।

ekuuh; çeFk iVuk;d] U;k;efr

शैलेष कुमार सिंह (1016 में)

शिवजी गोस्वामी (1083 में)

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य (दोनों में)

W.P. (S) Nos. 1016 with 1083 of 2014. Decided on 27th September, 2016.

झारखंड सेवा संहिता, 2000—नियम 97—निलंबन–निलंबन का सहारा ऐसे मामले में लिया जाना चाहिए जहाँ आरोप इतने गंभीर हैं ताकि मुख्य दंड का अधिरोपण आवश्यक हो–वर्तमान में, निलंबन आदेश अवांछित एवं औचित्यहीन था और उक्त अवधि के दौरान याचीगण कर्तव्य पर थे, अत: याचीगण निलंबन की अवधि के लिए पूरी वेतन पाने के हकदार हैं। (पैरा 6)

निर्णयज विधि.–(1998) 7 SCC 84—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Manoj Tandon & Kumari Rashmi, For the Petitioner; J.C. to S.C. (L & C), For the Resp-State.

प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति.–चूँकि दोनों रिट आवेदनों में इप्सित अनुतोष कमोबेश समरुप हैं, परस्पर अधिवक्ताओं की सहमति से दोनों रिट याचिकाएँ साथ सुने जा रहे हैं और इस एक ही आदेश द्वारा निपटाए जा रहे हैं।

2. संलग्न रिट आवेदनों में याचीगण ने अन्य बातों के साथ दिनांक 24.1.2014 के आदेश के भाग के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है जिसके द्वारा (a) निंदा, (b) समेकित प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि रोका जाना और (c) काम नहीं वेतन नहीं जिस दौरान याचीगण सेवा से बाहर बने रहे का दंड अधिरोपित किया गया है और आगे प्रत्यर्थियों को निलंबन की अवधि अर्थात् दिनांक 24.5.2008 से दिनांक 20.12.2010 तक और बर्खास्तगी की तिथि अर्थात् दिनांक 21.12.2010 से पुनर्बहाली की तिथि अर्थात् दिनांक 24.1.2014 तक याचीगण को 12% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज के साथ पूर्ण वेतन का भुगतान करने का निर्देश देने की प्रार्थना की है।

3. अनावश्यक विवरणों से रहित, रिट आवेदन में दिए गए तथ्य ये हैं कि जहाँ याचीगण जिला शिक्षा अधीक्षक, चाईबासा के कार्यालय में हेडक्लर्क/क्लर्क का पद धारण कर रहे थे, कुछ शिक्षकों को जनवरी, 2008 में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया था। उसके अनुसरण में, शिक्षकों ने अपने–अपने विद्यालय में पदग्रहण किया किंतु निदेशक, प्राथमिक शिक्षा ने दिनांक 17.7.2008 के आदेश के तहत ऐसा स्थानांतरण रद्द कर दिया जिसे डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) 3731 वर्ष 2008 एवं सदृश मामलों को दाखिल करके चुनौती दी गयी थी जिसे दिनांक 16.10.2008 के एक ही आदेश के तहत शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश रद्द करके निपटाया गया था। किंतु, याचीगण को जनवरी 2008 में किए गए स्थानांतरण के लिए दिनांक 24.5.2008 के आदेश द्वारा निलंबन के अधीन इस कारण से किया गया था कि ऐसे स्थानांतरण के कारण लगभग 100 विद्यालय नियमित शिक्षक के बिना हो गए थे जिसने मिड–डे–मील योजना पर प्रतिकूल प्रभाव कारित किया। उसके अनुसरण में प्रपत्र–क संलग्न करते हुए दिनांक 28.3.2009 के मेमो के तहत याचीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए थे। तत्पश्चात, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया था जिसने दिनांक 1.4.2010 के मेमो के तहत अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें याची के विरुद्ध लगाए गए दो आरोपों में से कोई भी सिद्ध नहीं पाया गया

था। किंतु, जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्ष से मतभेद रखते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी ने सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली और झारखंड सेवा संहिता के प्रावधानों के अधीन दिनांक 21.12.2010 के आदेश के तहत सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित किया। असंतुष्ट होकर, याचीगण ने अपील दाखिल किया जिसे दिनांक 24.1.2014 के आदेश के तहत खारिज किया गया था जो इस न्यायालय के समक्ष आक्षेपित है।

4. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचीगण के विरुद्ध लगाए गए आरोप-विनिर्दिष्ट नहीं हैं और बिल्कुल अस्पष्ट हैं। आगे यह निवेदन किया गया है कि संपूर्ण आरोप दिनांक 12.1.2009 के पत्र पर आधारित है और दिनांक 28.3.2009 के आरोप मेमो में याची के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में निर्दिष्ट किया गया है किंतु याची को इन दस्तावेजों जिन्हें याची के विरुद्ध साक्ष्य बताया जाता है के, 10 माह पहले अर्थात् दिनांक 24.5.2008 को निर्लंबित किया गया था। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि मुख्य दंड अधिरोपित करने के पहले संपूर्ण जाँच नहीं की गयी थी। किंतु, अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर जाँच अधिकारी ने यद्यपि याचीगण को आरोप से विमुक्त किया किंतु अनुशासनिक प्राधिकारी ने जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्ष से मतभेद रखते हुए सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित किया किंतु जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्ष से मतभेद रखते हुए याचीगण को उनका अपना उपयुक्त उत्तर देने के लिए सक्षम बनाने के लिए नोटिस नहीं दिया गया था। इस संदर्भ में याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य बनाम कुंज बिहारी मिश्रा, (1998)7 SCC 84,** मामले में दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट किया। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार निवेदन किया कि स्थानांतरण आदेश भी याचीगण का हस्ताक्षर अंतर्विष्ट नहीं करता है और बिल्कुल उसी आधार पर जाँच अधिकारी ने याचीगण को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से विमुक्त कर दिया। आगे यह निवेदन भी किया गया है कि आक्षेपित दंड अधिरोपित करने के पहले भी याचीगण पर द्वितीय कारण बताओ नोटिस तामील नहीं किया गया है जिसने संपूर्ण कार्यवाही को विधि की दृष्टि में दूषित कर दिया। याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि आक्षेपित आदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के अधीन पारित किया गया है जो याचीगण के मामले में बिल्कुल प्रयोज्य नहीं है। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि याचीगण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए हमेशा तैयार एवं इच्छुक थे किंतु प्रत्यर्थियों ने उनको अपना कर्तव्य नहीं करने के लिए मजबूर किया। आगे यह निवेदन किया गया है कि जब एक बार बर्खास्तगी आदेश अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है, याचीगण बीच की अवधि अर्थात् निलंबन की अवधि के दौरान और पुनर्बहाली की तिथि तक बर्खास्तगी की तिथि के बीच भी पूरा वेतन पाने के हकदार हैं। अपने निवेदन के समर्थन में, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **बैजनाथ राम बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 4410 वर्ष 2010,** मामले में दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट किया जिसमें इस न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह एवं अन्य** मामले में दिए गए निर्णय की दृष्टि में वसूली का आक्षेपित आदेश अभिखंडित कर दिया।

5. समानांतर स्तंभ में, रिट आवेदन में किए गए प्रकथनों का खंडन करते हुए प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि याचीगण जिला शिक्षा अधीक्षक, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा के कार्यालय में हेड क्लर्क एवं क्लर्क के रूप में कार्यरत रहते हुए शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना की सूची तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे किंतु याचीगण पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे, अत: क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दक्षिण छोटानागपुर, राँची ने उनको निलंबित किया और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी थी जिसमें यद्यपि

जाँच अधिकारी ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और याचीगण के निलंबन के प्रतिसंहरण की अनुशंसा की किंतु अनुशासनिक प्राधिकारी इस सद्भावपूर्ण निष्कर्ष पर आया कि याची ने जिला शिक्षा स्थापना कमिटी को अंधेरे में रखा है और शिक्षकों का अवैध स्थानान्तरण एवं पदस्थापना करवाने में सफल रहा है और सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित किया, जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 24.1.2014 के अपने आदेश के तहत घटाया गया है। प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि याचीगण शिक्षकों के स्थानांतरण का निर्णय लेने वाले प्राधिकारी नहीं है किंतु याचीगण स्थानांतरण की सूची तैयार करते हुए मुख्य व्यक्ति थे क्योंकि वे स्थानांतरण-पदस्थापना से संबंधित प्रासंगिक अभिलेखों एवं दस्तावेजों के अभिरक्षक थे। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि चूँकि याचीगण ने निलंबन की अवधि के लिए और बर्खास्तगी अवधि के दौरान काम नहीं किया है, विधि के सुनिश्चित सिद्धांत के मुताबिक वे पूर्वोक्त अवधि के लिए वेतन पाने के हकदार नहीं हैं।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुनने पर एवं अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के परिशीलन पर मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि याचीगण निम्नलिखित तथ्यों, कारणों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं से हस्तक्षेप का मामला बनाने में सक्षम हुए हैं:

(i) इस आरोप पर आधारित होते हुए कि याचीगण डी॰ एस॰ ई॰ चाईबासा के कार्यालय में हेड क्लर्क एवं क्लर्क होने के नाते, विधि के प्रावधान के विरुद्ध शिक्षकों के अवैध स्थानांतरण आदेश पर अपना हस्ताक्षर किया है और आगे उन अवैध स्थानांतरण में याचीगण की अंतर्ग्रस्तता है, याचीगण के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी थी और उन्हें निलंबनाधीन किया गया था। यद्यपि जाँच अधिकारी ने याचीगण को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से विमुक्त कर दिया किंतु अनुशासनिक प्राधिकारी ने जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्ष से असहमत होते हुए याचीगण को कोई नोटिस जारी किए बिना **कुंज बिहारी मिश्रा (ऊपर)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित सिद्धांतों के पूर्ण उल्लंघन में सेवा से बर्खास्तगी का मुख्य दंड अधिरोपित किया।

(ii) इसके अतिरिक्त, मुख्य दंड अधिरोपित करने के पहले याचीगण पर द्वितीय कारण बताओ नोटिस तामील नहीं किया गया था जिसने संपूर्ण कार्यवाही को विधि की दृष्टि में दूषित बना दिया। अतः, विभागीय कार्यवाही के आरंभ से इसके समापन तक नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पूर्ण उल्लंघन हुआ है। अतः उस आधार पर, आक्षेपित आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने का दायी है।

(iii) सेवा से निलंबन एवं बर्खास्तगी के बीच की अवधि के लिए भुगतान के विवाद्यक पर निष्कर्ष पर आने के पहले झारखंड सेवा संहिता, 2001 के नियम 97 को निर्दिष्ट करना उपयुक्त होगा जिसे यहाँ नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

97 (1) tc fdlh ljdkjh lod ftl c[kkLr] gVk;k vFkok fuyfcr fd;k x;k g] iucgky fd;k tkrk g] iucgkyh dk vkn'k nu d fy, l{ke çkfèkdkjh

(d) dr0; l mldh vuifLFkfr dh vofèk d fy, ljdkjh lod dk Hkxrku fd, tku oky oru ,o HkÙkk d lcèk e vkj

([k) D;k mDr vofèk dr0; ij fcrk;h x;h vofèk d :i e ekuh tk,xh d lcèk e fopkj djxk vkj fofufn"V vkn'k nxkA

(2) tgk mifu;e (1) e mfYyf[kr çkfèkdkjh bl er dk g fd ljdkjh lod i.kr/k foeDr fd;k x;k g] vFkok fuycu dh fLFkfr e] fd ;g i.kr/k vU;k;kfpr

Fkk] lj dkjh lod dk i.k oru ,o HkÙkk ft l dk og gdnkj g fn;k tk,xk ekuk m l c[kkLr fd;k] gVk;k] vFkok fuyfcr fd;k] ;FkkfLFkfr] ugh x;k gA

(3) ....

(4) ....

(5) ....

XXX XXX XXX

(iv) जहाँ तक निलंबन की अवधि के भुगतान का संबंध है, यहाँ यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि निलंबन का सहारा ऐसे मामले में लिया जाना चाहिए था जहाँ आरोप इतने गंभीर हैं जो मुख्य दंड का अधिरोपण आवश्यक बनाते हैं। किंतु आरोपों से यह प्रतीत होगा कि यह उतना गंभीर प्रतीत नहीं होता है जो अपचारियों को निलंबनाधीन करना आवश्यक बनाए। अत:, इस तथ्य की दृष्टि में कि निलंबन आदेश अनावश्यक था और अन्यायोचित है और इसके अलावा याचीगण उक्त अवधि के दौरान कर्तव्य पर थे, मेरा मत है कि याचीगण निलंबन की अवधि अर्थात् दिनांक 24.5.2008 से दिनांक 20.12.2010 की अवधि के लिए पूर्ण वेतन पाने के हकदार हैं।

(v) अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों, विशेषत: दिनांक 1.4.2010 की जाँच रिपोर्ट के सूक्ष्म संवीक्षण पर यह प्रतीत होता है कि जाँच अधिकारी इस मत का था कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह पूर्णत: सिद्ध नहीं किया गया है कि अपचारी प्रश्नगत स्थानान्तरण के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है तथा चूँकि स्थानान्तरण सूची पर याचीगण का हस्ताक्षर नहीं है, अत:, अपचारियों को ऐसे स्थानांतरण का पूर्णत: जिम्मेदार अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है। आगे, दिनांक 21.12.2010 को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का आदेश पारित किए जाने के बाद याचीगण ने अपील दाखिल करने के लिए गलत दरवाजे पर दस्तक दिया और सही मंच के पास पहुँचने में लगभग दो वर्ष लिया। अत: मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि याचीगण सेवा से बर्खास्तगी से पुनर्बहाली तक के बीच की अवधि के लिए वेतन पाने के हकदार नहीं हैं।

7. पूर्वोक्त पैराग्राफों में कथित कारणों की दृष्टि में और पूर्वोक्त चर्चा के तार्किक अनुक्रम में आक्षेपित आदेश अर्थात् दिनांक 24.1.2014 के आदेश का भाग एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है और याचीगण निलंबन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन पाने के हकदार हैं। किंतु, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, याचीगण सेवा से बर्खास्तगी से पुनर्बहाली तक के बीच की अवधि के लिए वेतन पाने के हकदार नहीं हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुति की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर याचीगण को ग्राह्य बकाया का भुगतान किया जाए।

8. इस सीमा तक, रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; ,p~ lh~ feJk ,o Mk~ ,l~ ,u~ ikBd] U;k;efrx.k

सुरेश नाग

cuke

बिहार राज्य (अब झारखंड)

Criminal Appeal (DB) No. 176 of 1992 (R). Decided on 30th November, 2016.

एस॰ टी॰ सं॰ 21 वर्ष 1990/30 वर्ष 1990 में द्वितीय अपर न्यायिक आयुक्त, कैम्प कोर्ट, खूँटी द्वारा पारित दिनांक 4.5.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302 एवं 201—हत्या एवं साक्ष्य गायब करना–मृतका महिला एवं अपीलार्थी के बीच अभिकथित प्रेम प्रसंग–हत्या की घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है–न तो इकबालिया बयान सिद्ध किया गया है और न ही आई॰ ओ॰ का परीक्षण इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए किया गया था कि अपीलार्थी की संस्वीकृति पर बक्सा बरामद किया गया था–आई॰ ओ॰ के गैर परीक्षण ने बचाव पर गंभीर प्रतिकूलता कारित किया है–अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने का हकदार है–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त। (पैराएँ 8 से 10)

अधिवक्तागण.–None, For the Appellant; APP, For the State.

न्यायालय द्वारा.–बार–बार बुलाए जाने पर भी अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। पूर्व अवसर पर भी जब मामला लिया गया था, बार–बार बुलाए जाने के बावजूद अपीलार्थी के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ था और मामला आज के दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था। किंतु, राज्य की ओर से विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ उपस्थित हुए। हमने राज्य के विद्वान अधिवक्ता की मदद से अभिलेख का परिशीलन किया है।

2. यह अपील अपीलार्थी सुरेश नाग द्वारा एस॰ टी॰ सं॰ 21 वर्ष 1990/30 वर्ष 1990 में विद्वान द्वितीय अपर न्यायिक आयुक्त, कैम्प कोर्ट, खूँटी द्वारा पारित दिनांक 4.5.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश से व्यथित होकर दाखिल की गयी है जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 201 के अधीन अपराधों के लिए दोषी पाया। दंडादेश के बिंदु पर सुनवाई पर, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए सात वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश भी दिया गया है।

3. अभियोजन मामले के अनुसार, विद्यालय के छात्रावास के सेप्टिक टैंक में स्त्री का मृत शरीर पाया गया था। जब भीड़ वहाँ जमा हुई, मृतका की भाभी ने अपनी 17 वर्षीया ननद करुणा नाग के मृत शरीर को पहचाना। उसने सूचित किया कि विगत लगभग चार वर्ष से अपीलार्थी एवं मृतका के बीच प्रेम प्रसंग था। लगभग 13 दिन पहले अपीलार्थी मृतका लड़की के कमरा में घुसा था और वे साथ बातकर रहे थे जिसे उसके पति (मृतका का बड़ा भाई) द्वारा देखा गया था, जिसने अपीलार्थी पर प्रहार भी किया था। दिनांक 31.1.1987 को मृतका अपीलार्थी के साथ भाग गयी और तत्पश्चात उसकी तलाश की गयी थी। तत्पश्चात दिनांक 10.2.1987 को उसका मृत शरीर छात्रावास के सेप्टिक टैंक में पाया गया था। चौकीदार विजय मुंडा जिसने मृत शरीर को पाया था द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। प्राथमिकी में चौकीदार ने शक किया था कि लड़की की हत्या उसके दो भाईयों द्वारा की गयी थी जो अपीलार्थी एवं लड़की के बीच प्रेम प्रसंग का विरोध कर रहे थे और मृत शरीर सेप्टिक टैंक में छुपाया गया था।

4. प्राथमिकी के आधार पर, पुलिस मामला संस्थित किया गया था और अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के बाद, पुलिस ने अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप–पत्र दाखिल किया। मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द करने के बाद, अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 201 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया था और आरोप से इनकार करने पर अपीलार्थी को विचारण किया गया था।

5. विचारण के क्रम में अभियोजन ने नौ गवाहों का परीक्षण किया जिसमें से अ॰ सा॰ 2 फिलोमिना नाग वह स्त्री है जिसने मृतका के मृत शरीर का पहचान किया था। अ॰ सा॰ 3 पोलस नाग मृतका का भाई एवं अ॰ सा॰ 2 का पति है। ये गवाह, यद्यपि उन्होंने अभियोजन मामले के बारे में कथन किया है, अर्थात् मृतका एवं अपीलार्थी के बीच प्रेम प्रसंग के बारे में, जिस कारण अपीलार्थी द्वारा अभिकथित रूप से मृतका की हत्या की गयी थी और मृत शरीर छिपाया गया था, किंतु वे हत्या के अपराध के चश्मदीद गवाह नहीं हैं। अ॰ सा॰ 3 पोलस नाग ने भी कथन किया है कि कुछ दिन बाद पकड़े जाने पर अपीलार्थी ने हत्या करने का और मृत शरीर छुपाने का न्यायिकेतर संस्वीकृति किया था और उसकी संस्वीकृति के आधार पर जमीन के नीचे दफनाया गया लकड़ी का बक्सा बरामद किया गया था।

6. समरुप बयान अ॰ सा॰ 4 डेविड विक्टर नाग एवं अ॰ सा॰ 6 डूमा मुंडा का भी है। अ॰ सा॰ 7 देवता हंस जो गाँव का सरपंच है ने कथन किया है कि अपीलार्थी ने उसके समक्ष संस्वीकार किया था कि उसने मृतका की हत्या की थी और मृत शरीर सेप्टिक टैंक के नीचे छुपाया था और उसकी संस्वीकृति पर बक्सा बरामद किया गया था। उसने अभिग्रहण सूची पर अपना हस्ताक्षर एवं अपीलार्थी का हस्ताक्षर सिद्ध किया है। अ॰ सा॰ 8 केनेथनाग, केवल अनुश्रुत गवाह है। अ॰ सा॰ 9 बनवारी लाल जायसवाल औपचारिक गवाह है जिसने प्रदर्श 5 के रूप में प्राथमिकी, प्रदर्श 6 के रूप में मृत शरीर की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तथा प्रदर्श 7 के रूप में रूप में अभिग्रहण सूची सिद्ध किया है। अ॰ सा॰ 5 केवल निविदत्त किया गया था। साक्ष्य में यह आया है कि सूचक चौकीदार एवं अन्वेषण अधिकारी की मृत्यु हो गयी है और इस दशा में उनका परीक्षण नहीं किया गया है।

7. अ॰ सा॰ 1 डॉ॰ शशिकान्त सिन्हा ने मृतका के मृत शरीर का शव परीक्षण किया है और उसने मृत शरीर का शव परीक्षण रिपोर्ट भी सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 1 के रूप में चिन्हित किया गया है जो दर्शाता है कि मृत शरीर सूजा हुआ और छाले पड़ने के अनेक चिन्हों के साथ विघटित था और शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। मृत्यु का कारण गला दबाए जाने के कारण दम घुटना पाया गया था।

8. इस प्रकार अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से यह प्रकट है कि मृतका की हत्या की घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है जिसका मृत शरीर सेप्टिक टैंक में उसकी मृत्यु के अनेक दिन बाद पाया गया था और शव परीक्षण रिपोर्ट दर्शाता है कि यह सूजा हुआ था और शरीर पर रेंगते कीड़ों के साथ छाले पड़ने के अनेक चिन्हों के साथ मृत शरीर विघटित था। इस तथ्य का भी चश्मदीद गवाह नहीं है कि मृतका अपीलार्थी के साथ भाग गयी थी। मृतका के अपने घर से गायब होने के बाद, अभियोजन द्वारा परीक्षण किए गए किसी भी गवाह ने उनको साथ नहीं देखा था। साक्ष्य में इस अपीलार्थी के विरुद्ध एकमात्र परिस्थिति यह है कि उसने अपना दोष संस्वीकार किया था और उसकी संस्वीकृति के आधार पर मृतका का लकड़ी का बक्सा बरामद किया गया था। किंतु, तथ्य बना रहता है कि न तो मामले में इकबालिया बयान सिद्ध किया गया है और न ही इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण किया गया था कि अपीलार्थी की संस्वीकृति पर उसके द्वारा लकड़ी का बक्सा बरामद किया गया था और अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में अन्वेषण अधिकारी के गैर परीक्षण ने अन्य अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य की दृष्टि में बचाव पक्ष पर गंभीर प्रतिकूलता कारित किया है कि अपीलार्थी की संस्वीकृति पर बक्सा बरामद किया गया था।

9. इस मामले के तथ्यों में हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अपीलार्थी कम से कम संदेह के लाभ का हकदार है और दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

10. तद्नुसार, एस॰ टी॰ सं॰ 21 वर्ष 1990/30 वर्ष 1990 में विद्वान अपर द्वितीय न्यायिक आयुक्त, कैम्प कोर्ट, खूँटी द्वारा पारित दिनांक 4.5.1992 का दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया जाता है और आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी जमानत पर है और उसे उसके जमानत बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

11. परिणामस्वरुप, यह अपील अनुज्ञात की जाती है। अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त वापस भेजे जाएं।

---

ekuuh; vkuUn lu] U;k;efr

बाबू पिल्ले

cuke

झारखंड राज्य

Cr. M.P. No. 2559 of 2015. Decided on 21st November, 2016.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 451 एवं 482—डकैती के अपराध में अंतर्ग्रस्त वाहन की जब्ती–याची वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी होने का दावा करता है–वाहनों को पुलिस थाना में खुले स्थान पर रखा गया है–यदि वाहन को अनिश्चित अवधि के लिए खुले स्थान में रखा जाता है, इसकी दशा बिगड़ेगी और कालक्रम में यह कबाड़ बन जाएगा–विचारण न्यायालय को याची के पक्ष में प्रतिभूति बंधपत्र के विरुद्ध वाहन निर्मुक्त करने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 7 से 12)

निर्णयज विधि.–(2002)10 SCC 283—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s A.K. Kashyap, Anurag Kashyap, For the Petitioner; Mr. Shekhar Sinha, For the State.

आदेश

याची के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन आवेदन में याची ने जी॰ आर॰ केस सं॰ 25/2015 में एस॰ डी॰ जे॰ एम॰ पोराहाट, चाईबासा द्वारा पारित दिनांक 1.9.2015 के आदेश को चुनौती दिया है जिसके द्वारा एस॰ डी॰ जे॰ एम॰ ने रजिस्ट्रेशन सं॰ JH05 AT 3561 (एल॰ एम॰ वी॰ सं॰ जीप मॉडल XUV 500) वाले वाहन की निर्मुक्ति के लिए याची का आवेदन खारिज कर दिया है। आगे एस॰ डी॰ जे॰ एम॰ पोराहाट, चाईबासा द्वारा पारित दिनांक 1.9.2015 के आदेश को मान्य ठहराते हुए सत्र न्यायाधीश, चाईबासा द्वारा दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 30/2015 में पारित दिनांक 13.10.2015 के आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना की गयी है।

3. यह प्रतीत होता है कि उसमें यह अभिकथित करते हुए कि गोदाम/भंडार से तीन लाख रुपयों के मूल्य के लिए रेलवे सामग्री लूटी गयी थी, भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अधीन अपराध की कारिता के लिए प्राथमिकी चक्रधरपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 14/2014 (जी॰ आर॰ सं॰ 25/2015) दर्ज की गयी थी। उक्त मामले में याची को अभियुक्त में से एक बनाया गया था। यह अभिकथित किया गया है कि इंजन सं॰ HJC 4N 74875 वाले रजिस्ट्रेशन सं॰ JH-05 AT-3561 (एल॰ एम॰ वी॰ जीप मॉडल सं॰ XUV 500) वाले एक वाहन का उपयोग इस याची एवं उसके सहयोगियों द्वारा डकैती की कारिता में किया गया था।

4. उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी होने का दावा करते हुए याची ने अपने पक्ष में वाहन की निर्मुक्ति के लिए आवेदन दिया जिसे पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान जब्त किया गया था।

5. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि वाहन याची के नाम पर रजिस्टर्ड है और अब इसकी जब्ती के बाद यह पुलिस थाना में खुले स्थान में पड़ा है और इसकी दशा दिनों-दिन बिगड़ती जा रही है। वह आगे निवेदन करते हैं कि अनिश्चित अवधि के लिए वाहन निरुद्ध करने की जरूरत नहीं है और वह वाहन की निर्मुक्ति के लिए इस प्रकार अधिरोपित समस्त निबंधनों एवं शर्तों का पालन करने के लिए तैयार एवं इच्छुक है।

6. विद्वान अपर पी॰ पी॰ निवेदन करते हैं कि साक्ष्य के समय पर वाहन की आवश्यकता होगी क्योंकि यह तात्विक प्रदर्श है और यह बिल्कुल संभव है कि याची उक्त वाहन को बेच सकता है अथवा इसका स्वामित्व अंतरित कर सकता है।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सुन्दरभाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य, (2002)10 SCC 283,** में दिए गए निर्णय में कतिपय मार्गदर्शक सिद्धांत दिया है कि जब्त किए गए बहुमूल्य वस्तुओं, करेन्सी नोटों, वाहनों एवं अन्य सामग्रियों, जो दांडिक कार्यवाही के दौरान जब्ती का विषय वस्तु है, के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। जब्त वाहनों के संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संप्रेक्षित किया गया है कि लंबी अवधि के लिए ऐसे जब्त वाहनों को लौटाने के लिए समुचित बंधपत्र एवं गारंटी और प्रतिभूति लेकर तुरन्त समुचित आदेश पारित करना है, यदि समय के किसी बिंदु पर आवश्यकता है।

8. वर्तमान मामले में, प्रश्नगत वाहन चक्रधरपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 14/2014 (जी॰ आर॰ सं॰ 25/ 2015) के अनुसरण में जब्त किया गया है। याची वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी होने का दावा करता है। यह अविवादित है कि वाहन जब्ती के बाद पुलिस थाना में खुले स्थान में रखा गया है। यदि वाहन अनिश्चित अवधि के लिए खुले स्थान में रखा जाता है, निश्चय ही इसकी दशा बिगड़ेगी और कालक्रम में यह कबाड़ बन जाएगा।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **''सुंदरभाई अंबालाल देसाई''** के मामले में अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांत की दृष्टि में एस॰ डी॰ जे॰ एम॰, पोराहाट, चाईबासा द्वारा पारित दिनांक 1.9.2015 का आदेश और सत्र न्यायाधीश, चाईबासा द्वारा पारित दिनांक 13.10.2015 का आदेश एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है। विचारण न्यायालय को याची के पक्ष में प्रश्नगत वाहन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है:–

(I) voj U;k;ky; okgu d LokfeRo ,o fQVul çek.k i=] chek çek.k i=] vkfn tl vU; nLrkotk dk lR;kfir djxk vkj mDr nLrkotk dh çfr j[kxkA

(II) leLr dk.kk l okgu dk fp= fy;k tk,xk vkj bldh fuefDr d igy vfHky[k ij j[kk tk,xkA

(III) ;kph nkfMd ekey d fuiVku rd ç'uxr okgu dk ugh cpxk vFkok bldk LokfeRo vrfjr ugh djxkA

(IV) ;kph mDr okgu dk jx ,o jftLV'ku ucj Hkh ugh cnyxk vkj fopkj.k U;k;ky; dk tc ,o tl vko';drk gkxh] okgu i'k djxk vkj ml çHkko dh ?kk"k.kk fopkj.k U;k;ky; d le{k djxkA

10. इस आदेश की प्रति के साथ यह घोषणा आवश्यक शपथ पत्रों के साथ जिला परिवहन अधिकारी, चक्रधरपुर को अग्रसारित की जाएगी जिसके पास उक्त वाहन रजिस्टर्ड किया गया है ताकि वह अभिलेख रख सके ताकि वाहन अंतरित नहीं किया जा सके।

11. विचारण न्यायालय को प्रतिभूति बंधपत्र की राशि एवं अन्य शर्तों को नियत करने की छूट होगी किंतु वह बैंक गारंटी या नगद प्रतिभूति पर जोर नहीं देगा।

12. अवर न्यायालय को याची के विरुद्ध समुचित कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है यदि वह किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है।

13. पूर्वोक्त संप्रेक्षण एवं निर्देश के साथ यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

श्रीमती रुबी राय तिर्के उर्फ आर॰ तिर्के

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

W.P. (C) No. 3230 of 2009. Decided on 28th September, 2016.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 6 नियम 17 सहपठित धारा 151—अभिधान वाद के प्रार्थना अंश में संशोधन–आवेदन का अस्वीकरण–प्रतिकूल कब्जा के आधार पर याची द्वारा अनुतोष का दावा किया गया था–यदि प्रस्तावित संशोधन अनुज्ञात किया जाता है, यह निश्चय ही वाद का रूप रंग बदल देगा–जब एक बार पक्षों ने अपना-अपना साक्ष्य दे दिया और अपना मामला प्रकट किया है, सुनवाई के अंतिम चरण पर पक्षों को उनके द्वारा आरंभ में अभिवचनित मामले से भिन्न मामले का अभिवचन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 5 एवं 6)

अधिवक्तागण.–Mr. Rahul Gupta, For the Petitioner; Mr. Lalan Kumar Singh, For the Resp.-State.

आदेश

अभिधान वाद सं॰ 11 वर्ष 2006 के प्रार्थना अंश में संशोधन के लिए सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VI नियम 17 सहपठित धारा 151 के अधीन दाखिल दिनांक 19.1.2009 के आवेदन के अस्वीकरण से व्यथित होकर वादी-रिट याची (इसमें इसके बाद याची के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. अभिधान वाद सं॰ 11 वर्ष 2006 निम्नलिखित अनुतोष के प्रदान के लिए दाखिल किया गया था:–

(a) okn lEifÙk ij oknh d vfèkdkj] vfHkèkku ,o fgr dh ?kk"k.kk dju okyh fMØh d fy,A

*(b) ;g ?kkf"kr djr g, fd fnukd 10.8.1979 dk vfre :i l çdkf'kr ;g n'kkrh fd ^^ou foHkkx fcgkj ljdkj** d uke e [kkrk xyr g] vfèkdkj&vfHky[k e vulph Hkfe d lcèk e cnkcLrh çfof"V fMØh d fy,A*

(c) vulph Hkfe ij oknh d 'kkfri.k dCtk e fdlh Hkh rjhd l gLr{ki dju l vkj bldk tcju dCtk yu l çfrokfn;k dk vo#) dju oky LFkk;h 0;kn'k d fy,A

(d) okn d 0;; d fy,A

(e) fdlh vU; vurk"k d fy, ftldk oknh fofèk ,o lkE;k d vèkhu gdnkj ik;k tkrk gA

3. पक्षों द्वारा अपना साक्ष्य देने और तर्क के लिए वाद नियत किए जाने के बाद प्रार्थना (b) विलोपित करने और अभिधान वाद सं॰ 11 वर्ष 2006 में प्रार्थना (a) में ''कब्जा की संपुष्टि के लिए'' जोड़ने के लिए याची द्वारा दिनांक 19.1.2009 का आवेदन दाखिल किया गया था।

4. पूर्वोक्त वाद याची द्वारा वार्ड सं॰ 9 मानगो अधिसूचित क्षेत्र कमिटी, जमशेदपुर में उस पर खड़े मकान के साथ खाता सं॰ 907 के अधीन 0.30.60 हेक्टेयर तथा भूखंड सं॰ 2989 में और 0.00.40 हेक्टेयर क्षेत्र के भूखंड सं॰ 2988 में गठित भूमि पर अपने अधिकार, अभिधान एवं हित की घोषणा के लिए संस्थित किया गया था। याची ने दावा किया कि वह दिनांक 8.8.1956 से वाद संपत्ति पर वास्तविक रूप से काबिज है, जिसे उसकी माता स्वर्गीया मसीह धनी तिर्के द्वारा किसी लादूरा हो से दिनांक 8.8.1956 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के फलस्वरुप खरीदा गया था। वाद इस अभिकथन पर संस्थित किया गया था कि दिनांक 15.4.2005 को वन विभाग के स्टाफ ने याची को वाद संपत्ति से दिनांक 10.8.1979 को प्रकाशित अधिकार अभिलेख में गलत प्रविष्टि के आधार पर बेदखल करने का धमकी दिया था।

5. दिनांक 19.1.2009 के आवेदन का परिशीलन प्रकट करता है कि याची ने यह अभिवचन करते हुए पूर्वोक्त संशोधन इप्सित किया कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर याची द्वारा अनुतोष का दावा किया गया था जबकि, जैसा उपर ध्यान में लिया गया है, वाद पत्र परिवर्णन प्रकट करता है कि याची ने लादूरा हो द्वारा उसकी माता के नाम में अभिकथित रूप से निष्पादित दिनांक 8.8.1956 के विक्रय विलेख के फलस्वरुप वाद भूमि पर दावा किया था और साथ-साथ उसने प्रतिकूल कब्जा द्वारा भी अभिधान का दावा किया। प्रतिवादियों ने आपत्ति किया कि अधिकार अभिलेख जिसे दिनांक 10.8.1979 को प्रकाशित किया गया था में प्रविष्टि को चुनौती देते वाद की दाखिली के लिए परिसीमा की कठोरता से बचने के लिए, जिसके लिए परिसीमा अवधि 12 वर्ष है, याची ने प्रार्थना (b) का विलोपन इप्सित किया है। प्रतिवादियों द्वारा की गयी एक अन्य आपत्ति यह थी कि उक्त लादूरा हो को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना वाद संपत्ति अंतरित करने का अधिकार नहीं था। स्पष्टत:, यदि प्रार्थना (b), जिसके अधीन याची ने घोषणा इप्सित किया है कि संपत्ति को ''वन विभाग बिहार सरकार'' के रूप में दर्शाने वाले वाद अनुसूची संपत्ति के संबंध में बंदोबस्ती प्रविष्टि न्याय निर्णयन के लिए बनी रहती है, याची द्वारा लिया गया प्रतिकूल कब्जा का अभिवचन गायब हो जाएगा। नि:संदेह वाद संपत्ति पर याची के अधिकार, अभिधान एवं हित के लिए वाद बना रहेगा किंतु, यदि प्रस्तावित संशोधन अनुज्ञात किया जाता है, यह निश्चय ही वाद का रुपरंग बदल देगा। जब एक बार पक्षों ने अपना-अपना साक्ष्य दे दिया और अपना मामला प्रकट किया, अंतिम सुनवाई के चरण पर पक्षों को उनके द्वारा आरंभ में अभिवचनित मामले से भिन्न मामले का अभिवचन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

6. पूर्वोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, मैं दिनांक 19.1.2009 के आक्षेपित आदेश में दुर्बलता नहीं पाता हूँ जिसके द्वारा संशोधन के लिए आवेदन खारिज किया गया था।

7. परिणामस्वरुप, वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है।

8. फैक्स के माध्यम से आदेश की प्रति विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाए।

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

मनोज कुमार गुप्ता

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

W.P. (C) No. 3705 of 2015. Decided on 9th November, 2016.

सेवा विधि–नियुक्ति–कट-ऑफ-अंक–संपूर्ण प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद कट-ऑफ-अंक एकपक्षीय रूप से दिया जाना यथा विज्ञापित पात्रता मापदंड के निबंधनों एवं शर्तों के तुल्य होगा–कट-ऑफ-अंक का एकपक्षीय नियतकरण बिल्कुल अवैध, मनमाना एवं संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी है और विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है–चूँकि विज्ञापन में कट-ऑफ-अंक विहित नहीं किया गया था, जेट, परीक्षा 2006, में अर्हक उम्मीदवारों का कट-ऑफ-अंक रिक्ति अवस्था एवं जेट परीक्षा में उम्मीदवारों के समग्र प्रदर्शन को विचार में लेते हुए नियत किया जाना था। (पैराएँ 18 से 22)

अधिवक्तागण.–Mr. Sumeet Gadodia, For the Petitioner; Mr. Baleshwar Yadav, For the State; M/s Anil Kumar Sinha, Sanjay Piperwall, Devgam, For the J.P.S.C.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी झारखंड लोक सेवा आयोग (इसमें इसके बाद 'जे॰ पी॰ एस॰ सी॰' के रूप में निर्दिष्ट) के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. झारखंड राज्य में विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्याख्याता के पद के लिए पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवेदनों को आमंत्रित करते हुए दिनांक 19.7.2006 का विज्ञापन सं॰ 01-जे॰ ई॰ टी॰ जारी किया गया था। याची उक्त पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुआ, किंतु उसे परीक्षा में सफल घोषित नहीं किया गया था और जब याची ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन सूचना इप्सित किया, उसे प्रत्यर्थी जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ द्वारा रिट आवेदन के परिशिष्ट-2 में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 25.6.2007 के पत्र के तहत सूचित किया गया था कि याची ने तीन पेपरों में औसत अंक का 52% पाया था और यू॰ जी॰ सी॰ मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार सामान्य एवं ओ॰ बी॰ सी॰ उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ-तिथि 60% नियत की गयी थी। याची के ओ॰ बी॰ सी॰ उम्मीदवार होने के नाते इस तथ्य के कारण सफल घोषित नहीं किया गया था कि उसने यू॰ जी॰ सी॰ द्वारा नियत न्यूनतम ऑफ अंक प्राप्त किया था।

3. यह कथन किया जा सकता है कि इस बीच समस्थित एक अन्य उम्मीदवार ने इस न्यायालय में **डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5095 वर्ष 2007 (अमरदीप बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य)** दाखिल किया था जिसकी उम्मीदवारी भी इस तथ्य के कारण अस्वीकार कर दी गयी थी कि उसने जे॰ ई॰ टी॰ परीक्षा में तीन पेपरों में कट-ऑफ-अंक के 60% से कम पाया था। माननीय एकल न्यायाधीश ने दिनांक 5.3.2009 के आदेश के तहत रिट आवेदन निम्नलिखित निबंधनों में अनुज्ञात किया था:–

"10. oreku ekey e] iuy e lfEefyr fd, tku rFkk ik= cuu ,o vgrk d fy, U;ure vd ft l mEehnokj dk fyf[kr fo"k;k e çkIr dju dh vko';drk Fkh] dy e 50% FkhA l i.k çfØ;k ijk fd, tku d ckn dy d 60% dk i'pkrorh

fofgrdj.k fu'p; gh ik=rk ekinM d fucèkuk ,o 'krk t lk foKkfir fd;k x;k Fkk d fu'p; gh l'kkèku d rY; gkxkA çfr'kiFk i= e u rk dkb dkj.k fn;k x;k g vkj u gh çdFku fd;k x;k g fd fdu ifjfLFkfr;k d vèkhu ekinMk e ifjoru ij% LFkkfir fd;k x;k FkkA

11. ckj&ckj ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k g fd ekinM t lk ik=rk d fy, foKfir fd;k x;k g p;u çfØ;k ijh gku d ckn cny ugh tk ldr g vkj ;g Li"Vr% voèk] eue kuk ,o Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 14 d mYy?ku e gA blij dkb fookn ugh g fd ;kph iokDr ijh{kk e mifLFkr gvk vkj ;Fk foKkfir U;ure vgd vd dh ryuk l dkQh vfèkd vd çkIr@ljf{kr fd;k fdr vHkh Hkh foKkiu d erkfcd fucèkuk ,o 'krk dh of) ,o ifjoru dh nf"V e vlQy ?kkf"kr fd;k x;k FkkA

*12. ekey d iokDr rF;k ,o ifjfLFkfr;k ij fopkj djr g,] ;g fjV ;kfpdk vuKkr dh tkrh g vkj çR;fFk;k dk ;kph d ekey ij fopkj dju vkj mldk fnukd 19.7.2006 dk ;Fk foKkfir fofgr U;ure vgd vdk d vu#i çkè;kid 2006 d fy, t0 ih0 ,l0 lh0 ,o tV }kjk lpkfyr ijh{kk d fy, ml lQy mEehnokj d :i e ?kkf"kr dju dk fun'k fn;k tkrk gA***

4. उक्त आदेश के विरुद्ध, जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ ने एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 212 वर्ष 2009 दाखिल किया, जिसे पुन: इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा रिट आवेदन के परिशिष्ट–4 में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 8.3.2010 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। तत्पश्चात, जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ ने एल॰ पी॰ ए॰ में निर्णय के विरुद्ध भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील सं॰ 10079 वर्ष 2011 दाखिल किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उक्त सिविल अपील सं॰ 10079 वर्ष 2011 में याची ने भी मध्यक्षेप किया। किंतु, इस बीच अमरदीप जो डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5095 वर्ष 2007 में याची था, की मृत्यु हो गयी और तद्नुसार, अपीलार्थी जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ द्वारा उल्लेख किया गया था कि चूँकि उक्त प्रत्यर्थी जिसने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल किया था की मृत्यु हो गयी थी, सिविल अपील निष्फल हो गयी थी। जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ का उक्त प्रतिवाद भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था और भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12 मार्च, 2015 के आदेश द्वारा सिविल अपील सं॰ 10079 वर्ष 2011 निष्फल हो जाने पर खारिज कर दी गयी थी। किंतु, याची को समुचित विधिक उपचार आरंभ करने की स्वतंत्रता दी गयी थी, यदि उसे ऐसी सलाह दी जाती है। सिविल अपील सं॰ 10079 वर्ष 2011 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12 मार्च, 2015 का आदेश रिट आवेदन के परिशिष्ट–7 के रूप में अभिलेख पर लाया गया है।

5. यद्यपि याची के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद यह है कि याची का मामला एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 212 वर्ष 2009 में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय से पूर्णत: आच्छादित है, किंतु वर्तमान मामले में दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी प्रतिवादों पर विचार करते हुए हम डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5095 वर्ष 2007 एवं एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 212 वर्ष 2009 में पारित इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों से स्वतंत्रतापूर्वक भी इस मामले को न्याय निर्णीत कर रहे हैं।

6. इस रिट आवेदन में अंतर्ग्रस्त विवाद्यक जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में यथा उल्लिखित जेट परीक्षा की योजना पर आधारित है जैसा रिट आवेदन के परिशिष्ट–1 में अंतर्विष्ट है, जिसमें यह कथन किया गया था कि परीक्षा तीन विषयों से गठित होनी थी और समस्त तीनों विषयों की परीक्षा उसी दिन दो पृथक सत्रों में ली जानी थी जैसा विज्ञापन में उल्लिखित किया गया था। आगे यह कथन किया गया था कि उम्मीदवार जो पेपर–I में उपस्थित नहीं हुए थे को पेपर II एवं पेपर III में उपस्थित

होने की अनुमति नहीं दी जानी थी। पेपर III का मूल्यांकन केवल उन उम्मीदवारों के लिए किया जाना था जो विज्ञापन में दी गयी तालिका के मुताबिक पेपर I एवं पेपर II में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने में सक्षम हुए थे जिसमें सामान्य/ओ॰ बी॰ सी॰ उम्मीदवारों के लिए यह विहित किया गया था वे अपने पेपर III के मूल्यांकन के लिए पेपर I तथा पेपर II में कम से कम 50% अंक सुरक्षित करेंगे।

7. रिट आवेदन के परिशिष्ट-2 में यथा अंतर्विष्ट सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन याची को आपूर्त की गयी सूचना में स्वीकृत अवस्था यह है कि पेपर I एवं पेपर II में याची ने प्रत्येक पेपर के 100 अंक में से क्रमशः 60 एवं 72 अंक पाया था और तद्नुसार वह अपने पेपर III की परीक्षा के लिए पात्र था जिसमें उसने 200 अंक में से 77 अंक पाया था। याची ने समस्त तीनों संयुक्त पेपरों में कुल औसत अंक के रूप में 52% पाया था और तद्नुसार उसकी उम्मीदवारी अस्वीकार की गयी थी क्योंकि वह यू॰ जी॰ सी॰ के मार्गदर्शक सिद्धांतों के मुताबिक समस्त तीनों पेपरों में 60% अंक सुरक्षित करने में विफल रहा था।

8. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि समस्त तीनों पेपरों में कट-ऑफ अंक के रूप में 60% नियत करने वाले यू॰ जी॰ सी॰ के इस मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख विज्ञापन में बिल्कुल नहीं किया गया था और न ही परीक्षा लेने के पहले प्रकाशित किसी नोटिस अथवा संसूचना के माध्यम से उम्मीदवारों के लिए इसे सार्वजनिक किया गया था। यह निवेदन किया गया था कि केवल परीक्षा लेने के बाद यह मार्गदर्शक सिद्धांत उम्मीदवारों के पीठ पीछे नियत की गयी थी और यह बिल्कुल अवैध एवं मनमाना है और विचार में नहीं लिया जा सकता था। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5095 वर्ष 2007 में इस तथ्य पर विचार किया गया था और विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर आए कि न्यूनतम अर्हता के संबंध में मापदंड चयन प्रक्रिया पूरा होने के बाद एकपक्षीय रूप से बदले गए थे जिसकी जानकारी उम्मीदवारों को नहीं थी और न ही उन्हें संसूचित किया गया था। प्रतिशपथ पत्र में कोई कारण नहीं दिया गया था और न ही प्रतिशपथ पत्र में इसके बारे में कोई प्रकथन किया गया था कि किन परिस्थितियों में मापदण्ड में परिवर्तन अंतःस्थापित किया गया था और तद्नुसार, रिट आवेदन अनुज्ञात किया गया था और उस रिट आवेदन में याची के मामले पर विचार करने का निर्देश जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ को दिया गया था और उसे जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ द्वारा संचालित परीक्षा के लिए सफल उम्मीदवार के रूप में घोषित करने का निर्देश दिया गया था। उक्त निर्णय एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 212 वर्ष 2009 में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा भी मान्य ठहराया गया था।

9. इस पृष्ठभूमि में याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा पहले विनिश्चित डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5095 वर्ष 2007 एवं एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 212 वर्ष 2009 में पारित आदेशों के निबंधनानुसार यह रिट आवेदन निपटाया जा सकता है।

10. समानांतर स्तंभ में, जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि पूर्वोक्त रिट आवेदन में, यह न्यायालय इस सांविधिक आवश्यकता को विचार में लेने में विफल रहा कि जे॰ ई॰ टी॰ परीक्षा यू॰ जी॰ सी॰ के मार्गदर्शक सिद्धांतों के मुताबिक कठोरतापूर्वक जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ द्वारा संचालित की जानी थी। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा 57 की ओर आकृष्ट किया है जिसका पठन निम्नलिखित है:-

> *"57. **f'k{kdk ,o vfèkdkfj;k dh fu;fDr-**&(1) bl vfèkfu;e ,o lfofèk;k d çkoèkkuk d vè;èkhu fo'ofo|ky; ,o egkfo|ky;k (?kVd ,o lc) nkuk) d (dyifr] çk0 dyifr] çkDVj] Mhu&Nk= dY;k.k] leUo;d] egkfo|ky; fodkl ifj"kn rFkk ldk;kè;{k l fHkUu) f'k{kdk ,o vfèkdkfj;k dh fu;fDr ,o çkUufr >kj[kM ykd lok vk;kx dh vu'klk ij dh tk,xhA*

2 (a) >kj[kM ykd lok vk;kx fo'ofo|ky;@?kVd egkfo|ky;k@lc) egkfo|ky;k e yDpjjk dh fu;fDr d fy, çR;d o"k vgd ijh{kk yxk ft l fcgkj ik=rk ijh{kk d uke l tkuk tk,xkA bl ç;ktu l] ;g doy , l mEehnokjk ftUgku fofgr vgrk ifji.k fd;k g tlk bl lcèk e fojfpr lofèk e vfèkdfFkr fd;k x;k g] l fo"k;okj vkonu vkef=r djxkA

fdr] ,l ijh{kk fo'ofo|ky; vunku vk;kx }kjk bl lcèk e tkjh fdl h fun'k vFkok fojfpr fofu;e dk è;ku e j[kdj lpkfyr dh tk,xhA *(tkj fn;k x;k)*

11. इस प्रावधान कि ऐसी परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी निर्देश अथवा विरचित किसी विनियमन को ध्यान में रखकर संचालित की जानी थी, पर जोर देते हुए विद्वान वरीय अधिवक्ता ने हमारा ध्यान पुनः रिट आवेदन के परिशिष्ट 2 की ओर आकृष्ट किया है जो सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन याची को आपूर्त की गयी सूचना है। उक्त परिशिष्ट से यह इंगित किया गया है कि जे॰ ई॰ टी॰ परीक्षा यू॰ जी॰ सी॰ के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन ली गयी थी और मॉडरेशन एवं स्टीयरिंग कमिटी में यू॰ जी॰ सी॰ के दो सदस्य भी उपस्थित थे और उनकी उपस्थिति में बॉटनी एवं जूलॉजी विषय के लिए न्यूनतम कट-ऑफ-अंक विनिश्चित किए गए थे और जूलॉजी में सामान्य/ओ॰ बी॰ सी॰ कोटि से आने वाले उम्मीदवारों के लिए 60% कट-ऑफ-अंक विहित किए गए थे, एस॰ सी॰ एवं एस॰ टी॰ कोटि से आने वाले उम्मीदवारों के लिए 50% कट-ऑफ अंक विहित किए गए थे और शारीरिक तथा चाक्षुक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए 45% कट-ऑफ अंक विहित किए गए थे।

12. तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि ये कट-ऑफ-अंक यू॰ जी॰ सी॰ के मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर विहित किए गए थे और चूँकि याची ने 60% न्यूनतम अर्हक अंक सुरक्षित नहीं किया था, उसे सफल घोषित नहीं किया गया था।

13. इस स्थान पर यह इंगित किया जा सकता है कि जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ द्वारा एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 212 वर्ष 2009 में यह अभिवचन किया गया था और तर्क के क्रम में निवेदन किया गया था कि यू॰ जी॰ सी॰ के दो पदेन सदस्यों ने बैठक में भाग लिया था जिसमें कट-ऑफ अंक विनिश्चित किया गया था। इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने दृष्टिकोण लिया कि यू॰ जी॰ सी॰ के पदेन सदस्यों को रखना मॉडरेशन कमिटी के निर्णय को यू॰ जी॰ सी॰ का निर्णय नहीं बनाता है और तद्नुसार लेटर्स पेटेन्ट अपील खारिज कर दिया।

14. जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने जोरदार तर्क किया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने गलत रूप से 50% अंक कट-ऑफ-अंक के रूप में लिया है जिसे उम्मीदवार को अपने पेपर III के मूल्यांकन के लिए हकदार बनाते हुए पेपर I एवं पेपर II में प्राप्त करने की आवश्यकता थी और गलत रूप से अभिनिर्धारित किया है कि इसे बाद में एक पक्षीय रूप से 60% में बदला गया था। यह निवेदन किया गया है कि 50% अंक केवल पेपर I एवं पेपर II में अर्हक अंक के रूप में विहित किया गया था, ताकि उम्मीदवार को उसके पेपर III के मूल्यांकन के लिए पात्र बनाया जा सके और इसे जे॰ ई॰ टी॰ परीक्षा में कट-ऑफ-अंक के रूप में विहित कभी नहीं गया था। जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ के विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन भी किया गया था कि मॉडरेशन एवं स्टीयरिंग कमिटी, जिसमें यू॰ जी॰ सी॰ के दो पदेन सदस्य भी उपस्थित थे, की बैठक के दौरान, रिक्त पदों की दृष्टि में यह विनिश्चित किया गया था कि कट-ऑफ-अंक सामान्य एवं ओ॰ बी॰ सी॰ कोटियों से आने वाले उम्मीदवारों के लिए 60% एस॰ सी॰ एवं एस॰ टी॰ कोटियों से आने वाले उम्मीदवारों के लिए 50% और शारीरिक तथा चाक्षुक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए 45% होगा। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विज्ञापन में

कट–ऑफ–अंक विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उन्हें रिक्त पदों के आधार पर नियत किया जाना था। तद्नुसार, जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस न्यायालय ने डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5095 वर्ष 2007 एवं एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 212 वर्ष 2009 विनिश्चित करते हुए 50% अंक, जिसे उम्मीदवार को अपने पेपर III के मूल्यांकन के लिए हकदार बनाने के लिए पेपर I एवं पेपर II में प्राप्त किए जाने की आवश्यकता थी, को कट–ऑफ अंक के रूप में लेने में स्वयं को अपनिदेशित किया और गलत निष्कर्ष पर आया। जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ एल॰ पी॰ ए॰ में पारित आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय गया जिसे एस॰ एल॰ ए॰ (सिविल) सं॰ 22293 वर्ष 2010 में पारित दिनांक 18.11.2011 के आदेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया था, जैसा रिट आवेदन के परिशिष्ट–6 में अंतर्विष्ट है, किंतु सिविल अपील उक्त रिट आवेदन में याची की मृत्यु के कारण निष्फल बन गया। तद्नुसार, विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस रिट आवेदन में गुणागुण नहीं है।

15. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर, हम पाते हैं कि जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ के विद्वान वरीय अधिवक्ता का निवेदन परिशिष्ट–2 जो याची को सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन दी गयी सूचना थी से अथवा वर्तमान रिट आवेदन में जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ की ओर से दाखिल प्रतिशपथ पत्र से समर्थन नहीं पाता है। परिशिष्ट 2 में कहीं नहीं यह कथन किया गया है कि कट–ऑफ अंक रिक्त पदों के आधार पर विनिश्चित किया गया था और न ही जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ द्वारा दाखिल प्रति शपथ पत्र में ऐसा कथन किया गया है। बल्कि, परिशिष्ट–2 स्पष्टत: दर्शाता है कि जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ के मॉडरेशन एवं स्टीयरिंग कमिटी की बैठक यू॰ जी॰ सी॰ के मार्गदर्शक सिद्धांतों की दृष्टि में की गयी थी जिसमें यू॰ जी॰ सी॰ के दो सदस्य भी उपस्थित थे और उक्त बैठक में कट–ऑफ अंक विनिश्चित किया गया था।

16. जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र में भी निम्नलिखित कथन किया गया है:–

*^^16. fd ;g dFku fd;k tkrk g fd ijh{kk lpkfyr dju d ckn ,o iijk d eY;kdu d ckn fnukd 12.1.2007 dk ekMj'ku dfeVh dh cBd dh x;h Fkh ftle fo'ofo|ky; vunku vk;kx (l{ki e ;0 th0 lh0) d nk (2) çfrufèk vFkkr xycx fo'ofo|ky; d l;Dr lfpo Jh ,u0 ch0 Ñ".kkLokeh vkj Hkrio dyifr] Mk0 (Jherh) oh0 efu;Eek] mifLFkr Fk vkj mDr cBd e tV ijh{kk dk U;ure vgd vd ,o ifj.kke d çdk'ku dk <x fofuf'pr fd;k x;k FkkA***

17. इस प्रकार, जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ द्वारा परिशिष्ट–2 में यथा अंतर्विष्ट याची को उपलब्ध करायी गयी सूचना में अथवा जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ द्वारा दाखिल प्रति शपथ पत्र में जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ के विद्वान वरीय अधिवक्ता का निवेदन कि रिक्त पदों के आधार पर कट–ऑफ अंक विनिश्चित किया गया था, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अन्यथा भी, कट–ऑफ अंक के प्रतिशत के नियतकरण का परिशीलन मात्र जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ के विद्वान वरीय अधिवक्ता के प्रतिवाद का समर्थन नहीं करता है क्योंकि कट–ऑफ अंक केवल पूर्ण संख्याओं जैसे सामान्य एवं ओ॰ बी॰ सी॰ उम्मीदवारों के लिए 60%, एस॰ सी॰ एवं एस॰ टी॰ उम्मीदवारों के लिए 50% और शारीरिक तथा चाक्षुक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए 45% नियत किया गया है। यदि इन कट–ऑफ अंकों को रिक्त पदों और जेट परीक्षा में उम्मीदवारों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर नियत किया जाता, पूरी संभावना थी कि ये अंक 60%, 50%, 45% की पूर्ण संख्याओं में नहीं होते बल्कि कट–ऑफ अंक कुछ दशमलव अंक के साथ आया होता।

18. इस निष्कर्ष पर आने पर कि जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ द्वारा पेपरों की परीक्षा एवं मूल्यांकन के बाद मॉडरेशन एवं स्टीयरिंग कमिटी की इसकी बैठक में कट–ऑफ अंक नियत किया गया था जैसा कथन उपर उद्धृत प्रतिशपथ पत्र में किया गया है, जो जेट परीक्षा में रिक्त पदों एवं उम्मीदवारों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर नहीं था, हमारा सुविचारित मत है कि इन कट–ऑफ अंकों का एक पक्षीय नियतकरण बिल्कुल अवैध, मनमाना एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी है और विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

19. यद्यपि हम जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ के विद्वान वरीय अधिवक्ता के निवेदन में बल पाते हैं कि पेपर I एवं पेपर II में अर्हक अंक केवल पेपर III के मूल्यांकन के लिए विहित किए गए थे, और न कि जेट परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवार द्वारा सुरक्षित किए जाने के लिए आवश्यक कट–ऑफ अंक के रूप में, फिर भी हम डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5095 वर्ष 2007 में माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के साथ पूर्णत: सहमत हैं कि संपूर्ण प्रक्रिया पूरी करने के बाद कट–ऑफ अंक का एकपक्षीय विहितकरण निश्चय ही यथा विज्ञापित पात्रता मापदंड के निबंधनों एवं शर्तों के संशोधन के तुल्य होगा। हम एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 212 वर्ष 2009 में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ के संप्रेक्षण के पूर्ण समर्थन में हैं कि मॉडरेशन एवं स्टीयरिंग कमिटी की बैठक में यू॰ जी॰ सी॰ के पदेन सदस्यों को रखा जाना मॉडरेशन कमिटी के निर्णय को यू॰ जी॰ सी॰ का निर्णय नहीं बनाता है। हम पाते हैं कि यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं लाया गया है कि सामान्य एवं ओ॰ बी॰ सी॰ उम्मीदवारों के लिए 60% एस॰ सी॰ एवं एस॰ टी॰ उम्मीदवारों के लिए 50% तथा शारीरिक एवं चाक्षुक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए 45% कट–ऑफ अंक यू॰ जी॰ सी॰ द्वारा विहित किए गए थे। यदि यू॰ जी॰ सी॰ द्वारा ऐसा विहित किया गया होता, इसे स्वयं विज्ञापन में उल्लिखित किए जाने की आवश्यकता थी।

20. पूर्वोल्लिखित चर्चा की दृष्टि में, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि याची अथवा किसी उम्मीदवार को जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ द्वारा जेट परीक्षा में केवल इस आधार पर अनर्हित नहीं किया जा सकता था कि उक्त उम्मीदवार ने कट–ऑफ अंक नहीं पाया था जैसा परिशिष्ट 2 में उपदर्शित किया गया है।

21. तद्नुसार, हम पाते हैं कि चूँकि विज्ञापन में कट–ऑफ–अंक विहित नहीं किया गया था, जे॰ ई॰ टी॰ परीक्षा 2006 में उम्मीदवारों को अर्हित करने के लिए कट–ऑफ अंक जेट परीक्षा में उम्मीदवारों के समग्र प्रदर्शन एवं रिक्त पदों को विचार में लेते हुए नियत किया जाना था। यदि याची अथवा कोई अन्य उम्मीदवार अपने प्रदर्शन तथा रिक्त पदों के आधार पर विचार किए जाने वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है, हम जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ को लेक्चरर के पद पर पात्रता के लिए उसके मामले पर विचार करने का निर्देश देते हैं।

22. हम अभिलेख से पाते हैं कि याची वर्ष 2009 से ही अपने अधिकार के लिए वाद कर रहा है। यदि याची अपने प्रदर्शन एवं रिक्त पद के आधार पर विचार क्षेत्र के अंतर्गत आता है और लेक्चरर के पद पर नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से चयनित किया जाता है और यदि ऐसी नियुक्ति के लिए आयु वर्जना है, याची को उस अवधि जो उसने सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में बिताया है के लिए आयु शिथिलीकरण का लाभ दिया जाएगा।

23. तद्नुसार, यह रिट आवेदन पूर्वोक्त निर्देशों के साथ अनुज्ञात किया जाता है।

ekuuh; Jh pUn'k[kj ,o jkt'k 'kdj] U;k;efrx.k

अजय चौबे

cuke

रेखा देवी

First Appeal No. 26 of 2010. Decided on 15th December, 2016.

वैवाहिक केस सं॰ 14 वर्ष 2007 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, पलामू, डालटेनगंज द्वारा पारित दिनांक 11.1.2010 के निर्णय तथा डिक्री (डिक्री पर 28.1.2010 को मुहर लगाया गया तथा हस्ताक्षर किया गया) के विरूद्ध।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955—धारा 25—स्थायी निर्वाहिका का प्रदान किया जाना—कुटुम्ब न्यायालय को किसी भी पक्षकार को कोई डिक्री पारित करते समय स्थायी निर्वाहिका प्रदान करने की अधिकारिता एवं शक्ति है—विधि में न्यायालय को पत्नी के पक्ष में स्थायी निर्वाहिका का आदेश करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर वह तलाक के लिए वाद का प्रतिवाद करने में असफल भी रहती है—तलाक की डिक्री को सामने लाते हुए पत्नी की ओर से हुई अभिकथित क्रूरता या अधित्याग उसे निर्वाहिका से वंचित करने के लिए अकेले ही एक सुसंगत मापदण्ड नहीं होगा। (पैरा 10)

निर्णयज विधि.—(1993)3 SCC 406; (2005)2 SCC 33; AIR 2014 (Jhr.) 78—Relied.

अधिवक्तागण.—Mr. Pankaj Kumar Dubey, For the Appellant; Mr. Ajay Kumar Pathak, For the Respondent.

राजेश शंकर, न्यायमूर्ति.—वर्तमान अपील प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, पलामू, डालटेनगंज द्वारा वैवाहिक केस सं॰ 14 वर्ष 2007 में पारित दिनांक 11 जनवरी, 2010 के निर्णय तथा डिक्री (डिक्री 28.1.2010 को सील की गई तथा हस्ताक्षरित) के विरुद्ध निर्दिष्ट है, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (ib) के अधीन अपीलार्थी द्वारा दाखिल याचिका डिक्री कर दी गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के पक्ष में देय 1,50,000/- रु॰ (एक लाख पचास हजार) की स्थायी निर्वाहिका के साथ।

2. अपीलार्थी पति है, जिसने तलाक की डिक्री की ईप्सा करते हुए वर्तमान प्रत्यर्थी (इसमें विपक्षी) के विरुद्ध हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (ib) के अधीन एक याचिका दाखिल किया था।

3. वर्तमान अपील दिनांक 11.1.2010 के आक्षेपित निर्णय तथा डिक्री के उस भाग तक सीमित है, जिसके द्वारा विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, पलामू ने हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (ib) के अधीन अपीलार्थी को तलाक की डिक्री प्रदान करते हुए अपीलार्थी को वर्तमान प्रत्यर्थी को 1,50,000/- रु॰ (एक लाख पचास हजार रुपए) की स्थायी निर्वाहिका का भी भुगतान करने का निर्देश दिया है।

4. मामले का तथ्यगत ताना-बाना यह है कि हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार विष्णु मंदिर, डालटेनगंज, जिला पलामू में वर्तमान अपीलार्थी का 18.6.1999 को प्रत्यर्थी के साथ विवाह हुआ था तथा इसके उपरान्त वे दोनों 2004 तक साथ रहे थे। बाद में, दोनों के बीच सम्बन्ध तनावपूर्ण हो गए थे तथा याची के अनुसार प्रत्यर्थी अगस्त, 2004 में किसी समय एक बार अपना वैवाहिक गृह छोड़ देने के उपरान्त अपने माता-पिता के घर से वापस नहीं आई थी। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी तथा उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध एक दाण्डिक मामला-परिवाद केस सं॰ 462 वर्ष 2000 भी दाखिल किया था तथा उक्त मामला बाद में पक्षकारों के बीच समझौता हो गया था, एवं तद्नुसार निस्तारित कर दिया गया था।

5. पक्षकारों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध अभिकथन तथा जवाबी अभिकथन किए गए हैं तथापि, दोनों पक्षों से उद्भूत होने वाला स्वीकृत तथ्य यह है कि उनके विवाह बंधन से शम्भू चौबे नामक एक पुत्र तथा अंजली कुमारी नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी जो याची द्वारा वैवाहिक केस दाखिल किए जाने के समय गढ़वा जिले में झूरा गाँव में प्रत्यर्थी के साथ रह रहे थे।

6. वैवाहिक केस में, यद्यपि प्रत्यर्थी ने प्रारम्भ में अपीलार्थी द्वारा उठाए गए तर्कों से इनकार करते हुए लिखित कथन दाखिल किया था, परन्तु बाद में उस मामले में पैरवी करने से रोक दिया था, तथा इस प्रकार मामला एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ा था एवं विद्वान अवर न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया था। अ॰ सा॰ 1 (स्वयं अपीलार्थी) तथा अ॰ सा॰ 2 (अपीलार्थी के पिता) के अखण्डित साक्ष्यों पर भरोसा करते हुए विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित किया गया था।

7. तद्नुसार, वैवाहिक मामला अपीलार्थी के पक्ष में निर्णीत किया गया था एवं विद्वान अवर न्यायालय ने अपीलार्थी के पक्ष में हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (ib) के अधीन तलाक की डिक्री प्रदान की थी। तथापि, विद्वान अवर न्यायालय ने अपीलार्थी को 1,50,000/- रु॰ की स्थायी निर्वाहिका का प्रत्यर्थी को भुगतान करने का निर्देश दिया था।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विद्वान अवर न्यायालय ने प्रत्यर्थी के पक्ष में स्थायी निर्वाहिका प्रदान करके गंभीर त्रुटि कारित किया है इस तथ्य की उपेक्षा करते हुए कि प्रत्यर्थी की ओर से हुए अभित्याग के आधार पर अपीलार्थी के पक्ष में तलाक की डिक्री प्रदान की गई थी। विद्वान अधिवक्ता यह भी निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी को स्थायी निर्वाहिका का प्रदान किया जाना अवांछित भी था क्योंकि उसने स्थायी निर्वाहिका की ईप्सा करते हुए हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 के अधीन कोई आवेदन दाखिल नहीं किया था।

9. पूर्वोक्त निवेदन पर विचार करने के लिए, **(1993)3 SCC 406** में रिपोर्ट किए गए **चांद धवन (एस॰ एम॰ टी॰) बनाम जवाहरलाल धवन** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए सम्परीक्षण को निर्दिष्ट करना उपयुक्त होगा, जिसका सुसंगत अंश निम्नवत पठित है:–

> *"23. .....nljh vkj] bld foijhr fgUn fookg vfèkfu;e d vèkhu okn d yfcr jgr fuokfgdk d fy, mld nkok fgUn fookg vfèkfu;e dh èkkjkvk 9 l 14 d vèkhu vfHkdfYir çdkj d fdlh edne d yfcr jgu dh vofèk ij fuHkj gkrk g (sic) LFkk;h Hkj.k&ik"k.k ;k fuokfgdk dk mld nkok bl mièkkj.kk ij vkèkkfjr g fd ;k rk nkEiR; vfèkdkjk d çR;kLFkiu d fy, ;k mld i{k e ;k mld fo#) U;kf;d iFkDdj.k d fy, fMØh ikfjr gku l mldk ookfgd ntk nckoxLr ;k çHkkfor gvk g] ;k mldh lgefr l ;k bld fcuk 'kU;rk ;k rykd dh fMØh }kjk mld fookg Hkx gk pdk gA bl çdkj] tc mld ookfgd nt dk çHkkfor ;k vo#) fd;k tkuk g] U;k;ky; mld fy, ;k mld fo#) fMØh ikfjr djd , lk djrk gA bl ?kVukØe d gku ij ;k gku d le;] U;k;ky; ekey ij fopkj djr le; LFkk;h fuokfgdk çnku dju d fy, viuh vku"kfxd ;k vkdfLed 'kfDr dk voyEc yrk g----------***

(2005)2 SCC 33 में रिपोर्ट किए गए **रमेशचन्द्र रामप्रतापजी बनाम रामेश्वरी रमेशचन्द्र डागा** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 के प्रावधान का निर्वचन करते हुए निम्नवत निर्णीत किया है:–

*"18. oreku ekey e] ifr dh ;kfpdk ij nlj fookg dk 'kU; ,o ukfLr ?kkf"kr djr g, ,d fMØh çnku dh xb gA fo}ku vfèkoDrk u rd fn;k g fd tgk fookg dk 'kU; ,o ukfLr ik;k tkrk g] vFkkr fofèk dh nf"V e vfLrRoghu ;k fujFkd ik;k tkrk g] oreku çR;Fkh LFkk;h fuokfgdk ;k Hkj.k&ik"k.k çnku fd, tku d fy, iRuh d :i e dkb nkok ugh j[k ldrh gA geu gekj le{k m)r mPp U;k;ky; d ijLij fojkèkh fu.k;k d vkykd e vkykpukRed :i l èkkjk 25 d micèkk dk ijhf{kr fd;k gA tlk fd pkn èkou d ekey e bl U;k;ky; }kjk fu.khr fd;k x;k g] gekjh lfopkfjr jk; e fuokfgdk ;k Hkj.k&ik"k.k çnku dju d fy, dkb fMØh ikfjr fd, tku d le; ;k bld ckn d fdlh le; ij vfèkfu;e d vèkhu vfèkdkfjrk dk bLreky dju e U;k;ky; dk l{ke cukr g, èkkjk 25 d çkjfHkd Hkkx e i;Dr vfHk0;fDr dk doy èkkjk 10 d vèkhu U;kf;d iFddj.k ;k èkkjk 13 d vèkhu rykd dh fMØh rd lhfer ugh fd;k tk ldrk g] tlk fd rd fn;k x;k gA tc foèkkf;dk u dkb Hkh fMØh ikfjr fd, tku d le;** tlh 0;kid vfHk0;fDr dk bLreky fd;k g] ;g viuh vfHk0;fDr d Hkhrj lHkh çdkj dh fMfØ;k dk yrh g tlk fd èkkjk 9 d vèkhu nkEiR; vfèkdkjk d çR;kLFkkiu] èkkjk 10 d vèkhu U;kf;d iFkDdj.k èkkjk 11 d vèkhu fookg dk 'kU; ,o ukfLr ?kkf"kr dju] èkkjk 12 d vèkhu ;Fkk ukfLr ;kX; fookg d jídj.k rFkk èkkjk 13 d vèkhu rykd dh fMØh dkA***

*"21. èkkjk 25 ,d l{kedkjh micèk gA ;g U;k;ky; dk fdlh ookfgd ekey e vkonu dj jg ifr@iRuh d rF;k ,o ifjfLFkfr;k ij fopkj dju e rFkk ;g fu.khr dju e l'kDr cukrk g fd LFkk;h fuokfgdk ;k Hkj.k&ik"k.k çnku fd;k tkuk g ;k ughA***

AIR 2014 (झारखण्ड) 78 में रिपोर्ट किए गए **रबिन्द्र कुमार बनाम उषा देवी** के मामले में इस न्यायालय की खण्डपीठ ने यह भी निर्णीत किया है कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 एक सक्षमकारी प्रावधान है जो एक विवाह सम्बन्ध के विघटन का परिणाम लाने वाली किसी भी प्रकार के डिक्री पारित किए जाने के समय न्यायालय को पति/पत्नी को भरण–पोषण अधिनिर्णीत करने में सशक्त बनाती है।

10. चांद धवन (ऊपर) तथा **रमेशचन्द्रराम प्रतापजी डागा (ऊपर)** के मामलों में तथा **रबिन्द्र कुमार (ऊपर)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि तथा निर्णयाधार के बल पर भी, यह उद्भूत होगा कि कुटुम्ब न्यायालय को दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए धारा 9 के अधीन, न्यायिक पृथक्करण के लिए धारा 10 के अधीन, नास्ति योग्य के रूप में विवाह के रद्दकरण के लिए धारा 12 के अधीन तथा तलाक के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अधीन दाखिल किसी वैवाहिक मामले का निस्तारण करते समय कोई डिक्री पारित करने के समय पक्षकारों में से किसी को स्थायी निर्वाहिका प्रदान करने की अधिकारिता तथा शक्ति है। विधि को पत्नी के पक्ष में स्थायी निर्वाहिका का आदेश करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है भले ही वह तलाक के लिए वाद का बचाव करने में विफल रही है। तलाक की डिक्री को सामने लाते हुए पत्नी की ओर से हुई अभिकथित क्रूरता या अभित्याग उसे निर्वाहिका से वंचित करने के लिए अकेले एक सुसंगत मापदंड नहीं होगा। आखिरकार, पत्नी अपना भरण–पोषण किए जाने का हकदार है तथा अपने पति तथा भूतपूर्व पति से भरण–पोषण पाने पर कोई सांविधिक निषेध नहीं है। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 एक सक्षमकारी प्रावधान है, जो न्यायालय को विवाह के विघटन का परिणाम लाने वाली किसी डिक्री के पारित किए जाने के समय भरण–पोषण अधिनिर्णीत करने में सशक्त बनाती है।

11. वर्तमान मामले में, स्वीकृत तथ्य यह है कि दोनों बच्चे प्रत्यर्थी पत्नी के साथ रह रहे हैं। अपीलार्थी पति द्वारा अभिलेख पर ऐसा कोई तथ्य नहीं लाया गया है कि प्रत्यर्थी ने पुनर्विवाह किया है।

इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी पत्नी को न केवल अपनी देखभाल एवं भरण-पोषण करना है, बल्कि अपने दो बच्चों का भी पालन पोषण करना है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी पति द्वारा प्रत्यर्थी पत्नी को भुगतान किए जाने वाली स्थायी निर्वाहिका के रूप में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत 1,50,000/- रु॰ की राशि (एक लाख पचास हजार) न्यूनतम सम्भव राशि है, जो उसे अपना तथा अपने बच्चों का भरण-पोषण करने के लिए प्रदान की जा सकती थी।

12. इस मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में एवं इसमें ऊपर चर्चा किए गए न्यायिक निर्णयों की दृष्टि में, हम प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, पलामू द्वारा पारित दिनांक 11 जनवरी, 2010 के आक्षेपित निर्णय तथा डिक्री के साथ हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

13. यह अपील किसी गुणागुण से रहित होने के कारण, तद्नुसार खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

रामचन्द्र यादव एवं एक अन्य

cuke

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

W.P. (Cr.) No. 249 of 2016. Decided on 17th January, 2017.

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1955—नियम 7—अन्वेषण करने की शक्ति–आरक्षी उप-निरीक्षक ऐसा अन्वेषण करने से बाधित है जिसमें एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कोई अपराध अन्तर्ग्रस्त हो–ऐसा अन्वेषण ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना है जो डी॰ एस॰ पी॰ के दर्जे से नीचे का न हो–प्रत्यर्थीगण को अन्वेषण का कार्य करने के लिए एक सक्षम पुलिस पदाधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 7 से 9)

निर्णयज विधि.–(2009)12 SCC 649—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Tejo Mistry, S.K. Vishwakarma, For the Petitioners; Mr. Vijayant Verma, For the Respondent.

आदेश

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री तेजो मिस्त्री तथा जी॰ पी॰-II के विद्वान जे॰ सी॰ श्री विजयंत वर्मा को सुना।

2. इस रिट आवेदन में, याचीगण ने भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 447, 448, 341, 324, 323, 380, 427, 504, 506 एवं 34 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं 3 (i) (iii)/9 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज बिर्नी पुलिस थाना केस सं॰ 156 वर्ष 2015 के सम्बन्ध में और अन्वेषण के लिए प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध एक निर्देश के लिए आग्रह किया है। अन्वेषण एक सक्षम व्यक्ति को सौंपने के लिए भी एक अतिरिक्त आग्रह किया गया है जो डी॰ एस॰ पी॰ के रैंक से नीचे का न हो।

3. प्रारम्भ में, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने केवल डी॰ एस॰ पी॰ के दर्जे से नीचे के व्यक्ति द्वारा अन्वेषण न कराए जाने के सम्बन्ध में अपने आग्रह को सीमित रखा है। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा

7 के निबंधनों में, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन कारित किसी अपराध के सम्बन्ध में कोई अन्वेषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना है जो डी॰ एस॰ पी॰ के दर्जे से नीचे का न हो। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि संविधि के प्रावधानों की दृष्टि में, आरक्षी उप–निरीक्षक द्वारा किया जा रहा अन्वेषण अधिनियम तथा नियमावली की भावना के विरुद्ध है तथा, अतएव अन्वेषण किसी ऐसे व्यक्ति को जो डी॰ एस॰ पी॰ से नीचे के दर्जे का न हो, को सौंपने के लिए समुचित निर्देश निर्गत किया जाय। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **(2009)12 SCC 649** में रिपोर्ट किए गए **मध्य प्रदेश राज्य बनाम चुन्नी लाल उर्फ चुन्नी सिंह** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट किया है।

4. दूसरी ओर, जी॰ पी॰ II के विद्वान जे॰ सी॰ श्री विजयन्त वर्मा ने निवेदन किया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 9 (i) के निबंधनों में, अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण करने की शक्ति आरक्षी निरीक्षक तथा उप–निरीक्षक के दर्जे के पुलिस पदाधिकारी को प्रत्यायोजित कर दी गई है। यह कथित किया गया है कि दिनांक 24.11.2012 की अधिसूचना की बाद में दिनांक 10.6.2016 की एक अन्य अधिसूचना द्वारा पुनरावृत्ति की गई है। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि राज्य सरकार की अधिसूचना की दृष्टि में, आरक्षी उप–निरीक्षक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत है।

5. जैसा कि पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है, अपराध में अन्वेषण अभी भी चल रहा है। यह प्रतीत होता है कि इसके उपरान्त एक मामला बिर्नी पुलिस थाना केस सं॰ 156 वर्ष 2015 संस्थित किया गया था। अन्वेषण आरक्षी उप निरीक्षक राम विशुण पासवान को सौंपा गया था।

6. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1955 का नियम 7 निम्नवत् अधिकथित करता है:–

> *"**7. vUo"k.k vfèkdkjh-**&(1) vfèkfu;e d vèkhu fd, x, fdlh vijkèk dk vUo"k.k ,l ifyl vfèkdkjh }kjk fd;k tk,xk tk ifyl mivèkh{kd d jd l de dk u gkA vUo"k.k vfèkdkjh dh fu;fDr jkT; ljdkj] vkj{kh egkfun'kd] ifyl vèkh{kd }kjk mld io vuHko] ekey d fufgrkFkk dk le>u vkj ekey dk vUo"k.k lgh fn'kk e de l de le; d Hkhrj dju dh ;kX;rk vkj U;k; dh Hkkouk dk è;ku e j[kdj dh tk,xhA***

7. अतएव, नियम 7 स्पष्टत: अभिकल्पित करता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन कारित किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा जो डी॰ एस॰ पी॰ के दर्जे से नीचे का न हो। नियमावली के नियम 7 के निबंधनों में, राज्य सरकार ऐसी अधिसूचना के साथ सामने नहीं आ सकती थी जैसा कि प्रतिशपथ पत्र के साथ संलग्न किया गया है यह निर्देश देते हुए कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण आरक्षी निरीक्षक या आरक्षी उपनिरीक्षक द्वारा किया जाएगा।

8. इससे सम्बन्धित प्रश्न कि डी॰ एस॰ पी॰ के दर्जे से नीचे के किसी पुलिस पदाधिकारी द्वारा अन्वेषण किया जा सकता है या नहीं, **मध्य प्रदेश राज्य बनाम चुन्नी लाल उर्फ चुन्नी सिंह (ऊपर)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था, जिसमें अधिनियम की धारा 9 एवं नियमावली के नियम 7 पर विचार करके निम्नवत् निर्णीत किया गया था–

> *"8. vfèkfu;e dh èkkjk 9 e çkoèkku] fu;ekoyh d fu;e 7 ,o lfgrk dh èkkjk 4 tc l;Dr :i l ifBr dh tkrh g] bl fu"d"k dh vkj y tkrh g fd*

*fu;e 7 d fucèkuk e fu;Dr ugh fd, x, fdlh inkfèkdkjh }kjk vfèkfu;e dh èkkjk 3 d vèkhu fdlh vijkèk dk vUo"k.k voèkkfud rFkk voèk gA ijUr tc f'kdk;r fd;k x;k vijkèk HkkO n0 lO rFkk vfèkfu;e dh èkkjk 3 e çxf.kr vijkèkk e l dkb vijkèk ;k bu nkuk d vèkhu g] ,d l{ke ifyl inkfèkdkjh }kjk vfèkfu;e dh èkkjk 3 d vèkhu vijkèk dk vUo"k.k u fd, tku d dkj.k lfgrk d çkoèkkuk d vulkj fdlh l{ke ifyl inkfèkdkjh }kjk fd, tk jg vUo"k.k dk vfHk[kfMr ugh fd;k tk ldrk gA ,lh ifjfLFkfr e ml vijkèk dk lKku yu d fy, vfèkfu;e dh èkkjk 3 d vèkhu vijkèk d lEcUèk e vUo"k.k rFkk vfHk;kx i= LohÑr fd, tku ;kX; u gku ij Hkh dk;okfg;k HkkO n0 lO d vèkhu nMuh; vijkèkk d fy, lefpr U;k;ky; e pyxhA***

9. इस प्रकार नियमावली के नियम 7 से तथा **मध्य प्रदेश राज्य बनाम चुन्नी लाल उर्फ चुन्नी सिंह (ऊपर)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से भी जो उद्भूत होता है, वह यह है कि आरक्षी उप-निरीक्षक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध का अन्वेषण करने से बाधित है।

10. अतएव, जैसा कि जी॰ पी॰ II के विद्वान जे॰ सी॰ द्वारा कथित किया गया है, चूँकि ऐसी परिस्थितियों में अपराध का अन्वेषण अभी भी चल रहा है, बिर्नी पुलिस थाना केस सं॰ 156 वर्ष 2015 का अन्वेषण करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली के नियम 7 के निबंधनों में एक सक्षम पुलिस पदाधिकारी को नियुक्त करने के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 3 को एक निर्देश देते हुए यह रिट आवेदन निस्तारित किया जाता है, जो कार्य इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुतीकरण की तिथि से दो सप्ताह की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

---

ekuuh; ,p lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

दरबारी मुर्मू (210 में)

चूंका मुर्मू (290 में)

cuke

बिहार राज्य (अब झारखंड) (दोनों में)

Criminal Appeal (DB) Nos. 210, 290 of 1991 (P). Decided on 31st January, 2017.

सत्र केस सं॰ 127 वर्ष 1983 के सम्बन्ध में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुमका, एस॰ पी॰ द्वारा पारित दिनांक 31 मई, 1991 के दोषसिद्धि तथा दण्डादेश के निर्णय के विरुद्ध।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860—धाराएँ 302/149, 324, 323 एवं 148—हत्या एवं उपहति–विधिविरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य–दोषसिद्धि एवं दंडादेश–पक्षकार गोत्रज हैं तथा विवादित भूमि अपीलार्थीगण के पूर्वज की थी–इसको लेकर कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं कि मृतक के सिर पर प्राणघातक वार किसने किया था–स्वीकृत तथ्य यह है कि पक्षगण गोत्रज हैं तथा उनके बीच मुकदमेबाजी हुई थी तथा झुठमूठ फंसाया जाना स्पष्ट है–घटनास्थल भी स्पष्ट नहीं है तथा अन्वेषण पदाधिकारी भी घटनास्थल का सटीक वर्णन नहीं कर सके थे–अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है तथा दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का आक्षेपित निर्णय विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है–अपील अनुज्ञात। (पैराएँ 12 एवं 13)

अधिवक्तागण.–M/s Jitendra Shankar Singh, Randhir Kumar, L.C.N. Sahadeo, For the Appellant; Mr. Amaresh Kumar, For the State.

डॉ॰ एस॰ एन॰ पाठक, न्यायमूर्ति.–पहले 1.9.2016 को जब ये अपीलें ग्रहण की गयी थी, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने मुंशी हेम्ब्रम तथा लोबू पुजाहर (दाण्डिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 210 वर्ष 1991 (पी॰) में अपीलार्थी सं॰ 2 एवं 3) की मृत्यु के तथ्य को सत्यापित किया है जबकि अपीलार्थी सं॰ 1 दरबारी मुर्मू जीवित है तथा दाण्डिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 290 वर्ष 1991 (P) का एकल अपीलार्थी भी जीवित है। इस प्रकार वर्तमान अपील मुंशी हेम्ब्रम तथा लोबू पूजाहर (दाण्डिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 210 वर्ष 1991 (P) में क्रमश: अपीलार्थी सं॰ 2 तथा 3) के विरुद्ध उपशमनित होती है। हमारे ध्यान में यह भी लाया गया है कि किरण खैरा ने पृथक अपील भी दाखिल की थी जो दाण्डिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 248 वर्ष 1991 (P) थी, जो उसकी मृत्यु के कारण 7.9.2009 के आदेश के तहत उपशमनित हो गयी थी। उक्त अपील के अभिलेखों को इन अपीलों के साथ संलग्न किया गया था।

2. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

3. दोनों दाण्डिक अपीलें सत्र केस सं॰ 127 वर्ष 1983 के संबंध में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुमका, एस॰ पी॰ द्वारा पारित दिनांक 31 मई, 1991 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है जिसके द्वारा अपीलार्थीगण चूंका मुर्मू तथा दरबारी मुर्मू को दोषी धारित किया गया है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 302/149 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है तथा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। अपीलार्थी चूंका मुर्मू को भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 324, 323 तथा 148 के अधीन अपराध के लिए भी दोषी धारित किया गया है तथा दोषसिद्ध किया गया है तथा क्रमश: एक वर्ष, छह माह तथा एक वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। अपीलार्थी दरबारी मुर्मू को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147 के अधीन अपराध का भी दोषी पाया गया है तथा छह माह के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। किन्तु, इस प्रकार पारित सभी दण्डादेशों को साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया है।

4. अभियोजन मामला संक्षेप में यह है कि ग्राम रंगा के जे॰ एस॰ सं॰ 79 की भूमि मृतक दाहू हंसदा तथा उसके भाई मृतक बारा मंगल हंसदा समेत सूचक तथा उसके पूर्वजों की थी तथा यह कि प्रश्नगत धान के बिचड़ों को उनके द्वारा उक्त खेत में उगाया गया था। 25.7.1979 को प्रात: लगभग 8:30 बजे, जब सूचक जे॰ बी॰ सं॰ 79 की उक्त भूमि पर गया था, उसने अभियुक्त दरबारी मुर्मू, चूंका मुर्मू, बोदी टुडू, तुलसी हंसदा तथा छिता हंसदा को धान के बिचड़ों को उखाड़ते देखा था जबकि उपर नामजद शेष अभियुक्तगण तीर, लाठी, फरसा तथा गदा के साथ विभिन्न हथियारों से लैस होकर उन अभियुक्तों की मदद करने के लिए खड़े थे। दाहू हंसदा तथा बारा मंगल हंसदा के अतिरिक्त अन्य गवाह उनके खेत में काम कर रहे थे तथा वे कोई अपराध कारित करने से अभियुक्त व्यक्तियों को अवरुद्ध करने के लिए जे॰ बी॰ सं॰ 79 के खेत में एकत्रित हुए थे। इस बीच, अभियुक्त मुंशी हेम्ब्रम अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से आया था, शांति बनाये रखने के बहाने सूचक तथा उसके आदमियों से लाठियां ले ली थी तथा मुंशी हेम्ब्रम तुरंत ही अभियुक्त के पक्ष में गया था तथा सूचक तथा उसके आदमियों पर प्रहार करने का आदेश दिया था। अचानक अभियुक्त चूंका मुर्मू ने छुरा से दाहू हंसदा पर वार किया था जबकि अभियुक्त लाबू पूझर, दरबारी मुर्मू तथा तिला हंसदा तथा छिता हंसदा ने दाहू हंसदा पर लाठी से वार किया था जिससे उसके सिर पर उपहतियाँ आयी थी। अभियुक्त किरण खैरा ने बारा मंगल हंसदा पर लाठी से वार किया

था जिससे उसके सिर पर उपहतियाँ आयी थी। अभियुक्त चूंका मुर्मू ने छोटा मंडल हंसदा पर छूरा से वार किया था जिससे उसके दायें पेट तथा दायीं छाती पर उपहतियाँ कारित हुई थी। अभियुक्त चूंका मुर्मू ने सुपई हंसदा पर लाठी से वार किया था जिससे उसके बायीं कलाई की हड्डी का अस्थि भंग हुआ था। तुलसी हंसदा ने सुबोदी हेम्ब्रम पर लाठी से वार किया था जिससे उसके सिर तथा पैर पर उपहतियाँ आयी थी। अभियुक्त लाबू पूझर, कमल सिंह ने नंदा हंसदा की पुत्री तुलसी हंसदा पर लाठी से वार किया था जिससे उसके दायें हाथ पर उपहतियाँ आयी थी तथा अभियुक्त चूंका मुर्मू ने चंदा हंसदा पर लाठी से वार किया था जिससे उसके सिर पर उपहतियाँ आयी थी एवं, तत्पश्चात्, सभी अभियुक्तगण भाग गये थे। अभियुक्त तथा अन्य घायलों को सूचक तथा गवाहों द्वारा मसलिया पुलिस थाना लाया गया था। किन्तु, दाहू हंसदा की रास्ते में मृत्यु हो गयी थी तथा अन्य गवाहों को मसलिया थाना लाया गया था। उस समय मसलिया थाने में आरक्षी उप–निरीक्षक की अनुपस्थिति में, एक कांस्टेबल ने पूर्वोक्त तथ्य प्रकट करने वाला रामजीवन हंसदा का बयान अभिलिखित किया गया था जिसे प्रदर्श 13 के तहत दिनांक 25.7.1979 को दिन में 10: 30 बजे सान्हा प्रविष्टि सं॰ 363 के तौर पर अभिलिखित किया गया था जो मूल सान्हा प्रविष्टि है तथा इसकी प्रति भी प्रतिस्थापित की गयी है। इसे फर्दबयान माना गया था तथा उस आधार पर औपचारिक प्राथमिकी (प्रदर्श 11) तैयार किया गया था। बाद में, अभियुक्त बारा मंगल हंसदा की उसकी उपहतियों के परिणामत: मृत्यु हो गयी थी।

5. अन्वेषण के समापन पर, अन्वेषण पदाधिकारी ने अभियुक्त गिरीश मरांडी (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) के अतिरिक्त उपर नामजद बारह अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। किन्तु, अभियुक्त तुलसी हंसदा तथा चिता हंसदा जिन्हें फर्दबयान में नामजद किया गया था, को नहीं भेजा गया था। इसके अतिरिक्त, अभियुक्त बेदी टुडू की भी आरोप पत्र प्रस्तुत करने से पहले मृत्यु हो गयी थी। गिरीश मरांडी (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) के अतिरिक्त सभी बारह अभियुक्तों को हत्या कारित करने के अपने सामान्य आशय को आगे ले जाते हुए दाहू हंसदा तथा बारा मंगल हंसदा की मृत्यु कारित करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/149 के अधीन आरोपित किया गया था। इसके अतिरिक्त, अभियुक्त चूंका मुर्मू को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 324 के अधीन अपराध के लिए भी आरोपित किया गया था तथा अभियुक्त चूंका मुर्मू तथा लाबू पूझर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन अपराध के लिए भी आरोपित किया गया था। अभियुक्त चूंका मुर्मू को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148 के अधीन अपराध के लिए भी आरोपित किया गया था जबकि शेष अभियुक्तों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147 के अधीन अपराध के लिए भी आरोपित किया गया था।

6. विचारण के दौरान अभियोजन ने कुल 14 गवाहों की परीक्षा की है। अ॰ सा॰ 1 सुपल हंसदा है, अ॰ साल 2 सुबोधी हेम्ब्रम अ॰ सा॰ 1 की पत्नी है, अ॰ सा॰ 3 जीतन मरांडी है, अ॰ सा॰ 4 किरण हंसदा है, अ॰ सा॰ 5 होपना हंसदा है, अ॰ सा॰ 6 रामजीवन हंसदा है, अ॰ सा॰ 7 मंगल हंसदा है अ॰ सा॰ 8 गुनेश्वर हंसदा है, अ॰ सा॰ 9 गुनेश्वर हंसदा है, अ॰ सा॰ 10 डॉ॰ उपेन्द्र प्रसाद सिन्हा है, अ॰ सा॰ 11 सिबलाल हंसदा है, अ॰ सा॰ 12 अन्वेषण पदाधिकारी है, अ॰ सा॰ 13 मैनेजर मरांडी है तथा अ॰ सा॰ 14 सुशील चंद विश्वास है। पूर्वोल्लिखित गवाहों में से, होपना हंसदा (अ॰ सा॰ 5) को बुलाया गया था तथा सुशील चंद्र हिसवार (अ॰ सा॰ 14) ने मूल सान्हा प्रविष्टि सं॰ 363, दिनांक 25.7.1979 (प्रदर्श 13) प्रमाणित किया है, जिसे इस मामले में फर्दबयान माना गया है। अन्वेषण पदाधिकारी (अ॰ सा॰ 12) ने दाहू हंसदा के शव की कार्बन प्रक्रिया में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने का दावा किया है जिसे गवाहों तथा सूचक द्वारा मसलिया पुलिस थाना लाया गया था तथा शव को सदर अस्पताल, दुमका पोस्टमार्टम परीक्षा के लिए भेजा था। बेदी टुडू की अभियोजन के अनुसार पहले ही मृत्यु हो चुकी है तथा तुलसी हंसदा को पुलिस द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

7. डॉ॰ उपेन्द्र प्रसाद सिन्हा (अ॰ सा॰ 10) ने 26.7.1979 को सदर अस्पताल, दुमका में दाहू हंसदा के शव का पोस्ट मार्टम परीक्षण करने तथा उसके शरीर पर उपहतियाँ पाने का दावा किया है। उपर उल्लिखित दोनों उपहतियों के तत्सम दायें पेराइटल अस्थि का अस्थिभंग हुआ था। अस्थिभंग के नीचे तथा उक्त मस्तिक पदार्थ के उपर एक बड़ा हेमाटोमा मौजूद था। उनकी राय में, दाहू हंसदा की मृत्यु सदमा तथा रक्तस्राव के कारण हुई थी तथा उपर उल्लिखित उपहति सं॰ 1 या 2 पृथक या संयुक्त रूप से प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी, जबकि उपहति सं॰ 1 तेज धारदार हथियार द्वारा कारित किया गया था, उपहति सं॰ 2 कठोर तथा भोथरे हथियार द्वारा कारित किया गया था। उसी दिन 1:30 बजे अपराह्न में, डॉक्टर (अ॰ सा॰ 10) ने बारा मंगल हंसदा के शव का पोस्टमार्टम करने तथा मृत्यु पूर्व उपहतियाँ पाने का दावा किया है। उनकी राय में, मृत्यु सदमा तथा रक्तस्राव के फलस्वरुप हुई थी तथा दोनों उपहतियाँ या तो पृथक रूप से या संयुक्त रूप से मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में पर्याप्त थी। मृत्यु से बीता समय 48 घंटों के भीतर था। उन्होंने आगे कहा कि दोनों उपहतियाँ पहले से सिली हुई थी, इस प्रकार हथियार की प्रकृति का निर्धारण नहीं किया जा सका था। इस प्रकार, शव परीक्षण रिपोर्ट की कार्बन प्रतिलिपि के साथ डॉक्टर (अ॰ सा॰ 10) के पूर्वोक्त साक्ष्य के आधार पर, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि दाहू हंसदा तथा बारा मंगल हंसदा दोनों की मृत्यु मानवघाती प्रकृति की थी।

8. सुपल हंसदा (अ॰ सा॰ 1) ने कहा कि प्रासंगिक समय पर वह अपनी खेत देखने गया था जिसमें उसने धान के बिचड़े बोये थे। उसने पाया कि अभियुक्त दरबारी मुर्मू, चूंका मुर्मू, तुलसी हंसदा, छिता हंसदा, बोदी टुडू, जुरगु हेम्ब्रम, किरण खैरा, धिरेन खैरा, शिबा पूजहर, फूले पूजहर, मुंशी हेम्ब्रम, गिरीश मरांडी, दास मरांडी, रबी पूजहर तथा कबीराज सोरेन उसके खेत से धान के बिचड़े उखाड़ रहे थे। इस गवाह ने आगे कहा कि उसने अन्य गवाहों तथा दाहू हंसदा एवं बारा मंगल हंसदा के साथ अभियुक्तों को धान के बिचड़े उखाड़ने से मौखिक रूप से रोका था, जिसके परिणामत: उनके बीच झगड़ा हुआ था। अभियुक्त मुंशी हेम्ब्रम हंसदा ने सूचक तथा उसके लोगों को शांत कराया था परन्तु मुंशी हेम्ब्रम हंसदा पुन: अभियुक्त की ओर से गया था तथा उन्हें सूचक तथा उसके पक्ष के लोगों को प्रहार करने के लिए उकसाया था। उसने आगे अभिकथित किया कि धान के बिचड़ों को उखाड़ने की घटना जे॰ बी॰ सं॰ 29 के खेत में हुई थी जहाँ सूचक तथा उसके आदमियों एवं इन अभियुक्तों के बीच विवाद प्रारंभ हुआ था तथा वास्तविक मारपीट की घटना जे॰ बी॰ सं॰ 79 के खेत में घटी थी। उसने आगे कहा कि दरबारी मुर्मू ने दाहू हंसदा पर लाठी से वार किया था तथा चूंका मुर्मू ने दाहू हंसदा पर लाठी तथा छुरा से वार किया था जिसने उसके कनपट्टी के क्षेत्र को भेद दिया था। उसके अनुसार, अभियुक्त धिरेन खैरा ने भी दाहू हंसदा पर लाठी से वार किया था।

उसके साक्ष्य के अनुक्रम में, यह चौंकानेवाला है कि अ॰ सा॰ 1 ने कहा है कि जब वह घटनास्थल पर पहुँचा, उसने दाहू हंसदा को पहले से ही मृत पाया तथा यह कि बारा मंगल हंसदा रक्त बहने की उपहतियों के साथ बैठा था तथा इसके बाद वह चौकीदार को सूचित करने बस्ती गया। इस गवाह ने आगे कथन किया कि अ॰ सा॰ 6, अ॰ सा॰ 11, अ॰ सा॰ 8, तथा हुलसी हंसदा घटनास्थल पर साथ-साथ अर्थात् दाहू हंसदा की मृत्यु के उपरांत आये थे।

9. अ॰ सा॰ 2, 3, 4 तथा 6 ने घटनास्थल पर अ॰ सा॰ 1, अ॰ सा॰ 6, अ॰ सा॰ 7, अ॰ सा॰ 11, हलसी हंसदा, जीतन हंसदा तथा दो मृतक व्यक्तियों दाहू हंसदा तथा बारा मंगल हंसदा के साथ उपस्थित

रहने का दावा किया है। उसने कहा कि अभियुक्त चूंका मुर्मू ने दाहू हंसदा पर छुरा से वार किया जिससे उसके सिर पर उपहतियाँ आयी तथा अभियुक्त किरण खैरा ने बारा मंगल हंसदा के सिर पर फरसा से वार किया। वह हमलावरों का नाम नहीं बता सकी थी जिसने सुपल हंसदा, सुबोदी हंसदा तथा छोटा मंगल हंसदा पर प्रहार किया था। तथापि उसने इसके उपरांत कहा कि जब वह घटनास्थल पर पहुँची थी, उसने दाहू हंसदा को मृत पाया था तथा बारा मंगल हंसदा को खून बहने की उपहति आयी थी।

अ॰ सा॰ 7 घायल गवाह है। यद्यपि उसने कहा कि झगड़ा धान के बिचड़ों को उखाड़ने के कारण हुआ था परंतु उसने यह भी स्वीकार किया कि वह सुपई हंसदा के पुकारने पर घटनास्थल आया था तथा उसने दाहू हंसदा को मृत तथा बारा मंगल हंसदा को घायल पाया था।

अ॰ सा॰ 8 यद्यपि घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा करता है परंतु वह हमलावर का नाम नहीं बता सका था। अ॰ सा॰ 1 के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अ॰ सा॰ 8 भी दाहू हंसदा की मृत्यु के उपरांत पहुँचा था जबकि बारा मंगल हंसदा घायल था।

अ॰ सा॰ 11 ढोल पीटे जाने की एक अन्य कथा के साथ आया है जिसे किसी गवाह द्वारा सम्पोषित नहीं किया गया है। अ॰ सा॰ 13 यद्यपि घटना देखने का दावा करता है परन्तु हमलावरों द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार नहीं बता सका था। अ॰ सा॰ 12 अर्थात् अन्वेषण पदाधिकारी ने घटनास्थल के तौर पर तीन भिन्न-भिन्न स्थानों का वर्णन किया है तथा इस प्रकार तथाकथित चश्मदीद गवाहों द्वारा बतायी गयी कथा से भिन्न कथा के साथ आया है।

10. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र शंकर सिंह ने जोरदार प्रतिवाद किया कि विचारण न्यायालय ने इन अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करके घोर त्रुटि कारित की है क्योंकि सामान्य उद्देश्य के साथ विधिविरुद्ध जमाव निर्मित करने का कोई निष्कर्ष नहीं है। गवाहों ने स्वीकार किया कि वे दाहू हंसदा की मृत्यु के उपरांत घटनास्थल पर पहुँचे थे। यद्यपि गवाहों ने चश्मदीद गवाह होने का दावा किया था परन्तु स्वीकार किया है कि जब वे घटनास्थल पर पहुँचे थे उन्होंने दाहू हंसदा को मृत पड़ा पाया था तथा बारा मंगल हंसदा रक्त बहने के जख्मों के साथ घायल था। विद्वान अधिवक्ता आगे इस तर्क को इंगित करते हैं कि अ॰ सा॰ 1 ने कहा था कि मृतक दाहू हंसदा को छुरे के वार की केवल एक उपहति आयी थी परंतु लाठी के वार की कई चोटें आयी थी जिससे उसके शरीर के लगभग सभी भागों पर अस्थिभंग हुआ था परन्तु शव परीक्षण रिपोर्ट इसके विपरीत है तथा डॉक्टर ने एक छिन्न उपहति के अतिरिक्त कठोर तथा भोथरे पदार्थ द्वारा कारित एक विदीर्ण उपहति पायी थी। विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क देते है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाता है कि विवादित भूमि अपीलार्थीगण के पूर्वजों की थी तथा वे इस पर काबिज थे तथा सरकार को किराये का भुगतान कर रहे थे तथा अभियोजन को उक्त भूमि पर अतिचार करने का कोई अधिकार नहीं है तथा इन पहलूओं पर अवर न्यायालय द्वारा कभी विचार नहीं किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे इस न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया कि घटनास्थल स्पष्ट नहीं है तथा अन्वेषण पदाधिकारी ने भी घटनास्थल के तौर पर तीन भिन्न-भिन्न स्थानों का जिक्र किया है। अभियोजन यह स्पष्ट नहीं कर सका था कि सूचक पक्ष घटना के समय तथा स्थान पर क्या कर रहा था।

विद्वान अधिवक्ता आगे प्रतिवाद करते हैं कि उपहति रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट नहीं है कि मृतक के सिर पर प्राणघातक वार किसने किया था तथा इन तथ्यों का मूल्यांकन किये बिना, अवर न्यायालय ने किसी साक्ष्य के बिना अपीलार्थियों को अवैधानिक रूप से दोषसिद्ध किया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि न्यायालयिक विज्ञान विशेषज्ञ की रिपोर्ट न्यायालय द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी थी तथा इसकी अप्रस्तुति अभियोजन मामले पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है परन्तु न्यायालय ने मामले के इस पहलू पर विचार नहीं किया। आगे यह निवेदन किया जाता है कि घटनास्थल से पायी गयी रक्तरंजित मिट्टी

न्यायालयिक विज्ञान विशेषज्ञ को नहीं भेजी गयी थी तथा न्यायालय के समक्ष इस प्रभाव की कोई रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गयी थी। विद्वान अधिवक्ता गवाहों के समक्ष रखे गये न्यायालय के प्रश्नों की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करते हैं। सभी गवाहों ने इसी प्रकार का उत्तर दिया है कि जब वे घटनास्थल पर पहुँचे, उन्होंने दाहू हंसदा को मृत तथा बारा मंगल हंसदा को रक्त बहने की उपहतियाँ प्राप्त किये देखा। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि यह एक स्पष्ट मामला है जहाँ घटना का समय, स्थान तथा रीति गायब है तथा इस प्रकार अपीलार्थीगण दोषमुक्त किये जाने के दायी हैं।

11. दूसरी ओर विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ के प्रतिनिधित्व में राज्य ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का जोरदार विरोध किया। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ अ॰ सा॰ 1 के बयान के प्रति न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करते हैं जो विनिर्दिष्ट रूप से अपीलार्थियों के विरुद्ध अभिकथन प्रमाणित करता है। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने प्रतिवाद किया कि चश्मदीद गवाहों ने विनिर्दिष्ट रूप से प्रहार के बारे में कथन किया है। अन्वेषण पदाधिकारी ने घटनास्थल पर उखाड़े गये बिचड़े पाये हैं। अपीलार्थियों को इस तथ्य पर संदेह का लाभ नहीं दिया जा सकता है कि वे गोत्रज हैं।

12. साक्ष्य तथा आक्षेपित निर्णय से, यह प्रकट है कि अभियुक्त जगरू हेम्ब्रम, गिरीश मरांडी, शिवा पूजहर, फुलु पूजहर, रवि गिरी, धिरेन खैरा, दासो मरांडी तथा कबीराज सोरेन अपने विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किये गये हैं तथा वे दोषमुक्त किये गये हैं। पक्षगण गोत्रज हैं तथा विवादित भूमि अपीलार्थियों के पूर्वजों की है। इसको लेकर कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं है कि मृतक के सिर पर प्राणघातक वार किसने किया था। स्वीकृत तथ्य यह है कि पक्षगण गोत्रज हैं तथा उनके बीच मुकदमेबाजी थी तथा इसलिए झुठमूठ फंसाया जाना स्पष्ट है। अ॰ सा॰ 1 ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुँचा, उसने दाहू हंसदा को पहले से ही मृत पाया तथा यह कि बारा मंगल हंसदा रक्त बहने की उपहतियों के साथ बैठा था। इस गवाह ने आगे कथन किया कि अ॰ सा॰ 6, अ॰ सा॰ 11, अ॰ सा॰ 8 तथा हुलसी हंसदा घटनास्थल पर एक साथ अर्थात् दाहू हंसदा की मृत्यु के उपरांत पहुँचे थे। इस प्रकार हम इस दृष्टिकोण के हैं कि अभियुक्तगण संदेह के लाभ के हकदार हैं। यह न्यायालय इस तथ्य के प्रति अपनी आंखें नहीं मूंद सकता है कि स्वयं गवाहों ने स्वीकार किया था कि जब वे घटनास्थल पर पहुँचे थे, उन्होंने पाया था कि दाहू हंसदा की मृत्यु हो गयी थी तथा बारा मंगल हंसदा को रक्त बहने की उपहतियाँ आयी थी तथा इस प्रकार निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे हमलावरों को नहीं देख सके थे तथा गोत्रजों जिनसे उनका भूमि विवाद है, के झुठमूठ फंसाये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। घटनास्थल भी स्पष्ट नहीं है तथा अन्वेषण पदाधिकारी भी सटीक घटनास्थल वर्णित नहीं कर सके थे।

13. वर्तमान मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में, हमारा सुविचारित मत है कि अपीलार्थी संदेह के लाभों का हकदार है तथा दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का आक्षेपित निर्णय विधि की दृष्टि में कायम नहीं रखा जा सकता है। तद्नुसार, सत्र केस सं॰ 127 वर्ष 1988 के सम्बन्ध में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुमका, एस॰ पी॰ द्वारा पारित 31 मई, 1991 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय तथा दण्डादेश अपास्त किये जाते हैं तथा अपीलार्थियों को संदेह का लाभ दिया जाता है तथा आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थीगण जमानत पर हैं, उन्हें अपने-अपने जमानत बंध पत्रों के दायित्वों से निर्मुक्त किया जाता है तथा स्वतंत्र किया जाता है।

परिणामत: यह अपील अनुज्ञात होती है।

अवर न्यायालय के अभिलेख तुरंत वापस भेजे जायें।

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.—मैं सहमत हूँ।

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

बापी राय चौधरी एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (Cr.) No. 34 of 2017. Decided on 3rd February, 2017.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 144—याचीगण द्वारा आवेदन दाखिल किये जाने के बावजूद धारा 144 के अधीन कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गयी–चारदीवारी के निर्माण पर विवाद–दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 144 के निबंधनों में याचीगण द्वारा दाखिल आवेदन पर तत्काल कदम उठाने का अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। (पैराएँ 4 एवं 6)

अधिवक्तागण.–M/s Indrajit Sinha, Lukesh Kumar, For the Petitioners; Mr. Vijayant Verma, For the Respondents.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्रजीत सिन्हा तथा प्रत्यर्थीगण सं॰ 1 से 5 के लिए सरकारी अधिवक्ता II के विद्वान कनीय अधिवक्ता श्री विजयंत वर्मा को सुना गया।

2. इस आवेदन में याचीगण ने प्रत्यर्थीगण को कारण बताने का निर्देश देने की प्रार्थना की है कि 20.1.2017 को याचीगण द्वारा आवेदन दाखिल किये जाने के बावजूद दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 144 के अधीन कार्यवाही प्रारंभ क्यों नहीं की गयी है।

3. यह प्रतीत होता है कि याचीगण मौजा दबियाना में अवस्थित मौजा सं॰ 139, खाता सं॰ 236, भूखंड सं॰ 1544, 1445, 147 तथा 1548 की कुल 2 एकड़ माप वाली भूमि पर कब्जे का दावा करते हैं।

4. यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 6 ने अचानक 17.1.2017 को प्रश्नाधीन भूमि पर चारदीवारी का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था जिस पर याचीगण द्वारा अभ्यापत्ति की गयी थी परंतु प्रत्यर्थी सं॰ 6 आक्रामक हो गया था तथा याचीगण के विरुद्ध दाण्डिक बल का प्रयोग किया था, जिसे दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 144 के अधीन एक कार्यवाही प्रारंभ करने की प्रार्थना के साथ एक आवेदन दाखिल करके याचीगण द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 4 के ध्यान में लाया गया था। आगे यह कथित किया गया है कि अंचलाधिकारी तथा प्रभारी पदाधिकारी, निरसा पी॰ एस॰ से रिपोर्ट मांगी गयी थी, परन्तु न तो कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है और न ही प्रत्यर्थी सं॰ 6 को चारदीवारी निर्मित करने से रोकने के लिए प्रत्यर्थियों द्वारा कोई कदम उठाया गया है।

5. प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित होने वाले सरकारी अधिवक्ता के कनीय अधिवक्ता ने याचीगण द्वारा की गयी प्रार्थना का विरोध किया है।

6. चूँकि मामला दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 144 के अधीन एक कार्यवाही प्रारंभ करने से सम्बन्धित है, जिसके लिए पहले ही एक रिपोर्ट की मांग की गयी थी, यह रिट आवेदन दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 144 के निबंधनों में 20.1.2017 को याचीगण द्वारा दाखिल आवेदन पर अविलंब कदम उठाने का प्रत्यर्थी सं॰ 3 को निर्देश देते हुए निपटाया जाता है जो अधिमानत: इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुतीकरण की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर किया जायेगा।

7. याचीगण के आवेदन पर प्रत्यर्थी सं॰ 3 के कार्रवाई करने तथा अंचलाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी, निरसा थाना की आसन्न रिपोर्ट प्राप्त होने तक प्रत्यर्थी सं॰ 5 को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि प्रश्नगत संपत्ति के सम्बन्ध में शांति बनी रहे।

ekuuh; ,p lhñ feJk ,o Mkñ ,l ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

राज किशोर महतो

cuke

श्रीमती लता देवी

F.A. No. 185 of 2014. Decided on 29th November, 2016.

विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, धनबाद द्वारा अभिधान वैवाहिक वाद सं॰ 448 वर्ष 2007 में पारित दिनांक 8.7.2014 के निर्णय तथा डिक्री के विरुद्ध।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955—धारा 13 (1) (i-a)—तलाक–पत्नी द्वारा अभिकथित क्रूरता–पक्षकारों के बीच विवाह अपीलार्थी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था इस आधार पर कि वे निषिद्ध सम्बद्ध कि डिग्री के अधीन थे–अपीलार्थी द्वारा कोई साक्ष्य यह दर्शाने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था कि पक्षकार किस प्रकार निषिद्ध डिग्री के अधीन थे जिसके परिणामतः अपीलार्थी के वाद की खारिजी हो गई थी–अपील खारिज। (पैराएँ 8 से 10)

अधिवक्तागण.–M/s Mahesh Tewari, Sabyasanchi, For the Appellant; Mr. Indrajit Sinha, For the Respondent.

आई॰ ए॰ सं॰ 6398 वर्ष 2014

न्यायालय द्वारा.–प्रस्तुत अपील के दाखिले में, 35 दिनों की विलम्ब की माफी के लिए वर्तमान अन्तर्वर्ती आवेदन दाखिल किया गया है।

अंतर्वर्ती आवेदन में किए गए कथनों की दृष्टि में, अपील दाखिल करने में हुआ विलम्ब एतद् द्वारा माफ किया जाता है।

इस प्रकार, पूर्वोक्त अन्तर्वर्ती आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

एफ॰ ए॰ सं॰ 185 वर्ष 2014

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा एकमात्र प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता को भी सुना।

2. अपीलार्थी अभिधान वैवाहिक वाद सं॰ 448 वर्ष 2007 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 8.7.2014 के निर्णय तथा डिक्री से व्यथित है, जिसके द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (i-a) के अधीन तलाक की डिक्री द्वारा पक्षकारों के बीच विवाह भंग करने के लिए अपीलार्थी द्वारा दाखिल वाद व्ययों के साथ खारिज कर दिया गया है।

3. अपीलाधीन निर्णय दर्शाता है कि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (a) के अधीन अपीलार्थी द्वारा वाद दाखिल किया गया था, जो तलाक की एक डिक्री द्वारा विवाह भंग किए जाने से सम्बन्धित है इस आधार पर कि विवाह सम्पन्न हो जाने के उपरान्त, प्रत्यर्थी द्वारा याची के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया गया था। तथापि, निर्णय दर्शाता है कि अपीलार्थी–याची द्वारा अवर न्यायालय में इस प्रभाव का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था कि पक्षकारों के बीच कोई विवाह नहीं हुआ था तथा प्रत्यर्थी के अपीलार्थी–याची की बुआ होने के कारण वह निषिद्ध संबद्ध के डिग्री के बीच थे। अभिलेख पर उपलब्ध निर्णय से यह प्रकट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी याची के साथ की गई क्रूरता के सम्बन्ध में कोई अभिवचन या साक्ष्य नहीं था। अवर न्यायालय में अपीलार्थी–याची द्वारा एकमात्र साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था, वह यह था कि वे निषिद्ध सम्बन्ध के डिग्री के अधीन थे तथा उनके बीच कोई विवाह नहीं हुआ था।

4. तथापि, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रत्यर्थी पत्नी ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-A के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध एक दाण्डिक मामला दाखिल किया था, जिसमें उसकी विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की गई थी परन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रत्यर्थी ने अपने भरण–पोषण के लिए तथा उनके विवाह बंधन से उत्पन्न संतान के लिए सक्षम न्यायालय में एक आवेदन दाखिल किया था, जिसे भी अनुज्ञात कर दिया गया था तथा वर्तमान में अपीलार्थी उन्हें भरण–पोषण की राशि का भुगतान कर रहा है।

5. जहाँ तक निषेधित सम्बन्ध की डिग्री पर साक्ष्य का सम्बन्ध है, अपीलाधीन निर्णय में कथित किया गया है कि अपीलार्थी, जिसने अवर न्यायालय में स्वयं को परीक्षित कराया था तथा अपनी प्रधान परीक्षा भी दाखिल किया था, ने अपनी प्रधान परीक्षा के पैरा 16 में मात्र यह कथित किया था कि प्रत्यर्थी उसकी पत्नी नहीं है तथा पैरा 21 में, उसने हिन्दू विवाह के अनिवार्य घटकों के सम्बन्ध में कथित किया था, परन्तु उसने इस सम्बन्ध में कथित नहीं किया था कि प्रत्यर्थी किस प्रकार तथा क्यों निषिद्ध सम्बद्ध की डिग्री के भीतर आती है। अपनी प्रति परीक्षा में, उसने कथित किया था कि प्रत्यर्थी उसकी सह–ग्रामीण है। अपीलार्थी की ओर से परीक्षित गवाहों में से किसी ने भी कुछ कथित नहीं किया था यह दर्शाने के लिए कि पक्षकार निषिद्ध सम्बन्ध की कोटि के अधीन हैं, तथा तद्नुसार, अवर न्यायालय द्वारा वाद खारिज कर दिया गया था।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आक्षेपित निर्णय तथा डिक्री पूर्ण रूप से अवैधानिक है क्योंकि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रत्यर्थी–पत्नी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-A के अधीन अपराध के लिए एक दाण्डिक मामला दाखिल किया गया था, जिसमें अंतत: अपीलार्थी की दोषमुक्ति का परिणाम हुआ था, तथा यह पति के साथ की गई क्रूरता के तुल्य था।

7. प्रत्यर्थी–पत्नी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के आग्रह का विरोध किया है।

8. हम अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, क्योंकि अपीलार्थी ने अपने साक्ष्य में विवाह तथा अपनी पत्नी के साथ रहने को स्वीकार नहीं किया है तथा पत्नी द्वारा क्रूरता बरते जाने के बारे में भी कुछ कथित नहीं किया है, बल्कि उसने यह मामला बनाने का प्रयास किया है कि वे निषिद्ध सम्बन्ध के डिग्री के अधीन थे, परन्तु पुन: अपीलार्थी द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था कि पक्षकार किस प्रकार निषिद्ध सम्बन्ध की डिग्री के अधीन हैं, जिसके परिणामत: अपीलार्थी के वाद की खारिजी हो गई थी।

9. अन्यथा भी, हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (i-a) के अधीन क्रूरता के आधार पर तलाक की एक डिक्री द्वारा विवाह भंग किए जाने के लिए वाद दाखिल किया गया था, तथा विवाह की अकृतता की डिक्री द्वारा विवाह के नास्ति होने की घोषणा के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन नहीं, इस आधार पर कि पक्षकार हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5 (iv) के अधीन निषिद्ध सम्बन्ध के डिग्री के अधीन थे। अवर न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की दृष्टि में, हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (i-a) के अधीन वाद पोषणीय तक नहीं था। अभिलेख का अवलोकन करने पर, हम आक्षेपित निर्णय तथा डिक्री में कोई अवैधानिकता नहीं पाते हैं जो अपील को हस्तक्षेप योग्य बनाती हो।

10. इस अपील में कोई गुण नहीं है तथा इसे तद्नुसार खारिज किया जाता है।

ekuuh; vuUr fct ; flg] U;k;efr

कमल कान्त भट्टाचार्जी

cuke

झारखण्ड राज्य

Cr.M.P. No. 2263 of 2016. Decided on 2nd February, 2017.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 467 (3)—जमानत–याची तथा सह-अभियुक्त के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 406, 420, 467, 468, 471 एवं 120-B के अधीन आरोप विरचित किए गए हैं–याची 27 महीनों से अधिक समय से हिरासत में है जो मामले में दण्ड योग्य अधिकतम दण्ड की हिरासत का लगभग आधा है–छः महीनों के भीतर विचारण पूरा करने का विचारण न्यायालय को निर्देश देते हुए याचिका खारिज। (पैराएँ 5, 8 से 10)

अधिवक्तागण.–Mr. Nitya Nand Mahto, For the Petitioner; A.P.P., For the State.

आदेश

दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन याची–कमलकांत भट्टाचार्जी की ओर से दाण्डिक प्रकीर्ण याचिका सं॰ 2263 वर्ष 2016 दाखिल किया गया है, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन याची ने मोसाबनी पुलिस थाना केस सं॰ 13 वर्ष 2014 से उद्भूत जी॰ आर॰ सं॰ 96 वर्ष 2014 में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, घाटशिला द्वारा पारित दिनांक 2.6.2016 के आक्षेपित आदेश को चुनौती दिया है, जिसके द्वारा विद्वान ए॰ सी॰ जे॰ एम॰, चाईबासा ने कोई कारण चिन्हित किए बिना दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 437 (6) के निबंधनों में दाखिल याची की जमानत के लिए आग्रह अस्वीकार कर दिया है।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश की आलोचना करते हुए **2000 Cr. L.J. 2644, राम कुमार उर्फ राज कुमार राठौर बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य** में रिपोर्ट किए गए माननीय मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया था, जिसमें पैरा 5 में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णीत किया था कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 437 (6) के प्रावधान आज्ञापक हैं।

3. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने याची की ओर से दाखिल निर्णय का जवाब दिया है तथा निवेदन किया है कि **राम कुमार उर्फ राज कुमार राठौर (ऊपर)** में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय इस मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है। **अर्जुन साहू बनाम मध्य प्रदेश राज्य [2008 Cr. L.J. 2771]** के मामले में पारित निर्णय की दृष्टि में, याची जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार नहीं है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने **2016 AIR (SC) 993** में रिपोर्ट किए गए **1382 कारागारों में अमानवीय दशाओं के मामले** के संदर्भ में दिए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर भी भरोसा किया था, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन सभी विचाराधीन कैदियों को दं॰ प्र॰ सं॰ की 463-A का लाभ प्रदान करने के लिए सामान्य निर्देश निर्गत किए हैं, जिन्होंने अधिकतम दण्ड से दण्डनीय अपराध के लिए हिरासत की अवधि का आधा भाग पूरा कर लिया है।

5. यह निवेदन किया गया है कि याची 21.10.2014 से 27 महीनों से अधिक समय से हिरासत में है, जो मामले में दण्डनीय अधिकतम दण्ड की हिरासत का लगभग आधा है तथा B.A. सं॰ 8703/ 2014 एवं B.A. सं॰ 3018/2016 में इस न्यायालय द्वारा दो बार उसकी जमानत अस्वीकार कर दी गई थी।

6. दिनांक 28.10.2016 के आदेशाधीन, समूचे मामले का अभिलेख मंगाया गया था, जो प्राप्त हुआ है।

7. यह प्रतीत होता है कि 25.8.2015 को याची तथा सह–अभियुक्त दीपक भट्टाचार्या एवं अमर भट्टाचार्या के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 406, 420, 467, 468, 471 एवं 120B के अधीन आरोप विरचित किए गए हैं तथा अन्तिम प्रपत्र के नौ गवाहों में से 15.6.2016 तक अभियोजन द्वारा केवल तीन गवाहों को परीक्षित किया गया है।

8. पक्षकारों की सुनवाई करने के उपरान्त तथा मामले के अभिलेख एवं आक्षेपित आदेश का भी अवलोकन करने के उपरान्त, यह प्रतीत होता है कि विद्वान अवर न्यायालय ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 437 (6) के अधीन दाखिल याची की याचिका अस्वीकार कर दिया है यह कारण देते हुए कि विचारण चल रहा है तथा 2.6.2016 तक, दो गवाहों का परीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों की दृष्टि में, मैं पाता हूँ कि विचारण न्यायालय द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 436 के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन हुआ है।

9. तथ्यों तथा परिस्थितियों में, मैं दाण्डिक प्रकीर्ण याचिका सं॰ 2263 वर्ष 2016 में कोई गुण नहीं पाता हूँ, तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।

10. इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याची 27 महीनों से हिरासत में है तथा भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 406, 420, 467, 468, 471 एवं 120-B के अधीन अपराध 10 वर्षों के अधिकतम दण्ड से दण्डनीय हैं, मैं विचारण न्यायालय को इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से छः महीनों की अवधि के भीतर विचारण पूरा करने का निर्देश देता हूँ तथा अगर विचारण न्यायालय पूर्वोक्त अवधि के भीतर विचारण पूरा नहीं करेगा, याची अवर न्यायालयों में जमानत के लिए आवेदन दाखिल कर सकता है तथा विचारण न्यायालय दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 436-A के प्रावधानों का अवलम्ब लेने के उपरान्त पर्याप्त जमानत बंध पत्रों पर याची को जमानत पर छोड़ देगा।

11. इस आदेश की एक प्रति फैक्स के माध्यम से विचारण न्यायालय को भेजी जाय।

12. विचारण न्यायालय को अवर न्यायालय के अभिलेख विशेष संदेशवाहक के माध्यम से तत्काल भेजी जाय।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

कार्तिक साह

cuke

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 5651 of 2005. Decided on 2nd February, 2017.

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894—धाराएँ 4 एवं 18—भूमि का अधिग्रहण–संदर्भ–अधिग्रहण पूरा हो चुका है तथा याची द्वारा स्वीकार किए जाने से इनकार करने पर अधिनिर्णय की राशि कोषागार में जमा करा दी गई है–अब, याची संदर्भ मामले को आगे ले जाकर केवल 1894 के अधिनियम के अधीन उपबंधित उपचार का आश्रय ले सकता है–रिट याचिका खारिज। (पैरा 5)

अधिवक्तागण.–Mr. Lakhan Chandra Roy, For the Petitioner; JC to SC (L & C), For the Resp-State.

आदेश

याची तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. याची ने कतिपय भूमि, जिसमें याची खाता सं॰ 267 के प्लांट सं॰ 856 क्षेत्रफल 61 डिसमिल पर स्वामित्व एवं अभिधान का दावा करता है के अधिग्रहण से सम्बन्धित अधिसूचना सं॰ 10/DLA/देवघर–18/04-515/ORA, राँची दिनांक 9.7.2005 को विधि के प्रावधानों के विरुद्ध होने का अभिकथन करते हुए इसकी आलोचना की है।

3. याची अभिकथित करता है कि प्रत्यर्थी प्राधिकारियों ने शहीद स्थल, जहाँ ब्रिटेन द्वारा वर्ष 1857 में तीन स्वतंत्रता सेनानीयों (सिपाहियों) को फाँसी लगाकर मार दिया गया था, की स्थापना के लिए उसकी जमीन का अधिग्रहण करने में भेदभाव पूर्ण तरीके को अपनाया था। याची ने तर्क दिया कि यद्यपि आज तक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है परन्तु प्रत्यर्थी प्राधिकारीगण शहीद स्थल के सौंदर्यीकरण तथा निर्माण के लिए इसका अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में थे। परिशिष्ट–4 नोटिस भी अपेक्षित है।

4. जब दिनांक 3.1.2006 के प्रथम प्रतिशपथ पत्र के दाखिले के बावजूद प्रत्यर्थी का पक्ष अपूर्ण रह गया था, उन्हें सम्पूरक प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा गया था। 2.12.2016 को दाखिल सम्पूरक प्रति शपथ पत्र स्पष्टत: दर्शाता है कि याची ने भूमि अधिग्रहण केस सं॰ 10/04-05 में 1490.78 रु॰ का मुआवजा स्वीकार करने से इनकार कर दिया था तथा समाहर्त्ता के समक्ष भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 18 के अधीन निर्दिष्ट किए जाने के लिए आवेदन भी किया था। जिला भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी, देवघर द्वारा पृष्ठ 17 एवं 18 पर संलग्न परिशिष्टों के अनुसार भूमि अधिग्रहण केस सं॰ 10/04-05 में अधिनियम की धारा 18 के अधीन न्यायालय को निर्दिष्ट भी किया गया है। परिशिष्ट–B श्रृंखला प्रत्यर्थी 5, जिला भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी, देवघर द्वारा विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवघर को किए गए संदर्भ को संलग्न करते हुए दिनांक 29.3.2007 का पत्र है।

5. अभिलेख पर लाए गए इन तथ्यों को देखते हुए याची संदर्भ मामले को आगे ले जाकर, अगर जिला अधिग्रहण न्यायालय, देवघर के समक्ष वास्तव में लम्बित है, 1894 के अधिनियम के अधीन उपबंधित उपचार का ही अब आश्रय ले सकता है। याची द्वारा रखे गए यह तर्क कि सांविधिक प्रावधान का उल्लंघन करके अधिग्रहण हुआ है, नहीं बनता है। अधिग्रहण के पूरा हो जाने से तथा याची द्वारा स्वीकार किए जाने से इनकार करने पर अधिनिर्णय की राशि को जमा कर दिए जाने से, याची इसके छोड़े जाने के लिए जिला भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी, देवघर के पास जाने के लिए या भूमि अधिग्रहण न्यायालय द्वारा यथा अधिनिर्णीत किसी वर्धित मुआवजे को प्राप्त करने के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 18 के अधीन किए गए संदर्भ के परिणाम की प्रतीक्षा करने के लिए स्वतंत्र है, अगर अभी तक इसका निर्णय नहीं किया गया है। रिट याचिका में ऐसी परिस्थितियों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार, इसे उक्त सम्परीक्षणों के साथ खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

निरंजन प्रसाद साह

cuke

झारखण्ड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 1148 of 2004. Decided on 20th January, 2017.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 127 (2)—भरण-पोषण प्राप्त करने की दूसरी पत्नी की हकदारी–विपक्षी को एक अन्य महिला के साथ याची के अस्तित्वशील विवाह की जानकारी नहीं थी–ऐसी परिस्थितियाँ विपक्षी को याची द्वारा भरण-पोषण किए जाने से गैर-हकदार नहीं बना सकती है–आवेदन खारिज। (पैराएँ 4 से 6)

अधिवक्तागण.–Ms. Satakshi, For the Petitioner; Mr. Dinesh Kumar, For the O.P. No.2.

आदेश

याची की ओर से उपस्थित होने वाली विद्वान अधिवक्ता सुश्री सताक्षी तथा विपक्षी सं॰ 2 की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार को सुना।

2. इस आवेदन में याची ने विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुमका द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण केस सं॰ 28 वर्ष 2004 (दाण्डिक प्रकीर्ण केस सं॰ 5 वर्ष 1992) में पारित दिनांक 5.7.2004 के आदेश के अभिखण्डन का आग्रह किया है, जिसके द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 127 (2) के अधीन याची द्वारा दाखिल आवेदन खारिज कर दिया गया है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि विपक्षी सं॰ 2 को मासिक निर्वाहिका के रूप में 400/- रु॰ एक राशि स्वीकार की गई थी जिसे दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 127 (2) के अधीन एक आवेदन दाखिल करके याची ने वापस लेने की ईप्सा किया है, जिस आवेदन को बाद में 5.7.2004 को अस्वीकार कर दिया गया था। याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची ने विपक्षी सं॰ 2 के उसकी दूसरी पत्नी होने के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय अवधि तक मौन बनाए रखा था। यह निवेदन किया गया है कि पुनरीक्षण आदेश में तथा विपक्षी सं॰ 2 द्वारा दाखिल उत्तर में भी, यह स्पष्टत: प्रकट होगा कि विपक्षी सं॰ 2 याची की दूसरी पत्नी है तथा ऐसी परिस्थितियों में विपक्षी सं॰ 2 भरण–पोषण की कोई राशि प्राप्त करने की हकदार नहीं है।

4. इस पर विपक्षी सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विपक्षी सं॰ 2 को याची द्वारा एक अन्य महिला के साथ पहले ही विवाह सम्पन्न किए जाने की जानकारी नहीं थी तथा उसे अंधेरे में रखकर याची ने बाद में विपक्षी सं॰ 2 के साथ विवाह सम्पन्न करा लिया था। यह निवेदन किया गया है कि अगर विपक्षी सं॰ 2 को एक अन्य महिला के साथ याची के अस्तित्वशील विवाह की जानकारी थी तथा अगर ऐसी परिस्थितियों में उसने विवाह किया था, उसे निश्चित रूप से परिणामों का सामना करना था क्योंकि वह दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन कोई मासिक भरण–पोषण प्राप्त करने के हकदार नहीं रही होती। इस प्रकार, विपक्षी सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि दिनांक 5.7.2004 का आदेश अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करके हुआ है तथा अतएव उक्त आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का मुख्य आधार यह है कि विपक्षी सं॰ 2 याची की दूसरी पत्नी है तथा इस प्रकार दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन कोई मासिक भरण–पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में याची के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 14.2.2000 के पुनरीक्षण आदेश तथा उस उत्तर को भी निर्दिष्ट किया है जो याची द्वारा दाखिल किया गया है। इन आदेशों में से कोई भी इंगित नहीं करते हैं कि विपक्षी सं॰ 2 को एक अन्य महिला के साथ याची के अस्तित्वशील विवाह की जानकारी थी तथा उक्त तथ्य के बावजूद उसने याची के साथ विवाह कर लिया था।

6. ऐसी परिस्थितियाँ विपक्षी सं॰ 2 को याची द्वारा उसका भरण–पोषण किए जाने से गैर–हकदार नहीं बना सकती है। इससे भी बढ़कर, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुमका द्वारा इस पर विचार किया गया है कि विचारण के समय याची द्वारा कभी भी यह अभिवचन नहीं उठाया गया था कि विपक्षी सं॰ 2 दूसरी पत्नी है तथा इस सम्बन्ध में कोई विनिर्दिष्ट मुद्दा भी विरचित नहीं किया गया था। उक्त दावा, जो याची द्वारा किया गया है, विलम्ब से किया गया एक दावा है तथा ऐसे दावे को कायम रखने के लिए इसमें आधारभूत तथ्य नहीं हैं। अतएव, ऐसी परिस्थितियाँ विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब

न्यायालय, दुमका द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण केस सं॰ 28 वर्ष 2004 (दाण्डिक प्रकीर्ण केस सं॰ 5 वर्ष 1992) में पारित दिनांक 5.7.2004 के आदेश में किसी हस्तक्षेप की माँग नहीं करती है तथा तद्नुसार, इस आवेदन में कोई गुण नहीं पाते हुए इसे एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; jRukdj Hkxjk] U;k;efr

पार्वती देवी एवं एक अन्य (804 में)

नागेश्वर प्रसाद (902 में)

cuke

झारखंड राज्य (दोनों में)

Criminal Appeal Nos. 804, 902 of 2003. Decided on 18th October, 2016.

एस॰ टी॰ सं॰ 119 वर्ष 2001 में विद्वान नौवें अपर सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग, श्री चंद्र प्रकाश अस्थाना द्वारा पारित दिनांक 14.5.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दण्डादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 304B तथा 201/34–दहेज मृत्यु–शव का गुप्त दाह संस्कार–दोषसिद्धि एवं दंडादेश–अभियोजन मामला अभियोजन साक्षियों के विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा समर्थित–दाह संस्कार जल्दबाजी में किया गया था–दहेज की मांगें तथा मृतका को परेशान किया जाना एक दूसरे से इतने दूर नहीं थे कि वह उसके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करते–जीवित संपर्क बिल्कुल विद्यमान था–मृत्यु अप्राकृतिक थी एवं विवाह के सात वर्षों के भीतर थी–गवाह मृत्यु के पहले दहेज की मांग तथा तंग किये जाने के संबंध में एक दूसरे का सम्पोषण करते हैं–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अभिपुष्ट–अपील खारिज।

(पैराएँ 29 से 37, 39 से 42)

निर्णयज विधि.–(2011)7 SCC 421; (2004)4 SCC 13; 2011 (1) East Cr. C. 447 (Jhr.); 2012 (3) East Cr. C. 73 (SC)—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Kripa Shankar Nanda, For the Appellants; Mr. Ajimuddin, For the State; Mr. A.K. Sahani. Mr. Sahdeo Choudhary, For the Informant.

रत्नाकर भेंगरा, न्यायमूर्ति.–ये दांडिक अपीलें विद्वान नवम् अपर सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग द्वारा एस॰ टी॰ संख्या 119 वर्ष 2001 में पारित दिनांक 14.5.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश के विरूद्ध निर्दिष्ट हैं, जिसके द्वारा उक्त नामजद अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया है। अपीलार्थीगण शंकर महतो तथा नागेश्वर प्रसाद को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 201/34 के अधीन दंडनीय अपराध का भी दोषी पाया गया है तथा तद्नुसार, उन्हें उक्त धाराओं के अधीन भी दोषसिद्ध किया गया है। दोषसिद्धों शंकर महतो, नागेश्वर प्रसाद एवं पार्वती को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304B के अधीन दंडनीय अपराध के लिये सात वर्षों का सश्रम कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया है तथा दोषसिद्धों शंकर महतो एवं नागेश्वर प्रसाद को भी भारतीय दंड संहिता की धाराओं 201/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिये तीन वर्षों का सश्रम कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया है।

2. छोटी महतो के दिनांक 3.11.1999 के लिखित प्रतिवेदन के अनुसार अभियोजन मामला संक्षेप में यह है कि इसी वर्ष (1999) में बैशाख के महीने में उसकी पुत्री मंती देवी का गया पहाड़ी के नागेश्वर

प्रसाद के साथ विवाह हुआ था। विवाह के उपरान्त उसकी पुत्री अपने वैवाहिक गृह के लिए गयी थी तथा अपने पति के साथ रहती थी। परन्तु विवाह के उपरान्त मन्ती देवी (मृतका) के ससुर शंकर महतो, सास पार्वती देवी, पति नागेश्वर प्रसाद, उसकी गोतनियों में से एक नारायण महतो की पत्नी तथा देवर मेघन प्रसाद ने तिलक के रूप में 10,000/- रुपये की मांग करना प्रारंभ कर दिया था। मंती देवी द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को इस मामले की सूचना दी गयी थी। आसिन के महीने में कर्मा त्योहार के उपरान्त वह अपनी पुत्री के साथ उसके दाम्पत्य गृह वापस आयी थी। सूचनादाता ने अपीलार्थीगण के समक्ष वादा किया था कि वह आलू बेचने के उपरान्त धन दे देगा। परन्तु ससुराल वाले फिर भी मन्ती देवी को तंग करते रहे थे। अतएव, उसकी पुत्री अपने माता-पिता के घर वापस आ गयी थी।

यह भी अभिकथित किया गया है कि सूचनादाता एक बार पुनः 22.10.1999 को अपनी पुत्री के साथ उसके ससुराल गया था एवं अगले सप्ताह दिनांक 31.10.1999 को रविवार के दिन वह पुनः अपनी पुत्री के कुशल क्षेम के बारे में पूछने के लिए मन्ती देवी के ससुराल गया था तथा भोजन करने के बाद सूचनादाता अपने घर लौट आया था। दिनांक 1.11.1999 की सुबह में सोमवार को वह कोडरमा जिला में अपने ही ससुराल की ओर निकल पड़ा था। यह भी अभिकथित किया गया है कि वह सोमवार को गया था एवं मंगलवार को लगभग 5 बजे अपराह्न में घर लौट आया था। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी, जो रो रही थी, ने उसे बताया था कि उसकी पुत्री को मार दिया गया है तथा इसके बाद दाह संस्कार कर दिया गया था। फिर उसे उसके पड़ोसियों तथा मन्ती देवी के ससुराल के मोहल्ले के लोगों से मालूम हुआ था कि सोमवार को उसकी पुत्री का दाह संस्कार कर दिया गया था।

यह भी अभिकथित किया गया है कि सूचनादाता के भाई दिना महतो, हेमल महतो तथा उसके पड़ोसियों ने उसे बताया था कि अभियुक्त उसे उसकी मृत्यु के बारे में क्यों सूचित करेंगे क्योंकि उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके कानों, नाक एवं मुंह से रक्त स्राव हो रहा था एवं उसकी जीभ पर कटने के चिन्ह थे। अतएव, उपरोल्लिखित तथ्यों को सुनने के उपरान्त सूचनादाता इसको लेकर निश्चित हो गया था कि उसकी पुत्री को मार दिया गया है।

3. सूचनादाता की लिखित रिपोर्ट के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 304B/201/34 के अधीन बरकठा पुलिस थाना केस सं॰ 86 वर्ष 1999 दर्ज किया गया था तथा मामले का अन्वेषण प्रारम्भ किया था तथा अन्वेषण के पूरे हो जाने पर अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग-पत्र दाखिल किया गया था तथा तद्नुसार, अपराध का संज्ञान लिया गया था तथा मामला सत्र न्यायालय भेज दिया गया था तथा एस॰ टी॰ सं॰ 119 वर्ष 2001 के तौर पर दर्ज किया गया था। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304B, 201 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे जिनके विरुद्ध अभियुक्तों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया था तथा विचारण किए जाने का दावा किया था।

4. अभियोजन ने कुल मिलाकर 15 गवाहों को परीक्षित किया है, अ॰ सा॰ 1 खूबलाल महतो, अ॰ सा॰ 2 लोकन महतो (मृतका का चाचा) अ॰ सा॰ 3 दीना महतो, अ॰ सा॰ 4 छोटी महतो, अ॰ सा॰ 5 हेमल महतो, अ॰ सा॰ 6 राजेन्द्र प्रसाद (मृतका का भाई) अ॰ सा॰ 7 प्रयाग प्रसाद (सूचनादाता का संबंधी) अ॰ सा॰ 8 ललिया देवी जो मृतका की माता है, अ॰ सा॰ 9 छोहानी देवी जो मृतका की चाची है, अ॰ सा॰ 10 केदार प्रसाद (पक्षद्रोही घोषित), अ॰ सा॰ 11 छोटी महतो, जो सूचनादाता एवं मृतका का पिता है, अ॰ सा॰ 12 जगन मियाँ (पक्षद्रोही घोषित), अ॰ सा॰ 13 जगदीश प्रसाद, अ॰ सा॰ 14 हीरा लाल प्रसाद एवं अ॰ सा॰ 15 शिव प्रसाद हैं।

5. विचारण किया गया था तथा विचारण के परिणामतः अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि हुई थी तथा उन्होंने यथा पूर्वोक्त दण्डादेश सुनाया था।

6. अब मैं अभियोजन साक्षीगण के अभिसाक्ष्यों पर विचारण करूँगा।

7. अ॰ सा॰ 1 खूबलाल महतो है। उसने अभिसाक्ष्य दिया था कि वह घटनास्थल की ओर गया था तथा शंकर महतो के घर में मंती देवी को मृत पड़ा पाया था। उसने मृतका का शव चौकी पर पड़ा हुआ देखा था। उसने यह भी कथित किया कि अपने विवाह के छह महीने बाद मंती देवी की ससुराल में मृत्यु हो गई थी। उसने पूर्ण रूप से अभियोजन मामले का समर्थन किया है। उसने फर्श को साफ तथा चिकना किया हुआ पाया था।

अपनी प्रति परीक्षा में उसने कथित किया है कि मृतका के पिता एवं चाचा ने घटना के उपरांत उसके ससुराल वालों से 20,000/- रुपए की मांग नहीं की थी, न ही उन्हें कोई मामला दर्ज करने की धमकी दिया था।

8. अ॰ सा॰ 2 लोकन महतो सूचनादाता का बड़ा भाई है तथा उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि नागेश्वर महतो, शंकर महतो एवं शंकर महतो की पत्नी 10,000/- रुपए के दहेज की मांग के लिए मृतका मंती देवी के साथ झगड़ा कर रहे थे। कर्मा त्योहार में जब वह आई थी, उसे उससे यह जानकारी मिली थी। उसे सोमवार के प्रात:काल में जानकारी हुई थी कि लड़की की मृत्यु हो चुकी है; तब वह गिरधारी महतो एवं अन्य के साथ शंकर महतो के घर गया था तथा उन्होंने देखा था कि लड़की चौकी पर मृत पड़ी हुई थी तथा उसके कान, नाक एवं मुँह से रक्त बह रहा था। उसने शंकर को उसके छोटे भाई के आने तक उसके शव का दाह-संस्कार करने से मना किया था परन्तु उन्होंने अन्यथा किया था। उसने यह भी कथित किया कि उसे छोटन महतो से मृतका की मृत्यु के बारे में जानकारी मिली थी।

9. अ॰ सा॰ 3 दीना महतो ने कथित किया है कि मंती देवी की मृत्यु के बारे में जानकारी मिलने पर वह शंकर महतो के घर गया था तथा मृतका मंती देवी को घर के अन्दर मृत पड़ा हुआ पाया था तथा देखा था कि उसके कान, नाक एवं मुख से रक्त बाहर निकल रहा था। उसने यह भी कथित किया है कि मृतका के पिता के आगमन के पहले अभियुक्त व्यक्तियों ने शव को जला दिया था। उसने यह भी कथित किया है कि शेष 10,000/- रुपए के लिए मृतका पर अत्यधिक दबाव डाला जा रहा था।

10. अ॰ सा॰ 4 छोटी महतो सूचनादाता का समधी है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वह घटना-स्थल पर गया था, मृतका धीरे-धीरे सांस ले रही थी तथा इसके उपरांत उसकी मृत्यु हो गई थी। उसने फर्श को साफ तथा चिकना किया हुआ पाया था। सास के पूछने पर उसने कथित किया कि मृतका ने उल्टी किया था, अतएव इसे साफ किया गया था। उसने उसकी नाक से रक्त भी बाहर बहते हुए देखा था।

11. अ॰ सा॰ 5 हेमल महतो ने अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतका की मृत्यु उसके ससुराल में हुई थी। उसने देखा था कि रक्त उसके मुख तथा नाक से रिस रहा था। उसने अपीलार्थी शंकर महतो से शव को न जलाने का आग्रह किया था तथा वह मृतका के पिता को सूचित करेगा इसके बावजूद अपीलार्थी ने शव जला दिया था।

12. अ॰ सा॰ 6 राजेन्द्र प्रसाद मृतका का भाई है। उसने कथित किया कि नागेश्वर, शंकर, पार्वती तथा नारायण 10,000/- रुपए के लिए मंती देवी से झगड़ा किया करते थे। मृतका का पिता समझाने के लिए अपीलार्थी शंकर के घर भी गया था। उसने कथित किया कि उन्हें कोई सूचना दिए बिना अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा शव को जला दिया गया था।

13. अ॰ सा॰ 7 प्रयाग प्रसाद ने कथित किया है कि अपीलार्थी शंकर ने रात्रि के 1:30 बजे उसे सूचित किया था कि मंती देवी बीमार है। उसने देखा था कि मंती देवी के शरीर में कोई प्राण बाकी नहीं रह गया था। बाद में उसने मंती देवी के मुँह तथा नाक से रक्त बाहर आते हुए देखा था। उसे संदेह हो गया था तथा वह सोमवार को ही घर आ गया था। बाद में उन्हें मालूम हुआ था कि शव का दाह-संस्कार कर दिया गया था।

14. अ॰ सा॰ 8 श्रीमती ललिया देवी, जो मृतका की माता है ने अभिसाक्ष्य दिया था कि जब उसकी पुत्री कर्मा त्योहार के लिए आई थी, उसकी पुत्री ने सूचित किया था कि अपीलार्थीगण ने मृतका से

10,000/- रुपए की मांग किया था। बाद में उसे यह भी मालूम हुआ था कि उसे खाना–पीना नहीं दिया गया था तथा वे उससे झगड़ा करते रहते थे। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि जब उसे उसकी पुत्री की मृत्यु के बारे में सूचित किया गया था, वह अभियुक्तों के घर गई थी तथा देखा था कि उसकी पुत्री का शव प्रांगण में पड़ा हुआ था तथा कान एवं मुँह से रक्त बह रहा था।

15. अ॰ सा॰ 9 छोहानी देवी ने अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतका उसकी भतीजी थी। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि दो वर्ष पहले विवाह हुआ था। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि जब मृतका कर्मा त्योहार पर आई थी, तब उसने बताया था कि उसके ससुर, सास, गोतनी, पति एवं ननद उसके साथ झगड़ा किया करते थे तथा 10,000/- रुपए की मांग की थी। धन की व्यवस्था नहीं की जा सकी थी। उसे वापस भेज दिया गया था, तब उस पर प्रहार किया गया था एवं मार दिया गया था। उसने शंकर महतो के प्रांगण में शव को देखा था तथा उसकी नाक एवं कान से रक्त बह रहा था।

अपनी प्रति–परीक्षा में उसने इससे इन्कार किया है कि सूचनादाता (छोटी) ने 20,000/- रुपए की मांग किया था तथा इन्कार करने पर उसने मामला दर्ज किया था।

16. अ॰ सा॰ 10 केदार प्रसाद को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अपने अभिसाक्ष्य के पैरा 1 पर उसने कथित किया कि उसने अपीलार्थी शंकर महतो के प्रांगण में मृतका का शव पड़ा हुआ देखा था।

17. अ॰ सा॰ 11 छोटी महतो (सूचनादाता) मृतका का पिता एवं सूचनादाता है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि लगभग दो वर्ष 10 महीने पहले नागेश्वर के साथ उसकी पुत्री का विवाह हुआ था। 1.11.1999 को उसकी मृत्यु हो गई थी। घटना के बारे में सूचना प्राप्त होने पर उसके गोत्र भाई दीना महतो, सगे भाई लोकन एवं हेमन महतो एवं अन्य शंकर महतो के घर गए थे तथा लड़की को मृत पाया था। उसकी पत्नी ने उसे सूचित किया था कि लड़की को मार दिया गया है तथा दाह–संस्कार कर दिया गया है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि आषाढ़ में जब विवाह के उपरांत लड़की अपने ससुराल गई थी, तब शंकर महतो एवं उसके परिवार के सदस्यों ने 10,000/- रुपए की मांग की थी। कर्मा त्योहार के समय जब वह अपनी पुत्री को लाने गया था, तब शंकर महतो, नागेश्वर तथा उसकी माता ने 10,000/- रुपए की मांग की थी। उसने उस समय भी अपनी कठिनाईयाँ प्रकट किया था। तब उसने उसे बताया था कि मौसम आने पर वह आलू बेचेगा तथा फिर उनकी मांग पूरी करने में सक्षम हो सकेगा। उसने लिखित रिपोर्ट पर प्रदर्श–1 के तौर पर अंकित अपने हस्ताक्षर को सिद्ध किया है।

लिखित रिपोर्ट के बारे में अपनी प्रति–परीक्षा में उसने कहा कि उसने इसे प्रखण्ड में टंकित कराया था तथा दुर्गा महतो द्वारा इसे उसे पढ़कर सुनाया गया था।

18. अ॰ सा॰ 12 जगन मियाँ है। उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि लगभग चार वर्ष पहले विवाह सम्पन्न हुआ था तथा यह कि विवाह के लगभग एक वर्ष बाद मृतका की मृत्यु हुई थी। वह यह नहीं जानता है कि मृतका की मौत कैसे हुई थी। परन्तु वह कहता है कि उसने मृतका की ससुराल में घर के बरामदे में शव को देखा था। अपनी प्रति–परीक्षा में उसने कथित किया है कि मृतका का उसके ससुराल वालों के साथ सौहार्द्रपूर्ण संबंध था।

19. अ॰ सा॰ 13 जगदीश प्रसाद है। उसने अभिसाक्ष्य दिया था कि मंती तथा नागेश्वर का विवाह लगभग पाँच वर्ष पहले हुआ था तथा उसकी मृत्यु उसके ससुराल में हुई थी। उसे शंकर महतो द्वारा शंकर के बड़े पुत्र नारायण को हजारीबाग में मंती की मृत्यु की सूचना देने के लिए कहा गया था तथा तद्नुसार उसने ऐसा किया था। जब वह तथा नारायण घर पर गया था, तब 3-4 बजे अपराह्न *(sic* ?) में उसने देखा था कि शव का दाह–संस्कार किया जा रहा है।

अपनी प्रति-परीक्षा में उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि मंती तथा उसके ससुर तथा सास के बीच संबंध अति सौहार्दपूर्ण थे तथा उसने कभी भी उनके बीच किसी झगड़े के बारे में नहीं सुना था। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि मंती के ससुराल वालों पड़ोसी द्वारा शव का दाह-संस्कार किया गया था तथा छोटी महतो भी उपस्थित था। उसने यह भी कहा है कि उनके विरुद्ध मामला दर्ज नहीं करने के लिए सूचनादाता ने अभियुक्तों से 20,000/- रुपए की मांग किया था।

20. अ॰ सा॰ 14 हीरा लाल प्रसाद है तथा उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है। उसने यह भी साक्ष्य दिया है कि मंती तथा नागेश्वर के बीच 3-4 वर्ष पहले विवाह हुआ था। उसने स्वीकार किया है कि वह अपीलार्थी नागेश्वर का संबंधी है। उसने अभिसाक्ष्य दिया था कि मंती की लगभग तीन वर्ष पहले मृत्यु हुई थी तथा उसकी मृत्यु के समय वह अतिसार से ग्रसित भी थी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तथापि, उसने स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के अन्वेषण में उन्हें यह नहीं बताया था। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी वह दिन के समय अभियुक्त नागेश्वर प्रसाद के घर गया था परन्तु वह वहाँ पर रात्रि में नहीं था। उसने कथित किया कि मृतका की अतिसार के कारण मृत्यु हुई थी तथा उसका इसके लिए उपचार किया जा रहा था। उसने कथित किया है कि पुलिस ने उसका बयान लिया था परन्तु उसने पुलिस को यह नहीं बताया था कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी।

अपनी प्रति-परीक्षा में उसने कथित किया है कि दाह-संस्कार के दौरान मृतका लड़की के पिता, माता, लोकन एवं अन्य ने भाग लिया था। हेमलता तथा प्रयाग प्रसाद ने भी भाग लिया था। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि मंती की मृत्यु के पहले उसके पति एवं उसके ससुराल वालों के साथ उसके अच्छे संबंध थे। यह कि दहेज तथा इस प्रकार की किसी बात के लिए कभी भी कोई पंचायत आयोजित नहीं की गई थी।

21. अ॰ सा॰ 15 शिव प्रसाद अधिवक्ता लिपिक है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि फर्दबयान उसके सामने टंकित किया गया था, इस पर सूचनादाता छोटी महतो को जोर से पढ़कर सुनाया गया था तथा इसके उपरांत उसने इस पर अपना हस्ताक्षर किया था। उसने प्रदर्श-2 के तौर पर अंकित टंकित लिखित रिपोर्ट तथा प्रदर्श 2/1 के तौर पर अंकित इस पर पृष्ठांकन को सिद्ध किया है।

22. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि 1 से 8 तथा 11 हितबद्ध गवाह हैं तथा वे एवं दूसरे के संबंधी हैं। यह एक प्राकृतिक मृत्यु है दुर्घटना मृत्यु नहीं। उन्होंने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304B के घटकों को निर्दिष्ट किया है तथा कथित किया है कि उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर मृत्यु नहीं हुई थी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दहेज की मांग के लिए पीड़िता को प्रताड़ित नहीं किया गया था। अप्राकृतिक मृत्यु के बिन्दु के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यह सोच-समझ कर किया गया प्रक्षेप था तथा प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने मृतका के पिता, सूचनादाता की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन किया है तथा निर्दिष्ट किया है कि यह स्पष्ट है कि 31.10.1999 को वह अभियुक्त शंकर महतो के घर गया था तथा वहाँ जब सब कुछ उपयुक्त एवं सामान्य भी था, अतएव यह संभव नहीं है कि इसके उपरांत संदिग्ध या आपराधिक परिस्थितियों के अधीन मृत्यु हो गई थी। स्वीकार्यत: 31.10.1999 को 8.30 बजे अपराह्न में अ॰ सा॰ 11 सूचनादाता ने अपीलार्थी के साथ भोजन किया तथा फिर लौट आया था। तथापि, घटना के संबंध में यह रात्रि में ही सूचित कर दिया गया था कि मृतका की हालत खराब थी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि मृतका की मृत्यु के बारे में अ॰ सा॰ 1 को सूचित कर दिया गया था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह प्राकृतिक मृत्यु का एक मामला है तथा गवाहों ने मृतका को उल्टी होने के मामले का समर्थन किया है जो पीड़िता की बीमारी को इंगित करता था। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कथित किया है कि 3.11.1999 को मृत्यु के दो दिनों के उपरांत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि इस मामले में अन्वेषण पदाधिकारी को परीक्षित नहीं किया गया था जिसने अपीलार्थी के मामले को गंभीर हानि कारित की है। अन्वेषण पदाधिकारी

प्राथमिकी दर्ज करने में हुए विलम्ब के कारणों को अभिव्यक्त कर सकता था। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि ससुर तथा सास को इस मामले में आलिप्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे अलग रह रहे हैं तथा दहेज की मांग के संबंध में ससुर तथा सास द्वारा पीड़िता को प्रताड़ित किए जाने के संबंध में कुछ भी उल्लिखित नहीं किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्राथमिकी दर्ज करने में विलम्ब हुआ था क्योंकि घटना 31.10.1999 से 1.11.1999 के बीच हुई थी, यह विलम्ब एवं कहानी तैयार करने के लिए हुआ था।

23. बचाव-पक्ष ने भी अ॰ सा॰ 10 एवं अ॰ सा॰ 12 के अभिसाक्ष्य पर भरोसा करने की ईप्सा किया है जिन्हें पक्षद्रोही घोषित किया है तथा अ॰ सा॰ 13 पर जिसने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। अ॰ सा॰ 13 जगदीश प्रसाद ने अभिसाक्ष्य दिया है कि पाँच वर्ष पहले मृतक मंती देवी तथा नागेश्वर प्रसाद के बीच विवाद हुआ था। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी शंकर के कहने पर, वह उसके बड़े भाई नारायण को हजारीबाग में मृत्यु की सूचना देने के लिए वहाँ गया था। जब वह नारायण के साथ लौटा था उसने लगभग 3-4 बजे अपराह्न में शव का दाह-संस्कार किए जाते हुए देखा था।

24. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि प्रति-परीक्षा पर अ॰ सा॰ 13 ने कथित किया है कि मंती देवी का उसके ससुर तथा सास के साथ संबंध अच्छा था। यह कि उसने कभी भी मंती देवी तथा उसके ससुर-सास के बीच किसी झगड़े के बारे में नहीं सुना था। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि दोनों परिवारों की भागेदारी के साथ दाह-संस्कार किया गया था तथा छोटी महतो (लड़की का पिता तथा सूचनादाता) भी वहाँ पर था। छोटी महतो ने मामला दर्ज नहीं करने के लिए 20,000/- रुपए की मांग किया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कथित किया है कि अ॰ सा॰ 13 स्वतंत्र गवाह है तथा पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है एवं एक विश्वास योग्य गवाह है तथा काफी मात्रा में अभियोजन के मामले को दुर्बल बनाता है। अधिवक्ता ने यह भी कथित किया है कि अ॰ सा॰ 10 एवं 12 जिन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया था ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। अ॰ सा॰ 10 ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने कान एवं नाक से रक्त-स्राव होते नहीं देखा था तथा छोटी एवं शंकर द्वारा मिलकर दाह-संस्कार किया गया था। अ॰ सा॰ 13 ने मृतका मंती देवी तथा उसके ससुराल वालों के बीच अच्छे संबंधों के होने का भी उल्लेख किया है।

25. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बचाव पक्ष के साक्षियों द्वारा दिये गये अभिसाक्ष्य पर भी भरोसा किया है। ब॰ सा॰ 1 लालमनी महतो तथा ब॰ सा॰ 2 देवी लाल प्रसाद है। अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि ब॰ सा॰ 1 तथा ब॰ सा॰ 2 दोनों ने कथित किया है कि मृतका मन्ती देवी तथा उसके पति समेत उसके ससुर एवं सास के साथ संबंध अच्छे थे। दोनों ने अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतका की अतिसार के कारण मृत्यु हुई थी तथा उसका हजारीबाग के किसी डॉ॰ कल्याण चटर्जी द्वारा उपचार किया गया था। दोनों ने अभिसाक्ष्य दिया है कि नागेश्वर अपनी दादी के साथ अलग रहा करता था तथा इसे सिद्ध करने के लिए एक राशन कार्ड/पुस्तिका भी प्रस्तुत की गयी है तथा इसे प्रदर्श X के रूप में अंकित किया गया है। दोनों ने कथित किया है कि 1991 में विवाह हुआ था। दोनों ने अभिसाक्ष्य दिया है कि दाह संस्कार के दौरान छोटी महतो, उसकी पत्नी एवं लड़की के भाई राजेन्द्र प्रसाद मौजूद थे। दोनों ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि मामला दर्ज न करने के लिए सूचनादाता द्वारा अभियुक्तों से 20,000/- रुपये की मांग की गयी थी। अधिवक्ता ने अभिसाक्ष्य दिया है कि ये दोनों भी गया पहाड़ी के निवासी हैं तथा उनके अभिसाक्ष्य विश्वास योग्य एवं विश्वासोत्पादक हैं तथा अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्ष्यों के प्रतिकूल हैं, अतएव अपीलार्थीगण को संदेह का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए।

26. अपीलार्थीगण द्वारा तर्क की एक पंक्ति यह है कि मृतका का परिवार मृतका की बीमारी के बारे में जानता था तथा उन्हें सूचित भी किया गया था एवं उन्हें दी गयी सूचना के कारण उन्होंने दाह-संस्कार में भाग लिया था। अ॰ सा॰ 13 कथित करता है कि उसने छोटी महतो को दाह संस्कार में देखा था तथा अ॰ सा॰ 14, जिसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है, कथित करता है कि उसने मृतका के व्यक्तियों, पिता, लोकन एवं अन्य को दाह संस्कार में देखा था।

27. दूसरी ओर, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने कथित किया है कि यह दहेज हत्या का एक मामला है तथा विद्वान अवर न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन उचित रूप से अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि एवं दंडादेश किया है। सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने कथित किया है कि पीड़िता के विवाह के सात वर्षों के भीतर उसकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B को निर्दिष्ट किया है जो दहेज मृत्यु की उपधारणा है। उन्होंने कथित किया है कि घटक बाध्यकर रूप से दहेज मृत्यु की उपधारणा उत्पन्न करते हैं। उन्होने यह भी कथित किया है कि पीड़िता लड़की को चिकित्सक के पास नहीं ले जाया गया था एवं चिकित्सक ने पीड़िता की परीक्षा नहीं की है। विवाह के बाद मांग के संबंध में उन्होंने विभिन्न गवाहों के अभिसाक्ष्यों, अर्थात्, पैरा 1 में अ॰ सा॰ 2, प्रधान परीक्षा में अ॰ सा॰ 3, पैरा 3 में अ॰ सा॰ 6, पैरा 1 में अ॰ सा॰ 8 के अभिसाक्ष्य का अवलोकन किया है जिनमें उन्होंने 10,000/- रुपये के धन की मांग या 10,000/- रुपये के मांग के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है। दाह संस्कार में भाग लेने के संबंध में, सूचनादाता के अधिवक्ता ने कथित किया है कि अ॰ सा॰ 2 ने अपीलार्थी शंकर को दाह संस्कार नहीं करने के लिए कहा था परन्तु उन्होंने अन्यथा किया था। अ॰ सा॰ 3 ने यह भी बताया था कि मृतका के पिता के आगमन के पहले शव का दाह संस्कार कर दिया गया था। अ॰ सा॰ 5 ने भी शव का दहन न करने का आग्रह किया था, परन्तु अपीलार्थीगण द्वारा दाह संस्कार पूरा कर लिया गया था। अ॰ सा॰ 6 ने कथित किया है कि उन्हें या मृतका के परिवार के व्यक्तियों को सूचित किये बिना शव का दहन कर दिया गया था। अ॰ सा॰ 7 कथित करता है कि उन्हें बाद में मालूम हुआ था कि शव का दाह संस्कार कर दिया गया था। अतएव, प्रश्न इसके बारे में अधिक नहीं है कि किसने भाग लिया था या नहीं, बल्कि उस जल्दबाजी के बारे में है जिससे दाह संस्कार कर दिया गया था। अतएव, कोई मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है तथा उनके कुकृत्यों को छिपाने के लिए ऐसा किया गया है।

28. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने कथित किया है कि यह स्पष्ट है कि अतिसार के कारण मन्ती की मृत्यु नहीं हुई थी क्योंकि कई गवाहों ने चेहरे तथा शरीर के विभिन्न हिस्सों पर उपहतियों को देखा है। अ॰ सा॰ 2, 4, 5, 7 एवं 8 इन सभी ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने नाक, कान एवं मुंह से रक्तस्राव होते हुए देखा था। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वर्ष 1999 में मृत्यु हुई थी जिसका सभी अभियोजन साक्षियों द्वारा विवाह के कम से कम सात वर्ष के भीतर होने का समर्थन किया गया है। मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी क्योंकि यह विवाह के सात वर्षों के भीतर हुई थी।

<u>तर्क:</u>

29. दाह या शारीरिक उपहति, जो सामान्य परिस्थितियों के अधीन नहीं हैं, के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के घटकों के संबंध में कान, नाक एवं मुंह से रक्तस्राव होने को निर्दिष्ट किया जाना उपहतियों के सामान्य परिस्थितियों के अधीन न होने का सूचक है। कम से कम तीन व्यक्तियों अ॰ सा॰ 2, अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 9 ने कथित किया है कि उन्होंने मृतका के शरीर से मुंह, कान एवं नाक से रक्तस्राव होते हुए देखा था।

30. किसी महिला की मृत्यु के एक घटक के संबंध में कि इसे विवाह के सात वर्षों के भीतर होना है, अ॰ सा॰ 1, अ॰ सा॰ 2, अ॰ सा॰ 11, अ॰ सा॰ 12, अ॰ सा॰ 13 एवं अ॰ सा॰ 14 ने भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अभिसाक्ष्य के समय के बिल्कुल पांच वर्षों के भीतर विवाह हुआ था, अत: विवाह के सात वर्षों के भीतर होने का मापदंड भी इस मामले में लागू होता है।

31. दहेज की मांग के लिए मृत्यु होने के तुरन्त पहले क्रूरता/तंग करने के घटकों के संबंध में अ॰ सा॰ 9 एवं अ॰ सा॰ 11 ने कथित किया है कि कर्मा त्योहार के समय मृतका मन्ती से ही उन्हें यह मालूम हो गया था कि 10,000/- रुपये की मांग की जा रही थी।

32. मन्ती के साथ क्रूरता बरते जाने या तंग किये जाने के घटक के संबंध में अ॰ सा॰ 3, अ॰ सा॰ 6 एवं अ॰ सा॰ 9 के अभिसाक्ष्य में मारने पीटने, प्रताड़ना एवं झगड़ों को निर्दिष्ट किया गया है, तथा यह तथ्य कि इस प्रकार तंग किया जाना, मारना–पीटना एवं यातना दिया जाना 10,000/– रुपये की मांग के संबंध में था, अ॰ सा॰ 2, अ॰ सा॰ 3, अ॰ सा॰ 6, अ॰ सा॰ 8, अ॰ सा॰ 9 एवं अ॰ सा॰ 11 के अभिसाक्ष्य में सामने आया है। वस्तुत: अ॰ सा॰ 11, मृतका के पिता तथा सूचनादाता को मौसम आने पर आलू बेचे जाने तक प्रतीक्षा करने का आग्रह करना पड़ा था ताकि वह उनकी मांग पूरी कर सकें। झगड़ा करने, तंग करने एवं 10,000/– रुपये के लिए यातना देने का घटक इसमें सभी तीनों अपीलार्थीयों से संबंधित किया गया है।

33. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों में से एक यह है कि मृतका की अतिसार के कारण मृत्यु हुई थी तथा किसी डॉक्टर कल्याण चटर्जी के पास भी ले जाया गया था जो मन्ती का उपचार कर रहे थे तथा उनके द्वारा निर्गत एक प्रमाण पत्र को भी निर्दिष्ट किया गया है। तब प्रश्न यह रह जाता है कि अगर अपीलार्थी ने जिरह का यह रास्ता अपनाया था, तब उन्हें एक बचाव पक्ष के गवाह के रूप में न्यायालय के समक्ष क्यों नहीं पेश किया गया था। किसी चिकित्सक के साक्ष्य ने निश्चित रूप से मृत्यु के कारण का भी जिक्र किया होता। इससे भी बढ़कर, गवाहों ने सुसंगत रूप से अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने नाक, कान एवं मुंह से रक्तस्राव होते हुए देखा था तथा यद्यपि इसपर बल देते हुए कि चिकित्सक का अभिमत निर्णायक या आवश्यक था, अतिसार को सामान्यत: एक थोड़ा भिन्न शारीरिक निर्गमन से जोड़ा जाता है। इस तथ्य के साथ कि पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गयी थी जिससे कि मृत्यु समीक्षा तथा पोस्टमार्टम का अभाव है। बचाव के एक मार्ग के रूप में उठाया जा रहा साधारण अतिसार का मामला बचाव के इस ढंग के बारे में युक्तिसंगत संदेह उत्पन्न करता है।

34. अभियोजन किया गया एक बचाव यह है कि दांडिक अपील संख्या 804 वर्ष 2003 के अपीलार्थी संख्या 1 एवं 2 मृतका मन्ती देवी के सास तथा ससुर हैं, वे वृद्ध व्यक्ति हैं तथा यह कि अपीलार्थी नागेश्वर प्रसाद अपनी दादी के साथ अलग रहा करता था तथा राशन कार्ड/पुस्तिका को भी निर्दिष्ट किया गया था जिसमें इंगित उपभोक्ता दादी तथा उसके पोते हैं, परन्तु शरीर अपीलार्थी शंकर महतो के घर/या घर के परिसर में पाया गया था। इससे भी बढ़कर, जब कभी भी तंग करने, मारने पीटने या यातना का अभिकथन किया जाता है, यह नागेश्वर महतो, शंकर महतो एवं पार्वती देवी के विरूद्ध भी किया जाता है, अत: उन्हें अपीलार्थी पति से अलग करना कठिन होगा। यह भी प्रतीत नहीं होता है कि अपीलार्थी नागेश्वर पूर्ण रूप से एक भिन्न गांव या शहर में रह रहा था। वस्तुत: राशन कार्ड में उपभोक्ता के रूप में गया पहाड़ी उल्लिखित था। लघुतर दंड या दोषमुक्ति के लिए भी अभिवचन करने के लिये आयु का प्राय: इस्तेमाल किया गया है, परन्तु यहां परिस्थितियां जैसी प्रतीत होती हैं, उन्हें उनके कष्ट से बाहर निकालना कठिन है।

35. किसी डॉ॰ कल्याण चटर्जी ''मिलन'' से प्राप्त एक प्रमाण पत्र पर किये गये भरोसे के संबंध में, अगर बचाव पक्ष चिकित्सक एवं उसके प्रमाण पत्र के बारे में तर्क रख सकता है, वह उक्त चिकित्सक को न्यायालय में पेश भी कर सकते थे, परन्तु उसे पेश नहीं किया गया था। अतएव, चिकित्सक तथा प्रमाण पत्र के पहलू विश्वास योग्य नहीं हैं।

36. दाह संस्कार के मुद्दे के संबंध में तथा इस संबंध में कि मृतका के परिवार के सदस्यों ने भाग लिया था या नहीं, प्रश्न यह होगा कि कोई मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट या पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया था। अपीलार्थी ने तर्क दिया है कि लगभग 3–4 बजे अपराह्न में दाह संस्कार किया गया था, अत: कोई जल्दबाजी नहीं हुई थी। परन्तु अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि मृतका लड़की के परिवार का प्रत्येक व्यक्ति वहां पर नहीं था, या उनमें से कुछ संभवत: पहुंच गये थे परन्तु दाह संस्कार के समय को लेकर उन्हें सूचित नहीं किया गया था। चूँकि अन्य परिस्थितियां, यह तथ्य कि कोई मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, अपीलार्थीगण को मुक्त करने में सहायता करने के लिए नहीं हैं, यह मृतका की मृत्यु में उनकी संलिप्तता की ओर ही आगे संकेत कर सकता है।

37. प्राथमिकी दर्ज करने में हुए विलम्ब की अवधि के संबंध में यह सूचनादाता द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है कि वह अपनी ससुराल गया था, अतएव एक और दिन का थोड़ा विलम्ब हुआ है। तथापि, विलम्ब कोई अधिक लम्बा नहीं है तथा उसका यह दावा भी कि वह अपनी ससुराल गया था, खंडित किया गया प्रतीत नहीं होता है, अत: विलम्ब का प्रश्न विवादित नहीं है।

38. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने **भजन सिंह उर्फ हरभजन सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2011) 7 SCC 421** के मामले को भी उद्धृत किया है, जो प्राथमिकी दर्ज करने में हुए विलम्ब तथा दंडाधिकारी को रिपोर्ट अग्रसारित करने में हुए विलम्ब से संबंधित है, जो इस उदाहरण पर लागू नहीं हो सकता है क्योंकि मृत्यु 31.10.1999 को हुई है तथा प्राथमिकी 3.11.1999 की है, अतएव प्राथमिकी दर्ज करने में हुआ दो दिनों का विलम्ब इस तथ्य द्वारा स्पष्टीकृत है कि सूचनादाता अपनी ससुराल गया था एवं विलम्ब भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।

39. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **2004 (4) SCC 13** में रिपोर्ट किये गये **कुनही अब्दुल्लाह एवं एक अन्य बनाम केरल राज्य** के पैरा 11 में रिपोर्ट किये गये निर्णय को उद्धृत किया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने सम्परीक्षित किया है:–

> *^^----- ^^rjr igy** ,d lkif{kd in g rFkk ;g iR;d ekey dh ifjfLFkfr;k ij fuHkj gkxk rFkk bl lcèk e dkb lhèkk lVhd l= vfHkdfFkr ugh fd;k tk ldrk g fd ?kVuk d ^rjr igy* dh vofèk D;k gkxhA dkb fuèkkfjr vofèk bfxr djuk [krjukd gkxk rFkk ;g ngt eR;s d fdlh vijkèk d iek.k d fy, ,o lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 113B d vèkhu ,d mièkkj.kk dju d fy, Hkh lkeHl; ijh{k.k d egRo dk lkeu ykrk gA HkkO n0 lO dh lkjxfHkr èkkjk 304B rFkk lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 113B e i;Dr ^^mldh eR;s d rjr igy** vfHk0;fDr lkeHl; ijh{k.k d fopkj d lkFk ektn gA dkb fuf'pr vofèk bfxr ugh dh x;h g rFkk rjr igy vfHk0;fDr ifjHkkf"kr ugh dh x;h gA lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 114 d n"Vkr (a) e i;Dr ^^rjr igy** vfHk0;fDr dk fufn"V djuk llxr gA ;g vfèkdfFkr djrh g fd dkb U;k;ky; mièkkfjr dj ldrk g fd og 0;fDr] ftld ikl ^^pkjh d rjr ckn** pkjh dh oLr, g] ;k rk pkj g] ;k mlu oLrvk d pjk; tku dh tkudkjh jgr g, ml ikIr fd;k g] tcrd fd og bld mld ikl gku dk fglkc ugh nrk gA ml vofèk dk vfHkfuèkkj.k] tk ^rjr igy* in d Hkhrj vk ldrh g] iR;d ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k ij fuHkj jgr g, U;k;ky;k }kjk vfHkfuèkkfjr fd; tku d fy, NkM fn;k x;k gA rFkkfi] ;g bfxr djuk i;kIr gkxk fd ^^rjr igy** vfHk0;fDr dk lkeU;r% vFk gkxk fd lcfèkr Øjrk ;k rx fd; tku rFkk i'ukèkhu eR;s d chp vrjky vfèkd ugh gkuk pkfg,A ngt dh ekx ij vkèkkfjr Øjrk d iHkko rFkk lcfèkr eR;s d chp ,d fudV rFkk ltho lid dk vfLrRo e gkuk vfuok; gA vxj Øjrk dh vfHkdfFkr ?kVuk dkQh igy gb g rFkk bruh ijkuh gk pdh g fd og lcfèkr efgyk d ekufld lryu dk fopfyr ugh djxh] bldk dkb egRo ugh gkxkA**

प्रस्तुत मामले में, दहेज की मांग तथा मृतका को तंग किया जाना इतने दूर नहीं थे कि वह उसके लिए कोई परेशानी उत्पन्न नहीं करते। कोई यह कह सकता है कि सजीव संपर्क बिल्कुल विद्यमान था तथा दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इसका समापन मन्ती एवं उसके माता-पिता के परिवार के लिए अति-दु:खद परिणाम के रूप में हुआ था।

40. सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने **[2011 (1) East.Cr. Cases 447 (झारखंड)**] में रिपोर्ट किये गये **रास बिहारी पाल बनाम झारखंड राज्य** तथा **[2012 (3) East.Cr. Cases 73 (SC)]** के मामले में हुए निर्णय को भी उद्धृत किया है यह इंगित करने के लिए कि विवाह के सात वर्षों

के भीतर होनेवाली अस्वाभाविक मृत्यु के घटक या लक्षण यह हैं कि तंग किये जाने या यातना दिये जाने के साथ जहां दहेज की मांग हुई थी, जहां शव ससुराल वालों के घर के फर्श पर पाया गया था तथा जहां गवाह मृत्यु के पहले दहेज की मांग के लिए तंग किये जाने के संबंध में एक दूसरे का सम्पोषण करते हैं, जो अत्रुटिपूर्ण रूप से अभियुक्त की संलिप्तता एवं दोष की ओर इंगित करे। इस मामले में भी, इसमें सभी अपीलार्थीगण के दोष की ओर इंगित करने के लिये घटक पर्याप्त रूप से विद्यमान हैं।

40. इस प्रकार सभी अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनकर, प्रस्तुत अभिलेखों तथा प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करके, मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में, धारा 304B तथा धारा 201 सह-पठित धारा 34 के अधीन अपराध के लिये अपीलार्थी नागेश्वर महतो की दिनांक 14.5.2003 की दोषसिद्धि एवं दंडादेश बरकरार रखा जाता है तथा उसे शेष दंडादेश को भुगतना होगा। धारा 304B तथा धारा 201 सह-पठित धारा 34 के अधीन अपराध के लिये अपीलार्थी शंकर महतो की दिनांक 14.5.2003 की दोषसिद्धि एवं दंडादेश भी बरकरार रखा जाता है तथा उसे भी शेष दंडादेश भुगतना होगा। धारा 304B के अधीन अपराध के लिये अपीलार्थी पार्वती देवी की दिनांक 14.5.2003 की दोषसिद्धि एवं दंडादेश भी बरकरार रखा जाता है तथा उसे भी शेष दंडादेश भुगतना होगा। तद्नुसार, अपीलार्थीगण के जमानत बंध पत्र रद्द किये जाते हैं। अतएव, दोषसिद्ध करनेवाले या क्रमागत न्यायालय को अपीलार्थीगण के शेष दंडादेश को भुगतने के लिये उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया हेतू उपयुक्त कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है।

43. तद्नुसार, यह अपील अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; ,p lh feJk ,o Mk ,l ,u ikBd] U;k;efrx.k

सईद मिरदाहा

cuke

बिहार राज्य (अब झारखंड)

Cr. Appeal No. 199 of 1992 (R). Decided on 18th January, 2017.

भारतीय दण्ड संहिता, 1860—धाराएँ 452 एवं 302—गृह अतिचार एवं हत्या–आजीवन कारावास–अभियोजन मामला चार चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य द्वारा समर्थित–उनके परिसाक्ष्य को खण्डित करने के लिए कुछ भी नहीं–अभियोजन मामला चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा भी सम्पोषित–स्वतंत्र गवाहों की अपरीक्षा स्वाभाविक ही है क्योंकि घटना केवल परिवार के सदस्यों द्वारा ही देखी गई थी जिन्होंने अभियोजन मामले का पूर्णतः समर्थन किया है–दोषसिद्धि एवं दण्डादेश अभिपुष्ट। (पैराएँ 14 एवं 15)

निर्णयज विधि.–(1976)4 SCC 394; (1989)3 SCC 390—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s. Altaf Hussain, Afaque Ahmed, For the Appellants; M/s. Ram Prakash Singh, For the Respondent.

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.–अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. अपीलार्थी सत्र विचारण सं॰ 64 वर्ष 1988/73 वर्ष 1990 में विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त, लोहरदग्गा द्वारा पारित दिनांक 25.11.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दण्डादेश से व्यथित है, जिसके

द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 452 एवं 302 के अधीन अपराधों का दोषी पाया गया है एवं इनके लिए दोषसिद्धि की गई है। दण्डादेश के बिन्दु पर सुनवाई करके, अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452 के अधीन अपराध के लिए दो वर्षों के सश्रम कारावास का दण्डादेश दिया गया है, तथा दोनों दण्डादेशों के साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया है।

3. अभियोजन मामले के अनुसार, यह अभिकथित किया गया है कि 11.9.1986 को लगभग 7 बजे पूर्वाह्न में प्रातः काल में अपीलार्थी तथा उसके पिता सूचनादाता के चाचा का रास्ता रोक रहे थे, जिस पर अभ्यापत्ति की गई थी, जिस पर यह अभिकथित किया गया है कि अपीलार्थी ने सूचनादाता के चाचा पर फावड़ा से वार किया था जो दीवार पर लगा था एवं इसके बाद दोनों अभियुक्त सूचनादाता के चाचा के प्रांगण में प्रवेश कर गए थे तथा उन्होंने उस पर फावड़ा तथा लाठी से प्रहार करना प्रारम्भ कर दिया था। सूचनादाता अपने घर से घटना देख रहा था जो उसके चाचा के घर के सामने था। परिवार के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। संत्रास किए जाने पर दोनों अभियुक्त व्यक्ति भाग गए थे। सूचनादाता के चाचा को अस्पताल लाया गया था, परन्तु रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी। पूर्वोक्त प्रभाव की प्राथमिकी सूचनादाता के फर्दबयान के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसके आधार पर जी॰ आर॰ सं॰ 242 वर्ष 1986 के तत्सम किस्को पुलिस थाना केस सं॰ 28 वर्ष 1986 संस्थित किया गया था तथा अन्वेषण प्रारम्भ किया गया था। अन्वेषण के उपरान्त पुलिस ने दोनों अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। अन्य अभियुक्तों की इस अपील के लंबित रहते मृत्यु हो गई थी तथा तद्नुसार, दिनांक 11.8.2016 के आदेश के तहत सह-अभियुक्त अपीलार्थी सं॰ 2 के विरुद्ध इस अपील का उपशमन हो गया था।

4. मामला सत्र न्यायालय भेजे जाने के उपरान्त, भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 452 एवं 302 के अधीन अपराध के लिए दोनों अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया था तथा अभियुक्तों द्वारा दोषी न होने का अभिवाक् करने तथा विचारण किए जाने का दावा किए जाने पर उन्हें विचारण पर रखा गया था। विचारण के अनुक्रम में, अभियोजन ने आठ (8) गवाहों को परीक्षित किया है जिनमें से अ॰ सा॰ 2 सिकन्दर मिर्धा मामले का सूचनादाता है, अ॰ सा॰ 3 कमरुनिशा मृतक की भतीजी है, अ॰ सा॰ 4 शमीदा खातुन सूचनादाता की पत्नी है तथा अ॰ सा॰ 6 जसीमा खातुन मृतक की पुत्री है एवं यह घटना का चश्मदीद गवाह है जिन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन किया है। अ॰ सा॰ 7 विश्वनाथ दूबे मामले का अन्वेषण पदाधिकारी है तथा अ॰ सा॰ 8 डॉ॰ वैद्यनाथ प्रसाद जायसवाल ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम परीक्षण किया था।

5. अ॰ सा॰ 1 रामकृष्ण महतो प्राथमिकी का लेखक है, जिसने यह भी कथित किया था कि उसने सूचनादाता द्वारा यथा प्रकटित प्राथमिकी लिखी थी, जिसे उसे पढ़कर सुनाया गया था एवं स्पष्टीकृत किया गया था, जिस पर उसने अपने अंगूठे का चिन्ह लगाया था, जिस पर पुलिस थाने के थाना प्रभारी का भी हस्ताक्षर विद्यमान है। उसकी शिनाख्त पर प्राथमिकी को प्रदर्श 1 के तौर पर अंकित किया गया था। अ॰ सा॰ 2 सिकंदर मिर्धा, जो मामले का सूचनादाता है, ने कथित किया है कि घटना के समय वे अपने दरवाजे पर थे, जब दोनों अभियुक्त जमीन पर मेढ़ लगाकर रास्ता रोक रहे थे। उसके चाचा ने अभ्यापत्ति किया था, जिस पर यह अभिकथित किया गया है कि अभियुक्त सईद मिर्धा ने फावड़े से उसपर प्रहार किया था जो दीवार पर लगा था तथा यह सूचनादाता के चाचा को भी लगा था जिसके उपरान्त सईद मिर्धा ने फावड़े के हैण्डल से उसके चाचा पर प्रहार किया था तथा अन्य अभियुक्त ने भी इस पर प्रहार किया था तथा जब मृतक नीचे गिर पड़ा था वे भाग गए थे। मृतक को अस्पताल ले जाया गया था, परन्तु रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात वह पुलिस थाना गया था एवं मामला दर्ज किया था। इस गवाह

की विस्तार से प्रति–परीक्षा की गई थी, परन्तु वह प्रति–परीक्षा में खरा उतरा है। उसने अपनी प्रति–परीक्षा में कथित किया है कि उसने पुलिस के समक्ष बयान दिया था कि अभियुक्त सईद मिर्धा द्वारा किए गए प्रथम प्रहार पर, यह दीवार तथा मृतक पर भी लगा था।

6. मृतक की भतीजी कमरुनिशा, सूचनादाता की पत्नी अ॰ सा॰ 4 शमीदा खातुन एवं मृतक की पुत्री अ॰ सा॰ 6 जसीमा खातुन नामक अन्य चश्मदीद गवाहों द्वारा लगभग ऐसे ही बयान दिए गए हैं तथा उन्होंने घटना के चश्मदीद गवाहों के रूप में भी मामले का समर्थन किया है ऐसा कथित करते हुए कि अभियुक्त सईद मिर्धा तथा अन्य अभियुक्त रास्ता रोक रहे थे, जिसपर मृतक द्वारा अभ्यापत्ति किया गया था, तदुपरि मृतक पर प्रहार किया गया था। इन सारे गवाहों ने कथित किया है कि अभियुक्त सईद मिर्धा ने फावड़ा द्वारा मृतक पर प्रहार किया था तथा वे भाग गए थे जब मृतक नीचे गिर पड़ा था एवं बाद में, मृतक की मृत्यु हो गई थी। ये गवाह भी प्रति–परीक्षा के जवाब में खरे उतरे हैं तथा उनके परिसाक्ष्य में कुछ छोटी–मोटी विसंगतियों को छोड़कर उनके परिसाक्ष्य को खण्डित करने के लिए उनके परिसाक्ष्य में कुछ भी नहीं है।

7. अ॰ सा॰ 5 बुधराम ओराँव अभिग्रहण सूची का गवाह है तथा उसने कथित किया है कि अन्वेषण पदाधिकारी ने घटना स्थल से रक्त–रंजित मिट्टी जब्त किया था तथा अभिग्रहण सूची तैयार की थी जिस पर उसने अपना हस्ताक्षर किया था। उसने अभिग्रहण सूची पर प्रदर्श 2 के रूप में हस्ताक्षर की शिनाख्त की है। उसने यह भी कथित किया है कि शव की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट अन्वेषण पदाधिकारी द्वारा तैयार कराई गई थी जिस पर उसने अपना भी हस्ताक्षर किया है तथा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर उसका हस्ताक्षर प्रदर्श 3 के तौर पर अंकित किया गया था। उसके परिसाक्ष्य को खण्डित करने के लिए उसकी प्रति–परीक्षा में कुछ भी नहीं है।

8. अ॰ सा॰ 8 डॉ॰ वैद्यनाथ प्रसाद जायसवाल हैं, जिन्होंने 12.9.1986 को मृतक के शव का पोस्टमार्टम परीक्षण किया था एवं शव पर निम्नांकित उपहतियाँ पाई थी:–

"(i) ,fD l yk d uhp Nkrh d ck; Hkkx ij 7" x 1" dh ,d [kjkpA

(ii) ckb dguh d ihN 2" x 1" dh ,d [kjkpA

(iii) ck, ijkbVh ij 2" x ¼" x 1/4" dk fNfnr ?kkoA

(iv) Nkrh d ck, fgLl dh pkFkh] ikpoh] NBh] lkroh ,o vkBoh ilfy;k dk vfLFk HkxA

उन्होंने कथित किया है कि सभी उपहतियाँ मृत्यु पूर्व प्रकृति की थी। उपहति सं॰ 3 तीक्ष्ण धारदार हथियार द्वारा कारित की गई थी तथा अन्य उपहतियाँ कठोर एवं कुंद पदार्थ द्वारा कारित की गई थी एवं उपहतियों के कारण हुए सदमें तथा रक्त स्राव से मृत्यु हुई थी। इस गवाह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपनी लिखावट तथा हस्ताक्षर में होना चिन्हांकित किया है जिसे प्रदर्श 4 के रूप में अंकित किया गया था।

9. अ॰ सा॰ 7 विश्वनाथ दूबे मामले का अन्वेषण पदाधिकारी है, जिसने प्राथमिकी की शिनाख्त की है जो पहले प्रदर्श 1 के रूप में अंकित की गई थी तथा उसने मृतक के घर के प्रांगण के घटना स्थल होने के बारे में कथित किया है जहाँ से उसने रक्त रंजित मिट्टी भी जब्त की थी तथा अभिग्रहण सूची तैयार किया था। उसने अभिग्रहण सूची सिद्ध किया है, जिसे प्रदर्श 2/1 के तौर पर चिन्हित किया गया था। उसने मृतक के शव की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट को भी सिद्ध किया है, जिसे प्रदर्श 3/1 के तौर पर अंकित किया गया था तथा कथित किया है कि अन्वेषण पूरा कर लेने पर उसने मामले में अभियुक्त

व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया था। अपनी प्रति-परीक्षा में उसने कथित किया है कि घटना के दिन, अभियुक्त व्यक्ति भी पुलिस थाना गए थे तथा अभियुक्त सईद मिर्धा घायल अवस्था में था। उसने कथित किया है कि उसके द्वारा उपहति पर्ची तैयार की गई थी तथा अभियुक्त को चिकित्सीय परीक्षा के लिए भेजा गया था। इस गवाह ने यह भी कथित किया है कि सूचनादाता सिकन्दर मिर्धा ने उसके समक्ष कथित नहीं किया था कि अभियुक्त सईद मिर्धा का पहला प्रहार मृतक को भी लगा था, बल्कि उसने कथित किया था कि पहला प्रहार दीवार में लगा था।

10. बचाव पक्ष आरोप से इनकार करने का है तथा बचाव पक्ष के मामले के अनुसार, घटना के अनुक्रम में अभियोजन पक्ष ने बचाव पक्ष पर प्रहार किया था जिसमें अभियुक्त सिकन्दर मिर्धा घायल हो गया था एवं मृतक भी उसपर गिर पड़ा था एवं उसे भी उपहतियाँ आई थी जिनके कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। बचाव पक्ष ने दो गवाहों को परीक्षित किया है जो ब॰ सा॰ 1 इदूल मिर्धा तथा ब॰ सा॰ 2 स्वयं अपीलार्थी सईद मिर्धा है, जिन्होंने यथा उपरोक्त कथित किया है। ब॰ सा॰ 2 ने उपहति पर्ची भी प्रस्तुत की है जिसे मामले में दोषपूर्ण रूप से प्रदर्श A के रूप में अंकित किया गया था, इस तथ्य की दृष्टि में कि उपहति पर्ची की अन्वेषण पदाधिकारी द्वारा शिनाख्त नहीं की गई थी जिसने उपहति पर्ची तैयार किया था। इस कारण प्रदर्श A को साक्ष्य में नहीं लिया जा सका था। अभियुक्त अपीलार्थी सईद मिर्धा को आई उपहतियों को सिद्ध करने के लिए किसी भी चिकित्सक को बचाव पक्ष द्वारा परीक्षा नहीं की गई है। इस प्रकार अपीलार्थी सईद मिर्धा को आई किसी उपहति को सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। परिवाद के रूप में अभियुक्त सईद मिर्धा द्वारा दाखिल एक जवाबी मामला, जिसे पुलिस मामला संस्थित किए जाने के लिए भेजा गया था, प्रदर्श 8 के रूप में सिद्ध किया गया है (अभिप्रमाणित प्रतिलिपि)।

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलार्थी को इस मामले में झुठ-मूठ फंसा दिया गया है क्योंकि अपीलार्थी अपनी ही जमीन पर चारदीवारी खड़ा कर रहा था जिस पर मृतक द्वारा अभ्यापत्ति की गई थी तथा यह अभियोजन पक्ष था जिसने अपीलार्थी को उपहतियाँ कारित करते हुए उसपर पहला प्रहार किया था जिसके कारण वह नीचे गिर पड़ा था तथा झगड़े के अनुक्रम में मृतक उसपर गिर पड़ा था एवं उसे भी उपहतियाँ आई थी जिनके कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन मामला केवल हितबद्ध गवाहों द्वारा समर्थित किया गया है जो मृतक के परिवार के निकट सदस्य हैं तथा अभियोजन के मामले का समर्थन करने के लिए कोई अकेला स्वतंत्र गवाह भी सामने नहीं आया है। विद्वान अधिवक्ता ने **(1976)4 SCC 394** में रिपोर्ट किए गए **लक्ष्मी सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य** में भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें निम्नवत निर्णीत किया गया है–

> *"14. .....;g lLFkkfir g fd cpko i{k d fy, viu ekey dk mruh gh lVhdrk l fl) dju dh vko';drk ugh g ftruh lVhdrk l viu ekey dk fl) djuk vfHk;ktu d fy, vif{kr gkrk g] rFkk ;g i;kIr g vxj cpko i{k vfHk;ktu ekeyk ij ,d ;fDr;Dr Ing m#iUu dju e lQy gk tkrk g] tk vfHk;ktu i{k dk Lohdkj dju d fy, U;k;ky; dk leFk cuku e i;kIr gA***

12. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि चूँकि अभियोजन ने इस तथ्य को छिपाया है कि अपीलार्थी घटना में घायल हुआ था, जो तथ्य बचाव पक्ष के साक्षियों द्वारा सिद्ध किया गया है तथा मामले के अन्वेषण पदाधिकारी अ॰ सा॰ 7 विश्वनाथ दूबे द्वारा भी स्वीकार किया गया है, अभियोजन मामले में पर्याप्त संदेह उत्पन्न हो गया है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता ने **(1989)3 SCC 390** में रिपोर्ट किए गए **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मदन मोहन एवं अन्य** में भारत के सर्वोच्च

न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया है, जिसमें यह निर्णीत किया गया है कि स्वतंत्र गवाहों की अपरीक्षा तथा अभियुक्त को आई उपहतियों को स्पष्टीकृत करने में अभियोजन की विफलता अभियोजन मामले को संदिग्ध बनाती है। इन निर्णयों पर भरोसा करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन अपने मामले को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में विफल रहा है तथा तद्नुसार, यह एक ऐसा उपयुक्त मामला है जिसमें अवर न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दण्डादेश अपास्त किया जाय एवं अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाए।

13. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह का विरोध किया है तथा निवेदन किया है कि घटना स्थल मृतक का प्रांगण है तथा तद्नुसार, परिवार के सदस्य ही मामले के स्वाभाविक चश्मदीद गवाह हैं। यह निवेदन किया गया है कि चार चश्मदीद गवाहों ने मामले का समर्थन किया है ऐसा कथित करते हुए कि यह अपीलार्थी सईद मिर्धा था जिसने मृतक को उपहतियाँ कारित करते हुए उस पर फावड़े से वार कारित किया था तथा अन्य अभियुक्त ने उस पर लाठी से प्रहार किया था। मृतक की बाद में उपहतियों के कारण मृत्यु हो गई थी जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि गवाहों के साक्ष्यों में छोटी-मोटी विसंगतियाँ हो सकती है, परन्तु सभी चश्मदीद गवाहों ने स्पष्ट रूप से कथित किया है कि यह अपीलार्थी ही था जो फावड़े से लैस था एवं फावड़े से मृतक पर प्रहार किया था। चश्मदीद गवाहों का चक्षुदर्शी साक्ष्य अ॰ सा॰ 8 डॉ॰ बैद्यनाथ प्रसाद जायसवाल के चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पूर्णत: समर्थित है जिन्हें विदीर्ण घाव समेत मृतक के शरीर पर चार उपहतियाँ मिली थी। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन अपने मामले को सभी युक्तिसंगत संदेहों से परे सिद्ध करने में सक्षम रहा है। यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि बचाव पक्ष ने एक मामला बनाने का प्रयास किया है कि अपीलार्थी घटना में घायल हुआ था, परन्तु कोई दस्तावेजी साक्ष्य सिद्ध नहीं किया गया है तथा बचाव पक्ष किसी उपहति को सिद्ध करने में विफल रहा है। यद्यपि अ॰ सा॰ 7 अन्वेषण पदाधिकारी ने स्वीकार किया है कि अपीलार्थी को भी घायल पाया गया था, परन्तु उसने उपहति के स्थान या स्वरुप के बारे में कुछ भी कथित नहीं किया है, अर्थात् उपहति रक्त स्राव वाली उपहति थी या नहीं, या केवल खरोंच या चोट थी। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि बचाव पक्ष अपीलार्थी को हुई किसी उपहति को सिद्ध करने में विफल रहा है तथा इस प्रकार ऐसे किसी उपहति को स्पष्टीकृत करना अभियोजन का बोझ नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने इस पर जोर दिया कि अभियोजन अपने मामले को सभी युक्तिसंगत संदेहों से परे सिद्ध करने में सक्षम रहा है तथा अवर न्यायालय द्वारा उचित रूप से अपीलार्थी की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश किया गया है।

14. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनकर अभिलेख का अवलोकन करने पर, हम पाते हैं कि अभियोजन मामला चारों चश्मदीद गवाहों द्वारा समर्थित किया गया है तथा उन सभी ने कथित किया है कि यह अपीलार्थी था–जो फावड़े से लैस था तथा फावड़े से मृतक पर प्रहार किया था। इन गवाहों को विस्तार से प्रति परीक्षित किया गया है परन्तु उनकी प्रति-परीक्षा में उनके परिसाक्ष्य को झुठलाने के लिए कुछ भी बाहर नहीं लाया जा सका था। प्राथमिकी में, यद्यपि यह कथित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा किया गया पहला प्रहार दीवार पर लगा था परन्तु साक्ष्य में यह कथित किया गया है कि पहला प्रहार दीवार तथा मृतक को भी लगा था, परन्तु यह विसंगति ऐसी नहीं है कि गवाहों के साक्ष्य पर पूर्ण रूप से अविश्वास किया जाय क्योंकि सभी गवाहों ने कथित किया है कि अपीलार्थी फावड़ा से लैस था तथा उसने फावड़े से मृतक पर प्रहार किया था जबकि अन्य अभियुक्त ने लाठी से मृतक पर प्रहार किया था। चश्मदीद गवाहों का चक्षुदर्शी साक्ष्य अ॰ सा॰ 8 डॉ॰ बैद्यनाथ प्रसाद जायसवाल के चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पूर्णत: समर्थित है जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सिद्ध किया था तथा एक छिद्रित घाव समेत मृतक की उपहतियों को विस्तार से वर्णित किया था। चिकित्सक ने कथित किया है कि मृतक को कारित मृत्यु पूर्व

उपहतियों द्वारा उत्पन्न सदमे तथा रक्त स्राव के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। वर्तमान मामले में चूँकि घटना स्थल मृतक का प्रांगण है, जहाँ केवल परिवार के सदस्य मौजूद थे, हमारी सुविचारित राय में स्वतंत्र गवाहों की अपरीक्षा स्वाभाविक ही है, क्योंकि घटना केवल परिवार के सदस्यों द्वारा ही देखी गई थी जिन्होंने अभियोजन मामले का पूर्णत: समर्थन किया है। हमारी सुविचारित राय में, अभियोजन अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपों को सभी युक्तिसंगत संदेहों से परे सिद्ध करने में सक्षम रहा है तथा उसकी यथा पूर्वोक्त अपराधों के लिए उचित रूप से दोषसिद्धि एवं दण्डादेश किया गया है।

15. तद्नुसार, सत्र विचारण सं॰ 64 वर्ष 1988/73 वर्ष 1990 में विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त, लोहरदग्गा द्वारा पारित दिनांक 25.11.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दण्डादेश एतद् द्वारा अभिपुष्ट किए जाते हैं। अपीलार्थी जमानत पर है। उसका जमानत बंधपत्र रद्द किया जाता है तथा दण्डादेश पूरा करने के लिए अपीलार्थी को अवर विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। अवर न्यायालय को भी दण्डादेश पूरा करने के लिए अपीलार्थी के आत्मसमर्पण/प्रस्तुतीकरण को बाध्यकर बनाते हुए आदेशिका निर्गत करने का निर्देश दिया जाता है।

16. तद्नुसार, यह अपील खारिज की जाती है। अवर न्यायालय के अभिलेख को इस निर्णय की प्रति के साथ तत्काल वापस भेजा जाए।

डॉ॰ एस॰ एन॰ पाठक, न्यायमूर्ति.—मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; çnhi dekj ekgUrh] dk;dkjh e[; U;k;kèkh'k ,o vkuUn lu] U;k;efr

बिहार राज्य (अब झारखण्ड)

cuke

कुलदीप यादव एवं अन्य

Govt. Appeal No. 7 of 1994. Decided on 26th October, 2016.

सत्र केस सं॰ 7 वर्ष 1993/5 वर्ष 1993 में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा श्री अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 12.10.1993 के दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860—धाराएँ 302/149 एवं 147—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 378—हत्या—विधि विरुद्ध जमाव का सम्मिलित उद्देश्य—दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील—चिकित्सीय साक्ष्य चक्षुदर्शी साक्ष्य से मेल नहीं खाता है—चक्षुदर्शी साक्ष्य हितबद्ध हैं तथा अभियुक्त हैं—प्रत्यर्थीगण के प्रति शत्रुतापूर्ण तथा उन्होंने घटना के भिन्न-भिन्न पक्ष रखे हैं—उनके परिसाक्ष्य चिकित्सक तथा अन्वेषण पदाधिकारी द्वारा संपोषित नहीं हैं—पक्षकारों के बीच काफी पुराना भूमि विवाद था—अभियोजन आरोपों को सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा है—अपील खारिज। (पैराएँ 11, 12 एवं 13)

अधिवक्तागण.—Mr. Pankaj Kumar, For the Appellant; M/s. K.P. Deo, Vikash Kumar, For the Respondents.

न्यायालय द्वारा.—अपीलार्थी के विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री पंकज कुमार तथा प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता, श्री के॰ पी॰ देव को सुना।

2. यह राजकीय अपील महगामा पुलिस थाना केस संख्या 19 वर्ष 1991 से उद्भूत सत्र विचारण

सं॰ 7 वर्ष 1993/5 वर्ष 1993 के संबंध में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-II, गोड्डा द्वारा पारित दिनांक 12.10.1993 के दोषमुक्ति के निर्णय तथा आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त-प्रत्यर्थीगण को उनके विरुद्ध विरचित आरोपों का दोषी नहीं पाया गया है तथा अतएव, उन्हें उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है।

3. ग्राम फसिया टिकार में 1.3.1991 को लगभग 5 बजे पूर्वाह्न में सब-इंस्पेक्टर जी॰ एन॰ मिश्रा को सूचनादाता योगेन्द्र ठाकुर (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) द्वारा दिए गए फर्दबयान पर आधारित अभियोजन पक्ष संक्षेप में यह है कि अभियुक्त देवेन्द्र चौधरी तथा पलटू यादव के बीच पुराना भूमि विवाद चला आ रहा था इसके लिए कई मुकदमें हुए थे तथा अभियुक्त कुलदीप यादव ने सूचनादाता योगेन्द्र ठाकुर के विरुद्ध डकैती कारित करने का मामला दर्ज किया था, जिसके लिए वह उक्त कारागार गया था। अतएव, समूचा गाँव दो भागों में बंट गया था। 28.2.1991 को लगभग 3 बजे अपराह्न में सभी तेरह नामजद अभियुक्त व्यक्ति, अर्थात् कुलदीप यादव, रामेश्वर यादव, बिन्देश्वरी यादव, धनी यादव, बौकी यादव, सीताराम यादव, कारु यादव, देबु यादव, उपेन्द्र यादव, जय प्रकाश चौधरी, देवेन्द्र चौधरी, लेबन यादव तथा दिनेश यादव भाला, गड़ासा, छूरा (तीक्ष्ण धारदार हथियार) जैसे भिन्न-भिन्न हथियारों से लैस होकर सिरसा गाँव से गाली-गलौज करते हुए फसिया टिकार गाँव आये थे तथा उन्होंने पलटू यादव एवं किशन यादव पर प्रहार करने का प्रयास किया था। उस समय सूचनादाता का 50 वर्षीय पिता रामेश्वर ठाकुर कुएँ से पानी लाने जा रहा था। रामेश्वर ठाकुर को मुक्कों तथा लात से मारा गया था एवं अभियुक्त दिनेश यादव तथा लेबन यादव ने उस पर चाकू तथा भाला से वार किए थे, जिसके परिणामत: उसकी मृत्यु हो गई थी। सूचनादाता ने घटना को देखा था। उसने यह भी कथित किया है कि भय के कारण वह सूचना प्रदान करने हेतु तुरंत पुलिस थाना नहीं गया था।

4. उक्त फर्दबयान के आधार पर, सभी अभियुक्त/प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 147, 148, 149 तथा 302 के अधीन एक मामला, महगामा पुलिस थाना केस सं॰ 19 वर्ष 1991, दर्ज किया गया था तथा आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त पूर्वोक्त धाराओं के अधीन संज्ञान लिया गया था तथा मामला सत्र न्यायालय भेज दिया गया था, जहाँ भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 302/148 के अधीन प्रत्यर्थी सं॰ 1, 2 एवं 3 अर्थात् कुलदीप यादव, लेबन यादव एवं दिनेश यादव के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए थे। कुलदीप यादव, लेबन यादव, दिनेश यादव, बौकी यादव, सीताराम यादव, कारु यादव, धानी यादव, बिन्देश्वरी यादव, रामेश्वर यादव, उपेन्द्र यादव, डाबू यादव, देवेन्द्र यादव तथा जय प्रकाश यादव नामक अभियुक्तों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन आरोप लगाया गया था तथा बौकी यादव, सीताराम यादव, कारु यादव, धानी यादव, बिन्देश्वरी यादव, रामेश्वर यादव, उपेन्द्र यादव, डाबू यादव, देवेन्द्र यादव तथा जय प्रकाश यादव नामक अभियुक्तों को भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 302/149 तथा 147 के अधीन भी आरोपी बनाया गया था।

5. अभियुक्त/प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध विरचित आरोपों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने कुल मिलाकर छ: गवाहों अर्थात, अ॰ सा॰ 1 डॉ॰ अजय कुमार झा, अ॰ सा॰ 2 शंकर प्रसाद यादव, अ॰ सा॰ 3 पलटू प्रसाद यादव, अ॰ सा॰ 4 पुतुल देवी, अ॰ सा॰ 5 पैरु यादव तथा अ॰ सा॰ 6 गजोधर नाथ मिश्रा को परीक्षित किया है। पूर्वोक्त छ: गवाहों में से, अ॰ सा॰ 4 चश्मदीद गवाह तथा सूचनादाता की पत्नी है, अ॰ सा॰ 1 चिकित्सक है, जिसने मृतक रामेश्वर ठाकुर के शव की शव परीक्षा का संचालन किया था, अ॰ सा॰ 6 मामले का अन्वेषण पदाधिकारी है, जबकि अ॰ सा॰ 2, 3 एवं 5 जो सह-ग्रामीण हैं, ने मामले का चश्मदीद गवाह होने का दावा किया था।

6. विचारण के दौरान, अभियुक्तों में से एक की मृत्यु हो गई थी।

7. विचारण न्यायालय ने विचारण के समापन पर सभी अभियुक्त व्यक्तियों, अर्थात् कुलदीप यादव, लेबन यादव, दिनेश यादव, बौकी यादव, सीताराम यादव, कारु यादव, धानी यादव, बिन्देश्वरी यादव, रामेश्वर यादव, उपेन्द्र यादव, डाबू यादव, देवेन्द्र यादव तथा जय प्रकाश यादव को भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 302, 323, 148, 147 तथा 302 सह-पठित धारा 149 के अधीन उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया था यह पाते हुए कि अभियोजन सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध विरचित किए गए आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा है, अतएव सभी अभियुक्त व्यक्ति संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं।

8. इस राजकीय अपील के अनुक्रम में, अपीलार्थीगण में से तीन अर्थात् अपीलार्थी सं॰ 7 धनी यादव, अपीलार्थी सं॰ 9 देबु यादव तथा अपीलार्थी सं॰ 11 देवेन्दर यादव की मृत्यु हो गई थी तथा उनके विरुद्ध अपील का उपशमन हो गया था।

9. विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री पंकज कुमार ने विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय की आलोचना किया था, इस आधार पर कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध गवाहों के साक्ष्य के विरुद्ध है। वे यह भी निवेदन करते हैं कि चश्मदीद गवाहों अ॰ सा॰ 2, 3, 4, 5 के साक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हैं तथा अभियोजन मामले का समर्थन करते हैं। वे यह भी निवेदन करते हैं कि चिकित्सीय साक्ष्य चक्षुदर्शी साक्ष्य का सम्पोषण करता है। अतएव, यह विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय को अपास्त करने के लिए एक उपयुक्त मामला है तथा यह राजकीय अपील अनुज्ञात किए जाने योग्य है।

10. अभियुक्त-प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता, श्री के॰ पी॰ देव प्रारम्भ में ही निवेदन करते हैं कि इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा 13 अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया गया था, परन्तु अभियुक्त सं॰ 8 बिन्देश्वरी यादव के विरुद्ध कोई राजकीय अपील दाखिल नहीं की गई है, यद्यपि वह जीवित है। विद्वान अधिवक्ता यह भी निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थीगण को उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त करने में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कोई अवैधानिकता या दुर्बलता कारित नहीं की गई है। वे यह भी निवेदन करते हैं कि अ॰ सा॰ 2, 3, 4 एवं 5 के साक्ष्य में कई कमी तथा विरोधात्मकताएँ हैं, जो गवाह चश्मदीद गवाह होने का दावा करते हैं। गवाहों का साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से मेल नहीं खाता है। वे ये भी निवेदन करते हैं कि अ॰ सा॰ 2, 3 एवं 4 एक ही परिवार से सम्बन्धित हैं तथा हितबद्ध गवाह हैं। अतएव, विद्वान विचारण न्यायालय ने संदेह का लाभ प्रदान करते हुए प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध विरचित आरोपों से उन्हें उचित रूप से दोषमुक्त कर दिया है।

11. अ॰ सा॰ 2 शंकर प्रसाद यादव के साक्ष्य पर विचार करने पर, यह प्रकट होता है कि उक्त गवाह के साक्ष्य में भारी विरोधात्मकताएँ हैं। उसने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 161 के अधीन पुलिस के समक्ष दिए गए पिछले बयान से न्यायालय में अपने दिए गए बयान में अभियोजन वृत्तांत में परिवर्तन किया है। अ॰ सा॰ 3 पलटू प्रसाद यादव ने भी स्वीकार किया था कि उसके तथा अभियुक्त/प्रत्यर्थीगण के पिता के बीच पुराना चला आ रहा भूमि विवाद है। अ॰ सा॰ 4 पुतुल देवी, जो मृतक की बहू हैं, अभिकथित घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा करती है। उसने भी अपनी परीक्षा के दौरान न्यायालय में वृत्तांत में परिवर्तन किया था। अ॰ सा॰ 5 पेरु यादव एक सह-ग्रामीण है तथा चश्मदीद गवाह होने का दावा करता है। अपनी प्रति-परीक्षा में, उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने घटना को घटना स्थल से काफी दूर से देखा था। अ॰ सा॰ 6 अन्वेषण पदाधिकारी ने भी स्वीकार किया कि सभी अभियोजन साक्षी 2, 3, 4

एवं 5 अभियुक्त-प्रत्यर्थीगण के प्रति शत्रुतापूर्ण थे तथा गवाहों के बयान एक दूसरे के सुसंगत नहीं हैं, घटना के सम्बन्ध में ऐसा और भी है। चिकित्सक (अ॰ सा॰ 1) के चिकित्सीय साक्ष्य पर विचार करके यह प्रकट होता है कि यह चक्षुदर्शी साक्ष्य से मेल नहीं खाता है। अतएव, यह स्पष्ट है कि सभी चक्षुदर्शी गवाह हितबद्ध एवं अभियुक्त-प्रत्यर्थीगण के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं तथा उन्होंने घटना का भिन्न पक्ष प्रस्तुत किया है। उनके परिसाक्ष्य चिकित्सक तथा अन्वेषण पदाधिकारी द्वारा सम्पोषित नहीं है। चक्षुदर्शी साक्ष्य तथा चिकित्सीय साक्ष्य के बीच गंभीर विरोध है, इसके अलावा पक्षकारों के बीच स्वीकृत रूप से पुराना चला आ रहा भूमि विवाद था।

12. उक्त परिचर्चाओं की दृष्टि में, हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय उचित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सभी युक्ति संगत संदेहों से परे सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा है, अतएव, सभी अभियुक्त व्यक्ति संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं तथा, तद्नुसार सभी अभियुक्त व्यक्तियों, अर्थात् कुलदीप यादव, लेबन यादव, दिनेश यादव, बौकी यादव, सीताराम यादव, कारु यादव, धानी यादव, बिन्देश्वरी यादव, रामेश्वर यादव, उपेन्द्र यादव, डाबू यादव, देवेन्द्र यादव तथा जय प्रकाश यादव को भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 302, 323, 148, 147 एवं 302 सह-पठित धारा 149 के अधीन उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया था। हम अभियुक्त-प्रत्यर्थीगण को उनके विरुद्ध लगाए गए उक्त आरोपों से दोषमुक्त करने में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कोई अवैधानिकता या दुर्बलता कारित किया जाना नहीं पाते हैं, जिसमें प्रस्तुत राजकीय अपील में इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

13. उपर की गई चर्चा की दृष्टि में, यह राजकीय अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vferkHk dekj xIrk] U;k;efr

मोस्मात सरस्वती कुंवर एवं अन्य

cuke

कृष्णा प्रसाद एवं अन्य

Civil Revision No. 19 of 2013. Decided on 24th November, 2016.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 22, नियम 4 एवं 9—प्रतिस्थापन-प्रतिस्थापन याचिका एक बार अनुज्ञात कर दिए जाने पर, विवक्षा द्वारा उपशमन अपास्त हो जाता है-विचारण न्यायालय को विचारण में शीघ्रता करने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 6 एवं 7)

निर्णयज विधि.—AIR 1937 Patna 530; AIR 1982 Karnataka 191; AIR 1977 Orissa 65—Referred.

अधिवक्तागण.—Mr. T.N. Jha, For the Petitioners; Mr. Manish Kumar, For the State.

आदेश

यह पुनरीक्षण अभिधान वाद सं॰ 32 वर्ष 2002 में अपर मुंसिफ, पलामू, डाल्टेनगंज द्वारा पारित दिनांक 18.4.2013 के आदेश के विरुद्ध निर्दिष्ट है, जिसके द्वारा अवर न्यायालय ने मृतका प्रतिवादी सं॰ 1(a) की प्रतिस्थापन याचिका अनुज्ञात कर दिया था।

2. वादी ने वाद सम्पत्ति पर अपने अधिकार, अभिधान एवं हित की घोषणा के लिए वाद संस्थित किया था।

विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश की इस आधार पर आलोचना किया है कि वादी द्वारा दाखिल दिनांक 26.6.2008 की याचिका से यह प्रकट होगा कि उसे प्रतिवादी सं॰ 1, अर्थात् रामावतार साव की

मृत्यु के बारे में जानकारी थी, जिसकी अपने पीछे विधिक वारिसों को छोड़ते हुए 14.5.2008 को मृत्यु हो गई थी, इसके बावजूद वादी ने विधिक वारिसों के प्रतिस्थापन के लिए कदम नहीं उठाए थे। यह कि वादी ने सि॰ प्र॰ सं॰ की धारा 151 के साथ पठित आदेश 22 के नियम 4 तथा 9 के अधीन 23.9.2008 को प्रतिस्थापन के लिए एक याचिका दाखिल की थी, तथा इसके उपरान्त प्रतिवादीगण ने एक प्रति उत्तर दाखिल किया था यह कथित करते हुए कि विचारण में विलम्ब कराने के लिए जानबूझकर प्रतिस्थापन याचिका दाखिल की गई है क्योंकि वाद का उपशमन हो चुका था। उन्होंने आख्यापित किया कि विधिक वारिसों के नाम मिथ्या एवं छद्म हैं। अवर न्यायालय ने सि॰ प्र॰ सं॰ के आदेश 22, नियम 5 के अधीन यथा अपेक्षित कोई जाँच कराए बिना एक मृत व्यक्ति को प्रतिस्थापित करते हुए दिनांक 29.7.2010 के आदेश के तहत प्रतिस्थापन याचिका अनुज्ञात कर दिया था। यह कि प्रतिस्थापित विधिक वारिस के विरुद्ध समन निर्गत किया गया था जिसकी तामीलाकर्त्ता के रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी सं॰ 1 से पहले मृत्यु हो गई थी जो यह थी कि प्रतिवादी सं॰ 1(a), अर्थात् अवधेश कुमार सोनी की 1.5.2005 को मृत्यु हुई थी। यह निवेदन किया गया है कि अवर न्यायालय को एक जाँच का संचालन करना चाहिए था कि प्रतिवादी सं॰ 1(a) के प्रतिस्थापित विधिक वारिस की उसके पिता, अर्थात, मूल प्रतिवादी सं॰ 1, अर्थात्, रामावतार साव से पहले मृत्यु हो गई थी तथा शपथ पत्र पर झूठी सूचना प्रस्तुत करने के लिए वादी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई किया जाना चाहिए था। यह कि अवर न्यायालय को दिनांक 29.7.2010 का आदेश वापस ले लेना चाहिए था, परन्तु अपेक्षित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना अवर न्यायालय ने दिनांक 29.8.2011 के आदेश के तहत वादी को मृतक प्रतिवादी सं॰ 1(a) के प्रतिस्थापित वारिस को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था। यह कि 24.8.2012 को वादी ने तात्विक तथ्यों तथा दिनांक 29.8.2011 के आदेश को भी छिपाकर मृतक प्रत्यर्थी सं॰ 1(a), जिसकी उसकी पिता के पहले मृत्यु हो गई थी, के विधिक वारिसों तथा प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए एक याचिका दाखिल किया था। यह कि 24.8.2012 को प्रतिवादीगण द्वारा एक प्रतिउत्तर दाखिल किया गया था, परन्तु अवर न्यायालय ने उपशमन को अपास्त किए बिना परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन याचिका समेत विधिक वारिसों के प्रतिस्थापन के लिए याचिका अनुज्ञात कर दिया था।

उक्त आधारों पर, यह निवेदन किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 29.7.2010 तथा 29.8.2011 के आदेश को वापस नहीं लेकर तथा कोई जाँच आयोजित किए बिना या न्यायालय के ध्यान में लाए गए तथ्यों के बावजूद आदेश को वापस नहीं लेकर विधि में गंभीर त्रुटि कारित किया है।

3. विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में, **AIR 1937, पटना 530** में रिपोर्ट किए गए **राम किशुन ओझा बनाम राम दुलारी कुंअर एवं एक अन्य** के मामले में निर्णय, **AIR 1982, कर्नाटक 191** में रिपोर्ट किए गए **डोडप्पा मरितम्मप्पा बसापुट एवं एक अन्य बनाम इरप्पा मुडकप्पा नवल्ली एवं अन्य** के मामले में निर्णय तथा **AIR 1977, उड़ीसा 65** में रिपोर्ट किए गए **सीताराम बेउरा बनाम किशोर बेउरा एवं अन्य** के मामले में हुए निर्णय पर भरोसा किया है।

अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि यह निर्णीत किया गया है कि **राम किशुन ओझा (ऊपर)** के मामले में न्यायाधीश के लिए कार्रवाई करना (सि॰ प्र॰ सं॰ की धारा 5 के अधीन) पर्याप्त नहीं है जैसा कि उन्होंने एक अन्य पर वरीयता देते हुए किसी व्यक्ति की प्रतिस्थापना मात्र करके तथा वह आदेश जाँच कराए जाने के बाद ही किया जा सकता था, जिसके परिणामत: पूर्व न्याय के रूप में कार्य किया होता। यह कि सि॰ प्र॰ सं॰ के आदेश 22 के अधीन पक्षकारों को नोटिस किए बिना प्रतिस्थापन का पारित आदेश वापस लिया जा सकता है तथा प्रतिस्थापन के प्रश्न को पुन: खोला जा सकता है। आवेदन सि॰ प्र॰ सं॰ के आदेश 22 नियम 3 के अधीन था तथा वादी की मृत्यु के सम्बन्ध में था।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय में, यह निर्णीत किया गया है कि परिसीमा की तिथि मृत्यु की तिथि से प्रारम्भ होती है तथा सि॰ प्र॰ सं॰ के आदेश 22 की धारा 10-A के अधीन उपलब्ध कराई गई जानकारी पर नहीं।

4. राज्य-बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष कुमार ने आदेश का समर्थन किया है।

अभिलेख से यह परिलक्षित होता है कि प्रत्यर्थीगण को नोटिस के वैध तामीला के बावजूद वे हाजिर नहीं हुए हैं।

5. सुना। विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि वाद का उपशमन हो चुका है क्योंकि प्रतिस्थापन के लिए आवेदन समय के भीतर दाखिल नहीं किया गया था तथा प्रतिस्थापित व्यक्ति की मृत्यु पहले ही हो जाने की जानकारी वादी को थी, स्वीकारणीय नहीं है।

इस संदर्भ में, यह ध्यान में लेना सुसंगत है कि आठ प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध वाद दाखिल किया गया है तथा एक की मृत्यु के परिणामत: वाद का उपशमन नहीं होता है, जब शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध मुकदमा करने का अधिकार शेष रहता है, तब वाद का उपशमन नहीं होगा, इससे भी बढ़कर, दिनांक 29.7.2010 के आदेश से यह प्रकट होगा कि वादी ने प्रतिवादीगण को मृतक प्रतिवादी सं॰ 1 के विधिक वारिस/प्रतिनिधि के नाम तथा पतों को उपलब्ध कराने का उन्हें निर्देश देते हुए न्यायालय के निर्देश की ईप्सा करते हुए एक याचिका दाखिल किया था, परन्तु उन कारणों से जिन्हें प्रतिवादीगण ही सर्वोत्तम रूप से जानते होंगे, उन्होंने सूचना उपलब्ध नहीं कराई थी, जिस पर दिनांक 29.7.2010 के आदेश द्वारा मृतक परिवादी सं॰ 1 के सम्बन्ध में विधिक वारिसों को प्रतिस्थापित किया गया था तथा वादी को जब यह जानकारी हुई कि प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं॰ 1(a) की मूल प्रतिवादी सं॰ 1 के पहले मृत्यु हुई थी तब उसने याचिका दाखिल किया था तथा आक्षेपित आदेश द्वारा, मृतक प्रतिवादी सं॰ 1(a) के अन्य विधिक वारिसों को भी प्रतिस्थापित कर दिया गया था। विचारण न्यायालय ने निर्णीत किया है वादी द्वारा जानबूझकर या इरादतन विलम्ब नहीं किया गया था। यह कि प्रतिस्थापन याचिका दाखिल की जा सकती थी जब प्रतिवादीगण की मृत्यु के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराई थी या केवल तब जब यह वादी की जानकारी में आता है कि प्रतिवादी में से किसी की मृत्यु हो गई है। दी गई परिस्थितियों में, अवर न्यायालय ने विलम्ब को माफ कर दिया था तथा मृतक प्रत्यर्थी सं॰ 1(a) के विधिक वारिसों/प्रतिनिधियों की प्रतिस्थापन याचिका अनुज्ञात कर दिया था।

6. यह सुस्थापित विधि है कि एक बार प्रतिस्थापन याचिका अनुज्ञात कर दिए जाने पर उपशमन विवक्षा द्वारा अपास्त हो जाता है। अतएव, विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया निर्णय वर्तमान पुनरीक्षण में किसी काम का नहीं है। इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि अवर न्यायालय द्वारा कोई अवैधानिकता या औचित्यहीनता कारित नहीं की गई है, परिणामत: यह पुनरीक्षण खारिज किया जाता है।

7. यह स्पष्ट है कि अभिधान वाद वर्ष 2002 का है, अतएव, विचारण न्यायालय को विचारण में शीघ्रता करने तथा इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर इसे हर हालत में पूरा कर लेने का निर्देश दिया जाता है तथा पक्षकारों में से किसी को भी अनावश्यक स्थगन प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj ,o jkt'k 'kdj] U;k;efrx.k

श्रीमती रीता प्रजापति उर्फ रीता कुमारी

cuke

संजय कुमार

F.A. No. 172 of 2011. Decided on 16th February, 2016.

वैवाहिक वाद सं॰ 121 वर्ष 2008 में श्री सतीश चंद्र सिंह, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 23 सितंबर, 2011 के निर्णय एवं दिनांक 14 अक्टूबर, 2011 को हस्ताक्षरित डिक्री के विरुद्ध।

(क) हिंदू विवाह अधिनियम, 1955—धारा 9—दांपत्य अधिकार का प्रत्यास्थापन–पत्नी को प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने पति अथवा अपने ससुरालवालों के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, विशेषत: जब उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से यातना दी गयी है और उसके पति और ससुराल वालों द्वारा प्रेम एवं स्नेह का व्यवहार समुचित रूप से नहीं किया गया है–उसे अपने ससुराल में मर्यादित तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना है। (पैरा 12)

(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955—धारा 9—दांपत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन–किसी पक्ष के लिए दूसरे पक्ष की संगति छोड़ने के लिए समुचित एवं युक्तियुक्त बहाना क्या होगा, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगा–यह प्रत्येक घर एवं प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकता है–यह सब पक्षों की जीवन शैली और उनकी सामाजिक-आर्थिक दशा पर निर्भर करता है। (पैरा 13)

निर्णयज विधि.–(2006)5 SCC 558; AIR 1984 SC 1562; AIR 2001 SC 1709—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. A.K. Das, For the Appellant; Mr. Arup Kumar Dey, For the Respondent.

राजेश शंकर, न्यायमूर्ति.–वर्तमान अपील वैवाहिक वाद सं॰ 121 वर्ष 2008 के संबंध में श्री सतीश चंद्र सिंह, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 23 सितंबर, 2011 के निर्णय तथा दिनांक 14 अक्टूबर, 2011 को हस्ताक्षरित डिक्री के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा अपीलार्थी पत्नी को इस आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रत्यर्थी पति के साथ दांपत्य जीवन पुनर्स्थापित करने का निर्देश दिया गया है जिसमें विफल होने पर प्रत्यर्थी पति विधि की सम्यक प्रक्रिया के माध्यम से इसे पुनर्स्थापित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

2. वर्तमान अपील की पृष्ठभूमि यह है कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के साथ दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अधीन विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जमशेदपुर के न्यायालय में वैवाहिक वाद सं॰ 121 वर्ष 2008 दाखिल किया।

मामले के तथ्य ये हैं कि दोनों पक्ष विधिवत विवाहित पति-पत्नी हैं और उनका विवाह दिनांक 12 मई, 2006 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार सोनुवा रेलवे स्टेशन, जिला पश्चिम सिंहभूम में संपन्न किया गया था। दोनों पक्ष दिनांक 12 अक्टूबर, 2007 से अलग रह रहे हैं। प्रत्यर्थी पति के अनुसार, उसकी पत्नी किसी युक्तियुक्त बहाना के बिना अलग रह रही थी, जबकि अपीलार्थी पत्नी का दृष्टिकोण था कि उसका पति उसको यातना देता था और उसकी हत्या करना चाहता था और इस दशा में वह पति से अपना जीवन बचाने के लिए अपने पिता के घर वापस चली गयी। अपीलार्थी का आगे मामला यह था कि प्रत्यर्थी ने उसे वापस लाने का प्रयास कभी नहीं किया था और उसके पिता से धन हड़पना चाहता था क्योंकि वह अपने माता-पिता की एकमात्र पुत्री थी।

3. अपने मामले के समर्थन में प्रत्यर्थी ने तीन गवाहों अर्थात् अ॰ सा॰ 1 संजय कुमार (प्रत्यर्थी स्वयं), अ॰ सा॰ 2 टुनटुन सिंह और अ॰ सा॰ 3 शिव कुमार सिंह का परीक्षण किया। दूसरी ओर, अपीलार्थी ने दो गवाहों अर्थात आर॰ डब्लू॰ 1 आदित्यकांत नायक और आर॰ डब्लू॰ 2 गोपाल प्रजापति (अपीलार्थी का पिता) का परीक्षण किया। किंतु, स्वयं अपीलार्थी का गवाह के रूप में परीक्षण नहीं किया गया था।

4. विद्वान अवर न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के अधीन दाखिल वैवाहिक वाद का न्याय निर्णयन करते हुए विवाद्यक विरचित किया, जिसमें मुख्य विवाद्यक यह था कि ''क्या प्रत्यर्थी पत्नी (वर्तमान अपीलार्थी) ने किसी युक्तियुक्त बहाना के बिना याची (वर्तमान प्रत्यर्थी) की संगति से स्वयं को अलग कर लिया?''

5. अ॰ सा॰ 1 संजय कुमार ने अपने मामले का समर्थन करते हुए कथन किया था कि अपीलार्थी के साथ उसका विवाह दिनांक 12 मई, 2006 को हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार संपन्न किया गया था किंतु उसने दिनांक 12 अक्टूबर, 2007 को दांपत्य गृह छोड़ दिया था और अपने माएके वापस चली गयी थी। उसने उसको दांपत्य गृह वापस लाने का ईमानदार प्रयास किया था किंतु उसने वापस आने से इनकार कर दिया।

अ॰ सा॰ 2 टुनटुन सिंह जिसे दोनों पक्ष जानते थे ने भी प्रत्यर्थी के मामले का समर्थन किया और कथन किया कि दिनांक 12 अक्टूबर, 2007 से अपीलार्थी अलग होकर अपने माएके में रह रही है और जब प्रत्यर्थी पति द्वारा दांपत्य गृह वापस आने के लिए उससे अनुरोध किया गया था, उसने वापस आने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उसने यह कथन भी किया कि अपीलार्थी अपने दांपत्य गृह में केवल एक वर्ष पाँच माह रही। किंतु, उसने इस तथ्य से इनकार किया कि प्रत्यर्थी ने कभी अपीलार्थी को यातना दिया था।

अ॰ सा॰ 3 शिव कुमार सिंह, जो भी दोनों पक्षों को ज्ञात है, ने भी प्रत्यर्थी के मामले का समर्थन किया और कथन किया कि अपीलार्थी दिनांक 12 अक्टूबर, 2007 से अपने माएके में रह रही है और प्रत्यर्थी द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद, उसने दांपत्य गृह वापस आने से इनकार कर दिया। उसने यह कथन भी किया कि अपीलार्थी केवल एक वर्ष पाँच माह की अवधि के लिए दांपत्य गृह में रही थी। उसने आगे कथन किया कि प्रत्यर्थी ठेका मजदूर के रूप में काम करता है और उसने इस तथ्य से इनकार किया कि प्रत्यर्थी ने उसके दांपत्य गृह छोड़ने के पहले कभी अपीलार्थी को यातना दिया।

दूसरी ओर, आर॰ डब्लू॰ 1 आदित्य कान्त नायक ने यद्यपि शपथ पत्र के माध्यम से अपना मुख्य परीक्षण दिया, किंतु प्रत्यर्थी द्वारा उसका प्रति परीक्षण नहीं किया गया था और विद्वान अवर न्यायालय ने उसका साक्ष्य मिटा दिया। आर॰ डब्लू॰ 2 गोपाल प्रजापति जो अपीलार्थी का पिता है ने कथन किया कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच विवाह हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार दिनांक 12 मई, 2006 को संपन्न किया गया था। अपीलार्थी उसकी एकमात्र पुत्री है जो अपने बचपन से पोलियो से पीड़ित है। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी अपने ससुराल वापस जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों पर विश्वास नहीं था। उसने यह अभिसाक्ष्य भी दिया कि प्रत्यर्थी पति अपीलार्थी को अपने साथ रखना नहीं चाहता था और केवल दहेज मामले जिसे उसके विरुद्ध दर्ज किया जा सकता था, से स्वयं को बचाने के लिए उक्त वाद दाखिल किया है। अपने अभिसाक्ष्य के दौरान उसने यह कथन भी किया कि वह अपनी पुत्री को ससुराल कभी नहीं भेजेगा।

6. प्रत्यर्थी की ओर से केवल एक दस्तावेज प्रदर्शित किया गया था जो महिला कोष्ठ, जमशेदपुर के प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र था जिसमें कथन किया गया था कि उसने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के बीच विवाद्यक का समाधान करने का प्रयास किया, किंतु अपीलार्थी प्रत्यर्थी के साथ रहना नहीं चाहती थी और पूछने पर अपीलार्थी ने उसे बताया कि वह प्रत्यर्थी से तलाक लेना चाहती है।

7. दोनों पक्षों की ओर से कथित पूर्वोक्त तथ्यों के आधार पर यह विश्लेषण करना महत्वपूर्ण होगा कि क्या विद्वान अवर न्यायालय ने दोनों पक्षों की ओर से दिए गए साक्ष्य का समुचित रूप से अधिमूल्यन किया।

8. यह गौर करने योग्य है कि अपीलार्थी के पड़ोसी आर॰ डब्लू॰ 1 आदित्य कान्त नायक ने यद्यपि दिनांक 5 फरवरी, 2011 को विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष अपना मुख्य परीक्षण दिया था और तत्पश्चात दिनांक 5 फरवरी, 2011 को उसके प्रति परीक्षण के लिए मामला नियत किया गया था, किंतु इसे नहीं किया गया था और दिनांक 9 मई, 2011 को विद्वान अवर न्यायालय ने इस धारणा के अधीन

उसका साक्ष्य बन्द कर दिया, क्योंकि वह उस तिथि पर उपस्थित नहीं था, कि दिनांक 20 दिसंबर, 2010 को अपीलार्थी पक्ष को साक्ष्य देने के लिए अंतिम अवसर दिया गया था। हमारा दृष्टिकोण है कि विद्वान अवर न्यायालय ने दिनांक 20 दिसंबर, 2010 के आदेश पर विश्वास करने में गलती किया है जिसके द्वारा अपीलार्थी पक्ष को साक्ष्य देने के लिए अंतिम अवसर दिया गया था, क्योंकि आर॰ डब्लू॰ 1 आदित्य कान्त नायक का परीक्षण उक्त तिथि के काफी बाद अर्थात् दिनांक 5 फरवरी, 2011 को किया गया था और उसके प्रति परीक्षण के लिए मामला चल रहा था। उक्त गवाह अपीलार्थी का मामला सिद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि उसके मुख्य परीक्षण से परिलक्षित होगा कि उसने यह कथन करते हुए अपीलार्थी के मामले का पूर्णत: समर्थन किया है कि अपीलार्थी ने उसे बताया था कि प्रत्यर्थी और उसके परिवार द्वारा उसको यातना दी जाती थी और वे जोर देते थे कि उसके पिता की संपत्ति उनके नामों में अंतरित की जानी चाहिए। उसने यह भ्सी कथन किया है कि प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्य अपीलार्थी के पिता से दहेज मांगा करते थे। उसे यह सूचित भी किया गया था कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी को जहर देने की योजना बना रहा था किंतु किसी प्रकार वह सोनुआ में अपने पिता के घर चली आयी।

9. विद्वान अवर न्यायालय ने आर॰ डब्लू॰ 1 आदित्य कान्त नायक का साक्ष्य गलत रूप से बंद कर दिया और तद्द्वारा उसका साक्ष्य मिटा दिया। ऐसा करके विद्वान अवर न्यायालय गलत ताथ्यिक निष्कर्ष पर आया कि अपीलार्थी ने किसी युक्तियुक्त बहाना के बिना प्रत्यर्थी की संगति से स्वयं को अलग कर लिया था।

10. अब, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के प्रावधान का विश्लेषण करना समुचित होगा। उक्त अधिनियम की धारा 9 का पठन निम्नलिखित है:

> *^^9. **nkEiR; vfèkdkjk dk iR;kLFkkiu-**&tcfd ifr ;k iRuh e l fdlh u ;fDr;Dr ifrgr d fcuk nlj l viuk lkgp; iR;kgr dj fy;k g] rc 0;fFkr i{kdkj nkEiR; vfèkdkjk d iR;kLFkkiu d fy; ;kfpdk }kjk vkonu ftyk U;k;ky; e dj ldxk vkj U;k;ky; ,lh ;kfpdk e fd; x; dFkuk dh lR;rk d ckj e vkj ckr d ckj e vkonu etj dju dk dkb oèk vkèkkj ugh g(viuk lekèkku gk tku ij rnulkj nkEiR; vfèkdkjk d iR;kLFkkiu d fy, vkKflr nxkA*
>
> ***Li"Vhdj.k-**&tgk ;g i'u mBrk g fd D;k lkgp; d iR;kgj.k d fy, ;fDr;Dr ifrgr g] ogk ;fDr;Dr ifrgr lkfcr dju dk Hkkj mlO;fDr ij ftlu lkgp; l iR;kgj.k fd;k gA***

11. पूर्वोक्त धारा का परिशीलन करने पर, यह प्रतीत होगा कि प्रावधान आवश्यक बनाता है कि यदि पक्षों में से एक अर्थात पति या पत्नी दूसरे की संगति से अलग होता है और वह भी किसी युक्तियुक्त बहाना के बिना, तब दूसरे पक्ष द्वारा दाखिल दांपत्य अधिकार के प्रत्यास्थापन के लिए याचिका पोषणीय होगी और जब एक बार न्यायालय अभिनिर्धारित करता है कि दूसरे की संगति से पक्षों में से एक के पास अलग होने के लिए युक्तियुक्त बहाना नहीं था, यह तद्नुसार दांपत्य अधिकार के प्रत्यास्थापन के लिए डिक्री पारित कर सकता है। दूसरे की संगति से अलग होने वाले पक्ष को सिद्ध करना होगा कि ऐसे अलग होने के लिए उसके पास युक्तियुक्त बहाना है और प्रमाण का भार उस पर होगा।

12. किन्तु, पत्नी को प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने पति अथवा उसके ससुराल वालों के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, विशेषत: जब उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से यातना दी गयी है और उसके पति एवं ससुराल वालों द्वारा उसके साथ प्रेम एवं स्नेह के साथ समुचित रूप से व्यवहार

नहीं किया गया था। उसे अपने ससुराल में मर्यादित तरीके से अपना जीवन बिताना है और पति अथवा ससुराल वालों की ओर से किसी प्रकार का जानबूझकर किया गया आचरण जो इस तथ्य सहित कि उसका जीवन खतरा में होगा, पत्नी का विश्वास दिलाता है, उसके लिए पति की संगति से स्वयं को अलग करने और अलग रहने के लिए पर्याप्त हो सकता है।

13. निःसंदेह, युक्तियुक्त बहाना सिद्ध करने का भार उस पक्ष पर है जिसने दूसरे की संगति से स्वयं को अलग कर लिया है, किंतु ऐसे मामले के कठोर प्रमाण पर सदैव जोर नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे की संगति से अलग होने के लिए किसी पक्ष के लिए समुचित युक्तियुक्त बहाना क्या होगा, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई कठोर फार्मूला अधिकथित नहीं किया जा सकता है। यह प्रत्येक घर एवं प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग–अलग हो सकता है। यह सब पक्षों की जीवनशैली जिसके वे आदी हैं अथवा उनकी सामाजिक–आर्थिक दशा पर निर्भर करता है। यह उनकी संस्कृति एवं मानव मूल्यों पर भी निर्भर कर सकता है जिसे वे महत्व देते हैं। कुछ मामलों में एकल घटना भी किसी पक्ष के लिए दूसरे की संगति से अलग होने के लिए पर्याप्त होगी। उदाहरणस्वरुप, यदि पत्नी अपने पति एवं ससुराल वालों के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करती है और उसका जीवन खतरा में है और उसे दहेज मांग के संबंध में शारीरिक एवं मानसिक रूप से यातना दी जाती है अथवा पति उसके चरित्र के विरुद्ध अनाधारित अभिकथन करता है और किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध रखता है, तब पत्नी निश्चय ही पति के साथ से अलग होने के लिए न्यायोचित होगी। ये आधार सर्वांगपूर्ण नहीं हैं, किंतु उदाहरण मात्र के रूप में दिए गए है।

14. अनिल ऋषि बनाम गुरुबक्श सिंह, (2006)5 SCC 558, मामले में पैराग्राफ 9 एवं 10 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति ''प्रमाण का भार'' और ''प्रमाण की जिम्मेदारी'' के बीच सुभिन्नता करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *"9. mDr çkoèkku d fucèkuku lkj] rF; fl) dju dk Hkkj ml i{k ij g tk lkjoku :i l ldkjkRed fook|d dk çk[;ku djrk g vkj u fd ml i{k ij tk bl l budkj djrk gA mDr fu;e viuh ç;kT;rk e lkoHkke ugh gk ldrk g vkj mld çfr viokn gk ldrk gA fo}ku fopkj.k U;k;ky; ,o mPp U;k;ky; bl vkèkkj ij vxlj gvk fd çfroknh gkoh gku okyh voLFkk e Fkk vkj i{kk d chp fo'okl dk lcèk FkkA vihykFkh u viu fyf[kr dFku e okn i= e fd, x, mDr çdFkuk l budkj fd;k vkj budk fookfnr fd;kA*
>
> *19. ekey dk ,d vU; igy g ftl è;ku e j[kk tkuk pkfg,A çek.k d Hkkj ,o çek.k dh ftEenkjh d chp lfHkUurk fo|eku gA vkjHk dju dk vfèkdkj Onus probandi dk vulj.k djrk gA ;g ekey d vkjfHkd pj.k e egRo èkkj.k djrk gA çek.k dh ftEenkjh dk ç'u dk vfèkd cy g tgk ç'u ;g g fd fdl i{k dk vkjHk djuk gA çek.k d Hkkj dk mi;kx rhu rjhdk l fd;k tkrk g%*
>
> *(i) vkjHk e vFkok ckn e fdlh çfriknuk d leFku e lk{; vkx yku dk dÙkO; minf'kr dju d fy,(*
>
> *(ii) leLr çfr lk{; d fo#) çfriknuk LFkkfir dju d fy,(vkj*
>
> *(iii) vèkkèkèk mi;kx ftle ;g vU; nkuk e l dkb ,d vFkok nkuk d vFk e gk ldrk gA èkkjk 109 e vkjfHkd fu;e dBkj gA èkkjk 102 d fucèkuku lkj] vkjfHkd ftEenkjh lno oknh ij g vkj ;fn og ml ftEenkjh dk fuogu djrk g vkj ekeyk cukrk g tk ml vurk"k dk gdnkj cukrk g] mu ifjfLFkfr;k] ;fn*

*gk] dk fl) dju dh ftEenkjh çfroknh dh gk tkrh g tk okuh dk bldk xj gdnkj cuk,xkA***

15. मामले के समुचित न्याय निर्णयन के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराओं 101, 102 एवं 103 के प्रासंगिक प्रावधानों तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XVIII नियम 1 के प्रावधान को यहाँ नीचे उद्धृत किया जा रहा है:–

''**भारतीय साक्ष्य अधिनियम:**

101. ***lcr dk Hkkj-****&tk dkbZ U;k;ky; l ;g pkgrk g fd og ,l fdlh fofèkd vfèkdkj ;k nkf;Ro d ckj e fu.k; n tk mu rF;k d vfLrRo ij fuHkj g] ftUg og ik[;ku djrk g] ml lkfcr djuk gkxk fd mu rF;k dk vfLrRo gA*

tc dkbZ ;fDr fdlh rF; dk vfLrRo lkfcr dju d fy, vkc) g] rc ;g dgk tkrk g fd ml ;fDr dk lcr dk Hkkj gA

102. ***lcr dk Hkkj fdl ij gkrk g-****&fdlh okn ;k dk;okgh e lcr dk Hkkj ml ;fDr ij gkrk g tk vlQy gk tk,xk] ;fn nkuk e l fdlh e l fdlh Hkh vkj l dkbZ Hkh lk{; u fn;k tk,A*

103. ***fof'k"V rF; d ckj e lcr dk Hkkj-****&fdlh fof'k"V rF; d lcr dk Hkkj ml ;fDr ij gkrk g tk U;k;ky; l ;g pkgrk g fd ml d vfLrRo e fo'okl dj] tc rd fd fdlh fofèk }kjk ;g micfUèkr u gk fd ml rF; d lcr dk Hkkj fdlh fof'k"V ;fDr ij gkxkA*

flfoy ifØ;k lfgrk] vkn'k XVIII fu;e 1 fl0 i0 l0-&U ***;k;ky; le; n ldxk vkj LFkfxr luokbZ dj ldxk-****&(1) ;fn okn d fdlh Hkh iØe e i;kIr grd nf'kr fd;k tkrk g rk vkjHk dju dk vfèkdkj oknh dk rc d flok; g tcfd oknh }kjk vfèkdfFkr rF;k dk ifrokn Lohdkj dj yrk g vkj ;g rd djrk g fd oknh ftl vurk"k dk pkgrk g] ml d fdlh Hkkx dk iku dk og gdnkj ;k rk fofèk d i'u d dkj.k ;k ifrokn }kjk vfèkdfFkr dN vfrfjDr rF;k d dkj.k ugh g vkj ml n'kk e vkjHk dju dk vfèkdkj ifrokn dk gkrk gA***

16. पूर्वोक्त किए गए चर्चा की कठोरता पर यह अभिनिर्धारित किया गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 का स्पष्टीकरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम तथा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारणा में कोई परिवर्तन नहीं करता है और अभिकथन, जिसके आधार पर दांपत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन इप्सित किया गया है, सिद्ध करने का आरंभिक भार उस व्यक्ति पर है जो न्यायालय आता है।

17. शब्द ''युक्तियुक्त बहाना'' हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन परिभाषित नहीं किया गया है। ''युक्तियुक्त बहाना'' से संबंधित पहलू तथ्य का प्रश्न है और मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से स्वतंत्रतापूर्वक प्रत्येक मामले पर विचार किया जाना है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अधीन आवेदन दाखिल करके याची को निम्नलिखित पहलूओं को स्थापित करना होगा:–

(a) fd çR;Fkh u Lo; dk lekt l vyx dj fy;k g(vkj

(b) fd ,l k vyx gkuk ;fDr;Dr cgkuk d fcuk gA

18. सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा, AIR 1984 SC 1562, मामले में पैराग्राफ 14 एवं 15 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*"14. .....;g mYy[k fd;k tk ldrk g fd nkiR; vfèkdkj dk vfHk0;fDr ^^nkiR;** d 'kCndk"kh; vFk dk è;ku e j[kdj bld lefpr ifjç{; e n[kk tk ldrk gA 'kkVj vkDlQkM bxfy'k 'kCndk"k] rrh; lLdj.k] okY;e 1, i"B 371*

^^nkiR;** dk vFk ^^fookg dk vFkok bl l lcfèkr vFkok ,d&nl j d çfr lcèk e ifr ,o iRuh** crkrk gA bfXy'k fofèk dk 'kCndk"k] 1959 lLdj.k] i"B 453, e vy tkfVo ^^nkiR; vfèkdkj** dk fuEufyf[kr :i e ifjHkkf"kr djr g%

^^ifr&iRuh dk ,d nl j dh lxfr ,o ookfgd lHkkx dk vfèkdkj gA nkiR; vfèkdkj d çR;kLFkkiu dk okn ookfgd okn g tk rykd U;k;ky; e lK; g ft l rc yk;k tkrk g tc dHkh ifr ;k iRuh fdlh i;klr dkj.k d fcuk ,d nl j l vyx jgr g ft l fLFkfr e U;k;ky; nkiR; vfèkdkj dk çR;kLFkkiu dh fMØh djxk (ookfgd ekeyk vfèkfu;e] 1950 èkkjk 15)] fdr ddh }kjk bl çofrr ugh djxk fdr] ;fn iRuh ;kph gk] ddh d fy, ifr }kjk iRuh dk vofèkdkfyd Hkxrku dk vkn'k çfrLFkkfir djxk (èkkjk 22)

nkiR; vfèkdkj fdlh i{k d ÑR; }kjk çofrr ugh fd;k tk ldrk g% vkj ifr cyiod viuh iRuh dk tCr ,o fu#) ugh dj ldrk g (vkj0 oh0 tDlu] (1891) (1QB 671)"

15. Hkkjr e] ;g è;ku e j[kk tk ldrk g fd nkiR; vfèkdkj vFkkr ifr vFkok iRuh dk ,d&nl j dh lxfr dk vfèkdkj lofèk inÙk ugh gA ,lk vfèkdkj Lo; fookg d lLFkku e vrfufgr g(bl lcèk e n[k% eYyk dk fgUn fofèk&ingok lLdj.k] i"B 567, ijk 443. bldk rkuk'kkgh gku l jkdu d fy, èkkjk 9 e i;klr lj{kk, gA nkiR; vfèkdkj dh èkkj.kk dk egRo fgn fookg vfèkfu;e] 1955 ij fofèk vk;kx dh 710h fjikV&^^rykd d vkèkkj d :i e fookg dk vlèkk; :i l VVuk** ijk 6.5 d vkykd e n[kk tk ldrk g tgk fuEufyf[kr dFku fd;k x;k g%

^^bld vfrfjDr] fookg dk lkj ,d gh thou lk>k djuk g] lkjh [k'kh lk>k djuk tk thou nrk g vkj lkjh nxfr lk>k djuk ftldk lkeuk thou e djuk g] [k'kh dk vuHko tk vke phtk l g, vkuUn l vkrk g vkj viuh lrku ij çe ,o Lug U;kNkoj dju lA lkFk jguk ,l lk>kiu dk bld leLr igyvk e çrhd gA vyx jguk ,l lk>kiu udkju dk minf'kr dju dk çrhd gA ;g fookg d lkj dk Bli dju dk min'kd g&^^fookg VVuk** vkj ;fn ;g dkQh vfèkd ychs vofèk rd tkjh jgrk g] ;g fookg d lkj dk fouk'k minf'kr djxk&^^vlèkk; :i l VV tkuk**A**

19. चेतन दास बनाम कमला देवी, AIR 2001 Supreme Court 1709, मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

^^ookfgd ekey uktd ekuo ,o HkkoukRed lcèk d ekey gA ;g ifr&iRuh dk ,d&nl j d lkFk ;fDr;Dr lek;ktu dh i;klr Hkfedk d lkFk vkilh fo'okl] lEeku] J)k] çe ,o Lug dh ekx djrk gA lcèk dk lkekftd ekudk d vu#i gkuk gkxkA ookfgd vkpj.k vc ,l ekudk vkj ifjofrr lkekftd 0;oLFkk dk è;ku e j[kr g, fojfpr lfofèk }kjk 'kkflr gku yxk gA bl lxfBr LoLFk vkj u fd vLr&0;Lr ,o fNni.k] lekt cuku d fy, ookfgd ekud fofu;fer dju d fy, 0;fDr;k d fgr e vkj 0;kid ifjç{; e fu;f=r fd;k tkuk bfIlr fd;k x;k gA fookg dh lLFkk dh lkekU;r% lekt e egRoi.k LFkku ,o Hkfedk gA**

20. वर्तमान मामले में, चूँकि प्रत्यर्थी इस प्राख्यान पर कि अपीलार्थी ने किसी युक्तियुक्त बहाना के बिना उसकी संगति से स्वयं को अलग कर लिया था, अपने पक्ष में दांपत्य अधिकार का प्रत्यास्थापन इप्सित करते हुए अवर न्यायालय के पास आया है, प्रमाण की जिम्मेदारी उस पर है। यद्यपि प्रत्यर्थी ने स्वयं के माध्यम से अ॰ सा॰ 1 के रूप में, अ॰ सा॰ 2 टुनटुन सिंह और अ॰ सा॰ 3 शिव कुमार सिंह का साक्ष्य दिया, विद्वान अवर न्यायालय ने आर॰ डब्लू॰ 2 गोपाल प्रजापति (अपीलार्थी का पिता) के साक्ष्य पर विश्वास नहीं करने में पूर्णत: गलती किया है और आर॰ डब्लू॰ 1 आदित्य कान्त नायक, जिसने प्रत्यर्थी और उसके परिवार वालों की प्रेरणा पर उसके जीवन के प्रति खतरा के तथ्य सहित उसके माएके वापस आने का कारण देते हुए अपीलार्थी के मामले का पूर्णत: समर्थन किया है, का साक्ष्य मिटाने में भी गंभीर गलती किया है। विशेषत: इस तथ्य की दृष्टि में कि आर॰ डब्लू॰ 1 एवं 2 ने उसके अपने पति (वर्तमान प्रत्यर्थी) की संगति से अलग होने में उसके ''युक्तियुक्त बहाना'' के लिए समुचित औचित्य देते हुए अपीलार्थी के मामले का पूर्णत: समर्थन किया है, अपने मामले के समर्थन में गवाह के रूप में अपीलार्थी की गैर-उपस्थिति उसके प्रति किसी अलाभ की नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, जैसी चर्चा यहाँ उपर की गयी है, पत्नी को प्रतिकूल परिस्थितियों के अधीन अपने पति अथवा अपने ससुराल वालों के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

21. मामले के पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों और यहाँ उपर चर्चा किए गए न्यायिक उद्घोषणाओं की दृष्टि में, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री विधि में गंभीर दुर्बलता से पीड़ित है और इस दशा में, इसे संपोषित नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार, वैवाहिक वाद सं॰ 121 वर्ष 2008 के संबंध में श्री सतीश चंद्र सिंह, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 23.9.2011 का आक्षेपित निर्णय एवं दिनांक 14.10.2011 को हस्ताक्षरित डिक्री संपोषणीय नहीं है और तद्नुसार, इसे अपास्त किया जाता है।

22. परिणामस्वरुप, वर्तमान प्रथम अपील अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

रावण रॉय एवं एक अन्य

cuke

बिहार राज्य

Cr. Appeal No. 471 of 1992 (D.B.). Decided on 4th January, 2017.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/147/458/325/326—हत्या, गृह अतिचार एवं घोर उपहति–दोषसिद्धि–स्वीकृत दुश्मनी के साथ पक्षों के बीच निकट संबंध को विचार में लेते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के समय अपीलार्थी का नाम छोड़ देने का सूचक के पास अवसर नहीं था–अपीलार्थी को झूठ मूठ फँसाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है–यद्यपि चश्मदीद गवाहों ने अपीलार्थी को नामित किया है, अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है–अपीलार्थी दोषमुक्त। (पैराएँ 11 एवं 12)

अधिवक्तागण.–Mrs. Mahua Palit, For the Appellant; Mr. Nag Mani Tiwari, For the Respondent.

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. अपीलार्थी नेवानी रॉय को मृत बताया गया है और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी अभिलेख पर लाया गया है। तद्नुसार, अपीलार्थी सं॰ 2 नेवानी रॉय के विरुद्ध अपील उपशमनित होती है।

3. अपीलार्थी रावण रॉय एस॰ सी॰ सं॰ 154 वर्ष 1989 में विद्वान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुमका द्वारा पारित दिनांक 27.11.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 30.11.1992 के दंडादेश से व्यथित है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147/458/325/326 एवं 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और इसके लिए दोषी पाया गया है। दंडादेश के बिंदु पर सुनवाई करके अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए कठोर आजीवन कारावास, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 458 के अधीन अपराध के लिए सात वर्षों का कठोर कारावास, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 326 के अधीन अपराध के लिए पाँच वर्षों का कठोर कारावास, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 325 के अधीन अपराध के लिए दो वर्षों का कठोर कारावास और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 147 के अधीन अपराध के लिए एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और समस्त दंडादेश को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया है।

4. प्राथमिकी किसी गुलो राय जो मृतक का भाई है के फर्दबयान के आधार पर दर्ज की गयी थी। अभियोजन मामले के अनुसार, घटना की रात में सूचक का मृतक भाई आंगन में सो रहा था जबकि सूचक घर के अंदर सो रहा था और मृतक की पत्नी बरामदा में सो रही थी। यह अभिकथित किया गया है कि 7-8 बदमाश सूचक के आंगन में आए और सूचक के भाई पर प्रहार करने लगे। हल्ला किए जाने पर सूचक बाहर आया और आपत्ति किया जिस पर बदमाश उस पर भी प्रहार करने लगे। यह अभिकथित किया गया है कि बदमाशों ने सूचक के भाई को चारपाई जिस पर वह सो रहा था पर बांध दिया, उस पर किरासन तेल डाला और उसको आग लगा दिया जिस कारण मृतक की मृत्यु हो गयी जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी जिसके आधार पर जरमुन्डी पी॰ एस॰ केस सं॰ 24/1984, जी॰ आर॰ सं॰ 234/1984 के तत्सम, संस्थित किया गया था और अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के बाद पुलिस ने अपीलार्थी रावण रॉय जो सूचक का सगा साला/बहनोई है के विरुद्ध और मृतक अभियुक्त नेवानी रॉय के विरुद्ध भी आरोप पत्र दाखिल किया।

5. सत्र न्यायालय मामला सुपुर्द किए जाने के बाद दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 147/458/325/326/380 एवं 302 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया था और अभियुक्तों के निर्दोषिता का अभिवचन करने पर और विचारण किए जाने का दावा करने पर उनका विचारण किया गया था।

6. विचारण के क्रम में अभियोजन ने छह गवाहों का परीक्षण किया है जिनमें से अ॰ सा॰ 1 गुलो रॉय सूचक और मृतक का भाई है। अ॰ सा॰ 2 विष्णु रॉय सूचक का कर्मचारी है। अ॰ सा॰ 3 जिरनी देवी मृतक की पत्नी है। अ॰ सा॰ 4 डॉ॰ श्याम सुन्दर दारुका है जिन्होंने मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था और पाया था कि मृतक की मृत्यु लगभग 90% जलन उपहति के कारण हुई। इस गवाह ने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 1 चिन्हित किया गया था। अ॰ सा॰ 5 समेन्द्र नाथ डे ने सूचक की उपहतियों का परीक्षण किया था और उन्होंने उपहति रिपोर्ट भी सिद्ध किया था जिसे प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया था। अ॰ सा॰ 6 सुशील चंद्र विश्वास औपचारिक गवाह है जिसने फर्दबयान, प्राथमिकी एवं मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट सिद्ध किया है। मामले में आई॰ ओ॰ का परीक्षण नहीं किया गया है।

7. अ॰ सा॰ 1 गुलो राय ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है और उसने यह कथन भी किया है कि बदमाशों के बीच में से उसने अपीलार्थी रावण रॉय और उसके भाई नेवानी रॉय को पहचाना था।

उसने यह कथन भी किया है कि रावण रॉय उसका साला/बहनोई है और उनका बैरपूर्ण संबंध है। अपने प्रति परीक्षण में उसने कथन किया है कि रावण रॉय का विवाह उसकी सगी बहन के साथ हुआ है। इसी प्रकार से, अ॰ सा॰ 2 विष्णु रॉय ने भी चश्मदीद गवाह के रूप में अभियोजन मामले का समर्थन किया है और कथन किया है कि वह घटनास्थल पर उपस्थित था। उसने भी कथन किया है कि उसने बदमाशों के बीच में से अपीलार्थी रावण रॉय को पहचाना जिसने मृतक पर किरासन तेल डाला था और उसको आग लगाया था। अ॰ सा॰ 3 जिरनी देवी जो मृतक की पत्नी है ने भी अभियोजन मामले का समर्थन किया है और कथन किया है कि जब बदमाश उसके पति पर प्रहार करने लगे, वह घटनास्थल से भाग गयी और स्वयं को छुपा लिया और वह घटना के बाद लौटी जब उसने अपने देवर (सूचक) को घायल और अपने पति को जला देखा। उसने भी यह कथन किया है कि उसने बदमाशों के बीच में से रावण रॉय एवं नेवानी रॉय को पहचाना।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलार्थी को पक्षों के बीच स्वीकृत दुश्मनी के कारण इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है जिसे सूचक अ॰ सा॰ 1 गोलू राय के साक्ष्य में कथित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह पूर्व दुश्मनी के कारण अपीलार्थी को झूठा आलिप्त करने का स्पष्ट मामला है क्योंकि अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध सूचक द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गयी थी किंतु साक्ष्य में सूचक, उसके कर्मचारी एवं मृतक की पत्नी द्वारा केवल पूर्व दुश्मनी के कारण अपीलार्थी को नामित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि इस मामले में आई॰ ओ॰ का परीक्षण नहीं किया गया है जिसने बचाव के प्रति इस कारण से गंभीर प्रतिकूलता कारित किया है कि अपीलार्थी को प्राथमिकी में नामित नहीं किया गया है और उसका नाम पहली बार साक्ष्य में आया है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह सुयोग्य मामला है जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को आरोपों से दोष मुक्त किया जाना चाहिए था।

9. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि अपीलार्थी रावण रॉय के विरुद्ध मृतक को आग लगाकर उसकी हत्या करने का प्रत्यक्ष अभिकथन है। यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि अपीलार्थी को प्राथमिकी में नामित नहीं किया गया है किंतु अ॰ सा॰ 1 के साक्ष्य में आया है कि चूँकि सूचक घटना के बाद दर्द में था, वह अभियुक्तों को नामित नहीं कर सका था। विद्वान अधिवक्ता ने साक्ष्य से इंगित किया कि अ॰ सा॰ 2 विष्णु रॉय ने भी कथन किया है कि अपीलार्थी रावण रॉय ने ही मृतक को आग लगाया था। तद्नुसार, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम हुआ है और अवर विचारण न्यायालय द्वारा उसे सही प्रकार से दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया है।

10. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख का परिशीलन करने पर, हम पाते हैं कि अपीलार्थी रावण रॉय सूचक का सगा साला/बहनोई है और अ॰ सा॰ 1 गोलू रॉय के साक्ष्य में दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी स्वीकार की गयी है। प्राथमिकी में, सूचक ने अपीलार्थी को नामित नहीं किया है बल्कि अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है। यदि अपीलार्थी ने अपराध किया होता यह बिल्कुल स्वाभाविक था कि पहली बार में प्राथमिकी में उसे इस प्रत्यक्ष अभिकथन कि उसने मृतक को आग लगाया था की दृष्टि में नामित किया गया होता। पक्षों के बीच स्वीकृत दुश्मनी की दृष्टि में इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि पक्षों के बीच पूर्व स्वीकृत दुश्मनी के कारण बाद में आए विचार

के रूप में अपीलार्थी को मामले में झूठा आलिप्त किया गया है। वस्तुत: मामले के आई० ओ० का परीक्षण नहीं किया गया है और इसने भी बचाव पर गंभीर प्रतिकूलता कारित किया है।

11. इस मामले के तथ्यों में, यद्यपि घटना के तीन चश्मदीद गवाह हैं, जिन्होंने अपीलार्थी को नामित किया है, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि पक्षों के बीच निकट संबंध को स्वीकृत दुश्मनी के साथ विचार में लेते हुए, सूचक के पास प्राथमिकी दर्ज करने के समय पर अपीलार्थी के नाम को छोड़ देने का अवसर नहीं था, विशेषत: अपीलार्थी के विरुद्ध मृतक को आग लगाने के प्रत्यक्ष अभिकथन की दृष्टि में/पक्षों के बीच स्वीकृत दुश्मनी की दृष्टि में, अपीलार्थी को झूठा आलिप्त करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि यद्यपि चश्मदीद गवाहों ने अपीलार्थी को नामित किया है, यह सुयोग्य मामला है जिसमें अपीलार्थी कम से कम संदेह के लाभ का हकदार हैं और अवर न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

12. तद्नुसार, अपीलार्थी रावण रॉय को संदेह का लाभ दिया जाता है और उसे आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। परिणामस्वरुप, सत्र मामला सं० 154 वर्ष 1989 में विद्वान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुमका द्वारा पारित दिनांक 27.11.1992 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दिनांक 30.11.1992 का दंडादेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी जमानत पर है और उसे उसके जमानत बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

13. तद्नुसार, यह अपील अनुज्ञात की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय के अभिलेख तुरन्त संबंधित न्यायालय को वापस भेजा जाए।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy ,o jkt'k 'kdj] U;k;efrx.k

अबानी प्रधान

cuke

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

L.P.A. Nos. 523 of 2015. Decided on 17th October, 2016.

बिहार भूमि सुधार (महत्तम सीमा का नियतिकरण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन अधिनियम, 1961—धारा 16 (3)—अग्रक्रयाधिकार–अपीलार्थी पड़ोसी है–इसी संपत्ति का ही दो पूर्व अंतरण हो चुका है–अपीलार्थी द्वारा अग्रक्रयाधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है जब संपत्ति का मूल स्वामी प्रश्नगत संपत्ति धारण करने के लिए अपने संवैधानिक एवं मानव अधिकारों का दावा कर रहा है–अपीलार्थी धारा 16 (3) के अधीन अपने अग्रक्रयाधिकार का दावा नहीं कर सकता था–एल० पी० ए० खारिज। (पैराएँ 5 एवं 6)

निर्णयज विधि.–(2007)10 SCC 448; (2008)10 SCC 153—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Mahesh Tewari, Prasenjit Mahato, For the Appellant; Mr. Sreenu Garapati, For the State; M/s Rahul Gupta, Niyati Sah, For the Resp. Nos. 5 & 6.

डी० एन० पटेल, न्यायमूर्ति.–यह लेटर्स पेटेन्ट अपील मूल याची द्वारा डब्लू० पी० (सी०) सं० 1619 वर्ष 2012 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए दिनांक 8 जुलाई, 2015 के निर्णय एवं आदेश से

व्यथित एवं असंतुष्ट होकर दाखिल की गयी है जिसके द्वारा इस अपीलार्थी द्वारा दाखिल याचिका खारिज की गयी है और, इसलिए, मूल याची ने वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपील दाखिल किया है। मूल याची (यह अपीलार्थी) अग्रक्रयाधिकार अर्थात पड़ोसी की संपत्ति खरीदने के अधिकार का दावा कर रहा है। यह दावा अनेक वर्ष बाद किया गया है, जिसके बाद उसके पड़ोसी प्रत्यर्थी सं॰ 7 ने संपत्ति बेच दिया।

2. तात्थिक मैट्रिक्स

● दिनांक 21 जुलाई, 1994 को प्रत्यर्थी सं॰ 7 प्रहलाद कुम्हार ने भूखंड सं॰ 723 खाता सं॰ 80, थाना सं॰ 100, पी॰ एस॰ राजनगर, ग्राम कलाझरना, जिला पश्चिम सिंहभूम वाली भूमि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 5 श्रीमती खिरोदा देवी को अंतरित किया। यह प्रत्यर्थी सं॰ 7 से प्रत्यर्थी सं॰ 5 को संपत्ति का विक्रय है।

● मामले के तथ्यों से यह भी प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 श्रीमती खिरोदा देवी ने 16 अक्टूबर, 2000 को प्रत्यर्थी सं॰ 6 बिन्देश्वर प्रधान के पक्ष में दान विलेख निर्बंधित कराया था।

● यह अपीलार्थी बिहार भूमि सुधार (महत्तम क्षेत्र का नियतिकरण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961 (इसमें इसके बाद संक्षिप्तता की खातिर ''अधिनियम, 1961" के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 16 (3) के अधीन पूर्वोक्त संपत्ति पर प्रत्यर्थी सं॰ 7 से अग्रक्रयाधिकार का दावा करता है।

● इस अपीलार्थी द्वारा दाखिल आवेदन भूमि अधिकतम सीमा मामला सं॰ 15 वर्ष 2004-05 है। यह आवेदन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सरायकेला के समक्ष दाखिल किया गया था और इसे दिनांक 27 नवम्बर, 2004 के आदेश (इस लेटर्स पेटेन्ट अपील के मेमो का परिशिष्ट–5) के तहत एल॰ आर॰ डी॰ सी॰ द्वारा अनुज्ञात किया गया था।

● इस आदेश के अनुसरण में, इस अपीलार्थी के पक्ष में विक्रय विलेख किया गया है जो दिनांक 18 मई, 2005 (परिशिष्ट–6) का है।

● एल॰ आर॰ डी॰ सी॰ द्वारा पारित दिनांक 27 नवंबर, 2004 के आदेश से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी सं॰ 5 श्रीमती खिरोदा देवी ने उपायुक्त, सरायकेला के समक्ष अधिनियम, 1961 की धारा 30 के अधीन अपील–भूमि महत्तम सीमा अपील सं॰ 9 वर्ष 2005-06 दाखिल किया।

● प्रत्यर्थी सं॰ 5 श्रीमती खिरोदा देवी द्वारा दाखिल अपील दिनांक 14 सितम्बर, 2007 के आदेश (एल॰ पी॰ ए॰ के मेमो का परिशिष्ट–7) के तहत अनुज्ञात किया गया था और एल॰ आर॰ डी॰ सी॰ द्वारा पारित दिनांक 27 नवंबर, 2004 का आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किया गया था।

● उपायुक्त, सरायकेला द्वारा पारित दिनांक 14 सितंबर, 2007 के आदेश के विरुद्ध इस अपीलार्थी द्वारा रिट याचिका (सी॰) सं॰ 5936 वर्ष 2007 दाखिल किया गया था और इसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2008 के आदेश के तहत निपटाया गया था।

● तत्पश्चात् इस अपीलार्थी ने उपायुक्त, सरायकेला द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सदस्य, राजस्व बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन सं॰ 27 वर्ष 2008 दाखिल किया।

● इस अपीलार्थी द्वारा दाखिल पुनरीक्षण आवेदन सं॰ 27 वर्ष 2008 सदस्य, राजस्व बोर्ड द्वारा दिनांक 6 जनवरी, 2012 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था।

● सदस्य, राजस्व बोर्ड के उक्त आदेश से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर, इस अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 1619 वर्ष 2012 दाखिल किया और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 8 जुलाई, 2015 के निर्णय एवं आदेश के तहत रिट याचिका खारिज की गयी थी।

● डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 1619 वर्ष 2012 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 8 जुलाई, 2015 को पारित निर्णय एवं आदेश से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर संपत्ति के अंतरितियों जो इस लेटर्स पेटेन्ट अपील में प्रत्यर्थी सं॰ 5 एवं 6 हैं के विरुद्ध संपत्ति खरीदने के अपने अग्रक्रयाधिकार को स्थापित करने के लिए मूल याची द्वारा वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपील दाखिल किया गया है।

3. <u>अपीलार्थी (मूल याची) के अधिवक्ता द्वारा रखा गया तर्क:-</u>

● अपीलार्थी (मूल याची) के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह अपीलार्थी संपत्ति का पार्श्व स्वामी है और, इसलिए, उसने ग्राम कलाझरना अवस्थित भूखंड सं॰ 723, खाता सं॰ 80, पी॰ एस॰ राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ खरीदने का अग्रक्रयाधिकार पाया है जिसके लिए भू-सुधार उपसमाहर्त्ता के समक्ष अधिनियम, 1961 की धारा 16 (3) के अधीन आवेदन भूमि महत्तम सीमा मामला सं॰ 15 वर्ष 2004-05 दाखिल किया गया था जिसे एल॰ आर॰ डी॰ सी॰ द्वारा दिनांक 27 नवंबर, 2004 के आदेश के तहत अनुज्ञात किया गया था। तत्पश्चात, विक्रय विलेख भी निष्पादित किया गया था जो दिनांक 18 मई, 2005 का है जो इस एल॰ पी॰ ए॰ के मेमो के परिशिष्ट-6 पर है। यह विक्रय विलेख उपायुक्त, सरायकेला द्वारा दिनांक 14 सितंबर, 2007 के अपने आदेश (परिशिष्ट 7) के तहत ठुकराया नहीं जा सकता है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामले के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है और इसलिए डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 1916 वर्ष 2012 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है।

● अपीलार्थी (मूल याची) के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि समय सीमा जिसके भीतर आवेदन दाखिल किया जाना है, दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन की तिथि से एवं ऐसे दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन की जानकारी के तिथि से तीन माह है। ज्योंही इस अपीलार्थी को पूर्वोक्त संपत्ति के विक्रय विलेख के रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी हुई, अग्रक्रयाधिकार का दावा किया गया है, अत:, ऐसा आवेदन दाखिल करने में विलंब नहीं हुआ है।

● अपीलार्थी (मूल याची) के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया है कि इस अपीलार्थी के पास अब अपने पक्ष में विक्रय विलेख (परिशिष्ट 6) है जो दिनांक 18 मई, 2005 का है। उपायुक्त, सरायकेला, सदस्य, राजस्व बोर्ड और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामले के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है, अत: विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है।

4. <u>प्रत्यर्थी सं॰ 5 एवं 6 जो प्रतिवाद करने वाले मुख्य प्रत्यर्थी हैं के अधिवक्ता का तर्क</u>

● प्रत्यर्थी सं॰ 5 एवं 6 के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आरंभ में संपत्ति प्रत्यर्थी सं॰ 7 प्रहलाद कुम्हार द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा दिनांक 21 जुलाई 1994 को प्रत्यर्थी सं॰ 5 श्रीमती खिरोदा देवी के पक्ष में अंतरित की गयी थी और तत्पश्चात, प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने प्रत्यर्थी सं॰ 6 के पक्ष में दिनांक 16 अक्टूबर, 2000 का रजिस्टर्ड विक्रय विलेख निष्पादित किया। इस प्रकार, प्रश्नगत संपत्ति पहले ही प्रत्यर्थी सं॰ 7 से प्रत्यर्थी सं॰ 5 को और प्रत्यर्थी सं॰ 5 से प्रत्यर्थी सं॰ 6 को समय के बिन्दु में काफी पहले अंतरित की गयी थी। इन दो दस्तावेजों की शुद्धता एवं वास्तविकता को किसी द्वारा चुनौती नहीं दी गयी है और न ही किसी ने कथन किया है कि ये कपटपूर्ण दस्तावेज अथवा मनगढ़ंत दस्तावेज हैं। प्रत्यर्थी

सं॰ 6 द्वारा संपत्ति अंतरित किए जाने के बाद लगभग चार साल की अवधि बीत गयी है और तत्पश्चात, इस अपीलार्थी द्वारा अग्रक्रयाधिकार का दावा किया जा रहा है और एल॰ आर॰ डी॰ सी॰ के समक्ष अधिनियम, 1961 की धारा 16 (3) के अधीन आवेदन दाखिल किया गया है जिसे एल॰ आर॰ डी॰ सी॰ द्वारा दिनांक 27 नवम्बर 2004 के आदेश के तहत अनुज्ञात किया गया था। श्रीमती खिरोदा देवी पर नोटिस का समुचित एवं प्रभावकारी तामील नहीं किया गया था और, इसलिए, प्रत्यर्थी सं॰ 5 श्रीमती खिरोदा देवी द्वारा दाखिल अपील भूमि महत्तम सीमा अपील सं॰ 9 वर्ष 2005-06 दाखिल की गयी थी और संपत्ति के पूर्व अंतरणों के समस्त तथ्यों को उपायुक्त, सरायकेला के समक्ष प्रकाशमान किया गया था और अंततः, दिनांक 14 सितंबर, 2007 के आदेश (परिशिष्ट 7) के तहत प्रत्यर्थी सं॰ 5 श्रीमती खिरोदा देवी के पक्ष में अपील अनुज्ञात की गयी थी। एल॰ आर॰ डी॰ सी॰ ने प्रत्यर्थी सं॰ 7 से प्रत्यर्थी सं॰ 5 को वर्ष 1994 में प्रश्नगत संपत्ति के अंतरणों के बारे में तथ्यों का अधिमूल्यन नहीं किया था। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस अपीलार्थी द्वारा दाखिल रिट याचिका खारिज करते हुए मामले के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन किया गया है और इसलिए यह लेटर्स पेटेन्ट अपील इस न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकती है।

● प्रत्यर्थी सं॰ 5 एवं 6 के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वस्तुतः धारा 16 (3) इस अपीलार्थी को तथाकथित अग्रक्रयाधिकार के अधीन संपत्ति खरीदने के लिए कोई अधिकार कभी नहीं दे रही है।

● उपायुक्त, सरायकेला द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध इस अपीलार्थी द्वारा दाखिल पुनरीक्षण आवेदन सं॰ 27 वर्ष 2008 भी सदस्य, राजस्व बोर्ड द्वारा खारिज किया गया है। इस प्रकारः–

(a) Hkfe egÙke lhek vihy l0 9 o"k 2005-06 e fnukd 14 flrcj] 2007 d vkn'k (ifjf'k"V 7) d rgr mik;Dr] ljk;dyk(

(b) lnL;] jktLo ckM ftUgku bl vihykFkh }kjk nkf[ky vihy fnukd 6 tuojh 2012 d vkn'k (ifjf'k"V&8) d rgr [kkfjt dj fn;k }kjk iujh{k.k vkonu l0 27 o"k 2008 e ikfjr vkn'k(

(c) MCyO ihO (lhO) l0 1619 o"k 2012 e fnukd 8 tykb] 2015 d fu.k; ,o vkn'k d rgr fo}ku ,dy U;k;kèkh'k }kjk ikfjr vkn'k }kjk rF; dk lxr fu"d"k gA

● इस प्रकार, तथ्यों के संगत निष्कर्ष हैं, अतः इस न्यायालय द्वारा यह लेटर्स पेटेन्ट अपील ग्रहण नहीं किया जा सकता है।

● प्रत्यर्थी सं॰ 5 एवं 6 के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयोंः–

*(a) **(2007)10 SCC 448;** ,o*

*(b) **(2008)10 SCC 153** ij fo'okl fd;k gA*

● पूर्वोक्त निर्णयों के आधार पर, प्रत्यर्थी सं॰ 5 एवं 6 के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A के अधीन प्रत्याभूत संपत्ति धारण करने के संवैधानिक अधिकार के मुकाबले अग्रक्रयाधिकार अत्यन्त कमजोर अधिकार है और, इसलिए भी, समय के बिंदु में काफी पहले प्रत्यर्थी सं॰ 5 के पक्ष में और तत्पश्चात, क्रमशः वर्ष 1994 में और वर्ष 2000 में प्रत्यर्थी सं॰ 6 के पक्ष में पहले ही निष्पादित अंतरणों जैसा यह उपर कथन किया गया है के विरुद्ध अग्रक्रयाधिकार के दावा के लिए वर्ष 2004-05 में दाखिल आवेदन की तुलना में इस अपीलार्थी के पक्ष में अग्रक्रयाधिकार प्रदान करने के लिए इस न्यायालय द्वारा यह लेटर्स पेटेन्ट अपील ग्रहण नहीं किया जा सकता है।

5. कारण:

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए हम मुख्यत: निम्नलिखित तथ्यों एवं कारणों से यह रिट याचिका ग्रहण करने का कारण नहीं देखते हैं:

(i) यह अपीलार्थी मूल याची है। पड़ोसी होने के नाते, वह ग्राम कला रंजन पी॰ एस॰ राजनगर, जिला सरायकेला खरसावाँ, झारखंड राज्य अवस्थित भूखंड सं॰ 723 खाता सं॰ 80 की संपत्ति खरीदने के लिए अग्रक्रयाधिकार का दावा करता है, जिसके लिए भू–सुधार उपसमाहर्ता के समक्ष अधिनियम, 1961 की धारा 16 (3) के अधीन आवेदन भूमि महत्तम सीमा मामला सं॰ 15 वर्ष 2004-05 दाखिल किया गया था।

(ii) यह प्रतीत होता है कि आक्षेपित संपत्ति के स्वामी प्रत्यर्थी सं॰ 7 प्रहलाद कुम्हार ने प्रत्यर्थी सं॰ 5 के साथ दिनांक 21 जुलाई, 1994 का रजिस्टर्ड विक्रय विलेख किया। इस प्रकार प्रश्नगत संपत्ति पहले ही दिनांक 21 जुलाई, 1994 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा पहले ही अंतरित की गयी थी। इस अपीलार्थी द्वारा कोई ऐसा अभिवचन नहीं किया गया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 7 एवं प्रत्यर्थी सं॰ 5 के बीच हुआ यह रजिस्टर्ड विक्रय विलेख किसी प्रपीड़न, धमकी अथवा अनुचित प्रभाव के अधीन था और न ही कोई अभिकथन है कि यह मनगढ़ंत दस्तावेज है।

(iii) प्रत्यर्थी सं॰ 5 श्रीमती खिरोदा देवी ने अपने पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के छह वर्ष बाद दिनांक 16 अक्टूबर, 2000 के रजिस्टर्ड दान विलेख द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 6 को संपत्ति अंतरित किया। इस अपीलार्थी द्वारा अभिकथन नहीं है कि यह रजिस्टर्ड विलेख मनगढ़ंत दस्तावेज है।

(iv) अब, इस रजिस्टर्ड दान विलेख के चार वर्ष बाद इस अपीलार्थी द्वारा अग्रक्रयाधिकार का दावा किया गया है जिसके लिए अधिनियम, 1961 की धारा 16 (3) के अधीन आवेदन भूमि महत्तम सीमा मामला सं॰ 15 वर्ष 2004 भू–सुधार उपसमाहर्त्ता, सरायकेला–खरसावाँ के समक्ष दाखिल किया गया है, जिन्होंने दिनांक 27 नवम्बर 2004 के आदेश (परिशिष्ट 5) के तहत इस अपीलार्थी के पक्ष में आवेदन अनुज्ञात किया और तत्पश्चात, इसी संपत्ति के दो पूर्व अंतरणों–वर्ष 1994 में प्रत्यर्थी सं॰ 5 श्रीमती खिरोदा देवी के पक्ष में आरंभ में और तत्पश्चात, दिनांक 16 अक्टूबर, 2000 के रजिस्टर्ड दान विलेख द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 6 बिन्देश्वर प्रधान के पक्ष में–को ध्यान में किए बिना इस अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 18 मई 2005 का रजिस्टर्ड विक्रय विलेख भी किया गया है। यह विधि की दृष्टि में अनुज्ञेय नहीं है। यह एल॰ आर॰ डी॰ सी॰ द्वारा किया गया अभिलेख को देखते ही प्रकट गलती है। पहले इसी संपत्ति का रजिस्टर्ड विलेख द्वारा दो अंतरण किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द नहीं किया गया है। रजिस्टर्ड विलेख द्वारा किये गये दो पूर्व अंतरण अक्षुण्ण बने रहे और जैसा वे हैं–एक वर्ष 1994 का रजिस्टर्ड विक्रय विलेख और दूसरा वर्ष 2000 का रजिस्टर्ड दान विलेख। एल॰ आर॰ डी॰ सी॰ ने इन दो दस्तावेजों जो रजिस्टर्ड विलेख हैं का संज्ञान लिए बिना ही वर्ष 2004 में आदेश पारित किया है और इसी संपत्ति के लिए इस अपीलार्थी के पक्ष में एल॰ आर॰ डी॰ सी॰ द्वारा दिनांक 18 मई, 2005 का एक अन्य विक्रय विलेख भी किया गया है और, इसलिए, इस अपीलार्थी द्वारा धारा 15 (3) के अधीन दाखिल आवेदन भूमि महत्तम सीमा मामला सं॰ 15 वर्ष 2004-05 में एल॰ आर॰ डी॰ सी॰ द्वारा पारित दिनांक 27 नवंबर, 2004 का निर्णय एवं आदेश सही प्रकार से प्रत्यर्थी सं॰ 5 श्रीमती खिरोदा देवी द्वारा दाखिल अपील में उपायुक्त, सरायकेला द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया गया है।

(v) श्रीमती खिरोदा देवी द्वारा अधिनियम, 1961 की धारा 30 के अधीन दाखिल भूमि महत्तम सीमा अपील सं॰ 9 वर्ष 2005-06 उपायुक्त, सरायकेला द्वारा दिनांक 14 सितंबर, 2007 के आदेश के तहत अनुज्ञात किया गया है। दिनांक 14 सितंबर, 2007 के आदेश के तहत भूमि महत्तम सीमा अपील सं॰ 9 वर्ष 2005-06 विनिश्चित करने में उक्त प्राधिकारी द्वारा गलती नहीं की गयी है क्योंकि पहले ही समय के बिन्दु में काफी पहले दो भिन्न रजिस्टर्ड विलेखों द्वारा प्रश्नगत संपत्ति अंतरित की गयी थी। अग्रक्रयाधिकार का दावा करने के लिए आवेदन समय के बिन्दु में काफी बाद में दाखिल किया गया है।

(vi) त्वरित निर्देश के लिए अधिनियम, 1961 की धारा 16 (3) का पठन निम्नलिखित है:–

"16 (3) (i) tc bl vfèkfu;e d vkjHk d ckn lg&v'kèkkjh vFkok ik'o Hkfe d j;r l fHkUu fdlh 0;fDr dk Hkfe dk dkb vrj.k fd;k tkrk g] vrjd dk dkb lg&v'kèkkjh vFkok vrfjr Hkfe d ik'o Hkfe èkkj.k dju okyk dkb j;r vrj.k d nLrkot d jftLV'ku dh frfFk l rhu ekg d Hkhrj mDr foy[k e vrfo"V fucèkuk ,o 'krk ij mldk Hkfe vrfjr dju d fy, fofgr rjhd l lekgrk d le{k vkonu nu dk gdnkj gkxkA

ijUr ;g fd lekgÙkk }kjk ,l vkonu xg.k ugh fd;k tk,xk tc rd mld nl çfr'kr d leku jkf'k d lkFk [kjhn èku mDr vofèk d Hkhrj fofgr rjhd e tek ugh fd;k tkrk gA

(ii) mDr fu{ki fd, tku ij lg v'kèkkjh vFkok j;r bl rF; dk è;ku e fy, fcuk fd [kM (i) d vèkhu vkonu fu.k; d fy, yfcr g Hkfe dk dCtk iku dk gdnkj gkxkA

ijUr ;g fd tgk vkonu vLohdkj fd;k tkrk g] lg v'kèkkjh vFkok j;r] ;FkkfLFkfr] Hkfe l cn[ky fd;k tk,xk vkj bldk dCtk vrfjrh dk iuLFkkfir fd;k tk,xk vkj vrfjrh [kM (i) d vèkhu fd, x, tek e l [kjhn èku d nl çfr'kr dh leku jkf'k dk Hkxrku fd, tku dk gdnkj gkxkA

*(iii) ;fn vkonu vuKkr fd;k tkrk g lekgÙkk fdlh vkn'k }kjk vkn'k e fofufn"V dh tku okyh vofèk d Hkhrj vrj.k dk nLrkot fu"ikfnr ,o jftLVj djd vkond d i{k e Hkfe gLrkrfjr dju dk fun'k vrfjrh dk nxk vkj ;fn og fun'k dk vuikyu dju e mi{kk vFkok budkj djrk g] flfoy çfØ;k lfgrk] 1908 (Vo"k 1908) d vkn'k XXI fu;e 34 e fofgr çfØ;k dk vulj.k tgk rd gk ldrk g fd;k tk,xkA***

(vii) धारा 16 (3) के पूर्वोक्त प्रावधान की दृष्टि में, यह अपीलार्थी अग्रक्रयाधिकार का दावा कर रहा है। अधिनियम, 1961 की धारा 16 की उपधारा (3) द्वारा इस अपीलार्थी को अग्रक्रयाधिकार प्रदान नहीं किया गया है। वस्तुत:, अधिनियम, 1961 की धारा 16 और कुछ नहीं बल्कि, कतिपय कारण से अंतरण द्वारा भावी अर्जन पर निर्बंधन है। अधिनियम, 1961 का संबंध भूमि धारण करने के लिए महत्तम सीमा के साथ है। प्रत्येक नियम का इसका अपना अपवाद है और, इसलिए, आपवादिक परिस्थितियों के अधीन, अधिनियम की धारा 4 के अधीन अधिनियम वर्ष 1961 द्वारा अनुमति दी गयी महत्तम सीमा क्षेत्र की सीमाओं से परे भूमि धारक द्वारा उन परिस्थितियों में अपने पास रखी जा सकती है जैसा अधिनियम, 1961 की धारा 16 (3) के अधीन वर्णित है, परन्तु, इस अपीलार्थी को धारा 16(3) द्वारा प्रदान किए गए अग्रक्रयाधिकार जैसा कुछ भी नहीं है।

(viii) मामले के तथ्यों से आगे प्रतीत होता है कि भूमि महत्तम सीमा अपील सं॰ 9 वर्ष 2005-06 विनिश्चित करते हुए उपायुक्त, सरायकेला और पुनरीक्षण आवेदन सं॰ 27 वर्ष 2008 विनिश्चित करते हुए सदस्य, राजस्व बोर्ड द्वारा दिनांक 6 जनवरी 2012 के आदेश के तहत और डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 1619 वर्ष 2012 विनिश्चित करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 8 जुलाई, 2015 के आदेश के तहत तथ्यों के संगत निष्कर्ष हैं। तथ्य का यह संगत निष्कर्ष इस प्रभाव का है कि वर्ष 1994 में और वर्ष 2000 में क्रमशः प्रत्यर्थी सं॰ 5 के पक्ष में और प्रत्यर्थी सं॰ 6 के पक्ष में इसी संपत्ति का पूर्व दो अंतरण है और इस अपीलार्थी द्वारा अग्रक्रयाधिकार का दावा करने के लिए दाखिल आवेदन काफी विलंबित चरण अर्थात् वर्ष 2004-05 का है और, इसलिए, हम डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 1619 वर्ष 2012 खारिज करते हुए दिनांक 8 जुलाई 2015 के आदेश के तहत विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न कोई अन्य दृष्टिकोण लेने का कारण नहीं देखते हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड विलेखों द्वारा दोनों अंतरणों की वास्तविकता को इस अपीलार्थी द्वारा कोई चुनौती कभी नहीं दी गयी है, क्योंकि इस अपीलार्थी द्वारा यह प्रतिवाद कभी नहीं किया गया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 एवं प्रत्यर्थी सं॰ 6 के पक्ष में पूर्व के दो अंतरण मनगढ़ंत या कूटरचित दस्तावेज हैं।

(ix) **लक्ष्मण दास बनाम जगत राम एवं अन्य, (2007)10 SCC 448,** में पैराग्राफ 16 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

> *"16. ,l ukfVl d ckotn] vihykFkh dk i{k d :i e i{kdkj ugh cuk;k x;k FkkA vr%] bl çÑfr d ekey e luokbZ dk volj mldk fn, fcuk okn Hkfe dk Lokeh cuu rFkk ml ij dkfct gku dk mldk vfèkdkj okil ugh fy;k tk ldrk FkkA lifUk èkkj.k djuk Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 300A d fucèkuku lkj loèkkfud vfèkdkj gA ;g ekuokfèkdkj Hkh gA vr%] flok, lfofèk d çkoèkku d vu#i] lifUk èkkj.k dju dk vfèkdkj okil ugh fy;k tk ldrk gA ;fn lifUk èkkj.k dju d mPprj vfèkdkj dk nkok fd;k tkrk g] bld fy, çfØ;k dk vuikyu djuk gkxkA vr% ijkHkko; 'kr lr"V djuk gkxkA vU;Fkk Hkh] vxØ;kfèkdkj vR;Ur detkj vfèkdkj g ;|fi ;g lkfofèkd vfèkdkj gA U;k;ky; dk vxØ;drk d i{k e vurk"k çnku djr g, mld Lokeh d loèkkfud ,o ekuo vfèkdkj d edkcy vfèkdkj d pfj= d ckj e bl è;ku e j[kuk gkxkA** (tkj fn;k x;k)*

(x) पूर्वोक्त निर्णय की दृष्टि में, अग्रक्रयाधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A के अधीन प्रत्याभूत संवैधानिक अधिकार के मुकाबले अत्यन्त कमजोर अधिकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आगे अभिनिर्धारित किया गया है कि संपत्ति धारण करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A के अधीन संवैधानिक अधिकार है और यह मानवाधिकार भी है। इस प्रकार, इस अपीलार्थी द्वारा अग्रक्रयाधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है जब संपत्ति का मूल स्वामी प्रश्नगत संपत्ति धारण करने के अपने संवैधानिक तथा मानव अधिकार का दावा कर रहा है, विशेषतः जब प्रश्नगत भूमि वर्ष 1994 तथा वर्ष 2000 के रजिस्टर्ड विलेखों द्वारा अंतरित की गयी है जैसा यहाँ उपर कथन किया गया है।

(xi) **कुमार गोनसुसव एवं अन्य बनाम मोहम्मद मियाँ उर्फ बबन एवं अन्य, (2008)10 SCC 153**, में पैराग्राफों 19 एवं 20 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

> *"19. vr%] ;gk ij dh x;h ppk dh nf"V e gekjk nf"Vdk.k g fd bl LohÑr rF; dh nf"V e fd okn lifUk d lcèk e vihykFkh 3 }kjk vihykFk;k 1 ,o 2 d lkFk foØ; djkj ek= fd;k x;k Fkk] çR;fFk;k u fdlh vxØ;kfèkdkj dk ç;kx*

dju dk ç'u fcYdy mnHkr ugh gk ldrk FkkA tlk igy gh lçf{kr fd;k x;k g] ,l foØ; djkj d vkèkkj ij yk;k x;k vxØ; d fy, okn dk fdlh okn grd d fcuk vfHkfuèkkfjr djuk gkxk D;kfd çR;fFk;k e vxØ;kfèkdkj ugh Fkk ftl fofèk d vèkhu çofrr fd;k tk ldrk FkkA ***ge bl rF; dk vun[kk ugh djuk pkfg, fd vxØ;drk d i{k e lkE;k ugh g ftldk ,dek= mí'; lfofèk }kjk mle lftr vfèkdkjk d QyLo#i oèk l0;ogkj vLr&0;Lr djuk gA ;g lfuf'pr g fd vxØ; dk vfèkdkj iklr dju oky dk fdlh oèk lkèku l vxØ; dh fofèk foQy dju dh NV gkxh tk foØrk vFkok Ørk dh vkj l diV ugh ik;k x;k g vkj 0;fDr leLr fofèki.k lkèkuk l vxØ; dh fofèk l cp fudyu dk gdnkj gA***

20. ***bld vfrfjDr] vc ;g lLFkkfir g fd vxØ;kfèkdkj ,d ncy vfèkdkj g rFkk U;k;ky;k }kjk blij vuxgiod fopkj ugh fd;k tkrk g rFkk vr,o U;k;ky; vxØrk dh enn dju d fy, viu ekx l gV ugh ldrA*** *(tkj fn;k x;k)*

(xii) पूर्वोक्त निर्णय की दृष्टि में, यदि क्रेता एवं विक्रेता की ओर से कपट नहीं है और प्रश्नगत संपत्ति पहले ही पूर्णत: विधिक प्रक्रिया द्वारा, रजिस्टर्ड विलेख द्वारा अंतरित की गयी है, काफी विलंबित चरण पर इस अपीलार्थी को अग्रक्रयाधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता है। वस्तुत: अधिनियम, 1961 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन इस अपीलार्थी को ऐसा कोई अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है जैसा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है। वस्तुत:, अधिनियम, 1961 की धारा 16 (3) बिल्कुल किसी अन्य प्रयोजन से है अर्थात् यदि कोई व्यक्ति महत्तम सीमा के परे भूमि अपने पास रखना चाहता है, तब प्रक्रिया अलग कर निकाली गयी है और अधिनियम 1961 की धारा 16 (1) के अधीन अधिरोपित निर्बंधन को इस प्रभाव तक निष्प्रभावी किया गया है। यह अपीलार्थी अधिनियम, 1961 की धारा 16 (3) के अधीन अपना अग्रक्रयाधिकार स्थापित नहीं कर सका था। मामले के इन पहलूओं का भूमि महत्तम सीमा अपील सं॰ 9 वर्ष 2005-06 विनिश्चित करते हुए दिनांक 14 सितंबर, 2007 के आदेश के तहत उपायुक्त, सरायकेला द्वारा और पुनरीक्षण आवेदन सं॰ 27 वर्ष 2008 विनिश्चित करते हुए दिनांक 6 जनवरी, 2012 के आदेश के तहत सदस्य राजस्व बोर्ड द्वारा और डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 1619 वर्ष 2012 खारिज करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न कोई दृष्टिकोण लेने का कारण नहीं देखते हैं।

6. पूर्वोक्त तथ्यों, कारणों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं के समेकित प्रभाव के कारण विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 1619 वर्ष 2012 खारिज करते हुए दिनांक 8 जुलाई, 2015 के आदेश के तहत गलती नहीं की गयी है। इस लेटर्स पेटेन्ट अपील में सार नहीं है, अत: इसे एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

मुमताज मल्लिक उर्फ राजू मल्लिक उर्फ राजू एवं एक अन्य

cuke

झारखण्ड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 655 of 2016. Decided on 18th January, 2017.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 341, 323, 498A एवं 313/34—दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961—धाराएँ 3/4—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—क्रूरता, उपहति एवं दोषपूर्ण अवरोध–संज्ञान–सुलह विफल हो गया है और पक्षगण के बीच पुनः दुश्मनी प्रारंभ हो गयी है–प्राथमिकी में याचीगण के विरुद्ध दहेज मांग पूरा न किये जाने के कारण उसको यातना देने एवं प्रहार करने के अतिरिक्त विपक्षी पक्षकार का गर्भपात करवाने का विनिर्दिष्ट अभिकथन है–आवेदन खारिज। (पैराएँ 5 से 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Niladri S. Mukharjee, For the Petitioner; APP, For the State; Mr. B.K. Dubey, For O.P. No. 2.

आदेश

पक्षों को सुना गया।

2. इस आवेदन में, याचीगण ने दिनांक 10.12.2010 के आदेश एवं दिनांक 11.1.2011 के आदेश जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 323, 498A, 313/34 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन अपराध के लिए संज्ञान लिया गया है सहित समरिया पी॰ एस॰ केस सं॰ 45 वर्ष 2010 के संबंध में प्राथमिकी के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है।

3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि याची सं॰ 1 विरोधी पक्षकार सं॰ 2 का पति है जबकि याची सं॰ 2 सास है। आगे यह निवेदन किया गया है कि पक्षों के बीच मामले में सुलह हुआ है किंतु बाद में विरोधी पक्षकार सं॰ 2 सुलह से मुकर गयी है जिसकी अनुमति इस चरण पर नहीं दी जा सकती है। यह निवेदन भी किया गया है कि परिवाद मामला सं॰ सी॰ 717/13 में सुलह की दृष्टि में अभियुक्तों को दोषमुक्त किया गया था। विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि वस्तुतः विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के अड़ियल रवैये के कारण, सुलह के बाद भी, जिसे मध्यस्थता केंद्र में प्रभावी बनाया गया था, उसने याची सं॰ 1 के साथ रहने से इनकार कर दिया। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि चूँकि निबंधनों एवं शर्तों के आधार पर मामले में पहले ही सुलह हो गया है, याचीगण के विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है।

4. वि॰ प॰ सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री बी॰ के॰ दूबे ने याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि यद्यपि सुलह किया गया था, यह धमकी एवं प्रपीड़न के अधीन किया गया था। यह निवेदन किया गया है कि याची द्वारा दांपत्य अधिकार के प्रत्यास्थापन के लिए वाद दाखिल किया गया था जिसे अवर न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची सं॰ 1 द्वारा विरोधी पक्षकार सं॰ 2 पर निर्ममतापूर्वक प्रहार किया गया था जब वह याची सं॰ 1 के घर में रहती थी और प्राथमिकी में किए गए अभिकथनों की प्रकृति की दृष्टि में वर्तमान आवेदन खारिज किए जाने का दायी है।

5. यह प्रतीत होता है कि आरंभ में मध्यस्थता केंद्र, चतरा में कतिपय निबंधनों एवं शर्तों पर पक्षों के बीच सुलह हुआ था जिसमें सिमरिया पी॰ एस॰ केस सं॰ 45 वर्ष 2010 तथा परिवाद केस सं॰ 717/2013 भी सम्मिलित था। उक्त सुलह के अनुसरण में, परिवाद केस सं॰ 717/2013 निपटाया गया था। वर्तमान मामला याचीगण के विरुद्ध दहेज मांग एवं यातना का अभिकथन करते हुए याची सं॰ 1 की पत्नी

द्वारा संस्थित किया गया है। सुलह जिसे मध्यस्थता केंद्र, चतरा में प्रभावी बनाया गया था बाद में विफल हो गया प्रतीत होता है और पक्षों के बीच पुनः बैरपूर्ण संबंध हो गया है जो मामला के समाधान के पहले विद्यमान था। पक्षों द्वारा किए गए अभिवचनों की दृष्टि में प्रभावी बनाए गए सुलह को विचार में नहीं लिया जा सकता है और मामला गुणागुण पर विनिश्चित करना होगा।

6. जहाँ तक प्राथमिकी का संबंध है, दहेज मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण विरोधी पक्षकार सं॰ 2 पर प्रहार करने एवं यातना देने के अतिरिक्त विरोधी पक्षकार सं॰ 2 का गर्भपात कराने के लिए याचीगण के विरुद्ध विनिर्दिष्ट अभिकथन प्रतीत होता है। ऐसा अभिकथन भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 498A एवं 313 के अधीन और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन अपराध गठित करते हैं और वस्तुतः अन्वेषण पूरा करने के बाद आरोप-पत्र दाखिल किया गया था और 10.12.2010 को संज्ञान लिया गया था।

7. उपर दिए गए तथ्यों एवं परिस्थितियों में, दांडिक कार्यवाही जिसे याचीगण के विरुद्ध संस्थित किया गया है में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं है और इसलिए इस आवेदन में गुणागुण नहीं पाने पर इसे एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; çeFk iVuk;d] U;k;efr

प्रमिला मंडल

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 5113 of 2016. Decided on 17th January, 2017.

विद्यालय विधि–भत्ता–गैर सरकारी/सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षक अवकाश नगदकरण राशि पाने के हकदार हैं–जिला शिक्षा अधीक्षक को याची के प्रासंगिक सेवा अभिलेख के सम्यक् संवीक्षण के बाद अवकाश नगदकरण राशि के प्रदान के मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 4 से 6)

निर्णयज विधि.–2014 (1) JBCJ 465—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s A.K. Das, Swati Salini, For the Petitioner; Mr. Sunil Singh, For the Respondent.

प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति.–वर्तमान रिट आवेदन में याची ने अन्य बातों के साथ भुगतेय राशि पर लाभ नहीं लिए गए अवकाश के लिए अवकाश नगदकरण के भुगतान के लिए प्रत्यर्थियों को रिट/निर्देश के लिए प्रार्थना किया है क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद भी याची को इसका भुगतान नहीं किया गया है।

2. रिट आवेदन में प्रकट किए गए तथ्य ये हैं कि याची को वर्ष 1979 में विवेकानंद मध्य विद्यालय, साकची, जमशेदपुर में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और वह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30.9.2008 को सेवानिवृत्त हुई। प्रश्नगत विद्यालय जहाँ से याची सेवानिवृत्त हुई, सरकारी मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त मध्य विद्यालय है और प्रश्नगत विद्यालय के स्टाफ के वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान हेतु समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा राजकोष से दिया जा रहा है।

3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची की शिकायत संक्षिप्त है और डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 506, 509 एवं 512 वर्ष 2013 में पारित इस न्यायालय के निर्णय द्वारा पूर्णतः आच्छादित है। जहाँ तक अवकाश नगदकरण के भुगतान के विवाद्यक का संबंध है, याची सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त विद्यालय की सेवानिवृत्त कर्मचारी है और विवाद्यक **मरियम तिर्के बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, 2014 (1) JBCJ 465,** में पारित इस न्यायालय के निर्णय की दृष्टि में अब अनिर्णीत विषय नहीं है और अपील की विशेष अनुमति (सी॰) सं॰ (S) 20606-20607/2014 में पारित दिनांक 15.12.2014 के निर्णय के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्य ठहराया गया है। तद्नुसार, याची को अवकाश नगदकरण राशि के भुगतान के लिए दिए गए निर्णय की दृष्टि में रिट याचिका निपटायी जा सकती है।

5. प्रत्यर्थियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता विवादित नहीं करते हैं कि गैर सरकारी अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त विद्यालय के शिक्षक को ग्राह्य अवकाश नगदकरण से संबंधित पूर्वोक्त विवाद्यक **मरियम तिर्के (ऊपर)** मामले में दिए गए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक अभिपुष्ट निर्णय द्वारा विनिश्चित किया गया है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर, ऐसी परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी सं॰ 4 को याची की ओर से दिए गए अभ्यावेदन के साथ आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से बारह सप्ताहों की अवधि के भीतर **मरियम तिर्के (ऊपर)** मामले में दिए गए निर्णय की दृष्टि में याची के प्रासंगिक सेवा अभिलेखों के सम्यक संवीक्षण के बाद अवकाश नगदकरण राशि के प्रदान के लिए मामले में, निर्णय लेने का निर्देश देते हुए रिट याचिका निपटायी जाती है।

7. तद्नुसार, रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

मयूर अदेशरा

cuke

झारखंड राज्य

Cr. M.P. No. 614 of 2016. Decided on 24th November, 2016.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 317—अभियुक्त की निजी उपस्थिति से अभिमुक्ति—दंडाधिकारी दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 317 के अधीन अभ्यावेदन अस्वीकार करते हुए उसी समय जमानत बंधपत्र रद्द नहीं कर सकता है और गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट जारी नहीं कर सकता है यदि इसने पूर्व तिथि पर स्पष्टतः निर्देश नहीं दिया है कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 317 के अधीन निजी उपस्थिति आवश्यक थी, यदि इसे अभिमुक्त नहीं किया गया था—वर्तमान में, दंडाधिकारी ने मिश्रित आदेश पारित किया है जो दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 317 के उल्लंघन में है—आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया गया और याची को विचारण में सहयोग करने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 6 एवं 7)

निर्णयज विधि.—2011 (3) PLJR 286; 2012 (2) East Cr. C. 52 (Jhr.)—Referred.

अधिवक्तागण.—M/s Vishal Kumar Trivedi, Deepankar, For the Petitioners; Mr. Hardeo Prasad Singh, For the Opp. Party.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. इस आवेदन में याची ने परिवाद मामला सं॰ 716 वर्ष 2012, टी॰ आर॰ सं॰ 803 वर्ष 2016 के तत्सम, के संबंध में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, राँची द्वारा पारित दिनांक 17.12.2014 के आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन याची द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 317 के अधीन दाखिल याचिका अस्वीकार दी गयी है, याची का जमानत बंधपत्र रद्द किया गया है, जमानतदारों को समन जारी किया गया है और मिश्रित आदेश में याची के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। याची ने आगे न्यायिक दंडाधिकारी, राँची द्वारा पारित दिनांक 9.7.2015 के आदेश के अभिखंडन के लिए भी प्रार्थना किया है।

3. परिवाद से प्रतीत होता है कि परिवादी प्रकाशन कंपनी है और याची ने परिवादी के समाचारपत्र प्रभात खबर में सामग्री के प्रकाशन के लिए आदेश दिया जिसके अनुसरण में परिवादी ने इसे समाचार पत्र प्रभात खबर में प्रकाशित किया और उसके लिए किए गए प्रकाशन के विरुद्ध याची से 1,76,480/- रुपयों का भुगतान मांगा। यह अभिकथित किया गया है कि याची ने अपने दायित्व के उन्मोचन में परिवादी के पक्ष में आई॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰ बैंक चेक सं॰ 046788 दिनांकित 12.2.2012 1,76,480/- रुपयों के लिए जारी किया जिसका दिनांक 22.2.2012 के आई॰ सी॰ आई॰ सी॰ बैंक नोट में उपदर्शित कारण "Effects not cleared, कृपया पुनः प्रस्तुत करें'' के कारण अनादर कर दिया गया था जिस पर परिवादी ने तुरन्त अभियुक्त/याची पर उसको 15 दिनों के भीतर उक्त राशि का भुगतान करने के लिए कहते हुए दिनांक 20.3.2012 के अभिस्वीकृति के साथ रजिस्टर्ड कानूनी नोटिस तामील किया। आगे यह अभिकथित किया गया है कि याची ने परिवादी के कंपनी सचिव को फोन किया और कहा कि वह कंपनी द्वारा दावा की गयी राशि का भुगतान नहीं करेगा।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि परिवाद में याची के विरुद्ध यथा अभिकथित अभिकथन बिल्कुल झूठे एवं आधारहीन हैं। वह आगे निवेदन करते हैं कि अवर न्यायालय ने याची को कोई अवसर दिए बिना उसकी याचिका और जमानत अस्वीकार कर दिया और गैर जमानती वारंट के निष्पादन रिपोर्ट को प्राप्त किए बिना उसके विरुद्ध गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया और तत्पश्चात दिनांक 9.7.2015 के आदेश के तहत याची के विरुद्ध दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन याचिका जारी की गयी है। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि यद्यपि पूर्व अवसर पर उसी न्यायालय द्वारा याचिका अनुज्ञात की गयी थी किंतु दिनांक 17.12.2014 को याची को उपस्थित होने का कोई अवसर दिए बिना उसके विरुद्ध गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। उन्होंने आगे इंगित किया कि याची दिनांक 15.12.2014 से 17.1.2015 तक बीमार था और डॉक्टर की सलाह पर वह अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में अक्षम था। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि विद्वान दंडाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 317 के अधीन अभ्यावेदन अस्वीकार करते हुए उसी समय पर जमानत बंध पत्र रद्द नहीं कर सकता है और गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं कर सकता है यदि पूर्व तिथि पर यह स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 317 के अधीन आवश्यक निजी उपस्थिति अब अभिमुक्त की गयी है, किंतु वर्तमान मामले में विद्वान विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 317 के प्रावधानों के उल्लंघन में कंपोजिट आदेश पारित किया है। अतः, यह निवेदन किया गया है कि विद्वान दंडाधिकारी द्वारा पारित आदेश अत्यन्त कठोर और विधि के सिद्धांत के

विरुद्ध है। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार एवं इच्छुक है और अवर न्यायालय में उपस्थित रहेगा जब और जैसे आवश्यक होगा और शर्तों का पालन करेगा जिन्हें जमानत प्रदान करते हुए अधिरोपित किया जा सकता है और इसलिए, उसे उसी जमानत बंध पत्र पर बने रहने की अनुमति दी जा सकती है। अपने प्रतिवाद के समर्थन में याची के विद्वान अधिवक्ता ने **तिजन मुसहर उर्फ जीतन मुसहर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य,** 2011 (3) PLJR 286 और **शौकत अली खान एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं एक अन्य, 2012 (2) East Cr. C. 52 (Jhr.)** में दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट किया एवं विश्वास किया।

5. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चूँकि याची नियत तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था और इसलिए याची अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा समुचित आदेश पारित किया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि ऐसा आदेश पारित करने का प्रयोजन विचारण के समय पर याची की उपस्थिति सुनिश्चित करना है ताकि विचारण आगे बढ़ सके और जमानत प्रदान करने का प्रयोजन विफल न हो।

6. पूर्वोक्त परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करते हुए तथा कागजातों का परिशीलन करने पर भी, यह पता चलता है कि परिवाद मामला सं॰ 716 वर्ष 2012, टी॰ आर॰ सं॰ 803 वर्ष 2016 के तत्सम, में न्यायिक दंडाधिकारी, राँची द्वारा पारित दिनांक 17.12.2014 के आदेश और दिनांक 9.7.2015 के आदेश से भी व्यथित एवं असंतुष्ट होकर वर्तमान याचिका दाखिल की गयी है। मैं याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क में सार पाता हूँ कि विद्वान दंडाधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 317 के अधीन अभ्यावेदन अस्वीकार करते हुए उसी समय पर जमानत बंध पत्र रद्द नहीं कर सकते हैं और गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं कर सकते हैं यदि पूर्व तिथि पर यह स्पष्टत: निर्देशित नहीं किया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 317 के अधीन आवश्यक निजी उपस्थिति अब अभिमुक्त की गयी थी, किंतु यहाँ इस मामले में कंपोजिट आदेश पारित किया है जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 317 में अंतर्विष्ट प्रावधान के उल्लंघन में है। अत:, वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखने पर और अधिक विशेषत: इस तथ्य की दृष्टि में कि पूर्व अवसरों पर याची अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित बना रहा है और जैसा याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है, याची विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार एवं इच्छुक है और उपस्थित बना रहेगा जब और जैसे विचारण के क्रम के दौरान अवर न्यायालय द्वारा आवश्यक बनाया जाएगा और **तिजन मुसहर उर्फ जीतन मुसहर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य,** 2011 (3) PLJR 286 में दिए गए निर्णय में अधिकथित निर्णयाधार की दृष्टि में भी परिवाद मामला सं॰ 716 वर्ष 2012 में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा पारित दिनांक 17.12.2014 का आदेश और दिनांक 9.7.2015 का आदेश भी अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने के दायी हैं।

7. तद्नुसार, परिवाद मामला सं॰ 716 वर्ष 2012, में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, राँची द्वारा पारित दिनांक 17.12.2014 का आदेश और दिनांक 9.7.2015 का आदेश भी एतद्द्वारा अभिखंडित किया जाता है और याची को अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित बने रहने तथा विचारण में सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है जब और जैसे उसकी उपस्थिति आवश्यक हो। आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि याची को उसी जमानत बंध पत्र पर बने रहने की अनुमति दी जा सकती है।

8. पूर्वोक्त संप्रेक्षणों एवं निर्देशों के साथ यह दांडिक विविध याचिका निपटायी जाती है।

ekuuh; MkW ,l ,uW ikBd] U;k;efr

श्री देवदास बरुआ

cuke

झारखंड राज्य

Cr. M.P. No. 578 of 2016. Decided on 24th November, 2016.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 279, 337, 338 एवं 304A—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—लापरवाह एवं उपेक्षावान चालन द्वारा मृत्यु कारित करना–संज्ञान–याची अभिवचन कर रहा है कि वह दुर्घटना के समय पर वाहन बिल्कुल नहीं चला रहा था–यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है कि कोई और वाहन चला रहा था–संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने का यह समुचित चरण नहीं है–प्रार्थना खारिज की गयी। (पैराएँ 3 से 6)

निर्णयज विधि.–(2016)6 SCC (Cri) 551—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Chandra S. Singh, For the Petitioner; APP., For the State.

आदेश

यह याची दिनांक 11.1.2016 के आदेश जिसमें विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहे कि याची दुर्घटना के समय पर प्रश्नगत वाहन बिल्कुल नहीं चला रहा था, सहित कदमा पी॰ एस॰ केस सं॰ 205 वर्ष 2014 दिनांकित 7.10.2014 के संबंध में याची के विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है।

2. इस मामले में प्रासंगिक तथ्य संक्षेप में ये हैं कि किसी देवदास बरुआ, पुत्र स्व॰ बी॰ बी॰ बरुआ, क्वार्टर सं॰ के॰ एफ॰ 1, जी॰ पी॰ स्लोप, पी॰ ओ॰ कदमा, पी॰ एस॰ कदमा निवासी के विरुद्ध कदमा पुलिस थाना में धाराओं 279, 337, 338 के अधीन दिनांक 7.10.2014 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी जिसमें यह कथन किया गया था कि दिनांक 6.10.2014 के अपराह्न लगभग 10.30 बजे सूचक वसुद्दीन खान अपने साला/बहनोई अर्थात् मो॰ अशरफ खान के साथ गणेश पूजा मैदान में खड़ा था और समय के उसी बिंदु पर किसी देवदास बरुआ ने लापरवाही एवं उपेक्षावान रूप से मो॰ अशरफ खान को धक्का मारा और वह गंभीर रूप से घायल हुआ था और स्थानीय लोगों की मदद से उसे टी॰ एम॰ एच॰ अस्पताल ले जाया गया था और तत्पश्चात अपराह्न 6 बजे प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। घायल मो॰ अशरफ खान ने अपनी उपहति के कारण दम तोड़ दिया और पुलिस ने दिनांक 25.1.2015 को भारतीय दंड संहिता की धारा 304A जोड़ते हुए फाइनल फार्म दाखिल किया। यहाँ यह उल्लेख करना समुचित होगा कि विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने दिनांक 16.4.2015 के आदेश के तहत अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 279, 337, 338, 304A के अधीन अपराध के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है और तद्नुसार अभियुक्त देवदास बरुआ के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया था।

3. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि घटना की अभिकथित तिथि पर याची प्रश्नगत वाहन नहीं चला रहा था और इसे किसी अब्दुल हनीफ द्वारा चलाया जा रहा था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि यद्यपि स्थानीय पुलिस को इस तथ्य से अवगत कराया गया था कि याची वाहन नहीं चला रहा था किंतु पुलिस तथ्य को अभिनिश्चित करने में विफल रही। आगे यह निवेदन किया गया है कि चालक अब्दुल हनीफ को अभियोजन मामले के संबंध में न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने के लिए उसको समन करने के लिए अभियुक्त के रूप में पक्षकार बनाते हुए याचिका दाखिल की गयी थी। आगे यह निवेदन किया गया है कि प्राथमिकी बाद में सोचा गया विचार है और अभियुक्त की

पहचान करने के लिए टी॰ आई॰ पी॰ नहीं किया गया था और गवाह अभियुक्त को नहीं जानते थे। याची ने आगे कथन किया कि वह घटना के समय पर उपस्थित नहीं था और वह वाहन चलाने वाला व्यक्ति नहीं था। यह निवेदन भी किया गया है कि यह गलत पहचान का मामला है और इस दशा में संज्ञान लेने वाला आदेश विधि में दोषपूर्ण है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि वह घटना के साथ कभी नहीं जुड़ा हुआ था और मामले के समर्थन में साक्ष्य स्पष्टत: अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में विफल रहे और ऐसी कार्यवाही जारी रखना अभियुक्त के हित को संकट में डालेगा और प्रतिकूलता कारित करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने याची के विद्वान अधिवक्ता के प्रतिवाद का जोरदार विरोध किया और निवेदन किया कि अभिलेख से यह पता चलता है कि अभियुक्त देवदास बरुआ लापरवाही से एवं उपेक्षापूर्वक वाहन चला रहा था और पीड़ित मृतक मो॰ अशरफ खान को धक्का मारा और अन्वेषण के क्रम के दौरान आई॰ ओ॰ द्वारा परीक्षण किए गए अनेक गवाहों ने विनिर्दिष्टत: उल्लेख किया कि देवदास बरुआ लापरवाही से एवं उपेक्षापूर्वक वाहन चला रहा था जिसने दुर्घटना कारित किया। राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रतिवाद किया कि आरोप पत्र की दाखिली के बाद और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए विद्वान अवर न्यायालय ने पहले ही अभियुक्त देवदास बरुआ के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया है और यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है कि कोई और वाहन चला रहा था।

5. पक्षों के परस्पर विरोधी प्रतिवादों तथा अवर न्यायालय के निष्कर्ष का परिशीलन करने पर, इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि यह याची के विरुद्ध आरंभ किए गए संपूर्ण दांडिक कार्यवाही को अभिखंडित करने का समुचित चरण नहीं है और न ही दिनांक 11.1.2016 के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अमानुल्लाह बनाम बिहार राज्य, (2016)6 SCC (Cri) 551,** में पैराग्राफ 25 पर अभिनिर्धारित किया है:

> *25. vfHky[k ij çLrr lkexh dk lkoèkkuhi.k ifj'kyu çdV djrk g fd fo}ku lh0 t0 ,e0 u U;k;ky; d le{k çLrr dl Mk;jh] vkjki&i= ,o vU; lkexh d ifj'kyu d ckn vfHk;Drk d fo#) vijkèkk dk lKku fy;kA lKku fy;k x;k Fkk D;kfd vfHk;Drk d fo#) çFke n"V;k ekeyk curk FkkA ;g lfuf'pr g fd lKku yu d pj.k ij U;k;ky; dk ml ekeyk fo'k"k e vfHk;ktu dh lQyrk nj lxf.kr dju dh nf"V l ifyl }kjk mud }kjk nkf[ky vkjki&i= e cuk, x, ekey d x.kkx.k ij fopkj ugh djuk pkfg,A bl pj.k ij U;k;ky; dk dr0; ;g irk yxku dh lhek rd lhfer g fd D;k ekey e vxlj gku dh nf"V l bld le{k çLrr lkexh l vfHk;Dr d fo#) mle vfHkdfFkr vijkèk curk g ;k ughA*
>
> *26. n0 ç0 l0 dh èkkjk 482 l lcfèkr fofèk dh çfriknuk ij bl U;k;ky; }kjk Hktu yky ekey e foLrkjiod fopkj fd;k x;k gA çklfxd ijkvk 102 ,o 103 dk iBu fuEufyf[kr g%&*
>
> *"102. vè;k; XIV d vèkhu lfgrk d vud çklfxd çkoèkkuk dh 0;k[;k vkj vuPNn 226 d vèkhu vlkèkkj.k 'kfDr vFkok lfgrk dh èkkjk 482 d vèkhu vrfufgr 'kfDr d ç;kx l lcfèkr fu.k;k dh J[kyk e bl U;k;ky; }kjk çfrikfnr fl)krk dh i"BHkfe e] ftl geu mij fudkyk ,o m)r fd;k g] ge mnkgj.kLo#i ekeyk dh fuEufyf[kr dkfV;k nr g ftue fdlh U;k;ky; dh çfØ;k d n#i;kx dk jkdu d fy, vFkok vU;Fkk U;k; dk mí'; iklr dju d*

fy, ,lh 'kfDr dk ç;kx fd;k tk ldrk Fkk] ;|fi fdlh lVhd] Li"V :i ls ifjHkkf"kr ,o i;kIr :i ls puyÑr ,o dBkj ekinM vFkok dBkj Qkeyk dk vfèkdfFkr djuk vkj vud çdkj d ekeyk dh lokxh.k lph nuk lHko ugh gk ldrk g ftue ,lh 'kfDr dk ç;kx fd;k tkuk pkfg,A

(1) tgk çkFkfedh vFkok ifjokn e fd, x, vfHkdFku] Hky gh mUg T;k&dk&R;k fy;k tkrk g vkj mudh lRi.krk e Lohdkj fd;k tkrk g] çFke n"V;k fdlh vijkèk dk xfBr ugh djr g vFkok vfHk;Dr d fo#) ekeyk ugh cukr gA

(2) tgk çkFkfedh rFkk çkFkfedh e lyXu vU; lkexh] ;fn gk] e vfHkdFku] flok, lfgrk dh èkkjk 155 (2) d dk;{k= d vrxr nMkfèkdkjh d vkn'k d vèkhu] èkkjk 156(1) d vèkhu ifyl vfèkdkfj;k }kjk vUo"k.k dk U;k;kfpr Bgjkr g, lK; vijkèk çdV ugh djr gA

(3) tgk çkFkfedh vFkok ifjokn e fd, x, v[kfMr vfHkdFku vkj blds leFku e lxfgr lk{; fdlh vijkèk dh dkfjrk çdV ugh djr g vkj vfHk;Dr d fo#) ekeyk ugh cukr gA

(4) tgk çkFkfedh e fd, x, vfHkdFku lK; vijkèk xfBr ugh djr g cfYd doy vlK; vijkèk xfBr djr g] nMkfèkdkjh d vkn'k d fcuk ifyl vfèkdkjh }kjk vUo"k.k dh vuefr ugh gkrh tlk lfgrk dh èkkjk 155 (2) d vèkhu vuè;kr fd;k x;k gA

(5) tgk çkFkfedh vFkok ifjokn e fd, x, vfHkdFku bru crd vkj vrfufgr :i ls vufèklHkkO; g ftud vkèkkj ij dkb food'khy O;fDr bl fu"d"k ij dHkh ugh igp ldrk g fd vfHk;Dr d fo#) vxlj gku d fy, i;kIr vkèkkj gA

(6) tgk ekey d lLFkkiu vkj dk;okgh tkjh j[ku d çfr lcfèkr vfèkfu;e (ftld vèkhu nkfMd dk;okgh lfLFkr dh x;h g) vFkok lfgrk d çkoèkkuk e ls fdlh e mRdh.k dkb vfHkO;Dr fofèkd otuk ugh g vkj@vFkok tgk O;fFkr i{k dh f'kdk;r d fy, çHkkodkjh çfrrk"k çkoèkkfur djrk g lfgrk vFkok lcfèkr vfèkfu;e e fofufn"V çkoèkku gA

*(7) tgk nkfMd dk;okgh Li"V :i ls vlnHkkoi.k g vkj@vFkok tgk dk;okgh vfHk;Dr ls çfr'kkèk yu d vrjLFk gr d lkFk vkj çkboV ,o futh n'euh d dkj.k mldk vieku djus dh nf"V ls }"kiod lfLFkr dh x;h gA***

*103. ge bl çHkko dh lrdrk fVIi.kh Hkh djr g fd nkfMd dk;okgh vfHk[kfMr djus dh 'kfDr dk ç;kx vR;Ur fdQk;r ,o pkdlh l fd;k tkuk pkfg, vkj og Hkh fojy ekeyk e fojyre e gh] ;g fd U;k;ky; çkFkfedh vFkok ifjokn e fd, x, vfHkdFkuk dh fo'oluh;rk vFkok okLrfodrk vFkok vU;Fkk dh tkp dju e U;k;kfpr ugh gkxk vkj fd vlkèkkj.k vFkok vrfufgr 'kfDr;k U;k;ky; ij viuh lud ,o ekt d vulkj ÑR; dju dh euekuh vfèkdkfjrk çnÙk ugh djrh gA***

6. पूर्वोक्त तथ्यों, विधि की प्रतिपादनाओं एवं न्यायिक उद्घोषणाओं के समेकित प्रभाव के कारण मेरा दृष्टिकोण है कि दिनांक 11.1.2016 के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और इस दशा में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए प्रार्थना एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

मो॰ निजामुद्दीन

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

L.P.A. No. 554 of 2016 with I.A. Nos. 8111 and 8117 of 2016. Decided on 14th December, 2016.

नगरपालिका विधि–दुकान का हटाया जाना–दुकान चलाने के लिए अपीलार्थी के पक्ष में अनुज्ञप्ति नहीं है और न ही दुकान के निर्माण के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई अनुमति दी गयी है–दुकान पर कब्जा जारी रखने के लिए अपीलार्थी को विधिक अधिकार नहीं है–सार्वजनिक परिसर पर वर्ष 2001 से अपीलार्थी द्वारा दुकान का निर्माण है–इस प्रकार के अवैध अधिभोगी किराया का भुगतान करने के दायी हैं-रिट याचिका सही प्रकार से एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज की गयी है–एल॰ पी॰ ए॰ 10,000/- रुपयों के व्यय के साथ खारिज किया गया। (पैराएँ 6 से 8)

निर्णयज विधि.–(1985)3 SCC 545; (2016)4 SCC 631—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s. Manoj Tandon, For the Appellant; M/s. D.K. Dubey, Gautam Rakesh, For the Respondents.

डी॰ एन॰ पटेल, न्यायमूर्ति.–

आई॰ ए॰ सं॰ 8111 वर्ष 2016

यह अंतर्वर्ती आवेदन अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील दाखिल करने में 15 दिनों के विलंब की माफी के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन दाखिल किया गया है।

2. विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर और अंतर्वर्ती आवेदन के पैरा 4 में कथित कारणों को देखते हुए वर्तमान अपील दाखिल करने में विलंब की माफी के लिए युक्तियुक्त कारण है।

3. तद्नुसार, आई॰ ए॰ सं॰ 811 वर्ष 2016 अनुज्ञात किया जाता है और वर्तमान अपील दाखिल करने में विलंब माफ किया जाता है।

एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 554 वर्ष 2016

4. यह लेटर्स पेटेन्ट अपील डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 4366 वर्ष 2004 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए दिनांक 29 सितम्बर, 2016 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा दाखिल याचिका **खारिज की गयी थी और इसलिए मूल याची ने इस लेटर्स पेटेन्ट अपील को दाखिल किया है।**

5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, यह प्रतीत होता है कि वर्तमान अपीलार्थी (मूल याची) का चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के निकट छोटी दुकान है। उक्त भूमि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पर आवाजाही के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन अर्जित की गयी थी। आगे यह प्रतीत होता है कि इस अपीलार्थी ने न केवल भूमि का अधिभोग किया बल्कि दुकान का निर्माण भी किया। **इस प्रकार, इस अपीलार्थी के पक्ष में दुकान चलाने के लिए अनुज्ञप्ति नहीं है और न ही दुकान के निर्माण के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई अनुमति दी गयी है। प्रश्नगत भूमि पर काबिज बने रहने के लिए अपीलार्थी को विधिक अधिकार भी नहीं है।** विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस अपीलार्थी द्वारा दाखिल रिट याचिका खारिज करते हुए मामले के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन किया गया है।

6. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने **ओलगा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम, (1985)3 SCC 545** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विश्वास किया है और अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए इस अपीलार्थी को विधि के अनुरुप हटाया जाना चाहिए। इस अपीलार्थी के पक्ष में किसी अनुज्ञप्ति के बिना भूमि अर्जित की गयी है और योजना के किसी अनुमोदन के बिना दुकान का निर्माण किया गया है। इस प्रकार, सार्वजनिक परिसर पर इस अपीलार्थी द्वारा 2001 से दुकान का निर्माण है। **इस प्रकार के अवैध अधिभोगी किराया का भुगतान करने के दायी है जिसे रेलवे प्राधिकारियों द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और यह अपीलार्थी भी ऐसे किराया का भुगतान करने का दायी है।**

7. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने **रत्नाभाई सईद एवं अन्य बनाम शिरडी नगर पंचायत एवं एक अन्य, (2016)4 SCC 631,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, विशेषत: पैराग्राफ 62 से 68 पर विश्वास किया है, किंतु इस मामले में विनिश्चित निर्णयाधार इस मामले पर प्रयोज्य नहीं है क्योंकि वर्तमान मामले के विचित्र तथ्यों को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि:–

(a) tehu d vkoVu d fy, bl vihykFkh d i{k e vuKfIr ugh gA

(b) ndku d fuek.k dh ;ktuk dk vueknu ugh gA

(c) lkotfud Hkfe ij fdlh dh vuefr d fcuk ndku dk fuek.k fd;k x;k gA

(d) bl voèk vfèkHkkxh }kjk fdlh dk ekfld fdjk;k dk Hkxrku ugh fd;k x;k gA

(e) bl çdkj vihykFkh cnfnekx 0;fDr çrhr gkrk g tk fdlh lkotfud Hkfe dk vfèkHkkx dju d fy, l{ke g vkj og Hkh ;ktuk d fdlh vueknu d fcuk lkotfud Hkfe ij ndku dk fuek.k dju dk lkgl j[krk gA

(f) bl çdkj d vihykFkh d çfr bl U;k;ky; }kjk lgkuHkfr ugh n'kk;h tk ldrh g D;kfd ml fofèk 0;oLFkk d çfr vFkok bl n'k dh U;k; çnku ç.kkyh d ifr lEeku ugh gA jyo dk ndku d Hktu d fy, leLr 0;; dk bl çdkj d i.krk voèk vfèkHkkfx;k l vkj Hkfe dh voèk vfèkHkkx dk fdjk;k oly djuk pkfg,A

8. इस प्रकार, रिट याचिका खारिज करने में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा गलती नहीं की गयी है। अत:, **यह लेटर्स पेटेन्ट अपील 10,000/- रुपयों के व्यय के साथ खारिज किया जाता है।** यह राशि आज के दिन से 10 सप्ताह के भीतर 'एडवोकेट्स एसोसिएशन वेलफेयर एन्ड डेवलपमेंट फंड, झारखण्ड उच्च न्यायालय' के पक्ष में चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा जमा की जाएगी।

9. इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जेनरल को इस आदेश की प्रति एडवोकेट्स एसोसिएशन, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के अध्यक्ष एवं सचिव को भेजने का निर्देश दिया जाता है।

10. इस लेटर्स पेटेन्ट अपील में पारित अंतिम आदेश की दृष्टि में आई॰ ए॰ सं॰ 8117 वर्ष 2016 भी निपटाया जाता है।

ekuuh; inhi dekj ekgUrh] dk;dkjh e[; U;k;kèkh'k ,o vkun lu] U;k;efr

जेठा मुंडा

cuke

झारखंड राज्य

Criminal (Jail) Appeal (DB) No. 709 of 2013. Decided on 23rd November, 2016.

सत्र विचारण संख्या 329 वर्ष 2003 में प्रथम अपर न्यायिक आयुक्त, खूंटी द्वारा पारित दिनांक 5.1.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 7.1.2006 के दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धारा 302–हत्या–आजीवन कारावास–अभियोजन मामला अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य द्वारा समर्थित तथा चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा भी सम्पोषित–अन्वेषण पदाधिकारी की अपरीक्षा अभियोजन को कोई प्रतिकूलता कारित नहीं करेगी–अकेले चश्मदीद गवाह, जो एक विश्वसनीय गवाह भी है, के साक्ष्य को आधार बनाकर दोषसिद्धि समर्थित की जा सकती है–दोषसिद्धि का निर्णय तथा दंडादेश पारित करने में विचारण न्यायालय द्वारा कोई दुर्बलता कारित नहीं–अपील खारिज। (पैराएँ 8 से 18)

अधिवक्तागण.–Mrs. Alpana Verma, For the Appellant; Mr. Awnish Shankar, For the State,

न्यायालय द्वारा.–यह दांडिक अपील कर्रा पुलिस थाना केस सं॰ 52 वर्ष 2002, जी॰ आर॰ केस संख्या 608 वर्ष 2002 के तत्सम सत्र विचारण संख्या 329 वर्ष 2003 के संबंध में प्रथम अपर न्यायिक आयुक्त, खूंटी द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 5.1.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा 7.1.2006 के दंडादेश के विरूद्ध निर्दिष्ट है, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन जेठा मुंडा नामक अकेले अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोपों का दोषी पाकर आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश सुनाया गया है।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि 26.10.2002 को लगभग 6 बजे पूर्वाह्न में सूचनादाता का पुत्र काशी नाथ मुंडा बंटाई पर प्रीतम करकट्टा के खेत की जुताई कर रहा था तथा उसी समय, सूचनादाता उस खेत के दक्षिण निकट स्थित अपने खेत में कार्य कर रहा था। लगभग 7 बजे पूर्वाह्न में जेठा मुंडा उर्फ बहड़ा मुंडा जो टांगी से लैस था, वहां अपने बछड़े को चराने के लिए उक्त खेत के उत्तरी हिस्से में आया था तथा सूचनादाता के पुत्र से पूछा था कि क्या उगाया जाना है। सूचनादाता के पुत्र ने जवाब दिया था कि टमाटर की फसल उगायेगा। इसके बाद, जब सूचनादाता का पुत्र जुताई कार्य के अनुक्रम में आगे बढ़ा था, अभियुक्त जेठा मुंडा ने मृतक की गर्दन के पिछले भाग पर पीछे से टांगी द्वारा कटने की दो उपहतियां कारित कर दी थी जिनके कारण सूचनादाता का पुत्र (मृतक) नीचे गिर पड़ा था तथा उपहतियों के कारण उसकी मृत्यु हो गयी थी तथा, इसके बाद, अभियुक्त उत्तर की ओर भाग गये थे। हल्ला सुनकर, कई गांव वाले घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े थे, परन्तु उस समय तक अभियुक्त जेठा मुंडा गांव के उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित जंगल की ओर टांगी के साथ भाग गया था तथा गायब हो गया था। सूचनादाता ने यह भी कथित किया कि अभियुक्त जेठा मुंडा को संदेह था कि सूचनादाता के पुत्र (मृतक) का उसकी पत्नी के साथ अनैतिक संबंध था तथा, इस कारण, यह घटना घटित हुई थी।

सूचनादाता बलराम मुंडा (अ॰ सा॰ 5) के पूर्वोक्त फर्दबयान के आधार पर, अभियुक्त जेठा मुंडा उर्फ बहड़ा मुंडा के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए कर्रा पुलिस

थाना केस सं॰ 52 वर्ष 2002 दर्ज किया गया था। इसके बाद, मामले का अन्वेषण प्रारंभ हुआ था एवं पुलिस ने गवाहों को परीक्षित किया था तथा शव को पोस्टमार्टम परीक्षण के लिए भेज दिया था। अन्वेषण के पूरा हो जाने के उपरान्त, अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा, तद्नुसार, अपराध का संज्ञान लिया गया था एवं विचारण के लिए मामला सत्र न्यायालय भेज दिया गया था।

3. अभियुक्त के विरूद्ध आरोपों को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन ने चिकित्सक (अ॰ सा॰ 6) समेत कुल मिलाकर छह गवाहों को परीक्षित किया है तथा बचाव पक्ष ने एक गवाह परीक्षित किया है। विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन करने के उपरान्त तथा अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य पर भी विचार करने के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध पाया है तथा, इसके बाद, उसे यथापूर्वोक्त दंडादेश सुनाया है।

4. अपीलार्थी के लिए उपस्थित होनेवाली विद्वान अधिवक्ता श्रीमती अल्पना वर्मा ने निम्नांकित आधारों पर विद्वान अवर न्यायालय के निर्णय की आलोचना की है:–

(I) vO lkO 3 Hk;k jke ?kVuk dk ,d p'enhn xokg ugh g D;kfd mlu ?kVuk dk ugh n[kk Fkk] cfYd mlu U;k;ky; e dgkuh r;kj dh Fkh rFkk] vr,o] og ,d Hkjkl en xokg ugh g ,o bl xokg d lk{; d vkèkkj ij nk"kflf) lefFkr ugh dh tk ldrh gA

(II) ekey d lpuknkrk] vFkkr] erd d firk (vO lkO 5) u Hkh ?kVuk dk ugh n[kk Fkk rFkk U;k;ky; e dgkuh r;kj dj yh Fkh ,o ,d fgrc) xokg gA

(III) vO lkO 1] 2 ,o 3 xko oky g] ftUgku p'enhn xokg gku dk nkok fd;k Fkk] ijUr oLrr% mUgku ?kVuk dk ugh n[kk Fkk rFkk og ek= vuJr xokg gA

(IV) vfHk;ktu }kjk vUo"k.k inkfèkdkjh dk ijhf{kr ugh fd;k x;k g tk cpko i{k d fy, ?kkrd gA

(V) vk{kfir fu.k; lk{; dk eY;kdu fd; fcuk voèkkfud :i l ikfjr fd;k x;k g] D;kfd bl ekey dk Hkkjrh; nM lfgrk dh èkkjk 304 Hkkx II d vèkhu ekey e lEifjofrr fd;k tk ldrk gA

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अवनीश शंकर ने प्रबल रूप से अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रखे गये तर्कों का विरोध किया है तथा निवेदन करते हैं कि अपीलार्थी को पूर्वोक्त अपराध का दोषी निर्णीत करने के लिए उसके विरूद्ध अति प्रभावशील साक्ष्य है तथा दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय तथा दंडादेश में कोई अवैधानिकता या दुर्बलता नहीं है तथा, अतएव, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पहुंचे गये निष्कर्ष के साथ इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है। चश्मदीद गवाह (अ॰ सा॰ 3) का साक्ष्य अति स्पष्ट एवं तर्कसंगत है तथा अ॰ सा॰ 5, अर्थात्, सूचनादाता ने भी विनिर्दिष्टत: कथित किया है कि अपीलार्थी ने उसके पुत्र काशी नाथ मुंडा की हत्या कर दी थी तथा अ॰ सा॰ 6 चिकित्सक, जिसने शव की शव परीक्षा की थी, ने भी चक्षुदर्शी गवाह के साक्ष्य का सम्पोषण किया है तथा, अतएव, यह अपील खारिज की जाय।

6. अवर न्यायालय के अभिलेखों का परिशीलन किया तथा सूक्ष्म रूप से अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

7. अ॰ सा॰ 1 वह ग्रामीण है जिसने सुना था कि जेठा मुंडा ने टांगी से उपहति कारित करके काशी नाथ की हत्या कारित कर दी थी। इस गवाह ने यह भी कथित किया है कि पुलिस शव के निकट आयी

थी एवं रक्तरंजित मिट्टी जब्त किया था एवं एक अभिग्रहण सूची तैयार किया था जिसपर उसने अपना हस्ताक्षर (प्रदर्श 1) किया था। अ॰ सा॰ 2 एक अन्य सह-ग्रामीण है, जो एक अनुश्रुत गवाह है। इस गवाह ने भी रक्तरंजित मिट्टी के जब्त किये जाने के बारे में कथित किया है जिसपर उसने भी अपने हस्ताक्षर (प्रदर्श 1/1) किये थे।

8. अ॰ सा॰ 3 घटना का चश्मदीद गवाह है। उसने कथित किया कि घटना उसके घर के सामने घटित हुई थी। इस गवाह ने यह भी कथित किया है कि जेठा मुंडा (अपीलार्थी) टांगी से लैस होकर खेत की मेढ़ के निकट खड़ा था। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि जेठा ने मृतक काशी नाथ ने इस संबंध में पूछा था कि वह खेत में क्या उगाने जा रहा है, जिसपर मृतक ने जवाब दिया कि वह टमाटर की फसल उगायेगा। तत्पश्चात्, जेठा ने मृतक की गर्दन पर टांगी के दो प्रहार किये थे जिनके कारण मृतक नीचे गिर पड़ा था तथा घटना स्थल पर उसकी मृत्यु हो गयी थी। उसने यह भी कथित किया बुद्ध नाथ ने भी घटना की हत्या देखी थी परन्तु उक्त बुद्ध नाथ गांव में उपलब्ध नहीं है। यह गवाह अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार करता है कि उसने इस संबंध में नहीं देखा था कि जेठा ने मृतक पर तमाचे या टांगी से वार किया था या नहीं।

9. अ॰ सा॰ 4 दशरथ मुंडा भी एक सह-ग्रामीण है। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि जेठा ने टांगी के प्रहार करके काशी नाथ की हत्या कारित कर दी थी, परन्तु उसने हत्या की घटना को नहीं देखा था। इस गवाह ने कथित किया है कि उसने शव तथा गर्दन के पीछे की उपहतियों एवं रक्तरंजित मिट्टी को भी देखा था।

10. अ॰ सा॰ 5 बलराम मुंडा, मृतक का पिता सूचनादाता एवं घटना का चश्मदीद गवाह है। इस गवाह ने अपनी प्रधान परीक्षा में कथित किया है कि 26.10.2002 को उसका पुत्र काशी नाथ बंटाई पर प्रीतम करकेटा की खेत की जुताई कर रहा था तथा वह भी उस खेत के निकट के खेत में कार्य कर रहा था। उसने यह भी कथित किया कि जेठा मुंडा मृतक काशी नाथ द्वारा जोते जा रहे खेत के उत्तर की ओर अपने बछड़े को चरा रहा था। जेठा मुंडा ने काशी नाथ से पूछा था कि खेत में क्या उगाया जाना है, तब मृतक ने जवाब दिया था कि टमाटर की फसल उगाई जायेगी। इसके बाद जेठा मुंडा अपने हाथ में टांगी लिये हुए काशी नाथ के पीछे जा रहा था तथा कुछ समय बाद उसने टांगी का प्रहार किया था एवं काशी नाथ के दायें कान के नीचे कटने की उपहति कारित की दी थी जिसके कारण काशी नाथ नीचे गिर पड़ा था तथा इसके बाद जेठा मुंडा टांगी के साथ खेत के उत्तर पूर्व कोने की ओर भाग गया था। इस गवाह ने यह भी कथित किया है कि उसने स्वयं अपनी आंखों से समूची घटना को देखा है। उसने फर्दबयान सिद्ध किया है। इस गवाह की बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी है।

11. अ॰ सा॰ 6 प्रेम मुकुट टोपनो वह चिकित्सक है जिसने शव की शव परीक्षा किया था एवं मृतक के शरीर पर निम्नांकित उपहतियां पायी थी:-

^^(i) ckgjh gfy;k&nkuk vk[k vkèkh [kyh gb FkhA e[k vkèkk [kyk gvk FkkA

*(ii) duiVVh d {k= ij jDr d FkDdk l Hkjh vfLFk dk dkVrh gb 3"x1"x1"xgjh dVu dh migfr] efut t rFkk efLr"d n0; dh fofn.krkA d'k: d] jDr ufydkvk dk dkVr g, xnu d ihN 3"x1"x1"xgjh dVu dh migfrA jDr d FkDd dVh gb lrg l lV g, FkA***

चिकित्सक की राय में, सारी उपहतियां टांगी जैसे कठोर एवं तीक्ष्ण धारदार हथियार द्वारा कारित मृत्युपूर्व स्वरूप की थी। पोस्टमार्टम के समय से मृत्यु का समय नौ घंटों के भीतर था। उन्होंने यह भी राय दिया कि मस्तिष्क तथा गर्दन जैसे नाजुक अंगों के रक्तस्राव तथा सदमें के कारण मृत्यु हुई थी। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श 3) को भी सिद्ध किया था तथा स्वीकार करते हैं कि यह उनकी सील तथा हस्ताक्षर के अधीन है।

अपनी प्रतिपरीक्षा में, इस गवाह ने स्वीकार किया है कि तीक्ष्ण धारदार वस्तु पर गिरने से उक्त उपहतियां संभव नहीं हो सकती है क्योंकि दोनों उपहतियां समरूप थीं।

12. उक्त साक्ष्य की संवीक्षा करने से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अ॰ सा॰ 3 ने अपने साक्ष्य में विनिर्दिष्टत: कथित किया है कि उसने वर्तमान अपीलार्थी द्वारा किये गये प्रहार को देखा था परन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने कथित किया था कि उसने यह नहीं देखा था कि जेठा मुंडा ने टांगी से मृतक पर प्रहार किया था, अतएव, यह गवाह एक चश्मदीद गवाह नहीं है। अ॰ सा॰ 5, अर्थात्, सूचनादाता तथा मृतक का पिता घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह है। इस गवाह ने इस अपीलार्थी द्वारा निभाई गयी भूमिका को विनिर्दिष्टत: कथित किया है कि वर्तमान अपीलार्थी ने मृतक के दायें कान के नीचे टांगी के प्रहार किये थे जिसके कारण मृतक नीचे गिर पड़ा था एवं घटना स्थल पर उसकी मृत्यु हो गयी थी। बचाव पक्ष द्वारा इस गवाह की प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी है।

13. अ॰ सा॰ 5 के साक्ष्य की संवीक्षा से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस अपीलार्थी ने मृतक के नाजुक अंगों पर टांगी के प्रहार किये थे, जिसका चिकित्सक (अ॰ सा॰ 6) द्वारा सम्पोषण किया गया है तथा अ॰ सा॰ 5 के साक्ष्य में कोई विरोधात्मकता नहीं है तथा इस गवाह के साक्ष्य को आधार बनाते हुए, दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश पारित किया गया है।

14. यह सुस्थापित है कि अन्वेषण पदाधिकारी की अपरीक्षा अभियोजन को कोई प्रतिकूलता कारित नहीं करेगी। विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि एकमात्र चश्मदीद गवाह, जो एक भरोसेमंद गवाह भी है, के साक्ष्य को आधार बनाते हुए दोषसिद्धि समर्थित की जा सकती है तथा, अतएव, दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश पारित करने में विचारण न्यायालय द्वारा कोई दुर्बलता कारित नहीं की गयी है।

15. जहां तक धारा 302 भाग II के अधीन दंडादेश को सम्परिवर्तित करने का संबंध है, इस न्यायालय ने धारा 304 के घटकों को लागू करके मामले की जांच की है तथा पाया है कि कोई तात्कालिक उकसावा नहीं था तथा यह कि अपीलार्थी ने मृतक के शरीर के नाजुक अंग पर टांगी से दो लगातार प्रहार किये थे तथा, अतएव, यह न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन एक मामले में इस मामले को सम्परिवर्तित करने का इच्छुक नहीं है।

16. इन परिस्थितियों के अधीन, यह न्यायालय पाता है कि विचारण न्यायालय दोषसिद्धि का आदेश तथा दंडादेश अभिलिखित करने में पूर्णत: औचित्य पर था।

17. तद्नुसार, दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा कोई भी हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है तथा, इसे एतद्द्वारा अभिपुष्ट किया जाता है।

18. परिणामत:, यह अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

तरूण कुमार

cuke

श्रीमती जागृती देवी

First Appeal No. 174 of 2014. Decided on 28th November, 2016.

वैवाहिक वाद संख्या 376 वर्ष 2013 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 14.8.2014 के निर्णय तथा डिक्री के विरूद्ध।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955–धारा 13(1)(ia), (ib) तथा 13(1A)(ii)–तलाक–सुलहकर्त्ता की रिपोर्ट ने दर्शाती है कि सर्वोत्तम प्रयत्नों तथा प्रयासों के बावजूद, दोनों पक्षकार पुनर्मिलन पर सहमत नहीं हुए थे, बल्कि, कतिपय निबंधनों एवं शर्त्तों पर तलाक के माध्यम से एक बार के समाधान पर सहमत हुये थे–पक्षकारों के बीच हुए समझौते के निबंधनों में, पक्षकारों के बीच विवाह भंग किया जाता है। (पैराएँ 4, 6 से 8)

अधिवक्तागण.–Mr. Vijay Kant Dubey, For the Appellant; Mr. Kumar Nilesh, For the Respondent.

न्यायालय द्वारा.–अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. यह अपील वैवाहिक वाद संख्या 376 वर्ष 2013 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 14.8.2014 के निर्णय तथा डिक्री के विरूद्ध निर्दिष्ट है, जिसके द्वारा तलाक की डिक्री के माध्यम से पक्षकारों के बीच विवाह को भंग करने के लिये हिन्दू विवाह अधिनियम की धाराओं 13(1)(ia)(ib) तथा 13(1A)(ii) के अधीन दाखिल वैवाहिक वाद एकपक्षीय रूप से खारिज कर दिया गया है।

3. दोनों पक्षकारों का 7.3.2002 को विवाह हुआ था तथा विवाह बंधन से, उन्हें दो पुत्र हैं जो अभी भी अवयस्क हैं। अपीलार्थी के अनुसार, प्रत्यर्थी विवाह के उपरान्त केवल ढाई वर्षों तक अपीलार्थी के साथ रही थी, तथा इसके बाद, वे पृथक रह रहे हैं। अपीलार्थी पति के पक्ष में दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए डिक्री भी हुई थी तथा बाद में, अपीलार्थी ने तलाक के लिए वाद दाखिल किया था, जिसमें प्रत्यर्थी नोटिसों तथा समाचार पत्र में भी नोटिस के प्रकाशन के बावजूद हाजिर नहीं हुई थी। अतएव, मामले पर एकपक्षीय रूप से विचार किया गया था। तथापि, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वाद खरिज कर दिया गया था।

4. इस अपील के लंबित रहने के दौरान, पक्षकारों के बीच विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए इस न्यायालय द्वारा प्रयास किये गये थे। दिनांक 15.3.2016 के आदेश द्वारा, पक्षकारों के बीच सुलह के लिए मामला सुलहकर्त्ता, झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची के पास भेज दिया गया था। उसके उपरान्त सुलहकर्त्ता की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो दर्शाती है कि सर्वोत्तम प्रयत्नों एवं प्रयासों के बावजूद, दोनों पक्षकार पुन:मिलन पर सहमत नहीं हुये थे, बल्कि कतिपय निबंधनों एवं शर्त्तों पर पारस्परिक तलाक के माध्यम से एक बार के समाधान पर सहमत हुये थे, जिन्हें अपनी मर्जी से तथा किसी गैर मुनासिब दबाव के बिना दोनों पक्षकारों ने सुलहकर्त्ता के समक्ष लिखित में दर्ज किया था। पक्षकारों के बीच तय हुए निबंधन एवं शर्त्त निम्नवत् पठित हैं:–

> *"(1) fd ;xy u ikjLifjd rykd ij lgefr nh Fkh rFkk bl le>kr d vkykd e rykd dh fMØh d fy, iFke vihy dk vulj.k dju ij lger g; FkA*
>
> *(2) fd vfHkHkkodk@vihykFkh u fuèkkfjr frfFk] vFkkr] 18.5.2016 dk ekuuh; U;k;ky; u iFke vihy dh luokb d le; iRuh d uke n; cd MkW¶V d ekè;e l rykd d fy; fuokfgdk] Hkj.k ik"k.k ,o ifrdj d uke ij ,d ckj d fuiVku d rkj ij bl iR;Fkh iRuh dk vkB yk[k #i; ek= nu ij lgefr fn;k FkkA*
>
> *(3) fd iR;Fkh iRuh Hkh viu rFkk viu nkuk cPpk] tk mld lkFk jg jg g] d Hkj.k ik"k.k d fy; iokDr r; jkf'k ikIr dju ij lger gk x;h FkhA*
>
> *(4) fd iR;Fkh iRuh u ;g cpuc) rk Hkh fn;k Fkk fd vkB yk[k #i; dh iokDr r; jkf'k ikIr dju d mijkUr og Hkfo"; e viu cPpk d fdlh Hkj.k ik"k.k dk nkok ugh djxhA*

(5) fd ifr@vihykFkh u ;g cpuc) rk Hkh fn;k Fkk fd mld nkuk cPp viuh ekrk@iR;Fkh d lkFk jgx rFkk og Hkfo"; e cPpk ij nkok ugh djxkA

(6) fd vkB yk[k #i; dh r; jkf'k ikIr dju d mijkUr Hkfo"; e ,d nlj d fo:) vkj nko ;k ifrnko ugh gkxA

(7) fd le>kr d iokDr fucèkuk ij] nkuk i{kdkj rykd dh fMØh yu ij lger gk x; FkA

(8) fd rykd dh fMØh ikIr dju d mijkUr nkuk i{kdkj viuh&viuh bPNkvk d vulkj viuk thou thu d fy, Lor= gA

(9) fd vihykFkh@ifr rFkk iR;Fkh iRuh dk ,d nlj ;k viu lljky okyk dh py rFkk ;k vpy lifUk d lcèk e Hkfo"; e fdlh Hkh idkj dk dkb nkok ugh gkxkA

*(10) nkuk u viu fooknk dk lekèkku viuh eth l rFkk fdlh xj&eukflc ncko d fcuk fd;k FkkA***

5. 29.7.2016 को इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा मामले पर पुन:विचार किया गया था। दोनों पक्षकारों को एक संयुक्त समझौता याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया गया था तथा मामला 5.8.2016 तक के लिये स्थगित कर दिया गया था। 5.8.2016 को, यद्यपि पक्षकारों द्वारा कोई संयुक्त समझौता याचिका दाखिल नहीं की गयी थी, परन्तु दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने एक संयुक्त आग्रह किया था कि एक डिमांड ड्राफ्ट के स्थान पर तीन डिमांड ड्राफ्ट होने चाहिए, पांच लाख रुपये का एक ड्राफ्ट प्रत्यर्थी पत्नी के नाम से तथा डेढ़-डेढ़ लाख रुपये के दो डिमांड ड्राफ्ट उन दोनों बच्चों के नाम से, जो वर्तमान में प्रत्यर्थी पत्नी के साथ रह रहे हैं। तत्पश्चात्, मामला भिन्न-भिन्न तिथियों को स्थगित किया गया था, परन्तु, कोई संयुक्त समझौता याचिका दाखिल नहीं किया गया है तथा अंतत: मामला हमारे समक्ष आ गया है।

6. आज दोनों पक्षकार अपने-अपने विद्वान अधिवक्ताओं के साथ स्वयं उपस्थित हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तीन डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत किये हैं, एक भारतीय स्टेट बैंक, जमशेदपुर पर आहरित है, जिसकी संख्या 728146 है जो प्रत्यर्थी जागृति कुमारी के पक्ष में पांच लाख रुपये की राशि का है। अन्य दो डिमांड ड्राफ्ट भी उसी बैंक पर आहरित हैं जिनमें से प्रत्येक 1,50,000/- रुपये के हैं जिनमें से 728147 संख्या वाला ड्राफ्ट अवयस्क पुत्र मयंक कुमार के पक्ष में है, जिसका पिछला नाम अक्षित कुमार था जैसा कि अपीलाधीन निर्णय में उल्लिखित है। यह एक स्वीकृत मामला है, तथा प्रत्यर्थी, जो न्यायालय में उपस्थित है, यह भी स्वीकार करती है कि अक्षित कुमार का अब नाम मयंक कुमार रख दिया गया है। 728148 संख्या वाला तीसरा डिमांड ड्राफ्ट अवयस्क पुत्र सुजल कुमार के पक्ष में तैयार किया गया है। प्रत्यर्थी, जो न्यायालय में उपस्थित है, डिमांड ड्राफ्टों को स्वीकार करती है, जो न्यायालय में उसे सौंप दिये गये हैं तथा उसने आदेश पत्र में भी इसे अभिस्वीकृत किया है।

7. तथापि, यह निवेदन किया गया है कि अवयस्क पुत्रों के नाम कोई खाता नहीं है। प्रत्यर्थी को इन डिमांड ड्राफ्टों के साथ अवयस्क पुत्रों के पक्ष में सावधि जमा खाता खोलने का निर्देश दिया जाता है तथा संबंधित बैंक को अवयस्क बच्चों, अर्थात्, मयंक कुमार एवं सुजल कुमार के पक्ष में सावधि जमा खातों को खोलने के लिए इन डिमांड ड्राफ्टों को स्वीकार करने का निर्देश दिया जाता है। यह निर्देश दिया जाता है कि सावधि जमा खातों का अवयस्क बच्चों के वयस्कता प्राप्त कर लेने तक समय-समय पर

नवीकरण किया जायेगा तथा वयस्कता प्राप्त होने पर, वे अपनी इच्छा के अनुसार खाते का परिचालन करने के लिये स्वतंत्र होंगे।

8. चूँकि डिमांड ड्राफ्ट अब ऊपर यथा उत्कथित पक्षकारों के बीच हुए समझौते के निबंधनों में प्रत्यर्थी को दिये जा चुके हैं, पक्षकारों के बीच विवाह एतद्द्वारा तलाक की डिक्री के साथ भंग किया जाता है तथा दोनों पक्षकार अपनी-अपनी इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होंगे, तथा वह ऊपर उत्कथित निबंधनों एवं शर्त्तों का अनुपालन करेंगे।

9. तद्नुसार, यह अपील पूर्वोक्त निबंधनों में निस्तारित की जाती है।

---

ekuuh; vferkHk dekj xlrk] U;k;efr

अहिल्या देवी

cuke

श्रीमती साबो देवी एवं अन्य

M.A. No. 158 of 2009. Decided on 16th November, 2016.

कुटुम्ब विधि–उत्तराधिकार प्रमाण पत्र–प्रत्यर्थी-आवेदक की पहली पत्नी की मृत्यु के उपरांत उसका विवाह मृतका के साथ हुआ था–अपीलार्थी के उक्त साक्ष्य को खंडित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया था–नाम-निर्देशिती प्रपत्र में प्रत्यर्थी-आवेदक का भी नाम है–अपीलार्थी पहले विवाह से उत्पन्न पुत्री है, जिसका गवाहों द्वारा समर्थन किया गया है–अपील खारिज। (पैराएँ 7 से 9)

अधिवक्तागण.–Mrs. S.P. Sinha, For the Petitioner/Appellant; Mr. Prashant Vidyarthy, For the Resp.-CMPF.

आदेश

यह प्रकीर्ण अपील उत्तराधिकार केस सं॰ 63/2002 में जिला प्रत्यायोजिती, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 14.5.2009 के आदेश के विरुद्ध निर्दिष्ट है।

2. संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि आवेदिका-प्रत्यर्थी श्रीमती साबो देवी ने अपने अवयस्क पुत्रों के साथ अपने मृतक पति केदार धरी के नाम जमा 2,30,000/- रुपए का सी॰ एम॰ पी॰ एफ॰ राशि के संबंध में अपने पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए उत्तराधिकार केस सं॰ 63/2002 दाखिल किया था।

यह कथित किया गया है कि वह मृतक केदार धरी की पत्नी है, जिसकी टाटा मेमोरियल अस्पताल, जमशेदपुर में 7.5.1999 को मृत्यु हुई थी जो सामान्यतः कुस्टोर सं॰ 3, पुलिस थाना केंदुआडीह, डाकघर-कुस्टोर, जिला-धनबाद का निवासी था। यह कि विपक्षी सं॰ 2 (वर्तमान अपील में अपीलार्थी) स्वर्गीय केदार धरी का महपतिया देवी नामक पहली पत्नी से उत्पन्न पुत्री है; कि महपतिया देवी के निधन के उपरांत स्वर्गीय केदार धरी ने 6.2.1993 को हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार आवेदिका के साथ विवाह किया था, तथा उक्त विवाह के बारे में प्रबंधन को सूचित कर दिया था; कि आवेदिका के साथ विवाह-बंधन से तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे तथा स्वर्गीय केदार धरी ने अपनी पत्नी के तौर पर आवेदिका का उल्लेख करते हुए बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ में नाम-निर्देशिती प्रपत्र भी भरा था। यह कथित किया गया है कि विपक्षी सं॰ 2 विवाहित है, अतएव आवेदिका पूर्वोक्त राशि के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने की हकदार है।

3. अपीलार्थी अर्थात् विपक्षी सं॰ 2 ने लिखित कथन दाखिल किया था उसमें यह अभिकथित करते हुए कि वह मृतक की एकमात्र पुत्री है। यह कि आवेदिका ने केवल उसके स्वर्गीय पिता द्वारा अपने सी॰ एम॰ पी॰ एफ॰ खाते में जमा किए गए धन को हड़पने के लिए मामला दाखिल किया है। यह अभिकथित किया गया है कि आवेदिका का मृतक के साथ कोई संबंध नहीं है, न ही मृतक ने आवेदिका को अपनी पत्नी के तौर पर घोषित या स्वीकार किया था। यह कि वर्तमान अपीलार्थी (विपक्षी सं॰ 2) को सेवा अभिलेख में मृतक की पुत्री के तौर पर उल्लिखित किया है। उक्त आधार पर भी, यह आख्यापित किया गया है कि आवेदिका द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के लिए दाखिल आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

4. जिला प्रत्यायोजिती (Delegate) ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करके तथा दस्तावेजों के परिशीलन पर, आवेदिका का आवेदन अनुज्ञात कर दिया था तथा बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ में जमा 2,30,000/- रुपए के सी॰ एम॰ पी॰ एफ॰ के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र आवेदिका द्वारा क्षतिपूर्ति बन्ध–पत्र प्रस्तुत करने पर निर्गत करने का निर्देश दिया था इस निर्देश के साथ कि उस पर आये व्यय के साथ अपीलार्थी/विपक्षी सं॰ 2 के हिस्से के तौर पर 1/5वें हिस्से का वितरण करके प्रत्यर्थी–आवेदिका उस राशि का प्रभाजन करेगी।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश की आलोचना करते हुए निवेदन किया है कि अवर न्यायालय ने तथ्य तथा विधि में एक त्रुटि कारित किया है इस तथ्य का मूल्यांकन नहीं करके कि मतदाता सूची में अपीलार्थी को महपतिया देवी जो स्वर्गीय केदार धरी की पहली पत्नी थी, से उत्पन्न स्वर्गीय केदार धरी की पुत्री के तौर पर उल्लिखित किया गया है। यह कि अवर न्यायालय इस पर विचार करने में विफल रहा है कि स्वर्गीय केदार धरी के नाम बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ प्राधिकारी द्वारा निर्गत सेवा–वृत्त में अपीलार्थी/विपक्षी सं॰ 2 को नाम–निर्देशिती के तौर पर उल्लिखित किया गया है। यह कि अवर न्यायालय ने उन गवाहों के साक्ष्य को महत्व प्रदान नहीं किया था जिन्होंने सुसंगत रूप से कथित किया है कि अपीलार्थी की माता का विवाह स्वर्गीय केदार धरी के साथ हुआ था एवं अपीलार्थी स्वर्गीय केदार धरी की एकमात्र पुत्री एवं उसकी जायदाद की वारिस है। कि यह इंगित करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रत्यर्थी–आवेदिका का कभी भी केदार धरी के साथ विवाह हुआ था।

उक्त आधारों पर, विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है तथा प्रत्यर्थी/विपक्षी सं॰ 2 के पक्ष में निर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र रद्द किया जाए।

6. प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया है ऐसा कथित करते हुए कि इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप को उचित या अपेक्षित बनाते हुए आक्षेपित आदेश में कोई अवैधानिकता या अनुपयुक्तता नहीं है।

7. सुना। आक्षेपित आदेश का अवलोकन करने पर, यह प्रतीत होता है कि अवर न्यायालय ने स्थानीय विधायक द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र, प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र तथा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जमशेदपुर द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र, जो क्रमशः प्रदर्श 1, 2 एवं 3 हैं, पर विचार किया था एवं स्वर्गीय केदार धारी के संबंध में बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ पदाधिकारियों द्वारा निर्गत प्रपत्र F, प्रदर्श 4, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, प्रदर्श 5 तथा पुलिस थाना कुसुंडा की 1995 की मतदाता सूची, प्रदर्श 6 पर भी विचार किया था। अवर न्यायालय ने पूर्वोक्त दस्तावेजों पर विचार करने के उपरान्त उचित रूप से निर्णीत किया था कि प्रत्यर्थी–आवेदिका का स्वर्गीय केदार धारी की पहली पत्नी की मृत्यु के उपरान्त उसके साथ विवाह हुआ था। पुलिस थाना कुसुंडा की मतदाता सूची में तथा स्वर्गीय केदार धारी द्वारा यथा प्रस्तुत नाम निर्देशिती प्रपत्र F में, जो बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के एक कर्मचारी ए॰ डब्ल्यू॰ 6 द्वारा सम्यक् रूप से सिद्ध किया गया है जिसने उक्त प्रपत्र F पर एक गवाह के रूप में हस्ताक्षर भी किये थे, में प्रत्यर्थी–आवेदिका का नाम पत्नी के तौर पर उल्लिखित किया गया है।

8. इस प्रकार, अवर न्यायालय ने उचित रूप से निर्णीत किया था कि प्रत्यर्थी–आवेदिका का स्वर्गीय केदार धारी की पहली पत्नी स्वर्गीय महापतिया देवी की मृत्यु के उपरान्त उसके साथ विवाह हुआ था तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त साक्ष्य को अभिखंडित करने के लिये कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया था। इसने इस साक्ष्य को स्वीकार किया था कि अपीलार्थी पहले विवाह से उत्पन्न पुत्री है जिसका गवाहों द्वारा समर्थन किया गया है।

9. अतएव, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर तथा अवर न्यायालय के निष्कर्षों पर विचार करके, यह न्यायालय इस अपील में कोई गुण नहीं पाता है; तद्नुसार, यह खारिज की जाती है। परिणामतः, आक्षेपित आदेश एतद्द्वारा अभिपुष्ट किया जाता है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

जगजीवन मोची

cuke

श्रीमती शीतली देवी

F.A. No. 121 of 2012. Decided on 18th January, 2017.

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955—धारा 13 (1) (i)—तलाक–पत्नी द्वारा अभिकथित जारकर्म-अपीलार्थी अभिकथित जारकर्म का पता लगने के तुरन्त बाद न्यायालय नहीं आया था–दस्तावेजों जिन्हें पहचान के लिए चिन्हित किया गया था, अपीलार्थी द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सका था–अवर न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध समस्त विवाद्यक विनिश्चित किया–आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है–अपील खारिज किया गया। (पैराएँ 8 से 12)

अधिवक्तागण.–Mr. Rajesh Kumar Mahtha, For the Appellant; None, For the Respondent.

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. इस मामले में काफी पहले स्वयं 2014 में उस पर नोटिस के वैध तामीला के बावजूद एकमात्र प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं हुई है।

3. अपीलार्थी एम॰ टी॰ एस॰ केस सं॰ 9 वर्ष 2005 में विद्वान प्रधान जिला न्यायाधीश–सह–प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, लोहरदगा द्वारा पारित दिनांक 19 मई, 2012 के निर्णय एवं डिक्री से व्यथित है जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी के अभिकथित जारकर्म के आधार पर तलाक की डिक्री द्वारा पक्षों के बीच विवाह विघटित करने की प्रार्थना के साथ हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (i) के अधीन दाखिल वैवाहिक वाद अवर न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है।

4. अपीलार्थी के मामले के अनुसार, दोनों पक्षों का विवाह दिनांक 23.5.1994 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुआ था और उसके विवाह संबंध से दो संतानों का जन्म हुआ था। तत्पश्चात, अपीलार्थी ने झारखंड पुलिस में नौकरी पाया और वह धनबाद अर्थात् अपनी पदस्थापना के स्थान पर गया। धनबाद से उसे पंजाब राज्य में कपूरथला प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, जहाँ उसने अपना प्रशिक्षण पूरा किया और पुनः वापस आया और धनबाद में अपनी नौकरी पर आया। यह कथन किया गया है कि इस अवधि के दौरान वह गाँव में अपने घर नहीं गया था और पक्षों के बीच सहवास नहीं हुआ था। अपीलार्थी दिनांक 25 मार्च, 2005 को अपने गाँव वापस आया जब उसने अपनी पत्नी को गर्भवती पाया और जब उसने अपनी पत्नी से उसकी गर्भधारण के बारे में प्रकट करने के लिए कहा, उसने कोई विवरण देने से इनकार किया और तथ्य छुपाया। यह अभिकथित किया गया है कि अगली सुबह उसने दांपत्य गृह छोड़ दिया और

चली गयी। याचिका में यह कथन भी किया गया है कि मई, 2005 में आवेदक अपने ससुराल गया और अपनी पत्नी से मिला और किसी प्रसाद नर्सिंग होम, लोहरदग्गा में उसका चिकित्सीय परीक्षण करवाया जहाँ 18 सप्ताह की गर्भावस्था संपुष्ट की गयी थी। आवेदक ने अपनी पत्नी को गर्भापात कराने के लिए कहा किंतु उसने इनकार कर दिया और दिनांक 4 अक्टूबर, 2005 में शिशु को जन्म दिया। यह कथन करते हुए कि शिशु का जन्म जारकर्म संबंध के कारण हुआ था, अपीलार्थी द्वारा तलाक की डिक्री के लिए वाद दाखिल किया गया था।

5. वाद पहले एकपक्षीय डिक्री किया गया था किंतु बाद में यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा अवर न्यायालय में एकपक्षीय डिक्री अपास्त करने के लिए विविध मामला दाखिल किया गया था जिसमें वह सफल हुई और एकपक्षीय डिक्री अपास्त किया गया था। तत्पश्चात, प्रत्यर्थी ने मामले में लिखित कथन दाखिल किया, जिसमें उसने समस्त अभिकथनों से इनकार किया और कथन किया कि दो संतानों की जन्म तक उनका वैवाहिक जीवन मधुर था और तत्पश्चात अपीलार्थी ने पुलिस में नौकरी पाया। पुलिस में नौकरी पाने के बाद अपीलार्थी लोभी हो गया और वह दूसरा विवाह करना चाहता था और उसने उसे दांपत्य गृह छोड़ने के लिए मजबूर किया और उसे क्रूरता एवं यातना के अधीन भी किया जाता था। यह कथन भी किया गया था कि सेवावधि के दौरान भी वह उसके पास आता था और पक्षों के बीच सहवास था जिस कारण वह गर्भवती हो गयी और उसकी गर्भावस्था का लाभ लेते हुए उसे दांपत्य गृह से निकाला गया था।

6. आक्षेपित निर्णय दर्शाता है कि अवर न्यायालय द्वारा विवाद्यक विरचित किए गए थे जिसमें से तीन विवाद्यक अभिकथनों से संबंधित थे अर्थात् (iii) क्या विरोधी पक्षकार बुरे चरित्र की महिला है, (iv) क्या याचिका दाखिल करने के पहले याची एवं विरोधी पक्षकार के बीच यौन संबंध नहीं रहा है और (v) क्या विरोधी पक्षकार 10 सितम्बर, 2004 से 24 मार्च, 2004 के बीच गर्भवती हुई और 4 अक्टूबर, 2005 को शिशु को जन्म दिया। आक्षेपित निर्णय आगे दर्शाता है कि अवर न्यायालय में अपीलार्थी की ओर से तीन गवाहों का परीक्षण किया गया था जो ए० डब्ल्यू० 1 जगजीवन मोची, स्वयं अपीलार्थी, ए० डब्ल्यू० 2 मुस्तकीम और ए० डब्ल्यू० 3 डॉ० गणेश प्रसाद हैं। कुछ दस्तावेजों को पहचान के लिए 'x' श्रृंखला के रूप में चिन्हित किया गया था जबकि एक दस्तावेज सिद्ध किया गया था जिसे प्रदर्श 1 चिन्हित किया गया था जो अल्ट्रासाउन्ड रिपोर्ट है जिसे डॉ० गणेश प्रसाद द्वारा सिद्ध किया गया है। आक्षेपित निर्णय दर्शाता है कि प्रत्यर्थी ने अवर न्यायालय में साक्ष्य नहीं दिया।

7. आक्षेपित निर्णय से आगे यह पता चलता है कि यद्यपि आवेदक ने अवर न्यायालय में अपने मामले का समर्थन किया किंतु आवेदक द्वारा परीक्षण किए गए एक अन्य गवाह अर्थात् ए० डब्ल्यू० 2 मुस्तकीम अपने प्रति परीक्षण में आवश्यक विवरण नहीं दे सका था और उसके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया गया था। इस अपीलार्थी द्वारा ए० डब्ल्यू० 3 डॉ० गणेश प्रसाद का भी परीक्षण किया गया था, किंतु इस गवाह का सामना कतिपय नुस्खों से कराए जाने पर, वह इन्हें पहचान नहीं सका था जो स्पष्टत: दर्शाते हैं कि चिकित्सीय नुस्खे निर्मित दस्तावेज थे। उन्होंने अल्ट्रासाउन्ड रिपोर्ट यह कथन करते हुए सिद्ध किया कि महिला जिसका परीक्षण किया गया था 18 माह की गर्भ धारिणी थी किंतु इस गवाह ने कथन किया कि वह प्रत्यर्थी को पहचान नहीं सका था। दस्तावेजों जिन्हें पहचान के लिए 'x' श्रृंखला के रूप में चिन्हित किया गया था, को आवेदक द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सका था और तद्नुसार इन दस्तावेजों को साक्ष्य में नहीं लिया जा सका था।

8. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर, अवर न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया कि ए० डब्ल्यू० 2 मुस्तकीम ने आवेदक के मामले का समर्थन नहीं किया था जबकि ए० डब्ल्यू० 3 डॉ० गणेश प्रसाद ने

केवल गर्भधारण परीक्षा के प्रश्न पर अभिसाक्ष्य दिया था और उसने मात्र प्रदर्श-1 के रूप में अल्ट्रासाउन्ड रिपोर्ट सिद्ध किया था, किंतु उसने कथन किया कि वह प्रत्यर्थी को पहचान नहीं सका था। ए॰ डब्लू॰ 1 अर्थात् स्वयं आवेदक के साक्ष्य से अवर न्यायालय ने पाया कि आवेदक ने कोई विनिर्दिष्ट तिथि नहीं दिया था कि वह धनबाद में कब पदस्थापित था और धनबाद में उसकी पदस्थापना की अवधि क्या थी। अवधि जिस दौरान वह पंजाब गया था सिद्ध नहीं किया जा सका था। तद्नुसार, अवर न्यायालय ने उक्त तीनों विवाद्यकों को आवेदक के विरुद्ध विनिश्चित किया।

9. अन्यथा भी, इस मामले के तथ्यों से हम पाते हैं कि स्वयं आवेदक के मामले के अनुसार उसने पहली बार 25 मार्च, 2005 को गर्भधारण पाया था जो उसने अभिकथित किया कि यह उसकी पत्नी के जारकर्म संबंध के कारण थी, किंतु उसके बावजूद वाद तुरन्त दाखिल नहीं किया गया था, बल्कि तत्पश्चात वह पुनः मई 2005 में अपने ससुराल गया था और केवल तत्पश्चात, वाद दाखिल किया गया था। आवेदक अभिकथित जारकर्म का पता चलने के तुरन्त बाद न्यायालय नहीं आया था।

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी यह मामला बनाने में सक्षम हुआ था कि प्रत्यर्थी पत्नी जारकर्म में रह रही थी, जिस कारण उसने अंततः संतान को जन्म दिया, और तद्नुसार, अवर न्यायालय ने गलत रूप से वाद खारिज कर दिया।

11. हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि यहाँ उपर चर्चा किए गए इस मामले के तथ्यों में, अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री में किसी हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है।

12. इस अपील में गुणागुण नहीं है और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; je'k dekj nÙkk ,o v#.k dekj] U;k;efrx.k

ओम प्रकाश सिंह

cuke

अध्यक्ष-प्रबंध निदेशक, यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी लि॰ एवं अन्य

LPA No. 1330 of 2015 In CWJC No. 5246 of 2012. Decided on 22nd December, 2016.

(क) सेवा विधि–हटाया जाना–कूटरचना के आरोप पर सहायक खजांची के पद से–आरोप स्वीकार किए गए हैं–संविधान की धारा 311 (2) की प्रयोज्यता नहीं है जहाँ तक भारत अथवा राज्य सरकार के पी॰ एस॰ यू॰ के कर्मचारी का संबंध है और सरकारी कर्मचारियों तक सीमित है–स्वयं याची द्वारा अस्थायी गबन का मामला स्वीकार किया गया है–सेवा से हटाए जाने का दंड अभिपुष्ट किया गया। (पैराएँ 9 से 12)

(ख) भारत का संविधान—अनुच्छेद 311—प्रयोज्यता–अनुच्छेद 311 केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित है–पी॰ एस॰ यू॰ का कर्मचारी अनुच्छेद 311 के संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। (पैराएँ 9 एवं 10)

अधिवक्तागण.–M/s Sunil Kumar Verma, Suman Kumar Verma & Anish Kumar, For the Appellants; Mr. Ashok Priyadarshi, For the Respondents.

आदेश

आई॰ ए॰ सं॰ 5803 वर्ष 2015

अपील दाखिल करने में तीन वर्ष 12 दिन का विलंब माफ करने के लिए अंतर्वर्ती आवेदन दाखिल किया गया है।

2. विलंब के लिए दिया गया कारण अधिक विश्वास उत्पन्न नहीं करता है। किंतु, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि हमारे समक्ष मामला सेवा से हटाए जाने के संबंध में है, गुणागुण पर अपील सुनने का निर्णय किया गया है।

अपील दाखिल करने में विलंब माफ किया जाता है।

आई॰ ए॰ सं॰ 5803 वर्ष 2015 तद्नुसार निपटाया जाता है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

4. यह अपील सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 5246 वर्ष 2012 में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 19.3.2012 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा न्यायालय द्वारा मामले में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं पाने पर रिट याचिका खारिज की गयी है।

5. रिट याची-अपीलार्थी को वर्ष 1986 में यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी लिमिटेड के शाखा कार्यालय II, पटना में सहायक खजांची के रूप में नियुक्त किया गया था और उक्त अवधि के दौरान विभिन्न तिथियों पर 27, 283/- रुपयों का नगद संग्रहण जमा नहीं किया गया था। अपने दुर्विनियोग के तथ्य को छुपाने की दृष्टि से उसने आंध्र प्रदेश का नकली रबर स्टैम्प भी चिपकाया और धन रसीदों की प्रतियों पर हस्ताक्षर कूटरचित किया और इसके साथ छेड़छाड़ किया जिसे दुर्विनियोगित किया गया था। उसे अपने द्वारा दुर्विनियोगित अनेक राशियों के लिए पाँच चेक जमा किया और इन समस्त चेकों का अनादर किया गया था। इसके अतिरिक्त, उसने किसी प्राधिकृतकरण के बिना स्वयं के लिए तथा विकास अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद सिंह के लिए भी उपभोक्ता कर्ज सुरक्षित करने के लिए इलाहाबाद बैंक को कंपनी के लेटरहेड में दिनांक 9.3.2000 का वचन पत्र में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हस्ताक्षर किया था। उसने कंपनी का मुहर चिपकाकर वचन पत्र पर ए॰ ए॰ ओ॰ के रूप में अप्राधिकृत रूप से हस्ताक्षर किया और अपने निजी लाभ के लिए बैंक को गुमराह करने के लिए स्वयं को अपनिदेशित किया और अपने पदीय हैसियत का दुरुपयोग किया।

6. पूर्वोक्त दो आरोपों पर अपीलार्थी के विरुद्ध विरचित आरोप-ज्ञापन दिनांक 29.11.2011 को उसको जारी किया गया था जिसके प्रति उसने अपने विरुद्ध आरोप को बिना शर्त स्वीकार करते हुए और 27, 262/- रुपयों की दुर्विनियोगित राशि जमा करके, जिसे उसके द्वारा दिनांक 7.3.2001 को जमा किया गया था, दिनांक 14.12.2001 को अपना उत्तर दाखिल किया। अपने विरुद्ध आरोपों के शर्तहीन स्वीकरण की दृष्टि में अनुशासनिक प्राधिकारी ने सेवा से हटाए जाने का दंड जो भावी नियोजन के लिए अनर्हता नहीं होगी अधिरोपित करते हुए दिनांक 25.1.2002 का आदेश पारित किया। इसके विरुद्ध अपील दिनांक 22.3.2006 को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार की गयी थी। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के समक्ष दाखिल ज्ञापन भी दिनांक 18.11.2008 के आदेश द्वारा अस्वीकार किया गया था। पुनर्विलोकन आवेदन भी अस्वीकार किया गया था।

7. इस तथ्य की दृष्टि में कि आरोप स्वीकार किया गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष और हमारे समक्ष अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का एकमात्र निवेदन इस आधार पर है कि संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधान का उल्लंघन हुआ है और द्वितीयतः दंड का आदेश अननुपातिक है।

8. प्रत्यर्थी बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक प्रियदर्शी निवेदन करते हैं कि पूर्वोक्त आधारों को सही प्रकार से विद्वान एकल न्यायाधीश ने अस्वीकार किया है।

9. जहाँ तक संविधान के अनुच्छेद 311 का संबंध है, यह स्पष्ट है कि उक्त प्रावधान की प्रयोज्यता नहीं है जहाँ तक भारत सरकार अथवा राज्य के लोक क्षेत्र उपक्रम में कर्मचारी का संबंध है और यह सरकारी कर्मचारियों तक सीमित हैं। संविधान का अनुच्छेद 311 (1) प्रावधानित करता है कि कोई व्यक्ति, जो संघ की सिविल सेवा अथवा अखिल भारतीय सेवा अथवा राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है अथवा संघ अथवा राज्य के अधीन सिविल पद धारण करता है, उस प्राधिकारी जिसके द्वारा उसे नियुक्त किया गया था के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त किया जाएगा अथवा हटाया जाएगा। अनुच्छेद 311 (2) व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को अनुशासनिक मामलों में आगे संरक्षण प्रावधानित करता है।

10. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त अनुच्छेद उस व्यक्ति तक सीमित है जो संघ अथवा राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है अथवा अखिल भारतीय सेवा से आता है अथवा सिविल पद धारण करता है और चूँकि लोक क्षेत्र बीमा कंपनी का कर्मचारी संघ अथवा राज्य के अधीन सिविल पद अथवा सिविल सेवा धारण नहीं करता है, अपीलार्थी संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन किसी संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। यह संविधान के अनुच्छेद 311 पर आधारित निवेदन का सामना करने के लिए पर्याप्त हो सकता है, किंतु विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभी भी तर्क किया जा सकता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेदों 14 एवं 16 की दृष्टि में समरुप संरक्षण इप्सित किया जा सकता है।

11. यहाँ विवाद्यक यह है कि प्रत्यर्थी निगम की ओर से समानता अथवा समानता के अधिकार से इनकार अथवा कोई मनमानी कार्रवाई इस कारण मात्र से नहीं है कि रिट याची–अपीलार्थी को आरोप ज्ञापन जारी किए जाने के बाद उसने स्वयं बिना शर्त इस तथ्य सहित आरोप स्वीकार किया है कि उसने दुर्विनियोगित राशि जमा किया था। इस प्रकार, स्वयं रिट याची द्वारा अस्थायी गबन स्वीकार किया गया है। वर्तमान मामले में, अस्थायी गबन के अतिरिक्त याची द्वारा इलाहाबाद बैंक को झूठा वचन देने के लिए दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने तथा अपने पदीय हैसियत का दुरुपयोग करने के संबंध में भी आरोप है। यह स्पष्टत: दर्शाता है कि अपीलार्थी बीमा कंपनी की सेवा में रखे जाने योग्य व्यक्ति नहीं है जो बीमा पॉलिसियों हेतु प्रीमियम अथवा अन्यथा के रूप में जनता के सदस्यों से नियमित रूप से नगद प्राप्त कर रही है।

12. उक्त परिस्थितियों में, सेवा से हटाए जाने का दंड, जो भावी नियोजन के लिए अनर्हता नहीं होगी, कठोर एवं अननुपातिक नहीं माना जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों के अधीन, सेवा से बर्खास्तगी का दंड भी जो भावी नियोजन से अनर्हता आवश्यक बना सकता था, न्यायालय द्वारा कठोर नहीं माना जाएगा। इस प्रकार, सेवा से हटाए जाने के दंड का अधिरोपण न्यायालय की आत्मा को झकझोरने वाला अथवा अपीलार्थी के विरुद्ध स्वीकृत आरोपों के प्रति अननुपातिक नहीं माना जा सकता है।

13. इस प्रकार, हम आक्षेपित आदेश और इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं पाते हैं। तद्नुसार, अपील खारिज किया जाता है।